FOR REFERENCE ONLY

वार्षिक रिपोर्ट

(30)

2000-2001

NIEPA DC
D11111

2/7/10

370.95406
BHA-00-I

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016 D - 11111
DOC, No ....
Date 23-05-2001

माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के लिए एजूकेशनल कंसलटेंट्स इण्डिया लिमिटेड, एडसिल हाउस, 18–ए, सैक्टर 16–ए, नौएडा – 201301 (इण्डिया) द्वारा प्रकाशित।
डिजाइन व मुद्रणः न्यू कॉन्सेप्ट इंफोर्मेशन सिस्टम्स प्रा. लि.।

वार्षिक रिपोर्ट 2000 - 2001

विषय सूची

सिंहावलोकन 6

भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों ने हमेशा से सभी को उत्तम स्तर की शिक्षा प्रदान किए जाने के संवैधानिक संकल्प पर बल दिया है। माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग ने मिलकर बड़ी संख्या में पहलकदमियां की हैं जिनमें ये शामिल हैं: उत्तम स्तर की प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करना, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों का समाकलन, महिलाओं की समानता के लिए शिक्षा और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अल्प संख्यकों की शिक्षा पर विशेष बल देना। सर्व शिक्षा अभियान को, जो कि एक समग्र और अभिसारी योजना है मिशन पद्धति में शुरू किया गया है ताकि सार्वजनीक प्रारम्भिक शिक्षा के लक्ष्य की पूर्ति की जा सके।

प्रशासन 22

मंत्रालय के काम–काज की प्रभावकारिता मेंसुधार लाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग पर सतत रूप से बल और ध्यान दिया जा रहा है। भारत का पहला शिक्षा चैनल 'ज्ञान दर्शन' 26 जनवरी 2000 को शुरू किया गया था और वह सम्प्रति प्रतिदिन 16 घंटे प्रसारित किया जाता है। साथ ही अद्यतन जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से विभागीय वेबसाइट की निरंतर स्तरोन्नयन किया जा रहा है।

महिलाओं की समानता के लिए शिक्षा 32

भारत सरकार ने 2001 को महिला अधिकारिता वर्ष (डबल्यू ई वाई) के रूप में घोषित किया है। इसका प्रयोजन यह है कि महिलाओं के लिए संसाधनों की सुलभता और नियंत्रण में सुधार लाने के निमित्त कार्रवाई शुरू की जाए तथा उसमें तेजी लाई जाए जिससे कि वे राष्ट्र के सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक जीवन की धारा में अपना न्यायोचित स्थान ले सकें।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा 42

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ी जातियों, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े अल्पसंख्यकों का शैक्षिक विकास सर्वशिक्षा अभियान की रूपरेखा और कार्यक्रम की कार्यनीतियों में से एक है। अनेक प्रोत्साहन योजनाओं का इन समुदायों के बच्चों के प्रति गहरा ध्यान रहेगा। स्कूल के कामकाज में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के माता–पिता/अभिभावकों की सहभागिता का यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से मानीटरन किया जाएगा कि सभी सामाजिक समूहों, विशेष रूप से सर्वाधिक सुविधाविहीन समूहों द्वारा अभियान का स्वामित्व सुनिश्चित किया जा सके।

नीति, आयोजना और अनुश्रवण 46

राष्ट्र सभी को शिक्षा प्रदान करने के प्रति दृढ़ता से प्रतिबद्ध है और उसकी प्राथमिकता के क्षेत्र हैं: निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों का समाकलन, निरक्षरता का उन्मूलन, व्यावसायीकरण, महिलाओं की समानता के लिए शिक्षा, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यकों की शिक्षा पर विशेष बल। राष्ट्रीय शिक्षा नीति और कार्य योजना को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी राज्य और संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों पर है और उसके कार्यान्वयन का अनुश्रवण केन्द्रीय सरकार करती है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में शैक्षिक उन्नति 54

पूर्वोत्तर राज्यों में शैक्षिक उन्नति के लिए की गई नई पहलों में उस क्षेत्र में व्यय में वृद्धि लाना और यह सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा सचिवों की एक समिति स्थापित करना शामिल है कि क्षेत्र को आबटित संसाधनों का बेहतर प्रयोग हो सके तथा क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र को पेश आ रही समस्याओं के सम्बंध में एक साफ तस्वीर प्राप्त की जा सके।

अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग 58

भारत एक सक्रिय भूमिका निभा रहा है और अपने आदर्शों तथा लक्ष्यों को बढ़ावा दे रहा है। यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग (आई.एन.सी.सी.यू.) के सचिवालय ने भारत में सभी के लिए शिक्षा (ईएफए) 2000 मूल्यांकन प्रक्रिया का समन्वय किया। आई.एन.सी.सी. यू. अपने विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से शांति–संस्कृति के संदेश के प्रचार–प्रसार में भी एक सक्रिय भूमिका का निर्वाह कर रहा है।

प्रारम्भिक शिक्षा और साक्षरता विभाग

प्रारम्भिक शिक्षा 68

अनेक प्रयासों के फलस्वरुप भारत ने प्रारम्भिक शिक्षा में स्कूलों, अध्यापकों और छात्रों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि की है। लेकिन देश अभी तक प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण का लक्ष्य पूरा नहीं कर सका है जिसका अर्थ है बच्चों का शत प्रतिशत नामांकन और बच्चों को स्कूलों में बनाए रखना और सभी बस्तियों में स्कूली सुविधाओं की उपलब्धता। इसी कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान की शुरूआत की है।

प्रौढ़ शिक्षा 90

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का लक्ष्य यह है कि 2005 तक पूर्ण साक्षरता अर्थात 75 प्रतिशत का संधारणीय स्तर प्राप्त किया जाए। मिशन इस लक्ष्य की पूर्ति 15–35 आयु वर्ग के निरक्षरों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करके करना चाहता है। बल इस बात पर है कि अवशिष्ट निरक्षरता का उन्मूलन किया जाए और वयस्कों को जीवनपर्यन्त सीखने के लिए उपयोगी अवसर सुलभ कराए जाएं।

माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा विभाग

माध्यमिक शिक्षा 104

विज्ञान शिक्षा, पर्यावरर्णात्मक शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा, शिक्षा में संस्कृति और मूल्यों, कम्प्यूटर साक्षरता, शिक्षा प्रौद्योगिकी तथा विकलांग बच्चों की शिक्षा पर बल देते हुए स्कूली शिक्षा के सुदृढीकरण के लिए अनेक योजनाएं तैयार की गई हैं। इसके अलावा, एनसीईआरटी स्कूल स्तर पर शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण के क्षेत्रों में संसाधन सहयोग प्रदान करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उच्च माध्यमिक शिक्षा स्तर पर शिक्षा का व्यावसायीकरण भी एक प्रमुख चिन्ता है।

विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा 132

शिक्षा के पिरैमिड के शीर्षस्थ स्थान पर होने के कारण उच्चतर शिक्षा को शिक्षा प्रणाली में एक प्रमुख भूमिका निभानी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह परिकल्पना की गई है कि उच्चतर शिक्षा अधिक गतिशील और उच्च स्तरीय होगी क्योंकि उच्चतर शिक्षा लोगों को मानवता के समक्ष प्रस्तुत प्रमुख सामाजिक, आर्थिक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मुद्दों पर चिन्तन करने का अवसर प्रदान करती है।

तकनीकी शिक्षा 162

भारतवर्ष के समक्ष प्रस्तुत चुनौती, सूचना प्रौद्योगिकी में हाल में हुई उन्नतियों के कारण जो अवसर उपलब्ध हुआ है, उसका लाभ उठाने के उद्देश्य से सूचना प्रौद्योगिकी जनशक्ति की मांग और आपूर्ति के बीच के अन्तर को पाटना है। आईटी व्यावसायिकों की तुरंत उपलब्धि पर विचार करने के उद्देश्य से मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में एक कार्य दल का गठन किया गया। तकनीकी शिक्षा प्रणाली के सुदृढ़ीकरण की दिशा में कई अन्य पहलें की जा रही हैं।

पुस्तक प्रोन्नति 192

पुस्तकों के सवर्धन तथा पढ़ने की रुचि जागृत करने के उद्देश्य से विभिन्न उपाय किए गए हैं जिनका प्रयोजन बच्चों की पुस्तकों सहित पुस्तकों की गुणवत्ता में सुधार लाना तथा कार्यशालाओं का आयोजन करना है।

कापीराइट तथा सम्बद्ध अधिकार 196

कापीराइट और सम्बद्ध अधिकारों के ध्यातव्य क्षेत्र हैं: प्रवर्तन तंत्र का सुदृढ़ीकरण, उच्चतर शिक्षा धारा में अनुसंधान और शैक्षणिक अध्ययनों को प्रोत्साहित करना तथा सामूहिक प्रशासन प्रणाली को लोकप्रिय बनाना।

भाषाओं की प्रोन्नति 202

भाषा, संचार और शिक्षा का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण माध्यम है और इस कारण इसकी उन्नति राष्ट्रीय शिक्षा नीति और कार्य योजना में एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है। अतः हिन्दी और संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध अन्य 17 भाषाओं और साथ ही अंग्रेजी तथा कुछ अन्य विदेशी भाषाओं के उन्नति और विकास की ओर समुचित ध्यान दिया गया हैं।

छात्रवृत्तियां 210

शिक्षा विभाग भारतीय छात्रों के लिए विदेशों में विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थानों में आगे अध्ययन/अनुसन्धान के निमित्त छात्रवृत्तियां तथा शिक्षावृत्ति कार्यक्रमों का संचालन करता है। इन कार्यक्रमों में भारत सरकार द्वारा प्रायोजित तथा विदेशों द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम शामिल हैं।

परिशिष्ट 213

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता

सांख्यिकीय विवरण

1999–2000 के दौरान जिन गैर सरकारी संगठनों को एक लाख से अधिक सहायता अनुदान मंजूर किया गया उनसे संबन्धित विवरण

उपयोग प्रमाण पत्र (यूसी) प्रस्तुत न किए जाने से संबन्धित स्थिति दर्शाने वाला विवरण

1994 के बाद की अवधि के संबंध में नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों के बकाया लेखा–परीक्षा पैराग्राफों की सूची

स्वायत्त संगठनों/अधीनस्थ कार्यालयों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की सूची

प्रशासनिक चार्ट

भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों ने हमेशा से सभी को उत्तम स्तर की शिक्षा प्रदान किए जाने के संवैधानिक संकल्प पर बल दिया है। माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग ने मिलकर बड़ी संख्या में पहलकदमियां की हैं जिनमें ये शामिल हैं: उत्तम स्तर की प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करना, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों का समाकलन, महिलाओं की समानता के लिए शिक्षा और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अल्प संख्यकों की शिक्षा पर विशेष बल देना। सर्व शिक्षा अभियान को, जो कि एक समग्र और अभिसारी योजना है मिशन पद्धति में शुरू किया गया है ताकि सार्वजनीक प्रारम्भिक शिक्षा के लक्ष्य की पूर्ति की जा सके।

सिंहावलोकन

प्रशासन

मानव संसाधन विकास मंत्रालय का भूतपूर्व शिक्षा विभाग दो अलग–अलग विभागों अर्थात प्रारम्भिक शिक्षा और साक्षर विभाग तथा माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा विभाग के रूप में पुर्नगठित किया गया है। मुख्यालय के अलावा 4 अधीनस्थ कार्यालय तथा लगभग 100 स्वायत्त संगठन इन विभागों के साथ सम्बद्ध हैं। शिक्षा एक समवर्ती विषय है जिसके सम्बन्ध में विभाग, राज्यों और संघशासित क्षेत्रों के साथ निकट वैचारिक आदान–प्रदान में लगा है जिससे कि वह राष्ट्रीय शिक्षा नीति द्वारा उसे सौंपी गई भूमिका का निर्वाह कर सके। विभाग ने विदेशों में स्थित भारतीय आयोगों में अपने शैक्षिक स्कन्ध भी स्थापित किए हैं। सम्प्रति, इस तरह के स्कन्ध पेरिस, न्यूयार्क, वाशिंग्टन, मास्को तथा बर्लिन में काम कर रहे हैं।

विभाग का प्रशासनिक स्कन्ध, अन्य ब्यूरो, शाखा और अनुभागों की स्टाफ व्यवस्था तथा गृहव्यवस्था कार्यो सम्बन्धी जरूरतों को पूरा करता है। इन क्रियाकलापों पर कार्रवाई करने के लिए विशिष्ट यूनिट है। स्थापना, सेवाएं, प्रशिक्षण, प्रकाशन तथा सतर्कता यूनिट पिछले कई दशकों से काम कर रहे हैं। एक नई पहल के रूप में नए यूनिट स्थापित किए हैं। साथ ही एक सूचना सुविधा केन्द्र, कदाचार–विरोधी सेल और एक पुस्तकालय भी स्थापित किए गए हैं। विभाग ने एक विधि सेल स्थापित करने की दिशा में भी कार्रवाई शुरू की है और यह सेल सम्प्रति निर्माण की प्रक्रिया में है। कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न सम्बन्धी शिकायतों की सुनवाई के लिए एक समिति स्थापित की गई है। यह प्रभाग स्टाफ के कल्याण क्रियाकलापों की देखभाल करता है। गत वर्ष के दौरान विभाग ने सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने में गहरी रुचि का परिचय दिया है। प्रशासन प्रभाग के प्रभारी उप सचिव सेवाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजाति समुदायों के प्रत्याशियों के हित में आरक्षण सम्बन्धी मामलों में सम्पर्क अधिकारी की भूमिका भी निभाते हैं।

दोनों विभागों का काम ब्यूरो, प्रभागों, शाखाओं और अनुभागों के एक सुगठित तंत्र में नियोजित है जो कि विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों पर कार्रवाई करने के लिए संयुक्त सचिवों और अनुभाग अधिकारियों आदि के पर्यवेक्षण में काम करते हैं। दोनों विभागों के क्रियाकलापों के ब्यूरो–वार विवरण आगे के पैराग्राफों में दिए गए हैं। दोनों विभागों से सम्बन्धित नीति मानदण्डों, आयोजना और अनुश्रवण तथा सांख्यिकीय सम्बन्धी क्रियाकलाप माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर विभाग में मौजूद एक साझा आयोजना ब्यूरो द्वारा किए जाते हैं।

प्रारम्भिक शिक्षा

सार्वजनिक प्रारम्भिक शिक्षा की स्थिति

पिछले पांच दशकों में स्कूली प्रणाली में हुए अभूतपूर्व विस्तार के बावजूद सार्वजनिक प्रारम्भिक शिक्षा (यूईई) के लक्ष्य की पूर्ति की स्थिति पूर्णतः संतोषजनक नहीं है। पिछले पचास वर्षों में स्कूली प्रणाली में हालांकि लड़कियों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों, धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के बच्चों की सहभागिता में सुधार हुआ है फिर भी सामाजिक और लैंगिक विषमताएं बराबर हमारे शैक्षिक संकेतकों की विशेषताएं बनी रही हैं। सामाजिक–न्याय और संधारणीय आर्थिक कल्याण की तलाश में हमारे प्रयासों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

एकदम ताजा सर्वेक्षणों से यह पता चलता है कि 6–14 आयुवर्ग के लगभग 70 प्रतिशत बच्चे स्कूलों में जाते हैं। एकदम हाल के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 1998–99 से यह पता चलता है कि 6–14 आयुवर्ग के 79 प्रतिशत बच्चे स्कूल जाते हैं।

1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू किए जाने के बाद से प्रारम्भिक शिक्षा क्षेत्र में बड़ी संख्या में हस्तक्षेपणीय उपाय किए गए हैं। आपरेशन ब्लैक बोर्ड, अध्यापक शिक्षा, गैर–औपचारिक शिक्षा, महिला समाख्या, प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषाहार सहायता सम्बन्धी राष्ट्रीय कार्यक्रम, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश में राज्य विशिष्ट शिक्षा परियोजनाएं तथा 18 राज्यों के 248 जिलों में डीपीईपी – ये सभी उपाय इसी अवधि में अलग–अलग समय पर किए गए हैं। कुछेक महत्त्वपूर्ण हस्तक्षेपणीय उपाय निम्नानुसार हैं:

गैर–औपचारिक शिक्षा में स्थानीय स्वयंसेवी समूह की सहभागिता पर कार्यशाला– इस अवसर पर बोलते हुए अपर सचिव श्री के एस शर्मा

- आपरेशन ब्लैक बोर्ड के फलस्वरूप क्लासरूम, अध्यापक तथा अध्यापन–अधिगम उपकरण प्रदान करके न्यूनतम सुविधाएं सुलभ करा दी गई हैं। इस योजना के अधीन लगभग 6.5 लाख प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्कूलों में 3 लाख से अधिक अध्यापक, दो लाख स्कूल भवन और अध्यापक तथा अध्यापन–अधिगम उपकरण मुहैया कराए गए हैं। इस योजना के अधीन आधारिक सुविधाओं की समस्या की ओर ध्यान दिया गया और विभिन्न क्षेत्रों में इस सम्बन्ध में अलग–अलग स्तर की सफलता प्राप्त हुई। हाल में स्वीकृत किए गए सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम में स्कूली सुविधाओं में सुधार और समुचित संख्या में अध्यापकों का प्रावधान है।
- जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना के साथ अध्यापक शिक्षा योजना का विस्तार किया गया। राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन निष्पादित किए जाने की अनिवार्य अपेक्षा लागू करके अध्यापक शिक्षा संस्थानों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए यह योजना हाल ही में संशोधित की गई है। ऐसे संस्थानों के सुदृढ़ीकरण किए जाने के लिए इकाई लागतें भी संशोधित कर दी गई हैं। स्कूल अध्यापकों के बीच और अधिक शैक्षणिक तालमेल स्थापित किए जाने के उद्देश्य से आन्ध्र प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परियोजना के अधीन अध्यापक केन्द्रों की अवधारणा शुरू की गई। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अधीन स्थापित किए गए ब्लाक संसाधन केन्द्रों और संकुल संसाधन केन्द्रों के माध्यम से इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाया गया है।
- प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषाहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम प्राथमिक स्कूलों के बच्चों के आहार का एक महत्त्वपूर्ण पूरक होने के साथ–साथ निर्धन बच्चो के नामांकन के निमित्त एक प्रोत्साहन भी है। यह कार्यक्रम देश के सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक स्कूलों के सभी बच्चों के लिए है।
- महिला समाख्या पद्धति के मूल्याकंन अध्ययनों से यह पता चलता है कि इस पद्धति का महिलाओं के समूहों के बीच क्षमता निर्माण पर और समाज में महिलाओं को सामर्थ्यवान बनाए जाने में उनके योगदान पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। प्रारम्भिक शिक्षा में लड़कियों की सहभागिता की दृष्टि से इस प्रकार की सहभागिता के सकारात्मक परिणाम होते हैं। स्कूलों के प्रबन्धन में महिला समूहों को और अधिक सक्रिय भूमिका प्रदान करके तथा उनकी सहभागिता के लिए और अधिक नमनशील पद्धतियां तैयार करके लड़कियों की बुनियादी शिक्षा के साथ संभवतः इस प्रकार के तालमेल को और अधिक सुदृढ़ बनाए जाने की आवश्यकता है।
- पहले वाली गैर–औपचारिक शिक्षा योजना को हाल ही में पुनर्सरचित किया गया है ताकि उसमें नमनशीलता का समावेश हो सके। शिक्षा आश्वासन योजना और वैकल्पिक तथा नवाचारी शिक्षा की योजना सेतु पाठ्यक्रमों और ''वापिस स्कूल चलों'' शिविरों के माध्यम से स्कूल बाह्य बच्चों को मुख्यधारा की प्रारम्भिक शिक्षा में वापिस आने के योग्य बनाती है। गैर–औपचारिक शिक्षा योजना में ऐसी बस्तियों में जिनमें एक किलोमीटर की दूरी के भीतर एक भी प्राथमिक स्कूल मौजूद नहीं है शिक्षा आश्वासन केन्द्र खोले जाने का भी प्रावधान है।
- डीपीईपी जिले यह दर्शाते हैं कि विकेन्द्रीकृत आयोजना का अधिक उपयोगी सामुदायिक सहयोजन में योगदान रहता है और इससे नामांकन में सुधार होता है। मुख्यधारा की शिक्षा प्रणाली पर डीपीईपी का प्रभाव राज्यों के बीच अलग–अलग प्रकार का रहा है। कुछ राज्यों ने डीपीईपी हस्तक्षेपणीय उपाय की प्रक्रिया में मुख्यधारा में सुधार किए हैं जिसके फलस्वरूप उनका निष्पादन बेहतर प्रतीत होता है। अनेक डीपीईपी राज्यों में बहुत बड़ी संख्या में अध्यापकों की

रिक्तियां भर ली गई हैं। ब्लाक और संकुल संसाधन केन्द्रों की स्थापना से अध्यापकों के बीच शैक्षणिक आदान–प्रदान सुकर हुआ है। क्योंकि सूक्ष्म आयोजना और स्कूल आयोजना स्तर पर सामुदायिक सहयोजन की प्रक्रिया प्रायः अलग–अलग स्तर की रहती है इसलिए सामाजिक अभिप्रेरण के स्तर भी अलग अलग होते हैं। अध्यापकों और विशेषज्ञों की सहायता से नई पाठ्यपुस्तकें तैयार किए जाने के अधिकांश डीपीईपी राज्यों में उत्साहपूर्ण परिणाम देखने को मिले है।

- लोक जुम्बिश परियोजना सामुदायिक अभिप्रेरण से सूक्ष्म आयोजना और स्कूल आयोजना पर तथा बालिका शिक्षा शिविरों और सहज शिक्षा केन्द्रों के माध्यम से लड़कियों की शिक्षा के लिए विशेष हस्तक्षेपणीय उपायों के सकारात्मक प्रभाव का परिचय देती है। लड़कियों के नामांकन और उनके शिक्षा में बने रहने की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। वैविध्यपूर्ण लैंगिक हस्तक्षेपणीय उपाय लोकजुम्बिश हस्तक्षेपणीय उपायों की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता रहे हैं तथा इनका प्रभाव न्यून महिला साक्षरता दरों वाले अन्य क्षेत्रों पर है।
- समग्र साक्षरता अभियानों के मूल्यांकन अध्ययनों से यह पता चलता है कि वातावरण निर्माण चरण में निर्मित सामाजिक अभिप्रेरण का, बच्चों के नामांकन में अत्यन्त उल्लेखनीय वृद्धि में निश्चित योगदान रहा था। विशेष रूप से 1991 से 1999 के बीच की अवधि में निरक्षरों की संख्या में काफी गिरावट आई है और उसके साथ–साथ महिला साक्षरता की स्थिति में सराहनीय सुधार हुआ है। निश्चय ही महिला साक्षरता में वृद्धि की दर पुरुषों की तुलना में उच्चतर रही है।

गुणवत्ता में सुधार लाने के निमित्त प्रयास

प्रारम्भिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के प्रयोजन से राष्ट्रीय शिक्षा नीति और उसकी कार्ययोजना, 1992 में अधिगम के न्यूनतम स्तर की कार्यनीति पर प्रकाश डाला गया था। क्षमता–आधारित दृष्टिकोण का लक्ष्य साम्यता सहित उत्कृष्टता की पूर्ति करना है। अधिगम के न्यूनतम स्तर लागू करने के लिए अभिज्ञात प्रमुख उपाय इस प्रकार थेः अधिगम स्तरों का प्रारम्भिक मूल्यांकन, एमएलएल को स्थानीय स्थितियों के अनुकूल बनाए जाने के प्रयोजन से उनमें संशोधन, क्षमता आधारित अधिगम में अध्यापकों का प्रारम्भिक और आवर्ती अनुस्थापन, अध्यापक प्रशिक्षण पुस्तिकाएं तैयार करना, छात्रों के सतत और व्यापक मूल्यांकन की शुरूआत, मूल्यांकन सामग्री •मदपूलों का निर्माण, पाठ्यपुस्तक संशोधन के लिए एमएलएल मानदण्डों का प्रयोग करना तथा क्षमता–आधारित अध्यापन अधिगम सामग्री का प्रावधान जिससे कि शैक्षिक प्रक्रिया को क्रियाकलाप–आधारित और आनन्दपूर्ण बनाया जा सके।

सर्वशिक्षा अभियान (एसएसए)

सर्वशिक्षा अभियान राज्यों की भागीदारी के जरिए एक समयबद्ध एकीकृत पद्धति के माध्यम से प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण (यूईई) के चिरवांछित लक्ष्य की पूर्ति की दिशा में उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम है। एसएसए, जो कि देश में प्रारम्भिक शिक्षा की तस्वीर बदल देने का वायदा करता है 2010 तक 6–14 आयुवर्ग के सभी बच्चों को उपयोगी और उत्तम स्तर की प्रारम्भिक शिक्षा मुहैया कराने का लक्ष्य लेकर चला है।

एसएसए स्कूली प्रणाली के निष्पादन में सुधार लाने और सामुदायिक–स्वामित्व वाली उत्तम स्तर की प्रारम्भिक शिक्षा, मिशन पद्धति से प्रदान करने की आवश्यकता स्वीकार करने की दिशा में एक प्रयास है। इसमें लैंगिक और सामाजिक विषमताओं को पाटने की बात भी सोची गई है।

कार्यान्वयन के लिए तंत्र

केन्द्रीय और राज्य सरकारें, स्थानीय सरकारों और समुदाय की भागीदारी से मिल कर एसएसए को

> सर्वशिक्षा अभियान देश में प्रारम्भिक शिक्षा की तस्वीर बदल देने का वायदा करता है और 2010 तक 6-14 आयुवर्ग के सभी बच्चों को उपयोगी और उत्तम स्तर की प्रारम्भिक शिक्षा मुहैया कराने का लक्ष्य लेकर चला है।

सर्वशिक्षा अभियान के लक्ष्य

- सभी बच्चों को 2003 तक स्कूलों, शिक्षा आश्वासन केन्द्रों, वैकल्पिक स्कूलों, 'वापिस स्कूल चलो' शिविरों का अंग बनाना
- सभी बच्चे 2007 तक पांच वर्ष की प्राथमिक स्कूली शिक्षा पूरी कर लें
- सभी बच्चे 2010 तक आठ वर्ष की स्कूली शिक्षा पूरी कर लें
- जीवन के लिए शिक्षा पर बल देते हुए प्रारम्भिक शिक्षा की ओर ध्यान देना
- प्राथमिक स्तर पर 2007 तक तथा प्रारम्भिक स्तर पर 2010 तक सभी लैंगिक और सामाजिक वर्ग विषमताएं पाटना; तथा
- 2010 तक शत प्रतिशत बच्चों को शिक्षा में बनाए रखना

कार्यरूप देंगी। प्रारम्भिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय प्राथमिकता का महत्त्व परिलक्षित करने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय सर्वशिक्षा अभियान मिशन स्थापित किया जा रहा है जिसके अध्यक्ष प्रधान मंत्री और उपाध्यक्ष केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री होंगे। राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के निमित्त मुख्यमंत्री/शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय कार्यान्वयन सोसायटियां स्थापित करें। कई राज्यों में यह प्रक्रिया पहले ही कार्यान्वित की जा चुकी है।

सर्वशिक्षा अभियान राज्यों और जिलों में मौजूद तंत्रों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा बल्कि इन सभी प्रयासों के बीच अभिसरण लाने का प्रयास करेगा। यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जाएंगे कि एकदम स्कूल स्तर तक कार्यात्मक विकेन्द्रीकरण किया जाए जिससे कि सामुदायिक सहभागिता में वृद्धि हो। अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा सहित पीआरआई/आदिवासी परिषदों को मान्यता प्रदान करने के अलावा राज्यों को, गैर–सरकारी संगठनों, अध्यापकों, कार्यकर्ताओं, महिला संगठनों आदि को शामिल करके जवाबदेही के तंत्र का विस्तार करने को बढ़ावा दिया जाएगा।

व्याप्ति तथा अवधि

मार्च 2002 से पहले एसएसए का विस्तार सारे देश के भीतर हो जाएगा और प्रत्येक जिले में कार्यक्रम की अवधि जिले की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार उसके द्वारा तैयार की गई जिला प्रारम्भिक शिक्षा योजना (डीईईपी) पर निर्भर करेगी।

एसएसए कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय महत्त्व की कार्यनीतियां

- **संस्थानगत सुधार:** एसएसए के एक अंग के रूप में राज्यों में संस्थानगत सुधार किए जाएंगे। राज्यों को शैक्षणिक प्रशासन सहित इन तत्त्वों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करना होगा: अपनी मौजूदा शिक्षा प्रणाली, स्कूलों में उपलब्धि के स्तर, वित्तीय मुद्दे, विकेन्द्रीकरण और सामुदायिक स्वामित्व, राज्य शिक्षा अधिनियम की समीक्षा, अध्यापक तैनाती और अध्यापकों की भर्ती का युक्तियुक्तकरण, अनुश्रवण और मूल्यांकन, लड़कियों अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा सुविधाविहीन समूहों के बच्चों की शिक्षा, निजी स्कूलों के लिए नीति तथा ईसीसीई। कई राज्यों ने प्रारम्भिक शिक्षा की आपूर्ति प्रणाली में सुधार लाने के लिए संस्थानगत सुधार पहले ही कर दिए हैं।
- **संधारणीय वित्तपोषण:** सर्वशिक्षा अभियान इस आधार वाक्य पर टिका है कि प्रारम्भिक शिक्षा का वित्तपोषण संधारणीय होगा। इस दृष्टि से केन्द्रीय और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय भागीदारी को लेकर एक दीर्घकालीन दृष्टि अपनानी होगी।
- **सामुदायिक स्वामित्व:** इस कार्यक्रम में प्रभावी विकेन्द्रीकरण के माध्यम से स्कूल–आधारित हस्तक्षेपणीय उपायों का सामुदायिक स्वामित्व आवश्यक है। महिला समूहों, वीईसी सदस्यों तथा पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों को सहयोजित करके इसे सुदृढ बनाया जाएगा।
- **संस्थानगत क्षमता निर्माण:** एसएसए में नीपा/एनसीईआरटी/एनसीटीई/एससीईआरटी/एसआईईएमएटी जैसे राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरीय संस्थानों के लिए प्रमुख क्षमता निर्माण भूमिका की कल्पना की गई है। गुणवत्ता में सुधार की दृष्टि से संसाधन व्यक्तियों की एक संधारणीय अनुसमर्थन प्रणाली आवश्यक है।

- **मुख्यधारा के शैक्षिक प्रशासन में सुधारः** इस दृष्टि से संस्थानगत सुधार, नई पद्धतियों के मिश्रण और लागत प्रभावी तथा प्रभावकारी पद्धतियों के माध्यम से मुख्यधारा के शैक्षिक प्रशासन में सुधार लाए जाने की आवश्यकता है।
- **पूरी पारदर्शिता के साथ समुदाय–आधारित अनुश्रवणः** इस कार्यक्रम में समुदाय–आधारित अनुश्रवण प्रणाली होगी। शैक्षिक प्रबन्ध सूचना प्रणाली (ईएमआईएस) सूक्ष्म आयोजना तथा सर्वेक्षणों से प्राप्त समुदाय आधारित जानकारी के साथ स्कूल स्तरीय आंकड़ों के बीच सहसम्बन्ध स्थापित करेगी। इसके अलावा प्रत्येक स्कूल में एक नोटिस बोर्ड रहेगा जिस पर स्कूल द्वारा प्राप्त सभी अनुदानों के बारे में तथा अन्य संगत जानकारी दी हुई होगी।
- **आयोजना की एक इकाई के रूप में बस्तीः** एसएसए आयोजना को लेकर एक समुदाय–आधारित पद्धति के अनुसार काम करता है तथा वह आयोजना के निमित्त बस्ती को एक इकाई मानता है। जिला योजनाएं तैयार करने का आधार बस्ती–योजनाएं होंगी।
- **समुदाय के प्रति जवाबदेहीः** अध्यापकों, मातापिता तथा पीआरआई के बीच सहयोग के अलावा एसएसए जवाबदेही और पारदर्शिता की बात भी सोचता है।
- **लड़कियों की शिक्षाः** लड़कियों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों की शिक्षा सर्वशिक्षा अभियान की एक प्रमुख चिन्ता है।
- **विशेष समूहों पर बलः** अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यकों, सुविधाविहीन समूहों के बच्चों तथा विकलांग बच्चों की शैक्षिक सहभागिता पर अधिक बल दिया जाएगा।
- **परियोजना–पूर्व चरणः** एसएसए एक सुनियोजित परियोजना–पूर्व चरण सहित सारे देश में शुरू किया जाएगा। परियोजना–पूर्व चरण में आपूर्ति और अनुश्रवण प्रणाली में सुधार के निमित्त क्षमता विकास के लिए बहुत बड़ी संख्या में हस्तक्षेपणीय उपायों का प्रावधान किया गया है।
- **गुणवत्ता पर बलः** एसएसए पाठ्यचर्या में सुधार लाकर, बाल–केन्द्रित क्रियाकलापों और प्रभावी अध्यापन पद्धतियों के माध्यम से प्रारम्भिक स्तर पर शिक्षा को बच्चों के लिए उपयोगी और प्रासंगिक बनाने पर विशेष बल देता है।
- **अध्यापकों की भूमिकाः** एसएसए अध्यापकों की महत्त्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करता है और उनकी विकासात्मक आवश्यकताओं पर ध्यान दिए जाने की हिमायत करता है। बीआरसी/सीआरसी की स्थापना, योग्यताप्राप्त अध्यापकों की भर्ती, पाठ्यचर्या सम्बन्धी सामग्री विकास में सहभागिता के माध्यम से आध्यापक उन्नति के अवसर, क्लासरूम प्रक्रियाओं पर बल देना तथा अध्यापकों के ज्ञानवर्द्धक दौरे – ये सभी प्रक्रियाएं अध्यापकों के भीतर मानव संसाधन विकसित करने के लिए तैयार की गई हैं।
- **जिला प्रारम्भिक शिक्षा योजनाएंः** एसएसए की रूपरेखा के अनुसार प्रत्येक जिला एक जिला प्रारम्भिक शिक्षा योजना तैयार करेगा जिसमें प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में एक समग्र तथा अभिसारी दृष्टिकोण से किए जा रहे समूचे निवेश को परिलक्षित किया जाएगा।

प्रौढ़ शिक्षा

प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के वैकल्पिक और क्रमिक माडलों के वर्षों के प्रयोगों के बाद, राष्ट्र ने एक ऐसा माडल अपनाया है जिसने देश में निरक्षरता से जूझते लाखों व्यक्तियों के लिए आशा, आस्था और विश्वास का संचार किया है। 1978 में शुरू किए गए राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के साथ इस दिशा में प्रयास आरम्भ किए गए थे। तथापि इसकी सफलता और विस्तार मई 1988 में शुरू किए गए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन तक सीमित रहा था। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन निरक्षरता के विरुद्ध भारत के संघर्ष का एक आख्यान बन गया।

इस मिशन में 30 नवम्बर 1999 को तब नए प्राण और उत्साह का संचार हुआ जबकि सरकार ने अधिकारों को राज्य और जिला स्तरीय संस्थानों को प्रत्यायोजित करते हुए जीवनपर्यन्त सीखने और विकेन्द्रीकरण पर बल देते हुए इस कार्यक्रम की अवधि के विस्तार को मंजूरी प्रदान कर दी। एनएलएम के अधीन वित्तपोषण के प्राचलों और मानदण्डों में 5 मई 2000 की अधिसूचना जारी करके वृद्धि कर दी गई है। अभिवर्द्धित प्राचल और मानदण्ड इस तथ्य पर भरोसा दिलाते हैं कि एनएलएम, देश में प्रत्येक व्यक्ति, विशेष रूप से महिलाओं के लिए साक्षरता

को एक बुनियादी आवश्यकता बनाने के अपने घोषित लक्ष्य की पूर्ति की दिशा में अच्छी उन्नति कर रहा है।

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के आंकड़ों से यह पता चलता है कि साक्षरता का स्तर जो 1991 में 52 प्रतिशत था, वह 1997 में बढ़कर 62 प्रतिशत तक पहुंच गया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 1998–99 (6 से अधिक आयुवर्ग में) में साक्षरता दर 63.1 प्रतिशत परिलक्षित करके उक्त तथ्य की पुष्टि करता है। पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता के बीच का अन्तर भी कम होता जा रहा है क्योंकि महिला साक्षरता स्तर 51 प्रतिशत को पार कर गया हैं। साक्षरता अभियानों का विस्तार देश के कुल 588 जिलों में से 559 जिलों में किया जा चुका है। अविच्छिन्न शिक्षा कार्यक्रम 95 जिलों में शुरू किया जा चुका है; साक्षरतोत्तर कार्यक्रम 292 जिलों में चल रहा है जबकि समग्र साक्षरता अभियान 172 जिलों में काम कर रहे है। महिलाओं, अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के बीच साक्षरता को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया जा रहा है। देश में जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव को निष्क्रिय करने में साक्षरता कार्यक्रमों के समक्ष एक जबरदस्त चुनौती थी। साक्षरता में वृद्धि दर अब जनसंख्या में वृद्धि को पार कर चुकी है और निरक्षर व्यक्तियों की संख्या अन्ततः घटनी शुरू हो गई है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का लक्ष्य 2005 तक पूर्ण साक्षरता अर्थात 75 प्रतिशत का एक संधारणीय स्तर प्राप्त करना है।

समाकलित फॉरमेट में साक्षरता अभियानों के क्रियाकलापों को प्रभावी रूप से 'एक परियोजना' के अधीन लाने का प्रयास किया गया है जिससे कि निरंतरता, प्रभाविता, अभिसरण तथा दोनों के बीच समय के अनावश्यक अंतराल को न्यूनतम रखा जा सके। बुनियादी साक्षरता अनुदेशन का पहला चरण और समेकन, उपचार तथा कौशल स्तरोन्नयन का दूसरा चरण राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा फिलहाल कार्यान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों के व्यापक शीर्षक के भीतर प्रौढ़ साक्षरता की दो प्रमुख कार्यनीतियों का निर्माण करते हैं।

अपने प्रयासों, अभियानों और कार्यक्रम के साथ चलते हुए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने राज्य साक्षरता मिशनों को सुदृढ़ और चुस्त बनाने का निर्णय लिया। देश में 18 राज्य साक्षरता मिशनों को अपेक्षतया अधिक अधिकार दिए जा चुके हैं। अब उन्हें साक्षरता कार्यक्रमों की योजना बनाने, उन्हें कार्यान्वित करने और उनका अनुश्रवण करने तथा राज्य स्तर पर अविछिन्न शिक्षा कार्यक्रमों को मंजूरी देने का अधिकार दे दिया गया है।

प्रौढ़ बुनियादी साक्षरता की संकीर्ण अवधारणा से ऊपर उठकर राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने अविछिन्न शिक्षा को अपने क्रियाकलापों का एक अनिवार्य अंग बना लिया है। अविछिन्न शिक्षा केन्द्रों (सीईसी) तथा नोडल अविछिन्न शिक्षा केन्द्रों (एनसीईसी) की स्थापना अविछिन्न शिक्षा कार्यक्रमों को कार्यरूप देने की प्रमुख पद्धति है। अविछिन्न शिक्षा केन्द्र बुनियादी साक्षरता, साक्षरता कौशलों के स्तरोन्नयन, वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रमों के अनुसरण, व्यावसायिक कौशलों तथा सामाजिक और व्यावसायिक उन्नति को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्र–विशिष्ट, मांग–आधारित अवसर उपलब्ध कराते हैं। इस कार्यनीति के एक अंग के रूप में ग्रामीण पुस्तकालय स्थापित करने पर अधिक बल दिया जाता है। ये ग्रामीण पुस्तकालय नवसाक्षरों को अपनी भाषा में सीखने और पढ़ने की सामग्री उपलब्ध कराएंगे तथा अपने व्यक्तिगत हितों को और आगे बढ़ाने के निमित्त क्रियाकलाप करने का अवसर प्रदान करेंगे।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन अपने कार्यक्रमों और योजनाओं को आगे बढ़ाने में गैर–सरकारी संगठनों की व्यापक क्षमता को पूरी तरह स्वीकार करता है। गैर–सरकारी संगठनों के लिए अभिकल्पित प्रमुख भूमिका को ध्यान में रखते हुए उन्हें अब जिला साक्षरता समितियों से निधियां प्राप्त करने और वस्तुतः अविछिन्न शिक्षा केन्द्र चलाने की अनुमति दे दी गई है। साक्षरता अभियान में गैर–सरकारी संगठनों की भूमिका को बढ़ाने के उद्देश्य से पिछले एक वर्ष में 6 करोड़ रुपए के मूल्य की 32 नवाचारी परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

मौजूदा राज्य संसाधन केन्द्रों (एसआरसी) को सुदृढ़ बनाया गया है और उनके वार्षिक अनुरक्षण अनुदानों में समुचित वृद्धि की गई है। स्वतंत्र जिला संसाधन इकाइयों को एसआरसी में समाकलित कर लिया गया है जो कि प्रति वर्ष 20,000 प्रौढ़ शिक्षा प्रशिक्षकों और कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।

साक्षरता अभियानों की स्वैच्छिक प्रकृति उसकी सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति रही है। व्यापक सहभागिता के फलस्वरूप अधिक संतोष, धारणीयता और सफलता की प्राप्ति हुई है। इस बात को दिमाग में रखते हुए राष्ट्रीय साक्षरता मिशन पंच्चायत स्तर पर और साथ ही उद्योगों और निगमित गृहों के स्तर पर लोगों की सहभागिता को बढ़ावा दे रहा है। जन शिक्षण संस्थानों ने अपने विस्तार की सीमाएं बढ़ा दी हैं और वे लगभग 225 व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की पेशकश करके ग्रामीण क्षेत्रों की मांगों की भी पूर्ति कर रहे हैं। पिछले वर्ष 1,20,739 व्यक्तियों को, जिनमें से लगभग तीन–चौथाई महिलाएं थीं, व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया गया जिसका श्रेय इन्हीं संस्थानों को दिया जाता हैं। देश के विभिन्न स्थानों में 91 जन शिक्षण संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं। नौवीं पंचवर्षीय योजना में ही 50 नए जन शिक्षण संस्थान खोलने की बात सोची गई थी जिनमें से 33 को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है।

साक्षरता अभियानों द्वारा उत्पन्न नाटकीय सामाजिक अभिप्रेरण के फलस्वरूप अन्य सामाजिक क्षेत्रों, विशेष रूप से महिलाओं की अधिकारिता, स्वास्थ्य और पर्यावरणात्मक जागरूकता पर व्यापक प्रभाव पड़ा हैं। पंचायती राज संस्थाओं द्वारा प्रभावी सामाजिक कार्रवाई के लिए एक रूपरेखा प्रदान की गई है। समाज में विशेष रूप से अल्पसुविधा भोगी समूहों के बीच अभिव्यक्ति को बढ़ावा देने, लैंगिक सम्बन्धों को परिभाषित करने और जाति–आधारित सामाजिक श्रेणियों पर आपत्ति प्रकट करने के हितों की पूर्ति की है।

किसी प्रणाली की आवश्यकताओं और दुर्बलताओं का पता लगाने के लिए अनुश्रवण और मूल्यांकन आवश्यक प्रबन्ध साधन हैं और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा उनकी महत्ता स्वीकार कर ली गई है और उन्हें लागू किया जा चुका है। एनएलएम प्राधिकारियों द्वारा तैयार की गई नवाचारी अनुश्रवण प्रणाली केवल यही नहीं कि विश्वसनीयता सुनिश्चित करती है बल्कि सूचना के क्रमिक प्रवाह को भी सुकर बनाती है। राज्य प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय अपने राज्यों में साक्षरता अभियानों का अनुश्रवण करने के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं।

परिणामों और प्रभावी मूल्यांकनों की विश्वसनीयता को बढ़ाने के उद्देश्य से मूल्यांकन मार्गदर्शी सिद्धान्तों को मानकीकृत बना दिया गया है और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समय–समय पर उन्हें जारी किया जाता है। एसआरसी द्वारा संगत क्षेत्रों के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक वातावरण के अभियानों के विशेष प्रभाव अध्ययन भी हाथ में लिए जा रहे हैं। साक्षरता कार्यक्रमों का मूल्यांकन राज्य के बाहर स्थित विख्यात शैक्षणिक संस्थानों द्वारा किया जाता है जिससे कि उसमें पारदर्शिता और वस्तुनिष्ठता बनाए रखी जा सके।

एनएलएम और इसके कार्यक्रमों तथा योजनाओं के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने और इस प्रकार शिक्षा के महत्त्व पर प्रकाश डालने के उद्देश्य से अनेक उपाय किए गए हैं जिनमें वेबसाइट की स्थापना और अनुरक्षण, प्रकाशन, पुरस्कार, विज्ञापन और प्रचार तथा मीडिया साफ्टवेयर शामिल हैं।

लोगों के जीवन में दूरगामी बदलाव लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जीवनपर्यन्त सीखने में अधिकाधिक लोगों को शामिल करने के भरसक प्रयास कर रहा है जिससे कि लोगों के शैक्षिक स्तर और जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके।

माध्यमिक शिक्षा

देश की शैक्षिक चिन्ताओं और प्राथमिकताओं को अद्यतन बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्राचलों के भीतर अनेक नए सामाजिक और शिक्षाशास्त्रीय बदलावों के प्रति ध्यान दिया गया है। पाठ्यचर्या रूपरेखा को सफलतापूर्वक व्यवहार में लाने की दृष्टि से बहुमुखी कार्यनीति की जरूरत होगी। सिफारिशों को कार्यरूप देने के लिए पाठ्यचर्या रूपरेखा को सभी राज्यों/संघ शासित

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के कार्यक्रमों और योजनाओं पर बल देने के उद्देश्य से कई उपाय किए गए हैं जिनमें वेबसाइट की स्थापना और अनुरक्षण, प्रकाशन, पुरस्कार, विज्ञापन और प्रचार तथा मीडिया साफ्टवेयर शामिल हैं।

क्षेत्रों के बीच परिचालित कर दिया गया है तथापि कार्यान्वयन का प्रश्न राज्य सरकारों के सम्बन्धित शिक्षा बोर्डों द्वारा लिए जाने वाले निर्णय के ऊपर निर्भर करेगा। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पिछले वर्षों के दौरान अपने स्कूलों के व्यापक मूल्यांकन के लिए एक पद्धति शुरू की है। सीबीएसई द्वारा किए जाने वाले बाह्य मूल्यांकन पर आधारित अर्हक प्रमाण–पत्र प्रदान करने के अलावा स्कूल–आधारित सतत और व्यापक मूल्यांकन के आधार पर एक दूसरा प्रमाण–पत्र जारी करने की पद्धति शुरू की गई।

सरकार द्वारा निर्मित न्यायमूर्ति वर्मा समिति ने छात्रों के बीच हमारे संविधान में यथावर्णित कर्तव्यों के बोध को पाठ्यचर्या की एक चिन्ता के रूप में उत्पन्न किए जाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला था। सम्प्रति, केन्द्रीय सरकार समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/राज्य सरकारों के साथ परामर्श कर रही है। सरकारी और सरकारी सहायताप्राप्त स्कूलों में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षाओं में कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार ने वर्ष 2000–2001 तथा 2001–2002 के लिए 100 करोड़ रुपए के बजट सहित स्कूलों में कम्प्यूटर साक्षरता और अध्ययन परियोजना (क्लास) को पुनर्जीवित करने का निर्णय भी लिया है। उपर्युक्त के अलावा, केन्द्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों में आई टी शिक्षा प्रदान की जाएगी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कुल मिलाकर 1.60 करोड़ से अधिक विकलांग बच्चों में से 2 प्रतिशत से भी कम विकलांग बच्चे स्कूलों में दाखिल हैं अध्यापकों और प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवृत्यात्मक बदलावों, क्षमता निर्माण के निमित्त कार्यक्रम शुरू किए गए जिससे कि इन बच्चों को समाकलित स्कूली स्थितियों में पढ़ाया जा सके। यूनेस्को की सहायता से अध्यापक प्रशिक्षण माड्यूल तैयार करने पर विशेष बल दिया जा रहा है। केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) तथा नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस) जैसी केन्द्रीय स्कूल पद्धतियों ने शैक्षिक सुधारों का कार्य जारी रखा। आशा है कि ऐसा करने से नवोदय विद्यालय समिति प्रतिभाशाली छात्रों के लिए और भी अधिक आकर्षक बन जाएगी। एमटी के प्रशिक्षण के लिए केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने मैसर्स इन्टेल कॉर्पोरेशन के तत्त्वावधान में नई दिल्ली में 'अध्यापक प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला' की स्थापना की है। अध्यापकों के लिए आईआईपीए, नई दिल्ली, टीटीटीआई, चण्डीगढ़ और भोपाल तथा एनसीईआरटी की सहायता से कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं। केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने भी अपनी विकेन्द्रीकृत आयोजना के अधीन अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को और अधिक अधिकार प्रदान किए हैं। दाखिलों, अनुशासनिक मामलों और पर्यवेक्षी भूमिकाओं को लेकर स्थानीय विद्यालय समितियों के अध्यक्षों को भी और अधिकार प्रदान किए गए हैं। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय ने नए व्यावसायिक क्षेत्र अभिज्ञात किए हैं, जैसे कि कम्प्यूटर अनुप्रयोग, पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाण–पत्र और एक्स–रे तकनीशियन पाठ्यक्रम। उसने मांगे जाने पर परीक्षा (ओडीई) की एक योजना की भी कल्पना की है और पांच प्रत्यायित संस्थानों में एक मार्गदर्शी परियोजना शुरू की जा चुकी है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों की छात्राओं के लिए भोजन और छात्रावास सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण की योजना के अधीन 1999–2000 के दौरान 20 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है जिससे 3913 आवासी लड़कियां लाभान्वित हुई हैं। योग शिक्षा लागू करके प्रदान किया गया है। साथ ही, विभाग ने स्कूलों में योग शिक्षा लागू करने की नई योजना को भी अंतिम रूप दिया हैं।

विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा

उच्चतर शिक्षा की सुलभता और गुणवत्ता में सुधार लाने की दिशा में अनेक पहलकदमियां की गई हैं। उच्चतर शिक्षा संस्थानों को उत्कृष्टता के केन्द्र बनाने के प्रयोजन से यह निर्णय लिया गया कि सभी विश्वविद्यालयों और कालेजों के लिए प्रत्यायन क्रियाविधियां अनिवार्य बना दी जाएं। और अधिक संख्या में स्वायत्त कालेज खोलने को अधिक बढ़ावा दिया जाना चाहिए जिससे कि उच्चतर शिक्षा की पाठ्यचर्या में नवाचार और नमनशीलता को प्रोत्साहित किया जा सके। पाठ्यचर्या संशोधन की कार्रवाई प्रथम डिग्री स्तर पर लागू किए गए मौजूदा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के आगे–पीछे की जाएगी।

सरकार ने उच्चतर शिक्षा क्षेत्र के लिए योजनागत तथा योजनेत्तर – दोनों प्रकार के आबंटनों के माध्यम से अपनी वित्तीय सहायता में उल्लेखनीय वृद्धि की। नौवीं योजना के लिए समग्र आबंटन 2500 करोड़ रुपए है

जबकि आठवीं योजना में इस आशय का आबंटन 800 करोड़ रुपए था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लिए योजनेत्तर आबंटन, जो कि 1999–2000 में 975 करोड़ रुपए था, उसे 2000–2001 में बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपए कर दिया गया। उच्चतर शिक्षा क्षेत्र को आर्थिक दृष्टि से अधिक व्यवहार्य बनाने के लिए विश्वविद्यालयों की फीस संरचना संशोधित करने की दिशा में उपाय किए गए हैं।

औपचारिक शिक्षा क्षेत्र में शैक्षिक सुविधाओं की सुलभता बढ़ाने की दिशा में किए जा रहे भरसक प्रयासों के साथ–साथ मुक्त विश्वविद्यालय प्रणाली ने जिसमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) शीर्षस्थ स्थान पर है, अपने क्षेत्रीय और अध्ययन केन्द्रों के नेटवर्क के माध्यम से शैक्षिक सुविधाओं की सुलभता में नाटकीय सुधार ला दिया है। पिछले तीन वर्षों में इग्नू ने ऐसे 148 जिलों में नामांकन के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज की है जिनमें महिला साक्षरता की दरें अत्यन्त न्यून हैं। 26 जनवरी 2000 को ज्ञानदर्शन नामक एक शैक्षिक टीवी चैनल शुरू किया गया है। सम्प्रति, दूरदर्शन पर चौबीसों घण्टे चलने वाले कार्यक्रम के माध्यम से एक करोड़ लोगों तक पहुंचा जा रहा है।

तृतीयक शिक्षा में निजी क्षेत्र की सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्तों में उपयुक्त संशोधन किए गए हैं जिससे कि उत्तम स्तर के संस्थानों को त्वरित आधार पर सम–विश्वविद्यालय का दर्जा देना संभव हो सकेगा। ऐसा किए जाने से उच्चतर शिक्षा क्षेत्र के लिए उपलब्ध संसाधनों का अत्यधिक सुदृढ़ीकरण होने के साथ–साथ गुणवत्ता को भी बढ़ावा मिलेगा। भारतीय शिक्षा को क्रमिक रूप से विदेशों में बढ़ावा देने और भारत में कार्यरत विदेशी शैक्षिक संस्थानों को विनियमित करने की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं।

भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान परिषद, भारतीय दार्शनिक अनुसन्धान परिषद, भारतीय इतिहास अनुसन्धान परिषद जैसे शीर्षस्थ स्तर के अनुसन्धान समन्वय संस्थानों ने अपने–अपने क्षेत्रों में अपने क्रियाकलाप जारी रखे। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान अंतः विषय क्षेत्रीय फॉरमेट पर आधारित उन्नत अध्ययनों के क्षेत्रों पर बल देना जारी रखता है। राष्ट्रीय ग्रामीण संसाधन परिषद का पुनर्गठन किया गया जिससे कि गांधीवाद पद्धति में बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र को अधिक बल प्राप्त हो सके। भारत में स्थित अमरीकी शैक्षिक प्रतिष्ठान नामक भारतीय अध्ययन संस्थान और शास्त्री भारत–कनाडा संस्थान ने द्विपक्षीय सम्बन्धों को बढ़ावा देना जारी रखा। दूरस्थ शिक्षा क्षेत्र में कामनवेल्थ आफ लर्निंग के साथ सम्बन्ध स्थापित किए गए और सुदृढ़ बनाए गए।

तकनीकी शिक्षा

देश में तकनीकी शिक्षा प्रणाली के अधीन इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी, प्रबन्ध, वास्तुकला, नगर आयोजना, फार्मेसी, अनुप्रयोग कलाओं और कौशलों सम्बन्धी पाठ्यक्रम और कार्यक्रम मौजूद हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय डिप्लोमा, स्नातक–पूर्व, स्नातकोत्तर और अनुसन्धान स्तरों के कार्यक्रमों की व्यवस्था करता है।

केन्द्रीय स्तर पर तकनीकी शिक्षा प्रणाली में ये संस्थाएं शामिल हैं: अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) – प्रणाली की उपयुक्त आयोजना और उसकी उन्नति समन्वय के लिए सांविधिक निकाय; छः भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान (आईआईटी) जो कि राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं; छः भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम), तीन सम विश्वविद्यालय संस्थान, अर्थात भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी), बंगलौर, भारतीय खान संस्थान (आईएसएम), धनबाद तथा भारतीय आयोजना और वास्तुशिल्प स्कूल (एसपीए), नई दिल्ली; 17 क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज (आरईसी); केन्द्रीय क्षेत्र में अन्य तकनीकी संस्थान, जैसे कि राष्ट्रीय फाउण्डरी और फोर्ज प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईएफएफटी), रांची, राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान (एनआईटीई), मुम्बई, संत लौंगोवाल इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थान

> भारतीय शिक्षा को विदेशों में क्रमिक रूप से बढ़ावा देने और भारत में कार्यरत विदेशी शैक्षिक संस्थानों को विनियमित करने की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं।

(एसएलआईईटी), लौंगोवाल, उत्तर–पूर्व क्षेत्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (एनईआरआईएसटी), ईटा नगर, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबन्ध संस्थान (आईआईटीएम), ग्वालियर, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी), इलाहाबाद; चार तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान (टीटीटीआई); तथा चार प्रशिक्षु प्रशिक्षण बोर्ड (बीओएटी)। केन्द्रीय स्तर पर अन्य योजनाओं में ये शामिल हैं: प्रशिक्षु प्रशिक्षण कार्यक्रम (छात्रवृत्तियां और शिक्षावृत्तियां); तकनीकी शिक्षा के लिए विश्वविद्यालयों को सहायता; सामुदायिक पॉलीटेक्निकों; पॉलीटेक्निक शिक्षा में सुधार के लिए विश्व बैंक परियोजना; विकलांग व्यक्तियों के लिए पॉलीटेक्निक; व्यावसायिक और विशेष सेवाओं के लिए भुगतान; केन्द्रीय संस्थानों और आरईसी (अनुसंधान और विकास, इंजीनियरी प्रयोगशालाओं और कार्यशालाओं का आधुनिकीकरण और अप्रचलन की समाप्ति तथा तकनीकी शिक्षा में ध्यातव्य क्षेत्र) को प्रत्यक्ष केन्द्रीय सहायता; कम्प्यूटर साफ्टवेयर और सेवाएं; सूचना प्रौद्योगिकी; एशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान, बैंकाक; विदेशी प्रतिनिधिमण्डलों और विदेशी विशेषज्ञों पर खर्च; प्रौद्योगिकी विकास मिशन; अनुसन्धान और सूचना सेवाएं; छात्र परामर्श और उन्नति कार्यक्रम; तकनीकी संस्थानों के अध्यापकों के वेतनमानों में संशोधन – राज्यों को सहायता। तकनीकी शिक्षा प्रणाली के अधीन एजूकेशनल कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (एडसिल) नामक एक अन्य सरकारी क्षेत्र का उद्यम भी मौजूद है।

आलोच्य वर्ष के दौरान मुख्यतः निजि पहलों के अभिप्रेरण से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) के अनुमोदन से देश भर में बहुत बड़ी संख्या में इंजीनियरी कालेज तथा अन्य तकनीकी संस्थान स्थापित किए गए। आईआईएम, आईआईएससी, बंगलौर जैसे राष्ट्रीय महत्त्व/उत्कृष्टता के संस्थानों के अलावा आईएसएम, एसपीए, एनआईएफएफटी, एनआईटीआईई, आईआईआईटीएम, टीटीटीआई, एनईआरआईएसटी, एसएलआईईटी जैसे अन्य केन्द्रीय संस्थानों ने पूर्व की भांति अनुदेशात्मक प्रशिक्षण प्रदान किया जिससे कि तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में उच्च स्तरीय प्रशिक्षित जनशक्ति उपलब्ध हो सके। गुवाहाटी स्थित नए आईआईआई ने कालीकट और इन्दौर में स्थित नए आईआईएम, भारतीय प्रौद्योगिकी प्रबन्ध संस्थान (आईआईटीएम), ग्वालियर और आईआईआईटी, इलाहाबाद ने अपने क्रियाकलापों की गति में तेजी ला दी है जिससे कि वे पूरी तरह कार्यकालनात्मक हो गए हैं।

> ‘आईटी में एचआरडी का राष्ट्रीय कार्यक्रम’ केन्द्रीय स्तर पर सात वर्षों की अवधि के लिए 2000 करोड़ रूपए के अभिकल्पित निवेश के साथ शुरू किया जा रहा है जो कि राज्य सरकार और उद्योग से इस प्रकार के निवेश के अलावा होगा।

सामुदायिक पॉलीटेक्निकों की योजना ने तकनीकी शिक्षा और उपयुक्त प्रौद्योगिकियों में तकनीकी–आर्थिक उन्नतियों को ग्रामीण वर्गों को अन्तरित करने मे उल्लेखनीय योगदान देना जारी रखा। विकलांगता से युक्त व्यक्तियों के लिए पॉलीटेक्निकों की स्थापना आलोच्य वर्ष की एक ऐतिहासिक उपलब्धि थी। आधुनिकीकरण और अप्रचलन की समाप्ति, तकनीकी शिक्षा में ध्यातव्य क्षेत्र के अनुसन्धान और विकास की योजनाओं के अधीन बहुत बड़ी संख्या में केन्द्रीय तकनीकी संस्थान उस समय लाभान्वित हुए जबकि उन्होंने आर एंड डी आधार को उन्नत करके और प्रयोगशालाओं सहित अपनी आधारिक सुविधाओं का स्तरोन्नयन किया। इंजीनियरों, तकनीशियनों और 10+2 व्यावसायिक धारा पास करने वाले छात्रों के मामले में प्रशिक्षु प्रशिक्षण की योजना के कारण नौकरी के इच्छुक व्यक्तियों को रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त करने में सहायता मिली। आईआईटी, आईआईएम, आईआईएससी, आरईसी आदि जैसे राष्ट्रीय महत्त्व/उत्कृष्टता के संस्थानों में उपलब्ध आधारिक सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण और समेकन पर अधिक बल दिया गया जिसमें आईआईटी में मौजूदा कम्प्यूट्रीकरण सुविधाओं का स्तरोन्नयन किया जाना शामिल था।

अर्थ–व्यवस्था के विश्वव्यापीकरण के फलस्वरूप उभरी चुनौतियों का सामना करने के प्रयोजन से स्नातकोत्तर शिक्षा की समूची प्रणाली का कायाकल्प किया जाना जरूरी था जिससे कि नए माहौल के साथ–साथ चला जा सके। तदनुसार, देश में समूची स्नातकोत्तर शिक्षा के परिष्कार और उसे इष्टतम बनाने के तौर–तरीके सुझाने

के प्रयोजन से एआईसीटीई में स्नातकोत्तर अध्ययन बोर्ड के अध्यक्ष डा. पी रामाराव की अध्यक्षता में एक समिति स्थापित की गई। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जो सरकार में सक्रिय रूप से विचाराधीन है।

सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) तथा तत्सम्बन्धी क्षेत्रों में उच्च स्तरीय जनशक्ति की उभरती हुई मांग को पूरा करने के लिए आवश्यक पहल की गई है। इस सम्बन्ध में एक राष्ट्रीय कार्यबल की सिफारिशों के आधार पर 'आईटी में एचआरडी का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम' शुरू किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में केन्द्रीय स्तर पर सात वर्षों की अवधि के लिए 2000 करोड़ रुपए के निवेश की परिकल्पना की गई है जो कि राज्य सरकार और उद्योग द्वारा किए जाने वाले इसी प्रकार के निवेश के अलावा होगा। तकनीकी संस्थानों को, जहां कहीं संभव हो, स्तरोन्नयन करके आईआईटी के स्तर तक लाने में समग्र नीतिगत दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए रुड़की विश्वविद्यालय को आईआईटी में बदलने और बाद में इसका नियंत्रण भारत सरकार द्वारा अपने हाथ में लिए जाने पर मंत्रालय में विचार किया जा रहा है।

किसी एक व्यावसायिक संस्थान में दाखिला लेने के लिए बहुविध प्रवेश परीक्षाओं में बैठने के फलस्वरूप छात्रों और उनके माता–पिता को पहुंचने वाले आघात को कम करने के प्रयोजन से इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी में सभी कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए एक संयुक्त परीक्षा आयोजित करने के प्रस्ताव पर भारत सरकार में सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

तकनीशियन शिक्षा को सुदृढ़ बनाने और देश में पॉलीटेक्निकों की शिक्षा पूरी कर के बाहर निकलने वाले छात्रों की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से 17 राज्यों और दो संघ शासित क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक राज्य क्षेत्र परियोजना के माध्यम से विश्व बैंक की सहायता से दो चरणों में व्यापक प्रयास किए गए। परियोजना के अधीन प्राप्त हुए लाभों को बनाए रखने और जो राज्य शेष रह गए थे, उन्हें भी शामिल करने के उद्देश्य से सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से "तीसरी तकनीशियन शिक्षा परियोजना' नामक एक अन्य परियोजना तैयार की जिससे कि इन राज्यों को योजना में शामिल किया जा सके: अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, सिक्किम, त्रिपुरा, जम्मू तथा कश्मीर और अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह।

कनाडा की सरकार और भारत द्वारा संयुक्त रूप से अनुसमर्थित कनाडा–इंडिया इंस्टिट्यूट इंडस्ट्री लिंकेज प्रोजेक्ट (सीआईआईआईएलपी) नामक एक द्विपक्षीय तकनीकी शिक्षा परियोजना शुरू की गई है। इस परियोजना में चार पश्चिमी राज्यों, अर्थात मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात में अभिज्ञात पॉलीटेक्निकों और इंजीनियरी कालेजों में उद्योग–संस्थान सम्बन्ध के धारणीय और अनुकरणीय माडलों के विकास और प्रभावी अनुकूलन पर बल दिया जाता है। ऐसी परिकल्पना की गई है कि इस योजना की पद्धति की दक्षता और प्रभाविता में सुधार लाकर तकनीकी शिक्षा प्रणाली को सामाजिक–आर्थिक वातावरण के प्रति अधिक सुग्राही बनाने की दिशा में भारत सरकार के प्रयासों को सहायता मिलेगी।

पुस्तक प्रोन्नति

विभाग के पुस्तक प्रोन्नति विषयक प्रयास अधिकांशतः राष्ट्रीय पुस्तक न्यास (एनबीटी), नई दिल्ली के माध्यम से किए जाते रहे। लोगों में पढ़ने की आदत डालने और प्रोत्साहित करने के लिए न्यास ने अनेक पुस्तक मेलों और प्रदर्शनियों का आयोजन किया। न्यास ने 14 से 20 नवम्बर 2000 के दौरान राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह का आयोजन करने के अलावा 23 अप्रैल 2000 को विश्व पुस्तक और कापीराइट दिवस समारोहों का आयोजन भी किया। मंत्रालय द्वारा आलोच्य वर्ष में दो नई समितियां स्थापित की गई जिनमें से एक पढ़ने की आदतों और पुस्तक प्रकाशन उद्योग के विकास के बारे में थी और दूसरी शैक्षिक पुस्तकालयों की स्थापना से सम्बन्धित थी। इंटरनेशनल स्टैण्डर्ड बुक नम्बरिंग (आईएसबीएन) प्रणाली की राष्ट्रीय एजेन्सी भारतीय प्रकाशकों को आईएसबीएन आबंटित करने के साथ–साथ पुस्तक मेलों और प्रदर्शनियों का आयोजन करती रही जिससे कि आईएसबीएन को लोकप्रिय बनाया जा सके।

कापीराइट तथा सम्बन्धित अधिकार

सरकार देश में कापीराइट विधि के प्रवर्तन के सुदृढ़ीकरण की दिशा में सक्रिय प्रयास करती रही। साथ ही, सरकार

ने जिन देशों ने 1999 में आदेश के प्रकाशन के बाद से कापीराइट करार विकसित किए हैं, उनके राष्ट्रकों की कृतियों के लिए कापीराइट संरक्षण का विस्तार करने के प्रयोजन से अन्तर्राष्ट्रीय कापीराइट आदेशों में एक संशोधन भी किया। एक भारतीय प्रतिनिधिमण्डल ने इंटेल्लेक्चुअल प्रोपर्टी आर्गनाइजेशन (डब्ल्यूआईपीओ) द्वारा दिसम्बर 2000 में जेनेवा में श्रव्य–दृश्य निष्पादनों के संरक्षण के बारे में आयोजित एक राजनयिक सम्मेलन में सक्रिय रूप से भाग लिया।

भाषा की प्रोन्नति

भाषा कलात्मक अभिव्यक्ति और साहित्यिक रचनात्मकता का एक प्रभावी माध्यम है। भारत को विरासत में बहुविध भाषाएं प्राप्त हुई हैं जो कि विकास के विभिन्न स्तरों पर है। योजना अवधि के दौरान इस आशय के प्रयास किए गए कि विभिन्न भाषाओं को उनके इष्टतम स्तर तक उन्नत करने में सहायता प्रदान की जाए। साथ ही, विभिन्न भाषाओं में साहित्य के प्रोत्साहन पर भी बल दिया गया।

स्वतंत्रता के बाद (एक सम्पर्क भाषा के रूप में) हिन्दी तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई), 1986, 1992 में किए गए प्रावधान के अनुसार अन्य आधुनिक भारतीय भाषाओं की उन्नति के लिए विभिन्न कार्यक्रम तैयार और कार्यान्वित किए गए। अरबी, अंग्रेजी तथा अन्य विदेशी भाषाओं पर भी बल दिया गया है।

शिक्षा विभाग ने गैर–हिन्दी भाषी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में हिन्दी अध्यापकों की भर्ती और प्रशिक्षण की योजना के कार्यान्वयन का काम जारी रखा। केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय द्वि–भाषी, त्रि–भाषी और बहु–भाषी कोशों के निर्माण के कार्य में लगा रहा। हिन्दी–फारसी, हिन्दी–इण्डोनेशियाई, हिन्दी–सिंहाली तथा हिन्दी–संयुक्त भाषा कोश प्रकाशनाधीन हैं। निदेशालय के पत्राचार पाठ्यक्रमों के माध्यम से हिन्दी पढ़ने के लिए 3.35 करोड़ से अधिक व्यक्ति दाखिला ले चुके हैं।

केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर ने अध्यापकों को उनकी मातृभाषा से इतर आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षण देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। साथ ही, इस संस्थान ने भाषा विश्लेषण, भाषा शिक्षाशास्त्र और भाषा प्रौद्योगिकी में अनुसन्धान कार्य भी किया। अंग्रेजी के अध्यापन/अधिगम के स्तरों में सुधार लाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय अंग्रेजी संस्थानों और अंग्रेजी भाषा अध्यापन संस्थानों को वित्तीय सहायता देने का अपना कार्यक्रम जारी रखा।

राष्ट्रीय उर्दू भाषा प्रोन्नति परिषद विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के माध्यम से उर्दू भाषा की प्रोन्नति के लिए कार्य करती रही।

सिंधी भाषा की प्रोन्नति, विकास और प्रसार के लिए राष्ट्रीय सिंधी भाषा प्रोन्नति परिषद के रूप में एक स्वायत्त निकाय की स्थापना की गई है।

हिन्दी भाषी राज्यों में अन्य भारतीय भाषाओं के अध्यापकों (हिन्दी को छोड़कर) की नियुक्ति के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को वित्तीय सहायता की एक केन्द्र प्रायोजित योजना आठवीं योजना अवधि के दौरान 1993–94 में शुरू की गई थी और इस योजना को लेकर राज्यों के न्यून उत्साह के कारण नवीं पंचवर्षीय योजना में इस योजना की समीक्षा की जा रही है।

संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित भारतीय भाषाओं की प्रोन्नति और विकास के लिए मार्गदर्शन प्रदान करने के उद्देश्य से आलोच्य वर्ष में प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में एक सलाहकार निकाय के रूप में भारतीय भाषा प्रोन्नति परिषद स्थापित की गई है।

संस्कृत प्रभाग

- **संस्कृत शिक्षा की उन्नति के लिए केन्द्रीय योजना स्कीमः** भारत सरकार 1962 से राज्य सरकारों के सहयोग से संस्कृत शिक्षा के विकास की एक केन्द्रीय योजनागत स्कीम कार्यान्वित करती रही है। इस योजना के अधीन राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को इन प्रयोजनों के लिए शत–प्रतिशत आधार पर अनुदान प्रदान किया जाता हैः संस्कृत के ख्यातिप्राप्त विद्वानों के क्रियाकलाप, परम्परागत संस्कृत पाठशाला में चुनिन्दा विषयों को पढ़ाने के लिए अध्यापकों की नियुक्ति करना, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में नियुक्त किए जाने वाले संस्कृत अध्यापकों के वेतन पर होने वाले खर्च की

पूर्ति करना। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं और साथ ही, राज्य सरकारों को संस्कृति की प्रोन्नति के निमित्त विभिन्न योजनाओं के लिए अनुदान भी दिए जाते हैं। वर्ष 1999–2000 के दौरान भारत सरकार ने इन क्रियाकलापों के लिए 10 करोड़ रुपए के अपने अनुमोदित बजट में से 547.67 लाख रुपए की राशि प्रदान की। 547.67 लाख रुपए की यह राशि 32 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों, दो संस्कृत सम–विश्वविद्यालयों, एनसीईआरटी, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान और कविकुलगुरू कालीदास संस्कृति विश्वविद्यालय, महाराष्ट्र को प्रदान की गई।

- **मदरसा शिक्षा का आधुनिकीकरण:** अल्पसंख्यक शिक्षा सम्बंधी अधिकारप्राप्त समिति के 15 सूत्री कार्यकम के अधीन स्वैच्छिक आधार पर मदरसों के आधुनिकीकरण की योजना 1993–94 से कार्यान्वित की जा रही है और इसके पीछे उद्देश्य यह है कि मदरसों और मक्तबों जैसे परम्परागत संस्थानों को अपनी पाठ्यचर्या में विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिन्दी तथा अंग्रेजी शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। यह योजना राज्य सरकारो द्वारा एक केन्द्रीय योजना के रूप में कार्यान्वित की जा रही है। जिसके अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा शत–प्रतिशत आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इन क्रियाकलापों के लिए वित्तीय वर्ष 1999–2000 के दौरान भारत सरकार ने 10 करोड़ रुपए के अपने अनुमोदित बजट में से 461.16 लाख रुपए की राशि प्रदान की (राज्यों के लिए 490 और संघ शासित क्षेत्रों के लिए 10 लाख रुपए) 461.16 लाख रुपए की यह राशि 32 राज्यों/संघशासित क्षेत्रों, दो संस्कृत सम–विश्वविद्यालयों, एनसीईआरटी, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान तथा कविकुलगुरू कालीदास संस्कृति विश्वविद्यालय, महाराष्ट्र के बीच वितरित की गई।
- **वर्ष 1999–2000 को संस्कृत वर्ष के रूप में मनाना:** न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र की अध्यक्षता में संस्कृत वर्ष 1999–2000 के आयोजन के लिए कार्यक्रम तैयार करने के प्रयोजन से एक समिति स्थापित की गई। कार्यक्रमों में इन बातों पर बल दिया गया है : (1) आम जनता में संस्कृत को लोकप्रिय बनाना; तथा (2) संस्कृत के छात्रों और शोध छात्रों के बीच परम्परा और चेतना के विकास के निमित्त जागरूकता सृजन। इन काय्रक्रमों के लिए 500 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था जिसमें से 4.99 लाख रुपए की राशि 251 संस्थानों (विश्वविद्यालयों/कालोजों/गैर–सरकारी संगठनों/राज्य सरकार के संस्थानों आदि) को दी गई।

दूसरे देशों द्वारा विभिन्न विषयों में उच्चतर अध्ययन के लिए सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों के अधीन छात्रवृत्तियों/अध्येतावृत्तियों की पेशकश की जा रही है। वर्ष 1999–2000 के दौरान चीन, जापान, जर्मनी, मैक्सिको, इजराइल, आयरलैंड, बैल्जीयम, जेच, यूके, कनाडा और न्यूजीलैण्ड की सरकारों को 73 शोध छात्रों के नामांकन भेजे गए।

छात्रवृत्ति

राज्यों/संघशासित क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से छात्रवृत्ति की ये योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं: गैर–हिन्दी भाषी राज्यों के छात्रों के लिए हिन्दी में मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति अध्ययन के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना तथा ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभावान बच्चों के लिए माध्यमिक स्तर पर छात्रवृत्ति योजना।

नीति मानदण्ड, आयोजना तथा अनुश्रवण और सांख्यिकी

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनसीई) 1986 और कार्ययोजना (पीओए) 1992 का कार्यान्वयन 'सभी के लिए शिक्षा' पर बल देते हुए जारी रखा गया। अनेक राज्यों ने स्वयं

वर्ष 1999-2000 को संस्कृत वर्ष के रूप में मनाया गया। कार्यक्रमों में इन बातों पर बल दिया गया है : आम जनता में संस्कृत को लोकप्रिय बनाना और संस्कृत के छात्रों और शोध छात्रों के बीच परम्परा और चेतना के विकास के निमित्त जागरूकता सृजन।

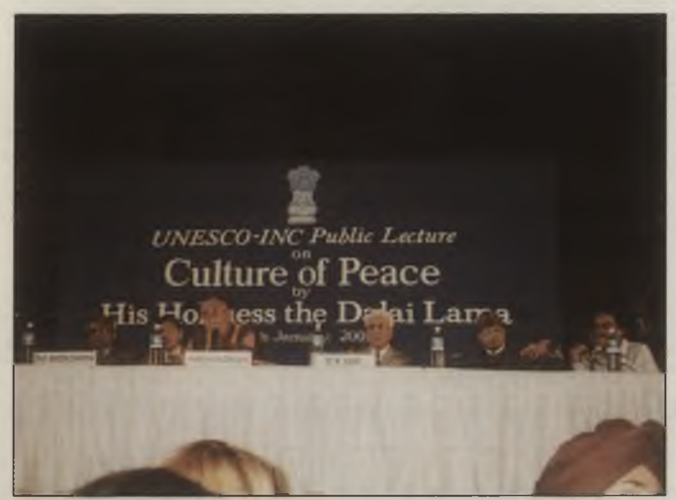

यूनेस्कों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

अपनी राज्य कार्य योजनाएं (एसपीओए) भी तैयार कर ली हैं।

शिक्षा के क्षेत्र में उभरने वाली चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए वित्तीय और कार्यनीतियों सम्बंधी – दोनों प्रकार के उपाय सुझाने के निमित्त सचिव सचिव (माध्यमिक शिक्षा तथा उच्चतर शिक्षा) की अध्यक्षता में एक कार्यदल का गठन किया गया है। शिक्षा के निमित्त बजटेतर संसाधन जुटाने के प्रयोजन से व्यक्तियों तथा निमित्त कार्यालयों, केन्द्रीय और राज्य सरकारों, एनआरआई, पीआईओ तथा विदेशों से दान/स्थायी निधि/योगदान प्राप्त करने के लिए भारत शिक्षा कोष का गठन करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

शैक्षिक योजना निर्माताओं के लिए राष्ट्रीय शिक्षा आयोजना और प्रशासन संस्थान (नीपा) नामक शीर्षस्थ राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान, कार्यक्रमों तथा राष्ट्रीय, राज्य और संस्थानगत स्तर के निकायों और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को परामर्श और व्यावसायिक अनुसमर्थन प्रदान करता रहा।

राज्यो/संघशासित क्षेत्रों से प्राप्त हुए शैक्षिक आंकड़ों को 1998–99 के बारे में शिक्षा सम्बंधी बजटीय खर्च के विश्लेषण में संकलित, विश्लेषित और प्रकाशित किया गया। एक क्षेत्रीय कार्यालय योजना शुरू की गई है जिसमें उप सचिव तथा उससे ऊपर के स्तर के अधिकारी को एक राज्य/संघशासित क्षेत्र का प्रभारी बना दिया जाता है। क्षेत्रीय अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में विभिन्न केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति पर निगाह रखने के लिए दो महीने में एक बार राज्य/संघ शासित क्षेत्र का दौरा करेगा।

सरकार की नीति के अनुसरण में विभाग 1999–2000 के दौरान उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अपने योजना बजट से 15 प्रतिशत को खर्च करने में सफल रहा जो कि 10 प्रतिशत की निर्धारित वृद्धि से अधिक है। उपर्युक्त के अलावा, योजना आयोग में संसाधनों के असमाप्य केन्द्रीय पूल की देखभाल करने वाली अंतर्मंत्रालय समिति ने इस क्षेत्र में शैक्षिक आधारिक तंत्र के विकास के लिए 1999–2000 के दौरान 329.65 करोड़ रुपए के प्रस्तावों का अनुमोदन किया।

अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग (आईएनसीसीयू) जिसका सचिवालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली में माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा विभाग में स्थित है।, यूनेस्को के कार्य में, विशेष रूप से इसके कार्यक्रमों में तथा सभी पहलों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा की समीक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देता रहा है। आईएनसीसीयू यूनेस्कों के क्षेत्रीय कार्यक्रमों में प्रभावी बौद्धिक इन्पुट भी प्रदान करता रहा है।

शिक्षा के क्षेत्र में द्विपक्षीय अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा विभाग पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय द्वारा निष्पादित किए जा रहे सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम (सीईपी) से स्वतंत्र दूसरे देशों के साथ अलग द्विपक्षीय करार करने वाला है। इन शिक्षा विनिमय कार्यक्रमों (ईईपी) में भारतवर्ष तथा इन दूसरे देशों के बीच अध्यापकों, प्रोफेसरों, शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों और शोधकर्ताओं का आदान–प्रदान शामिल होगा। इन प्रस्तावित द्विपक्षीय विनिमय कार्यक्रमों के समन्वय और अनुश्रवण को सुकर बनाने के लिएं विभाग ने एक पृथक अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग सेल स्थापित कर दिया है।

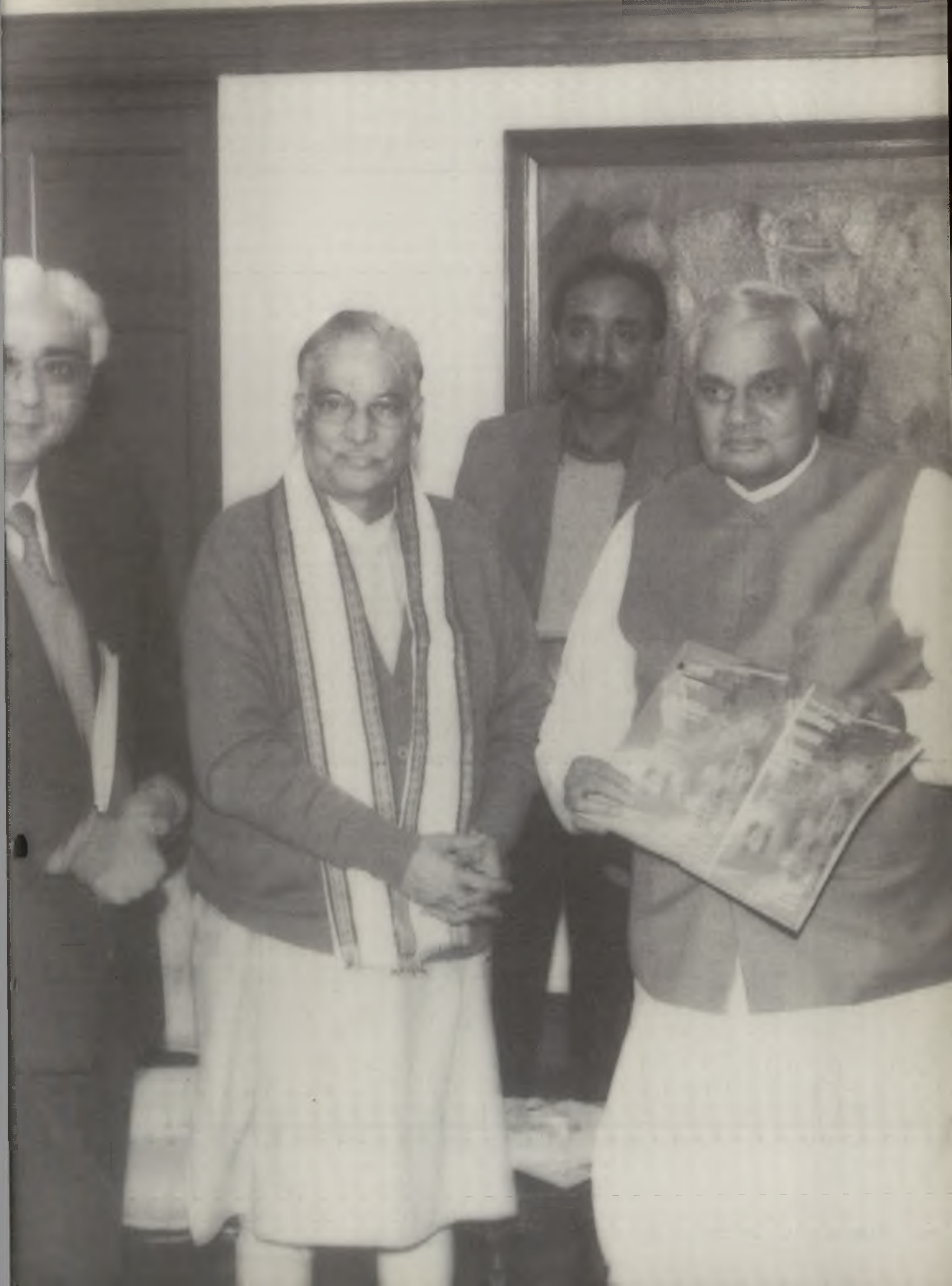

मंत्रालय के काम-काज की प्रभावकारिता में सुधार लाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग पर सतत रूप से बल और ध्यान दिया जा रहा है। भारत का पहला शिक्षा चैनल 'ज्ञान दर्शन' 26 जनवरी 2000 को शुरू किया गया था और वह सम्प्रति प्रतिदिन 16 घंटे प्रसारित किया जाता है। साथ ही अद्यतन जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से विभागीय वेबसाइट की निरंतर स्तरोन्नयन किया जा रहा है।

प्रशासन

संगठनात्मक तंत्र

भूतपूर्व शिक्षा विभाग मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक संघटक यूनिट है। प्रारम्भिक शिक्षा और साक्षरता के क्रियाकलापों पर बल देने के उद्देश्य से इसे प्रारम्भिक शिक्षा और साक्षरता विभाग के रूप में पुनर्गठित किया गया है। शिक्षा विभाग के बाकी क्रियाकलापों की देखभाल माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा विभाग के रूप में पुनर्नामित विभाग द्वारा की जाती है। प्रत्येक विभाग भारत सरकार के सचिव की अध्यक्षता में काम करता है। दोनों विभाग ब्यूरो, प्रभागों, शाखाओं, डेस्कों/अनुभागों और यूनिटों में बंटे हुए हैं। प्रत्येक ब्यूरो एक संयुक्त सचिव के प्रभार में काम करता हैं जिनकी सहायता के लिए उपसचिव/निदेशक स्तर पर प्रभागाध्यक्ष होते हैं।

अधीनस्थ कार्यालय/स्वायत्त संगठन

विभागों में चार अधीनस्थ कार्यालय और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, प्रौद्योगिकी संस्थानों तथा उच्चतर अध्ययन और अनुसंधान के अन्य संस्थानों सहित अनेक स्वायत्त संगठन हैं।

अधीनस्थ कार्यालय निम्नानुसार हैं:

- प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय (डीएई), नई दिल्ली;
- केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय (सीएचडी), नई दिल्ली;
- वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग (सीएसटीटी), नई दिल्ली; तथा
- केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान (सीआईआईएल), मैसूर।

प्रमुख स्वायत्त संगठन निम्नानुसार हैं:

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), नई दिल्ली जो कि एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है तथा उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में मानकों के समन्वय और अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है;
- अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), नई दिल्ली जो कि तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में मानकों के समन्वय और अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है;
- राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई), नई दिल्ली जो कि अध्यापक शिक्षा में मानकों के अनुरक्षण और विकास के लिए जिम्मेदार है;
- राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) जो कि स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में एक राष्ट्रीय स्तर का संसाधन संगठन है; तथा
- राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना और प्रशासन परिषद (एनआईईपीए), नई दिल्ली जो कि एक राष्ट्रीय स्तर का संसाधन संस्थान है, जिसे शैक्षिक आयोजना प्रशासन में विशेषज्ञता प्राप्त है।

दोनों विभाग के कार्य

शिक्षा एक समवर्ती विषय है। समवर्तिता का आशय केन्द्रीय सरकार और राज्यों के मध्य सार्थक भागीदारी से होता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में संघ सरकार और राज्यों की भूमिका को स्पष्टतः परिभाषित किया गया है। संघ सरकार को शिक्षा के राष्ट्रीय और एकीकृत स्वरूप को सुदृढ़ बनाने, मानकों और गुणवत्ता बनाए रखने, विकास के लिए जनशक्ति के बारे में पूरे देश की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने, शिक्षा, संस्कृति और मानव संसाधन विकास के अंतर्राष्ट्रीय पहलुओं की देखभाल करने और साधारणतः देश में शैक्षिक परिदृश्य के सभी स्तरों पर उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने की व्यापक जिम्मेदारी सौंपी गई है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सौंपी गई भूमिका को पूरा करने के लिए दोनों विभागों ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ घनिष्ठ तालमेल बनाए रखा है। विभाग, क्षेत्रीय संगठनों, शैक्षिक संस्थाओं इत्यादि के देशव्यापी नेटवर्क के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में मानवीय क्षमता के विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के भी प्रयास कर रहे हैं।

विदेशों में स्थित भारतीय आयोगों में शिक्षा स्कन्ध

विज्ञान, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में मित्र देशों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने के प्रयोजन से विदेशों में शिक्षा स्कन्ध स्थापित किए गए हैं। सम्प्रति, विदेशों में स्थित निम्न भारतीय आयोगों/दूतावासों में शिक्षा स्कन्ध काम कर रहे हैं:

- यूनेस्को, पेरिस में भारत का स्थायी प्रतिनिधिमंडल
- भारतीय महावाणिज्य दूतावास, न्यूयार्क

- भारतीय दूतावास, वाशिंगटन
- भारतीय दूतावास, मास्को
- भारतीय दूतावास, बर्लिन

ये शिक्षा स्कन्ध, संबंधित देशों में भारतीय छात्र समुदाय के कल्याण की दिशा में काफी उपयोगी काम कर रहे हैं। ये स्कन्ध शैक्षणिक जगत के साथ जुड़े रहते हैं और विज्ञान तथा शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिकतम घटनाओं की जानकारी रखते हैं ताकि मंत्रालय को फीडबैक प्रदान कर सकें। इसके अलावा, विदेशों में स्थित ये शिक्षा स्कन्ध भारत तथा जिन देशों में ये स्कन्ध स्थित हैं, उन देशों के शैक्षणिक संस्थानों के बीच संपर्क कार्यालयों की भूमिका भी निभाते हैं। इसके अतिरिक्त ये स्कन्ध सरकार को, विशेष रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ऐसे शैक्षणिक विषय–क्षेत्र की बाबत सलाह देते हैं जिसमें संबंधित देश से भारतीय छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां प्राप्त की जा सकती हैं।

सम्प्रति, इन शिक्षा स्कन्धों को व्यापक आधार प्रदान करने के निमित्त समीक्षा की जा रही है ताकि हमारे क्रियाकलापों में अन्य बातों के साथ–साथ भारतीय शिक्षा को विदेशों में विपणन को शामिल किया जा सके तथा भारतीय छात्रों को उन्नत देशों में उपलब्ध अनुसंधान और प्रौद्योगिकी की अधुनातम सुविधाओं का लाभ उठाने के अवसर प्रदान किए जा सकें। मौजूदा शिक्षा स्कन्धों को चुस्त बनाने के अलावा हम अन्य देशों में नए यूनिट स्थापित करने की बात भी सोच रहे हैं।

मानव संसाधन विकास मंत्री का विवेकानुदान

मानव संसाधन विकास मंत्री के विवेकानुदान का प्रयोजन प्रतिभाशाली छात्रों के अलावा ऐसे संस्थानों, संगठनों, व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है जो कि शिक्षा, संस्कृति, खेलकूद, मीडिया के क्षेत्र में उपयोगी काम कर रहे हैं। इस निधि का प्रयोजन जरूरतमंद पत्रकारों, फिल्म उद्योग के कामगारों तथा कलाकारों के परिवारों को उस समय राहत प्रदान करना भी है जबकि ऐसे परिवारों को आपदाओं के कारण जैसेकि कमाई करने वाले एकमात्र सदस्य की मृत्यु हो जाने पर आर्थिक सहायता की जरूरत होती है। इस योजना के अधीन प्रत्येक मामले में 10,000 रुपए तक की सहायता दी जा सकती है।

स्टाफ का व्यावसायिक विकास और प्रशिक्षण

सेवाकालीन प्रशिक्षण अधिकारियों और स्टाफ की कार्य प्रभाविता का संवर्द्धन करता है, उनके ज्ञान को अद्यतन बनाता है और उनके कौशलों का परिमार्जन करता है। विभाग का प्रशिक्षण सैल स्टाफ की प्रशिक्षण संबंधी मांगों का जायजा लेता है और सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान तथा भारत में एवं विदेशों के अन्य ख्यातिप्राप्त संस्थानों के साथ संपर्क स्थापित करता है।

स्टाफ के लिए कम्प्यूटर प्रशिक्षण के निमित्त विशेष प्रशिक्षण कक्षाओं की योजना बनाई गई है। इस आशय का प्रशिक्षण एनआईसीएसआई, आईआईटी, एनआईसी तथा सीएमआईएस के अधिकारियों द्वारा प्रदान किया जाएगा। अधिकारियों और स्टाफ को, कम्प्यूटर प्रयोग के बारे में उनकी जानकारी के स्तर के अनुसार सजातीय समूहों में रखा गया है। छः महीने की अवधि में समूचे स्टाफ घटक को कम्प्यूटर–प्रयोग का प्रशिक्षण दे दिया जाएगा। जिन अधिकारियों ने कानूनी कौशलों, नकदी और लेखा, कार्मिक मामलों और गृह व्यवस्था कार्यों में आईएसटीएलएम में पहले ही प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है उन्हें अपने रोजमर्रा के काम में इस प्रशिक्षण का अत्यधिक लाभ हुआ है।

पुस्तकालय

अनेक वर्षों से विभाग के अधिकारी और स्टाफ इसी परिसर में स्थित केन्द्रीय सचिवालय पुस्तकालय की सुविधाओं का लाभ उठा रहे है। फिर भी काफी समय से विभाग में एक स्वतंत्र पुस्तकालय, वाचनालय और संसाधन केन्द्र की आवश्यकता महसूस की गई और कमरा नम्बर 204, सी विंग, शास्त्री भवन में एक अलग विभागीय पुस्तकालय खोल दिया गया है। अधिप्राप्ति के लिए पुस्तकों के नामों को अंतिम रूप देने, विभागीय प्रकाशनों और संदर्भ सामग्री की प्रतियां प्राप्त करने तथा मंगाए जाने के लिए पत्र–पत्रिकाओं के चयन की दिशा में काफी प्रगति हुई है।

एक सुयोग्य और सक्षम पुस्तकालयाध्यक्ष को यह काम सौंप दिया गया है। आवश्यक स्थान की पहचान कर ली गई है और पुस्तकालय को सुसज्जित करने की कार्रवाई की जा चुकी है।

प्रकाशन

विभाग की द्विभाषी (अंग्रेजी तथा हिन्दी) वार्षिक रिपोर्ट के समन्वय और संकलन के लिए प्रकाशन यूनिट एक नोडल एकक है। इसके अतिरिक्त, विभाग के मुद्रण कार्य अर्थात कार्य निष्पादन बजट, अनुदान मांगें, राष्ट्रीय पुरस्कारप्राप्त अध्यापकों की निर्देशिका, गैर-सरकारी संगठनों द्वारा संचालित विभाग की योजनाओं का सार तथा विभाग के अन्य प्रकाशन इस यूनिट के नियमित कार्य हैं।

कार्यालय परिषद

अपेक्षतया अधिक प्रभाविता प्राप्त करने के उद्देश्य से सद्भावनापूर्ण स्टाफ सम्बन्धों को बढ़ावा देने और कर्मचारियों का अधिकतम सहयोग प्राप्त करने के निमित्त भारत सरकार ने संयुक्त परामर्शी तंत्र (जेसीएम) स्थापित किया है। जेसीएम योजना के अधीन विभाग में एक कार्यालय परिषद स्थापित कर दी गई है तथा संयुक्त सचिव (प्रशासन) की अध्यक्षता में आयोजित उसकी बैठकों में विभिन्न स्टाफ संघों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। सेवा सम्बन्धी मामलों, कामकाज की स्थितियों और कल्याणपरक उपायों पर चर्चा करने के लिए परिषद की नियतकालिक बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। कार्यालय परिषद ने संगठन की प्रभाविता में काफी योगदान दिया है।

सतर्कता क्रियाकलाप

विभाग का सर्तकता तंत्र सचिव के समग्र सर्वेक्षण में कार्य करता है जिनकी सहायता के लिए संयुक्त सचिव स्तर के एक सर्तकता अधिकारी के अलावा एक अवर सचिव तथा अधीनस्थ स्टाफ उपलब्ध है। श्री सुमित बोस, संयुक्त सचिव, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग में और प्रारम्भिक शिक्षा और साक्षरता विभाग – दोनों विभागों में सतर्कता अधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं। आलोच्य वर्ष के दौरान प्रशासन को चुस्त बनाने और मुख्यालय तथा अधीनस्थ कार्यालयों – दोनों स्तरों पर स्टाफ में अनुशासन बनाए रखने की दिशा में प्रयास किए गए। आरोपित कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई को अन्तिम रूप दिया गया और चार मामलों में उपयुक्त आदेश जारी किए गए। तीन मामलों में जांच रिपोर्टों को अनुशासनिक अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के लिए उनकी जांच की जा रही है। एक राजपत्रित अधिकारी सहित पांच कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दो कार्मिकों को निलम्बित कर दिया गया है और उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जा चुकी है।

31 अक्तूबर से 4 नवम्बर की अवधि के दौरान सतर्कता जागरूकता सप्ताह आयोजित किया गया। कार्यालय की सभी मंजिलों की दीवारों पर बैनर और पोस्टर लगाए गए थे तथा इस मौके पर सचिव (मा. शि. और उ. शि) तथा सचिव (प्रा. शि. और सा.) ने विभाग के कार्मिकों को निष्ठावान सरकारी सेवक बने रहने की शपथ दिलाई। अधीनस्थ कार्यालयों और स्वायत्त निकायों में भी सतर्कता जागरूकता सप्ताह आयोजित किया गया।

इस विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी क्षेत्र के एक उद्यम सहित 58 (हाल ही में स्थापित किए गए 15 नए संगठनों को छोड़कर) स्वायत्त संगठनों में से अभी तक 53 स्वायत्त संगठन केन्द्रीय सतर्कता आयोग के सलाहकारी अधिकार-क्षेत्र के अधीन हैं। इनमें से 27 संगठनों ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग के पूर्व-अनुमोदन से मुख्य सतर्कता अधिकारियों की नियुक्ति कर ली है। शेष संगठनों में मुख्य सतर्कता अधिकारी नियुक्त किए जाने की कार्रवाई चल रही है। आलोच्य वर्ष के दौरान केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने अनेक अनुदेश जारी किए जैसेकि: विभागीय जांच की पूर्ति के लिए आदर्श समय-सीमा निर्धारण, सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी क्रियाकलापों के सुदृढ़ीकरण के लिए उपाय, गुमनाम और छद्मनाम शिकायतों पर कोई कार्रवाई न करके उन्हें फाइल करना तथा सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन आदि। मुख्य सतर्कता आयुक्त द्वारा जारी किए गए सभी अनुदेश अनुपालन के लिए सभी

सम्बन्धित अधिकारियों और कार्यालयों की जानकारी में ला दिए गए हैं।

लोक शिकायतों का निवारण

विभाग द्वारा निदेशक, शिकायत के रूप में नामित एक संयुक्त सचिव के अधीन एक विशेष शिकायत निवारण तंत्र भी काम करता है। निदेशक, शिकायत स्टाफ और जन साधारण की समस्याएं सुनने के लिए प्रत्येक बुधवार को उपलब्ध रहते हैं। लोक शिकायतों के समग्रतः निवारण के सम्बन्ध में सरकार की नीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए विभाग के अधीन स्वायत्त संगठनों ने अपने यहां स्वयं अपने लोक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित कर दिए हैं और उन्होंने निदेशक, शिकायत के रूप में अधिकारियों को नामित भी कर दिया है।

केवीएस से सम्बन्धित शिकायतों का समाधान करने और उनमें तेजी लाने के उद्देश्य से आलोच्य वर्ष के दौरान केवीएस के अधिकारियों के साथ नियमित बैठकें आयोजित की गई। इसके फलस्वरूप अध्यापकों, छात्रों, मातापिता और पेंशनभोगियों की लम्बे समय से विचाराधीन पड़ी शिकायतों का समाधान हो गया। सेवानिवृत्ति लाभ निर्गत किए जाने सम्बन्धी शिकायतों के समाधान पर विशेष बल दिया गया।

सेवानिवृत्ति लाभ सैल

सेवानिवृत्ति लाभों का शीघ्र निपटान करने के लिए एक सेवानिवृत्ति लाभ सैल स्थापित किया गया है जो कि दोनों विभागों के लिए है। सभी स्वायत्त संगठनों ने भी अपने कर्मचारियों से सम्बन्धित पेंशन विषयक मामलों पर कार्रवाई करने के लिए अपने संगठनों के भीतर इसी प्रकार के सैल स्थापित कर लिए हैं।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने विभागीय जांच की पूर्ति के लिए आदर्श समय-सीमा निर्धारित करके अनेक उपाय किए। इन उपायों में सतर्कता तथा भ्रष्टाचार विरोधी क्रियाकलापों का सुदृढ़ीकरण, सतर्कता जागरूकता सप्ताह के आयोजन आदि के लिए उपाय शामिल हैं।

कदाचार-विरोधी सैल

विभाग में एक कदाचार–विरोधी सैल स्थापित किया गया है जिसका उद्देश्य भोले–भाले छात्रों को लूटने के प्रयोजन से शैक्षिक संस्थानों द्वारा प्रकाशित भ्रामक विज्ञापनों द्वारा किए जा रहे कदाचार पर अंकुश लगाना है। उद्देश्य यह है कि शिक्षा क्षेत्र में एक स्वस्थ सार्वजनिक सूचना प्रणाली को बढ़ावा दिया जाए। शिक्षा के विभिन्न उप–क्षेत्रों में मानकों के समन्वय और उन्हें बनाए रखने के लिए जिम्मेदार राष्ट्रीय स्तर के शीर्षस्थ निकायों को भी इसी प्रकार के सेल स्थापित करने के लिए कहा गया है। इन सैलों का काम विभिन्न समाचार–पत्रों और पत्र–पत्रिकाओं में छपने वाले भ्रामक/गैर–कानूनी विज्ञापनों पर और साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में गैर–सरकारी/निजी संगठनों/संस्थानों के क्रियाकलापों पर निगाह रखना है।

कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न विषयक शिकायत समिति

कार्य स्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न विषयक एक शिकायत समिति स्थापित कर दी गई है जो कि विभाग में सुश्री शालिनी प्रसाद, निदेशक की अध्यक्षता में काम कर रही है। समिति स्थापित करने का उद्देश्य यह है कि विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की शिकायतें सुनी/प्राप्त की जाएं और उनकी शिकायतों के सामयिक निवारण के लिए उपयुक्त प्रयास किए जाएं।

समग्र बल विभागों में अनुशासन और समय की पाबंदी के अनुपालन पर बनाए रखा गया और यह काम इस प्रयोजन के लिए निर्मित विशेष दलों द्वारा तल–वार अचानक निरीक्षणों के जरिए किया गया।

हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में एक हिन्दी

सलाहकार समिति स्थापित की गई है। यह समिति विभाग के कामकाज में राजभाषा के प्रभावी कार्यान्वयन तथा अन्य संगत विषयों पर सलाह देती है।

संयुक्त सचिव (भाषा) की अध्यक्षता में एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित की गई हैं जो कि विभाग में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाने में आने वाली कठिनाइयों पर विचार करती है और उनको दूर करने के उपाय सुझाती है। विभाग में समय–समय पर कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं जिनमें अधिकारियों/कर्मचारियों को हिन्दी में काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस सबके फलस्वरूप अधिकारी/कर्मचारी अपने सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग करने में अधिक रुचि ले रहे हैं।

मंत्रालय में सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए अंतर–अनुभागीय शील्ड योजना शुरू की गई है। योजना के अधीन पहला, दूसरा और तीसरा पुरस्कार प्रदान किया जाता है। विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों के लिए भी इसी प्रकार की एक योजना मौजूद है। विभाग और इसके अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सितम्बर 2000 में राजभाषा स्वर्ण जयन्ती वर्ष का आयोजन बड़े उत्साह के साथ किया गया जिसमें अधिकारियों/कर्मचारियों ने गहरी रुचि ली। यह पहला मौका था जबकि हिन्दी में श्रुतलेख की एक प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में चार अधिकारियों को पुरस्कृत किया गया और इसके फलस्वरूप अन्य अधिकारियों ने अपने सरकारी कामकाज में हिन्दी को अधिक प्रयोग करना बेहतर समझा। क्योंकि विभाग पूरी तरह कम्प्यूट्रीकृत किया जा चुका है, इसलिए कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण, आशुलिपि के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। विभाग में हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए एक 13–सूत्री कार्यक्रम शुरू किया गया है।

माननीय संसदीय राजभाषा समिति ने 9 जनवरी 2001 को विभाग का निरीक्षण किया।

यह उल्लेख्य है कि मानव संसाधन विकास मंत्री और सचिव अपने सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग करते हैं। विभाग के पत्राचार में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देने की दिशा में सतत रूप से प्रयास किए जा रहे हैं। हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है।

राजभाषा पुरस्कार वितरण समारोह, 2000

विभाग को राजभाषा नियम 10 (4) के अधीन अधिसूचित किए जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यह भी उल्लेख्य है कि संसदीय राजभाषा समिति ने वर्ष 2000 में कानपुर और हैदराबाद में स्थित संगठनों और विभागों का निरीक्षण किया। विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा के निरीक्षण, उनकी तिमाही प्रगति रिपोर्टों, हिन्दी कार्यशालाओं के आयोजन आदि विषयों की ओर उचित ध्यान दिया गया हैं।

विभाग के सभी नामपट्ट, नोटिस बोर्ड, रबड़ की मोहरें द्विभाषी बना दी गई हैं। विभाग का निष्पादन बजट और वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट द्विभाषी रूप में तैयार की जाती है। कुल मिला कर कहें, तो विभाग में राजभाषा के कार्यान्वयन से संबंधित सभी मुद्दों पर उचित कार्रवाई की जाती है और इसके प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए सभी संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

कम्प्यूट्रीकृत प्रबंध सूचना प्रणाली (सीएमआईएस)

विभाग में कम्प्यूट्रीकृत प्रबंध सूचना प्रणाली की उन्नति में तेजी लाने और विभाग के भीतर ही विशेषज्ञता निर्मित करने के प्रयोजन से कम्प्यूट्रीकृत प्रबंध सूचना प्रणाली एकक स्थापित किया गया था। एकक के मुख्य प्रयोजन निम्नानुसार हैं: कम्प्यूट्रीकरण के लिए क्षेत्रों का अभिज्ञान तथा ऐसी कम्प्यूटर–आधारित प्रबंध सूचना प्रणालियां विकसित करने के लिए व्यवहार्यता अध्ययन आयोजित

करना; पद्धति विश्लेषण, डिजाइन और विकास; विभाग में उपभोक्ताओं की अपनी–अपनी मांग के अनुसार विकसित साफ्टवेयर पैकेजों का अनुरक्षण; एक संसाधन इकाई के रूप में काम करना और सूचना के रोजमर्रा के प्रसंस्करण के लिए स्थानीय तौर–तरीके विकसित करने के प्रयोजन से विभाग के कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करना; डाटा–आधार प्रवृत्तियों को तैयार और विकसित करना तथा एक प्रभावी शैक्षिक सूचना प्रणाली निर्मित करना; और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) तथा सूचना प्रौद्योगिकी की अन्य एजेन्सियों के साथ संपर्क स्थापित करना।

इस यूनिट ने विभाग की विविध साफ्टवेयर मांगों की पूर्ति करने के लिए साफ्टवेयर अनुसमर्थन शुरू और मुहैया कराने की दिशा में काफी प्रयास किए हैं। विभाग के वरिष्ठ स्तर के विभिन्न अधिकारियों के कार्यालयों में कार्यालय आटोमेशन साफ्टवेयर स्थापित किए गए। विभाग में कम्प्यूट्रीकरण की एक नोडल एजेन्सी के रूप में इस यूनिट ने विभाग का एक समग्र आईटी परिदृश्य तैयार किया है जिसमें विशिष्ट योजनाएं और लक्ष्य शामिल हैं। कार्यनीति के अनुसार, विभाग के अधिकांश अनुभागों/एककों को स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क के साथ जोड़ दिया गया है। इस यूनिट ने कम्प्यूटरों की मांग पता लगाने के लिए एक सर्वेक्षण भी किया है और अनुभाग अधिकारी स्तर के अधिकारियों को आवश्यक साफ्टवेयर सहित पीसी मुहैया कराने की दिशा में कार्रवाई की जा रही है। साथ ही, सभी परिपत्र, आंतरिक बैठकों की सूचनाएं, ई–मेल के माध्यम से भेजने क प्रयास किए गए हैं। सभी परिपत्र और महत्त्वपूर्ण सूचनाएं आदि प्रदर्शित करने के लिए इलेक्ट्रानिक नोटिस बोर्ड तैयार किया गया है। ऐसे सभी संसद प्रश्नों को जिनके उत्तर दोनों विभागों द्वारा दिए गए, इलेक्ट्रानिक माध्यम से संसद सचिवालय को अंतरित कर दिया गया। इसके अलावा, स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क पर डाटाबेस तैयार और उपलब्ध कराया गया जिससे कि विभाग के अनुभाग/यूनिटों को उन प्रश्नों की बाबत जानकारी उपलब्ध हो सके जिनका उन्होंने पूर्व में उत्तर दिया है।

एमएस आफिस, फाइल खोज प्रणाली, कम्प्यूटर अनुरक्षण, कम्प्यूटर वाइरस की रोकथाम और उन्मूलन आदि जैसे आफिस आटोमेशन साफ्टवेयर के प्रयोग की बाबत जानकारी उत्पन्न करने के लिए समय–समय पर प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए। यह यूनिट विभाग के विभिन्न प्रभागों के साफ्टवेयर की विकास परियोजनाओं पर भी कार्रवाई कर रहा है। चुनिन्दा शैक्षिक आंकड़ों, भारत में शिक्षा श्रृंखलाओं, अन्तर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्यांकन और पुस्तकालय सूचना प्रणाली, आईएसबीएन पुस्तकों की राष्ट्रीय ग्रंथ–सूची तथा प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषाहार संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम जैसे विभिन्न प्रकाशनों, परियोजनाओं, डाटाबेस और रिपोर्टों को कम्प्यूट्रीकृत किया जा चुका है। दोनों विभागों के बजट प्रस्ताव, टेलिफोन निदेशिका, कार्यात्मक निदेशिका, मासिक वेतन बिल, वेतन पर्चियों और वसूली–सूची से संबंधी डाटाबेस भी इलेक्ट्रानिक डाटा प्रोसेसिंग के माध्यम से तैयार किया जा रहा है जो कि विभाग के विभिन्न प्रभागों के लिए है।

इस यूनिट ने आईटी संबंधी मामलों पर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, एनआईसीएसआई तथा अन्य एजेंसियों के साथ संपर्क बनाए रखा।

सूचना और सुविधा केन्द्र

विभाग में आने वाली जनता और गैर–सरकारी संगठनों के लिए सूचना की त्वरित और सहज सुलभता के निमित्त जून 1997 में एक निकनेट–आधारित सूचना और सुविधा केन्द्र स्थापित किया गया था। केन्द्र स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य यह था कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय की नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं के संबंध में विद्वानों, आम जनता, गैर–सरकारी संगठनों और छात्रों को जानकारी उपलब्ध कराई जाए। आगन्तुकों के जो मामले विभिन्न अनुभागों/शाखाओं में विचाराधीन पड़े हैं, उनके शीघ्र निपटान के मामले में भी आईएफसी स्टाफ द्वारा आगंतुकों की सहायता की जाती है। सेवाओं, योजनाओं और क्रियाविधियों से संबंधित जानकारी विवरणिकाओं, पुस्तिकाओं और रिपोर्टों के माध्यम से प्रदान की जाती है। विभाग के वेबसाइट को नियतकालिक आधार पर अद्यतन बनाया जाता है। विभाग की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत और विभिन्न आवेदन–पत्र भी साइट पर प्रस्तुत कर दिए गए हैं। इस प्रकार की सूचना इंटरनेट पर विश्वव्यापी वेब से संपर्क स्थापित करने के लिए सक्षम किसी भी कम्प्यूटर पर डाउनलोड की जा सकती है। प्रारम्भिक शिक्षा और साक्षरता विभाग तथा माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा

विभाग, महिला और बाल विकास और युवा कार्य तथा खेलकूद विभाग के वेबसाइटों के पते क्रमशः इस प्रकार हैं http://www.education.nic.in, http://wwww.wcd.nic.in तथा http://www.yas.nic.in 'टिप्पणी पुस्तिका' में दर्ज प्रविष्टियों की बहुत बड़ी संख्या इस बात की परिचायक है कि आगन्तुकों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है।

शिक्षा विभाग में एनआईसी क्रियाकलाप

राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एनआईसी) का शिक्षा विभाग में एक सक्रिय कम्प्यूटर केन्द्र मौजूद है और उसने इन्टरनेट का प्रयोग करने वाले सभी विभागों को जोड़ने वाले त्वरित संचार के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी (आरएफ) आधारित लिंक स्थापित किया है। कम्प्यूटर आधारित प्रबंध सूचना प्रणाली तैयार करने में एनआईसी, विभाग को साफ्टवेयर, हार्डवेयर, नेटवर्किंग, इंटरनेट सेवाएं तथा परामर्शी सहयोग प्रदान करता रहा। एनआईसी अधिकारियों का एक दल इस विभाग के अधिकारियो के साथ गहरे तालमेल से काम कर रहा है। वर्ष 2000–2001 की उपलब्धियां निम्नलिखित हैं:

एलएएन की स्थापना

एनआईसी ने पहले चरण में 71 नोडस और दूसरे चरण में 142 नोडस से जोड़ने की क्षमता से युक्त स्थानीय नेटवर्क प्रणाली (एलएएन) की स्थापना की है। जहां कहीं भी कम्प्यूटर स्थापित किए जा चुके हैं, वहां इंटरनेट ब्राउसिंग और ई–मेल सुलभता के लिए सभी नोडस काम कर रहे हैं।

प्रशासन के सहयोग के लिए सूचना प्रणाली

- फाइल अनुश्रवण/डायरी प्रणाली
- सामान्य भण्डार प्रणाली की सूची

एनआईसी ने उपयुक्त प्रणालियां विकसित की हैं और उन्हें विभाग के भीतर कार्यरूप दिया है।

विभागों के लिए वेबसाइट (शिक्षा के द्वार का निर्माण)

एनआईसी ने शिक्षा विभाग के लिए एनआईसी सरवर (http://www.education.nic.in) पर पोषित एक वेबसाइट शुरू की है। अन्तर्वस्तु की दृष्टि से विभाग की यह वेबसाइट छात्रों और अध्यापक समुदाय की मांगों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। इस वेबसाइट पर दोनों विभागों से संबंधित विभिन्न योजनाएं और साथ ही संगत आवेदन पत्र तथा छात्रवृत्तियां और उनके साथ आवेदन–पत्र प्रस्तुत किए जा चुके हैं और इस प्रकार विभागों के कार्यकरण में पारदर्शिता लाई गई है। विभागों द्वारा समर्थित संस्थानों/स्वायत्त निकायों से संबंधित जानकारी भी शामिल की गई है और उसे इन संगठनों के अलग–अलग वेबसाइटों के साथ, जहां कहीं वे उपलब्ध हैं, जोड़ दिया गया है। आनलाइन ई–मेल सुविधा भी इस वेबसाइट का एक अंग है जिसके माध्यम से वेब पर आने वाले व्यक्तियों तथा विभागों के संबंधित अधिकारियों के बीच वैचारिक आदान–प्रदान सुकर बन जाएगा।

मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के आवास पर टेलीकम्यूटिंग सेवाओं की स्थापना

एनआईसी ने मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के आवास से कम्प्यूटर संसाधनों के प्रयोग और ई–मेल सुविधा का लाभ उठाने के लिए टेलीकम्यूटिंग सेवाएं स्थापित कर दी है। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए एनआईसी ने उपभोक्ता लेखा बना दिया है और अधिकारियों के घरों पर कम्प्यूटर लगा दिए हैं और उसके प्रयोग के संबंध में आवश्यक प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध करा दिए हैं।

छठा अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण (एआईईएस)

छठे अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण (एआईईएस) के आंकड़ों का प्रयोग करते हुए शैक्षिक संसाधनों की वेब

सूचना और सुविधा केन्द्र स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय की नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं के संबंध में विद्वानों, आम जनता, गैर-सरकारी संगठनों और छात्रों को जानकारी उपलब्ध कराई जा सके।

आधारित निर्देशिका तैयार कर ली गई है और उसे शिक्षा वेबसाइट पर प्रस्तुत कर दिया गया है।

चल रही प्रणाली का सहयोग

- गैर–औपचारिक शिक्षा के लिए एमआईएस
- आपरेशन ब्लैक बोर्ड के लिए एमआईएस
- इंटरानेट आधारित वेब सेवाएं (ईडीयूवेब)
- विशेषज्ञ डाटाबेस
- मध्याह्न–भोजन कार्यक्रम

अब एनआईसी इस वेबसाइट को एक पोर्टल में बदल रहा हैं और उस पर निम्न सेवाएं उपलब्ध करा रहा है:

- परिणामो का प्रकाशन
- सीबीएसई परिणामों को जानने के लिए 1,26,73,464 प्रयास (10वीं और 12वीं के मिश्रित परिणाम) किए गए।

  नौ राज्यों के बोर्डों के परिणाम;
- वेब प्रस्तुति (40 संस्थान पहले ही प्रस्तुत किए जा चुके हैं);
- शैक्षिक संस्थानों की निर्देशिका (छठे अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण आंकड़ों पर आधारित);
- अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य श्रेणियों के लिए डिग्री और डिप्लोमा स्तर पर आरक्षित सीटें;
- कापीराइट पंजीकरण, छात्रवृत्ति आवेदन–पत्र (अग्रिम प्रति) के लिए फर्मो की आन–लाइन प्रस्तुति;
- मल्टीमीडिया आधारित अन्योन्यक्रियापूर्ण पाठ;
- वेब के माध्यम से प्रणाली का अनुरक्षण;
- मध्याह्न–भोजन कार्यक्रम के लिए वेब–समर्थित डाटाबेस;
- विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रमों के लिए वेब–समर्थित डाटाबेस।

उपभोक्ताओं के लिए कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन

इंटरनेट के साथ संपर्क स्थापित करने और ई–मेल सुविधा का प्रयोग करने के लिए एनआईसी ने एक प्राक्सी सर्वर और मेल एक्सचेंज सर्वर स्थापित कर दिया है। इन संसाधनों के उपयुक्त प्रयोग के लिए एनआईसी ने विभाग के स्टाफ के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था की है ताकि उनके कामकाज के तरीके में सांस्कृतिक और प्रवृत्यात्मक बदलाव लाए जा सकें। इंटरनेट के प्रयोग, नेटवर्क संसाधनों के प्रयोग, फाइलों और प्रिंटरों के आदान–प्रदान, ई–मेल भेजने और प्राप्त करने, वेब ब्राउसिंग, फाइल अंतरण, रिमोट लाजिन तथा कार्यालय उत्पादकता साधनों को समाकलित करते हुए वैयक्तिक और सामूहिक – दोनों स्तरों के कार्यक्रम बहुत बड़ी संख्या में आयोजित किए गए हैं।

वेब आधारित लोक शिकायत निवारण और अनुश्रवण प्रणाली

एनआईसी द्वारा प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के लिए तैयार की गई वेब आधारित लोक शिकायत निवारण और अनुश्रवण प्रणाली को विभाग में कार्यान्वित किया गया है। विभाग के कर्मचारी नियमित रूप से आंकड़ों को अद्यतन बनाते रहते हैं। इस प्रकार तैयार किए गए आंकड़ों को नियमित रूप से एआरपीजी कम्प्यूटर केन्द्र आनलाइन पर भेज दिया जाता है। हाल ही में आंतरिक उपयोग के लिए एआरपीटी के एनआईसी केन्द्र द्वारा एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

विभिन्न संगठनों को तकनीकी परामर्शी सेवाएं

एनआईसी ने इस विभाग के अधीन कापीराइट कार्यालय, एनसीईआरटी, एनवीएस, केवीएस, सीएसटीटी आदि जैसे विभिन्न संगठनों को नियमित तकनीकी परामर्श और मार्गदर्शन प्रदान किया है।

भारत सरकार ने 2001 को महिला अधिकारिता वर्ष (डबल्यू ई वाई) के रूप में घोषित किया है। इसका प्रयोजन यह है कि महिलाओं के लिए संसाधनों की सुलभता और नियंत्रण में सुधार लाने के निमित्त कार्रवाई शुरू की जाए तथा उसमें तेजी लाई जाए जिससे कि वे राष्ट्र के सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक जीवन की धारा में अपना न्यायोचित स्थान ले सकें।

महिलाओं की समानता के लिए शिक्षा

उच्चतर शिक्षा में महिलाओं को सामर्थ्यवान बनाना

राष्ट्रीय शिक्षा समिति (एनपीई) 1986 में, जिसे 1992 में अद्यतन बनाया गया था यह परिकल्पना की गई थी कि शिक्षा का प्रयोग महिलाओं की स्थिति में आधारभूत बदलाव लाने वाले एक साधन के रूप में किया जाए और उसमें अतीत की संचित विकृतियों के निष्प्रभावन के निमित्त सुविचारित रूप से महिलाओं के पक्ष में प्रावधान किए गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में वर्णित एक मार्गदर्शी सिद्धान्त के अनुसार महिलाओं सहित जिन व्यक्तियों को अभी तक समानता से वंचित रखा गया है उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति करके शैक्षिक अवसरों की समानता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इसमें आगे चलकर यह कहा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली महिलाओं को सामर्थ्यवान बनाने में एक सकारात्मक, हस्तक्षेपणीय भूमिका का निर्वाह करेगी। महिलाओं के अध्ययन समबन्धी पाठ्यचर्या को विभिन्न पाठ्यक्रमों के एकीकृत अंगों के रूप में प्रोत्साहित किया जाएगा और संस्थानों को महिलाओं की उन्नति के निमित्त सक्रिय कार्यक्रम हाथ में लेने को बढ़ावा दिया जाएगा। नीति में विभिन्न स्तरों पर वृत्तिक तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा में महिलाओं की सहभागिता पर बल दिया गया है।

1951 से 1997 के बीच साक्षरता दर

वर्ष	पुरुष	महिलाएं	व्यक्ति
1951	24.95	7.93	16.67
1961	34.44	12.95	24.02
1971	39.45	18.69	29.45
1981	56.50	29.85	43.67
1991	64.13	39.29	52.21
1997 (एनएसएसओ)	73.00	50.00	62.00

महिलाओं की शिक्षा की मौजूदा स्थिति

साक्षरता

स्वतंत्रता के बाद से महिला साक्षरता दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। जहां 1951 में महिला साक्षरता मात्र 7.3 प्रतिशत थी वह 1991 में बढ़कर 39.29 प्रतिशत तक पहुंच गई और राष्ट्रीय संदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) के 53वें चक्र के अनुसार दिसम्बर 1997 के अन्त में महिलाओं की साक्षरता दर 50 प्रतिशत थी

स्तरवार नामांकन

(दस लाख में)

वर्ष	प्राथमिक			मिडिल / उच्च प्राथमिक			हाई / उच्चतर माध्यमिक		
	लड़के	लड़कियां	योग	लड़के	लड़कियां	योग	लड़के	लड़कियां	योग
1950–51	13.8	5.4	19.2	2.6	0.5	3.1	1.3	0.2	1.5
1955–56	17.1	7.5	24.6	3.8	1.0	4.8	2.2	0.4	2.6
1960–61	23.6	11.4	35.0	5.1	1.6	6.7	2.7	0.7	3.4
1965–66	32.2	18.3	50.5	7.7	2.8	10.5	4.4	1.3	5.7
1970–71	35.7	21.3	57.0	9.4	3.9	13.3	5.7	1.9	7.6
1975–76	40.6	25.0	65.6	11.0	5.0	16.0	6.5	2.4	8.9
1980–81	45.3	28.5	73.8	13.9	6.8	20.7	7.6	3.4	11.0
1985–86	52.2	35.2	87.4	17.7	9.6	27.1	11.5	5.0	16.5
1990–91	57.0	40.4	97.4	21.5	12.5	34.0	12.8	6.3	19.1
1991–92	58.6	42.3	100.9	22.0	13.6	35.6	13.5	6.9	20.4
1992–93	57.9	41.7	99.6	21.2	12.9	34.1	13.6	6.9	20.5
1993–94	55.1	41.9	97.0	20.6	13.5	34.1	13.2	7.5	20.7
1994–95	62.3	46.8	109.1	24.5	15.8	40.3	16.0	8.4	24.4
1995–96	62.4	47.4	109.8	25.0	16.0	41.0	16.1	8.8	24.9
1996–97	62.5	47.9	110.4	24.7	16.3	41.0	17.2	9.8	27.0
1997–98	61.2	47.5	108.7	23.7	15.8	39.5	17.1	10.1	27.2

जबकि पुरुषों की साक्षरता दर 73 प्रतिशत थी। 1991–97 की अवधि के दौरान महिला साक्षरता दर में 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि इसी अवधि में पुरुषों की साक्षरता दर में 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। इस स्थिति को शिक्षा में **स्त्री–पुरुष अन्तराल को सार्थक रूप से कम किए जाने के रूप में व्यक्त किया जा सकता है।।** महिलाओं के अपने भीतर ही ग्रामीण शहरी अन्तर काफीी बड़ा था। साक्षर शहरी महिलाओं की संख्या ग्रामीणा महिलाओं की तुलना में दुगुनी थी।

समग्र नामांकन के प्रति लड़कियों के नामांकन का प्रतिशत

वर्ष	प्राथमिक I-V	मिडिल VI-VIII	माध्यमिक उच्च माध्यमिक 10+2/इण्टर	उच्चतर शिक्षा स्नातक और स्नातकोत्तर
1950–51	28.1	16.1	13.3	10.0
1960–61	32.6	23.9	20.5	16.0
1970–71	37.4	29.3	25.0	20.0
1980–81	38.6	32.9	29.6	26.7
1990–91	41.5	36.7	32.9	33.3
1991–92	41.9	38.2	33.8	32.3
1992–93	42.6	38.8	33.9	33.2
1993–94	42.7	39.1	34.3	33.5
1994–95	42.8	38.9	34.4	34.0
1995–96	43.2	39.0	35.3	37.2
1996–97	43.4	39.8	36.2	38.2
1997–98	43.6	40.1	37.9	36.6

नामांकन

1950–51 से लेकर 1997–98 के बीच स्कूलीी शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर स्कूल में लड़का–लड़की के अनुसार नामांकन में वृद्धि निम्नानुसार है:

1950–51 से 1996–97 की अवधि के दौरान्न प्राथमिक स्तर पर कुल नामांकन में 5.75 गुना वृद्धि हुई जबकि लड़कियों के मामले में इस्स आशय की वृद्धि नौ गुना थी। शिक्षा के उच्च्च प्राथमिक स्तर पर इस अवधि के दौरान नामांकन्न में 13 गुना से अधिक की वृद्धि हुई जबकि लड़कियों के मामले में 32 गुना से अधिक कीी वृद्धि हुई जोकि बहुत ही सराहनीय है। माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक स्तर पर कुल

विभिन्न स्कूलों में अध्यापकों की संख्या

(संख्याएं हजारों में)

	प्राथमिक				उच्च प्राथमिक				हाई/उच्च माध्यमिक			
	पुरुष	महिला	योग	महिलाओं का प्रतिशत	पुरुष	महिला	योग	महिलाओं का प्रतिशत	पुरुष	महिला	योग	महिलाओं का प्रतिशत
1950–51	456	82	538	15	73	13	86	15	107	20	127	16
1955–56	574	117	691	17	132	19	151	13	155	35	190	18
1960–61	615	127	742	17	262	83	345	24	234	62	296	21
1965–66	764	180	944	19	389	139	528	26	368	111	479	23
1970–71	835	225	1060	21	463	175	638	27	474	155	629	25
1975–76	955	283	1248	23	554	224	778	29	559	200	759	26
1980–.81	1021	342	1363	25	598	253	851	30	669	257	926	28
1985–86	1094	402	1496	27	663	305	968	32	793	339	1132	30
1990–91	1143	473	1616	29	717	356	1073	33	917	417	1334	31
1991–92	1152	492	1644	30	714	365	1079	34	931	450	1381	33
1992–93	1137	514	1651	31	709	376	1085	35	941	454	1395	33
1993–94	1110	513	1623	32	723	406	1124	36	953	492	1445	34
1994–95	1181	533	1714	31	732	390	1122	35	956	490	1446	34
1995–96	1187	553	1740	32	756	409	1165	35	982	511	1493	34
1996–97	1205	585	1790	33	768	428	1196	36	1003	539	1542	35
1997–98	1229	643	1872	34	775	437	1212	36	985	536	1521	35

वृद्धि 18 गुना हुई जबकि लड़कियों के मामले में 49 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है।

स्वतंत्रता के बाद से शिक्षा के सभी स्तरों पर समग्र नामांकन के प्रति लड़कियों के नामांकन में क्रमिक वृद्धि का परिचय मिला है। 1950–51 से 1997–98 की अवधि के दौरान प्राथमिक स्तर पर नामांकित बच्चों में लड़कियों का प्रतिशत 28 प्रतिशत से बढ़कर 43.62 प्रतिशत; मिडिल स्तर पर 16 प्रतिशत से बढ़कर 40 प्रतिशत; माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर पर 13.3 प्रतिशत से बढ़कर 37.9 प्रतिशत तथा उच्चतर शिक्षा स्तर पर 10 प्रतिशत से बढ़कर 36.59 प्रतिशत तक पहुंच गया।

महिला अध्यापक

1950–51 से सभी प्रकार के स्कूलों में अध्यापकों की संख्या में वस्तुतः उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। कुल अध्यापकों की संख्या जो कि 1950–51 में 7.51 लाख थी 1996–97 में बढ़कर 45.28 लाख (6 गुना से अधिक की वृद्धि) तक पहुंच गई जबकि महिला अध्यापकों की संख्या जो कि 1950–51 में 1.15 लाख थी वह 1996–97 में बढ़ कर 15.52 लाख (तेरह गुना से अधिक की वृद्धि) तक पहुंच गई। विस्तृत ब्यौरे निम्न तालिका में दिए गए हैं:

माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर माध्यमिक विभाग द्वारा की गई पहलें

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और कार्रवाई योजना 1992 में निहित प्रावधानों के अनुसरण में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनेक कार्यनीतियां अपनाई गई हैं। सभी प्रकार की औपचारिक तथा गैर–औपचारिक शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम महिलाओं के लिए खुले हैं। अधिकांश राज्यों और संघशासित क्षेत्रों में उच्च माध्यमिक स्तर तक लड़कियों की शिक्षा निःशुल्क है। कई राज्यों ने तो लड़कियों के लिए विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा निःशुल्क कर दी है। सरकार द्वारा की गई पहलों के फलस्वरूप महिलाओं की शिक्षा में अत्यधिक वृद्धि हुई है।

निम्न पर विशेष बल देते हुए स्कूली शिक्षा को सुदृढ़ बनाने के प्रयोजन में अनेक केन्द्र प्रायोजित योजनाएं तैयार की गई हैं; विज्ञान शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, पर्यावरणात्मक शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा, शिक्षा में संस्कृति और मूल्य, स्कूलों में कम्प्यूटर साक्षरता और अध्ययन, शिक्षा प्रौद्योगिकी और विकलांग बच्चों की शिक्षा। इन योजनाओं से आम तौर पर लड़कियां लाभान्वित हुई हैं। इसके अलावा लड़कियों को बेहतर सुविधाएं सुलभ कराने की ओर केन्द्रित योजनाएं मौजूद हैं जिससे कि लड़कियों को अपनी शिक्षा जारी रखने के योग्य बनाया जा सके।

माध्यमिक शिक्षा

माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में लड़कियों के लिए भोजन और छात्रावास सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण की योजना

इस योजना का उद्देश्य यह है कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में लड़कियों के भोजन और छात्रावास की सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण किया जाए। इस योजना के अधीन माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तरों पर पढ़ने वाली लड़कियों को स्वैच्छिक संगठनों द्वारा नितान्त रूप से लड़कियों के लिए रखे जा रहे मौजूदा छात्रावासों/बोर्डिंग हाउसों से बोर्डिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

सहायता प्रदान करने के मामले में शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े जिलों में, विशेष रूप से ऐसे जिलों में जिनमें

माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों की छात्राओं के लिए बोर्डिंग तथा छात्रावास के सुदृढ़ीकरण की योजना के अधीन सहायता

वर्ष	एजेंसियों की संख्या	लाभग्राहियों की संख्या	व्यय (लाखों में)
1993–94	13	571	36.00
1994–95	24	1075	55.00
1995–96	31	1370	60.34
1996–97	30	1310	62.07
1997–98	41	2063	74.94
1998–99	60	2963	107.00
1999–2000	80	3810	199.35
2000–2001 (नवम्बर 2000 तक)	109	5116	199.17
योग	388	18,278	713.87

National Institute of Educational Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No D-11111
Date 23-05-2001

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े समुदायों की बहुलता है स्थित महिला छात्रावासों/बोर्डिंग हाउसों को प्राथमिकता दी जाती हैं।

1993–94 से लेकर (नवम्बर 2000 तक) 388 एजेंसियों को 713.87 लाख रुपये की राशि प्रदान की जा चुकी है जिससे 18,278 छात्राएं लाभान्वित हुई हैं।

नवोदय विद्यालय और केन्द्रीय विद्यालय

प्रतिभावन ग्रामीण बच्चों के लिए और साथ ही अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं और निर्धनता की रेखा से नीचे का जीवन बिताने वाली महिलाओं की अपेक्षतया अधिक सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में मार्गदर्शी स्कूलों के रूप में जवाहर नवोदय विद्यालय खोले गए हैं। जवाहर नवोदय विद्यालयों के छात्रों में से एक तिहाई लड़कियां हैं। 1997–98 में जवाहर नवोदय विद्यालयों में छात्राओं का प्रतिशत 32 था।

केन्द्रीय विद्यालयों में तीस प्रतिशत स्थान लड़कियों के लिए आरक्षित कर दिए गए है।

राष्ट्रीय मुक्त स्कूल (एन ओ एस)

राष्ट्रीय मुक्त स्कूल (एन ओ एस) उन बच्चों को शिक्षा जारी रखने का अवसर प्रदान करता है जिन्होंने प्राथमिक स्तर से लेकर स्नातक–पूर्व स्तर तक सामान्य जीवन संवर्द्धन और व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों के माध्यम से स्कूली और विकासात्मक शिक्षा पूरी करने के अवसर गंवा दिए हैं। राष्ट्रीय मुक्त स्कूल प्राथमिकता वाले समूहों तक पहुंचता है जिनमें ये शामिल होते हैं: स्कूली शिक्षा बीच में छोड़ने वाले बच्चे तथा सीमान्त समूह जैसे कि ग्रामीण युवक, लड़कियां और महिलाएं, अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियां। लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मुक्त स्कूल प्रवेश शुल्क में रियायतों के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान करता है। वर्ष 1998–99 में 31,168 महिलाओं ने इस रियायत का लाभ उठाया।

> **जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं के प्रति भेदभाव के उन्मूलन तथा महिलाओं की स्वतंत्र सत्ता स्वीकार कर लिए जाने के फलस्वरूप यह निर्णय लिया गया है कि बच्चे को अपने स्कूल प्रवेश फार्म, आवेदन पत्र, प्रमाण पत्रों में अपनी माता या पिता में से किसी एक का नाम निर्दिष्ट करने की छूट दी जाए।**

शैक्षिक दृष्टि से पिछडे अल्पसंख्यकों के लिए क्षेत्र गहन कार्यक्रम

1993 में शुरू की गई इस योजना का मूल उद्देश्य यह था कि शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े अल्पसंख्यकों की बहुलता वाले ऐसे क्षेत्रों में जिनमें प्रारम्भिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए उपयुक्त व्यवस्था उपलब्ध नहीं है आधारभूत शैक्षिक आधारिक तंत्र और सुविधाएं सुलभ कराई जाएं।

इस समय यह योजना देश के 13 राज्यों और 3 संघशासित क्षेत्रों में शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े अल्पसंख्यकों की बहुलता वाले 93 जिलों के 331 ब्लाकों में कार्यान्वित की जा रही है।

अभी तक, प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक स्कूलों के 2001 भवनों, 6 आवासीय उच्च माध्यमिक स्कूलों और लड़कियों के लिए 14 छात्रावास भवनों का निर्माण किया जा चुका है।

प्रवेश क्रिया विधि में परिवर्तन - माता का नाम

जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं के प्रति भेदभाव के उन्मूलन तथा महिलाओं की स्वतंत्र सत्ता स्वीकार कर लिए जाने सम्बन्धी विषयों पर याचिकाओं विषयक राज्य सभा समिति की 99वीं रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों के अनुसरण में यह निर्णय लिया गया है कि बच्चे को अपने स्कूल प्रवेश फार्म, आवेदन पत्र, प्रमाण पत्रों आदि में अपनी माता या पिता में से किसी एक का नाम निर्दिष्ट करने की छूट दी जाए। अध्यक्ष, सीबीएसई, अध्यक्ष, एनएसओ और प्रमुख कार्यकारी–अधिकारी तथा सचिव, सीआईएसई को इस समबन्ध में अनुदेश जारी किए जा चुके हैं। सभी राज्यों/संघशासित क्षेत्रों के शिक्षा सचिवों से भी इस निर्णय को कार्यान्वित करने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई करने और अपने राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में स्थित स्कूल बोर्डों तथा इसी

प्रकार के अन्य निकायों को निदेश भेजने का अनुरोध किया गया है।

माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण

माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की केन्द्र प्रायोजित योजना में राज्यों को इन प्रयोजनों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने की व्यवस्था है; प्रशासनिक तंत्र स्थापित करना, क्षेत्र व्यावसायिक सर्वेक्षण, पाठ्यचर्यात्मक पाठ्यपुस्तकों, कार्य पुस्तिकाओं, पाठ्यचर्या मार्गदर्शिकाओं का निर्माण, प्रशिक्षण नियम पुस्तिका, अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम, अनुसंधान और विकास के लिए तकनीकी अनुसमर्थन योजना को सुदृढ़ बनाना, प्रशिक्षण और मूल्यांकन आदि। इस योजना में विशिष्ट नवाचारी परियोजनाएं कार्यान्वित कराने के लिए गैर–सरकारी संगठनों और स्वैच्छिक संगठनों को भी आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने का प्रावधान है।

इस योजना के अधीन अभी तक 6519 स्कूलों के 18,862 सेक्शनों में आधारिक तंत्र का निर्माण किया जा चुका है और इस प्रकार +2 स्तर के लगभग 10 लाख छात्रों को एक विकल्प प्रदान कर दिया गया है। कार्यक्रम में 35.00 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय का प्रावधान है और चालू वित्तीय वर्ष के लिए गैर–सरकारी संगठनों को 2.00 करोड़ रुपये का बजट प्रदान किया जा चुका है।

इस योजना के कार्यान्वयन से प्राप्त होने वाले लाभ का बड़ा हिस्सा महिलाओं को जाता है क्योंकि स्कूलों में चलाए जाने वाले अधिकांश पाठ्यक्रम महिलाओं की जरूरतों को पूरा करते हैं। इन पाठ्यक्रमों में शामिल पाठ्यक्रम इस प्रकार हैं: गृहविज्ञान, पराचिकित्सा, वस्त्र निर्माण, ड्रेस डिजाइनिंग, इलेक्ट्रोनिक्स, कम्प्यूटर अनुप्रयोग आदि। इन पाठ्यक्रमों के अलावा छः प्रमुख विषय–क्षेत्रों अर्थात कृषि, गृहविज्ञान, व्यापार और वाणिज्य, इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी, पराचिकित्सा पाठ्यक्रम तथा स्वास्थ्य में लगभग 150 पाठ्यक्रमों की भी पेशकश की जाती है। इस योजना में इस आशय की व्यवस्था भी है कि स्कूली शिक्षा बीच में छोड़ने वाले बच्चों, बेरोजगार युवकों, महिलाओं आदि के लाभ के लिए अल्पकालीन पाठ्यक्रम आयोजित करने के निमित्त गैर–सरकारी संगठनों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। इन कार्यक्रमों की अधिकांश लाभग्राही महिलाएं हैं जिनमें समाज के कमजोर वर्गों की महिलाएं शामिल हैं।

उच्चतर शिक्षा

उच्चतर शिक्षा में छात्राओं का नामांकन लड़कों की तुलना में अभी भी कम बना हुआ है। वर्ष 1998–99 के आरम्भ में स्नातकोत्तर स्तर पर कुल नामांकन के प्रति छात्राओं के नामांकन का प्रतिशत 34 था। छात्राओं का अनुपात केरल में उच्चतम (53.6 प्रतिशत) था जिसके बाद इन राज्यों का स्थान आता है: पंजाब (51.5 प्रतिशत), गोवा (51.4 प्रतिशत),

संकाय और स्तर के अनुसार उच्चतर शिक्षा (सामान्य) में छात्राओं का नामांकन

अखिल भारतीय

संकाय	डॉक्टरेट/शोध				स्नातकोत्तर				स्नातक			
	1971	1981	1991	1998	1971	1981	1991	1998	1971	1981	1991	1998
कला	2461*	4809	@	@	30791	58763	76896	123722	255753	382291	615393	1154970
	(99.88)	(63.51)			(78.60)	(75.77)	(66.12)	(65.49)	(72.19)	)63.33)	(54.01)	(59.89)
विज्ञान	**	2613	@	@	8093	15554	24349	44012	92019	136353	281035	403691
		(34.51)			(20.66)	(20.05)	(20.94)	(23.29)	(25.98)	(22.59)	(24.67)	(20.93)
वाणिज्य	3	150	@	@	292	3241	15043	21192	6492	84994	242936	369911
	(0.12)	(1.98)			(0.74)	(4.18)	(12.94)	(11.22)	(18.33)	(14.08)	(21.32)	(19.18)
कुल	9598	7572	9129	11729	39176	77558	116288	188926	354264	603648	1139364	1928572
	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)	(100.00)

* विज्ञान में नामांकन सहित

*** आलग से उपलब्ध नहीं

@ कला, विज्ञान और वाणिज्य के ब्यौरे उपलब्ध नहीं है

कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े समग्र के प्रति प्रतिशत दर्शाते हैं।

दिल्ली और पांडिचेरी (प्रत्येक में 45.3 प्रतिशत), मणिपुर (43.4 प्रतिशत), जम्मू तथा कश्मीर (40.6 प्रतिशत), गुजरात तथा तमिलनाडु (प्रत्येक में 40.1 प्रतिशत)। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जैसे अन्य राज्यों में भी छात्राओं का प्रतिशत 34.6 प्रतिशत की राष्ट्रीय औसत से उच्चतर रहा है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा की गई पहलें

महिलाओं के अध्ययन के लिए केन्द्र और सैल स्थापित करने के निमित्त विश्वविद्यालयों और कालेजों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

आयोग, संस्थानों को महिलाओं के अध्ययन के क्षेत्र में अनुसन्धान परियोजनाएं हाथ में लेने के लिए आवश्यक निधियां प्रदान करके बढ़ावा देता रहा है। साथ ही, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने महिला अध्ययन केन्द्र और सैल स्थापित करने के लिए 22 विश्वविद्यालयों और 11 कालेजों की सहायता की है। इन केन्द्रों/सैलों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे इन क्षेत्रों में शोध कार्य करेंगे, पाठ्यचर्या तैयार करेंगे और प्रशिक्षण तथा विस्तार कार्य का आयोजन करेंगे: स्त्री–पुरुष समानता, महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता, लड़कियों की शिक्षा, जनसंख्या सम्बन्धी मुद्दे, मानव अधिकार और सामाजिक शोषण सम्बन्धी मुद्दे।

इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी में स्नातक–पूर्व पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के निमित्त विश्वविद्यालयों में 'महिलाओं के लिए प्रौद्योगिकी' नामक एक नई योजना 1998–99 में शुरू की गई।

दूरस्थ शिक्षा

सार्क बालिका दशक की घोषणा को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से ग्रामीण/दूरस्थ क्षेत्रों और शहरी मलिन बस्तियों की लड़कियों के लिए मुक्त स्कूल, दूरस्थ शिक्षा प्रणाली तथा अन्य नवाचारी शैक्षिक कार्यक्रम लागू करने पर अधिक बल दिया गया। यह देखने में आया है कि पत्राचार पाठ्यक्रमों के लाभग्राहियों में लड़कियों का प्रतिशत काफी बड़ा है और वे निजी छात्राओं के रूप में भी परीक्षा में बैठती है।

तकनीकी शिक्षा

पिछले पांच दशकों के दौरान देश में तकनीकी शिक्षा सुविधाओं में जबर्दस्त विस्तार हुआ है क्योंकि तकनीक शिक्षा को मानव संसाधन विकास का एक प्रमुख घटक माना जाता है।

पॉलीटेक्निक शिक्षा

विश्व बैंक से सहायताप्राप्त तकनीकी शिक्षा परियोजना के अधीन पॉलीटेक्निकों में छात्रों की सहभागिता पर बल दिया गया था। यह परियोजना दो चरणों, अर्थात तकनीकी शिक्षा । और तकनीकी शिक्षा ।। के रूप में 19 राज्यों और संघशासित क्षेत्रों में कार्यान्वित की गई थी। पॉलीटेक्निक में छात्राओं की सहभागिता जो कि 1990 में 11 प्रतिशत थी, उसमें अत्यधिक वृद्धि हुई और वह 1999 में बढ़कर 29 प्रतिशत तक पहुंच गई। वर्ष 1998–99 के दौरान विभिन्न राज्यों और संघशासित क्षेत्रों में स्थित पॉलीटेक्निक संस्थानों में नामांकित छात्राओं की संख्या 60,104 थीं जबकि लड़कों की संख्या 2,97,070 थी। सभी छात्र पॉलीटेक्निक बदल

स्तरों और लड़के–लड़की के अनुसार इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी/वास्तुशिल्प में नामांकन

अखिल भारतीय

	1971		1981		1986		1991		1998	
स्तर	लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां
डॉक्टरेट	878	45	1995	169	2207	405	उ. नहीं	उ. नहीं	उ. नहीं	उ. नहीं
स्नातकोत्तर	6704	186	10,792	567	11,229	1271	उ. नहीं	उ. नहीं	उ. नहीं	उ. नहीं
स्नातक	84,025	820	1,11,064	4982	1,69,388	13,061	2,15,081	26,287	2,85,137	57,968
कुल	91,607	1051	1,23,851	5678	1,82,924	14,737	उ. नहीं	उ. नहीं	उ. नहीं	उ. नहीं

सूचनाः NA उपलब्ध नहीं

कर सह–शिक्षा पॉलीटेक्निक बना दिए गए हैं। उपर्युक्त के अलावा, मौजूदा और नए महिला पॉलीटेक्निक में लड़कियों के लिए 9535 अतिरिक्त सीटों की व्यवस्था की गाई है तथा 7085 लड़कियों के रहने के लिए अतिरिक्त छात्रावासों की व्यवस्था की गई है।

सामुदायिक पॉलीटेक्निक

सामुदायिक पॉलीटेक्निकों की योजना का उद्देश्य यह है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों के माध्यम से तथा महिलाओं, अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों तथा समाज के अन्य सुविधाविहीन वर्गों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए कौशलोन्मुखी गैर–औपचारिक प्रशिक्षण के माध्यम से सामुदायिक ग्रामीण उन्नति की जाए। योजना की शुरूआत अर्थात 1978–79 से विभिन्न रोजगारोन्मुखी कौशलों में लगभग 9 लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा 1996–97 में किए गए एक आध्ययन के अनुसार कुल लाभग्राहियों में महिलाओं का अनुपात अनुमानतः 43 प्रतिशत था। अप्रैल 2000 की स्थिति के अनुसार, नितान्त रूप से महिलाओं के लिए देश में सात स्नातक–स्तरीय संस्थान और 116 डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी संस्थान मौजूद थे।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की पहलें

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) ने तकनीकी शिक्षा में और अधिक महिलाओं को शामिल करने के उद्देश्य से तकनीकी शिक्षा में महिलाओं की सहभागिता पर एक बोर्ड का गठन किया हैं। महिलाओं को व्यावसायिक शिक्षा में आकृष्ट करने के लिए छात्रवृत्तियों, शिक्षावृत्तियों आदि जैसे विशेष प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

महिला समाख्या

महिलाओं के लिए शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराना स्वतंत्रता के बाद से शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय प्रयासों का एक महत्त्वपूर्ण अंग रहा हैं। हालांकि इसके कुछ उल्लेखनीय परिणाम रहे हैं, फिर भी विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में और सुविधाविहीन समुदायों के बीच लैंगिक विषमताएं अभी भी अत्यधिक मात्रा में बनी हुई हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 (1992 में यथासंशोधित) महिलाओं की शिक्षा सम्बन्धी नीति के क्षेत्र में इन अर्थों में एक ऐतिहासिक घटनाक्रम है कि इसमें शैक्षिक सुविधाओं की सुलभता और उपलब्धि को लेकर परम्परागत लैंगिक असंतुलनों को दूर करने की आवश्यकता स्वीकार की गई है। यह निर्णय लिया गया कि शिक्षा का प्रयोग महिलाओं की स्थिति में एक आधारभूत बदलाव लाने के एक माध्यम के रूप में किया जाएगा। डच सहायता के साथ 1989 में शुरू किए गए महिला समाख्या कार्यक्रम का उद्देश्य यह था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में निर्दिष्ट लक्ष्यों को साकार किया जाए। महिला समाख्या कार्यक्रम समानता प्राप्त करने के निमित्त महिलाओं को सामर्थ्यवान बनाने में शिक्षा की केन्द्रीय भूमिका को स्वीकार करता है। महिला समाख्या ने एक ऐसी नवाचारी पद्धति अपनाई है जो कि मात्र लक्ष्यों की पूर्ति की बजाए प्रक्रिया पर अधिक बल देती है। यह ऐसा प्रयास करती है कि महिलाएं स्वयं अपने बारे में जो सोचती हैं और महिलाओं की परम्परागत भूमिकाओं के बारे में समाज जैसा सोचता है, उसमें बदलाव लाया जाए।

इस कार्यक्रम के अधीन शिक्षा को प्रश्न करने, मुद्दों और समस्याओं का बारीकी से विश्लेषण करने और समाधान तलाशना सीखने की एक प्रक्रिया के रूप में समझा जाता है। महिला संघ एक ऐसा माहौल निर्मित करने का प्रयास करते हैं जिसमें महिलाएं स्वयं अपनी गति से सीख सकती हैं, अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित कर सकती हैं और विवेकपूर्ण निर्णय लेने के लिए ज्ञान और जानकारी प्राप्त कर सकती हैं। इस प्रयोजन के लिए महिलाओं को (विशेष रूप से सामाजिक और और आर्थिक दृष्टि से सुविधाविहीन और सीमान्त समूहों की महिलाएं) इस योग्य बनाया जाता है कि वे अकेलेपन, आत्मविश्वास की कमी, कठोर सामाजिक रिवाजों और जीने के लिए संघर्ष जैसी समस्याओं की ओर ध्यान दे सकें और उनसे निबट सकें क्योंकि ये सभी समस्याएं उनकी पढ़ाई को बाधित करती हैं। यही वह प्रक्रिया है जिसमें महिलाएं सामर्थ्यवान बनती हैं। सभी राज्यों में स्थित महिला संघों ने निम्न से उभरने वाले मुद्दों/समस्याओं की दिशा में पहलें की हैं:

- दैनिक न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करना;
- नागरिक सुविधाओं में सुधार लाना;

महिला समाख्या कार्यक्रम इन कार्यों में मदद करता है: शिक्षा की बेहतर सुलभता; अध्यापिकाओं और महिलाओं के बीच संबंध स्थापित करना; व्यावसायिक और कौशल विकास के लिए विशेषज्ञतापूर्ण इन्पुट प्रदान करना; ग्राम स्तरीय शैक्षिक प्रक्रियाओं में प्रभावी रूप से भाग लेने के निमित्त महिलाओं की क्षमताओं को सुदृढ़ बनाना।

- अपने स्वास्थ्य पर नियंत्रण प्राप्त करना;
- संसाधनों को सक्रिय रूप से प्राप्त करना और नियंत्रित करना;
- अपने बच्चों, विशेष रूप से लड़कियों के लिए शैक्षिक सुविधाएं सुनिश्चित करना;
- पंचायतों आदि में सहभागिता के माध्यम से राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करना;
- अपनी चिन्ताएं व्यक्त करना और महिलाओं के प्रति हिंसा, बाल विवाह जैसे सामाजिक मुद्दों से निबटना; तथा
- साक्षरता और संख्यात्मक कौशलों के लिए प्रयास करना और उन्हें प्राप्त करना।

महिला संघ वह नोडल बिन्दु होता है जहां सभी क्रियाकलापों की योजना तैयार की जाती है। महिला संघ ऐसा स्थान उपलब्ध कराते हैं जहां महिलाएं मिलकर बैठती हैं और चिन्तन करने, प्रश्न पूछने, निर्भय होकर अपने मन की बात कहने, सोचने, विश्लेषण करने और अपनी आवश्यकताओं को व्यक्त करने तथा उपचारात्मक कार्रवाई के माध्यम से समाधान ढूंढने की प्रक्रिया शुरू करती हैं। संघ के लिए आबंटित निधि महिला संघ के नाम से बचत बैंक/डाकघर खाते में जमा की जा सकती है जिसका महिलाओं द्वारा सामूहिक रूप से तीन वर्षों तक प्रयोग किया जा सकता है। दीर्घकालीन कल्पना ऐसे सशक्त और जीवन्त संघों की स्थापना करना है जिनके भीतर स्वायत्त रूप से काम करने की क्षमता मौजूद हो। ऐसे क्षेत्रों में कार्यक्रम का अब कोई सीधा सम्बन्ध नहीं रहेगा और वह चरणबद्ध रूप में लागू किया जाएगा।

सहयोगिनी दस गांवों के लिए एक प्रमुख कड़ी है और साथ ही प्रेरक, सहयोगी और मार्गदर्शक होती है। वह महिलाओं को प्रेरित और संघों के रूप में संगठित करती है तथा वह दस गांवों और जिला स्तर पर स्थापित शैक्षिक अनुसमर्थन तंत्र और संस्थानों के बीच एक कड़ी होती है। महिला समाख्या कार्यक्रम शैक्षिक सुविधाओं की बेहतर सुलभता जुटाने और इस प्रकार शिक्षा की मांग पैदा करने तथा प्रतियोगात्मक क्षमताओं का सृजन करने और ग्राम स्तरीय शैक्षिक प्रक्रियाओं में प्रभावी रूप से भाग लेने के निमित्त महिलाओं की क्षमताओं को सुदृढ़ बनाने में सहायता करता है। साथ ही, यह कार्यक्रम अध्यापकों और महिला संघों के बीच सम्बन्ध स्थापित करने, व्यावसायिक और कौशल विकास, आमतौर पर लड़कियों की और विशेष रूप से किशोर लड़कियों की शैक्षिक मांगों के लिए विशेष इन्पुट प्रदान करने में भी सहायता करता है। महिला समाख्या कार्यक्रम लैंगिक–संवेदी शिक्षाशास्त्रीय और अधिगम सामग्री विकसित करने का प्रयास करता है।

इस कार्यक्रम के अधीन प्रशिक्षण को एक सतत रूप से चलने वाले क्रियाकलाप के रूप में समझा जाता है। प्रशिक्षक और छात्र के बीच का परम्परागत भेद समाप्त कर दिया जाता है, दोनों सीखने की प्रक्रिया के साथ जुड़ जाते हैं। प्रशिक्षण प्रायोगिक होता है और शुरूआत का बिन्दु वह होता है जहां प्रत्येक व्यक्ति के अनुभवों, क्षमता और संभावनाओं को स्वीकार किया जाता है। कार्यान्वयन की प्रक्रिया से अर्जित अनुभवों को परवर्ती प्रशिक्षण कार्यक्रमों में समाविष्ट कर दिया जाता है। महिलाएं निर्णय लेने, नेतृत्व संभालने और स्वयं अपने भाग्य को बदलने के लिए सामूहिक कार्यनीतियां तैयार करना सीख लेती हैं।

इस कार्यक्रम को सलाह और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए विभाग द्वारा एक राष्ट्रीय संसाधन समूह (एनआरजी) का गठन किया गया है। यह समूह स्वयंसेवी क्षेत्र, महिला आन्दोलन और साथ ही संसाधन और प्रशिक्षण संस्थानों के साथ इस कार्यक्रम का एक महत्त्वपूर्ण तालमेल स्थापित करता है। यह निकाय विभिन्न अवधारणात्मक मुद्दों और चिन्ताओं पर चर्चा करता है, कार्यक्रम के मूल्यांकन पर परामर्श देता है और साथ ही, महिलाओं की शिक्षा से जुड़े नीतिगत विषयों पर भारत सरकार को सलाह भी देता है।

केन्द्र में एक राष्ट्रीय परियोजना निदेशक की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय परियोजना कार्यालय काम करता है जिसमें परामर्शदाता और सहयोगी स्टाफ भी मौजूद रहता है। राज्य में इस कार्यक्रम को एक पंजीकृत स्वायत्त समाख्या सोसायटी के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। राज्य शिक्षा सचिव सोसायटी की कार्यकारी समिति के अध्यक्ष होते है। कार्यकारी समिति, एक अधिकारप्राप्त निकाय होता है और वह विशिष्ट हस्तक्षेपणीय उपायों की गहन परीक्षा सहित प्रशासनिक और वित्तीय निर्णयों से जुड़ी होती है। एक पूर्णकालिक राज्य कार्यक्रम निदेशक (एसपीडी) कार्यकारी समिति का सदस्य–सचिव होता है और वह वित्तीय प्रबन्ध, प्रशासनिक मामलों, कार्यक्रम आयोजना और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होता है। जिला कार्यान्वयन यूनिट (डीआईयू) जिला स्तर पर परियोजना की देखभाल करता है और यूनिट में एक जिला कार्यक्रम समन्वकर्त्ता (डीपीसी), संसाधन व्यक्ति और सहयोगी स्टाफ शामिल रहते हैं। जिन स्थानों पर महिला संघ मजबूत बने हुए हैं, वहां ब्लाक स्तरीय इकाइयां भी स्थापित की जाती हैं।

महिला समाख्या योजना के लिए नौवीं योजना परिव्यय 35 करोड़ रुपए का था जिसमें से अभी तक 18.12 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके है। आशा है कि चालू वित्तीय वर्ष अर्थात 2000–01 के दौरान लगभग 9.00 करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे। इस प्रकार, नौवीं पंचवर्षीय योजना, अर्थात 2001–02 के अंतिम वर्ष के लिए अनुमानतः 11.36 करोड़ रुपए का बजट आकलन उपलब्ध रहेगा।

महिला समाख्या कार्यक्रम के अधीन दिल्ली में 5–8 मार्च 2000 के दौरान एक तीन–दिवसीय संघ मित्र कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें आठ राज्यों से आई 1400 संघों की महिलाओं ने भाग लिया और पिछले दस वर्षो के अपने अनुभवों का आदान–प्रदान करने के साथ–साथ महिला समाख्या कार्यक्रम के भावी रूपों के बारे में भी चर्चा की। यह कार्यशाला इस ढंग से तैयार की गई थी कि पांच अलग–अलग भाषाएं बोलने वाले आठ राज्यों में से प्रत्येक राज्य की ग्रामीण महिलाओं की सहभागिता को सुकर बनाया जा सके। इस कार्यशाला में जिन कुछेक विषयों पर चर्चा की गई है, वे इस प्रकार थेः लड़कियों के लिए शैक्षिक पहलें, सामाजिक और लैंगिक मुद्दे, हिंसा और कानूनी साक्षरता, स्वास्थ्य, बचत सहित आर्थिक अधिकारिता, राष्ट्रीय संसाधन और पर्यावरण, सरकारी और निजी संस्थानों तक पहुंच, पंचायती राज प्रणाली में सहभागिता और आत्मनिर्भरता तथा धारणीयता। इस कार्यशाला में अनुभवों का अन्तर्राज्यीय आदान–प्रदान हुआ और कार्यशाला को शानदार सफलता मिली।

सम्प्रति, महिला समाख्या कार्यक्रम उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, आन्ध्र प्रदेश, केरल, बिहार, मध्य प्रदेश और असम नामक राज्यों के 53 जिलों में 8000 से अधिक गांवों में कार्यान्वित किया जा रहा है। महिला समाख्या कार्यनीति की प्रभावकारिता का परिणाम यह हुआ है कि इसे अन्य बुनियादी शिक्षा परियोजनाओं द्वारा अपना लिया गया है। महिला समाख्या कार्यक्रम को जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का सहयोग प्राप्त है और उसे इस तरह का सहयोग बिहार के 11 जिलों में तथा मध्यप्रदेश और असम–दोनों के 5–5 जिलों में और उत्तरप्रदेश के 8 जिलों में उपलब्ध है। इस कार्यक्रम की स्थापना के बाद के अनुभव से यह पता चलता है कि महिलाओं को प्रेरित और संगठित करने और उन्हें इस योग्य बनाने कि वे अपने जीवन को अपने ढंग से जी सकें – महिला समाख्या प्रणाली एक प्रभावी माध्यम सिद्ध हुआ है। अनेक मूल्यांकन अध्ययनों ने यह दर्शाया है कि महिला समाख्या कार्यक्रम ने ये काम किए हैं:

- साक्षरता के लिए मांग सृजित करने में सहायता प्रदान की है;
- परिवार और समुदाय–दोनों में महिला की पहचान और स्थिति में सुधार लाया गया है;
- महिलाओं को सरकारी आपूर्ति प्रणालियों की जवाबदेही की मांग करने की क्षमता और योग्यता प्रदान की है;
- पंचायती राज निकायों में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाई है; तथा
- लैंगिक दृष्टि से बराबर समाज के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता सम्बन्धी जागरूकता उत्पन्न की है।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ी जातियों, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े अल्पसंख्यकों का शैक्षिक विकास सर्वशिक्षा अभियान की रूपरेखा और कार्यक्रम की कार्यनीतियों में से एक है। अनेक प्रोत्साहन योजनाओं का इन समुदायों के बच्चों के प्रति गहरा ध्यान रहेगा। स्कूल के कामकाज में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के माता-पिता/अभिभावकों की सहभागिता का यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से मानीटरन किया जाएगा कि सभी सामाजिक समूहों, विशेष रूप से सर्वाधिक सुविधाविहीन समूहों द्वारा अभियान का स्वामित्व सुनिश्चित किया जा सके।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसरण में प्रारम्भिक शिक्षा और साक्षरता विभाग तथा माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा विभाग की मौजूदा योजनाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्नलिखित विशेष प्रावधान शामिल किए गए हैं:

- प्राथमिक स्कूल खोलने के निमित्त रियायती मानदण्ड;
- 300 की जनसंख्या की बजाय 200 की जनसंख्या वाली बस्तियों में एक किलोमीटर की दूरी के भीतर एक स्कूल;
- सभी राज्यों में सरकारी स्कूलों में कम से कम उच्च प्राथमिक स्तर तक शिक्षण शुल्क की समाप्ति। अधिकांश राज्यों ने अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए उच्च माध्यमिक स्तर तक शिक्षण शुल्क समाप्त कर दिया है;
- इन समुदायों के छात्रों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें, वर्दी, लेखन सामग्री, स्कूल बैग आदि जैसे प्रोत्साहन दिए जाते हैं;
- प्रारम्भिक शिक्षा तथा साक्षरता विभाग के प्रमुख कार्यक्रम जैसे जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डीपीईपी), लोक जुम्बिश (एलजे), शिक्षा कर्मी (एसके), अनौपचारिक शिक्षा (एनएफई) तथा प्राथमिक शिक्षा को पोषाहार सहायता के राष्ट्रीय कार्यक्रम अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की बहुलता वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हैं;
- भारतीय प्राद्यौगिकी संस्थानों, भारतीय प्रबन्ध संस्थानों, क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, केन्द्रीय विद्यालयों तथा नवोदय विद्यालयों जैसे केन्द्रीय सरकार के उच्च शिक्षा संस्थानों में स्थानों का आरक्षण। विश्वविद्यालयों, कालेजों और तकनीकी संस्थानों में प्रवेश के लिए आरक्षण के अलावा न्यूनतम प्राप्तांकों के प्रतिशत में भी ढील दी जाती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने आरक्षण नीति का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों सहित 103 विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सेल स्थापित किए हैं। इसके अलावा आरक्षण नीति की समीक्षा करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक स्थायी समिति का गठन किया है।
- विभिन्न विषयों में छात्रों के शैक्षणिक कौशलों और भाषागत प्रवीणता में सुधार लाने तथा उनके बोध के स्तर के उन्नयन के निमित्त अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को उपचारी तथा विशेष शिक्षण प्रदान किया जाता है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में एक ऐसी योजना हैं जिसके अन्तर्गत प्रवेश परीक्षा में मामूली अंकों से असफल होने वाले अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को एक वर्ष का तैयारी पाठ्यक्रम प्रदान किया जाता हैं;
- ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभावान छात्रों के लिए माध्यमिक स्तर पर 43,000 छात्रवृत्तियों में से 13,000 छात्रवृत्तियां अनन्य रूप से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए जबकि 70 छात्रवृत्तियां राष्ट्रीय प्रतिभा खोज योजना के अधीन अनन्य रूप से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए आरक्षित होती हैं।
- कनिष्ठ अध्येतावृत्ति (जेआरएफ) परीक्षा के लिए अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों को निर्धारित अंकों में 10 प्रतिशत रिआयत दी जाती है और इस परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सभी उम्मीदवारों को अध्येतावृत्तियां प्रदान की जाती हैं।
- अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के जो उम्मीदवार राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एनईटी) में भाग लेते हैं और व्याख्याता के लिए पात्रता परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर लेते हैं उन्हें सामाजिक विज्ञान सहित विज्ञान और मानविकी में प्रतिवर्ष पचास कनिष्ठ अध्येतावृत्तियां प्रदान की जाती हैं।
- लेक्चरर के रूप में नियुक्ति के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के मामले में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एम.ए. स्तर पर न्यूनतम प्राप्तांकों में 5 प्रतिशत की ढील

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने आरक्षण नीति का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय विश्वविद्यालयों सहित 103 विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सेल स्थापित किए हैं। इसके अलावा आरक्षण नीति की समीक्षा करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक स्थायी समिति का गठन किया है।

देकर 55 प्रतिशत की जगह 50 प्रतिशत कर दिया है। साथ ही राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा में बैठने के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के मामले में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एम.ए. के स्तर पर अपेक्षित न्यूनतम अंकों को भी घटा कर 50 प्रतिशत कर दिया है।

- केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर में अनुसंधान, जनशक्ति विकास, आधुनिक भारतीय भाषाओं में सामग्री विकास के माध्यम से जनजातीय भाषाओं सहित भारतीय भाषाओं के विकास की एक योजना है। संस्थान ने 75 से अधिक आदिवासी और सीमावर्ती भाषाओं पर कार्य किया है।
- एक सौ छियालीस जिले न्यून महिला साक्षरता जिलों के रूप में अभिज्ञात किए गए हैं, जिनमें कार्यक्रमों/स्कीमों के कार्यान्वयन के प्रति केन्द्र और साथ ही राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा अधिक ध्यान दिया जाएगा।
- अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष घटक योजना (एससीपी) तथा आदिवासी उपयोजना (टीएसपी) के अधीन क्रमशः 889.98 करोड़ रुपए तथा 436.54 करोड़ रुपए की राशि का आबंटन किया गया है जो कि कुल परिव्यय का 16.33 प्रतिशत तथा 8.01 प्रतिशत बैठता है।

राष्ट्र सभी को शिक्षा प्रदान करने के प्रति दृढ़ता से प्रतिबद्ध है और उसकी प्राथमिकता के क्षेत्र हैं: निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों का समाकलन, निरक्षरता का उन्मूलन, व्यावसायीकरण, महिलाओं की समानता के लिए शिक्षा, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यकों की शिक्षा पर विशेष बल। राष्ट्रीय शिक्षा नीति और कार्य योजना को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी राज्य और संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों पर है और उसके कार्यान्वयन का अनुश्रवण केन्द्रीय सरकार करती है।

नीति, आयोजना और अनुश्रवण

राष्ट्रीय शिक्षा नीति और कार्य योजना, 1992

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 (एनपीई और कार्ययोजना) (पीओए), जो कि विचार–विमर्श, परामर्श और मतैक्य का परिणाम थी, उसकी 1992 में समीक्षा की गई और उसे अद्यतन बनाया गया। कार्य योजना के प्रस्तावना भाग में कहा गया है कि हमारे राष्ट्र में मौजूद अत्यधिक विविधता को देखते हुए बेहतर होगा यदि प्रत्येक राज्य और संघ शासित क्षेत्र अपने हालात की आवश्यकताओं के हिसाब से और साथ ही कार्य योजना 1992 के अनुरूप एक राज्य कार्ययोजना तैयार करे।

1992 में अद्यतन बनाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई) 1986 में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा सहित सभी क्षेत्रों में शिक्षा में सुधार और उसके विस्तार, शिक्षा की सुलभता से जुड़ी विषमताओं के उन्मूलन और प्राथमिक से लेकर उच्चतर शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षा की गुणवत्ता और प्रासंगिकता में सुधार लाने पर बल दिया गया है। साथ ही इसमें इस बात पर भी बल दिया गया है कि शिक्षा को सामाजिक और क्षेत्रीय असन्तुलनों को सही करने, महिलाओं को सामर्थ्यवान बनाने और भाषायी समूहों तथा अल्पसंख्यकों को न्यायोचित स्थान दिलाने में एक उपयोगी तथा हस्तक्षेपणीय भूमिका अवश्य निभानी होगी।

राष्ट्र, सभी को शिक्षा प्रदान करने के प्रति दृढ़ता से प्रतिबद्ध है और उसकी प्राथमिकता के क्षेत्र हैं: निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों का समाकलन, निरक्षरता का उन्मूलन, व्यावसायीकरण, महिलाओं की समानता के लिए शिक्षा, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यकों की शिक्षा पर विशेष बल। राष्ट्रीय शिक्षा नीति और कार्य योजना को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी राज्य और संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों पर है और उसके कार्यान्वयन का अनुश्रवण केन्द्रीय सरकार करती है। तद्नुसार, कार्य योजना 1992 को सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में 1993 में परिचालित कर दिया गया था, जिसमें उनसे यह कहा गया था कि वे केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (सीएबीई) की 15 अक्तूबर 1993 को हुई 49वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार 31 दिसम्बर 1993 तक स्वयं अपनी राज्य कार्य योजना तैयार कर लें। उपलब्ध सूचना के अनुसार केवल 9 राज्यों/संघशासित क्षेत्रों ने स्वयं अपनी राज्य कार्ययोजनाएं तैयार कर ली है जबकि दो ने राज्य कार्य योजनाओं के मसौदे और चार ने आंशिक राज्य कार्ययोजनाएं तैयार की हैं।

भारत शिक्षा कोष

क्योंकि शिक्षा का सरकारी वित्तपोषण सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद अपर्याप्त रहा है और अभी तक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आय का 6 प्रतिशत हिस्सा अलग रखना संभव नहीं हो पाया है इसलिए वास्तविक मांग और उपलब्ध बजटीय सहायता के बीच के अन्तराल की पूर्ति करने के निमित्त बजटेतर संसाधन जुटाने के लिए सभी सम्बंधितों का सहयोग प्राप्त करने का विचार है। अतः विभिन्न शैक्षिक प्रयोजनों को लिए व्यक्तियों तथा निगमित कार्यालयों, केन्द्रीय और राज्य सरकारों, अनिवासी भारतीयों, तथा पीआईओ से दान/योगदान/स्थायी निधि प्राप्त करने के निमित्त **'भारत शिक्षा कोष'** स्थापित करने का विचार है। इस कोष के लिए योगदान नकद और सामग्री दोनों रूपों में हो सकता है। इस कोष में प्रायोजित करने की भी छूट रहेगी जिसके अधीन कोई भी संगठन अथवा व्यक्ति एक विशिष्ट राशि का भुगतान करके किसी विशेष गांव, कस्बे, शहर, स्कूल, कालेज और यहां तक कि किसी बच्चे को भी प्रायोजित कर सकेगा। किसी निर्धारित योगदान दिए जाने पर स्कूल अथवा कालेज अथवा भवन अथवा उसके किसी ब्लाक का नाम प्रायोजक के नाम पर रखा जा सकता है। इसी प्रकार प्रायोजकों के नाम पर शैक्षिक संस्थानों में पुरस्कार, छात्रवृत्तियां तथा 'पीठ' (चेयर) स्थापित की जा सकती हैं। वर्ष

> **बजटेतर संसाधन जुटाने के निमित्त सभी संबंधितों का सहयोग प्राप्त करने के लिए विभिन्न शैक्षिक प्रयोजनों के वास्ते व्यक्तियों तथा निगमित कार्यालयों, केन्द्रीय और राज्य सरकारों, अनिवासी भारतीयों तथा पीआईओ से दान/योगदान/स्थायी निधि प्राप्त करने के निमित्त 'भारत शिक्षा कोष' स्थापित करने का विचार है।**

2000–01 के बजट में इस कोष के लिए केन्द्रीय सरकार के प्रारम्भिक योगदान के रूप में एक करोड़ रूपये की राशि आबंटित की गई है।

भारतीय शिक्षा सेवा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति और साथ ही उसकी कार्य योजना में राज्य सरकारों के परामर्श से एक अखिल भारतीय सेवा के रूप में भारतीय शिक्षा सेवा (आईईएस) स्थापित किए जाने की बात सोची गई है ताकि शैक्षिक प्रबन्ध में और अधिक व्यावसायिकता लाई जा सके। इस सम्बंध में सामान्य मतैक्य के निमित्त राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के विचार जानने के लिए विभाग उनके साथ सतत सम्पर्क बनाए हुए है। अभी तक 24 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से सूचना प्राप्त हुई है जिनमें से छः ने प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपनी सहमति नहीं व्यक्त की है जबकि दो ने कुछ स्पष्टीकरण मांगे हैं।

सांख्यिकीय एकक

शिक्षा विभाग का सांख्यिकीय एकक, देश में शैक्षिक आंकड़ों के संग्रह, अभिलेखन, संसाधित करने और उनका प्रसार करने के लिए नोडल एजेंसी है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय वार्षिक शैक्षिक आंकड़े, राज्य शिक्षा विभागों के सहयोग से पूर्व–प्राथमिक स्तर से लेकर उच्चतर स्तरों के दस लाख से अधिक संस्थानों को डाक से भेजी गई प्रश्नावलियों के माध्यम से इकट्ठे किए जाते हैं। इन संस्थानों का नियंत्रण केन्द्रीय और राज्य सरकारों के राज्य शिक्षा विभागों तथा अन्य विभागों, स्थानीय निकायों और निजी एजेंसियों के हाथों में रहता है। ये आंकड़े, पहले तो राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों द्वारा अपने अपने अधिकार क्षेत्र में स्थित संस्थानों से सीधे ही जिला और ब्लाक स्तरों पर स्थित उनके कार्यालयों के माध्यम से इकट्ठे किए जाते हैं जिन्हें बाद में राज्य शिक्षा विभागों द्वारा शैक्षिक आंकड़ों के फार्मों की श्रृंखला में समाकलित किया जाता है। राज्यों से इकट्ठे किए गए आंकड़ों के आधार पर सांख्यिकीय एकक कभी कभार निकाले जाने वाले 3–4 प्रकाशनों सहित नौ वार्षिक प्रकाशन निकलता है। आलोच्य वर्ष के दौरान इस एकक द्वारा आठ प्रकाशन निकाले गए और शैक्षिक आंकड़ों की गुणवत्ता में सुधार लाने तथा आंकड़ों के प्रकाशन के बीच लगने वाले अन्तराल को कम करने की दिशा में प्रयास किए गए हैं। तथापि प्रणाली में अन्तर्निहित बाधाएं, समस्याएं बनी हुई हैं।

शैक्षिक आंकड़ों की प्रणाली की समीक्षा करने और शैक्षिक आंकड़ों में सुधार के निमित्त तौर–तरीके सुझाने के लिए शैक्षिक आंकड़ों पर एक सलाहकार समिति गठित की गई है। सलाहकार समिति को आवश्यक सहयोग देने के लिए एक उप–समिति का भी गठन कर दिया गया है। उप–समिति की अन्तिम रिपोर्ट शीघ्र प्राप्त होने की संभावना है। विभाग ने शैक्षिक आंकड़ों के संग्रह, विश्लेषण और आदान–प्रदान के लिए शिक्षा के राष्ट्रीय, राज्य तथा अन्य निम्न स्तरों पर एक राष्ट्रीय नीति रूपरेखा के होने की आवश्यकता के बारे में राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग को अपने विचारों से अवगत करा दिया है। आयोग को मौजूदा प्रणाली को पेश आ रही

ग्राफ 1

1999–2000 के लिए शिक्षा के निमित्त क्षेत्रीय परिव्यय

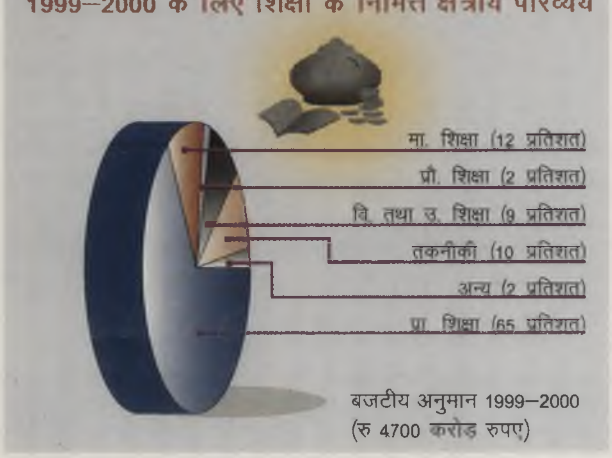

ग्राफ 2

2000–2001 के लिए शिक्षा के निमित्त क्षेत्रीय परिव्यय

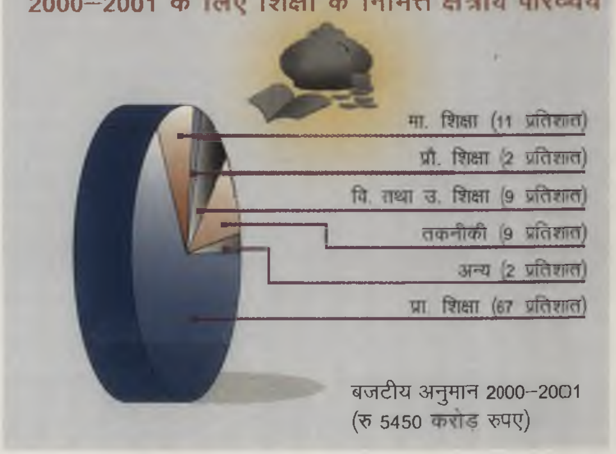

अन्य समस्याओं से भी अवगत कराया गया जैसेकि आंकड़ों के बीच अन्तर, आंकडों की अल्प विश्वसनीयता, दुर्बल आधारिक तंत्र, राज्यों और केन्द्र में अपर्याप्त स्टाफ, शैक्षिक आंकड़ों को कम प्राथमिकता दी जानी आदि।

भारत, ओईसीडी/यूनेस्को द्वारा आयोजित संयुक्त मार्गदर्शी परियोजना के माध्यम से विश्व शिक्षा संकेतक कार्यक्रम में भाग लेता रहा है। यूनेस्को जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को राष्ट्रीय आंकड़ों की आपूर्ति के रूप में आवश्यक सहयोग प्रदान किया गया है।

आयोजना तथा मानीटरिंग एकक

बजट अनुमानों, संशोधित अनुमानों के सन्दर्भ में शैक्षिक आयोजना, योजनागत व्यय का समय पर अनुश्रवण करना तथा यथा निर्धारित मासिक लक्ष्यों के अनुसार वास्तविक खर्च का विश्लेषण इस एकक के प्रमुख क्रियाकलाप हैं। वार्षिक योजना 2000–01 तैयार करने का काम प्रगति पर है।

विभिन्न राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों से बजट दस्तावेज प्राप्त हो गए थे और आंकड़ों का संकलन, विश्लेषण करके उन्हें 1998–99 के लिए शिक्षा के सम्बंध में बजट के अधीन व्यय विश्लेषण के नाम से प्रकाशित किया गया। इस एकक ने 2000–01 सम्बन्धी राज्य योजना चर्चा के दौरान योजना आयोग के साथ गहरा सम्पर्क बनाए रखा।

प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण और प्रौढ़ शिक्षा के सम्बन्ध में 20 सूत्री कार्यक्रम के सूत्र संख्या 10 के वास्तविक लक्ष्यों का अनुश्रवण किया गया। प्रारम्भिक तथा साक्षरता विभाग और माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा विभाग से सम्बन्धित वार्षिक कार्य योजनाएं तैयार की गई और संसदीय स्थायी समिति को प्रस्तुत की गई।

योजनागत स्कीमों से सम्बन्धित सभी विषयों की बाबत इस एकक ने इस मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों योजना आयोग, वित्त मंत्रालय, प्रधान मंत्री का कार्यालय और संसदीय स्थायी समिति के साथ गहरा सम्पर्क बनाए रखा और अनेक समन्वय बैठकें आयोजित कीं।

एक क्षेत्र अधिकारी योजना शुरू की गई है, जिसमें उप सचिव स्तर के किसी अधिकारी को किसी एक राज्य/संघ

ग्राफ 3

1999–2000 तथा 2000–2001 में शिक्षा के लिए केन्द्रीय योजना आबंटन (रु करोड़ में)

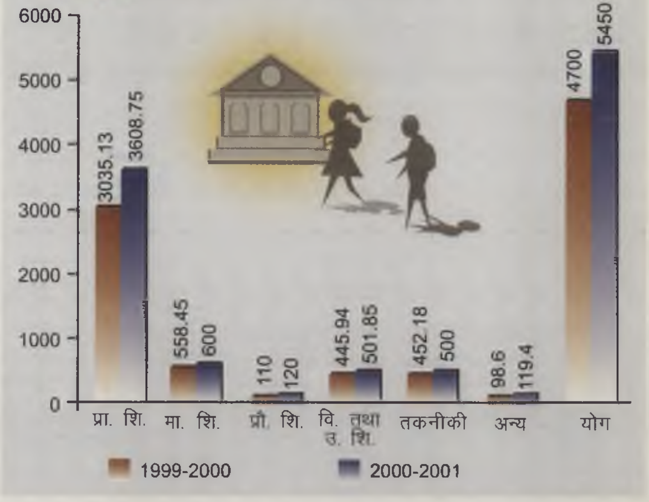

शासित क्षेत्र का प्रभारी बना दिया जाता है। उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह दो महीने में कम से कम एक बार राज्य/संघ शासित क्षेत्र का दौरा करेगा और उस विशेष राज्य/संघ शासित क्षेत्र में विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों की प्रगति का अनुश्रवण करेगा।

जम्मू तथा कश्मीर में शैक्षिक उन्नति

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा जम्मू और कश्मीर के लिए विभिन्न विकासात्मक पैकेजों/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को प्रभावी रूप में समन्वित करने और उसमें तेजी लाने के प्रयोजन से गृह मंत्रालय के जम्मू तथा कश्मीर मामला प्रभाग ने मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में जम्मू तथा कश्मीर पर एक स्थायी समिति और एक कार्यकारी समूह का गठन किया है। प्रारम्भिक शिक्षा और

विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा जम्मू और कश्मीर के लिए विभिन्न विकासात्मक पैकेजों/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को प्रभावी रूप में समन्वित करने और उसमें तेजी लाने के प्रयोजन से गृह मंत्रालय के जम्मू तथा कश्मीर मामला प्रभाग ने मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में जम्मू तथा कश्मीर पर एक स्थायी समिति और एक कार्यकारी समूह का गठन किया है।

साक्षरता विभाग तथा माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा विभाग इस समिति के सदस्य विभाग हैं।

स्थायी समिति की दूसरी बैठक दिसम्बर 8, 2000 को आयोजित की गई थी। शिक्षा के क्षेत्र से सम्बन्धित मदों पर अनुवर्ती कार्रवाई पर चर्चा की गई।

मानवाधिकार शिक्षा

संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपने 23 दिसम्बर 1994 के संकल्प के अधीन 1995–2004 को मानवाधिकार शिक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र दशक घोषित किए जाने तथा कार्य योजना को अक्तूबर 1995 में अन्तिम रूप दे दिए जाने के अनुसरण में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने क्षेत्रीय कार्य योजना तैयार करने के लिए सम्बन्धित मंत्रालयों के साथ बैठकें आयोजित कीं। गृह मंत्रालय के तत्त्वावधान में एक राष्ट्रीय समन्वय समिति और कार्यदल स्थापित कर लिए गए हैं। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने विशेष सचिव (जम्मू तथा कश्मीर मामले) की अध्यक्षता में एक प्रारूपण समिति स्थापित की है जो कि राष्ट्रीय कार्य योजना का एक प्रारूप तैयार करेगी जिसे अन्तिम रूप दिए जाने के लिए समन्वय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। शिक्षा विभाग इस समिति का एक कोर सदस्य है। कार्य योजना को अन्तिम रूप देने के लिए प्रारूपण समिति कीं क्रमशः 13 अक्तूबर 1999, 25 जनवरी 2000 और 29 मई 2000 को तीन बैठकें आयोजित की गईं।

कार्य योजना में भूतपूर्व शिक्षा विभाग के सम्बन्ध में निम्न मदें सम्मिलित हैं:

- मानव अधिकारों के तत्त्वों के समावेशन के लिए स्कूली पाठ्यचर्या का पुनःअनुस्थापन;
- मीडिया अनुप्राणन कार्यक्रम का निर्माण;
- विश्वविद्यालयों और कालेजों में स्नातकपूर्व स्तरों पर आधारिक पाठ्यक्रमों में मानव अधिकारों के तत्त्व;
- विश्वविद्यालयों में मानव अधिकारों के सम्बंध में विशेषज्ञतापूर्ण पाठ्यक्रम और कार्यक्रम;
- ब्रिटिश काउंसिल के सहयोग से मानव अधिकार शिक्षा के लिए एक संसाधन सामग्री किट का निर्माण करना;
- अध्यापक शिक्षा के कार्यक्रमों में मानव अधिकार शिक्षा सम्बन्धी विशेष इन्पुटों का समावेश;
- दूरस्थ अधिगम के लिए मानव अधिकारों के सम्बंध में पाठ्यक्रम सामग्री और श्रव्य–दृश्य कार्यक्रमों का निर्माण;
- महिला अधिकार, बाल अधिकार आदि जैसे विषयों पर गैर–सरकारी संगठनों के सहयोग से साम्मान्य जागरूकता उत्पन्न करना;
- अध्यापकों के लिए पुस्तिकाएं तैयार करना और इन पुस्तिकाओं का अन्य सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं में अनुवाद कराना; तथा
- सार्वजनिक वितरण के लिए मानव अधिकार संबन्धी मूल प्रपत्रों से युक्त पुस्तिकाएं निकालना
- कार्य योजना के कार्यान्वयन के लिए एक समय

ग्राफ 4

2000–2001 के लिए प्रमुख स्कीमों का परियोजना परिव्यय (केन्द्र)

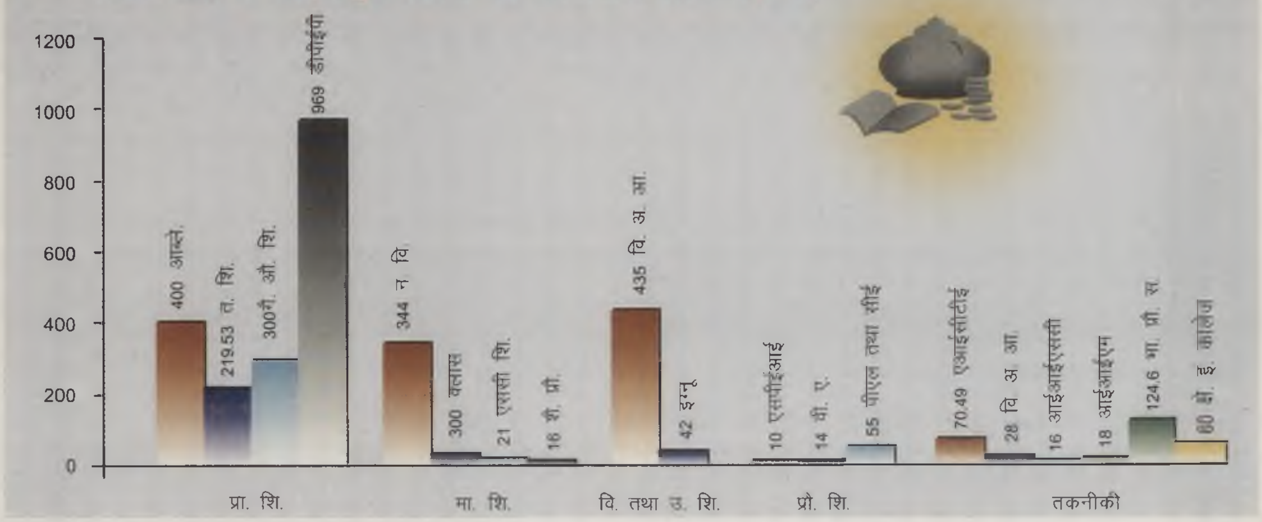

सीमा और अनुश्रवण तंत्र तैयार करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ समय–समय पर बैठकें आयोजित की जाती हैं।

राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना और प्रशासन संस्थान (नीपा)

राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना और प्रशासन संस्थान (नीपा) मानव संसाधन विकास मंत्रालय के माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा स्थापित और पूर्णतया वित्तपोषित एक स्वायत्त संगठन हैं। इस संस्थान के उद्देश्य इस प्रकार हैं: शैक्षिक आयोजना और प्रशासन में अनुसन्धान को बढ़ावा देना, इस क्षेत्र में प्रशिक्षण और परामर्शी सेवाएं प्रदान करना, केन्द्र और राज्य के प्रमुख कार्मिकों और वरिष्ठ प्रशासकों को प्रशिक्षित तथा अनुस्थापित करना और अन्य एजेंसियों के साथ सहयोग करना, विशेष रूप से एशियाई क्षेत्र के दूसरे देशों को शैक्षिक आयोजना और प्रशासन में प्रशिक्षण और अनुसंधान की सुविधाएं सुलभ कराना और अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए लेख, पत्रिकाएं और पुस्तकें तैयार और प्रकाशित करना है। संस्थान का उद्देश्य यह भी है कि वह शैक्षिक आयोजना और प्रशासन के क्षेत्र में दूसरे देशों के साथ अपने अनुभवों और विशेषज्ञता का आदान प्रदान करे और तुलनात्मक अध्ययन करे।

वर्ष 2000–2001 के दौरान जनवरी 2001 के अन्त तक 33 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे और वित्तीय वर्ष के समाप्त होने से पहले 23 और कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

संकाय ने राष्ट्रीय, राज्य और संस्थानगत स्तर के निकायों को और मानव संसाधन विकास मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राज्य शिक्षा विभाग, राज्य उच्च शिक्षा परिषद, एससीईआरटी, एसआईईएमटी साथ ही और यूनेस्को, यूनिसेफ, विश्व बैंक और सीडा जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों को परामर्शी तथा व्यावसायिक सहयोग प्रदान किया।

संस्थान में शैक्षिक आयोजना और प्रशासन तथा अन्तः विषयक्षेत्रीय विषयों में एक सुनियोजित पुस्तकालय/प्रलेखन केन्द्र मौजूद है। यह पुस्तकालय एशियाई क्षेत्र में शैक्षिक आयोजना तथा प्रबन्ध के क्षेत्र में एक सर्वाधिक समृद्ध पुस्तकालय होने का दावा कर सकता है। यह पुस्तकालय अन्तःपुस्तकालय उधार पद्धति के माध्यम से ये सभी सुविधाएं संकाय, शोध छात्रों तथा विभिन्न कार्यक्रमों के सहभागियों को उपलब्ध कराता है। पुस्तकालय में वाचनालय सुविधाएं सभी के लिए सुलभ हैं। पुस्तकालय में 52,620 से अधिक पुस्तकें हैं, 380 पत्र–पत्रिकाएं मंगाई जाती हैं तथा पुस्तकों और लेखों का एक कम्प्यूट्रीकृत सूची–पत्र भी है।

शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के लिए अध्यापकों, संगोष्ठियों, मूल्यांकन आदि की योजना

इस योजना का उद्देश्य, पात्र संस्थानों और संगठनों को प्रत्येक प्रस्ताव के गुण–दोष के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करना है ताकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रबन्ध और कार्यान्वयन को सीधे प्रभावित करने वाले बहुविध कियाकलापों का वित्तपोषण किया जा सके। इस प्रकार के कियाकलापों में पद्धति को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से संगोष्ठियों और कार्यशालाओं का प्रायोजन, प्रभाव और मूल्यांकन अध्ययनों का आयोजन तथा सबसे बढ़िया विकल्पों और माडलों के बारे में सरकार को सलाह देने के निमित्त परामर्शी कार्य शामिल होंगे।

योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्त वर्ष 1999–2000 में संशोधित कर दिए गए हैं। संशोधित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार इस योजना के अधीन वित्तीय सहायता में ये बातें शामिल होंगी: पारिश्रमिक तथा परियोजना स्टाफ को यात्रा भत्ते दैनिक भत्ते का भुगतान, लेखन सामग्री और मुद्रण, आवास स्थान का किराया तथा अन्य आकस्मिकाएं जैसेकि डाक खर्च आदि। सामान्यतः प्रत्येक परियोजना के लिए अध्ययनों/मूल्यांकनों के निमित्त

वर्ष 2000-2001 के दौरान जनवरी 2001 के अन्त तक नीपा द्वारा 33 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे तथा वित्तीय वर्ष के समाप्त होने से पहले 23 और कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

ग्राफ 5

2000–2001 के लिए क्षेत्र–वार योजनागत परिव्यय (केन्द्र)

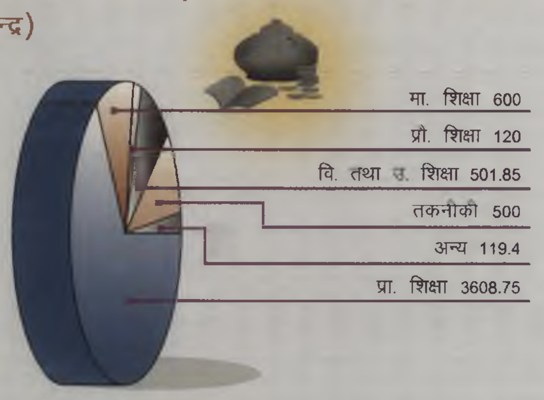

सहायता की अधिकतम सीमा 5 लाख रुपये होगी। राष्ट्रीय सम्मेलन/संगोष्ठी पर खर्च की अधिकतम सीमा 3 लाख रुपये और अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों (अथवा व्यापक अन्तर्राष्ट्रीय सहभागिता सहित) के मामले में यह सीमा 5 लाख रुपये होगी।

2000–2001 के दौरान मध्य फरवरी 2001 तक 20 संगोष्ठियां/सम्मेलन/अध्ययन/मूल्यांकन आदि के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता मंजूर की जा चुकी है और वित्तीय वर्ष के अन्त तक 10 और संगोष्ठियां/सम्मेलनों/अध्ययनों/मूल्यांकनों के निमित्त वित्तीय सहायता मंजूर किए जाने की संभावना है।

पूर्वोत्तर राज्यों में शैक्षिक उन्नति के लिए की गई नई पहलों में उस क्षेत्र में व्यय में वृद्धि लाना और यह सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा सचिवों की एक समिति स्थापित करना शामिल है कि क्षेत्र को आबंटित संसाधनों का बेहतर प्रयोग हो सके तथा क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र को पेश आ रही समस्याओं के सम्बंध में एक साफ तस्वीर प्राप्त की जा सके।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में शैक्षिक उन्नति

सरकार की नीति के अनुसरण में माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा विभाग 1999–2000 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र (एन ई आर) में इस क्षेत्र के योजना बजट के अधीन खर्चे में 17.09 प्रतिशत की वृद्धि लाने में सफल हो पाया था। यह वृद्धि 10 प्रतिशत वृद्धि के निर्धारित स्तर से उच्चतर है। वित्तीय वर्ष 2000–01 में भी 10 प्रतिशत के लक्ष्य की पूर्ति की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं।

यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तर पूर्व (सी ई एस) शिक्षा सचिवों की एक समिति स्थापित की गई है कि क्षेत्र को आबंटित संसाधनों का बेहतर प्रयोग हो सके तथा क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र को पेश आ रही समस्याओं के संबंध में एक साफ तस्वीर प्राप्त की जा सके। इस समिति की बैठक 12 जून, 2000 को हुई जिसमें निम्नानुसार कुछ मुद्दे अभिज्ञात किए गए:

- अन्तिम परिणामों में सुधार लाने के निमित्त मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन विभिन्न संगठनों द्वारा चलाई जा रही व्यावसायिक शिक्षा की योजनाओं के बीच अभिसरण लाने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे;
- प्रधान मंत्री के पैकेज के अधीन सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) द्वारा तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की संशोधित 'क्लास' योजना के अधीन उत्तर पूर्वी राज्यों के स्कूलों को कम्प्यूटर उपलब्ध कराने की योजनाओं की बाबत भी इस प्रकार के प्रयास किए जाएंगे; तथा
- केन्द्रीय विश्वविद्यालयो की निर्णय लेने की प्रक्रिया में राज्य सरकारों को सहयोजित करने की दिशा में प्रयास किए जाने चाहिए।

योजना आयोग की संसाधनों के अव्यपगत केन्द्रीय पूल को शासित करने वाली अन्तःमत्रालयी समिति ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र में शैक्षिक आधारिक सुविधाओं में सुधार के निमित्त 1999–2000 के लिए 329.65 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन प्रस्तावों का सम्बन्ध मुख्यतः इनके साथ है: आईआईटी, गुवाहाटी; एनईआरआईएसटी; उत्तर पूर्व के चार केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तथा इग्नू की आधारिक सुविधाओं में सुधार लाना, जिसमें स्टाफ क्वार्टरों, शैक्षणिक भवनों, छात्रावास भवनों, पुस्तकालय भवनों, प्रशासनिक भवनों का निर्माण करना और प्रयोगशाला उपकरण, पुस्तकों आदि की खरीद शामिल है। इग्नू के प्रस्ताव में अएजवाल, इम्फाल, अगरतला, ईटानगर, कोहिमा तथा गंगटोक में छः नएं क्षेत्रीय केन्द्र खोलना शामिल है। ऐसा करने से इग्नू को एनईआर के सभी आठों राज्यों में आधार मिल जाएगा। इग्नू का इन क्षेत्रीय केन्द्रों में कम्प्यूटर प्रयोगशालाएं स्थापित करने का भी विचार है। राज्य क्षेत्र में स्वीकृत किए गए प्रस्तावों में ये प्रस्ताव शामिल हैं: प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में क्लासरूमों की संख्या में वृद्धि, स्कूलों में शौचालयों की व्यवस्था, अधूरे स्कूल भवनों के काम की पूर्ति, लड़के और लड़कियों के लिए छात्रावासों, पॉलीटेक्निकों; कम्प्यूटर प्रयोगशालाएं आदि।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के समाजार्थिक विकास के लिए प्रधान मंत्री की कार्यसूची में शामिल एक अन्य पहल का सम्बन्ध मिजोरम में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना और उसके विकास के लिए 25 करोड़ रुपए के आबंटन के साथ है। नया विश्वविद्यालय स्थापित करने से सम्बन्धित विधेयक को संसद ने अपनी स्वीकृति दे दी है और उसे 25 अप्रैल 2000 को राष्ट्रपति का अनुमोदन भी प्राप्त हो गया है। विश्वविद्यालय के प्रमुख कार्मिकों के चयन और भर्ती की दिशा में कार्रवाई शुरू की जा चुकी है।

ऐसा महसूस किया गया है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में शिक्षा के विकास की दिशा में केन्द्रीय सरकार द्वारा किए जा रहे विशेष प्रयासों की बाबत इस क्षेत्र में जानकारी की कमी है। माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा विभाग ने, विशेष रूप से उत्तर–पूर्व के लिए गणराज्य दिवस के अवसर पर एक छोटे से सूचना–पत्र का प्रथम अंक प्रकाशित किया। इस सूचना पत्र का उद्देश्य इस क्षेत्र

योजना आयोग की संसाधनों के असमाप्य केन्द्रीय पूल को शासित करने वाली अन्तःमंत्रालयी समिति ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में शैक्षिक आधारिक सुविधाओं में सुधार के निमित्त 1999–2000 के लिए 329.65 करोड़ रूपए के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है।

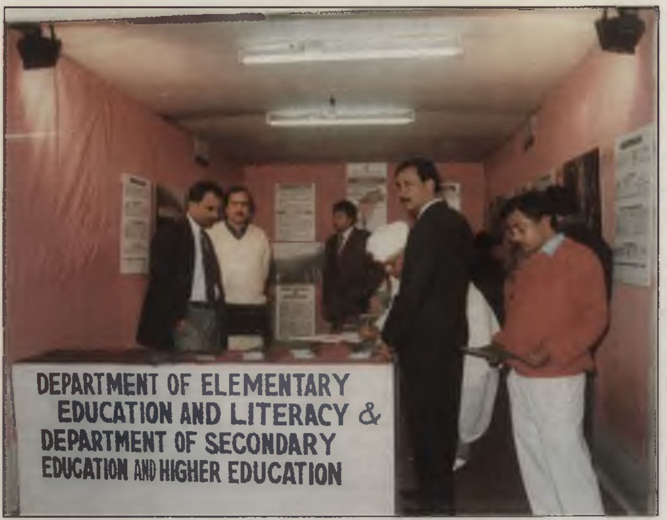

सिलीगुडी में आयोजित पूर्वोत्तर मेले में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का स्टाल

में शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे क्रियाकलापों/कार्यक्रमों पर प्रकाश डालना है। इस सूचना–पत्र को मतनिर्माताओं, अर्थात मुख्य मंत्रियों, मंत्रियों, संसद सदस्यों, विधायकों, सचिवों, विश्वविद्यालयों के विभागाध्यक्षों, उप–कुलपतियों के बीच व्यापक रूप से प्रसारित किए जाने का विचार है।

गृह मंत्रालय द्वारा नागालैण्ड के बोडोलैण्ड, मोन, त्वेनसांग जिलों में और मणिपुर के तमेंगलांग जिले में जिला और क्षेत्र–आधारित विशेष विकास संगोष्ठियां आयोजित की गई हैं जिनमें माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा उल्लेखनीय योगदान दिया गया है। विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा बारम्बार दौरों के माध्यम से इस क्षेत्र के साथ अधिक गहरा और जीवन्त सम्बन्ध स्थापित किया जा रहा है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 9 से 21 दिसम्बर 2000 के दौरान सिलीगुडी में आयोजित उत्तर–पूर्वी मेले में भाग लिया और इस मौके पर उत्तर–पूर्वी राज्यों और सिक्किम की शैक्षिक रूपरेखा और साथ ही उत्तर–पूर्वी क्षेत्र के शैक्षिक विकास के निमित्त भारत सरकार द्वारा की गई पहलों का वर्णन करने वाला एक पैवेलियन स्थापित किया। आगन्तुकों ने बहुत बड़ी संख्या में यह पैवेलियन देखा और सभी ने उत्तर–पूर्व में शैक्षिक परिदृश्य के बारे में जनता के लिए उपलब्ध कराई गई सूचना प्रदाय व्यवस्था की आमतौर पर सराहना की।

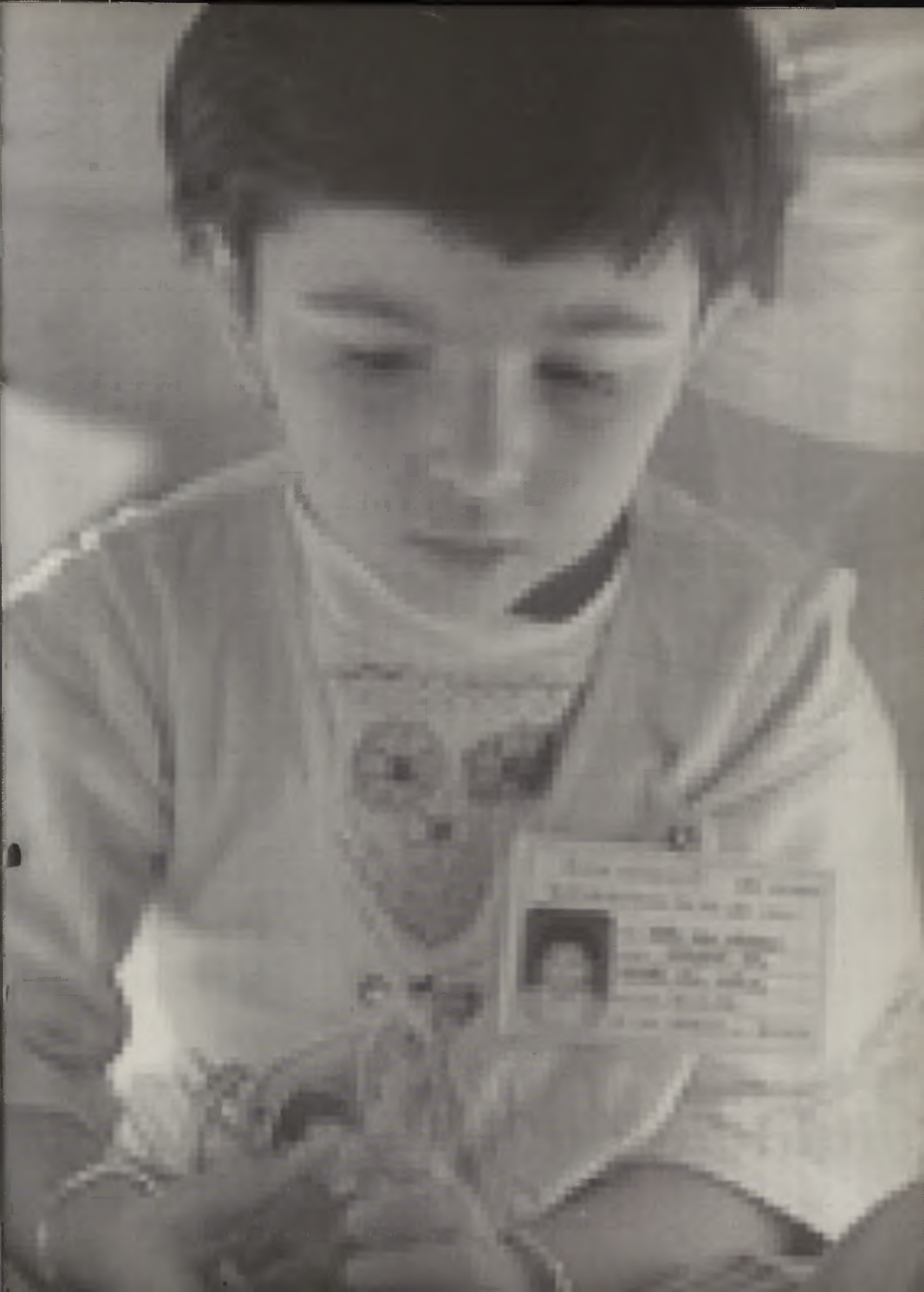

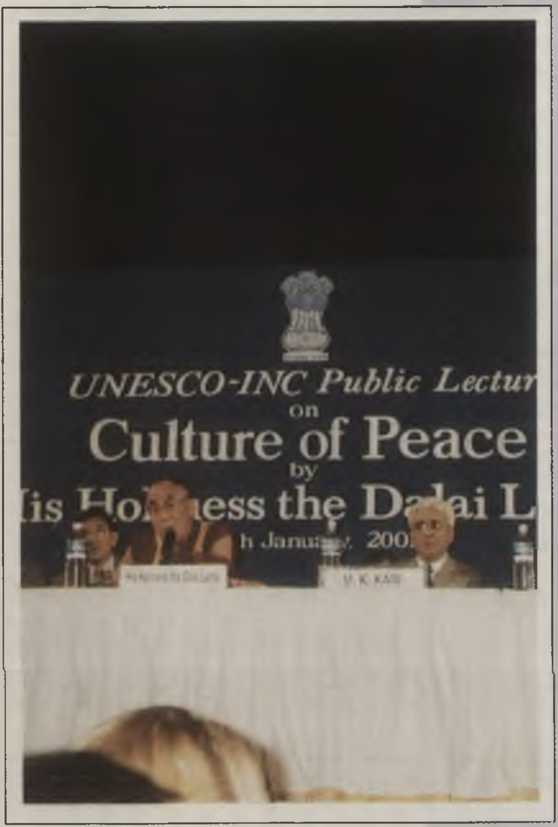

भारत एक सक्रिय भूमिका निभा रहा है और अपने आदर्शों तथा लक्ष्यों को बढ़ावा दे रहा है। यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग (आई.एन.सी.सी.यू.) के सचिवालय ने भारत में सभी के लिए शिक्षा (ईएफए) 2000 मूल्यांकन प्रक्रिया का समन्वय किया। आई.एन.सी.सी. यू. अपने विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से शांति-संस्कृति के संदेश के प्रचार-प्रसार में भी एक सक्रिय भूमिका का निर्वाह कर रहा है।

अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

प्रस्तावना

भारत में यूनेस्को प्रभाग, यूनेस्को के साथ देश के सम्बन्धों का समन्वय करता है। साथ ही, यह प्रभाग विदेशी शैक्षणिक सम्बन्धों तथा आरोविल्ले प्रतिष्ठान अधिनियम, 1988 के अधीन स्थापित आरोविल्ले प्रतिष्ठान नामक एक स्वायत्त संगठन से सम्बन्धित कामकाज का भी समन्वय करता है।

भारत यूनेस्को का एक संस्थापक सदस्य है। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की एक घटक इकाई हैं जिसकी स्थापना 1946 में की गई थी। यूनेस्को का मुख्य लक्ष्य 'लोगों के मन में शान्ति की रक्षा' संबंधी अवधारणा का सृजन करना है और इस लक्ष्य की प्राप्ति मुख्य रूप से शिक्षा के माध्यम से हो सकती है। यूनेस्को के आदर्शो और लक्ष्यों को बढ़ावा देने में भारत एक सक्रिय भूमिका निभाता रहा है और उसका पेरिस में यूनेस्को को प्रत्यायित एक स्थायी प्रतिनिमण्डल मौजूद है। सम्प्रति सुश्री नीलम डी सब्बरवाल यूनेस्को में भारत की स्थायी प्रतिनिधि हैं।

यूनेस्को के शासी मण्डल की बैठकों में साहभागिता

यूनेस्को के शासी मण्डल में यूनेस्को के महासम्मेलन द्वारा चुने गए 58 सदस्य हैं। भारत को इस बात का अनूठा गौरव प्राप्त है कि वह शासी बोर्ड की स्थापना के वर्ष, अर्थात 1946 से ही इस बोर्ड का सतत रूप से सदस्य रहा है।

बोर्ड की एक वर्ष में दो बार बैठकें आयोजित की जाती हैं और प्रत्येक बैठक दो सप्ताह चलती है। ये बैठकें पेरिस में आयोजित की जाती हैं। इन बैठकों में 1998 से श्री मुचकुन्द दुबे भारत का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। इन बैठकों से सम्बन्धित सारा खर्च यूनेस्को द्वारा वहन किया जाता है। चालू वर्ष में बोर्ड की दोनों अर्थात 159वीं और 160वीं बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं (9–25 मई 2000 तथा 2–25 अक्तूबर 2000)।

यूनेस्को के महासम्मेलन में सहभागिता

यूनेस्को के महासम्मेलन का आयोजन हर दूसरे वर्ष किया जाता है और यह महासम्मेलन अन्य बातों के साथ–साथ आगामी द्विवार्षिकी के सम्बन्ध में यूनेस्को कार्यक्रम और बजट को अनुमोदित करता है। भारत, महासम्मेलन में सहभागिता हेतु उच्च अधिकारप्राप्त प्रतिनिधिमण्डल भेजता है। यूनेस्को के इस महासम्मेलन का 30वां सत्र 26 अक्तूबर से 17 नवम्बर 1999 के दौरान आयोजित किया गया तथा 31वां सत्र अक्तूबर–नवम्बर 2000 के बीच पेरिस में आयोजित किया जाएगा।

यूनेस्को के बजट में योगदान

यूनेस्को के प्रत्येक सदस्य देश द्वारा दिए जाने वाले वित्तीय योगदान को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाए गए आकलन के आधार पर प्रतिवर्ष यूनेस्को के महासम्मेलन द्वारा स्वीकृत किया जाता है। यूनेस्को के 30वें महासम्मेलन द्वारा वर्ष 2000 के लिए भारत का अंशदान संगठन के समग्र बजट का 0.405 प्रतिशत निर्धारित किया गया। तदनुसार, भारत ने वर्ष 2000 के लिए अपने योगदान के रूप में 4.31 करोड़ रुपए का भुगतान किया जिसमें से 1.25 करोड़ रुपए का भुगतान पिछले वर्ष के बजट में से किया गया था। वर्ष 2001 के लिए अंशदान में भारत का हिस्सा यूनेस्को के कुल बजट का 0.452 प्रतिशत तय किया गया है। अगले वर्ष के लिए योगदान के 25 प्रतिशत का भुगतान चालू वर्ष के बजट में से किया जाना जरूरी है जो कि अभी किया जाना बाकी है। यूनेस्को के महानिदेशक द्वारा अपने सदस्य देशों से विशिष्ट उद्देश्यों के लिए योगदान दिए जाने के बारे में अपील किए जाने पर भारत सरकार स्वैच्छिक योगदान भी देती है। वर्ष 2000 के दौरान भारत ने, अन्तर्राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना संस्थान (आईआईईपी), यूनेस्को, पेरिस के लिए 4.56 लाख रुपए का स्वैच्छिक योगदान दिया है।

यूनेस्को का मुख्य लक्ष्य 'लोगों के मन में शान्ति की रक्षा' सम्बन्धी अवधारणा का सृजन करना है और इस लक्ष्य की प्राप्ति मुख्यरूप से शिक्षा के माध्यम से हो सकती है। यूनेस्को को आदर्शो और लक्ष्यों को बढ़ावा देने में भारत एक सक्रिय भूमिका निभाता रहा है और उसका पेरिस में यूनेस्को को प्रत्यायित एक स्थायी प्रतिनिधि मण्डल मौजूद है।

भारत नई दिल्ली स्थित यूनेस्को के क्षेत्रीय कार्यालय के किराए के लिए 75,000 रुपए प्रतिमाह की दर से भी योगदान देता है। वर्ष 2000 के लिए भारत 9.00 लाख रुपए का भुगतान कर चुका है।

'यूनेस्को हाउस' का निर्माण

नई दिल्ली में यूनेस्को कार्यालय तथा यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग के कार्यालय को नई दिल्ली में स्थान देने के निमित्त 'यूनेस्को हाउस' के निर्माण के लिए मंत्रालय को चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में एक भूखण्ड प्रदान किया गया है। भवन के डिजाइन का काम श्री सतीश गुजराल को सौंपा गया है।

भारत में यूनेस्को पीठों की स्थापना

यूनेस्को ने विकासशील देशों में उच्च शिक्षा की सहायतार्थ विशेष बल देते हुए अन्तर–विश्वविद्यालयी सहयोग को सुदृढ़ बनाने के निमित्त शैक्षिक एकात्मकता के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कार्ययोजना और आन्दोलन के रूप में यूनिटविन/यूनेस्को पीठ कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि समूचे विश्व में उच्च शिक्षा और वैज्ञानिक संस्थानों के बीच सशक्त और स्थायी सम्बन्ध स्थापित किए जाएं और सुदृढ़ बनाए जाएं।

सम्प्रति, भारत में निम्न पीठें मौजूद हैं:

- इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र, जनपथ, नई दिल्ली – 110001 में जनपद सम्पदा प्रभाग में सांस्कृतिक विकास में यूनेस्को पीठ;
- एम.एस. स्वामीनाथन शोध प्रतिष्ठान, चेन्नई – 600113 में यूनेस्को पीठ/नेटवर्क;
- दूरस्थ पद्धति के माध्यम से अध्यापक शिक्षा तथा निदेशक, शिक्षा स्कूल, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, मैदान गढ़ी, नई दिल्ली . 110068 में यूनेस्को पीठ;
- विश्व शान्ति केन्द्र, महाराष्ट्र इंजीनियरी और शैक्षिक अनुसन्धान अकादमी, महाराष्ट्र प्रौद्योगिकी संस्थान, पुणे – 411038 में शान्ति, मानव अधिकार और लोकलन्त्र में यूनेस्को पीठ;
- भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर में जैव–प्रौद्योगिकी में यूनेस्को पीठ; तथा
- मणिपाल उच्चतर शिक्षा अकादमी, मणिपाल में शान्ति और अहिंसा संस्कृति की प्रोन्नति के लिए यूनेस्को पीठ।

जनवरी 1998 में भारत के दौरे के समय यूनेस्को के महानिदेशक ने इन क्षेत्रों में चार आवर्ती पीठों की घोषणा की थी: (i) जैव–प्रौद्योगिकी; (ii) सामाजिक नृ–विज्ञान; (iii) औषधन्पाध्य; तथा (iv) सांस्कृतिक अस्थिता। जैव–प्रौद्योगिकी सम्बन्धी पीठ पहले ही स्थापित की जा चुकी है। शेष तीन पीठों की स्थापना की दिशा में पत्र–व्यवहार किया जा रहा है।

यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग

शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक मामलों में रुचि रखने वाले अपने प्रमुख निकायों को यूनेस्को के कार्य के साथ जोड़ने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 1949 में यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग (आईएनसीसीयू) की स्थापना की थी। इस आयोग में इन क्षेत्रों से सम्बन्धित पांच उप–आयोग शामिल हैं: शिक्षा, संस्कृति, संचार, सामाजिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान। मानव संसाधन विकास मंत्री आयोग के अध्यक्ष हैं और सचिव (माध्यमिक शिक्षा तथा उच्चतर शिक्षा) आयोग के पदेन महासचिव हैं। यूनेस्को प्रभाग के प्रभारी संयुक्त सचिव आयोग के पदेन महा उप–सचिव हैं। निदेशक, यूनेस्को प्रभाग आयोग के सचिव के रूप में काम करते हैं। आयोग के सदस्यों की कुल संख्या 100 है जिनमें से 50 व्यक्तिगत और 50 संस्थागत सदस्य हैं जिन्हें पांच उप–आयोगों में समान संख्या में विभाजित कर दिया जाता है। सदस्यता का कार्यकाल चार वर्ष है। आयोग का मुख्य काम यूनेस्को से सम्बन्धित सभी मामलों पर सरकार को सलाह देना है। यह आयोग यूनेस्को के कामों में, विशेष रूप से यूनेस्को सचिवालय और साथ ही एशिया और प्रशान्त महासागर क्षेत्र के राष्ट्रीय आयोगों के सहयोग से अपने कार्यक्रमों के निर्माण और निष्पादन में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता रहा है।

शिक्षा, संस्कृति, सामाजिक विज्ञान, संचार तथा प्राकृतिक विज्ञानों के क्षेत्रों में उप–आयोगों की बैठकें दिसम्बर 2000 – जनवरी 2001 के दौरान आयोजित की गई। आयोग के पूरे निकाय की एक बैठक निकट भविष्य में आयोजित करने का भी प्रस्ताव है ताकि उपआयोग की सिफारिशों पर विचार किया जा सके और हमारी राष्ट्रीय चिन्ता के क्षेत्रों में इन विशिष्ट परियोजनाओं/प्रस्तावों को अन्तिम रूप दिया जा सके जिससे कि उन्हें मध्यावधिक कार्यनीति 2001–07 में और 2002–03 के लिए यूनेस्को के आगामी द्विवार्षिकी कार्यक्रम और बजट में शामिल किया जा सके।

आयोग के क्रियाकलाप

सभी के लिए शिक्षा-मूल्यांकन 2000

1990 में जोमितीयन, थाइलैण्ड में सभी के लिए शिक्षा पर पहली बार आयोजित विश्व सम्मेलन में बुनियादी अधिगम आवश्यकताओं की पूर्ति करने के निमित्त कार्रवाई की रूपरेखा अपनाई गई थी जिसमें यूनेस्को के सदस्य देशों ने सभी के लिए बुनियादी शिक्षा प्रदान करने का वचन दिया था। जोमितीयन शिखर सम्मेलन की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में यूनेस्को ने सभी सदस्य देशों से सभी के लिए शिक्षा (ईएफए) के लक्ष्य की पूर्ति की दिशा में की गई समग्र प्रगति और इसके मार्ग में आई बाधाओं के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा था। तदनुसार, सभी के लिए शिक्षा – मूल्यांकन 2000 पर सभी के लिए शिक्षा विषयक अन्तर्राष्ट्रीय परामर्शी मंच ने विचार किया। इस मंच के सदस्य इस प्रकार हैं: यू.एन.डी.पी., यूनिसेफ, यू.एन.एफ.पी.ए., यूनेस्को और विश्व बैंक। मंच ने सभी के लिए शिक्षा के मूल्यांकन के निमित्त सदस्य देशों की सहायता के लिए 1999–2000 के लिए सामान्य मार्गनिर्देश तैयार किए।

भारतीय राष्ट्रीय आयोग के सचिवालय ने भारत में सभी के लिए शिक्षा–मूल्यांकन 2000 प्रक्रिया का समन्वय किया। इस आशय का विचार व्यक्त किया गया कि इस मूल्यांकन का कार्यक्षेत्र इतना विस्तारित किया जाए कि इसमें बुनियादी शिक्षा के सभी पक्षों को शामिल कर लिया जाए। सभी के लिए शिक्षा–मूल्यांकन 2000 के सम्बन्ध में भारत देश की रिपोर्ट के अलावा, आयोग के सचिवालय और नीपा ने भारत में ई.एफ.ए. के विभिन्न पक्षों के बारे में 25 उप–क्षेत्रीय अध्ययन शुरू किए जाने की पहल की जिनके माध्यम से पिछले दशक के दौरान हाथ में ली गई परियोजनाओं, कार्यक्रमों और योजनाओं से उभरने वाले बहुविध अनुभवों को समाहित करने का प्रयास किया जाएगा।

सभी के लिए शिक्षा–मूल्यांकन 2000 की परिस्थिति विश्व शिक्षा मंच क रूप में हुई जिसका आयोजन अप्रैल 2000 में डकर, सेनेगल में हुआ जिसमें श्री महाराज कृष्ण काव, सचिव (माध्यमिक शिक्षा तथा उच्चतर शिक्षा), श्री अभिमन्यु सिंह, तत्कालीन संयुक्त सचिव (यूनेस्को) तथा डा• आर गोविन्दा, वरिष्ठ फेलो, नीपा ने भाग लिया। सन् 2000 तक सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य की पूर्ति करने का जो निर्णय जोमितीयन शिखर सम्मेलन में लिया गया था और जो पूरा नहीं हो सका था, इसलिए उसके सम्बन्ध में डकर मंच ने 2015 तक सभी के लिए शिक्षा का लक्ष्य तय किया है। डकर में सभी के लिए शिक्षा के निमित्त एक विश्वव्यापी ''कार्रवाई की रूपरेखा'' अपनाई गई।

यूनेस्को का सहभागिता कार्यक्रम

अपने सहभागी कार्यक्रम के अन्तर्गत यूनेस्को, सदस्य देशों की विभिन्न संस्थाओं को ऐसी नवाचारी परियोजनाएं हाथ में लेने के लिए सीमित वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जो कि यूनेस्को के उद्‌देश्यों के कार्यान्वयन में राष्ट्रीय, उप–क्षेत्रीय और अंतःक्षेत्रीय स्तरों पर योगदान देंगी। 2000–2001 की द्वि–वार्षिकी के लिए आई.एन.सी.सी.यू. ने भारत के 14 प्रस्ताव अनुशंसित किए हैं जिनमें

भारतीय राष्ट्रीय आयोग के सचिवालय ने भारत में सभी के लिए शिक्षा मूल्यांकन 2000 प्रक्रिया का समन्वय किया। भारत देश की रिपोर्ट के अलावा सचिवालय और नीपा ने भारत में ई.एफ.ए. के विभिन्न पक्षों के बारे में 25 उप-अध्ययन शुरू किए और इस प्रकार पिछले दशक में शुरू की गई परियोजनाओं, कार्यक्रमों और योजनाओं से उभरने वाले बहुविध अनुभवों को समाहित किया गया।

से 31 जनवरी 2001 तक 90,000 अमरीकी डालर की वित्तीय सहायता वाले पांच प्रस्तावों को यूनेस्को का अनुमोदन मिल चुका है।

यूनेस्को कूपन कार्यक्रम

शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों और संस्थाओं को विदेशी मुद्रा और आयात नियंत्रण सम्बन्धी औपचारिकताएं पूरी किए बिना शैक्षिक प्रकाशनों, वैज्ञानिक उपकरणों, शैक्षिक फिल्मों आदि से सम्बन्धित अपनी जायज आवश्यकताओं के लिए विदेशों से आयात के लिए तैयार की गई अन्तर्राष्ट्रीय कूपन योजना को भारतीय राष्ट्रीय आयोग ने संचालित करना जारी रखा। आई.एन.सी.सी.यू. द्वारा जनवरी से दिसम्बर 2000 की अवधि के दौरान कुल मिलाकर 3000.70 अमरीकी डालर मूल्य के यूनेस्को कूपनों की बिक्री की गई।

एशिया तथा प्रशान्त महासागर क्षेत्र में एसीसीयू फोटो प्रतियोगिता

यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग, यूनेस्को के लिए एशिया/प्रशान्त महासागर सांस्कृतिक केन्द्र, टोक्यो, जापान द्वारा आयोजित फोटो प्रतियोगिताओं में भारतीय फोटोग्राफरों की सहभागिता का समन्वय करता रहा है। 'लिविंग इन हारमोनी' विषय पर वर्ष 2000 में आयोजित एसीसीयू फोटो प्रतियोगिता में 11 भारतीय फोटोग्राफरों को पुरस्कार प्राप्त हुए।

शांति की संस्कृति घोषणा पत्र 2000 पर गांधी जयन्ती के अवसर पर मेघालय के मुख्यमंत्री तथा प्रतिपक्ष के नेता द्वारा हस्ताक्षर किए गए

'यूनेस्को कूरियर' का प्रकाशन

'यूनेस्को कूरियर' यूनेस्को द्वारा प्रकाशित एक शैक्षिक और सांस्कृतिक पत्रिका है। आइएनसीसीयू यूनेस्को के 18,420 अमरीकी डालर के आंशिक योगदान से यूनेस्को कूरियर के हिन्दी और तमिल संस्करणों के प्रकाशन में सहयोग देता है। तमिल संस्करण के ग्राहकों की संख्या 3502 है तो हिन्दी संस्करण के ग्राहक 1035 हैं। हिन्दी संस्करण के ग्राहकों की संख्या में वृद्धि की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। 'यूनेस्को कूरियर' के हिन्दी और तमिल संस्करणों के प्रकाशन के लिए चालू वर्ष में 40.00 लाख रुपए का बजट प्रावधान था जो कि संशोधित आकलन स्तर पर संशोधित करके 50.00 लाख रुपए कर दिया गया है।

अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए शिक्षा

यूनेस्को, एसोसिएटेड स्कूल प्रोजेक्ट (एएसपी नेट) नामक एक परियोजना चला रहा है। एसोसिएटेड स्कूल्स ऐसे शैक्षणिक संस्थान होते हैं जो कि अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना सहयोग और शान्ति के लिए शिक्षा सम्बन्धी क्रियाकलाप करने के निमित्त एसोसिएटेड स्कूल परियोजना में भाग लेने के लिए सीधे ही यूनेस्को सचिवालय के साथ जुड़े होते हैं। आईएनसीसीयू की सिफारिश पर भारत के 43 स्कूल और अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान इस परियोजना के अधीन यूनेस्को के साथ जुड़ चुके हैं। आईएनसीसीयू में लगभग 253 यूनेस्को क्लब और 268 एसोसिएटेड स्कूल पंजीकृत हैं जिनके लिए आईएनसीसीयू राष्ट्रीय समन्वयकर्ता एजेंसी है।

आलोच्य वर्ष में यूनेस्को प्रभाग, यूनेस्को के नई दिल्ली स्थित कार्यालय के सहयोग से और यूनेस्को क्लबों, एसोसिएटेड स्कूलों, अन्य स्कूलों और गैर–सरकारी संगठनों को सहयोजित करते हुए भारत के विभिन्न भागों में एड्स का निवारण/एचआईवी सम्बन्धी जागरूकता पर आठ कार्यशालाएं आयोजित करेगा।

एमएईईआर का एमआईटी, पूणे स्थित विश्व शान्ति केन्द्र, शान्ति की संस्कृति के घोषणा पत्र 2000 का एक भागीदार और सन्देशवाहक बन गया है। उन्होंने सितम्बर 2000 तक 10,000,000 हस्ताक्षर इकट्ठे करने के निमित्त विशाल हस्ताक्षर अभियान चलाया हैं।

शान्ति-संस्कृति अन्तर्राष्ट्रीय वर्ष

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2000 को शान्ति–संस्कृति अन्तर्राष्ट्रीय वर्ष तथा 2001–2010 तक के दशक को विश्व के लिए शान्ति और अहिंसा की संस्कृति की प्रोन्नति विषयक अन्तर्राष्ट्रीय दशक घोषित किया था। फलतः, यूनेस्को ने अपने सभी नेटकाम देशों से ऐसे अनेक क्रियाकलाप आयोजित करने को कहा जो कि शान्ति संस्कृति के सन्देश का प्रचार–प्रसार करने में योगदान दे सकें।

शांति–संस्कृति वर्ष समूचे विश्व में 14 सितम्बर 1999 (अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति दिवस के रूप में नामित) से शुरू किया गया था जो कि 20वीं शताब्दी में संयुक्त राष्ट्र महासम्मेलन के अन्तिम सत्र का पहला दिन था। भारत में आईवाईसीपी के उद्घाटन के उपलक्ष्य में आईएनसीसीयू और यूनेस्को के नई दिल्ली स्थित कार्यालय ने इस दिन संयुक्त रूप से एक कार्यक्रम आयोजित किया। शान्ति–संस्कृति के पक्ष में एक आन्दोलन शुरू करने के प्रयोजन से विभिन्न यूनेस्को क्लब, एसोसिएटेड स्कूल्स और अन्य संगठन तभी से समारोह आयोजित करते रहे हैं।

भारत में अन्तर्राष्ट्रीय शांति–संस्कृति वर्ष में ब्रह्म कुमारियों ने 11 अप्रैल 2000 से सहयोग देना आरम्भ किया था। ब्रह्म कुमारियां घोषणा–पत्र 2000 में सम्मिलित छः मूल्यों की बाबत रंग–बिरंगे बैनरों, चार्टों ओर निदर्शनात्मक तस्वीरों का प्रयोग करके शान्ति–संस्कृति (सीओपी) के सन्देश का प्रसार कर रही हैं। पिछले सात महीनों में 4000 स्वयंसेवकों के एक कार्यदल के सहारे उन्होंने घोषणा–पत्र 2000 के लिए अकेले भारत में 3.50 करोड़ से अधिक हस्ताक्षर इकट्ठा करने का विश्व रिकार्ड स्थापित किया है।

आयोग की सलाह पर लुधियाना स्थित गुरू गोबिन्द सिंह अध्ययन मण्डल ने 17 जून 2000 को शान्ति–संस्कृति पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया। उपर्युक्त के अलावा, केन्द्रीय विद्यालय, भेल, हरिद्वार ने भी विद्यालय में विभिन्न क्रियाकलापों का आयोजन करके अन्तर्राष्ट्रीय शांति–संस्कृति वर्ष मनाया।

राजस्थान के उपराज्यपाल शांति–संस्कृति घोषणा–पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए

साथ ही, सभी राज्य सरकारों ने 2 अक्तूबर 2000 (गांधी जयन्ती) को शान्ति–संस्कृति अन्तर्राष्ट्रीय वर्ष (आईवाईसीपी) मनाया और राज्यों के राज्यपालों तथा मुख्यमंत्रियों सहित बड़ी–बड़ी हस्तियों ने शान्ति–संस्कृति घोषणा–पत्र पर हस्ताक्षर किए।

आईएनसी व्याख्यान माला

शान्ति–संस्कृति अन्तर्राष्ट्रीय वर्ष उपलक्ष्य में भारतीय राष्ट्रीय आयोग (आईएनसी) ने आईएनसी व्याख्यान माला के अधीन भारत में कुछेक व्याख्यान आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस श्रृंखला का पहला व्याख्यान इंडिया हैबिटेट सेंटर, लोदी रोड, नई दिल्ली में 30 जनवरी 2001 को शान्ति–संस्कृति विषय पर महान संत दलाईलामा द्वारा दिया गया था।

दक्षिणी एशियाई क्षेत्र के राष्ट्रीय आयोगों की बैठक

द्विवार्षिकी 1998–99 के लिए यूनेस्को के सहभागिता कार्यक्रम के अधीन यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग आईएनसीसीयू ने सभी के लिए शिक्षा और यूनेस्को की क्षमता और अनुभवों का आदान–प्रदान करने के निमित्त उप–क्षेत्रीय सहयोग के क्षेत्रों पर चर्चा करने के लिए दक्षिणी एशियाई क्षेत्र के नेटकामों को, सद्भावना एवं अध्ययन दौरों पर आमंत्रित किया है। इन अध्ययन दौरों का उद्देश्य इन नैटकामों के साथ संबंधों को मजबूत करना और सदस्य देशों में यूनेस्को की उपस्थिति को बढ़ाने संबंधी विचारों का आदान–प्रदान करना था।

यूनेस्को तथा उसके क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रायोजित संगोष्ठियों, कार्यकारी समूहों की बैठकों में सहभागिता

यूनेस्को तथा उसके क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रायोजित विभिन्न राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय कार्यशालाओं/प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों/संगोष्ठियों/कार्यकारी समूहों की बैठकों में भाग लेने के लिए आईएनसीसीयू ने जनवरी 31, 2001 तक माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के 13 अधिकारियों तथा अन्य संगठनों/राज्य सरकारों/गैर–सरकारी संगठनों आदि के 19 विशेषज्ञों को प्रायोजित किया गया है।

विदेशों के साथ शैक्षिक सम्बन्ध

भारत ने अनेक देशों के साथ द्वि–पक्षीय सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रम (सीईपी) सम्पन्न किए है, जिनमें महत्त्वपूर्ण शिक्षा घटक भी शामिल है। यूनेस्को प्रभाग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), एनसीईआरटी, छात्रवृत्ति प्रभाग, नीपा आदि जैसी एजेन्सियों के कार्य का समन्वय करता है और माध्यमिक तथा उच्चतर शिक्षा विभाग से सम्बन्धित सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रमों के प्रावधानों के कार्यान्वयन का अनुश्रवण करता है।

विदेशी प्रतिनिधियों के दौरे

यूनेस्को प्रभाग, मंत्रालय के स्तर पर भारत में विदेशी प्रतिनिधिमण्डलों के दौरों का समन्वय करता है और इसके पीछे उद्देश्य यह रहता है कि भारत और आगंतुक देशों के बीच द्वि–पक्षीय सम्बन्धों को सुदृढ़ बनाया जाएं। आलोच्य वर्ष के दौरान मंगोलिया, चीन लोक गणराज्य, युगाण्डा, सेशेल्स से गणमान्य व्यक्तियों ने रूसी संघ के उपप्रधान मंत्री तथा म्यामां के विदेश उप मंत्री ने भारत की यात्रा की। इसके अतिरिक्त यूनेस्को के सहायक महानिदेशक (शिक्षा) प्रो. जैक्स हल्लाक, तथा आई.आई.आर.ए., पेरिस के निदेशक गुडमंड हेर्नेर भी भारत यात्रा पर आए।

यूनेस्को प्रभाग, माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा मानव विभाग के मंत्रालयी प्रतिनिधिमण्डलों के दौरों का भी समन्वय करता है। आलोच्य वर्ष के दौरान माननीय संसाधन विकास मंत्री ने हैलीपैक्स, कनाडा में 27–30 नवम्बर 2000 के दौरान आयोजित राष्ट्रमण्डल शिक्षा मंत्रियों के 14वें सम्मेलन में भाग लिया तथा 3–8 नवम्बर 2000 को सद्भावना के रूप में चीन लोक गणराज्या में गए एक प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व किया।

आरोविल्ले प्रतिष्ठान

श्री अरबिन्द की एक शिष्या 'मां' द्वारा 1968 में स्थापित आरोविल्ले तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले में पांडिचेरी के बाहरी छोर पर स्थित एक अन्तर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक नगर है जिसमें भारत सहित 30 विभिन्न देशों के 1580 लोग एक समुदाय के रूप में मिलकर रहते हैं और अपने आपको सांस्कृतिक, शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा मानवीय एकता के प्रति लक्षित अन्य क्रियाकलापों में व्यस्त रखते हैं।

यूनेस्को ने 1968 में पारित एक संकल्प द्वारा अपने सदस्य देशों और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों को आरोविल्ले के एक अन्तर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक नगर के रूप में विकसित करने में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था। अन्तर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक नगर इस ढंग से तैयार किया गया है कि मानव की और आध्यात्मिक आवश्यकताओं के अनुरूप समाकलित जीवन स्तरों सहित विभिन्न संस्कृतियों के मूल्यों को इकट्ठा रखा जाए।

इस नगर का विकास यूनेस्को सहित भारत में और भारत से बाहर स्थित विभिन्न संगठनों और साथ ही केन्द्रीय और राज्य सरकारों के अनुदानों के रूप में प्राप्त निधियों की सहायता से किया गया है। 1980 तक नगर के विकास के लिए निधियां पांडिचेरी में स्थित श्री अरबिन्दों सोसायटी नामक एक गैर–सरकारी संगठन के माध्यम से दी जाती थीं।

श्री अरबिन्दो सोसायटी के प्रबन्ध में गंभीर अनियमितताओं को देखते हुए यह आवश्यक समझा गया कि केन्द्रीय सरकार द्वारा सोसायटी का प्रबन्ध एक सीमित अवधि के लिए अपने हाथ में ले लिया जाए। आरोविल्ले (आपातकालीन प्रावधान) अधिनियम, 1980 (1980 का 59) अधिनियमित किए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई।

आरोविल्ले के बेहतर प्रबन्ध तथा और आगे उन्नति के लिए जनहित में यह आवश्यक समझा गया कि आरोविल्ले में उपक्रमों का अधिग्रहण करके उन्हें इस प्रयोजन के लिए स्थापित आरोविल्ले प्रतिष्ठान नामक एक निगमित निकाय को सौप दिया जाए। आरोविल्ले प्रतिष्ठान अधिनियम, 1988 के माध्यम से यह प्रक्रिया पूरी कर ली गई। इसके बाद से आरोविल्ले का प्रबन्ध आरोविल्ले प्रतिष्ठान के सुपुर्द कर दिया गया है जिसने एक दशक से अधिक समय से आरोविल्ले के प्रशासन का काम सफलतापूर्वक निष्पादित किया है।

आरोविल्ले प्रतिष्ठान अधिनियम की धारा 10(3) के अनुसार प्रतिष्ठान में (क) एक शासी बोर्ड; (ख) निवासियों की एक सभा; तथा (ग) आरोविल्ले अन्तर्राष्ट्रीय सलाहकार परिषद सम्मिलित है। आरोविल्ले प्रतिष्ठान के नौ सदस्यों वाले शासी बोर्ड का डा॰ किरीट जोशी की अध्यक्षता में 5 अप्रैल 1999 को पुनर्गठन कर दिया गया है।

इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, भारत सरकार स्थापना, अनुरक्षण और आरोविल्ले के विकास सम्बन्धी खर्चों की पूर्ति करने के लिए प्रतिष्ठान को अनुदान प्रदान करती है। चालू वित्तीय वर्ष (फरवरी 2001 तक) के दौरान प्रतिष्ठान को योजनेतर शीर्ष के अधीन 47.50 लाख रुपए की राशि मंजूर की जा चुकी है। योजनागत खर्चे के अधीन 40.00 लाख रुपए पहले ही प्रदान किए जा चुके हैं और शेष राशि चालू वित्तीय वर्ष में प्रदान कर दी जाएगी।

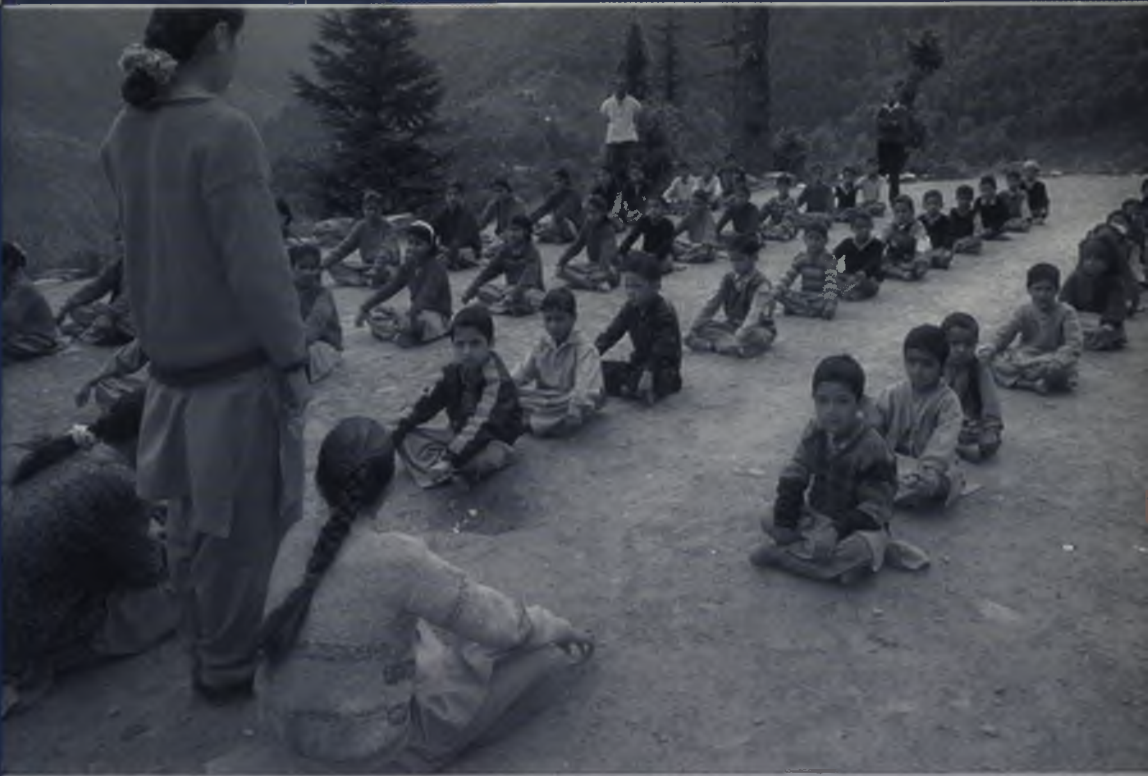

प्रारम्भिक शिक्षा और साक्षरता विभाग

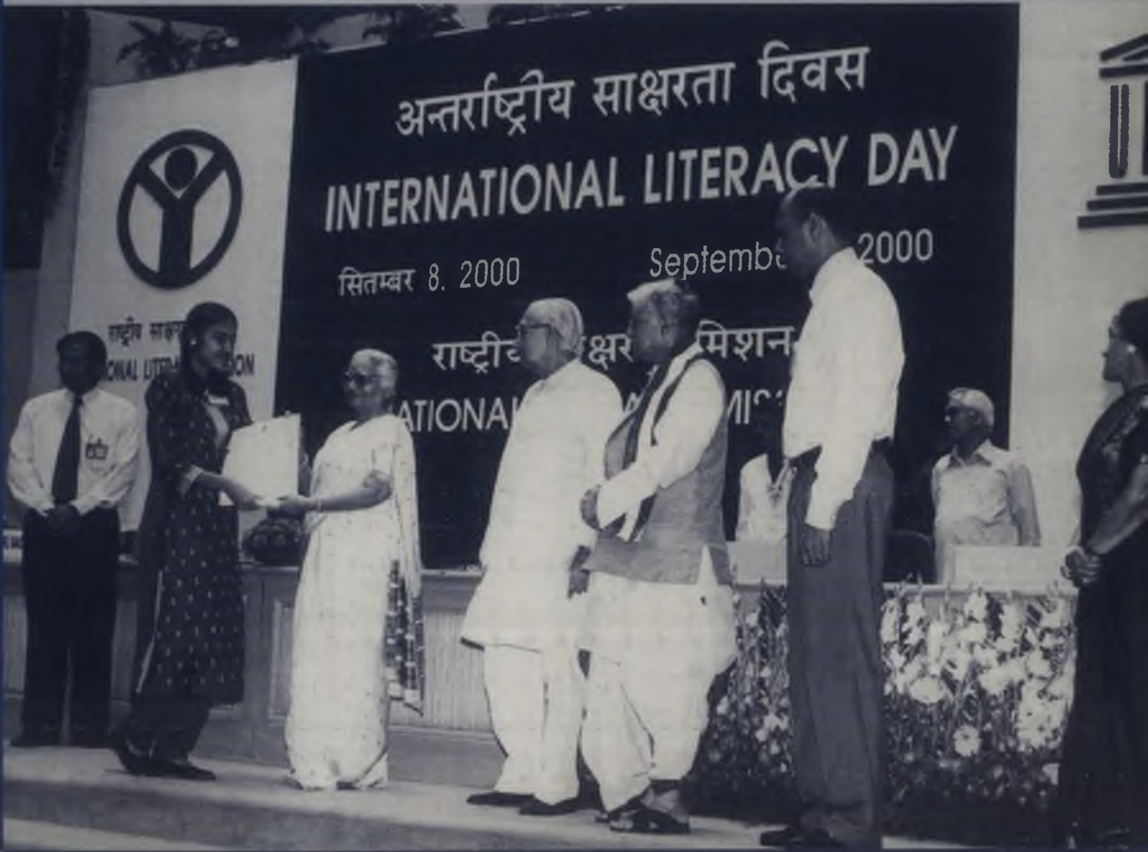

अनेक प्रयासों के फलस्वरूप भारत ने प्रारम्भिक शिक्षा में स्कूलों, अध्यापकों और छात्रों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि की है। लेकिन देश अभी तक प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण का लक्ष्य पूरा नहीं कर सका है जिसका अर्थ है बच्चों का शत प्रतिशत नामांकन और बच्चों को स्कूलों में बनाए रखना और सभी बस्तियों में स्कूली सुविधाओं की उपलब्धता। इसी कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान की शुरूआत की है।

प्रारम्भिक शिक्षा

स्वातन्त्र्योत्तर शिक्षा नीति का एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व यह रहा है कि सभी बच्चों को कम से कम प्रारम्भिक स्तर की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। हमारे संविधान में यथानिर्दिष्ट राज्य नीति के निर्देशात्मक सिद्धांतों में यह परिकल्पना की गई है कि राज्य 10 वर्षों की अवधि के भीतर 14 वर्ष तक की आयु के बाच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की दिशा में प्रयास करेगा। संवैधानिक निदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई) 1986 और कार्ययोजना (1992) में सुस्पष्ट और प्रभावी रूप से व्यक्त किया गया हैं। नीति में यह परिकल्पना की गई है कि 21वीं शताब्दी के आरम्भ होने से पूर्व 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को उत्तम स्तर की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए।

नौवीं पंचवर्षीय योजना में प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वसुलभीकरण के बारे में यह परिकल्पना की गई थी कि शैक्षिक सुविधाओं की सुलभता, बच्चों को शिक्षा में बनाए रखने तथा उपलब्धि को लेकर शत–प्रतिशत लक्ष्य की पूर्ति की जाएगी। यद्यपि इन लक्ष्यों की पूर्ति की दिशा में काफी प्रगति की गई है, फिर भी यदि हम यह चाहते हैं कि नौवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लक्ष्य की पूर्ति की जाए, तो और अधिक कठोर तथा सतत प्रयास करने होंगे।

वर्तमान परिदृश्य

अत्यधिक प्रयासों के फलस्वरूप भारत ने प्रारम्भिक शिक्षा में स्कूलों, अध्यापकों और छात्रों की संख्या में बहुत अधिक प्रगति की है। देश में स्कूलों की जो संख्या 1950–1951 में 2,31,000 थी उसमें चार गुना की वृद्धि हुई और 1998–99 तक वह बढ़कर 9,30,000 तक पहुंच गई। इसी प्रकार प्राथमिक शिक्षा चक्र में नामांकन में लगभग छह गुना की वृद्धि हुई है वह 1.92 करोड़ से बढ़कर 11.0 करोड़ तक पहुंच गया। उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन में 13 गुना की वृद्धि हुई जबकि लड़कियों के नामांकन में 32 गुना की रिकार्ड वृद्धि हुई। प्राथमिक स्तर पर सकल नामांकन दर (जीईआर) 100 प्रतिशत को पार कर गई है। स्कूलों की सुलभता अब कोई समस्या नहीं रह गई है। प्राथमिक स्तर पर देश की ग्रामीण जनसंख्या में से 94 प्रतिशत को एक किलोमीटर की दूरी के भीतर और उच्च प्राथमिक स्तर पर 84 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या को तीन किलोमीटर की दूरी के भीतर स्कूली सुविधाएं सुलभ हैं।

प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में देश ने शानदार प्रगति का परिचय दिया है। फिर भी इस स्थिति का एक अन्य पक्ष यह है कि 6–14 आयु वर्ग के 20 करोड़ बच्चों में से 4.2 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर बने हुए हैं। शिक्षा बीच में छोड़ने वालों की उच्च दर, अधिगम उपलब्धि के न्यून स्तर तथा लड़कियों, जनजातियों और अन्य सुविधाविहीन वर्गों की न्यून सहभागिता से जुड़ी समस्याएं बनी हुई हैं। अभी भी देश में लगभग एक लाख ऐसी बस्तियां हैं जिनमें एक किलोमीटर की दूरी के भीतर स्कूली सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसी के साथ जुड़े हुए अनेक प्रणालीगत मुद्दे भी हैं जैसे कि अपर्याप्त स्कूली आधारभूत सुविधाएं, असन्तोषपूर्ण ढंग से काम कर रहे स्कूल, अध्यापकों का बड़े पैमाने पर अनुपस्थित रहना, अध्यापकों की रिक्तियों की विशाल संख्या, शिक्षा का घटिया स्तर और अपर्याप्त निधियां।

संक्षेप में कहें तो देश अभी तक प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण का लक्ष्य पूरा नहीं कर सका है जिसका अर्थ होगा बच्चों का शत प्रतिशत नामांकन, बच्चों को स्कूलों में बनाए रखना और सभी बस्तियों में स्कूली सुविधाओं की उपलब्धता। इसी कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान की शुरूआत की है।

पिछले वर्षों में की गई प्रगति

नीचे दी गई तालिका से प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण की दिशा में पिछले कुछ वर्षों का बेहतर निष्पादन परिलक्षित होता है:

	1951	1999
कुल नामांकन (दस लाख में)	22.3	151.2
लड़कियों का नामांकन (दस लाख में)	5.9	64.5
प्राथमिक स्तर पर लड़कियों का नामांकन	28%	44%
प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल	2,23,000	8,17,000
अध्यापकों की संख्या	6,24,000	31,82,000
सकल नामांकन दर (प्राथमिक)	60%	100%
सकल नामांकन दर (उच्च प्राथमिक)	20%	66%

सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए)

सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) राज्यों के सहयोग से एक समयबद्ध एकीकृत पद्धति के माध्यम से प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण (यूईई) के लक्ष्य की चिरवांछित पूर्ति की दिशा में एक ऐतिहासिक प्रयास है। देश में प्रारम्भिक शिक्षा क्षेत्र की तस्वीर बदल देने के लिए प्रतिबद्ध सर्वशिक्षा अभियान का उद्देश्य यह है कि 2010 तक 6–14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को उपयोगी और उत्तम स्तर की शिक्षा प्रदान की जाए।

सर्व शिक्षा अभियान स्कूली प्रणाली के निष्पादन में सुधार लाने की आवश्यकता स्वीकार करने और मिशन पद्धति से सामुदायिक स्वामित्व की उत्तम स्तर की प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में एक प्रयास है। इस अभियान में लैंगिक और सामाजिक विषमताओं को कम करने की बात भी सोची गई है।

सर्वशिक्षा अभियान के उद्देश्य

- 2003 तक सभी बच्चे स्कूलों, शिक्षा आश्वासन केंद्रों, वैकल्पिक स्कूलों अथवा वापस स्कूल चलो शिविरों में होंगे।
- सभी बच्चे 2007 तक पांच वर्षों की प्रारम्भिक शिक्षा पूरी कर लेंगे।
- सभी बच्चे 2010 तक आठ वर्षों की प्रारम्भिक शिक्षा पूरी कर लेंगे।
- जीवन के लिए शिक्षा पर बल देते हुए संतोषजनक स्तर के प्रारम्भिक शिक्षा की ओर ध्यान केन्द्रित करना।
- प्राथमिक स्तर पर 2007 तक तथा प्रारम्भिक स्तर पर 2010 तक सभी लैंगिक और सामाजिक श्रेणीगत विषमताएं समाप्त करना; तथा
- 2010 तक यह सुनिश्चित करना कि सभी बच्चे शिक्षा में बने रहें।

यह प्रणाली सामुदायिक स्वामित्व वाली एक प्रणाली है और पंचायती राज संस्थानों के परामर्श से तैयार की गई ग्राम शिक्षा योजनाएं, जिला प्रारम्भिक शिक्षा योजनाओं का आधार बनेंगी। राज्यों को प्रदान की जाने वाली निधियां राज्य स्तर पर पंजीकृत सोसायटियों के माध्यम से जारी की जाएंगी। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के बीच न्यून महिला साक्षरता वाले जिलों पर बल दिया जाएगा। लड़कियों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों और कठिन परिस्थितियों में जकड़े बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर विशेष बल देते हुए सर्वशिक्षा अभियान का विस्तार नौवीं योजना के अंत तक सारे देश में हो जाएगा।

सर्व शिक्षा अभियान इन तत्त्वों को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करेगा: सामुदायिक मॉनीटरन, कार्यक्रम में पारदर्शिता और सभी स्तरों पर क्षमता निमार्ण की योजना और कार्यान्वयन और साथ ही मुख्य धारा के शिक्षा विभाग के कार्मिकों द्वारा मिशन पद्धति का अपनाया जाना जिससे कि प्राथमिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण का लक्ष्य निर्धारित समय–सीमा में पूरा कर लिया जाए। सर्व शिक्षा अभियान के लिए एक राष्ट्रीय मिशन का अनुमोदन किया जा चुका है जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री और उपाध्यक्ष मानव संसाधन विकास मंत्री होंगे।

सर्व शिक्षा अभियान अपने समग्र ढांचे में, जिसमें कार्यक्रम के कार्यान्वयन की इकाई जिला होगी, विदेशी सहायताप्राप्त सभी मौजूदा कार्यक्रमों को शामिल कर लेगा। इस प्रणाली को पूर्णतया समग्र व संकेंद्रित बनाने के उद्देश्य से इस आशय के प्रयास किये जाएंगे कि जिला स्तर पर कार्यक्रम कार्यान्वयन का तालमेल अन्य सभी विभागों के साथ रखा जाए। इसमें महिला एवं बाल विकास योजना के अधीन 0–6 आयु वर्ग के बच्चों के कार्यक्रम, खेलकूद और युवा विभाग के खेलकूद संबंधी कार्यक्रम, संस्कृति विभाग के अधीन पुस्तकालयों की स्थापना और स्वास्थ्य मंत्रालय के पोषाहार तथा स्कूल स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम शामिल होंगे।

आपरेशन ब्लैक बोर्ड

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 के अनुसरण में वर्ष 1987–88 में आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना आरंभ की गई थी। इस योजना का उद्देश्य 30 दिसंबर 1986 तक देश में विद्यमान्न प्राथमिक स्कूलों में उपलब्ध मानवीय तथा भौतिक संसाधनों में सुधार करना था।

आपरेशन ब्लैक बोर्ड के तीन महत्त्वपूर्ण घटक

- प्रत्येक प्राथमिक स्कूलों में लडके और लडकियों के लिए अलग अलग शौचालयों सहित कम से कम दो क्लासरूमों की व्यवस्था करना।
- एकल शिक्षक प्राथमिक स्कूलों के लिए अतिरिक्त शिक्षक का प्रावधान करना।
- इस योजना के अंतर्गत शामिल किए गए सभी अध्यापकों के लिए फर्नीचर सहित अनिवार्य अध्यापन अधिगम सामग्री उपलब्ध कराना।

आठवीं योजना के दौरान वर्ष 1993–94 में यह योजना संशोधित की गई थी तथा 100 से अधिक नामांकन वाले प्राथमिक्क स्कूलों को तीसरा क्लासरूम एवं तीसरा शिक्षक उपलब्ध्य कराने के लिए इस योजना का विस्तार किया गया। उच्च प्राथमिक स्कूलों में अध्यापन अधिगम सामग्री और अतिरिक्त अध्यापकों की व्यवस्था करते हुए इस योजना का विस्तार उन स्कूलों में भी कर दिया गया। अतिरिक्त अध्यापकों के वेतन और अध्यापन–अधिगम सामग्री के प्रावधान के निमित्त शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता सहित यह योजना राज्य सरकारों के माध्यम से लागू की जा रही है। योजना की उपलब्धियां तालिका में दी गई है।

आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अधीन, स्कूल भवनों के निर्माण की जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को सौंपी गई है। स्कूल भवन के निर्माण का प्रावधान जवाहर रोजगार योजना और रोजगार गारंटी योजना जैसे ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों के अंतर्गत किया गया है। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जवाहर रोजगार योजना का पुनर्निर्माण किया गया है और अब इस योजना का नाम जवाहर रोजगार ग्राम समृद्धि योजना रखा गया है। अप्रैल 1999 से लागू किए गए संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन जहां तक आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत स्कूल भवनों के निर्माण का सम्बंध है, केन्द्रीय सहायता केन्द्र और राज्य के बीच 75:25 आधार पर उपलब्ध है।

पिछले अनुभव तथा लेखा परीक्षा की टिप्पणियों तथा मूल्यांकन रिपोर्टों से यह पता चला कि आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अन्तर्गत अध्यापन–अधिगम सामग्री के लिए स्वीकृत की गई निधियों का उपयोग करने में अनेक राज्यों की गति किंचित धीमी रही है। यह महसूस किया गया कि उपर्युक्त स्थिति का कारण बहुत हद तक यह रहा है कि अध्यापन–अधिगम सामग्री की अधिप्राप्ति तथा आपूर्ति में समुचित नमनशीलता और विकेन्द्रीकृत प्रक्रिया की कमी थी। हालांकि प्राप्त की जाने वाली अध्यापन–अधिगम सामग्री की प्रमुख श्रेणियों का उल्लेख कर दिया जाता था किन्तु प्रत्येक श्रेणी के अन्तर्गत प्राप्त की जाने वाली विशिष्ट मदें राज्य सरकार के विवेक पर छोड़ दी जाती थीं जोकि स्थानीय स्थितियों के आधार पर प्राप्त की जाने वाली मदों के बारे में निर्णय ले सकती थीं। राज्य सरकारों को यह सलाह दी गई है कि सामग्री की अधिप्राप्ति यथासंभव विकेंद्रीकृत हो और गुणवत्ता नियंत्रण कठोरता से लागू किया जाए। यह भी सलाह दी गई थी कि इस प्रक्रिया में पंचायती राज संस्थाओं, ग्राम शिक्षा समितियों तथा अध्यापकों/मुख्याध्यापकों के प्रतिनिधियों का सहयोजन सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि स्तरीय सामग्री की समय पर आपूर्ति का काम सुविधाजनक हो सके।

तथापि स्कूल भवनों के निर्माण का प्रावधान ग्रामीण रोजगार के कार्यक्रमों जैसे जवाहर रोजगार योजना और रोजगार आश्वासन योजना के अधीन कर दिया गया है।

2000-01 की उपलब्धियां

इस वर्ष में अध्यापकों के पदों पर भर्ती, नए क्लासरूमों का निर्माण और अध्यापन अधिगम उपस्करों के लिए निधियों के उपयोग के फलस्वरूप योजना के कार्यान्वयन की गति में तेजी आई है। आलोच्य वर्ष में उच्च प्राथमिक

पहले से चल रही आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना

वास्तविक	प्राथमिक स्कूलों को अध्यापन–अधिगम उपस्कर उपलब्ध कराना	प्राथमिक स्कूलों के लिए अतिरिक्त शिक्षक स्वीकृत करना	शिक्षण कक्षों का निर्माण
			(लाख में)
लक्ष्य	5.23	1.53	2.63
उपलब्धियां	5.23	1.49	1.85

विस्तारित आपरेशन ब्लैकबोर्ड .... उपलब्धियां .....

	8वीं योजना	1997–98	1998–99	1999–2000	2000–01
100 से अधिक नामांकन वाले प्राथमिक स्कूलों को तृतीय शिक्षक स्वीकृत करना	34,892	21,059	1,086	26,008	–
उच्च प्राथमिक स्कूलो को शामिल करना अध्यापन–अधिगम सामग्री उपलब्ध कराना	47,589	43,517	34,242	1,909	10,752
उच्च प्राथमिक स्कूलों में अतिरिक्त शिक्षक स्वीकृत करना	36,884*	8,205	21,552	8,867	2,106

वित्तीय उपलब्धियां	1987 से मार्च 2000 तक	2000–01 के दौरान (31.01.2001 तक)
	रुपये 2617.26 करोड़	रुपये 374.70 करोड़

9892 पद 1997–98 में पुनः बहाल किए गए

स्कूलों के लिए अतिरिक्त अध्यापकों के 2106 पद मंजूर किए गए हैं और अध्यापन–अधिगम उपस्करों की मंजूरी के प्रयोजन से 10752 स्कूल शामिल किए गए हैं। आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अधीन 400 करोड़ रुपये के बजट में से 374.70 करोड़ रुपये की राशि पहले ही खर्च की जा चुकी है। और आशा है कि इस योजना के अधीन चालू वर्ष में कुल व्यय बजट आकलन के समय के आबंटन से बढ़ जाएगा।

इस योजना का उद्देश्य सभी प्राथमिक स्कूलों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करके स्कूली वातावरण में सुधार, स्कूलों में बच्चों को बनाए रखने में वृद्धि तथा बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि में सुधार लाना है। अतः इस योजना में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक तथा परिमाणात्मक – दोनों दृष्टियों से सुधार लाने का प्रयास किया गया है।

शिक्षक शिक्षा

राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा कार्रवाई योजना 1986 में की गई परिकल्पना के अनुसरण में शिक्षक शिक्षा की पुनर्रचना और पुनर्गठन के लिए 1987 में एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना शुरू की गई थी जिससे कि देश के भीतर स्कूल शिक्षकों के अनुस्थापन, प्रशिक्षण तथा उनके ज्ञान, क्षमता और शिक्षा–शास्त्रीय कौशलों के स्तरोन्नयन के निमित्त एक व्यवहार्य संस्थागत आधारभूत सुविधाएं, शैक्षिक और तकनीकी संसाधन आधार निर्मित किया जाए।

इस योजना के अंतर्गत प्रारम्भिक शिक्षा शिक्षकों तथा अनौपचारिक और प्रौढ़ शिक्षा अनुदेशकों को शैक्षिक और संसाधन समर्थन प्रदान करने के उद्देश्य से प्रत्येक जिले में एक जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने की बात सोची गई है। इस योजना में माध्यमिक शिक्षकों के लिए सेवा–पूर्व और सेवाकालीन प्रशिक्षण आयोजित करने तथा माध्यमिक स्कूलों को विस्तार और संसाधन समर्थन सेवाएं प्रदान करने के निमित्त शिक्षक शिक्षा कालेज/उच्च शिक्षा संस्थान स्थापित करने की बात भी सोची गई है। उच्च शिक्षा अध्ययन संस्थानों से इन कामों की अपेक्षा की जाती है: प्रारम्भिक शिक्षक प्रशिक्षक तैयार करना; प्रारम्भिक और माध्यमिक शिक्षक

प्रशिक्षकों और माध्यमिक स्कूलों के प्राचार्यों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण आयोजित करना; विशेष रूप से आन्तः विषयक्षेत्रीय प्रकृति के उच्चस्तरीय आधारिक और अनुप्रयुक्त अनुसंधान में प्रवृत्त होना; तथा जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थान शैक्षणिक मार्गदर्शन और शिक्षक शिक्षा कालेज को सहयोगी सेवाएं उपलब्ध कराना।

इस योजना में इन बातों की भी परिकल्पना की गई है: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का सुदृढ़ीकरण; आपरेशन ब्लैक बोर्ड सामग्री के प्रयोग में स्कूल अध्यापकों का अनुस्थापन और भाषा, गणित तथा पर्यावरणात्मक अध्ययन पर ध्यान केन्द्रित करते हुए एमएलएल कार्यनीति का कार्यान्वयन; विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से विश्वविद्यालयों में शिक्षा विभाग का सुदृढ़ीकरण।

केन्द्र सरकार, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों/अध्यापक शिक्षा कालेजों/उच्च शिक्षा अध्ययन संस्थानों को गठित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान विद्यमान प्रारंभिक अध्यापक शिक्षा संस्थानों का स्तरोन्नयन या नई संस्थाएं स्थापित करके स्थापित किए जाते हैं। इस कार्य के लिए राज्य सरकारों द्वारा भूमि प्रदान की जाती है। अध्यापक शिक्षा कालेज बीएड पाठ्यक्रमों की पेशकश करने वाले मौजूदा माध्यमिक शिक्षक शिक्षा संस्थानों का स्तरोन्नयन करके तथा उच्च शिक्षा अध्ययन संस्थान, एमएड पाठ्यक्रमों की पेशकश करने वाले कालेजों तथा विश्वविद्यालयी शिक्षा विभाग का स्तरोन्नयन करके स्थापित किए जाते हैं। अभी तक इस योजना के अधीन कुल मिलाकर 454 डीआईईटी, 83 सीटीई तथा 37 आईएएसई संस्वीकृत किए जा चुके हैं।

राज्य सरकारों ने तृणमूल स्तर पर शिक्षक शिक्षा का विकास करने में जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों की अहम भूमिका को स्वीकार किया है। डीआईईटी, डीपीईपी जैसी नई शैक्षिक पहलों में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं। इन संस्थाओं की पहचान जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम वाले जिलों में मुख्य तकनीकी तथा व्यावसायिक संसाधन संस्थाओं के रूप में की गई है। इस योजना के कार्यान्वयन की निगरानी राज्यों द्वारा प्रस्तुत तिमाही रिपोर्टों के जरिये की जा रही है। राज्यों से प्राप्त सूचना का विश्लेषण किया जाता हैं और उन्हें सिविल कार्यों को शीघ्र पूर्ति करने, प्रारंभिक स्कूल शिक्षकों के पदों को भरने और उनके लिए सेवापूर्व और सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए, जहां जरूरत हो, आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी जाती है। कार्यक्रम के बेहतर कार्यान्वयन के उद्देश्य से इस स्कीम के अधीन केन्द्रीय सहायता के मानदण्डों में ऊपरी संशोधन कर दिया गया है। राज्यों से यह अनुरोध किया गया है कि वे सभी डीआईईटी को यथाशीघ्र पूरी तरह कार्यचालित करने की दिशा में उपयुक्त कार्रवाई करें। योजना के कार्यान्वयन के विविध पक्षों में सुधार के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के साथ समझौता-ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने का भी प्रस्ताव है और यह प्रक्रिया पहले ही शुरू की जा चुकी है।

प्राथमिक शिक्षा के पोषाहार सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम

मध्याह्न भोजना योजना (एमडीएम) के नाम से विख्यात योजना, 15 अगस्त, 1995 को शुरू की गई थी। यह कार्यक्रम 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों के नामांकन, उपस्थिति, उन्हें स्कूलों में बनाए रहने तथा पोषाहार आवश्यकताओं को प्रभावित करके प्राथमिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लक्ष्य को बढावा देने के लिए तैयार किया गया है।

शिक्षकों द्वारा तैयार की गई अध्यापन-अधिगम सामग्री

वर्ष	शामिल किए गए बच्चों की संख्या (करोड़ में)	खर्च (रुपये करोड़ में)	खाद्यान्न की मात्रा (मिट्रिक टन में)	
			आबंटित	उठाया गया
1995–96	3.34	441.21	713223	536016
1996–97	5.57	800.00	1585388	1112489
1997–98	9.10	1070.38	2567372	1810164
1998–99	9.79	1600.15	2706274	1147917
1999–2000	9.90	1500.00	2767251	1401765
2000–01	10.50	1081.81 (7 मार्च 2000 तक)	2480692	1060068 (दिसम्बर, तक 2000)

कार्यक्रम का लक्ष्य सभी सरकारी तथा सरकारी सहायताप्राप्त स्थानीय निकाय संचालित स्कूलों को शामिल करना है। केन्द्रीय सहायता का उद्देश्य बच्चों को इन दरों से निःशुल्क खाद्यान्न प्रदान करना हैः (1) जिन राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में पका–पकाया खाना दिया जाता है उनमें प्रत्येक छात्र को 100 ग्राम प्रति स्कूल दिवस की दर से, तथा (2) जिन राज्यों में खाद्यान्नों का वितरण किया जाता है, उनमें प्रत्येक बच्चें को 3 किलोग्राम प्रतिमाह बशर्ते कि बच्चों की न्यूनतम उपस्थिति 80 प्रतिशत हो। गुजरात, केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु, मध्यप्रदेश (174 आदिवासी ब्लाक) तथा पांडिचेरी जैसे सभी राज्य पका–पकाया भोजन वितरित करते हैं। दिल्ली के प्राथमिक स्कूलों में खाने के लिए तैयार भोजन उपलब्ध कराया जाता है।

1997–98 के दौरान इस कार्यक्रम का विस्तार पूरे भारत में कर दिया गया है। शामिल किए गये बच्चों, आबंटित और उठाए गए खाद्यान्न की मात्रा और तत्संबंधी खर्च के वर्ष–वार ब्यौरे ऊपर दिए गए हैं।

एक स्वतंत्र एजेंसी अर्थात आपरेशन रिसर्च ग्रुप, नई दिल्ली द्वारा हाल ही में 10 राज्यों में कार्यक्रम का मूल्यांकन किया गया है। तत्संबंधी निष्कर्षों से यह पता चलता है कि जहां इस कार्यक्रम ने असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में नामांकन को बढ़ावा दिया है, वहां गुजरात, हरियाणा, जम्मू तथा कश्मीर, कर्नाटक, उड़ीसा तथा राजस्थान में बच्चों की उपस्थिति और उन्हें स्कूलों में बनाए रहने पर इस कार्यक्रम का सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

शिक्षाकर्मी परियोजना

शिक्षाकर्मी परियोजना (एसकेपी) का उद्देश्य यह है कि राजस्थान के दूर दराज के सूखे, सामाजिक–आर्थिक दृष्टि से पिछड़े गांवों में लड़कियों की ओर प्रमुख ध्यान देते हुए प्राथमिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण (यूईई) किया जाए तथा उसमें गुणात्मक सुधार लाया जाय। यह परियोजना प्रारम्भिक शिक्षा का सर्वसुलभीकरण (यूईई) के लक्ष्य की पूर्ति में अध्यापकों की अनुपस्थिति को एक मुख्य बाधा के रूप में मानती है। यह महसूस किया गया कि दूरस्थ गांव में जिस प्राथमिक स्कूल में अध्यापक गांव में नहीं रहता है, वहां वह प्रायः निष्क्रिय हो जाता है और माता–पिता तथा बच्चे भी ऐसे संस्थान से नहीं जुड़ पाते जिसके फलस्वरूप शिक्षा बीच में छोड़ने वाले बच्चों का अनुपात अत्यन्त उच्च हो जाता है। शिक्षाकर्मी परियोजना के अधीन नियमित अध्यापकों की जगह ऐसे स्थानीय अध्यापक रखे जाते हैं जो कम अर्हताप्राप्त किन्तु विशेष रूप से प्रशिक्षित होते हैं। शिक्षाकर्मी एक स्थानीय व्यक्ति होता है। पुरुष शिक्षाकर्मी के लिए शैक्षिक अर्हता कक्षा 8वीं उत्तीर्ण है जबकि महिला शिक्षाकर्मी के लिए शैक्षिक अर्हता 5वीं कक्षा उत्तीर्ण है। बुनियादी अर्हता की कमी को पूरा करने के लिए शिक्षाकर्मियों को प्रवेश–कार्यक्रम तथा आवधिक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम के जरिए गहन प्रशिक्षण दिया जाता है। यह परियोजना स्वैच्छिक एजेंसियों की सहायता से राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड के माध्यम से राजस्थान सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। राजस्थान शिक्षाकर्मी बोर्ड में एक शासी परिषद तथा एक कार्यकारी परिषद है। इन निकायों में इस विभाग के दो–दो प्रतिनिधियों के जरिए प्रतिनिधित्व किया जाता है।

शिक्षाकर्मी परियोजना के पहले चरण (1987–1994) के दौरान परियोजना पर 21.12 करोड़ रुपए का खर्च आया जो स्वीडिश अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (सीडा) तथा राजस्थान सरकार द्वारा 90:10 के अनुपात मे वहन किया

गया। परियोजना के दूसरे चरण (जुलाई 1994 से जून 1998) के दौरान परियोजना पर कुल मिलाकर 72.21 करोड़ रुपए का खर्च आया जो कि सीडा तथा राजस्थान सरकार द्वारा 50:50 के अनुपात में वहन किया गया है। परियोजना के गहन मूल्यांकन के बाद यूके अन्तर्राष्ट्रीय विकास विभाग परियोजना के चरण ।।। की लागत को जुलाई 1999 से राजस्थान सरकार के साथ 50:50 के आधार पर वहन करने को राजी हो गया है। परियोजना का चरण ।।। वर्ष 2000 तक चलेगा और प्रस्तावित करार की शर्तो और उपबन्धों के अनुसार चरण ।।। के दौरान परियोजना पर 240 करोड़ रूपए खर्च किए गए।

गैर–सरकारी संगठन और समुदाय, शिक्षाकर्मी परियोजना के कार्यान्वयन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते है। ग्राम शिक्षा समितियों ने शिक्षा कर्मी स्कूलों में स्कूल–मैपिंग तथा सूक्ष्म–आयोजना के जरिए स्कूली वातावरण में सुधार करने, मूलभूत सुविधाओं में वृद्धि करने तथा स्कूलों में अधिक से अधिक नामांकन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान किया है। राजस्थान में प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लक्ष्य को हासिल करने के मार्ग में स्कूलों में बालिकाओं को नामांकित करना, उनकी उपस्थिति तथा उन्हें स्कूलों में बनाए रखना हमारे सामने एक प्रमुख चुनौती है। शिक्षा कर्मी परियोजना का उद्देश्य यह है कि समुदाय को सहयोजित करते हुए विकेन्द्रीकृत पहलों के माध्यम से इन चुनौतियों की ओर ध्यान दिया जाए। इस परियोजना के लक्ष्यों की पूर्ति के उद्देश्य से तृणमूल स्तर पर पंचायत समितियों, शिक्षा कर्मी सहयोगी, गैर सरकारी संगठनों के विषय–विशेषज्ञ, शिक्षाकर्मी तथा ग्रामीण समुदाय एक दूसरे के साथ सतत् रूप से तालमेल रखते हैं।

शिक्षाकर्मी परियोजना मानव संसाधन विकास के एक अनूठे साधन के रूप में उभरी है जिसने अन्तर्निहित प्रतिभा और क्षमता से युक्त ग्रामीण युवकों को इस योग्य बनाया है कि वे आत्मसम्मान और गौरव के साथ आत्मविश्वासपूर्ण अर्द्ध–व्यावसायिकों के रूप में उभर सकें। परियोजना द्वारा हाथ में लिए गए स्कूलों के नामांकन में सात गुना वृद्धि हुई है। शिक्षा कर्मी स्कूलों द्वारा सेवित बच्चों में अनुसूचित जातियों/जनजातियों के बच्चों की संख्या काफी बड़ी है। शिक्षा–कर्मी परियोजना के अनुभव से यह पता चला है कि आवर्ती तथा प्रभावी प्रशिक्षण, संवेदनशील पोषण, सामुदायिक सहयोग, नियमित सहभागितापूर्ण पुनरीक्षा और समस्या समाधान के बल पर कठिन स्थितियों में कार्यरत शिक्षा कर्मियों के अभिप्रेरण को और लम्बे समय तक बनाए रखा जा सकता है। शिक्षाकर्मी परियोजना की सफलता ने इसे राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता प्रदान की है।

शिक्षाकर्मी परियोजना के अधीन प्रहर पाठशाला (पीपी) (सुविधापूर्ण समय का स्कूल) ऐसे स्कूल–बाह्य बच्चों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम प्रदान करता है जो घरेलू कामकाज में फंसे होने के कारण नियमित दिवा स्कूलों में उपस्थित नही हो सकते। इन प्रहर पाठशालाओं में संक्षिप्त और औपचारिक स्कूल पाठ्यचर्या और अधिगम सामग्री का पालन किया जाता है। नवाचारी और प्रायोगिक क्रियाकलापों के अधीन प्राथमिक स्कूलों में लड़कियों को आकर्षित करने की दृष्टि से आंगन पाठशालाएं प्रभावी सिद्ध हुई हैं। दूरस्थ क्षेत्रों में लड़कियों को स्कूलों/प्रहर पाठशालाओं में जाने के निमित्त प्रेरित करने में महिला सहयोगिनियों ने अपनी उपयोगिता प्रमाणित कर दी है। आंशिक विकलांगताओं से युक्त बच्चों को स्कूलों और प्रहर पाठशालाओं में समाकलित करने का एक प्रयास पायलट आधार पर किया गया है।

ग्राम, ब्लाक, मुख्यालय तथा राज्य स्तरों पर एक अन्तःनिर्मित मॉनीटरन प्रक्रिया होती है। सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसी, भारत सरकार तथा राजस्थान सरकार द्वारा संयुक्त छमाही पुनरीक्षा तथा राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों से युक्त दलों द्वारा स्वतंत्र मूल्यांकन की व्यवस्था है। सभी कार्मिकों और लाभग्राहियों के साथ वैचारिक आदान–प्रदान के माध्यम से मध्यावधि पुनरीक्षा/ मूल्यांकन

शिक्षाकर्मी परियोजना मानव संसाधन विकास के एक अनूठे साधन के रूप में उभरी है जिसने अन्तर्निहित प्रतिभा और क्षमता से युक्त ग्रामीण युवकों को इस योग्य बनाया है कि वे आत्मसम्मान और गौरव के साथ आत्मविश्वासपूर्ण अर्द्ध-व्यावसायिकों के रूप में उभर सकें। परियोजना द्वारा हाथ में लिए गए स्कूलों के नामांकन में सात गुना वृद्धि हुई है।

शिक्षाकर्मी परियोजना की एक असाधारण उपलब्धि यह है कि 700 गांव अर्थात, परियोजना गांवों के एक-चौथाई से अधिक गांवों में 6-14 वर्ष के आयु-वर्ग के बच्चों का शत-प्रतिशत नामांकन प्राप्त कर लिया गया है।

किए जाने की परिपाटी रही है। विशेषज्ञ अध्ययनों से यह पता चला है कि शिक्षाकर्मी परियोजना क्षेत्र में प्राथमिक स्कूलों के बच्चों की शैक्षिक उपलब्धियां पंचायती राज संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे निकटवर्ती स्कूलों के बच्चों की तुलना में प्रायः बेहतर रही हैं।

प्रमुख उपलब्धियां

- शिक्षाकर्मी परियोजना की शुरूआत के समय शिक्षाकर्मी और प्रहर पाठशालाओं (पीपी) में 6–14 वर्ष के आयु–वर्ग के दाखिल बच्चों की संख्या 30,000 थी जिसमें 720 प्रतिशत की वृद्धि हो गई है और आज की स्थिति में नामांकित बच्चों की संख्या 2.28 लाख है।
- शिक्षाकर्मी परियोजना गांवों में प्राथमिक शिक्षा में 6–14 आयु वर्ग के बच्चों का नामांकन जो शुरू में 37 प्रतिशत था, वह बढ़ कर आज की तारीख में 90 प्रतिशत हो गया।
- लड़कों का नामांकन 50 प्रतिशत से बढ़कर 94 प्रतिशत और लड़कियों का नामांकन 21 प्रतिशत से बढ़कर 78 प्रतिशत हो गया है।
- शिक्षाकर्मी स्कूलों में बच्चों की मासिक उपस्थिति 58 प्रतिशत से बढ़कर 85 प्रतिशत हो गई है।
- जो स्कूल परियोजना के साथ पांच वर्षों से बराबर जुड़े रहे हैं, उनमें बच्चों के शिक्षा में बने रहने की स्थिति में काफी सुधार हुआ है।
- विकलांग बच्चों को प्राथमिकता के आधार पर शिक्षाकर्मी स्कूलों में समाकलित किया गया है।
- शिक्षाकर्मी स्कूलों और प्रहर पाठशालाओं में दाखिल 48 प्रतिशत बच्चे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हैं और 27 प्रतिशत बच्चे अन्य पिछड़े वर्गों के हैं।
- शिक्षाकर्मी परियोजना की एक असाधारण उपलब्धि यह है कि 700 गांव अर्थात, परियोजना गांवों के एक–चौथाई से अधिक गांवों में 6–14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों का शत–प्रतिशत नामांकन प्राप्त कर लिया गया है।
- शिक्षाकर्मी परियोजना ने प्राथमिक शिक्षा में सामुदायिक सहभागिता को बढ़ावा देने और स्कूलों की प्रभाविता में सुधार लाने के निमित्त ग्राम स्तरीय आयोजना, पर्यवेक्षण और प्रबन्ध को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गांवों में 2708 ग्राम शिक्षा समितियों का गठन किया है।
- प्रायोगिक आधार पर 21 प्राथमिक स्कूलों का उच्च प्राथमिक स्कूलों के रूप में स्तरोन्नयन किया गया। सम्प्रति, इस श्रेणी के स्कूलों की संख्या बढ़कर 32 हो गई है। इन स्कूलों की बोर्ड परीक्षा के परिणामों से अन्य सरकारी स्कूलों की तुलना में उल्लेखनीय सुधार का परिचय मिलता है।
- लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा कर्मी परियोजना में अनेक नवाचारी कार्यनीतियों का प्रयोग और कार्यान्वयन किया गया है। उदाहरण के लिए कुछ स्कूलों में माता–समितियां स्थापित की गई हैं। उपर्युक्त के अलावा, कुछेक प्रायोगिक स्कूलों में दोपहर–पूर्व/दोपहर–बाद स्कूलों के रूप में एक नवाचार शुरू किया गया है।
- प्रहर पाठशालाओं (पीपी) ने स्कूल–बाह्य बच्चों, विशेष रूप से दूरस्थ क्षेत्रों में मौजूद लड़कियों को इस योग्य बना दिया है कि वे स्वयं अपनी गति से और पर्याप्त नमनशीलता सहित प्राथमिक स्कूली शिक्षा के अवसरों का लाभ उठा सकती है। सम्प्रति, प्रहर पाठशालाओं में दाखिल बच्चों की कुल संख्या 29,016 है जिसमें से 20,112 अर्थात 69.31 प्रतिशत लड़कियां हैं जो कि इस सुविधा का लाभ उठा रही हैं।
- छोटे बच्चों, विशेष रूप से ऐसी लड़कियों के लिए जो कि स्कूल में जाने के लिए लम्बी दूरियां तय नहीं कर सकतीं, आंगन पाठशालाएं (एपी) स्थापित कर दी गई हैं। लड़कियों की प्रारम्भिक शिक्षा को सुकर बनाने के लिए सम्प्रति 86 आंगन पाठशालाएं चल रही हैं।
- जिन गांवों में शिक्षा कर्मियों के रूप में काम करने के लिए साक्षर महिलाएं उपलब्ध नहीं हैं, उनमें लड़कियों के नामांकन को सुविधाजनक बनाने और उसमें वृद्धि लाने के प्रयोजन से 14 महिला प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए गए हैं जिनमें 270 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया

जा रहा है। इन 270 महिलाओं में से 167 ने अपना प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।

- चरण I और चरण II में निधियों के उपयोग की स्थिति अत्यंत संतोषपूर्ण रही है।

31.10.2000 की स्थिति के अनुसार, शिक्षा कर्मी परियोजना राजस्थान के 31 जिलों, 146 ब्लाकों, 2708 गांवों में कार्यान्वित की जा रही है। परियोजना के अधीन 2708 दिवा केन्द्र और 4729 प्रहर पाठशालाएं हैं जिनमें 2.28 लाख बच्चे दाखिल हैं।

लोक जुम्बिश

लोक जुम्बिश नामक नवाचारी परियोजना जन अभिप्रेरण और उसकी भागीदारी के माध्यम से वर्ष 2000 तक 'सभी के लिए शिक्षा' के लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए शुरू की गई थी। परियोजना का पहला चरण जुलाई 1992 में शुरू किया गया था जिसे 14.03 करोड़ रुपये की लागत पर जून 1994 में पूरा कर लिया गया है। चरण II मूलतः जुलाई 1995 से जून 1997 की अवधि के लिए मंजूर किया गया था। तथापि, इसकी अवधि बढ़ा कर दिसम्बर 1999 तक कर दी गई। परियोजना के इन चरणों को स्वीडिश अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (सीडा), भारत सरकार तथा राजस्थान सरकार क्रमशः 3:2:1 के अनुपात में निष्पादित किया गया। परियोजना का तीसरा चरण अन्तर्राष्ट्रीय विकास विभाग (डीएफआईडी) के सहयोग से जुलाई 1999 से जून 2004 तक की अवधि के लिए 400.00 करोड़ रुपए के परिव्यय सहित मंजूर किया गया है। इस प्रयोजन के लिए डीएफआईडी, भारत सरकार तथा राजस्थान सरकार का योगदान क्रमशः 3:2:1 के अनुपात में होगा। लोक जुम्बिश परियोजना में राजस्थान के ये जिले शामिल हैं: अजमेर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, चित्तौडगढ़, डुंगारपुर, जैसलमेर, जालोर, जोधपुर, पाली, उदयपुर, बारां तथा राजसमंद।

लोक जुम्बिश के लक्ष्य और उद्देश्य

- 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा की सुविधाएं सुलभ कराना।
- यह सुनिश्चित करना कि सभी नामांकित बच्चे स्कूल / गैर–औपचारिक शिक्षा केन्द्र में नियमित रूप से उपस्थित हों तथा प्राथमिक शिक्षा पूरी करें।
- आवश्यक तंत्रों का सृजन करना तथा उन प्रक्रियाओं को स्थापित करना जिनसे महिलाओं को सामर्थ्यवान बनाया जा सके और शिक्षा को महिलाओं की समानता के साधन के रूप में प्रयोग किया जा सके।
- शिक्षा में समानता के लक्ष्य की पूर्ति की दिशा में प्रयास करना।
- शिक्षा की अंतर्वस्तु और प्रक्रिया में आवश्यक संशोधन करना जिससे शिक्षा को पर्यावरण से सम्बद्ध किया जा सके।
- शिक्षा की आयोजना एवं प्रबंध में लोगों को प्रभावी रूप से सम्मिलित करना।

परियोजना के प्रमुख क्रियाकलाप निम्नानुसार हैं:

- **स्कूल मैपिंग:** और आगे आयोजना के निमित्त 5–14 आयु–वर्ग के बच्चों की शैक्षिक स्थिति के सम्बन्ध में घर–घर सर्वेक्षण। अभी तक कुल मिलाकर 8921 गांवों का सर्वेक्षण कर लिया गया है।
- **सहज शिक्षा:** अनौपचारिक शिक्षा क्रियाकलाप को लोक जुम्बिश परियोजना में सहज शिक्षा कार्यक्रम का नाम दे दिया गया है। सम्प्रति, 2560 सहज शिक्षा केन्द्र काम कर रहे हैं जिनमें 14,593 लड़के और 32,408 लड़कियां दाखिल हैं। इसके अलावा, 24 बालिका शिक्षण शिविर और आयोजित किए गए जिनसे 2400 लड़कियां लाभान्वित हुईं जबकि 442 सहज शिक्षा केन्द्र जुलाई 1999 में डीपीईपी को अन्तरित कर दिए गए।
- **शिक्षा में गुणात्मक सुधार:** इस क्रियाकलाप के अधीन 15,243 अध्यापकों का पुनःअनुस्थापन प्रशिक्षण पूरा कर लिया गया है। एमएलएल की व्याप्ति 58 ब्लाकों के 212 संकुलों (6601 स्कूल) तक थी। हाल में लिए गए एक निर्णय के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2000–2001 से सभी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में एक सामान्य पाठ्यचर्या शुरू की गई है।
- **भवन निर्माण कार्यक्रम:** 51 प्राथमिक स्कूलों, 10 विस्तार केंद्रों, 3 डीआईईटी और एक एमएसवी के लिए नए भवनों का निर्माण किया गया। 1475 प्राथमिक स्कूलों और उच्च प्राथमिक स्कूलों में मरम्मत का काम

किया गया और 471 अतिरिक्त शिक्षण कक्षों का निर्माण किया गया।

- **प्राथमिक शिक्षा:** परियोजना के अधीन कुल मिलाकर 529 नए प्राथमिक स्कूल और 268 उच्च प्राथमिक स्कूल खोले गए।
- **ईसीसीई:** 239 आंगनवाडी केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण का काम हाथ में लिया गया।
- **लैंगिक:** 7613 'महिला समूहों' का गठन किया गया और दो महिला शिक्षण विहार काम कर रहे हैं।
- **नवाचार:** अल्पसंख्यक शिक्षा, मुक्तांगन, मुक्त मिडल स्कूल, शिक्षा कैलेण्डर आदि के सम्बंध में कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

लोक जुम्बिश परियोजना ने विकेन्द्रीकरण के सिद्धांतों और अधिकारों के प्रत्यायोजन को शामिल करते हुए नवाचारी प्रबंध तंत्र स्थापित किए हैं और साथ ही स्थानीय समुदायों और स्वैच्छिक क्षेत्र के साथ भागीदारी स्थापित की है। सामुदायिक अभिप्रेरण और स्कूल आयोजना क्रियाकलापों के अच्छे परिणाम निकले हैं और वे नए स्कूल, सहज शिक्षा केन्द्र खोलने तथा एक समुदाय–केन्द्रित विकास कार्यक्रम निर्मित करने के लिए आधार प्रदान करते हैं। लोक जुम्बिश परियोजना ने पहली से चौथी कक्षाओं तक के लिए संवर्धित एमएलएल आधारित पाठ्यपुस्तकों के विकास के माध्यम से गुणवत्तात्मक सुधार में भी योगदान दिया है। ये पाठ्यपुस्तकें राजस्थान सरकार के सभी स्कूलों में लागू की जा चुकी हैं।

तमिलनाडु में नामांकन अभियान

राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई)

राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की स्थापना भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर के सांविधिक निकाय के रूप में 17 अगस्त 1995 को की गई थी। परिषद का मुख्य उद्देश्य यह है कि शिक्षक शिक्षा प्रणाली का नियोजित और समन्वित विकास किया जाए, शिक्षक शिक्षा के मानकों और मानदण्डों का विनियमन और समुचित निर्वाह किया जाए। परिषद् के कुछ अन्य कार्य इस प्रकार हैं: विभिन्न शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए मानदण्ड निर्धारित करना, शिक्षक शिक्षा संस्थानों की मान्यता, शिक्षकों की भर्ती के लिए न्यूनतम अर्हता के सम्बंध में मार्गदर्शी सिद्धांत तय करना, सर्वेक्षण और अध्ययन, अनुसन्धान और नवाचार, शिक्षक शिक्षा के वाणिज्यीकरण की रोकथाम आदि। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों के लिए क्रमश: जयपुर, बंगलौर, भुवनेश्वर और भोपाल में चार क्षेत्रीय समितियां स्थापित की जा चुकी हैं। ये क्षेत्रीय समितियां अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार शिक्षक शिक्षा संस्थानों को मान्यता/अनुमति दिए जाने सम्बंधी आवेदन पत्रों पर विचार करती हैं।

शिक्षक शिक्षा संस्थाओं को मान्यता

राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् द्वारा राज्यों, विश्वविद्यालयों और अन्य शीर्षस्थ संगठनों के साथ वैचारिक आदान–प्रदान के माध्यम से शिक्षक शिक्षा संस्थाओं के लिए मान्यता प्राप्त किए जाने सम्बन्धी सांविधिक अपेक्षा के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने की दिशा में किए गए सतत प्रयासों के फलस्वरूप 2747 मौजूदा शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं में से मार्च 2000 तक 2496 संस्थाओं ने एनसीटीई से मान्यता प्राप्त करने के लिए आवेदन किया है।

मानदण्ड और मानक

परिषद ने अभी तक 9 शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए मानदण्ड और मानक निर्धारित किए हैं। ये पाठ्यक्रम इस प्रकार हैं: पूर्व प्राथमिक, प्रारंभिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक (आमने–सामने), बी.एड (पत्राचार सहित दूरस्थ शिक्षा), सीपी. एड, स्नातकोत्तर डिप्लोमा/बीपी. एड, एमपी. एड और बैचेलर आफ एलीमेंटरी एजूकेशन। अनुभव और एनसीटीई के विभिन्न स्रोतों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर एनसीटीई की कार्यकारी समिति और

साधारण सभा ने मई 2000 में आयोजित अपनी बैठकों में ऐसा महसूस किया कि देश में मौजूदा यथार्थ स्थिति को देखते हुए विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के मानदण्डों की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है। तद्नुसार, मानदण्डों की समीक्षा के लिए एक समीक्षा समिति स्थापित की जा चुकी है। इस समीक्षा समिति की सिफारिशें शीघ्र ही प्राप्त होने की संभावना है।

शिक्षकों की भर्ती के लिए न्यूनतम अर्हता

परिषद का एक कार्य किसी स्कूल अथवा मान्यताप्राप्त स्कूल में शिक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति के सम्बंध में न्यूनतम अर्हता के सम्बन्ध में मार्गदर्शी सिद्धांत तय करना है। उर्पयुक्त लक्ष्य के अनुसरण में स्कूल स्तर पर शिक्षकों/मुख्य शिक्षकों/प्राचार्यों की भर्ती के लिए पात्रता के मानदण्डों का एक मसौदा तैयार करने के निमित्त एक समिति का गठन किया गया। रिपोर्ट की सिफारिशों और देश में मौजूदा यथार्थ स्थितियों के आधार पर एक औपचारिक प्रणाली में सभी स्तरों पर स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हताओं के मार्गदर्शी सिद्धांतों का एक मसौदा राज्य शिक्षा सचिवों की टिप्पणियों और सुझावों के लिए उनके बीच परिचालित किया जा चुका है। विनियमों के इस मसौदे को राज्य सरकारों के परामर्श से अंतिम रूप दिया जाएगा।

मानव मूल्यों की शिक्षा

मानव मूल्यों की शिक्षा के प्रसार की आवश्यकता की पूर्ति करते हुए एनसीटीई ने हाल ही में चिन्मय मिशन के सहयोग से 17 अक्तूबर से 21 अक्तूबर 2000 के दौरान सिद्बबाड़ी, हिमाचल प्रदेश में मानवीय मूल्यों की शिक्षा पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। बिहार, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के हिन्दी–भाषी राज्यों में स्थित जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों (डीआईईटी) तथा अन्य शिक्षक प्रशिक्षण कालेजों सहित लगभग 200 प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षकों ने इस कार्यशाला में भाग लिया। यह कार्यशाला इस श्रृंखला की पहली कार्यशाला है जिसके बाद न्यूनतम अवधि में यथासंभव अधिक से अधिक शिक्षक प्रशिक्षकों को शामिल करने के लिए और आगे कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। शिक्षक प्रशिक्षकों को सुग्राही बनाने की दृष्टि से यह एनसीटीई का एक प्रमुख ध्यातव्य क्षेत्र होगा। एनसीटीई सेवा–पूर्व और सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में मूल्य शिक्षा पर बल देना जारी रखेगी।

एनसीटीई वेबसाइट

एनसीटीई इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से सूचना और ज्ञान का प्रसार करने में विश्वास रखती है। तदनुसार, एनसीटीई ने मार्च 2000 में अपना वेबसाइट शुरू किया जिसमें 2000 से अधिक शिक्षक शिक्षा संस्थानों का परिचय शामिल है। यह वेबसाइट इन बातों के सम्बंध में सूचना का प्रसार करता है: एनसीटीई अधिनियम, नियम, विनियम, मानदण्ड और मानक, राजपत्रित अधिसूचनाएं, मान्यता के लिए आवेदन–पत्र की आनलाइन सुलभता, अपील के लिए क्रियाविधि आदि। एनसीटीई ने मूल्य शिक्षा को प्रभावित करने वाले निम्न प्रकाशन भी अपने वेबसाइट पर डाले हैं:

- गांधी आन एजूकेशन
- श्री अरबिन्दो आन एजूकेशन
- करीकूलम फ्रेमवर्क आन क्वालिटी टीचर एजूकेशन
- रिसपोन्सिबिलिटी आफ टीचर इन बिल्डिंग माडर्न इंडिया
- ह्यूमन राइट्स एंड नेश्नल वैल्यूज
- एजूकेशन फार टुमारो
- एजूकेशन फार करैक्टर डेवलपमेंट

सूचना के प्रसार की दिशा में एनसीटीई के प्रयासों की व्यापक सराहना की गई है। जिन स्थानों पर अभी तक इंटरनेट सुविधाएं सुलभ नहीं हैं, उनमें स्थित संस्थानों से इस आशय की विश्वव्यापी वेब अनुरोध प्राप्त हुए हैं कि उनके लिए एक ऐसा तंत्र निर्मित किया जाए जिससे कि वे भी एनसीटीई के वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी प्राप्त कर सकें। तदनुसार, सीडी रोम में एक मल्टीमीडिया फोरमैट में एनसीटीई का एक दर्पण–प्रतिबिम्ब निर्मित कर लिया गया है और उसे शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों के बीच परिचालित कर दिया गया है।

अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम

संविधान के अनुच्छेद 45 के अधीन निदेशात्मक सिद्धांत के अनुसरण में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के लक्ष्य की पूर्ति से सम्बन्धित कार्यनीति के एक अविभाज्य घटक के रूप में अनौपचारिक शिक्षा के एक विशाल और व्यवस्थित कार्यक्रम की बात सोची गई है। यह कार्यक्रम ऐसे बच्चों को शिक्षा प्रदान करता है जो कि विभिन्न सामाजिक–आर्थिक कठिनाइयों के कारण शिक्षा की औपचारिक प्रणाली से बाहर बने रहते हैं।

यह योजना 1979–80 से काम कर रही है और 6–14 आयु वर्ग के ऐसे बच्चों के प्रति केन्द्रित है जो औपचारिक स्कूली पद्धति से बाहर रहे हैं। यह योजना पाठ्यचर्या के संघटन, नमनशीलता और प्रासंगिकता तथा छात्रों की अपेक्षाओं के अनुरूप अधिगम क्रियाकलापों की व्यवस्था पर बल देती है। यह योजना मुख्यतः शैक्षिक दृष्टि से

ईजीएस तथा एआईई योजना की प्रमुख विशेषताएं

- ऐसी सभी बस्तियों में, जिनमें एक किलोमीटर की दूरी के भीतर कोई औपचारिक स्कूल नहीं हैं, एक ईजीएस केन्द्र यथासंभव शीघ्र खोला जाएगा;
- अनौपचारिक शिक्षा को औपचारिक शिक्षा प्रणाली के स्तर के समकक्ष लाया जाएगा;
- योजना के कार्यान्वयन में स्थानीय समुदाय और अधिक सक्रिय होगा;
- वह बढ़े हुए मानदेय पर अनुदेशक मुहैया कराएगा;
- योजना के एक अंग के रूप के व्यापक स्कूली आयोजना प्रक्रिया हाथ में ली जाएगी।
- यह प्रारम्भिक शिक्षा के सर्व सुलभीकरण के विशाल, अधिक समग्र कार्यक्रम अर्थात सर्व शिक्षा अभियान का एक अंग होगी; तथा
- इसने लागत पक्ष बढ़ा दिया है और केन्द्र–राज्य अनुपात 75:25 के एक समान स्तर पर नियत कर दिया गया है। तथापि स्वैच्छिक क्षेत्र शतप्रतिशत (लागत सम्बंधी समग्र ऊपरी सीमाओं के भीतर सहायता प्राप्त करते रहेंगे)।

पिछड़े दस राज्यों में काम कर रही है जो इस प्रकार हैं: आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। साथ ही, यह योजना शहरी गंदी बस्तियों, पहाड़ी, रेगिस्तान और जनजातीय क्षेत्रों तथा अन्य राज्यों में कामकाजी बच्चों की बहुलता वाले क्षेत्रों को भी समाहित करती है। लड़कियों, कामकाजी बच्चों और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के बच्चों की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है।

सम्प्रति, यह कार्यक्रम वित्तपोषण की निम्न पद्धतियों के माध्यम से राज्यों/संघशासित क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

- राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को सहशिक्षा केन्द्रों के लिए 60:40 तथा बालिका केन्द्रों के लिए 90:10 के अनुपात में।
- अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र चलाने के लिए गैर–सरकारी संगठनों को 100 प्रतिशत निधियां।

आज की स्थिति के अनुसार 25 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में लगभग 2.92 लाख अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र काम कर रहे हैं, जिनमें 73.00 लाख बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। 2.33 लाख केन्द्र, राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों (जिनमें से 1.15 लाख केन्द्र सिर्फ लड़कियों के लिए हैं) को मंजूर किए गए हैं, 58618 केंद्र 812 स्वैच्छिक एजेन्सियों द्वारा चलाए जा रहे हैं।

इस योजना को व्यवहार्य बनाने के उद्देश्य से इसके निष्पादन की अन्य के अलावा, दो संसदीय स्थायी समितियों द्वारा पुनरीक्षा की गई है जिनमें से एक मानव संसाधन विकास से सम्बन्धित थी और दूसरी शिक्षा बीच में छोड़ने वाले बच्चों की समस्या से सम्बन्धित थी। योजना आयोग के योजना मूल्यांकन संगठन ने भी इस योजना का मूल्यांकन किया है। उनकी सिफारिशों के आधार पर योजना को 'शिक्षा आश्वासन योजना तथा वैकल्पिक तथा नवाचारी शिक्षा' (ईजीएस तथ एआईई) के रूप में संशोधित किया गया है। संशोधित योजना कार्यचालन की दृष्टि से अधिक नमनशील और सक्रिय होगी।

ईजीएस और एआईई की संशोधित योजना सरकार द्वारा अनुमोदित की जा चुकी है। तथापि योजना को कार्यरूप

देने से पूर्व राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को, सर्वेक्षणों, स्कूल आयोजना, राज्य सोसायटियां स्थापित करने आदि जैसी प्रारम्भिक कार्रवाई करने देने की दृष्टि से संशोधित योजना को 1 अप्रैल 2001 से कार्यचालित करने का निर्णय लिया गया है। तथापि ईजीएस घटक चालू वर्ष में कार्यचालित कर दिया जाएगा।

अनौपचारिक शिक्षा के लिए प्रस्तावित परिव्यय निम्नानुसार है:

(रुपये करोड़ों में)

ब.आ 2000–2001	सं आ 2000–2001	
300.00	171.00 (प्रस्तावित)	(संशोधित आकलन में कमी का कारण अनौपचारिक शिक्षा के संशोधन में देरी है जिसमें मानदेय आदि में अत्यधिक वृद्धि किए जाने का प्रस्ताव है)

वर्ष 1999–2000 के दौरान इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को 113.38 करोड़ रुपए और स्वैच्छिक एजेंसियों को 40.00 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है।

2000–01 के दौरान अक्तूबर 2000 के अंत तक इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को 42.64 करोड़ रुपये और स्वैच्छिक एजेंसियों को 23.03 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जा चुकी है।

स्वैच्छिक एजेंसियों को परवर्ती अवधियों के लिए अनुदान तभी प्रदान किया जाता है जबकि उन्होंने पिछले अनुदान के लेखापरीक्षित लेखे प्रस्तुत कर दिए हों और उनका समाधान हो चुका हो तथा उपयोग प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हों। प्रतिपूर्ति के मामलों में (वास्तविक व्यय आधार पर) यूसी जारी किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

वर्ष 1999–2000 में एक लाख से अधिक अनुदान प्राप्त करने वाली स्वैच्छिक एजेंसियों की सूची संलग्न है।

राष्ट्रीय बाल भवन

राष्ट्रीय बाल भवन (पूर्व बाल भवन सोसायटी, इंडिया) नई दिल्ली की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू की पहल पर सरकार द्वारा 1956 मे की गई थी। यह प्रारम्भिक शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा पूर्णतः वित्तोषित एक स्वायत्त संस्था है जो समाज के विशेषतः कमजोर वर्गों के 5–16 वर्षों के आयु–वर्ग के बच्चों के मध्य सृजनात्मकता बढ़ाने के लिए कार्य करता है।

बाल–अनुकूल क्लासरूम

बच्चे अपनी रुचि के अनुसार आनन्दपूर्ण ढंग से क्रियाकलाप कर सकते हैं जैसे–सृजनात्मक कलाएं, निष्पादन कलाएं, पर्यावरण, खगोल शास्त्र, फोटोग्राफी, समाकलित क्रियाकलाप, शारीरिक कार्यकलाप, विज्ञान सम्बंधी क्रियाकलाप आदि। ये कार्यक्रम इस ढंग से तैयार किए जाते हैं जिससे कि बच्चों की आन्तरिक प्रतिभा को उभारा जाए और उसे विभिन्न माध्यमों से अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया जाए । इस प्रकार बाल भवन का उद्देश्य एक मुक्त और सुखद वातावरण में बच्चों का सर्वांगीण विकास करना तथा बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने में सहायता प्रदान करना है।

चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय बाल भवन द्वारा बच्चों के लिए ग्रीष्मकालीन कार्यक्रम आयोजित किए गए। बच्चों को करके सीखने का अनुभव प्रदान कराने के उद्देश्य से बाल भवन ने सारे वर्ष स्थानीय, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। ये कार्यक्रम बाल भवन की एक वार्षिक विशेषता बन गए हैं। ऐसे कार्यक्रम बच्चों के अनुभव को समृद्ध बनाते हैं उन्हें हमारी सांस्कृतिक विरासत से अवगत कराते हैं उनके भीतर वैज्ञानिक सोच उत्पन्न करते हैं और उनकी सृजनात्मक प्रतिभा का संवर्धन करते हैं। गर्मियों के साथ

एकीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षणार्थी कागज कौशल बनाते हुए

ही हजारों बच्चे अपनी रुचि के कार्यकलाप करने के लिए यहां आ जाते हैं। इस वर्ष के ग्रीष्मकालीन कार्यक्रमों में उल्लेखनीय कार्यकलाप इस प्रकार हैं: मूर्तिकला पर मंडी में कार्यशाला, रंग के निष्कर्षण पर कार्यशाला, कम्प्यूटर जागरूकता कार्यक्रम, एरो माडलिंग कार्यशाला, परम्परागत लघुचित्रांकन पर कार्यशाला, सप्ताहान्त सृजनात्मक कला और एकीकृत कला कार्यशाला, कागज मूर्ति कला कार्यशाला, कम लागत वाली माडल और खिलौना निर्माण कार्यशाला, मशीन माडलिंग कार्यशाला, सृजनात्मक लेखन और पुस्तक निदर्शन कार्यशाला, साहित्यिक शिविर, खाद्य परिरक्षण कार्यशाला, वीडियोग्रफी कार्यशाला, आरिगैमी के माध्यम से गणित और विज्ञान पर कार्यशाला, नवाचारी बोर्ड खेल कार्यशाला, मेंहदी कार्यशाला, एक्वेरियम निर्माण कार्यशाला, मिमी कार्यशाला, प्राथमिक उपस्कर कार्यशाला, सिलाई कार्यशाला, जिल्दसाजी कार्यशाला, मैक्रेम कार्यशाला, फोटोग्रफी कार्यशाला, संस्कृति कौशल संरक्षण अन्तरण (जिसमें कलाकारों और दस्तकारों ने बच्चों को अपनी दस्तकारी सिखाई)। गर्मियों में विशेष सेक्शनल सप्ताहान्त भी आयोजित किए गए।

एकीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम (आईटीपी) अध्यापक प्रशिक्षाणार्थियों के लिए एक अनूठा कार्यक्रम है। शीर्षस्थ निकाय और राज्य/संघ शासित क्षेत्रों के बाल भवनों के बीच गहरा तालमेल रखने के प्रयोजन से राष्ट्रीय बाल भवन के साथ 69 बाल भवन सम्बद्ध हैं।

गर्मियों के बाद भी बाल भवन के कार्यक्रम पूरे जोर–शोर से चलते रहते हैं। ऐसे कुछेक कार्यक्रम हैं: बंधेज और रंगरेजी कार्यशाला, फोटोग्राफी दिवस कार्यक्रम, कार्टून निर्माण और पुस्तक निदर्शन कार्यशाला, पोस्टर निर्माण कार्यशाला, परम्परागत खिलौना निर्माण कार्यशाला, नवाचारी पर्यावरण फ्लोर गेम कार्यशाला, हैबिटेट दिवस कार्यक्रम, जूडो प्रतियोगिता, चलिए हम अपनी सभ्यता को जाने विषयक कार्यशाला, कालेज कार्यशाला, मण्डी दिवस (ग्रामीण बाल भवन मंडी का स्थापना दिवस समारोह), बाल भवन केंद्र दिवस (दिल्ली और आसपास के सभी बाल केंद्रों के बच्चे एक विशेष दिन के लिए राष्ट्रीय बाल भवन में इक्टठा होते हैं) तथा अभिप्रेरणा (विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए एक कार्यक्रम)। क्योंकि पर्यावरण बालभवन के लिए एक गंभीर चिन्ता का विषय होता है इसलिए सारे वर्ष अनेक पर्यावरण सम्बंधी कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। ये कार्यक्रम इस प्रकार थे: पर्यावरण दिवस समारोह, पर्यावरण सप्ताह कार्यक्रम, सीईई के सहयोग से जैव विविधता पर आठ महीने लम्बी परियोजना, भूमि दिवस समारोह और राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन। सितम्बर के महीने में सभी के लिए शहर विषय पर विश्व हैबिटेट दिवस मनाया गया। इस मौके पर विशाल चित्रकला और नारा लेखन क्रियाकलाप और साथ ही एक वास्तुकला प्रतियोगिता आयोजित की गई। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय बाल भवन, शहरी विकास मंत्रालय और एससीईआरटी का एक सहयोगात्मक कार्यक्रम था। प्राथमिक शिक्षा संवर्द्धन परियोजना नामक राष्ट्रीय बाल भवन और यूनिसेफ की एक सहयोगात्मक परियोजना पर काम चल रहा है। यह परियोजना एमसीडी के अध्यापकों के लिए है। एकीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम (आईटीसी) अध्यापक प्रशिक्षणार्थियों के लिए एक अनूठा कार्यक्रम है। शीर्षस्थ निकाय और राज्य/संघ शासित क्षेत्रों के बाल भवनों के बीच एक गहरा तालमेल रखने के प्रयोजन से राष्ट्रीय बाल भवन के साथ 69 बाल भवन सम्बद्ध हैं। 14 से 19 नवम्बर के बीच राष्ट्रीय बाल सभा आयोजित की जाती है जबकि देश के सभी सम्बद्ध भवनों के बच्चे छह दिन चलने वाले कार्यक्रम में भाग लेते हैं।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डीपीईपी)

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, प्राथमिक शिक्षा के सार्वसुलभीकरण के लक्ष्य की पूर्ति पर बल देने वाली एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है। यह कार्यक्रम, प्राथमिक शिक्षा विकास के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण रखता है और सभी स्तरों पर विकेन्द्रीकृत प्रबंध, सहभागितापूर्ण प्रक्रियाओं, अधिकारिता तथा क्षमता–निर्माण पर बल देते हुए जिला विशिष्ट आयोजना के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण की कार्यनीति को कार्यरूप देने का प्रयास करता है।

यह कार्यक्रम इस ढंग से तैयार किया गया है कि प्रारम्भिक शिक्षा के लिए राज्य सरकारों द्वारा किए गए प्रावधानों के अलावा अतिरिक्त निवेश प्रदान किए जाएं। यह कार्यक्रम प्राथमिक शिक्षा की उन्नति में मौजूदा अन्तरालों की पूर्ति करता है और साथ ही मौजूदा प्रणाली में नए प्राण फूंकने का भी प्रयास करता है॥ डीपीईपी एक परिस्थिति विशिष्ट कार्यक्रम है तथा इसमें लड़कियों/महिलाओं पर स्पष्ट रूप से ध्यान दिया जाता है। कार्यक्रम के घटक इस प्रकार हैं: शिक्षण कक्षों और नए स्कूलों का निर्माण, अनौपचारिक/वैकल्पिक स्कूली शिक्षा केन्द्रों की स्थापना, नए शिक्षकों की नियुक्ति, ब्लाक संसाधन केन्द्रों/संकुल संसाधन केन्द्रों की स्थापना, शिक्षक प्रशिक्षण, अध्यापन–अधिगम सामग्री का निर्माण, अनुसंधान आधारित हस्तक्षेपणीय उपाय, लड़कियों, अनुसूचित जातियों/जनजातियों आदि के बच्चों की शिक्षा के निमित्त विशेष हस्तक्षेपणीय उपाय। विकलांगता से युक्त बच्चों की समाकलित शिक्षा के घटक और शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार के लिए दूरस्थ शिक्षा घटक को भी इस कार्यक्रम में शामिल किया गया है।

लक्ष्य

कार्यक्रम का लक्ष्य मुख्यतः यह है कि सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा की सुविधाएं सुलभ कराई जाएं, प्राथमिक शिक्षा बीच में छोड़ने वाले बच्चों के अनुपात को घटा कर 10 प्रतिशत से कम पर लाया जाए। प्राथमिक स्कूलों के छात्रों की अधिगम उपलब्धि में कम से कम 25 प्रतिशत का संवर्धन किया जाए तथा स्त्री पुरुष विभेद और

सामूहिक क्रियाकलापों के माध्यम से सीखना

सामाजिक वर्गों के अंतर को घटाकर 5 प्रतिशत से भी कम पर लाया जाए।

जिला चयन मापदण्ड

कार्यक्रम कार्यान्वयन की इकाई के रूप में जिले का चयन निम्न आधार पर किया जाता है: (1) शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ऐसे जिले जिनमें महिला साक्षरता राष्ट्रीय औसत से कम है और (2) ऐसे जिले जिनमें समग्र साक्षरता अभियान (टीएलसी) सफल रहे हैं जिनके फलस्वरूप प्रारम्भिक शिक्षा की मांग बढ़ी है।

वित्तपोषण

एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में डीपीईपी परियोजा की लागत का 85 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा तथा 15 प्रतिशत सम्बन्धित परियोजना राज्य द्वारा वहन किया जाता है। भारत सरकार के हिस्से का वित्तपोषण बाहय एजेंसी द्वारा किया जाता है। आज की स्थिति में डीपीईपी को लगभग 5885 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त है जिसमें से 4545 करोड़ रुपये अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (विश्व बैंक) से ऋण के रूप में है और 1340 करोड़ रुपये यूरोपीय आयोग/अन्तर्राष्ट्रीय विकास विभाग, यूके/यूनिसेफ/नीदरलैंड से अनुदान के रूप में है। कार्यक्रम का उच्च प्राथमिक कक्षाओं तक विस्तार करने सहित इस कार्यक्रम के विस्तार के निमित्त लगभग 1500 करोड़ रुपये की अतिरिक्त विदेशी सहायता से सम्बन्धित प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

व्याप्ति

पहले पहल यह कार्यक्रम वर्ष 1994 में 7 राज्यों के 42 जिलों में ही आरम्भ किया गया था किन्तु अब इसका विस्तार 18 राज्यों (तीन नए राज्यों के निर्माण के बाद 248 विभाजित जिलों सहित) अर्थात असम, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश/उत्तरांचल, बिहार/झारखंड तथा राजस्थान तक कर दिया गया है। राजस्थान के नौ जिलों में, उड़ीसा के आठ जिलों में, गुजरात के छह जिलों में डीपीईपी के विस्तार की प्रक्रिया चल रही है।

कार्यक्रम की गहन समीक्षा

नियतकालिक पर्यवेक्षण मिशनों के माध्यम से कार्यक्रम पर निगाह रखी जाती है। अभी तक सात आन्तरिक सर्वेक्षण मिशन और बारह संयुक्त पर्यवेक्षण/समीक्षा मिशन (भारत सरकार और बाहय वित्तपोषित एजेंसियों के प्रतिनिधियों से युक्त) आयोजित किए गए हैं। कार्यक्रम के पहले चरण की जो नवम्बर 1994 में 7 राज्यों के 42 जिलों में शुरू किया गया था, सितम्बर 1997 तथा नवम्बर 1999 में समीक्षा की गई। समीक्षाओं और विभिन्न मूल्यांकनपरक अध्ययनों से यह पता चला है कि समुदाय की अपेक्षतया अधिक सहभागिता और शिक्षण कक्ष प्रक्रियाओं में सुधार के चलते नामांकन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, अधिगम उपलब्धि में सुधार हुआ है, एक ही कक्षा में दोबारा से पढ़ने वालों/शिक्षा बीच में छोड़ने वाले बच्चों के अनुपात में कमी आई है।

डीपीईपी की प्रमुख उपलब्धियां

- डीपीईपी ने 10,000 मए औपचारिक स्कूल खोल दिए हैं और 15,000 और स्कूलों के शीघ्र ही खुल जाने की संभावना है। इसी प्रकार, विभिन्न प्रकार के 53,000 वैकल्पिक स्कूली शिक्षा केन्द्र भी खोले जा चुके हैं जिनमें लगभग 18 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं तथा ऐसे ही 60,000 केन्द्र खोलने की योजना है। उपर्युक्त के अलावा प्रतिवर्ष लगभग 16,000 ग्रीष्मकालीन स्कूल भी चल रहे हैं
- चरण–। जिलों में जहां 6 वर्ष पूरे हो चुके हैं 1995–96 और 1999–2000 के बीच प्राथमिक कक्षाओं के नामांकन में लगभग 20 लाख की वृद्धि हुई जिसमें से 13 लाख की वृद्धि औपचारिक स्कूलों में और 6.3 लाख की वृद्धि वैकल्पिक माध्यमों में हुई। इस अवधि में समग्र वृद्धि 24 प्रतिशत की हुई जोकि 5.5 प्रतिशत की वार्षिक चक्रवृद्धि दर की परिचायक है।
- चरण 1 जिलों में समग्र जीईआर जोकि 1995–96 में 83.9 प्रतिशत थी वह 1999–2000 में बढ़कर 95.1 प्रतिशत हो गई। वैकल्पिक स्कूलों के नामांकन को जोड़ने पर जीईआर बढ़कर 101.7 प्रतिशत तक पहुंच गई। यदि गैर–मान्यता प्राप्त स्कूलों के नामांकन को भी शामिल कर लिया जाता है तो जीईआर में 8–10 प्रतिशत की वृद्धि हो जाने की संभावना है।
- चरण ।। और ।।। जिलों (13 राज्यों में 87 जिले) में ईजीएस/एएस में नामांकन सहित समग्र नामांकन जो कि 1998–99 में 186.9 लाख था वह 1999–2000 में बढ़कर 198.2 लाख तक पहुंच गया।
- चरण ।। और ।।। जिलों में जीईआर पिछले तीन वर्षो से लगभग 85 प्रतिशत पर रुका हुआ है और कुछ राज्यों के जीईआर में तो गिरावट भी आ गई है। इस प्रवृत्ति के आंशिक कारण जनसंख्या के विषय में अनुमान का सही न होना, प्रवेश के स्तर पर धीमी गति और बच्चों का निजी गैर–मान्यताप्राप्त स्कूलों में चला जाना हो सकते है; फिर भी इस स्थिति की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

लडकों-लड़कियों के बीच अंतर

- नामांकन में लड़कों–लड़कियों के बीच का अंतर तेजी से कम होता जा रहा है। लड़कों की तुलना

में लड़कियों का नामांकन अधिक तेज गति से हुआ है। अध्ययन के अनुसार 1995–96 में चरण–। के 15 जिलों में लैंगिक समानता सूचकांक (आईजीई) 95 प्रतिशत से अधिक था जबकि 1999–2000 में ऐसे जिलों की संख्या बढ़कर 29 तक पहुंच गई है। शेष जिलों का आईजीई 85–95 के बीच है।

- चरण–।। के जिलों के मामले में भी आईजीई में काफी सुधार हुआ है जबकि आईजीई–95 वाले जिलों की संख्या 1997–98 में 31 थी, 1998–99 में वह बढ़कर 35 और 1999–2000 में 56 तक पहुंच गई। ऐसे केवल 7 जिले हैं जिनमें आईजीई 85 से कम है।

सामाजिक अन्तर

- सभी चरण–। जिलों में अनुसूचित जातियों के मामले में सामाजिक समानता सूचकांक 100 से अधिक है (इसका कारण संभवतः कम आयु के बच्चे और अधिक आयु के बच्चे और साथ ही जाति समूहों की सूचियों में फेरबदल है)। कर्नाटक में चरण–।। के ऐसे 72 जिलो में से जिनमें अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 5 प्रतिशत से अधिक थी, 7 जिलों में आईएसई 75 से कम था। पिछले वर्ष इस श्रेणी का एक भी जिला नहीं था।
- जिन 22 जिलों का अध्ययन किया गया और जिनमें अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या चरण–। की कुल जनसंख्या की तुलना में 5 प्रतिशत से अधिक है, 11 जिलों में अनुसूचित जनजातियों के बच्चों का आईएसई 95 से अधिक था जबकि 1995 में ऐसे जिलों की संख्या 6 थी और दो जिलों में आईएसई 85 से कम था, जबकि 1995 में ऐसे जिलों की संख्या 12 थी।
- चरण–।। के जिन 37 जिलों का अध्ययन किया गया और जिनमें अनुसूचित जनजातियों के लोगों की जनसंख्या कुल जनसंख्या के 5 प्रतिशत से अधिक थी, उनमें से 16 जिलो का सामाजिक समानता सूचकांक 105 से अधिक था और 7 जिलों का ऐसा सूचकांक 75 से कम था। 1997 में 23 जिलों में सामाजिक समानता सूचकांक 95 से अधिक और एक जिले में 75 से कम था।

एक ही कक्षा में दो बार पढ़ने वालों, शिक्षा बीच में छोड़ने वाले बच्चों का अनुपात तथा आन्तरिक दक्षता

- डीपीईपी के अधीन बाल केन्द्रित क्रियाकलापों पर बल देते हुए जो शिक्षाशास्त्रीय उपाय किए गए हैं उनके फलस्वरूप एक ही कक्षा में दोबारा पढ़ने वाले छात्रों के अनुपात में अत्यधिक सुधार हुआ है और चरण–। के जिलों में जहां ऐसे बच्चों का अनुपात 1995–96 में 8.7 प्रतिशत था 1998–99 में वह घट कर 5.8 प्रतिशत रह गया।

  कक्षा 1 में एक ही कक्षा में दोबारा पढ़ने वाले छात्रों का प्रतिशत उच्चतर बना हुआ है जिसका आंशिक कारण कम आयु के बच्चों का नामांकन है। चरण–।।/।।। के जिलों में एक ही कक्षा में दोबारा पढ़ने वाले छात्रों का समग्र अनुपात 1997–98 और 1998–99 के बीच 9.1 प्रतिशत से घटकर 8.4 प्रतिशत रह गया। फिर भी चरण–।। के 7 जिले ऐसे हैं जिनमें से 5 असम में स्थित हैं जिनमें एक ही कक्षा में दोबारा पढ़ने वाले छात्रों का अनुपात 20 प्रतिशत से अधिक बना हुआ है।
- शिक्षा बीच में छोड़ने वाले बच्चों के अनुपात और आन्तरिक दक्षता संबंधी अध्ययन से यह पता चलता है कि इस समय अधिकांश जिलों में शिक्षा बीच में छोड़ने वाले बच्चों का अनुपात 17–31 प्रतिशत है।
- आन्तरिक दक्षता की प्रवृत्ति, जो कि प्राथमिक स्कूल की अध्यापन–अधिगम की आदर्श अवधि की तुलना में वास्तविक अवधि का माप होती है, भी उत्साहपूर्ण रही। 80 प्रतिशत या इसके अधिक आन्तरिक दक्षता वाले जिलों की संख्या जो 1996 में 19 थी, वह 1997 में बढ़कर 27 हो गई। 70 प्रतिशत तथा उससे निम्नतर दक्षता वाले जिलों की संख्या जो 1996 में 9 थी, वह 1997 में घट कर 6 रह गई। 15 जिलों में आन्तरिक दक्षता लगभग वही रही।

अधिगम उपलब्धि

चरण–। राज्यों के विस्तार जिलों सहित 9 राज्यों के 59 जिलों, चरण–।। में शामिल उत्तर प्रदेश के 15 जिलों तथा उड़ीसा के 3 विस्तार जिलों के सम्बंध में मध्यावधि मूल्यांकन सर्वेक्षण अब प्राप्त हो गया है। सर्वेक्षण के निष्कर्ष समग्रतः उत्साहवर्द्धक हैं। 44 जिलों में कक्षा 1 में भाषा में और 51 जिलों में गणित में समग्र

निष्पादन स्तर 60 प्रतिशत अंक को पार कर चुका है। इनमें से कई जिले तो 80 प्रतिशत अंक को भी पार कर गए हैं तथापि उपान्तिम कक्षा का निष्पादन इतना उत्साहवर्द्धक नहीं रहा है क्योंकि केवल 8 जिलों ने भाषा में और 4 जिलों ने गणित में 60 प्रतिशत अंक का स्तर पार किया है।

- बीएएस 1997 में छात्रों के निष्पादन की तुलना 2000 में आयेाजित की गई उसी परीक्षा में छात्रों के निष्पादन के साथ करने पर भाषा और गणित दोनों में उल्लेखनीय सुधार का परिचय मिला है और यह सुधार प्रारम्भिक अवस्था में अधिक मुखर हुआ है। कक्षा 1 में 30 जिलों ने भाषा में और 42 ने गणित में 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की है, उनमें से कई तो 25 प्रतिशत की वांछित वृद्धि का स्तर पहले ही पार कर चुके हैं। उपान्तिम कक्षा में वृद्धि हालांकि कक्षा 1 जैसी नहीं है फिर भी उत्साहवर्द्धक है। काफी अर्थात् 15 जिलों ने भाषा में और 20 जिलों ने गणित में 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि का परिचय दिया है जिनमें से कई 25 प्रतिशत का वांछित स्तर पार कर चुके हैं।
- जहां तक डीपीईपी के लड़कों और लड़कियों के निष्पादन के बीच के अन्तर को घटाकर 5 प्रतिशत से भी कम किए जाने का सम्बंध है कक्षा 1 के मामले में 8 राज्यों में 56 में से 49 जिलों में भाषा में और 56 में से 42 जिलों में गणित में इस लक्ष्य को पूरा कर लिया गया हैं। कक्षा 3 में उपलब्धि में लैंगिक अन्तर 13 जिलों में से 11 जिलों में भाषा में और गणित में 13 में से 13 जिलों में समाप्त कर दिया गया है। कक्षा 4 में लड़कों और लड़कियों के निष्पादन के बीच का अन्तर 43 में से 41 जिलों में भाषा में और 43 में से 42 जिलों में गणित में घटा कर 5 प्रतिशत से कम पर ला दिया गया है।

जनशाला नामक एक समुदाय-आधारित प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि विशेष रूप से सुविधाविहीन समुदायों, सीमांत समूहों, अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों/ अल्पसंख्यकों की लड़कियों और बच्चों, कामकाजी बच्चों और विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा अधिक सुलभ और प्रभावकारी बनाई जाए।

शिक्षण कक्षा स्थिति में सुधार

- शिक्षण कक्ष प्रक्रियाओं में सुधार लाना डीपीईपी कार्यनीति का मूलमंत्र रहा है। इस कार्यनीति के प्रमुख तत्त्व इस प्रकार हैं: अध्यापकों की समुचित उपलब्धता, उनकी क्षमता और अभिप्रेरण, स्तरीय अध्यापन/ अधिगम सामग्री तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता।
- डीपीईपी प्रणाली के सभी 10 लाख अध्यापकों ने एक बार और अधिकांश ने एक बार से अधिक सेवाकालीन प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है। अध्यापकगण प्रतिवर्ष प्रायः 5–10 दिन का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं।
- जैसा कि पाठ्यपुस्तकों से सम्बन्धित अध्ययन से पता चलेगा स्थानीय संसाधन समूहों के माध्यम से सभी राज्यों में पाठ्यपुस्तकें, वह भी विकेन्द्रीकृत पद्धति से तैयार कर ली गई हैं। प्रत्येक अध्यापक को प्रति वर्ष मिलने वाली 500 रुपये की छोटी सी रकम भी, जिसे अध्यापन/अधिगम सामग्री बना पाते हैं, बहुत सहायक रही है।

भौतिक आधारिक सुविधाएं

- डीपीईपी में सिविल निर्माण कार्य सफलता की कहानियों के रूप में रहे हैं। ऐसा केवल निर्मित किए गए भवनों की संख्या की दृष्टि से नहीं बल्कि विभिन्न नवाचारों और प्रक्रियाओं के कारण भी है। निर्माण कार्य में समुदाय को पहली बार और इतने बड़े पैमाने पर सहयोजित किए जाने के फलस्वरूप स्वामित्व की भावना बढ़ी है और निर्माण कार्य की गुणवत्ता में उल्लेखीय सुधार हुआ है। सभी राज्यों ने नए भवनों के लिए बाल संवेदी डिजाइन अपना लिए हैं।
- डीपीईपी के अधीन लगभग 16,500 नए स्कूल और 24,000 अतिरिक्त शिक्षण कक्षों का निर्माण किया जा चुका हैं और इस प्रकार लगभग 22 लाख अतिरिक्त बच्चों के लिए शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं। 9000 स्कूलों और 8000 शिक्षण कक्षों का निर्माण कार्य प्रगति पर है जिसके फलस्वरूप

12 लाख और बच्चों को शैक्षिक सुविधाएं सुलभ हो जाएंगी।

नए माडल

राज्यों और जिलों को 'पूरी तरह सोचने' और नमनशीलता की अनुमति दिए जाने के फलस्वरूप अनेक नवाचारी उपाय उभरे हैं, जिनमें से कुछेक निम्नानुसार हैं:

- मध्य प्रदेश में शिक्षा गारंटी योजना (ईजीएस);
- बिहार में अपना/अंगना विद्यालय;
- महाराष्ट्र तथा इसी तरह अन्यत्र भी प्रेरणा विद्यालय;
- स्कूलों में दोहरी पारी; तथा
- लागत में बचत वाले तथा बेहतर स्कूल भवन डिजाइन।

क्रियाकलाप आधारित आनन्दपूर्ण अध्यापन–अधिगम

जनशाला (भारत सरकार-संयुक्त राष्ट्र) कार्यक्रम

जनशाला (भारत सरकार–संयुक्त राष्ट्र) कार्यक्रम भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र की पांच एजेंसियों अर्थात यूएनडीपी, यूनिसेफ, यूनेस्को, आईएलओ और यूएनएफपीए का एक संयुक्त प्रयास है जिसका उद्देश्य प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण (यूईई) के लक्ष्य की पूर्ति की दिशा में पहले से किए जा रहे प्रयासों को कार्यक्रम सहयोग प्रदान करना है। जनशाला नामक एक समुदाय आधारित प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य यह है कि विशेष रूप से सुविधाहीन समुदायों, सीमांत समूहों, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अल्पसंख्यकों की लड़कियों और बच्चों, कामकाजी बच्चों और विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा अधिक सुलभ और प्रभावकारी बनायी जाए। जनशाला की एक अनूठी विशेषता यह है कि यह एक व्यापक ब्लाक आधारित कार्यक्रम है जिसमें समुदाय की सहभागिता और विकेन्द्रीकरण पर बल दिया जाता है।

इस कार्यक्रम के लिए यूएनडीपी, यूनिसेफ, यूएनएफपीए ने 20 मिलियन अमरीकी डालर के योगदान का वचन दिया है जबकि यूनेस्को और आईएलओ ने तकनीकी जानकारी देने की पेशकश की है। विश्व में यह पहला कार्यक्रम है जिसमें शिक्षा में पहल को सहयोग देने के लिए संयुक्त राष्ट्र की पांच एजेंसियां एकजुट हो गयी हैं और उन्होंने संसाधन इकट्ठे किए हैं।

विस्तार, परियोजना लागत और अवधि

इस कार्यक्रम को 9 राज्यों अर्थात आंध्र प्रदेश, झारखंड (पूर्व में बिहार), कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के 105 ब्लाकों में कार्यान्वित किया जा रहा है और इस परियोजना का कुल व्यय 98.29 करोड़ रुपए है। जनशाला कार्यक्रम पांच वर्षों अर्थात 1998–2002 तक चलेगा। कार्यक्रम को तकनीकी अनुसमर्थन राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रबंध यूनिट (एनपीएमयू) द्वारा प्रदान किया जाता है। राज्य स्तर पर यह कार्यक्रम शैक्षिक प्रशासन के तंत्रों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है।

पद्धति और कार्यनीतियां

पांच वर्षीय कार्यक्रम अनुसमर्थन की पद्धति और कार्यनीतियों के पांच तत्त्व निम्नानुसार हैं:

- स्कूल प्रबंध और अनुसमर्थन के लिए समुदाय आधारित तंत्रों का सुदृढ़ीकरण
- सरकारी और स्थानीय निकाय स्कूलों को "अधिकारिता से युक्त सामुदायिक स्कूलों" के रूप में विकसित करना
- सेवा–पूर्व और सेवाकालीन अध्यापक विकास कार्यक्रमों के माध्यम से बहुग्रेड क्लासरूमों के लिए अध्यापन प्रविधि में सुधार लाना ताकि उन्हें अधिक अन्योन्यक्रियापूर्ण, बाल केंद्रित और लैंगिक विभेद के प्रति संवेदी बनाया जा सके।
- अधिकारितायुक्त सामुदायिक स्कूलों के अध्यापकों

के लिए एक अध्यापक–अधिकारिता पैकेज तैयार करना।

- सर्वोत्तम क्लासरूम परिपाटियों, नीति और सामुदायिक सहभागिता संबंधी जानकारी के आदान–प्रदान को सुविधाजनक बनाना।
- एक एकीकृत सामाजिक उन्नति पद्धति लागू करना जिसमें शैक्षिक और विकासात्मक क्रियाकलाप और सभी एजेंसियों और मंत्रालयों द्वारा इन्पुट शामिल होंगे।

उपलब्धियां

सभी राज्यों ने समुदाय की सहभागिता के साथ सामुदायिक अभिप्रेरण क्रियाकलाप और गहन सूक्ष्म आयोजना कार्रवाइयां की हैं। जनशाला ब्लाकों में ग्राम शिक्षा समितियों, पीटीए तथा अन्य तृणमूल स्तर के तंत्र स्थापित कर दिए गए हैं और वे प्राथमिक स्कूलों में स्कूल स्तर, नामांकन और बच्चों को शिक्षा में बनाए रखने की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। जनशाला ने कार्यनीतियां तैयार करने और समुदाय की सहभागिता से जयपुर, हैदराबाद, अजमेर, भरतपुर, भुवनेश्वर, पुरी और लखनऊ की शहरी मलिन बस्तियों में स्कूल खोलने के अलावा कार्यक्रम क्षेत्रों में छोटी और दूरस्थ बस्तियों में बड़ी संख्या में वैकल्पिक स्कूल खोले हैं।

उपलब्धियों के अन्य क्षेत्र इस प्रकार हैं: अध्यापक शिक्षा, बहुग्रेड अध्यापन, विकलांगों की शिक्षा के लिए उपाय, ब्लाक और स्कूल संसाधन केन्द्रों की स्थापना तथा राज्य, जिला और ब्लाक स्तर पर क्षमताओं का सुदृढ़ीकरण।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का लक्ष्य यह है कि 2005 तक पूर्ण साक्षरता अर्थात 75 प्रतिशत का संधारणीय स्तर प्राप्त किया जाए। मिशन इस लक्ष्य की पूर्ति 15-35 आयु वर्ग के निरक्षरों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करके करना चाहता है। बल इस बात पर है कि अवशिष्ट निरक्षरता का उन्मूलन किया जाए और वयस्कों को जीवनपर्यन्त सीखने के लिए उपयोगी अवसर सुलभ कराए जाएं।

प्रौढ़ शिक्षा

मौजूदा परिदृश्य

विश्वव्यापीकरण में वैविध्यपूर्ण व्यक्तियों को नए और रचनात्मक ढंग से संगठित करने की क्षमता हैं। एक ज्ञान समृद्ध समाज में ऐसे साधन मौजूद रहते हैं जिनके बल पर स्वास्थ्य और आर्थिक कल्याण से लेकर व्यक्तिगत संतुष्टि तक के मुद्दों की ओर ध्यान दिया जा सकता है। राजनीतिक लोकतंत्र पददलित वर्गों के सदस्यों को अपने व्यक्तिगत और सामूहिक भाग्यों का निर्माण करने में अधिक अधिकार प्रदान करता है।

इन लक्ष्यों की पूर्ति का रहस्य जैसाकि सारा संसार जानता है, निरक्षरता के विरुद्ध संघर्ष करना है। भारत के नीति निर्माताओं ने भी इस सचाई को समझ लिया था और 1980–89 के दशक में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन (एनएलएम) की स्थापना की गई। मिशन का लक्ष्य यह था कि प्रौढ शिक्षा को एक चिरअपेक्षित तात्कालिकता और गंभीरता प्रदान की जाए। सरकार के प्रयासों के बावजूद जनसंख्या वृद्धि और निरक्षरों की सतत रूप से बढ़ रही संख्या के प्रतिकूल प्रभाव को निष्क्रिय करने की दृष्टि से ऐसा करना आवश्यक था।

यह कोई आसान काम नहीं था किन्तु पहली सफलता केरल के कोट्टायम शहर में और उसके बाद एर्नाकुलम जिले में प्राप्त हुई जहां साक्षरता अभियान 1989 में शुरू किया गया था और जो एक वर्ष के भीतर पूरा हो गया था। यह पहला मौका था जबकि क्षेत्र विशिष्ट, समयबद्ध अभियान पद्धति कार्यान्वित की गई थी और अपने विकास कार्यक्रम चलाने और इस प्रकार अपने भविष्य का निर्धारण करने की जिम्मेदारी समुदाय पर आ गई थी (देखें बाक्स ए)।

एनएलएम की स्थापना के दस वर्षों के बाद इसमें नए प्राण फूंक दिए गए हैं ताकि यह नई चुनौतियों का सामना कर सके। 30 नवम्बर 1999 को सरकार ने जीवनपर्यन्त सीखने और राज्यों तथा जिला स्तरीय

बाक्स ए

अभियान पद्धति

सारे भारतवर्ष के राज्यों में समुदाय लोकगीत गाने और नाटक देखने के लिए इकट्ठे हो गए। जनता का ध्यान साक्षरता की ओर आकृष्ट करने के लिए विशाल जनसभाओं में छात्र, अध्यापक और सामुदायिक नेता एकत्र हो गए। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के 18 विकास ब्लाकों और 12 कस्बों में लोगों को साक्षरता केन्द्रों में जाने के लिए राजी करने के प्रयोजन से अध्यापकों ने घर–घर जाकर पक्ष–प्रचार किया।

ये बहुविध कार्रवाइयां उस राष्ट्रव्यापी समग्र साक्षरता अभियानों का अंग थीं जोकि एक समग्र दृष्टिकोण अपनाता है। प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम बड़ी आयु के छात्रों के लिए आमतौर पर बुनियादी पठन और लेखन में शिक्षा प्रदान करते हैं। प्रत्येक जिला–प्रेरित अभियान में वयस्क छात्र शामिल होते हैं और अभियान कलाकारों, नुक्कड़ नाट्यकर्मियों, लोकनर्तकों और सामुदायिक समितियों सहित पूरे समुदाय को साक्षरता के अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए अभिप्रेरित करते हैं।

समूचे भारतवर्ष के 588 जिलों में से 559 जिलों में साक्षरता अभियानों का प्रसार हो चुका है और 8.4 करोड़ व्यक्ति साक्षर हो चुके हैं। केरल पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाला पहला राज्य था। उदाहरण के लिए केरल के एर्नाकुलम जिले में छः से साठ वर्ष तक की आयु के 1,85,000 व्यक्तियों ने पढ़ना और लिखना सीख लिया है जिसका श्रेय 20,000 साक्षरता स्वयंसेवकों की प्रतिबद्धता को जाता है।

15–35 आयु वर्ग के वयस्कों को बुनियादी साक्षरता कौशल सिखाने के अलावा साक्षरता अभियानों ने ऐसे स्थानों पर बच्चों को नामांकित किया जहां गैर–औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम उपलब्ध नहीं थे। साथ ही, उन्होंने साक्षरता सामग्री में शामिल मुद्दों की बाबत जागरूकता भी उत्पन्न की और अध्यापकों तथा छात्रों में साक्षरता के भीतर एक दीर्घकालीन रुचि विकसित की। जब एक बार लोगों को ऐसा लगता है कि अभियान की प्रक्रिया और उसके आयोजन के तौर–तरीकों में उनकी साझेदारी है, तो सरकारी प्रयोजन के बिना भी साक्षरता को बढ़ावा देने और उसे बनाए रखने की दिशा में प्रयास जारी रह सकते हैं।

विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 2000 समारोह

संस्थानों को अधिकारों का प्रत्यायोजन करके विकेन्द्रीकरण पर बल देते हुए मिशन की अवधि बढ़ा दी है।

आशा है कि ऐसा करने से पूर्ववर्ती वर्षों के लाभों का सुदृढ़ीकरण होगा और साक्षरता आन्दोलन की उन्नति प्रेरित होगी। दिनांक 5 मई 2000 की अधिसूचना जारी किए जाने से एनएलएम के अधीन योजनाओं की आर्थिक सहायता के प्राचलों और मानदण्डों में बाद में वृद्धि कर दी गई है।

आंकड़े एक नज़र में

- 84.87 मिलियन व्यक्तियों को साक्षर बनाया जाना;
- 1998 – एनएफएचएस 1998–99 में (6+ आयु वर्ग में) साक्षरता की दर 63.1 प्रतिशत हो गई है;
- 1998 में 1991 की तुलना में 11 प्रतिशत का उछाल (पूर्ववर्ती दशकों में 8.5 प्रतिशत);
- वृद्धि दर शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में उच्चतर;
- महिला साक्षरता दर तेजी पर;
- एलएलएम का विस्तार देश के कुल 588 जिलों में से 559 जिलों में किया जा चुका है;
- निरक्षरों की संख्या में जोकि 1991 में 328.88 मिलियन थी, वास्तविक गिरावट आई और वह 1997 में घट कर 294.46 मिलियन रह गई।

उपलब्धियां

अभिवर्द्धित प्राचल और मानदण्ड भी इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि एनएलएम साक्षरता को प्रत्येक व्यक्ति का विशेष रूप से देश की महिलाओं का एक मूलभूत तत्त्व बनाने के अपने स्वीकृत लक्ष्य की पूर्ति में अच्छी उन्नति कर रहा है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) 1998–99 के अद्यतन आंकड़े राष्ट्रीय प्रतिदर्श संगठन द्वारा सूचित उत्साहवर्द्धक प्रवृत्ति की पुष्टि करते हैं। साक्षरता का स्तर जो कि 1991 में 52 प्रतिशत था, वह बढ़कर 1997 में 62 प्रतिशत (एनएसएसओ 53वां चक्र) तक पहुंच गया है। एनएफएचएस 1998–99 के अनुसार 6+ आयु वर्ग में साक्षरता का अनुपात 63.1 प्रतिशत है। लड़कों और लड़कियों की साक्षरता के बीच व्यापक अन्तर और अधिक कम हो गया है और सम्प्रति, लड़कियों की साक्षरता का अनुपात 51.4 प्रतिशत है। साक्षरता दरों में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच जो अन्तर बना हुआ था, उसमें भी उल्लेखनीय गिरावट आई है और आज की स्थिति में शहरी साक्षरता 80.1 प्रतिशत है, तो ग्रामीण साक्षरता 56.7 प्रतिशत है। इसका श्रेय समग्र साक्षरता अभियान को जाता है जो एक जिले के बाद दूसरे जिले में सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है।

देश में कुल 558 जिलों में से 559 जिलों में एनएलएम का विस्तार हो चुका है। अविच्छिन्न कार्यक्रम 95 जिलों में शुरू किया जा चुका है; साक्षरतोत्तर कार्यक्रम 292 जिलों में जारी है; जबकि समग्र साक्षरता अभियान 172 जिलों में चल रहा है। जीवन के सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक करोड़ बीस लाख से अधिक स्वयंसेवकों को साक्षरता कार्यक्रमों के साथ जोड़ा गया है जिसके कारण स्वतंत्रता संघर्ष के बाद यह अभियान सर्वाधिक विशाल स्वयंसेवी आन्दोलन बन गया है।

महिलाओं, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों में साक्षरता की ओर प्रोत्साहन और विशेष बल दिया जा रहा है। इस बात का पता इस तथ्य से चलता है कि छात्रों में एक बहुत बड़ा प्रतिशत अर्थात 63 प्रतिशत महिलाओं का है जबकि 23 प्रतिशत अनुसूचित जातियों से तथा 13 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित है।

राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य साक्षारता दर की दृष्टि से पिछड़े हुए राज्य थे। अभियानों के शुरू किए जाने से पूर्व इन राज्यों में साक्षरता के जो अत्यान्त निम्न अनुपात बने हुए थे, उन्हीं के कारण इन राज्यों में शुरूआत धीमी रही थी। स्थितियां ऐसी थीं कि नवाचारी पद्धतियां अपनाई जानी चाहिए थीं। तथापि हाल के सर्वेक्षणों से अत्यन्त उत्साहवर्द्धक प्रवृत्तियों का पता चला है और यह जानकर संतोष हुआ है कि इन राज्यों में वृद्धि की दर अन्य राज्यों की तुलना में उच्चतर रही है। इस प्रकार हालांकि इन राज्यों में शुरूआत कमजोर थी, फिर भी अभियान के सारतत्त्व और भावना का विस्तार इन राज्यों में भी हुआ है।

मिशन के साक्षरता कार्यक्रमों की एक अन्य महत्त्वपूर्ण उपलब्धि निरक्षरों की संख्या में आई गिरावट है। देश में जानसंख्या वृद्धि की चुनौती का मुकाबला करना एक जबरदस्त चुनौती थी। स्वतंत्रता के बाद यह पहला मौका है जबकि साक्षरता की वृद्धि दर जनसंख्या की वृद्धि दर से बढ़ गई है।

लक्ष्य और उद्देश्य

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का लक्ष्य यह है कि 2005 तक पूर्ण साक्षरता अर्थात 75 प्रतिशत का संधारणीय स्तर प्राप्त कर लिया जाए। मिशन 15–35 आयु वर्ग के निरक्षारों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने के इस लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए प्रयासरत है। यह आयु वर्ग ध्यान का केन्द्र रहा है क्योंकि इसी आयु वर्ग के लोग जीवन के उत्पादनशील और प्रजनन अवधि के होते हैं। यदि इन लोगों ने मुख्यधारा की औपचारिक शिक्षा का अवसर गंवा दिया है अथवा उन्हें उससे वंचित रखा गया

उपलब्धियां

- राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में मानदण्डों और प्राचलों सहित नए प्राण फूंके गए और इसकी योजनाओं का कार्यक्षेत्र काफी बढ़ा दिया गया;
- साक्षरता कार्यक्रमों तथा अधिक सहयोजन एवं सहभागिता की दृष्टि से जिला साक्षरता सोसायटियों को अपनी शक्तियों को महिला मण्डलों, स्थानीय क्लबों, लघु उद्योगों जैसे स्थानीय सामुदायिक समूहों की शक्तियों के साथ जोड़ने की अनुमति देना;
- जिला सहकारी सोसायटियों को जन शिक्षण संस्थानों द्वारा संसाधन समर्थन प्रदान किया जाना जिससे कि ये सोसायटियां व्यावसायिक और कौशल विकास कार्यक्रम हाथ में ले सकें;
- गैर–सरकारी संगठनों को अवच्छिन्न शिक्षा केन्द्र चलाने की अनुमति दी गई;
- नव–साक्षरों को और अधिक संख्या में पुस्तकें, पत्र–पत्रिकाएं उपलब्ध कराई जाएं;
- ग्रामीण पुस्तकालयों के स्तरोन्नयन में सहायता देने के लिए पत्र–पत्रिकाओं के प्रकाशन के लिए तेरह परियोजनाएं मंजूर की गई।

विभिन्न अभियानों के अधीन जिला समावेश

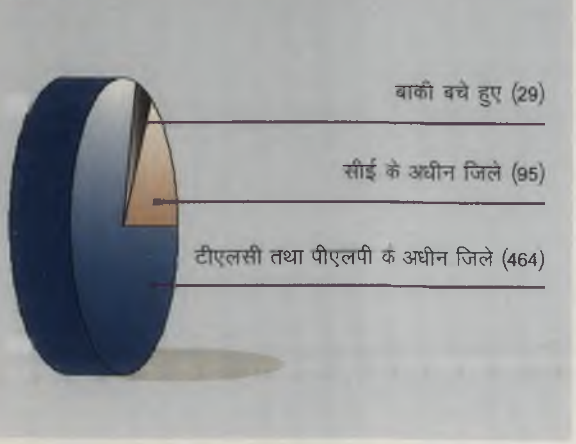

स्वतंत्रता के बाद पहली बार निरक्षरों की कुल संख्या में वस्तुतः गिरावट आई है

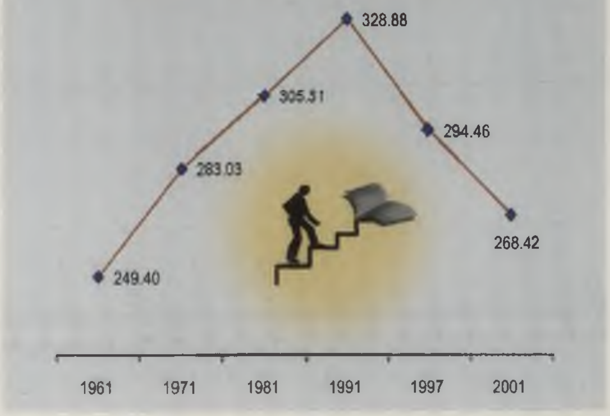

है, तो समग्र साक्षरता अभियान उन्हें दूसरा मौका देता हैं।

मिशन ऐसे क्षेत्रों के 9–14 आयु वर्ग के बच्चों को भी समाकलित करता है जहां गैर–औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम मौजूद नहीं होते जिससे कि साक्षरता के लाभ स्कूल–बाह्य बच्चों तक भी पहुंच सकें। इन कार्यक्रमों का प्रमुख बल महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों में साक्षरता को बढ़ावा देने पर रहा है।

नवसाक्षरों द्वारा साक्षरता अभियान की छोटी सी अवधि में अर्जित अधिगम कौशल सर्वाधिक दुर्बल होते हैं। यदि नवसाक्षरों के साक्षरता स्तरों के सुदृढ़ीकरण, उन्हें बनाए रखने और संभवतः उनके संवर्धन की दिशा में विशेष प्रयास जारी नहीं रखे जाते, तो उनके आंशिक अथवा पूर्ण निरक्षरता की स्थिति में पहुंच जाने का वास्तविक भय रहता है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का अन्ततः लक्ष्य यह सुनिश्चित करना होता है कि समग्र साक्षरता कार्यक्रम और उनके फलस्वरूप साक्षरतोत्तर कार्यक्रम सफलतापूर्वक अविच्छिन्न शिक्षा का रूप ले लें जो कि जीवपर्यन्त अधिगम प्रदान करते हैं और जो एक प्रबुद्ध समाज के निर्माण के लिए जिम्मेदार है।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने मिशन पद्धति से कार्यान्वित किया जाने वाला एक एक–वर्षीय साक्षरतोत्तर कार्यक्रम तैयार किया है। सच तो यह है कि इसने समग्र साक्षरता कार्यक्रम की पूर्ति के साथ–साथ साक्षरतोत्तर कार्यक्रम की आयोजना और शुरूआत पर अत्यधि बल दिया है।

प्रत्येक जिला अनूठा होता हैं। छात्र समान रूप से सम्पन्न नहीं होते तथा उनकी क्षमताएं और योग्यताएं भिन्न–भिन्न होती हैं। इसलिए साक्षरतोत्तर कार्यक्रमों की अभिकल्पना तथा कार्यान्वयन में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने अधिक नमनशीलता और नवाचार की छूट और प्रोत्साहन दिया है। सम्बन्धित जिला साक्षरता समिति को जिले और छात्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप माडल तैयार करने की छूट प्राप्त है।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने मिशन पद्धति से कार्यान्वित किया जाने वाला एक एक-वर्षीय साक्षरतोत्तर कार्यक्रम तैयार किया है। सच तो यह है कि इसने समग्र साक्षरता कार्यक्रम की पूर्ति के साथ-साथ साक्षरतोत्तर कार्यक्रम की आयोजना और शुरूआत पर अत्यधि बल दिया है।

एकीकृत कार्यनीति

निरक्षरता का उन्मूलन और अविच्छिन्न शिक्षा को सरकार द्वारा प्राथमिकता के क्षेत्र के रूप में अभिज्ञात किया गया है। इस लक्ष्य की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को जारी रखने का महत्त्व समझती है। साक्षरता अभियान के प्रारम्भिक चरण जीवनपर्यन्त शिक्षा के अग्रिम चरण के साथ चलते रहते हैं। निरक्षर व्यक्ति के लिए कार्यात्मक साक्षरता को एकबारगी लाभ की जगह सांतत्य के रूप में समझने का अर्थ यह है कि साक्षरता के प्रयासों की प्रगति की दिशा लक्ष्य की ओर उन्मुख है।

बुनियादी साक्षरता शिक्षण का पहला चरण और सुदृढ़ीकरण, उपचार तथा स्तरोंन्नयन का दूसरा चरण राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा आजकल कार्यान्वित किए जा रहे कार्यक्रमों के व्यापक अनुष्ठान–निर्देशों के भीतर प्रौढ़ साक्षरता की दो प्रमुख कार्यनीतियों का निर्माण करते हैं। यद्यपि इनकी परिकल्पना दो सर्वथा अलग चरणों के रूप में की गई है, फिर भी वस्तुतः वे एक वयस्क निरक्षर व्यक्ति को साक्षरता कौशल प्रदान करने वाली एक विस्तारशील नीति के दो अत्यन्त गहरे जुड़े पक्ष हैं। समग्र साक्षरता अभियान और साक्षरतोत्तर कार्यक्रम अधिगम ग्राफ की दो कार्यचालनात्मक अवस्थाओं का निर्माण करते हैं और अब उन्हे एक एकीकृत परियोजना के रूप में समझा जा रहा है। ऐसा करने से एक अवस्था से दूसरी अवस्था तक जाना, एक और उसी बजट प्रावधान से आर्थिक अनुरक्षण प्राप्त करना सुचारु हो जाएगा।

केन्द्र और राज्य सरकार के बीच वित्तपोषण का अनुपात जनजातीय उपयोजना को छोड़कर जहां इस आशय का अनुपात 4:1 है, 2:1 है। अब कार्यान्वयन एजेन्सियों को साक्षरतोत्तर चरण के दौरान मूल साक्षरता क्रियाकलापों पर खर्च करने की अनुमति है।

यद्यपि समग्र साक्षरता अभियानों ने जन आन्दोलनों का रूप ले लिया और वे सारे देश में बहुत तेजी के साथ फैल गए लेकिन अनेक मामलों में अनेक अभियान प्राकृतिक आपदाओं, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, कलेक्टरों के जल्दी–जल्दी तबादलों आदि जैसे कारणों से गत्यावरोध में जकड़ गए। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के लिए नौवीं योजना के दौरान गत्यावरोध में जकड़ी परियोजनाओं को बहाल करना एक प्राथमिकता का क्षेत्र है। बहाली की प्रक्रिया में इस आशय के प्रयास किए जाते हैं:

- यथार्थ स्थितियों का जायजा लेना;
- प्रभावी कार्यनीतियां तैयार करना; तथा
- कार्यक्रमों को वापिस पटरी पर लाना।

अल्पसंख्यक/अन्य पिछड़े वर्गों की नवसाक्षर एसआरसी के नवाचारी परियोजना केन्द्र,टोपसिया में कपड़ों की सिलाई करते हुए

अविच्छिन्न शिक्षा

सभी पणधारियों को यह सुनिश्चित करने की दिशा में एकजुट प्रयास करने होंगे कि पिछले दशक की उपलब्धियां बेकार न चली जाएं। सारे विश्व के शिक्षाविद अधिकाधिक रूप से यह स्वीकार कर रहे हैं कि प्रौढ़ बुनियादी शिक्षा की संकीर्ण अवधारणा से आगे बढ़ना महत्त्वपूर्ण है। इस सन्दर्भ में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने अविच्छिन्न शिक्षा को अपने क्रियाकलापों का एक अनिवार्य घटक बना दिया है।

अविच्छिन्न शिक्षा केन्द्रों (सीईसी) तथा नोडल अविच्छिन्न शिक्षा केन्द्रों (एनसीईसी) की स्थापना अविच्छिन्न शिक्षा कार्यक्रम कार्यान्वित करने का प्रमुख माध्यम है। ये केन्द्र क्षेत्र–विशिष्ट समुदाय–आधारित पद्धति अपनाते हैं। योजना में ऐसी परिकल्पना की गई है कि प्रत्येक गांव के लिए एक सीईसी लगभग 2000–2500 व्यक्तियों की सेवा करेगा। इस प्रकार के आठ–दस केन्द्रों से एक संकुल का निर्माण होता है जिनमें से एक नोडल सीईसी के रूप में काम करता है।

ये केन्द्र पूर्णकालिक सुसाध्यकारी व्यक्तियों अथवा प्रेरकों द्वारा चलाए जाते हैं जिनका चयन स्वयं समुदाय के भीतर से किया जाता है। एक अविच्छिन्न शिक्षा केन्द्र निम्न रूप में काम करता है:

- पुस्तकालय और वाचनालय;
- शेष निरक्षरों और नवसाक्षरों के लिए अध्यापन–अधिगम केन्द्र;
- व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र;
- अन्य विकासात्मक विभागों की सुविधाओं के लिए विस्तार केन्द्र;
- विचारों का आदान–प्रदान करने और समस्याओं को हल करने के लिए विचार–विमर्श मंच;
- समुदाय के लिए एक संयुक्त सूचना खिड़की;
- सांस्कृतिक केन्द्र; तथा
- खेलकूद और मनोरंजन केन्द्र।

सीईसी इन प्रयोजनों के लिए क्षेत्र–विशिष्ट, आवश्यकता–आधारित अवसर उपलब्ध कराते हैं: बुनियादी साक्षरता, साक्षरता कौशलों का स्तरोन्नयन, वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रमों का अनुसरण, व्यावसायिक कौशल तथा वे सामाजिक और व्यावसायिक उन्नति को भी बढ़ावा देते हैं।

सम्प्रति, अविच्छिन्न शिक्षा कार्यक्रम 95 जिलों में चलाए जा रहे हैं। 67,800 से अधिक सीईसी तथा 8,500 एनईसी मंजूर किए जा चुके हैं। नोडल सीईसी सहित सभी सीईसी प्रयोक्ता समुदाय के सक्रिय परामर्श से खोले जाते हैं और कार्यक्रम उनकी मांगों की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए तैयार किए जाते हैं। निरक्षरों को साक्षरता कौशल प्रदान करने पर बल बनाए रखा जाता है। प्रवेशिकाएं पढ़ाने, लक्षित समूहों को अभिज्ञात करने, बुनियादी निरक्षरता के उन्मूलन से सम्बन्धित कार्य की अन्य मदें निर्बाध रूप से चलती रहती हैं। सीईसी में बुनियादी साक्षरता कार्यक्रम चलाने के लिए एक सहायक

बाक्स बी

एक अधिगमशील समाज का निर्माण

अविच्छिन्न शिक्षा पर जो बल दिया जाता है, उसमें ग्रामीण पुस्तकालयों की ओर ध्यान दिया जाना शामिल है जिनमें सारे देश के गांवों में और अधिक संख्या में पुस्तकें, और अधिक पत्रिकाएं तथा और अधिक आवधिक पत्रिकाएं उपलब्ध होंगी। यह विशेष रूप से प्रासंगिक है क्योंकि अधिकांश जिले साक्षरतोत्तर कार्यक्रम पूरा करके अविच्छिन्न शिक्षा चरण की ओर बढ़ने वाले हैं। सुदृढ़ीकृत राज्य संसाधन केन्द्र, ग्रामीण और शहरी नव–साक्षरों के लिए पुस्तकें तथा अन्य साक्षरता सामग्री तैयार करेंगे और उसका प्रसार करेंगे। नव–साक्षरों के लिए उपलब्ध पत्र–पत्रिकाओं की अभिवर्द्धित संख्या यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि वे पुनः निरक्षरता की स्थिति में न पहुंच जाएं।

17 राज्य भाषाओं और 54 क्षेत्रीय बोलियों में आधारभूत पठन सामग्री तैयार कर ली गई है। पत्र–पत्रिकाओं के प्रकाशन से सम्बन्धित तेरह परियोजनाएं अनुमोदित की जा चुकी हैं और मंजूरी जारी की जा चुकी है। प्रकाशन का काम किसी एक गैर–सरकारी संगठन को आबंटित करने की बजाय बोलीदाताओं को आमंत्रित करने के लिए एक व्यापक विज्ञापन दिया गया था और व्यापक मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित किए गए थे। इन पत्र–पत्रिकाओं की गुणवत्ता और अन्तर्वस्तु सुनिश्चित करने के लिए एक अनुश्रवण समिति का गठन किया जा चुका है जिसमें एनएलएम की सहायता–अनुदान समिति के सदस्य शामिल हैं।

प्रेरक नियुक्त किया जाता है। यह योजना सीईसी की स्थापना करने के अलावा निम्न कार्यक्रम चलाती है:

समकक्षता कार्यक्रम – यह कार्यक्रम मौजूदा औपचारिक, सामान्य अथवा व्यावसायिक शिक्षा के एक वैकल्पिक शिक्षा कार्यक्रम के रूप में तैयार किया जाता है।

आयसृजक कार्यक्रम – यह कार्यक्रम वहां शुरू किया जाता है जहां सहभागी अपने व्यावसायिक कौशल अर्जित कर लेते हैं अथवा उनका स्तरोन्नयन कर लेते हैं और आयसृजक कार्यकलाप हाथ में लेते हैं।

एक जन शिक्षण संस्थान में एक कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द

जीवन स्तर में सुधार का कार्यक्रम – इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों और समुदाय को उनके जीवन स्तर के उन्नयन के लिए आवश्यक ज्ञान, अभिवृत्ति, मूल्य और कौशल प्रदान करना है।

व्यक्तिगत रुचि प्रोन्नति कार्यक्रम – यह कार्यक्रम छात्रों को व्यक्तिगत रूप से चुनी गई अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, स्वास्थ्य, शारीरिक तथा कलात्मक रुचियों में भाग लेने और उन्हें सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है।

इस कार्यनीति के एक अंग के रूप में ग्रामीण पुस्तकालय स्थापित करने पर बल दिया जाता है जोकि नवसाक्षरों को उन्हीं की भाषा में पठन तथा अधिगम सामग्री उपलब्ध कराएंगे (देखें बाक्स बी)।

अविच्छिन्न शिक्षा की योजना की आयोजना और कार्यान्वयन में गैर–सरकारी संगठनों, स्वैच्छिक एजेन्सियों, समाज सेवकों तथा पंचायती राज संस्थानों के सहयोजन से व्यापक स्वीकृति और स्थानीय संधारणीयता प्राप्त हो जाती है। अनेक विकासात्मक विभाग, तकनीकी संस्थान और व्यावसायिक समूह कार्यक्रम के लिए अपेक्षित इन्पुट प्रदान करते हैं। आवश्यक संसाधन और प्रशिक्षण सहयोग प्रदान करके राज्य संसाधन केन्द्र और जन शिक्षण संस्थान परस्पर सहयोग करते है।

राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरणों को सामर्थ्यवान बनाना

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा किए जा रहे प्रयासों, अभियानों और कार्यक्रमों के साथ चलते हुए यह निर्णय लिया गया है कि सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के आधीन पंजीकृत राज्य स्तरीय सोसायटियों अर्थात राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरणों (एसएलएनए) को सुदृढ़ बनाया जाए तथा उनमें नए प्राण फूंके जाएं। यह प्रक्रिया विकेन्द्रीकरण की दिशा में एक कदम है क्योंकि इससे यह पता चलता है कि एसएलएमए एक ऐसी स्थिति में पहुंच चुके हैं जो कार्यक्रम उनके राज्यों में शुरू किए जा रहे है, उनके लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। प्रशासनिक और वित्तीय अधिकारों को उन्हें प्रत्यायोजित किए जाने के फलस्वरूप एक अधिक तीव्रगामी प्रशासनिक तंत्र उभरेगा और इसलिए कार्यक्रमों को जल्दी शुरू किया जा सकेगा और बिना देरी लगाए निर्णय लिए जा सकेंगे जिसके फलस्वरूप और अधिक प्रभावशील विकास कार्यक्रम देखने में आ सकेंगे। प्रत्येक राज्य को एक राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण स्थापित करना होगा। नए एसएलएमए को अब अविच्छिन्न शिक्षा परियोजनाएं मंजूर करने के लिए अधिकार प्रदान कर दिए गए हैं। इस प्रकार एसएलएमए :

- अब अविच्छिन्न शिक्षा की योजना के अनुश्रवण और कार्यान्वयन के लिए राज्य स्तर पर अब नोडल एजेंसी के रूप में काम करते हैं;
- उन्हें अविच्छिन्न शिक्षा परियोजनाओं को अनुमोदित करने का अधिकार दे दिया गया है तथा उन्हें निधियां उपलब्ध करा दी गई हैं; तथा
- उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने कार्यक्रमों और कार्यकलापों की योजना का कार्य पंचायत स्तर से ऊपर ब्लाक स्तर, नगपालिका स्तर, जिला स्तर और राज्य स्तर तक ले जाएंगे।

देश के अठारह राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरणों को राज्य स्तर पर साक्षरता कार्यक्रमों की आयोजना, कार्यान्वयन तथा अनुश्रवण के अधिकार दे दिए गए हैं।

आर्थिक सहायता के प्रावधान का उदारीकरण तथा एसएलएमए के सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में भारत सरकार का ऐतिहासिक निर्णय अविच्छिन्न शिक्षा की योजना के लिए शुभ है। ऐसा करने से राज्य सरकारों को अपने कौशलों का स्तरोन्नयन प्राप्त करने और अन्ततः अपने जीवन स्तर में सुधार लाने में समाज के सभी वर्गों की मदद करने का अवसर मिल जाएगा।

> आर्थिक सहायता के उदारीकरण का प्रावधान तथा एसएलएमए के सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में भारत सरकार का ऐतिहासिक निर्णय अविच्छिन्न शिक्षा की योजना के लिए शुभ है।

गैर–सरकारी संगठनों को सहयोग

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन अपने कार्यक्रमों और योजनाओं को बढ़ावा देने में गैर–सरकारी संगठनों की व्यापक क्षमता को पूरी तरह स्वीकार करता हैं। अतः राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना किए जाने के समय से ही उसने गैर–सरकारी संगठनों के साथ अपनी भागीदारी सुदृढ़ करने की दिशा में उपाय किए हैं। गैर–सरकारी संगठनों को आबंटित बड़ी भूमिका को ध्यान में रखते हुए उन्हें अब जिला साक्षरता समितियों से निधियां प्राप्त करने और वस्तुतः अविच्छिन्न शिक्षा केन्द्र चलाने की अनुमति दे दी गई है। गैर–सरकारी संगठन अब विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रमों में कार्यात्मक साक्षरता घटक के आयोजन तथा नवसाक्षरों को कार्यात्मक और तकनीकी शिक्षा प्रदान करने से सम्बन्धित क्रियाकलापों के लिए भी अनुदान प्राप्त कर सकते हैं।

नौवीं योजना के अधीन राज्य संसाधन केन्द्रों से इतर गैर–सरकारी संगठनों को अनुदान प्रदान करने का काम राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकारियों के माध्यम से विकेन्द्रीकृत कर दिया गया है। वित्तीय वर्ष के दौरान प्रदान किए गए कुल अनुदान में से 50 प्रतिशत अनुदान एसएलएमए के माध्यम से और शेष राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के माध्यम से वितरित किया जाएगा। अखिल भारतीय स्तर के गैर–सरकारी संगठनों से सम्बन्धित नवाचारी परियोजनाओं पर सहायता–अनुदान समिति द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर

विचार किया जाता है। उन्हें देश के सभी भागों में नवाचारी कार्यक्रमों के अलावा अविच्छिन्न शिक्षा कार्यक्रम कार्यान्वित करने के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

मौजूदा राज्य संसाधन केन्द्रों (एसआरसी) को सुदृढ़ बनाया जा रहा है और उनके वार्षिक अनुरक्षण अनुदानों में उपयुक्त वृद्धि की जा रही है। स्वतंत्र जिला संसाधन इकाइयों को अब एसआरसी में समाकलित किया जा रहा है। सम्प्रति, 25 एसआरसी प्रतिवर्ष 20,000 से अधिक प्रौढ़ शिक्षा प्रशिक्षकों और कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं।

सम्प्रति, एसआरसी दो वर्गों में बंटे हैं अर्थात ए और बी जिन्हें क्रमशः 60 लाख रुपए और 40 लाख रुपए का वार्षिक अनुदान प्राप्त होता है। वर्गीकरण काम की मात्रा के आधार पर किया जाता है। कार्य निष्पादन अथवा कार्य की अभिवर्द्धित मात्रा के आधार पर स्तरोन्नयन किया जाता है। नए संसाधन केन्द्रों को शुरू में निम्न वर्ग में रखा जाता है।

सभी एसआरसी जिनका प्रबन्ध चाहे एनजीओ के हाथों में हो या विश्वविद्यालयों के हाथों में, से यह अपेक्षा की जाती है कि वे राज्य में साक्षरता कार्यक्रमों, शैक्षणिक और तकनीकी संसाधन सहयोग प्रदान करेंगे। यह कार्य मुख्यतः इस प्रकार किया जाता है: प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन, सामग्री निर्माण, संगत सामग्री का प्रकाशन, विस्तार क्रियाकलाप, नवाचारी परियोजनाएं, अनुसंधान अध्ययन और मूल्यांकन। एनजीओ को सहयोग की योजना के अधीन स्वैच्छिक एजेन्सियों को प्रोत्साहित किया जाता है और निम्न जैसे क्रियाकलापों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है:

- सुपरिभाषित क्षेत्रों में निरक्षरता के समग्र उन्मूलन के उद्देश्य से उत्तर साक्षरता और अविच्छिन्न शिक्षा कार्यक्रम चलाना;
- राज्य संसाधन केन्द्रों (एसआरसी) तथा जिला संसाधन इकाइयों (डीआरयू) की स्थापना के माध्यम से संसाधन विकास क्रियाकलाप हाथ में लेना;
- नव–साक्षरों के लिए व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा कार्यक्रम आयोजित करना;
- नवाचार, प्रयोग और कार्य अनुसंधान को बढ़ावा देना;
- मूल्यांकन करना; तथा
- संगोष्ठियां और सम्मेलन आयोजित करना, संगत पुस्तकें और पत्र–पत्रिकाएं प्रकाशित करना तथा मास–मीडिया अनुसमर्थन सहायक–सामग्री का उत्पादन।

साक्षरता आन्दोलन में एनजीओ की सहभागिता बढ़ाने के लिए पिछले वर्ष 6 करोड़ रुपए की लागत की 32 नवाचारी परियोजनाएं शुरू की गईं।

बाक्स सी **सहभागितापूर्ण पद्धति**

साक्षरता आन्दोलन की स्वैच्छिक प्रकृति इसकी सर्वाधिक प्रेरक शक्ति रही है। व्यापक सहभागिता के फलस्वरूप अधिक संतोष, संधारणीयता और सफलता प्राप्त हुई है। इस बात को ध्यान में रखते हुए एनएलएम पंचायत स्तर पर प्रतिनिधियों की तथा उद्योगों और निगमित गृहों की सहभागिता को बढ़ावा देता रहा है।

साक्षरता कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए पंचायती राज प्रतिनिधियों को सुग्राही बनाने का काम सारे देश के एसआरसी द्वारा हाथ में लिया गया है। पंचायती राज प्रतिनिधियों को साक्षरता के प्रमुख तत्त्व समझाने के लिए कार्यशालाओं का नियमित रूप से आयोजन किया जाता है। उन्हें सामुदायिक सहयोजन और स्थानीय सहभागिता जुटाने के लिए प्रेरित किया जाता है जिससे कि पंचायती राज तंत्र को जिला साक्षरता समिति में अधिक सार्थक ढंग से समाकलित किया जा सके।

उद्योगों को कोई एक गांव अपनाने और उसे साक्षर बना देने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

जिला साक्षरता समितियां साक्षरता कार्यक्रमों पर निगाह रखना और उन्हें चलाने का काम करती रहेंगी और उन्हें इस बात की पूरी स्वतंत्रता होगी कि वे अपनी शक्तियों का अभिसरण स्थानीय युवा क्लबों, महिला मण्डलों, स्वैच्छिक एजेंसियों, पंचायती राज संस्थाओं, लघु उद्योगों और सहकारी संस्थाओं आदि के साथ करें।

जन शिक्षण संस्थान

श्रमिक विद्यापीठों को अब चुस्त बनाकर तथा उनमें नए प्राण फूंक कर उन्हें जनशिक्षण संस्थानों अर्थात जन शिक्षा के संस्थानों का नया नाम दे दिया गया है। जन शिक्षण संस्थान मोमबत्ती और अगरबत्ती बनाने से सिलाई करने तक और कसीदाकारी से कम्प्यूटर कार्यक्रमों तक लगभाग 225 व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की पेशकश करते है। ये संस्थान, ग्रामीण जनसंख्या को, हैण्डपम्प मरम्मात तथा रखरखाव, ट्रैक्टर मरम्मत जैसे संगत पाठ्यक्रमों की पेशकश करके उनकी मांगों को पूरा करते हैं। पिछले वर्ष 1,20,739 व्यक्तियों की जिनमें से 92,306 महिलाएं थीं (72.34 प्रतिशत) व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने का श्रेय इन्हीं संस्थानों को जाता है।

जन शिक्षण संस्थान समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लाभग्राहियों की मदद करते रहते हैं। इस वर्ष व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लाभग्राहियों में से 78.89 प्रतिशत लोग केवल 2500 रुपए मासिक आय वर्ग से सम्बन्धित थे।

आठवीं पंचवर्षीय याजना के अन्त तक देश में 58 जन शिक्षण संस्थान थे। नौवीं योजना में 50 और जेएसएस स्थापित करने की योजना बनाई गई थी जिनमें से 33 (अक्तूबर 2000 तक) पहले ही मंजूर किए जा चुके हैं। योजना की शेष अवधि में 17 और जेएसएस खोले जाने की योजना है। अधिकाधिक जिलों को योजना के अधीन लाने का विचार है जिससे कि अन्ततः प्रत्येक जिले में ऐसा कम से कम एक संस्थान तो अवश्य हो।

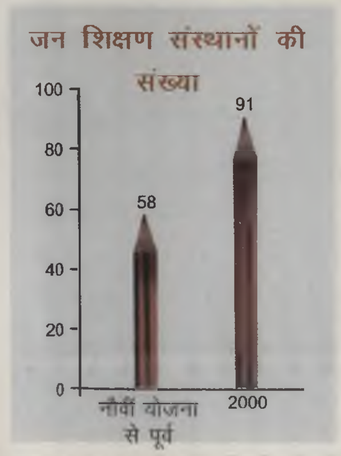

जन शिक्षण संस्थानों की स्थापना अधिकांशतः गैर–सरकारी संगठनों के तत्त्वावधान में की जाती है। इन संस्थानों को सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अधीन पंजीकृत कराया जाना आवश्यक होता है और इस कारण ऐसे संस्थानों को काफी स्वायत्तता प्राप्त होती है। भारत सरकार एक निर्धारित ढंग से इन संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है तथा विभिन्न शीर्षों के अधीन खर्च की जाने वाली निधियों की सीमा निर्धारित करती है। सरकार संस्थानों के कामकाज में दखल नहीं देती, लेकिन उनके निष्पादन पर निगाह रखती है और आगे अनुदान निर्मुक्त करने से पहले यह सुनिश्चित करती है कि निधियों का प्रयोग उनके मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार किया गया है।

नौवीं योजना में जेएसएस के क्रियाकलापों का संवर्धन किया जा रहा है और इनका आधारिक तंत्र सुदृढ़ बनाया जा रहा है ताकि उन्हें इस योग्य बनाया जा सके कि वे शहरी तथा ग्रामीण – दोनों क्षेत्रों में व्यावसायिक/तकनीकी कौशलों के जिला भण्डार के रूप में काम कर सके। जेएसएस को शहर/कस्बे की प्रकृति और उनके निष्पादन के आधार पर तीन वर्गों में बांटा गया है। जेएसए के निष्पादन का मूल्यांकन विख्यात संस्थानों द्वारा किया जाएगा और इस प्रकार जेएसएस की मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर उसे स्तरोन्नत अथवा पदोन्नत किया जा सकता है।

सामाजिक प्रभाव

साक्षरता अभियानों के कारण उत्पन्न हुए नाटकीय सामाजिक अभिप्रेरण का अन्य सामाजिक क्षेत्रों पर, सर्वाधिक रूप से महिलाओं की अधिकारिता, स्वास्थ्य और पर्यावरणात्मक जागरूकता (देखें बाक्स डी) पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। पंचायती राज संस्थाओं द्वारा प्रभावी सामाजिक कार्रवाई के लिए एक रूपरेखा उपलब्ध कराई गई है। समाज में विशेष रूप से सुविधाविहीन लोगों के जोड़े जाने को बढ़ावा देकर लोकतांत्रिक सहभागिता का संवर्धन हुआ है।

अभियानों ने समाज में समानता को बढ़ावा देने, सम्बन्धों को पुनःपरिभाषित करने और जाति–आधारित सामाजिक वर्गों पर आपत्ति व्यक्त करने के हितों की पूर्ति की है।

आर्थिक उन्नति के लिए व्यापक बुनियादी शिक्षा एक पूर्वापेक्षा है। शोधकर्ताओं ने बुनियादी शिक्षा में निवेश और आर्थिक उत्पादनशीलता के बीच के सह सम्बन्ध के

प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। अध्ययनों के अनुमानों के अनुसार देशों के बीच कृषिक–श्रमिक उत्पादकता विषयक एक चौथाई से आधी तक के अन्तरों को शैक्षिक स्तरों में अन्तरों द्वारा स्पष्ट किया जा सकता हैं।

ऐसे कुछेक सामाजिक प्रभाव तत्काल दीख पड़ते हैं। केरल में एक जिले एर्नाकुलम में एक साक्षरता कार्यक्रम के मूल्यांकन में ऐसा बताया गया कि इस कार्यक्रम में पूर्ण साक्षरता प्राप्त कर लेने के अलावा कार्यक्रम के आनुषंगी प्रभाव भी पड़े थे जिनमें छिटपुट अपराधों की संख्या में कमी, सामान्य चुनावों के दौरान अवैध मतपत्रों की संख्या में कमी तथा शिक्षा बीच में छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में गिरावट शामिल थी। अध्ययन में यह कहा गया था कि 'जब छात्रों ने साक्षरता के परिणामों का लाभ उठाना शुरू किया तो वे उत्तरदायित्वपूर्ण नागरिक बन गए और उन्होंने अपने बच्चों को वे सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने का ध्यान रखा जिनसे उन्हें वंचित रखा गया था'।

साक्षरता के फलस्वरूप सामाजिक कार्रवाई संभव हो सकती हैं। आन्ध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में साक्षरता अभियान में एक ऐसे पाठ का प्रयोग किया गया जिसमें शराबी पतियों द्वारा सताई गई महिलाओं के अनुभवों पर आधारित एक कहानी शामिल थी। इस पाठ ने नव–साक्षर महिलाओं को शराब की बिक्री का विरोध करने वाली समितियों के रूप में संगठित होने के लिए प्रेरित किया जिसके फलस्वरूप उनके गांव में मौजूद शराब की दुकान बन्द कर दी गई और निकटवर्ती जिलों में उनके आन्दोलन का प्रसार हुआ।

बाक्स डी **महिला साक्षरता को बढ़ावा देना**

महिलाओं को शैक्षिक अवसर प्रदान करना शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय प्रयासों का एक महत्त्वपूर्ण अंग रहा है। एनएलएम ने एक ऐसी कार्यनीति अपनाई है जिसमें इन बातों की जरूरत पर बल दिया गया है:

- एक ऐसा वातावरण निर्मित करना जिसमें महिलाएं ज्ञान और सूचना की मांग करती हैं, अपने जीवन को बदलने के लिए अपने आपको सामर्थ्यवान बनाती हैं;
- महिलाओं में इस आशय का विश्वास उत्पन्न करना कि बदलाव संभव है;
- इस आश्य के संदेश का प्रसार करना कि महिलाओं के उत्पीड़न के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए शिक्षा उनकी एक पूर्वापेक्षा है; तथा
- लड़की के दुःख पर प्रकाश डालना तथा प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण की आवश्यकता पर ध्यान केन्द्रित करना।

मूल्यांकन अध्ययनों से यह भी पता चलता है कि बुनियादी शिक्षा का विस्तार लड़कियों और महिलाओं के बीच किए जाने के सर्वाधिक सामाजिक लाभ प्राप्त हुए। जैसे–जैसे महिलाएं साक्षर हुईं, उन्होंने थोड़ी बड़ी आयु में विवाह करने का प्रयास किया, कम बच्चों को जन्म दिया और शिशुओं की मृत्यु दर में गिरावट आई। थोड़े से वर्षों की भी स्कूली शिक्षा से युक्त महिलाएं बेहतर कृषिक कार्मिक बन गई हैं, वे अधिक पैसा कमाती हैं तथा अपने परिवारों की बेहतर देखभाल करती हैं। ऐसा बताया गया है कि पढ़ी–लिखी महिलाएं अपने परिवारों का बेहतर ध्यान रखती हैं – पौषणिक भोजन खिलाती हैं और चिकित्सीय देखभाल करती हैं जिसके फलस्वरूप उनके बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर होता है, स्कूलों में निष्पादन अपेक्षतया अच्छा होता है।

मूल्यांकन और अनुश्रवण

किस भी प्रणाली की शक्तियों और दुर्बलताओं का पता लगाने के लिए अनुश्रवण और मूल्यांकन अनिवार्य प्रबन्धकीय साधन हैं। एनएलएम द्वारा उनका महत्त्व स्वीकार किया गया है और उसे कार्यरूप दिया गया है। प्रौढ़ शिक्षा प्रणाली के उद्देश्यों को कार्यचालनात्मक दृष्टि से और अधिक यथार्थपूर्ण बनाने के प्रयोजन से क्रियाविधियां तैयार की गई हैं।

एनएलएम प्राधिकारियों द्वारा तैयार की गई नवाचारी अनुश्रवण प्रणाली केवल यही नहीं कि विश्वसनीयता सुनिश्चित करती है बल्कि सूचना के क्रमिक प्रवाह को भी सुकर बनाती है। इस नई प्रबन्ध सूचना प्रणाली के बेहतर परिणाम प्राप्त करने के उद्देश्य से अनुश्रवण प्रक्रिया को विकेन्द्रीकृत करने का निर्णय लिया गया।

तदनुसार राज्य प्रौढ़ शिक्षा निदेशालयों को अपने–अपने

राज्यों में साक्षरता अभियानों का अनुश्रवण करने के लिए पूरी तरह जिम्मेदार ठहरा दिया गया है। बल केवल इसी बात पर नहीं रहता कि सांख्यिकीय सूचना समय पर प्राप्त की जाए बल्कि प्रभावकारिता, समस्याओं और क्रियाकलापों जैसे गुणात्मक पक्षों का जायजा लेने पर भी बल दिया जाता है।

परिणामों और प्रभाव मूल्यांकनों की विश्वसनीयता बढ़ाने के उद्देश्य से मूल्यांकन मार्गदर्शी सिद्धान्त मानकीकृत बना दिए गए हैं और वे राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समय–समय पर जारी किए जाते हैं। राज्य संसाधन केन्द्रों तथा मिशन के तत्त्वावधान में ऐसे ही अन्य संगठनों द्वारा क्षेत्रों के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक वातावरण पर अभियानों के विशेष प्रभाव अध्ययन भी किए जाते हैं। आशा है कि साक्षरता अभियानों और साक्षरतोत्तर कार्यक्रमों का मूल्यांकन करने वाली नई प्रणाली से अधिक प्रभावकारिता तथा पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। साक्षरता कार्यक्रमों का मूल्यांकन राज्य के बाहर स्थित विख्यात शैक्षणिक संस्थानों द्वारा किया जाता है जिससे कि पारदर्शिता और वस्तुनिष्ठता का निर्वाह किया जा सके।

साक्षरता कार्यक्रमों का समुचित अनुश्रवण और समन्वय सुनिश्चित करने की एक पहल के रूप में मिशन ने वार्षिक क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया है जिसमें सभी सम्बन्धित एजेंसियां एक साथ भाग लेंगी। एसआरसी तथा जेएसएस द्वारा आयोजित विभिन्न साक्षरता क्रियाकलापों के कार्यान्वयन और प्रगति की समीक्षा करने के लिए प्रौढ़/जन शिक्षा निदेशकों, राज्य संसाधन केन्द्रों तथा जन शिक्षण संस्थानों के राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन पिछले वर्ष तक अलग–अलग आयोजित किए जाते थे। इस वर्ष के दौरान चार क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किए जा चुके हैं। बंगलौर में 8–9 नवम्बर 2000 को आयोजित पहले सम्मेलन का उद्घाटन श्रीमती अचला मौलिक, सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा और साक्षरता विभाग, भारत सरकार द्वारा किया गया था। दक्षिणी राज्यों में सभी तीनों एजेंसियों अर्थात एसएलएमए, एसआरसी तथा जेएसएस के निदेशक पहली बार इकट्ठे हुए तथा उन्होंने समस्याओं से निबटने और अपने कार्यक्रमों के त्वरित कार्यान्वयन के लिए बेहतर कार्यनीतियां तैयार करने के निमित्त एक ही मंच पर अपने विचारों का आदान–प्रदान किया। यह सम्मेलन इन प्रयोजनों से किया गया था:

- अलग–अलग राज्य में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा करना;
- राज्य संसाधन केन्द्रों तथा जन शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रदत्त संसाधन सहयोग की प्रभावकारिता का जायजा लेना;
- राज्य, जिला साक्षरता समितियों, राज्य संसाधन केन्द्रों तथा जन शिक्षण संस्थानों के बीच समस्याओं का पता लगाना; तथा
- अगले वर्ष के लिए एक कार्य–योजना तैयार करना।

उत्तर, पूर्व और पश्चिम के लिए जनवरी और फरवरी के दौरान क्रमशः चण्डीगढ़, कोलकाता तथा पुणे में तीन और क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किए गए।

बाक्स ई — पुरस्कार 2000

8 सितम्बर 2000 को अन्तर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर प्रौढ साक्षरता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किए गए:

- एनएलएम–यूनेस्को के पुरस्कार 2000 केरल, कर्नाटक, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के एसएलएमए को दिए गए;
- उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए सत्येन मैत्र स्मारक साक्षरता पुरस्कार 1999–2000 टीएलसी के अधीन नवांशहर (पंजाब) तथा अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश) को तथा साक्षरतोत्तर के लिए शिमला और हमीरपुर जिलों (हिमाचल प्रदेश) को दिए गए;
- साक्षरता क्रियाकलापों में एनएलएम – रोटैरी पुरस्कार मवाना चीनी कारखाने को दिया गया; तथा
- राष्ट्रीय निबन्ध प्रतियोगिता पुरस्कार छात्रों/अध्यापकों/व्यावसायिकों/पत्रकारों/शिक्षाविदों को दिए गए।

जागरूकता उत्पन्न करना

एनएलएम और इसक कार्यक्रमों तथा योजनाओं के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने और इस प्रकार शिक्षा के महत्त्व पर प्रकाश डालने के उद्देश्य से अनेक उपाय किए गए। अपने संदेश और लक्ष्यों का प्रसार करने के लिए एनएलएम ने इन्टरनेट पर एक वेबसाइट शुरू की हैं जिसमें एनएलएम की उपलब्धियां, इसके लक्ष्य और इसकी योजनाओं तथा अभियानों के लिए लक्षित जनसंख्या तथा इसकी संरचना और प्रबन्ध सम्बन्धी जानकारी दी गई है। विभिन्न एनएलएम योजनाओं से सम्बन्धित मार्गदर्शी सिद्धान्त भी साइट के माध्यम से आनलाइन सुलभ हैं।

आलोच्य वर्ष के दौरान देश में साक्षरता क्रियाकलापों से सम्बन्धित अनेक प्रकाशन निकाले गए तथा विभिन्न साक्षरता अभियानों की सफलता की कहानियों का प्रचार भी किया गया है।

प्रौढ़ साक्षरता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदानों के लिए गौरवपूर्ण राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रस्तुत किए गए (देखें बाक्स ई)।

केन्द्रीय प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय का एक प्रमुख कार्यकलाप सांक्षरता कार्यक्रमों के लिए विज्ञापन और प्रचार कार्य का आयोजन करना है। निदेशालय, प्रेरण/अभिप्रेरण, प्रशिक्षण और अनुदेशात्मक सामग्री को समाहित करते हुए मीडिया साफ्टवेयर (दृश्य और श्रव्य – दोनों) का निर्माण करता है।

मीडिया साफ्टवेयर का निर्माण पेनल में शामिल निर्माताओं द्वारा किया जाता है। खुले विज्ञापन के माध्यम से जनवरी 2000 में नए पेनल तैयार किए गए थे। तिरानवे सुस्थापित निर्माता पांच वर्षो की अवधि के लिए पेनल में रखे गए हैं। पेनल में शामिल निर्माताओं से प्राप्त प्रस्तावों की, संचार आयोजना और लागत निर्धारण समिति (सीपीसीसी) द्वारा जोकि प्रारम्भिक शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव की अध्यक्षता में काम करती हैं, छानबीन की जाती है तथा अनुमोदन किया जाता है।

सम्प्रति, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय द्वारा निर्मित दृश्य कार्यक्रम नियमित रूप से ज्ञान दर्शन (ईटीवी) पर प्रसारित किए जा रहे है। डीडी–I तथा डीडी–II पर प्रमुख समय स्लाटों पर साक्षरता स्पाट प्रसारित किए जा रहे हैं। एफएम केन्द्रों के माध्यम से श्रव्य कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। आकाशवाणी के माध्यम से साक्षरता स्पाटों का प्रसारण किया जाता है। साक्षरता के संदेश का प्रसार करने के लिए देश के विभिन्न भागों में चुनिन्दा रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध क्लोज सर्किट टेलीवीजन (सीटीवी) सुविधाओं का प्रयोग किया जा रहा है।

अविच्छिन्न शिक्षा के लिए एक सुगठित तथा समन्वित आधारिक तंत्र व्यवस्थित ढंग से साक्षरता को तथा लोगों के भीतर सीखने की इच्छा को आगे बढ़ा सकता है। लोगों के जीवन में दीर्घकालीन बदलाव लाने के निमित्त राष्ट्रीय साक्षरता मिशन लोगों के शैक्षिक स्तर तथा जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए जीवनपर्यन्त सीखने की प्रक्रिया में अधिकाधिक लोगों को सहयोजित करने की दिशा में हरसंभव प्रयास कर रहा है। एनएलएम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि इक्कीसवीं शताब्दी के आश्वासन सभी भारतीयों के लिए पूर्ति साकार हो सके।

माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा विभाग

विज्ञान शिक्षा, पर्यावरणात्मक शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा, शिक्षा में संस्कृति और मूल्यों, कम्प्यूटर साक्षरता, शिक्षा प्रौद्योगिकी तथा विकलांग बच्चों की शिक्षा पर बल देते हुए स्कूली शिक्षा के सुदृढ़ीकरण के लिए अनेक योजनाएं तैयार की गई हैं। इसके अलावा, एनसीईआरटी स्कूल स्तर पर शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण के क्षेत्रों में संसाधन सहयोग प्रदान करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उच्च माध्यमिक शिक्षा स्तर पर शिक्षा का व्यावसायीकरण भी एक प्रमुख चिन्ता है।

माध्यमिक शिक्षा

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी)

लक्ष्य

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) स्कूली शिक्षा से सम्बन्धित शैक्षणिक मामलों पर केन्द्रीय और राज्य सरकारों को सहायता और सलाह देने वाला एक शीर्षस्थ संसाधन संस्थान है। यह संस्थान अपने विभिन्न घटकों के माध्यम से स्कूली शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए शैक्षणिक और तकनीकी सहयोग प्रदान करता है। परिषद के घटक इस प्रकार हैं: राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, नई दिल्ली; केन्द्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली; पंडित सुन्दर लाल शर्मा केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान; भोपाल तथा अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर तथा शिलांग में स्थित पांच केन्द्रीय शिक्षा संस्थान।

विहंगावलोकन

स्कूली शिक्षा की शैक्षिक चुनौतियों और राष्ट्रीय चिन्ताओं के प्रति उपयुक्त प्रतिक्रिया व्यक्त करने के उद्देश्य से 2000–2001 के दौरान प्रारम्भिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, वैकल्पिक स्कूली शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग, मूल्य शिक्षा और अध्यापक प्रशिक्षण जैसे कतिपय पक्षों की ओर विशेष ध्यान दिया गया। अनुदेशन के संवर्धन के लिए अध्ययन के पाठ्यक्रमों, पाठ्यपुस्तक सामग्री सहयोग और आनुषंगी सामग्री में सुधार सम्बन्धी कार्यक्रम और क्रियाकलाप हाथ में लिए गए जिससे कि माध्यमिक शिक्षा और साथ ही शिक्षा के व्यावसायीकरण की अन्तर्वस्तु और प्रक्रिया में सुधार लाया जा सके। शैक्षणिक सहयोग और परामर्शात्मक सेवाओं के कार्यक्षेत्र का विस्तार राज्य और जिला स्तरीय एजेंसियों तक कर दिया गया। की गई नई पहलों में ये शामिल हैं: स्कूली शिक्षा के लिए एक नई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा तैयार करना, मूल्य शिक्षा के लिए राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र स्थापित करना, कम्प्यूटर विस्तारित शिक्षा के लिए राष्ट्रीय केन्द्र स्थापित करना तथा क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों में परामर्श और मार्गदर्शन में एक स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करना।

प्रारम्भिक शिशु शिक्षा (ईसीई)

प्रारम्भिक शिशु देखभाल और शिक्षा के क्षेत्र में इन बातों पर बल दिया गया: संगत संसाधन सामग्री तैयार करना, प्रशिक्षण/अनुस्थापन कार्यक्रम आयोजित करना, शोध अध्ययन हाथ में लेना और यूनिसेफ सहायताप्राप्त ईसीई परियोजनाओं का राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय करना। पूर्व–प्राथमिक और प्राथमिक कक्षाओं में पाठ्यचर्यात्मक भार को लेकर 25 स्कूलों में एक अध्ययन किया गया ताकि स्थिति का एक त्वरित जायजा लिया जा सके। ईसीई केन्द्रों में बच्चों की उन्नति के अनुश्रवण के संकेतकों के अलावा माता–पिता की जागरूकता के लिए पोस्टर, 'एक्टिविटीज इन अर्ली प्राइमरी क्लासेज' तथा 'व्हाट, व्हाई एण्ड हाऊ आफ प्री स्कूल एजूकेशन' नामक पुस्तकें प्रकाशित की गई।

प्रारम्भिक शिक्षा

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रारम्भिक शिक्षा के गुणवत्ता पक्ष पर जिला/ राज्य स्तरीय कार्मिकों को प्रशिक्षित करने के लिए 'अधिगम वातावरण' नामक एक माड्यूल तैयार किया गया। बच्चों के भीतर अनुभवजन्य मूल्य शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 20 सामुदायिक गीतों पर कैसेट तैयार किए गए और स्कूलों में वितरित किए गए। बाल दिवस पर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली में एक 'आओ मिलकर गाएं' नामक एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें दिल्ली और आसपास के स्कूलों के लगभग 10,000 छात्रों ने मिलकर कुछ सामुदायिक गीत गांए। जहां तक अनुसन्धान का सम्बन्ध है, निम्न अनुसंधान–अध्ययन किए जा रहे हैं: (i) क्लासरूम प्रक्रिया का अध्ययन : प्राथमिक स्तर पर बच्चों के शैक्षणिक निष्पादन से सम्बन्धित अध्यापकों की अभिवृत्तियों/अपेक्षाओं पर बल; तथा (ii) प्राथमिक स्कूलों में क्लासरूम प्रक्रियाओं और संस्थानगत तंत्र का अध्ययन भारतीय समाज सुधारकों/महान शिक्षाविदों/

एनसीईआरटी द्वारा की गई नई पहलों में ये शामिल हैं: स्कूली शिक्षा के लिए एक नई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा तैयार करना, मूल्य शिक्षा के लिए राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र स्थापित करना, कम्प्यूटर विस्तारित शिक्षा के लिए राष्ट्रीय केन्द्र स्थापित करना तथा परामर्श और मार्गदर्शन में एक स्नातकोत्तर डिप्लोमा शुरू करना।

14 नवम्बर 2000 को बाल दिवस के अवसर पर केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डा. एमएम जोशी स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा का विमोचन करते हुए

भारतीय सामाजिक–सांस्कृतिक परम्पराओं के शैक्षिक दर्शन पर आधारित स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराना। निम्न अनुसंधान अध्ययन पूरे कर लिए गए हैं: (i) कामकाजी बच्चों को मुख्यधारा के स्कूलों का अंग बनाने में एमवी प्रतिष्ठान के अनुभवों का स्थिति विषयक अध्ययन; (ii) प्राथमिक–पूर्व तथा प्राथमिक कक्षाओं में पाठ्यचर्यात्मक भार सम्बन्धी अध्ययन; और (iii) डीपीईपी के अधीन 'क्लासरूम प्रक्रियाएं: तुलनात्मक स्थिति विषयक अध्ययन' नामक एक राष्ट्रीय स्तर का अध्ययन। उपर्युक्त (iii) पर उल्लिखित अध्ययन में सात राज्य शामिल थे जिसके कारण 1996 में डीपीईपी का विस्तार चुनिन्दा जिलों में हो गया। स्कूली पाठ्यचर्या के संज्ञानात्मक घटकों को पढ़ाने के लिए क्लासरूम अध्यापन में रंगमंच/नाटक का समावेश करने के लिए एक स्कूल रंगमंच आन्दोलन शुरू किया गया है। डीपीईपी के अधीन गणित की अधिगम कठिनाइयों का निदान करने के लिए परीक्षा मदों का एक डाटा–बैंक तैयार किया गया है और विभिन्न राज्यों में प्राथमिक शिक्षा की क्लासरूम प्रक्रियाओं के बेंच मार्क विकसित करने के प्रयोजन से एक अध्ययन किया गया है।

गैर–औपचारिक शिक्षा

गैर–औपचारिक शिक्षा (एनएफई) कार्यक्रमों में बल राज्यों और स्वैच्छिक संगठनों में संसाधन विकास पर रहा। स्वैच्छिक संगठनों तथा एससीईआरटी और एसआईई के विभिन्न स्तरों के गैर–औपचारिक शिक्षा कार्मिकों के लिए अन्तर्वस्तु–आधारित अनुस्थापन कार्यक्रम आयोजित किए गए। निम्न विषयों पर अध्ययन आयोजित और पूरे किए गए: (i) भारत में उच्च प्राथमिक स्तर पर गैर–औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम की स्थिति; (ii) एनएफई तथा एएस के क्षेत्र में एससीईआरटी की स्थिति; (iii) प्राथमिक स्तर के एनएफई केन्द्रों में हिन्दी पढ़ाने–पढ़ने में पेश आई कठिनाइयां; तथा (iv) बिहार, हरियाणा और राजस्थान में निम्न प्राथमिक स्तर पर गैर–औपचारिक शिक्षा की प्रभाविता। अनुभवों का आदान–प्रदान करने के प्रयोजन से गैर–औपचारिक और वैकल्पिक स्कूली शिक्षा में राज्य संस्थानों के निदेशकों का एक वार्षिक सम्मेलन और नवाचारी तथा प्रायोगिक परियोजनाओं पर स्वैच्छिक संगठनों की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई।

अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा

अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अनुसूचित जातियों के प्रति अध्यापकों के प्रवृत्यात्मक मुद्दे अभिज्ञात किए जा रहे हैं। यूनिसेफ के विशेष अनुरोध पर अनुसूचित जातियों की लड़कियों पर विशेष बल देते हुए लड़कियों की शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति का अध्ययन किया गया है। उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्र के स्कूलों में पढ़ाने वाले गैर–आदिवासी अध्यापकों द्वारा आदिवासी भाषा का प्रयोग किए जाने के सम्बन्ध में एक प्रशिक्षण पैकेज तैयार किया गया है। निम्न विषयों से सम्बन्धित कार्य प्रगति पर हैं: ऐसे तत्त्वों का लगाना जो कि अनुसूचित जनजातियों के बच्चों को स्कूलों में बनाए रखने को बाधित करते हैं, सामाजिक दृष्टि से सुविधाविहीन बच्चों को पढ़ाने वाले अध्यापकों की प्रशिक्षण मांगों का जायजा लेना, 'भारत में आदिवासी शिक्षा' नामक एक स्रोत पुस्तक तैयार करना। डीपीईपी के अधीन ये अध्ययन किए जा रहे हैं: आदिवासी बच्चों द्वारा गणित सीखना; राजस्थान में आदिवासियों की शिक्षा; डीपीईपी जिलों में यायावर लोगों की शिक्षा सम्बन्धी नवाचार और समस्याएं; तथा डीपीईपी राज्यों में आदिवासी शिक्षा का अनुश्रवण।

अल्पसंख्यकों की शिक्षा

'सरकारी सहायताप्राप्त मक्तबों/ मदरसों में मौजूदा पाठ्यचर्या के विश्लेषण' सम्बन्धी अध्ययन तथा अल्पसंख्यकों (मुसलिमों) के लिए केन्द्र प्रायोजित योजनाओं से प्राप्त शैक्षिक लाभों की सीमा को लेकर एक संदर्श सर्वेक्षण किया गया। डीपीईपी के अधीन

उत्तरर प्रदेश तथा बिहार के मामले में अल्पसंख्यकों द्वारा प्रबन्धित संस्थानों की शैक्षिक मांगें पता लगा ली गई हैं। मदरसों के आधुनिकीकरण पर एक कार्यशाला भी आयोजित की गई।

विकलांगों की शिक्षा

विशेष शिक्षा के क्षेत्र में समाकलित स्कूलों में श्रवण विकलांग बच्चों को हिन्दी और दृष्टि–विकलांग बच्चों को गणित पाठ्यचर्या पढ़ाने के लिए प्राथमिक स्कूल अध्यापकों के वास्ते पुस्तिकाएं तैयार की गई हैं। प्राथमिक स्तर पर समाकलित शैक्षिक तंत्र में श्रवण विकलांग बच्चों की विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हिन्दी भाषा की पाठ्यचर्या में अनुकूलन और समायोजन करने पड़े थे और इस सम्बन्ध में एक पुस्तिका भी तैयार की जा रही है। विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की शिक्षा और प्रशिक्षण को सुकर बनाने के उद्देश्य से श्रव्य–दृश्य सामग्री तैयार की जा रही है। आईईडीसी का मूल्यांकन किया जा रहा है। यूनेस्को के सहयोग से एशिया–प्रशान्त क्षेत्र के बारे में विशेष आवश्यकता आधारित शिक्षा के निमित्त एक अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र स्थापित किया गया है।

लड़कियों की शिक्षा

लड़कियों की शिक्षा के सन्दर्भ में संसाधन विकास और क्षमता निर्माण की ओर ध्यान दिया गया। महिला शिक्षा और उन्नति की प्रविधि विषय पर दसवां छः सप्ताह वाला प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। 'माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों की छात्राओं के लिए बोर्डिंग और छात्रावास सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण की योजना का मूल्यांकन' नामक परियोजना पूरी कर ली गई है और रिपोर्ट मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भेज दी गई है। 19वीं और 20वीं शताब्दी के शुरू में मुसलिम लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने में भोपाल में बेगमों की भूमिका तथा भारत में महिलाओं की शिक्षा की पांचवें वर्ष सम्बन्धी नवाचारी प्रयोगों के बारे में एसआईडीएच ब्लाक पर विशेष बल देते हुए गढ़वाल अध्ययन के आंकड़े संशोधित किए जा रहे हैं तथा लक्षद्वीप और अण्डमान के बारे में रिपोर्टों के मसौदे तैयार किए गए। माध्यमिक स्तर पर पाठ्यचर्या निष्पादन के प्रति लैंगिक–संवेदी जीवन कौशल दृष्टिकोण पर कार्यशालाएं; प्राथमिक शिक्षा में लैंगिक समानता और गुणवत्ता पर काम करने वालों के लिए प्रशिक्षण/ अनुस्थापन कार्यक्रम; लेह लद्दाख क्षेत्र के सकूल–बाह्य युवकों के लिए शिविर; लद्दाख क्षेत्र के महिला प्राथमिक अध्यापकों और सेना स्कूलों के लिए अनुस्थापन कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। साथ ही, 'भारत में लड़कियों की शिक्षा – नीतिगत पहल और भावी संभावनाएं' विषय पर एक लेख योजना आयोग को प्रस्तुत किया गया है।

विज्ञान और गणित में शिक्षा

विज्ञान और गणित के क्षेत्र में किए गए कार्यों में ये शामिल हैं: माध्यमिक स्तर तक इन विषयों में तथा उच्च माध्यमिक स्तर तक भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान तथा गणित में पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्यात्मक सामग्री का विकास, 'रीडिंग टु लर्न' परियोजना के अधीन विज्ञान के नए और अनुप्रयुक्त क्षेत्रों में पुस्तकें भी तैयार की गई; राष्ट्रीय और राज्य स्तर की विज्ञान प्रदर्शनियों का आयोजन तथा 'विज्ञान शिक्षा' नामक तिमाही पत्रिका का प्रकाशन।

सामाजिक विज्ञानों और मानविकी में शिक्षा

पाठ्यक्रमों, पाठ्यपुस्तकों तथ अन्य अनुदेशात्मक सामग्री की पुनरीक्षा और संशोधन का कार्य, विभिन्न स्कूली विषयों के लिए स्कूली शिक्षा की राष्ट्रीय पाठ्यचर्यात्मक रूपरेखा को दृष्टिगत रखते हुए किया जा रहा है। सामाजिक विज्ञानों और भाषा, मानचित्र पठन कौशलों के सर्वेक्षण के क्षेत्रों में इस तरह की सामग्री तैयार करने का काम चल रहा है: इतिहास में पारिभाषिक शब्द और अवधारणाएं, अल्पायु के पाठकों के लिए भारत का सचित्र संविधान, स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए उपभोक्ता शिक्षा पर माड्यूल, संस्कृत, संस्कृत विज्ञान श्रृंखला में पूरक पाठ्यपुस्तकें, छात्र संस्कृत कोश, वर्गगत स्कूली एटलस, उर्दू साहित्य का इतिहास, इतिहास के अध्यापकों की पुस्तिका, अर्थशास्त्र में पुस्तिका। सामाजिक विज्ञान अध्ययन पर एक पुस्तक तैयार की जा रही है। बच्चों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रतियोगिता शुरू की जा रही है।

जनसंख्या शिक्षा

इन विषयों पर सामग्री तैयार की जा चुकी है अथवा तैयार की जा रही है: 'स्कूलों में किशोर शिक्षा : बुनियादी सामग्री का पैकेज' तथा पुनःसंकल्पित जनसंख्या शिक्षा

राजकीय बालिका हाईस्कूल, पटना की छात्राएं जनसंख्या शिक्षा के विषय पर एक प्रहसन प्रस्तुत करते हुए

पर एक राष्ट्रीय स्रोत पुस्तक। राज्य/संघ शासित क्षेत्रों ने भी इस तरह की सामग्री तैयार कर ली है अथवा तैयार कर रहे हैं: पाठ्यचर्यात्मक, पक्षपोषण, प्रशिक्षण और क्रियाकलापोन्मुखी सामग्री। परियोजना कार्मिकों के लिए जनसंख्या शिक्षा पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें कार्यान्वयन एजेन्सियों के कार्मिकों को आर्थिक रिपोर्टिंग में प्रशिक्षित किया गया था। विशेष भाषणों, अन्तर्राष्ट्रीय पोस्टर प्रतियोगिता, राष्ट्रीय वाद–विवाद प्रतियोगिता और लम्बी दूरी की दौड़ जैसे अनेक सहपाठ्यचर्यात्मक क्रियाकलाप आयोजित करने के अलावा जनसंख्या दिवस तथा जनसंख्या सप्ताह भी आयोजित किए गए। एनपीईपी की एक मध्यावधिक समीक्षा पूरी कर ली गई है। मूल्यांकन अध्ययन, वार्षिक परियोजना प्रगति बैठकें तथा अन्तःक्षेत्रीय समन्वय समितियों/ राज्य सलाहकार समितियों/ राष्ट्रीय संचालन समिति की बैठकें आयोजित की जाएंगी।

परीक्षा सुधार

स्टेनाइन स्केल ग्रेड की प्रत्यक्ष और परोक्ष पद्धतियों का प्रयोग करते हुए ग्रेड निर्धारण, लोक परीक्षाओं में परीक्षकों की परिवर्तनशीलता सम्बन्धी अध्ययन, उच्च माध्यमिक स्तर पर रसायन शास्त्र के प्रयोगों के लिए मूल्यांकन योजना के वैधीकरण तथा पहले पांच वर्षों की स्कूली शिक्षा की समाप्ति पर उपलब्धि सर्वेक्षण और परियोजना विकास सम्बन्धी क्रियाकलाप और स्कूल आधारित मूल्यांकन प्रणाली की योजना का कार्यान्वयन चल रहा है। शैक्षिक मूल्यांन में तकनीकी अनुसन्धान अनुसमर्थन तथा एससीईआरटी के क्षमता निर्माण के अलावा अनेक राज्यों को लोक परीक्षाओं में ग्रेड आबंटन पर प्रशिक्षण दिया जा चुका है। माध्यमिक स्तर पर स्कूली प्रणाली के सेमेस्टरीकरण तथा परीक्षा और मूल्यांकन क्रियाविधियों के प्रबन्धन पर मोनोग्राफ तैयार किए जा रहे हैं।

प्रतिभा खोज

प्रतिभा खोज के सन्दर्भ में एनसीईआरटी, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा और साक्षात्कारों के आयोजन, मौजूदा छात्रों को छात्रवृत्तियों के भुगतान तथा एनटीएसई परीक्षा के विश्लेषण के कार्यों में प्रवृत्त रहा। एनटीएस विजेताओं की प्रतिभा को पल्लवित करने, एनटीएस परीक्षाओं के लिए एमएटी तथा एसएटी में गोपनीय मद कोष तथा 1999 के एनटीएस विजेताओं के प्रोफाइल तैयार किए जा रहे हैं।

मार्गदर्शन और परामर्श

क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों में मार्गदर्शन और परामर्श पर एक स्नातकोत्तर डिप्लोमा क्षेत्रीय आधार पर चलाया जा रहा है। मार्गदर्शन और परामर्श में एक अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम की पाठ्यपुस्तक अन्तर्वस्तु तैयार कर ली गई है। परामर्श देने में आध्यात्मिकता पर एक रूपरेखा तथा मूल्य शिक्षा के बारे में स्कूल परामर्शदाताओं के प्रशिक्षण के लिए संसाधन सामग्री तैयार की जा रही है। शैक्षिक और मनोवैज्ञानिक परीक्षा के राष्ट्रीय पुस्तकालय (एनएलईपीटी) के संवर्धन का काम चल रहा है।

अध्यापक शिक्षा

एनसीईआरटी ने अध्यापक शिक्षा की सभी केन्द्र प्रायोजित योजनाओं, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डीपीईपी) तथा एससीईआरटी/ एसआईई को पूरा सहयोग प्रदान किया। अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर तथा मैसूर स्थित क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान (आरआईई) सेवा–पूर्व अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम चलाते रहे जो कि इस प्रकार हैं: (i) चार–वर्षीय बी.एससी, बी.एड एकीकृत पाठ्यक्रम; (ii) दो–वर्षीय बी.एड (माध्यमिक) पाठ्यक्रम; (iii) प्रारम्भिक शिक्षा में विशेषज्ञता सहित एक वर्षीय एम.एड पाठ्यक्रम; तथा (iv) मार्गदर्शन और परामर्श में स्नातकोत्तर डिप्लोमा। अध्यापकों तथा अन्य शैक्षिक कार्मिकों के सेवाकालीन प्रशिक्षण सम्बन्धी मांगों की पूर्ति करने के प्रयोजन से आरआईई तथा एनसीईआरटी के अन्य घटकों द्वारा भी

मूल्य शिक्षा

मूल्यों से सम्बन्धित सामग्री के राष्ट्रीय कोष केन्द्र के रूप में काम करने के लिए मूल्य शिक्षा पर एक राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र स्थापित किया गया है। मूल्य शिक्षा पर एक पत्रिका निकाली गई। बच्चों में उत्कृष्टता के मूल्य पल्लवित करने और जैन धर्म तथा सिक्ख धर्म से जुड़े दृष्टांतों और कथाओं के माध्यम से बच्चों के भीतर ये मूल्य उत्पन्न करने में अध्यापकों की सहायता करने तथा स्कूल सालाहकारों के प्रशिक्षण के लिए सामग्री तैयार की गई/की जा रही है। परामर्श देने में अध्यात्मिकता तथा स्कूलों के लिए मूल्य शिक्षा पर रूपरेखाएं तथ अध्यापकों द्वारा स्कूली बच्चों में मूल्य उत्पन्न करने तथा प्रभावी उन्नति की दिशा में शिक्षा विषय पर मोनोग्राफ तैयार किए जा रहे हैं। मूल्य शिक्षा पर एक टिप्पणीयुक्त ग्रंथ सूची तैयार की गई है। इन विषयों पर अध्ययन चल रहे हैं: 'मनो–आध्यात्मिक उन्नति के लिए मानवीय मूल्य कार्यक्रमों में श्री सत्य साई शिक्षा', 'मानवीय मूल्यों में शिक्षाः विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों का एक विश्लेषण' तथा करुणा के मूल्य की संकल्पना और स्कूल के लिए शैक्षिक सामग्री का विकास। मूल्य शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत संस्थानों के नेटवर्क निर्माण के अधीन लगभग 500 संगठन अभिज्ञात किए गए हैं और लगभग 250 संगठनों की निर्देशिका तैयार कर ली गई है।

अनेक कार्यक्रम चलाए गए। अध्यापकों/अध्यापक प्रशिक्षकों के लिए विभिन्न विषयों में प्रशिक्षण सामग्री, पैकेज तथा माड्यूल तैयार किए गए हैं। 'प्राथमिक अध्यापकों का विशेष अनुस्थापन' (एसओपीटी) नामक केन्द्र प्रायोजित योजना कार्यान्वित की जा रही है। इन विषयों पर अध्ययन पूरे कर लिए गए हैं: (i) डीआईईटी की योजना का कार्यचालन; (ii) प्राथमिक अध्यापकों की शैक्षिक व्यावसायिक योग्यताओं के संदर्भ में उनकी अध्यापन प्रभाविता तथा (iii) विज्ञान के शिक्षण के प्रति रचनावादी दृष्टिकोण का प्रयोग। इन परियोजनाओं पर काम चल रहा है: मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों में अन्योन्यक्रियापूर्ण टेलीविजन के माध्यम से प्राथमिक अध्यापकों का सेवाकालीन प्रशिक्षण (आईपीटीटीः आईटीवी) –एक मूल्यांकनपरक अध्ययन, भारतीय शिक्षा का विश्वकोष तथा अध्यापकों के लिए नैतिकता की व्यावसायिक संहिता के अनुपालन के लिए उपयुक्त तंत्रों का निर्माण। एनसीईआरटी संकाय, डीआईईटी संकाय श्रीलंका के अध्यापक प्रशिक्षकों तथा डीआईईटी/एसपीईआरटी के प्रिंसीपलों और आईएएसई संकाय के लिए अनुस्थापन कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। अध्यापकों तथा अध्यापक प्रशिक्षकों द्वारा नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए दो अखिल भारतीय प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। चुनिन्दा लेखों के रचयिताओं को संगोष्ठियों में अपने लेख प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

कम्प्यूटर शिक्षा और प्रौद्योगिकीय सहायक सामग्री

कम्प्यूटर शिक्षा के क्षेत्र के अधीन किए गए कियाकलापों में ये क्रियाकलाप शामिल थेः कम्प्यूटर–आधारित शिक्षा के लिए राष्ट्रीय केन्द्र की स्थापना, सूचना प्रौद्योगिकी के लिए पाठ्यक्रम और मार्गदर्शी सिद्धांतों का निर्माण, इन्टरनेट पर एनसीईआरटी के वेबसाइट का सुदृढ़ीकरण तथा स्कूल अध्यापकों/शिक्षाविदों और एनसीईआरटी के प्रशासनिक स्टाफ के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और साथ ही इन क्षेत्रों में श्रीलंका के प्रतिनिधि मण्डल के सदस्यों का प्रशिक्षणः कम्प्यूटर–आधारित अधिगम सामग्री का निर्माण, शिक्षा में कम्प्यूटरों का और सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग। इन विषयों से सम्बन्धित प्रशिक्षण माड्यूल संशोधित किए जा चुके हैं: बेसिक आपरेशन्स, वर्ड प्रोसेसिंग, डाटाबेस प्रबंधन, स्प्रेडशीट, कम्प्यूटर–समर्थित प्रस्तुति और इन्टरनेट एक्सप्लोरर तथा लीप आफिस और अक्षर का प्रयोग करके भारतीय भाषा पाठ्यवस्तु सम्पादक तैयार किया किया गया है। प्राथमिक विज्ञान किटों और एकीकृत विज्ञान किटों के निर्माण और प्रेषण का काम प्रगति पर है। कम लागत वाले लेजर आधारित आप्टिक किट तथा बायमालीक्यूल किट के एक प्रोटोटाइप का अभिकल्पन और निर्माण कर लिया गया है। दिल्ली क्षेत्र के नौ स्कूलों में एक रचनात्मक अधिगम माडल का प्रयोग किया जा रहा है। विभागीय कार्यशाला में नौ प्रशिक्षुओं को विभिन्न व्यवसायों मे प्रशिक्षित किया गया।

व्यावसायिक शिक्षा

व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य बल इन बातों पर रहाः राज्यों के व्यावसायिक अध्यापकों और प्रमुख

कर्मियों के लिए व्यावसायिक तथा पूर्व–व्यावसायिक पाठ्यक्रमो, प्रशिक्षण और अनुस्थापन कार्यक्रमों के लिए पाठ्यचर्या और अनुदेशात्मक सामग्री का विकास और संशोधन, मुद्रणेतर सामग्री का उत्पादन तथा संगोष्ठियों का आयोजन और विस्तार क्रियाकलाप। इन क्षेत्रों के लिए नई पाठ्यचर्या तैयार की गईः स्वास्थ्य–सम्बन्धी कौशल, ईसीजी तथा श्रवणमापी तकनीशियन पाठ्यक्रम, सूचना प्रौद्योगिकी और फसलकट की मरम्मत और अनुरक्षण के लिए पूर्व–व्यावसायिक माड्यूल, क्रय तथा भण्डारण और साथ ही बी.एड. व्यावसायिक पाठ्यक्रम। बेकरी तथा कन्फेक्शनरी और केटरिंग तथा रेस्तरां प्रबन्धन पाठ्यक्रम माड्यूलर रूप में नए सिरे से तैयार किए गए। खाद्य संरक्षण और प्रसंस्करण तथा फसल उत्पादन के क्षेत्र में एक प्रश्नकोष तथा पेपरमाशे और कुक्कुट उत्पादन में स्कूल–बाह्य बच्चों के प्रशिक्षण के लिए अनुदेशात्मक सामग्री भी तैयार की गई। 190 व्यावसायिक शिक्षा अध्यापकों के लिए नौ प्रशिक्षण कार्यक्रम, व्यावसायिक शिक्षा के 66 प्रमुख कार्मिकों के लिए तीन अनुस्थापन कार्यक्रम तथा व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से मूल्य शिक्षा पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई। ये कार्यक्रम जारी रखे गए: व्यावसायिक शिक्षा के तिमाही बुलेटिन तथा व्यावसायिक शिक्षा की छमाही भारतीय पत्रिका, पुरस्कार समारोह का आयोजन तथा वीई कार्यक्रमों का मूल्यांकन।

शैक्षिक प्रौद्योगिकी

शैक्षिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दृश्य और श्रव्य कार्यक्रमों ने स्कूली शिक्षा और अध्यापक शिक्षा में पाठ्यचर्या संचालन की पूर्ति की। इस क्षेत्र में किए गए क्रियाकलापों में ये शामिल थेः स्कूली अध्यापकों और छात्रों के लिए डीडी–1 पर 1 घंटे 15 मिनिट के स्लाट की पूर्ति के निमित्त ईटीवी कार्यक्रम का निर्माण, ज्ञान दर्शन नामक शैक्षिक चेनल का चार घंटे का प्रसारण, औषधीय पौधों, खेलकूद, भाषा अधिगम, स्वतंत्रता सेनानी आदि के बारे में मीडिया कार्यक्रमों / श्रृंखला का निर्माण, 26 जनवरी 2001 को शुरू हुए 24 घंटे प्रसारित किए जाने वाले ज्ञानवाणी कार्यक्रम के अलावा 40 केन्द्रों से रेडियो कार्यक्रमों का प्रसारण। ईटी योजना के प्रभाव सम्बंधी आंकड़ों का विश्लेषण प्रगति पर है। राष्ट्रीय चैनल पर प्रसारण सेवा और ज्ञानदर्शन का सतत रूप से मूल्यांकन किया जाता है और उस पर चर्चा की जाती है। 'जनसंख्या शिक्षा' विषयक श्रृंखला का क्षेत्रीय परीक्षण किया गया है। इन विषयों पर ईटीसी कार्यक्रमों के आलेख तैयार कर लिए गए हैं: पर्यावरण प्रदूषण, भूमि और लोग, स्वास्थ्य और रोग, आधुनिक भारत के शैक्षिक विचारक तथा विशेष आवश्यकताओं वाले और शिक्षा जल्दी छोड़ने वाले बच्चे। एसआईईटी कार्मिकों के लिए मल्टीमीडिया कोर्सवेयर में हैदराबाद तथा लखनऊ में अनुस्थापन कार्यक्रम आयोजित किए गए। डीडी पर ईटीवी कार्यक्रमों ज्ञानदर्शन का अपलिंकिंग पहले ही शुरू किया जा चुका है।

अपने देश को जाने – एनवीएस की कला और कौशल प्रदर्शनी

शैक्षिक सर्वेक्षण

जनगणना आधार पर स्कूली शिक्षा के व्यापक स्पेक्ट्रम को शामिल करते हुए सातवें आखिल भारतीय स्कूल शिक्षा सर्वेक्षण (एआईएसईएस) के पहले चरण की योजना के निर्माण का काम पूरा कर लिया गया है। स्कूली शिक्षा के विश्वकोश के लिए शैक्षिक आंकड़े विभिन्न गौण स्रोतों से आंकड़े और मिलाए जा रहे हैं। साफ्टवेयर के विकास, स्कूली शिक्षा सूचना प्रणाली और कार्मिक प्रबंध सूचना प्रणाली के लिए एनसीईआरटी के विभिन्न घटकों से आंकड़ों के संग्रह और प्रतिलेखन जैसे क्रियाकलाप किए गए। एनसीईआरटी संकाय को सांख्यिकीय पैकेज (एसपीएसएस) का प्रयोग करते हुए सामाजिक विज्ञान में परिमाणात्मक अनुसन्धान पद्धतियों में प्रशिक्षण दिया गया तथा राज्यों के कार्मिकों को छठे अखिल भारतीय शिक्षा सर्वेक्षण के डाटाबेस से सूचना की प्राप्ति में प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

शैक्षिक अनुसन्धान और नवाचार

विभिन्न संस्थानों/संगठनों और साथ ही एनसीईआरटी के संकाय द्वारा हाथ में लिए गए तथा एनसीईआरटी की शैक्षिक अनुसन्धान और नवाचार समिति (ईआरआईसी) द्वारा वित्तपोषित अनुसंधान अध्ययनों पर काम चल रहा है। नए अनुसंधान प्रस्तावों की संवीक्षा करने तथा पहले से चाली आ रही अनुसंधान परियोजनाओं की प्रगति का अनुश्रवण करने के लिए एक संवीक्षा एवं प्रगति अनुश्रवण समिति स्थापित की गई है। डीईआरपीपी द्वारा कार्यशाला पद्धति के माध्यम से कार्य अनुसंधान पर एक पुस्तिका/प्रयोक्ता मार्गदर्शिका तैयार की जा रही है। डीआईईटी/एससीईआरटी संकाय के लिए अनुसंधान प्रविधि स्तर I पर 2001 में प्रशिक्षण के निमित्त एक प्रशिक्षण पैकेज तैयार किया जा रहा है। 'मानवीय मूल्यों पर अनुसंधान' विषय पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी की योजना बनाई गई है जिससे कि एक अवधारणात्मक रूपरेखा तैयार की जा सके और इस क्षेत्र में अनुसंधान परियोजनाएं प्रायोजित की जा सकें।

डीपीईपी के अधीन प्रारम्भिक स्तर पर उत्तम कोटि की शिक्षा के लिए संकेतकों पर तथा क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों में तीन क्षेत्रीय संगोष्ठियों की प्रस्तावना के रूप में छठी अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई। उपर्युक्त के अलावा, अनेक अनुसंधान परियोजनाएं और बेसलाइन, मध्यावधिक तथा अन्तिम मूल्यांकन सर्वेक्षण भी किए गए।

क्षेत्रीय सेवाएं

एनसीईआरटी के क्षेत्रीय सलाहकार एनसीईआरटी के विभिन्न घटकों, एमएचआरडी तथा राज्य शिक्षा विभागों द्वारा हाथ में लिए गए कार्यक्रमों और क्रियाकलापों के कार्यान्वयन के सम्बंध में सम्पर्क कार्य करते रहे। उन्होंने एनसीईआरटी के इन्पुटों की जरूरत वाले राज्यों की शैक्षिक मांगों के अभिज्ञान के संदर्भ में क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों को; राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए अध्यापकों के चयन, पाठ्यचर्या तथा अनुदेशात्मक सामग्री के विकास, कार्मिकों के प्रशिक्षण और नीति निर्माण आदि के बारे में राज्य शिक्षा विभागों को; तथा इन संदर्भों में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सहायता प्रदान की: (i) राज्यों में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन का अनुश्रवण; तथा (ii) गैर–औपचारिक शिक्षा केंद्रों को चलाने वाली स्वैच्छिक एनएफई एजेन्सियों के कार्यकरण का संयुक्त मूल्यांकन दलों के माध्यम से मूल्यांकन।

पुस्तकालय और प्रलेखन

पुस्तकालय और प्रलेखन सेवाओं का आधुनिकीकरण किया जा रहा है ताकि एनसीईआरटी के लिए दिल्ली में तथा उसके क्षेत्र में ऐसा आधुनिक और सुलभ सूचना संसाधन केंद्र स्थापित किया जा सके जैसाकि निर्माताओं/शोधकर्ताओं/अध्यापकों प्रशिक्षकों आदि को भारत में तथा विदेशों में कहीं भी उपलब्ध हो सकता है। शिक्षा के लिए यह राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र नेमी नियम पुस्तिका सेवाओं के अलावा इलेक्ट्रोनिक तथा वेब–आधारित सेवाएं प्रदान करेगा जैसे कि सीडी–रोम डीवीडी से खोज करना, इंटरनेट माइक्रोफार्म तथा इलेक्ट्रोनिक डाटाबेस।

प्रकाशन

एनसीईआरटी ये प्रकाशन निकाल रही है: (i) स्कूल स्तरीय पाठ्यपुस्तकें, कार्य पुस्तिकाएं, निर्धारित पूरक पाठमालाएं: (ii) अध्यापक मार्गदर्शिका तथा अन्य अनुदेशात्मक सामग्री; (iii) पूरक पाठमालाएं; (iv) अनुसंधान रिपोर्टें और मोनोग्राफ; (v) शैक्षिक पत्रिकाएं; तथा (vi) व्यावसायिक पाठ्यक्रम। चालू वर्ष में विभिन्न श्रेणियों के अधीन लगभग 350 पुस्तकें प्रकाशित हो जाएंगी। एनसीईआरटी के प्रकाशनों का वितरण सारे भारतवर्ष में थोक एजेंटों के नेटवर्क के माध्यम से किया गया।

हिन्दी को बढ़ावा

अपने रोजमर्रा के काम में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए एनसीईआरटी ने हिंदी पखवाडे का आयोजन किया। इस दौरान अनेक प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। एनसीईआरटी के घटकों के किए जाने वाले काम में राजभाषा के प्रयोग की प्रगति का जायजा लेने के लिए एनसीईआरटी की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें आयोजित की गई। मुख्यालय में दो तथा क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों में दो हिन्दी कार्यशालाओं के आयोजन और राजभाषा के प्रयोग की स्थिति से संबंधित दो निरीक्षण कार्यक्रम विचाराधीन हैं।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई)

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना इन प्रयोजनों से की गई है: परीक्षाओं के लिए शर्तें निर्धारित करना

और कक्षा X और XII के अंत में आम परीक्षाएं आयोजित करना, शिक्षण के पाठ्यक्रम निर्धारित करना और उन्हें अद्यतन बनाना तथा सम्बद्ध स्कूलों के सफल उम्मीदवारों को प्रमाण–पत्र प्रदान करना।

अपनी स्थापना के समय से लेकर अब तक बोर्ड ने क्रियाकलापों के सभी क्षेत्रों में बहुत तेजी के साथ उन्नति की है। 1962 में बोर्ड से सम्बद्ध 309 स्कूलों का एक समूह था जबकि आज ऐसे स्कूलों की संख्या बढ़कर 5706 हो गई है जिनमें केंद्रीय विद्यालय, सरकारी स्कूल, स्वतंत्र स्कूल, जवाहर विद्यालय आदि शामिल हैं। आज की स्थिति के अनुसार, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने भारत सरकार सहित विश्व के 19 विभिन्न देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज की हुई है।

बोर्ड ऐसी प्रभावी और सार्थक पद्धतियां तैयार करता रहा है जो कि परिणामों की घोषणा से पूर्व और बाद की समय–सूचियों के अनुपालन में सहायक होती हैं। परीक्षार्थियों अैर समग्र पास प्रतिशत–दोनों में निरंतर वृद्धि होती रही है।

क्रम सं.	विवरण	कक्षाएं					
		10वीं कक्षा			12वीं कक्षा		
		1999	2000	प्रतिशत वृद्धि	1999	2000	प्रतिशत वृद्धि
1.	परीक्षार्थियों की संख्या (लाख में)	4.50	4.80	6.5	2.59	2.77	6.9
2.	सफलता का प्रतिशत	64.4	65.4	1.00	74.68	76.35	1.67

हालांकि कक्षा X में लड़कों की सफलता का प्रतिशत किंचित उच्चतर रहा है (65.6 प्रतिशत लड़के तथा 65.1 प्रतिशत लड़कियां), कक्षा XII में स्थिति उलटी रही है। लड़कियों की सफलता का प्रतिशत 81.9 था जबकि लड़कों की सफलता का प्रतिशत 81.0 था। जबकि निजी प्रयासों तथा पत्राचार पाठ्यक्रमों से पास होने वाले परीक्षार्थियों का प्रतिशत 36.8 थां कक्षा X के मामले में यह प्रतिशत क्रमशः 70.9 तथा 29.6 प्रतिशत था। पहली बार प्रत्येक विद्यार्थी के लिए परिणाम इन्टरनेट पर उपलब्ध कराए गए थे।

इस वर्ष पहली बार दो विषयों में फेल होने वाले विद्यार्थियों को कंपार्टमेंट परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई। यह कार्रवाई दसवीं कक्षा के परीक्षार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए की गई थी।

बोर्ड द्वारा बाह्य मूल्यांकन पर आधारित अर्हक प्रमाण–पत्र प्रदान किए जाने के अलावा स्कूल–आधारित अविच्छिन्न और व्यापक मूल्यांकन के आधार पर दूसरा प्रमाण पत्र जारी करने की परिपाटी शुरू की गई है।

बोर्ड तथा उच्च माध्यमिक स्तर पर परीक्षाएं आयोजित करने के अलावा सीबीएसई ने सरकार द्वारा चलाए जा रहे मेडीकल/डेंटल कालेजों में जम्मू तथा कश्मीर और आंध्र प्रदेश को छोड़कर सारे भारतवर्ष में उपलब्ध 15 प्रतिशत स्थानों पर दाखिले के लिए अखिल भारतीय पूर्व–मेडीकल/पूर्व–डेंटल परीक्षा का आयोजन किया। सीबीएसई, मणिपाल उच्च अध्ययन अकादमी तथा जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए भी प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करता है। उपर्युक्त के अलावा सीबीएसई ने आलोच्य वर्ष के दौरान ये क्रियाकलाप भी किए हैः अध्यापकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण का आयोजन, पाठ्यचर्या स्तरोन्नयन, गणित ओलम्पियाड, छात्रों का टेलीकाउंसिलिंग, प्रतियोगात्मक खेलकूद कार्यक्रम, कार्यशालाएं/संगोष्ठियां/सम्मेलन आदि।

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग के अधीन नवम्बर 1989 में एक स्वायत्त पंजीकृत सोयायटी के रूप में स्थापित किया गया था। अक्तूबर 1990 में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय को स्नातक–पूर्व स्तर के पाठक्रमों के लिए पंजीकृत छात्रों की परीक्षा लेने और उन्हें प्रमाण–पत्र जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया।

राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय (एनओएस) का मिशन औपचारिक पद्धति के विकल्प के रूप में स्कूल स्तर पर मुक्त अधिगम प्रणाली के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना है।

जिन लक्षित वर्गों में एनओएस अपने क्रियाकलाप आयोजित करता करता है, उनमें ये वर्ग शामिल हैं: शिक्षा बीच में छोड़ने वाले बच्चे, लड़कियां और महिलाएं, बेराजगार अथवा कामकाजी वयस्क, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिक, मानसिक/शारीरिक रूप से विकलांग आदि।

माध्यमिक और उच्च माध्यमिक पाठ्यक्रमों, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों, मुक्त प्रारम्भिक शिक्षा कार्यक्रमों तथा एबीसी स्तर के आवश्यकता–आधारित पाठ्यक्रमों की पेशकश करना राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय के प्रमुख कार्यक्षेत्र हैं।

राष्ट्रीया मुक्त विद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं और इसका कार्य विकेन्द्रीकृत कर दिया गया है। क्षेत्रीय केंद्र इन स्थानों पर स्थित हैं: इलाहाबाद, कोलकाता, कोचीना, चण्डीगढ़, दिल्ली, गुवाहटी, हैदराबाद, जयपुर, पटना तथा पुणे।

एनओएस का वार्षिक छात्र नामांकन जो 1990–91 में 40,884 था, वह 2000–2001 में बढ़कर 1,90,000 तक पहुंच गया। सम्प्रति, एनओएस में पांच लाख से अधिक छात्र दाखिल हैं। एनओएस अध्ययन केंद्रों अथवा प्रत्यायित संस्थानों की संख्या जो 1990–91 में 161 थी, वह 2000–2001 में बढ़कर 1459 (शैक्षिक, व्यावसायिक तथा एसएआईईडी अध्ययन केंद्रों सहित) तक पहुंच गई है। प्रत्यायित व्यावसायिक संस्थानों की संख्या जो कि 1993–94 में 39 थी, वह 2000–2001 में बढ़कर 365 तक पहुंच गई। 2000–2001 तक चार लाख से अधिक छात्रों ने एनओएस पाठ्यक्रम पूरे कर लिए हैं और उन्हें माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक प्रमाण–पत्र प्राप्त हो चुके हैं।

वर्ष 2000–2001 के दौरान एनओएस के निम्न क्रियाकलाप शुरू/पूरे किए गए:

- नए व्यावसायिक क्षेत्र जैसेकि कम्प्यूटर अनुप्रयोग में प्रमाण–पत्र, पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाण–पत्र, एक्स–रे तकनीशियन पाठ्यक्रम अभिज्ञात किए गए।
- प्रत्येक शुक्रवार को दूरदर्शन पर राष्ट्रव्यापी प्रसारण के लिए मीडिया कार्यक्रमों की व्यवस्था की गई।
- एनओएस ने मांग होने पर परीक्षा (ओडीई) की एक नवाचारी योजना की परिकल्पना की है और मुक्त बुनियादी शिक्षा कार्यक्रम (ओबीई) के अधीन ओडीई आधारित एक मार्गदर्शी परियोजना पांच प्रत्यायित संस्थानों में शुरू की है।
- एनओएस की परीक्षाओं की तारीखें निर्धारित तारीख से पहले तय कर दी गई हैं और उनका समय पुनःनिर्धारित किया गया जिससे कि एनओएस के छात्र विश्वविद्यालयों में दाखिला ले सकें।

केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस)

प्रस्तावना

भारत सरकार के केंद्रीय विद्यालयों की योजना 1962 में इस उद्देश्य से मंजूर की गई थी कि केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों, जिनका अक्सर स्थानान्तरण होता रहता है, के बच्चों को अविच्छिन्न शिक्षा प्रदान करने के लिए एक–समान पाठ्यक्रम और शिक्षा के एक समान माध्यम सहित माध्यमिक स्कूलों की संख्या में वृद्धि को प्रोत्साहित किया जाए। प्रारम्भ में विभिन्न राज्यों में 20 रेजिमेंटल स्कूलों को केंद्रीय स्कूलों के रूप में अपना लिया गया। इन विद्यालयों को चलाने के लिए 1965 में एक स्वायत्त निकाय के रूप में केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना की गई। 31 अक्तूबर 2000 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या 854 है।

मुख्य विशेषताएं

केंद्रीय विद्यालयों की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

- कुल मिलाकर केंद्रीय सरकार के स्थानान्तरणीय कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षिक मांगों की पूर्ति करने की प्रतिबद्धता को पूरा करना;
- सभी केंद्रीय विद्यालय सहशिक्षात्मक और मिश्रित शैली के हैं;
- एक–समान पाठ्यचर्या तथा शिक्षा के द्विभाषी माध्यम सहित एक समान पाठ्यपुस्तकें;
- केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के साथ संबंधन;
- कक्षा V से IX तक संस्कृत की शिक्षा अनिवार्य है। छात्र कक्षा X के स्तर पर भी एक अतिरिक्त वैकल्पिक विषय के रूप में संस्कृत पढ़ सकते हैं;
- एक उपयुक्त अध्यापक–छात्र अनुपात रखकर अध्यापन का स्तर ऊंचा रखा जाता है;
- कक्षा VIII तक केवीएस के स्टाफ के बच्चों, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों, चीन और पाकिस्तान के साथ 1962, 1965 और

1971 में हुए युद्धों के दौरान सशस्त्र सेनाओं के दिवगंत अथवा विकलांग अधिकारियों और सैनिकों के बच्चों के मामले में कोई शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाता। लड़कियों के मामले में कक्षा XII तक भी कोई शिक्षण शुल्क नहीं लिया जाता।

केवीएस प्रशासन

मानव संसाधान विकास मंत्री संगठन के पदेन अध्यक्ष हैं। संगठन तथा इसके निदेशक मण्डल द्वारा जो नीतियां और मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए जाते हैं, उन्हें आयुक्त द्वारा जो कि संगठन का कार्यकारी अध्यक्ष होता है, कार्यान्वित किया जाता है। सभी प्रशासनिक और शैक्षणिक कार्यों और निर्णयों को कार्यरूप देने के लिए आयुक्त की सहायतार्थ केवीएस (मुख्यालय) में दो संयुक्त आयुक्त, अन्य अधिकारी तथा सहयोगी स्टाफ और 18 क्षेत्रीय कार्यालय मौजूद हैं। क्षेत्रीय कार्यालय सहायक आयुक्तों की अध्यक्षता में काम करते हैं। क्षेत्रीय कार्यालयों के मुख्य कार्य इस प्रकार हैः क्षेत्रीय विद्यालयों के कामकाज पर निगाह रखना और देखरेख करना, शैक्षणिक और सामान्य स्टाफ – दोनों से सेवा सम्बंधी मामलों का प्रशासनिक कार्य निपटाना तथा विद्यालयों को निधियों का आबंटन आदि। विद्यालय स्तर पर प्रत्येक केंद्रीय विद्यालय एक प्रिंसीपल/प्रिंसीपल ग्रेड–II की अध्यक्षता में काम करता है जिसकी सहायता के लिए अध्यापकों के अलावा प्रशासनिक तथा अन्य सहयोगी स्टाफ का एक छोटा सा वर्ग होता है। स्थानीय स्तर पर विद्यालय की देखरेख करने के लिए 13 सदस्यों वाली एक प्रबन्धन समिति तथा एक कार्यकारी समिति मौजूद होती हैं।

केन्द्रीय विद्यालय खोलना

सिविल क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय केंन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों अथवा केंद्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण संघ आदि की सिफारिशों पर खोले जाते हैं। इसी प्रकार, रक्षा मंत्रालय की सिफारिशों पर विद्यालय खोले जाते हैं बशर्ते कि आवर्ती और अनावर्ती खर्च की समग्र पूर्ति प्रायोजक प्राधिकारियों द्वारा की जाए।

विभिन्न क्षेत्रों में 854 विद्यालयों का विभाजन नीचे प्रस्तुत है:

	क्षेत्र	केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या
i)	रक्षा	351
ii)	सिविल	354*
iii)	उच्च अध्ययन संस्थान परियोजनाएं	19
iv)	परियोजनाएं	130
	कुल	854

* इसमें विदेशों में स्थित दो केन्द्रीय विद्यालय शामिल हैं जिसमें से एक काठमांडु (नेपाल) में तथा दूसरा विद्यालय मास्को (रूस) में स्थित है।

दाखिले

केंद्रीय विद्याालय में कक्षा I में दाखिले का असली मानदण्ड दाखिले के वर्ष से एकदम पहले के पिछले सात वर्षों के दौरान माता–पिता के तबादलों की स्थिति होती है। इसके बाद ऐसे केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के बच्चों का स्थान आता है जिनके तबादले नहीं होते। इसके बाद, सरकार द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के उन कर्मचारियों के बच्चों का स्थान आता है जिनके तबादले होते रहते हैं और उसके पश्चात राज्य सरकार के जिन कर्मचारियों के तबादले होते हैं, उनके बच्चों का स्थान आता है। उपर्युक्त श्रेणियों की मांगों को पूरा करने के बाद भी यदि स्थान उपलब्ध हैं, तो साधारण जनता के बच्चों को भी दाखिल किया जाता है।

- निदेशक मण्डल ने केंद्रीय विद्यालयों में दाखिले के लिए ऊपर बताई गई श्रेणियों के अलावा कतिपय अपवादात्मक दाखिलों को मंजूरी दी है;
- माननीय संसद सदस्यों तथा केवीएस के कर्मचारियों के बच्चे और आश्रित पौत्र–पौत्री;
- विदेश मंत्रालय तथा रा के कर्मचारियों के लिए 50 स्थान;
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय के कर्मचारियों के लिए 100 स्थान;
- सेवाकाल में मृत्यु को प्राप्त होने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के बच्चे।

आरक्षण

सभी नए दाखिलों में 15 प्रतिशत और साढे सात प्रतिशत स्थान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए जाते हैं। अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों की मांगों को पूरा करने के बाद एक श्रेणी के खाली रह गए स्थान दूसरी श्रेणी के अन्तर्गत किए जा सकते हैं बशर्ते कि ऐसा अन्तरण नए दाखिलों के 22.5 प्रतिशत से अधिक नहीं

शैक्षणिक निष्पादन

केवीएस के अधीन निम्न कार्यक्रम और कियाकलाप हाथ में लिए गए:

- सम्प्रति, 402 केन्द्रीय विद्यालय, स्कूल में उपलब्ध निधियों तथा/अथवा केवीएस (मुख्यालय) द्वारा प्रदान किए गए अनुदान से कम्प्यूटर शिक्षा के निमित्त हार्डवेयर तथा साफ्टवेयर प्राप्त करने में लगे हैं। कक्षा VI के बाद सभी छात्रों को इस कार्यक्रम में शामिल किया जा रहा है और यदि सुविधाएं मौजूद हों, तो कक्षा III के बाद के बच्चों को भी कम्प्यूटर से परिचित कराया जा सकता है। 319 केन्द्रीय विद्यालय इस दृष्टि से पहले ही सुसज्जित हो चुके हैं। कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कम्प्यूटर अनुदेशकों को स्थानीय रूप से नियुक्त किया जा सकता है;

- केवीएस ने मैसर्स इन्टेल के तत्त्वावधान में नई दिल्ली में 'अध्यापक प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला' स्थापित की है। इस प्रयोगशाला में मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा और वे विद्यालय स्तर पर अन्य अध्यापकों को प्रशिक्षित करेंगे। अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए आईआईपीए, नई दिल्ली, टीटीटीआई, चण्डीगढ़ तथा भोपाल और एनसीईआरटी आदि की सहायता से कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं;

- केवीएस पर एक वेबसाइट स्थापित किया गया है;

- बाल संसद, राष्ट्रीय एकता और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पर संयुक्त स्कूल परियोजना, केवीएस विज्ञान प्रदर्शनी, स्काउटिंग तथा गाइडिंग, जोखिमपूर्ण कियाकलाप, एनसीसी, एनएसएस तथा खेल और खेलकूद आदि जैसे अन्य कियाकलाप प्रत्येक केन्द्रीय विद्यालय की पाठ्यचर्या का हिस्सा होते हैं;

- इस आशय की परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया जा चुका है: एक मार्गदर्शी परियोजना के रूप में मूल्य शिक्षा संबंधी परियोजना, दृश्य और निष्पादन कलाओं के माध्यम से मूल्यों का सुदृढ़ीकरण; छात्रों का आदान–प्रदान कार्यक्रम; तथा प्राथमिक शिक्षा का सुदृढ़ीकरण;

- चार सौ नौ केन्द्रीय विद्यालयों को आदर्श केन्द्रीय विद्यालयों के रूप में अभिज्ञात किया गया है जिन्हें खेल और खेलकूद, पुस्तकालय, बड़ी और छोटी विज्ञान प्रयोगशालाओं और कम्प्यूटरों के लिए बेहतर आधारिक सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ये आदर्श केन्द्रीय विद्यालय निकटवर्ती केन्द्रीय विद्यालयों के लिए संसाधन केन्द्रों की भूमिका निभाएंगे; तथा

- सिविल क्षेत्र मे स्व–वित्तपोषण आधार पर 50 केन्द्रीय विद्यालयों में पूर्व–प्राथमिक कक्षाएं शुरू की गई हैं।

होगा। शारीरिक दृष्टि से विकलांग बच्चों के लिए क्षैतिज आधार पर 3 प्रतिशत तक स्थान आरक्षित रखे जाते हैं।

31 मार्च 2000 की स्थिति के अनुसार, केंद्रीय विद्यालय में लगभग 7.5 लाख बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं

+2 स्तर पर अध्ययन के पाठ्क्रम

केंद्रीय विद्यालय मुख्यतः विज्ञान, वणिज्य और मानविकी धाराओं की पेशकश करते हैं। +2 स्तर पर इन्फारमेटिक्स प्रेक्टिस के अलावा शारीरिक शिक्षा, राजनीति शास्त्र, ललित कलाएं तथा संगीत भी वैकल्पिक विषय के रूप में शुरू किए गए हैं।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित और खेल तथा खेलकूद प्रतियोगिताओं, स्काउटिंग तथा गाइडिंग शिविरों/एनसीसी/जोखिमपूर्ण कियाकलापों में भाग लेने वाले छात्रों को +2 स्तर पर विज्ञान और वाणिज्य धारा में दाखिले में किंचित रियायत दी जाती है।

अध्यापकों के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार

चालू वर्ष में 46 अध्यापकों को केवीएस प्रोत्साहन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।

चार केन्द्रीय विद्यालय अध्यापकों को अध्यापकों के रूप में उनकी उत्कृष्ट सेवाओं को मान्यता दिए जाने के उपलक्ष्य में भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान किए गए।

निर्माण क्रियाकलाप

संगठन सिविल और रक्षा क्षेत्रों के अधीन अपने विद्यालयों के लिए भवनों और स्टाफ क्वार्टरों आदि का निर्माण करता है। 854 विद्यालयों में से 560 विद्यालय अपने स्थायी भवनों में काम कर रहे हैं जबकि 79 केन्द्रीय विद्यालयों में निर्माण कार्य चल रहा है। 73 विद्यालयों के मामले में निर्माण कार्य योजना–निर्माण की स्थिति में है। 125 केन्द्रीय विद्यालयों के मामले में भूमि अभी तक केवीएस को अंतरित नहीं की गई है। आधारिक और बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था करना एक सतत प्रकिया है जिसे चरणबद्ध रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है।

वित्त

संगठन का वित्तपोषण मूलतः सरकार की योजनेतर निधियों से किया जाता है। लेकिन कुछ निधियां योजना शीर्ष के अधीन भी आबंटित की जाती हैं। भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) द्वारा योजनेतर और योजनागत शीर्षों के अधीन मंजूर किया गया बजट निम्नानुसार है:

	(आंकड़े करोड़ रुपयों में)	
वर्ष	योजनेतर	योजनागत
1996–97	278.50	21.90
1997–98	356.00	39.20
1998–99	435.00	87.98
1999–2000	454.81	90.00
2000–2001	495.59	95.00

नवोदय विद्यालय समिति

भारत सरकार ने देश के प्रत्येक जिले में औसतन एक नवोदय विद्यालय स्थापित करने की योजना शुरू की है। जवाहर नवोदय विद्यालयों के उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

ग्रामीण क्षेत्रों के सभी प्रतिभावान बच्चों को उनके परिवार की सामाजिक–आर्थिक स्थिति की ओर ध्यान दिए बिना संस्कृति, मूल्यों, पर्यावरणीय जागरूकता और शारीरिक शिक्षा के सशक्त घटक सहित उत्तम स्तर की आधुनिक शिक्षा प्रदान करना;

त्रि–भाषा सूत्र में की गई परिकल्पना के अनुसार यह सुनिश्चित करना कि नवोदय विद्यालय के सभी छात्र तीनों भाषाओं में समुचित स्तर की क्षमता प्राप्त कर लें;

अनुभवों और सुविधाओं के आदान–प्रदान के जरिए स्कूली शिक्षा के स्तरोन्नयन के लिए प्रत्येक जिले में ध्यातव्य बिन्दुओं के रूप में काम करना।

नवोदय विद्यालयों का संचालन मानव संसाधन विकास मंत्रालय, माध्यमिक शिक्षा तथा उच्चतर शिक्षा विभाग के अधीन नवोदय विद्यालय समिति नामक एक स्वायत्त संगठन करता है। मानव संसाधन विकास मंत्री समिति के अध्यक्ष तथा राज्य मंत्री (शिक्षा) समिति के उपाध्यक्ष हैं। नवोदय विद्यालय पूरी तरह आवासीय, सहशिक्षात्मक संस्थान हैं और वे उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्रदान करते हैं। नवोदय विद्यालयों में सभी छात्रों के लिए आवास, पाठ्यपुस्तकों, वर्दी आदि सहित शिक्षा निःशुल्क है।

यह योजना 1985–86 में दो प्रायोगिक स्कूलों के साथ शुरू की गई थी जबकि आज की स्थिति के अनुसार 30 राज्यों और संघशासित क्षेत्रों के 430 जिलों में 430 नवोदय स्कूल हैं जिनमें लगभग 1.27 लाख छात्र दाखिल हैं। प्रतिवर्ष लगभग 25,000 नए छात्रों को प्रवेश दिया जाता है। नवोदय विद्यालय में दाखिला सम्बन्धित जिले में आयोजित की गई परीक्षा के जरिए कक्षा VI के स्तर पर दिया जाता है और इस परीक्षा में ऐसे सभी छात्र बैठने के पात्र होते हैं जिन्होंने उस जिले में किसी भी मान्यताप्राप्त स्कूल से कक्षा V में सफलता प्राप्त की हो। प्रवेश–परीक्षा की रूपरेखा केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा तैयार की जाती है और परीक्षा का आयोजन भी बोर्ड ही करता है।

नवोदय विद्यालय समिति की प्रमुख उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:

- देश के 30 राज्यों तथा संघशासित क्षेत्रों के 430 जिलों में 430 स्कूल स्थापित किए जा चुके हैं। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में यह योजना अभी तक कार्यान्वित नहीं की गई है। फिर भी 2000–2001 के दौरान 23 और नवोदय विद्यालयों को मंजूरी दिए जाने की संभावना है;
- 2000–2001 के दौरान कुल मिलाकर 280 नवोदय विद्यालयों का उच्च माध्यमिक स्तर तक स्तरोन्नयन कर दिया गया। इन विद्यालयों में विज्ञान, वाणिज्य, मानविकी तथा व्यावसायिक धारा लागू कर दी गई है;
- शिक्षा में कला के एक अंग के रूप में नवोदय विद्यालय समिति ने भारतीयम ग्राम, नई दिल्ली में 24 से 26 नवम्बर 1999 के दौरान 'नवोदयम 2000' नामक एक राष्ट्रीय एकता बैठक आयोजित की। देश भर के सभी राज्यों और क्षेत्रों से आए लगभग 700 बच्चों और 100 से अधिक अध्यापकों ने इस बैठक में भाग लिया जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय उन्नति के लिए अनुभवों और विचारों के आदान–प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करना था;
- स्कूली पाठ्यपुस्तकों के आधार पर 'स्वतंत्रता आन्दोलन' विषय पर दिल्ली में 16 और 17 अगस्त 2000 को एक रंगमंच उत्सव आयोजित किया गया जिसमें समिति के सभी क्षेत्रों से आए लगभग 300 छात्रों ने भाग लिया;
- एनवीएस दल ने भारतीय विद्यालय खेलकूद महासंघ प्रतियोगिता में भाग लिया;
- एनवीएस ने अध्यापकों और प्रिंसीपलों की व्यावसायिक उन्नति के लिए अनेक स्टाफ विकास कार्यक्रम आयोजित किए;
- यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाते हैं कि दाखिल किए जाने वाले छात्रों में कम से कम एक–तिहाई लड़कियां हों। 1998–99 के दौरान नवोदय विद्यालयों में अनुसूचित जातियों/जनजातियों और लड़कियों का प्रतिशत क्रमशः 23, 14 और 32 था;
- विद्यालयों में सद्भावना दिवस, कुष्ठ निवारण दिवस, स्काउट तथा गाइड स्थापना दिवस जैसे महत्त्वपूर्ण दिवस मनाए गए;
- समिति में केडिटों की कुल संख्या 8000 है;
- वर्ष 2000 में जवाहर नवोदय विद्यालय (जेएनवी) के कक्षा दस तथा बारह के सीबीएसई के परिणाम क्रमशः 87.0 प्रतिशत और 83.3 प्रतिशत थे जो कि सीबीएसई के औसत परिणामों से कहीं बेहतर हैं। मार्च 2000 की बोर्ड की परिक्षाओं में कक्षा X में बैठने वाले 17,510 और कक्षा XII में बैठने वाले 10,522 छात्रों में से क्रमशः 15,237 और 8,760 छात्र सफल घोषित किए गए;

केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डा. एमएम जोशी, परम्परागत निष्पादन कला प्रस्तुत करने वाले एनवीएस छात्रों के साथ

- नवोदय विद्यालय योजना की एक प्रमुख विशेषता किसी एक भाषायी क्षेत्र में स्थित नवोदय विद्यालय तथा भिन्न भाषायी क्षेत्र में स्थित दूसरे नवोदय विद्यालय के छात्रों का पारस्परिक आदान–प्रदान है जिसका उद्देश्य भारतीय संस्कृति और लोगों की विविधता और बहुलता के बोध को बढ़ावा देना है। इस योजना के अनुसार, एक नवोदय विद्यालय के 30 प्रतिशत छात्रों को नौवीं कक्षा के स्तर पर एक शैक्षणिक वर्ष के लिए दूसरे विद्यालय में भेज दिया जाता है। इस तरह का अन्तरण हिन्दी भाषी और गैर–हिन्दी भाषी राज्यों के बीच किया जाता है; तथा
- 31 मार्च 2000 की स्थिति के अनुसार, नवोदय विद्यालयों में दाखिल छात्रों की कुल संख्या 1,20,700 थी। नौवीं योजना अवधि के दौरान माजूदा 100 स्कूलों की क्षमता में वृद्धि करने का प्रस्ताव है।

नौवीं योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान 753.60 करोड़ रुपए की राशि का प्रयोग कर लिया गया है। वर्ष 2000–2001 के लिए समिति को बीई स्तर पर योजनागत के अधीन 344 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता प्रदान की गई है जबकि आरई स्तर पर समिति की अनुमानित आवश्यकता 400.78 करोड़ रुपए की थी। जेएनवी की आवश्यकता और मांग को

ध्यान में रखते हुए योजना की शेष अवधि के दौरान और अधिक निधियों की आवश्यकता हो सकती है। वर्ष 2001–2002 के लिए बीई स्तर पर समिति द्वारा मांगी गई अनुमानित राशि 416.50 करोड़ रुपए है।

केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन

केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन भारत सरकार, शिक्षा और युवा सेवा मंत्रालय (अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय) द्वारा एक संकल्प के माध्यम से 1961 में एक स्वायत्त संगठन के रूप में स्थापित किया गया था और उसे 1860 के सोसायटी पंजीकरण अधिनियम XXI के अधीन पंजीकृत किया गया। प्रशासन के मुख्य उद्देश्य भारत में तिब्बती बच्चों की शिक्षा के निमित्त संस्थान चलाना, प्रबन्ध करना और सहायता करना है।

प्रशासन 82 स्कूल चलाता है जिनमें आठ उच्च माध्यमिक स्कूल (छः आवासीय तथा दो दिवा स्कूलों सहित) पांच माध्यमिक स्कूल, नौ मिडिल स्कूल, सात प्राथमिक स्कूल, 45 पूर्व–प्राथमिक स्कूल तथा ग्यारह सहायता–अनुदान वाले स्कूल शामिल हैं। इन स्कूलों में 10240 छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

तिब्बतियों के लिए केन्द्रीय विद्यालय सीबीएसई, दिल्ली के साथ सम्बद्ध है और वे 10+2 शिक्षा प्रणाली का अनुसरण करते हैं। ये स्कूल छात्रों को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली द्वारा आयोजित अखिल भारतीय माध्यमिक स्कूल और अखिल भारतीय उच्च माध्यमिक स्कूल प्रमाण–पत्र परीक्षाओं के लिए तैयार करते हैं।

प्राथमिक कक्षा के लिए शिक्षा का माध्यम तिब्बती भाषा है जबकि कक्षा VI के बाद शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी है।

कक्षा VIII तक तिब्बती भाषा को छोड़कर, जिसका पाठ्यक्रम महामहिम दलाईलामा, धर्मशाला के केन्द्रीय तिब्बती प्रशासन द्वारा तैयार किया जाता है, एनसीईआरटी द्वारा निर्मित पाठ्यक्रम का पालन किया जाता है।

कक्षा IX और X के लिए केंन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रमों का पालन किया जाता है।

+2 स्तर पर XI वीं और XII वीं कक्षाओं में प्रशासन के उच्च माध्यमिक स्कूल मानविकी, विज्ञान, वाणिज्य और व्यावसायिक धाराओं में शिक्षा प्रदान करते हैं। वाणिज्य–आधारित व्यावसायिक धाराओं के अधीन तीन पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं, अर्थात आशुलिपि (अंग्रेजी), लेखांकन और लेखा परीक्षा तथा क्रय और भण्डारण।

शैक्षिक उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन (सीटीएसए) ने वर्ष 2000–01 के दौरान कुछ नवाचारी योजनाएं शुरू की हैं।

पूर्व–प्राथमिक और प्राथमिक कक्षाओं में क्रियाकलाप–आधारित अध्यापन शुरू किया गया है। सभी कक्षाओं में शत–प्रतिशत परिणाम सुनिश्चित करने के लिए अधिगम के न्यूनतम स्तरों पर बल दिया जाता हैं। वैज्ञानिक चिंतन का विकास सुनिश्चित करने और आधुनिक उन्नति के साथ–साथ चलने के उद्देश्य से लघु स्तर की विज्ञान और कम्प्यूटर प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। पढ़ने की उपयुक्त आदतें विकसित करने के निमित्त पहली से आठवीं कक्षाओं तक के लिए सचल कक्षा पुस्तकालय सेवाएं चल रही हैं।

भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा योजनागत बजट 2000–2001 के अधीन सीटीएसए स्कूलों में कैरियर परामर्श सेल, भूगोल शास्त्र प्रयोगशाला, सामाजिक विज्ञान प्रयोगशाला, गणित प्रयोगशाला, अध्यापन सहायक सामग्री, अधिगम के न्यूनतम स्तर तथा पुस्तकालय सेवाओं के विकास जैसी विभिन्न अन्य आधारिक सुविधाएं प्रदान कर दी गई हैं।

शैक्षिक उत्कृष्टता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से VI वीं और XI वीं कक्षाओं के लिए सेतु पाठ्यक्रम शुरू किए गए हैं तथा X वीं से XII वीं कक्षाओं के लिए उपचारात्मक शिक्षण प्रदान किया जाता है। उच्च माध्यमिक स्कूल के छात्रों द्वारा कम्प्यूटरों का प्रयोग किया जा रहा है जबकि माध्यमिक और मिडिल स्कूलों को सत्र 2000–2001 में कम्प्यूटर प्राप्त हो सकेंगे।

उपर्युक्त के अलावा, शारीरिक और स्वास्थ्य शिक्षा तथा एसयूपीडब्ल्यू पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य अंग है। कक्षा X तक के सभी छात्रों के लिए संगीत और नृत्य प्रशिक्षण

अनिवार्य है। राष्ट्रीय कोर पाठ्यचर्या, मूल्य शिक्षा और पर्यावरणात्मक अध्ययनों पर उचित बल दिया जाता है।

बच्चों को सीबीएसई स्तर की खेलकूद प्रतियोगिताओं और उसके साथ-साथ जिला और ताल्लुक स्तर पर अंतःस्कूल प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। छात्रों के सांस्कृतिक और निष्पादन के विकास के निमित्त केन्द्रीय और क्षेत्रीय सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन हर तीसरे वर्ष किया जाएगा।

छात्रों को और आगे अध्ययन जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 15 तिब्बती छात्रों को डिग्री स्तर के पाठ्यक्रम और पांच छात्रों को डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रम जारी रखने के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती है। भारत सरकार ने तिब्बती छात्रों के लिए चिकित्सा, इंजीनियरी, अध्यापक शिक्षा, फार्मेसी आदि जैसे व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में कुछ स्थान डिप्लोमा/डिग्री स्तर के पाठ्यक्रमों में आरक्षित किए हैं।

अध्यापन और गैर-अध्यापन स्टाफ-दोनों के व्यावसायिक विकास के लिए एनसीईआरटी, केवीएस, राष्ट्रीय विज्ञान केन्द्र, राष्ट्रीय बाल भवन, डीआईईटी, नई दिल्ली और साथ ही शिक्षा विभाग, सीटीए, धर्मशाला के सहयोग से अनेक सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते है।

महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक और शैक्षणिक मुद्दों पर विचार करने, चर्चा करने और निर्णय लेने के लिए आलोच्य वर्ष के दौरान केन्द्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर अध्यक्षों का वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया।

सीटीएसए ने भारतीय अध्यापकों को तिब्बती भाषा में प्रवीणता प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रोत्साहन की एक योजना शुरू की है जिससे कि छात्रों के साथ ऐसे अध्यापकों का गहरा तालमेल स्थापित हो सके। अन्य अध्यापकों को भी उनके असाधारण योगदान के लिए प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। छात्रों को उत्तम स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से X वीं और XII वीं कक्षाओं के प्रतिभाशाली छात्रों के लिए एक पुरस्कार योजना शुरू की गई है।

प्रशासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों का समुचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सचिव, शिक्षा अधिकारियों, उप शिक्षा अधिकारियों तथा अन्य शिक्षाविदों द्वारा नियमित वार्षिक और साथ ही अनौपचारिक निरीक्षण किए जाते हैं।

भारत सरकार, नई दिल्ली के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग ने नौवीं योजना के दौरान शैक्षणिक क्रियाकलापों के विकास और निर्माण के लिए 967 लाख रुपए की राशि आबंटित की है।

संघशासित क्षेत्रों में शिक्षा

संघशासित क्षेत्रों में शिक्षा के कार्यान्वयन पर निगाह रखना केन्द्रीय सरकार की विशेष जिम्मेदारी है। शिक्षा विभाग को संघशासित क्षेत्र के प्रशासकों के साथ गहरा सम्पर्क बनाए रखना होता है जिससे कि राष्ट्रीय नीति तथा अन्य केन्द्रीय और केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के प्रावधान के अनुरूप शिक्षा के सभी क्षेत्रों में उन्नति सुनिश्चित की जा सके। अनेक राष्ट्रीय प्राथमिकतायुक्त योजनाओं और आपरेशन ब्लैक बोर्ड, गैर-औपचारिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषाहार सहयोग, प्रौढ़ शिक्षा, समाज के दुर्बल तथा अन्य सुविधाविहीन वर्गों के लिए शिक्षा जैसे अन्य सामाजिक अभिप्रेरण कार्यक्रमों के साथ-साथ प्रारम्भिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण पर बल दिया गया है।

राजकीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल, पांडिचेरी में आयोजित एक वाक् प्रतियोगिता में भाग ले रही एक छात्रा

लड़कियों की शिक्षा पर विशेष बल दिया जाता है और विज्ञान शिक्षा, पर्यावरणात्मक शिक्षा, कम्प्यूटर शिक्षा शैक्षिक प्रौद्योगिकी, शारीरिक शिक्षा तथा खेलकूद आदि के माध्यम से माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने की दिशा में प्रयास किए गए हैं। शिक्षा के व्यावसायीकरण पर भी विशेष बल दिया गया है। प्रौद्योगिकी उन्नति के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा ने भी इन दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों को भी प्रभावित किया है। अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए उपयुक्त सुविधाएं मौजूद हैं। उच्चतर और तकनीकी शिक्षा की सुविधाएं भी कुछेक संघ शासित क्षेत्रों में सुलभ हैं जैसेकि दिल्ली, अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, चण्डीगढ़, दमन और दीव, पाण्डिचेरी। जिन संघशासित क्षेत्रों में तकनीकी शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, उनमें इन क्षेत्रों के छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए आरक्षण किया जाता है।

प्रोत्साहन योजनाएं

विभिन्न स्तरों पर शैक्षिक उन्नति को बढ़ावा देने के लिए सभी संघशासित क्षेत्र विभिन्न योजनाओं के अधीन प्रोत्साहन प्रदान कर रहे हैं। प्राथमिक स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना स्कूलों में उपस्थित बच्चों के शिक्षा में बने रहने की स्थिति में सुधार के निमित्त एक बड़ा प्रोत्साहन है। मध्याह्न भोजन अधिकांशतः समाज के कमजोर वर्गों से आने वाले बच्चों के पौषणिक स्तरों में सुधार के लिए भी एक बड़ा प्रोत्साहन है। प्रतिभाशाली छात्रों, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के बच्चों को छात्रवृत्तियां तथा छात्रावास सुविधाएं आदि प्रदान की जाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में छात्राओं को निःशुल्क परिवहन सुविधा प्रदान की जाती है। कमजोर वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों/जनजातियों से सम्बद्ध छात्राओं को मुफ्त वर्दी, पाठ्यपुस्तकें, लेखन–सामग्री आदि भी प्रदान की जाती है।

माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण

माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना फरवरी 1988 में शुरू की गई। योजना के मुख्य उद्देश्य हैं: व्यक्तिगत नियोज्यता को बढ़ावा देना, कुशल जनशक्ति की मांग और पूर्ति के बीच के असंतुलन को कम करना तथा बिना किसी खास रुचि या प्रयोजन के उच्च शिक्षा प्राप्त करने वालों को एक विकल्प प्रदान करना। वर्ष 1993–94 से निम्न माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक–पूर्व शिक्षा की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना भी शुरू की गई जिसका उद्देश्य मुख्यतः कक्षा IX और X के छात्रों को साधारण विपणीय कौशलों में प्रशिक्षण देना, उनमें व्यावसायिक रुचि पैदा करना तथा उच्च माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का चयन करने में उनकी मदद करना है।

संशोधित नीति में वर्ष 1995 तक 10 प्रतिशत और सन् 2000 तक 25 प्रतिशत उच्च माध्यमिक छात्रों को व्यावसायिक धारा में अंतरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसकी तुलना में पूरे देश के 6728 स्कूलों में 19415 व्यावसायिक सेक्शन मंजूर किए गए जिनमें लगभग 10 लाख छात्रों को व्यावसायिक धारा में अंतरित करने की क्षमता सृजित की गई। कार्यचालनात्मक अनुसंधान समूह आपरेशन रिसर्च ग्रुप के समन्वय के अधीन चार शोध संस्थानों द्वारा व्यावसायिक शिक्षा का मूल्यांकन किया गया और ओआरजी द्वारा 1996–97 में रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई। योजना के मौजूदा कार्यान्वयन

स्कूल स्तर पर संस्थान

क्रम सं.	संघशासित क्षेत्र	प्राथमिक स्कूल	उच्च प्राथमिक स्कूल	हाई स्कूल	उच्च माध्यमिक स्कूल	टीटीआई / कालेज
1.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	197	56	42	45	2
2.	चण्डीगढ़	24	13	37	29	2
3.	दादर एवं नगर हवेली	12	52	9	6	–
4.	दमन और दीव	53	20	20	3	1
5.	दिल्ली	2184	549	322	1009	25
6.	लक्षद्वीप	19	4	9	2	–
7.	पांडिचेरी	302	234	234	160	2

संघशासित क्षेत्रों में उच्च अध्ययन संस्थान

क्रम सं.	संघशासित क्षेत्र	विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थान*	कालेज	इंजीनियरी कालेज	मेडिकल कालेज	पॉलीटेक्निक
1.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	–	2	–	–	2
2.	चण्डीगढ़	2	12	2	–	2
3.	दादर और नागर हवेली	–	–	–	–	1
4.	दमन और दीव	–	1	–	–	1
5.	दिल्ली	6	64	9	9	23
6.	लक्षद्वीप	–	–	–	–	–
7.	पांडिचेरी	1	7	1	2	4

* आईआईटी राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थानों के अधीन शामिल है

स्रोतः चुनिन्दा शैक्षिक आंकड़े, 1997–98 (30 सितम्बर 1998 की स्थिति के अनुसार)

संघशासित क्षेत्रों में कक्षा–वार नामांकन

क्रम सं.	संघशासित क्षेत्र	कक्षाएं			
		I-V	VI-VIII	IX-X	XI-XII
1.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	45.43 (21.71)	22.38 (10.52)	11.45 (5.52)	4.42 (2.12)
2.	चण्डीगढ़	10.00 (4.65)	6.12 (3.80)	35.76 (16.77)	39.33 (19.93)
3.	दादर और नागर हवेली	10.49 (4.52)	19.92 (8.32)	1.26 (0.39)	3.62 (1.66)
4.	दमन और दीव	14.53 (6.97)	6.63 (3.11)	3.22 (1.45)	1.20 (0.45)
5.	दिल्ली	1261.35 (600.53)	593.46 (314.68)	743.83 (391.09)	506.36 (275.63)
6.	लक्षद्वीप	8.04 (3.70)	5.07 (2.38)	3.48 (1.60)	0.08 (0.04)
7.	पांडिचेरी	103.08 (49.55)	39.96 (20.14)	38.86 (15.88)	13.78 (6.76)

कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े लड़कियों का नामांकन दर्शाते हैं।

स्रोतः चुनिन्दा शैक्षिक आंकड़े, 1997–98 (30 सितम्बर 1998 की स्थिति के अनुसार)

संघशासित क्षेत्रों में साक्षरता की दरें

(प्रतिशत में)

क्रमसं.	संघशासित क्षेत्र	व्यक्ति	पुरुष	महिलाएं
1.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	73.02	70.99	65.46
2.	चण्डीगढ़	77.81	82.04	72.34
3.	दादर और नागर हवेली	40.71	53.56	26.98
4.	दमन और दीव	71.20	82.66	59.40
5.	दिल्ली	75.29	82.01	66.99
6.	लक्षद्वीप	81.78	90.10	72.89
7.	पांडिचेरी	74.74	83.68	65.63

स्रोतः चुनिन्दा शैक्षिक आंकड़े, 1997–98 (30 सितम्बर 1998 की स्थिति के अनुसार)

एससीईआरटी, भुवनेश्वर (उड़ीसा) में किशोर शिक्षा विषयक पक्षपोषण कार्यक्रम के उद्घाटन के अवसर पर वक्तव्य देते हुए श्री चिन्तामणि दयान सामत्र

का जाएजा लेने और भावी कार्यान्वयन में संशोधन सुझाने के निमित्त विभाग ने एनसीईआरटी के तत्कालीन निदेशक की अध्यक्षता में एक कार्यकारी दल स्थापित किया। कार्यकारी दल ने 1998 में रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी।

व्यावसायिक शिक्षा के कार्यक्रम का अनुसंधान, आयोजना और कार्रवाई केन्द्र (सीईआरपीए), नई दिल्ली द्वारा 1999–2000 के दौरान मूल्यांकन भी किया गया था। इस अध्ययन तथा एनसीईआरटी के कार्यकारी दल की रिपार्ट सहित पूर्ववर्ती अध्ययनों की रिपोर्टों के आधार पर एक विषय क्षेत्रीय लेख तैयार किया गया था। योजना के अभी तक के कार्यान्वयन के परिणामों को ध्यान में रखते हुए ऐसा महसूस किया गया है कि मूल्यांकन अध्ययनों/रिपोर्टों की सिफारिशों के प्रकाश में योजना में कुछेक बदलाव लाए जा सकते हैं। योजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक बदलावों को अन्तिम रूप देने के लिए विभाग ने संयुक्त सचिव (एसई) की अध्यक्षता में एक समिति स्थापित की है। आशा है कि परिवर्तित रूप में यह योजना अधिक प्रभावी होगी और नौवीं योजना के दौरान और अधिक प्रस्तावों को जन्म देगी।

नौवीं पंचवर्षीय योजना में इस स्कीम के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई थी जिसमें से अभी तक (31 मार्च 2000 की स्थिति के अनुसार) 65.6 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। चालू वित्तीय वर्ष के लिए बजट जो 1999–2000 में 10.5 करोड़ रुपए था 2000–2001 में बढ़ा कर 35 करोड़ रुपए कर दिया गया है जिसमें से 30.6 करोड़ रुपए की राशि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पहले ही खर्च की जा चुकी हैं।

देश में औपचारिक तथा गैर–औपचारिक व्यावसायिक शिक्षा को गहन तकनीकी, शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से पंडित सुन्दरलाल शर्मा केन्द्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान की भोपाल में 1993 में स्थापना की गई थी। यह संस्थान तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा विषयक यूनेस्को की अन्तर्राष्ट्रीय परियोजना (यूएनईवीओसी) के एक केन्द्र के रूप में भी काम कर रहा है।

इस संस्थान ने बहुविध क्रियाकलापों और कार्यक्रमों का आयोजन करके व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में जानकारी के विकास, प्रसार आदि की दिशा में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। आलोच्य वर्ष के दौरान संस्थान ने विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए 92 क्षमता आधारित पाठ्यचर्याएं, 100 पाठ्यपुस्तकें तथा प्रायोगिक नियम पुस्तिकाएं, 27 पूर्व–व्यावसायिक माड्यूल, 11 वीडियो फिल्में और 12 मार्गदर्शी दस्तावेज तैयार किए हैं। साथ ही, इस संस्थान ने इस वर्ष के दौरान व्यावसायिक शिक्षा से जुड़े प्रमुख कार्मिकों और अध्यापकों के लिए 37 अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम और 70 अनुस्थापन कार्यक्रम भी आयोजित किए हैं। संस्थान व्यावसायिक शिक्षा के बारे में एक तिमाही बुलेटिन और साथ ही भारतीय व्यावसायिक शिक्षा पत्रिका भी निकालता है। संस्थान ने देश में व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से पांच पुरस्कार शुरू किए, जो इस प्रकार हैं: छात्रों के लिए सर्वोत्तम उपलब्धि पुरस्कार (2), सर्वोत्तम व्यावसायिक अध्यापक पुरस्कार, सर्वोत्तम व्यावसायिक संस्थान पुरस्कार, तथा सर्वोत्तम स्कूल/उद्योग सम्बन्धी पुरस्कार।

विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा (आईईडीसी)

विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा (आईईडीसी) योजना इस उद्देश्य से शुरू की गई थी कि विकलांगताओं से युक्त बच्चों को सामान्य स्कूली प्रणाली के अधीन शैक्षिक अवसर सुलभ कराए जाएं ताकि उनका समाकलन सुकर बन सके।

आईईडीसी योजना 1974 में शुरू की गई थी। इस योजना के अधीन गैर–सरकारी संगठनों को निर्धारित मानदण्डों के अनुसार विकलांग बच्चों के लिए इस तरह की सुविधाएं प्रदान करने के निमित्त शत–प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है: पुस्तकें और लेखन सामग्री, वर्दी, परिवहन भत्ता, मार्गरक्षी भत्ता, दृष्टिहीन बच्चों के लिए पाठक भत्ता और उपस्कर। सहायता इन प्रयोजनों के लिए भी दी जाती है: संसाधन केन्द्रों की स्थापना, विकलांगताओं से युक्त बच्चों का सर्वेक्षण और निर्धारण, अनुदेशात्मक सामग्री की खरीद और उत्पादन तथा संसाधन व्यक्तियों का प्रशिक्षण और अनुस्थापन। योजना के सामान्य कार्यक्षेत्र में विकलांग बच्चों के स्कूल–पूर्व प्रशिक्षण और उनके माता–पिता को परामर्श शामिल है। इस योजना के अधीन विशेष अध्यापकों, सहायकों/परिचरों के वेतन और योजना के कार्यान्वयन तथा अनुश्रवण के लिए राज्य स्तर पर मौजूद आईईडी सेल में नियुक्त कार्मिकों के वेतन का भी प्रावधान किया जाता है।

सम्प्रति, आईईडीसी योजना 22,000 से अधिक स्कूलों के माध्यम से 28 राज्यों और संघशासित क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है और 1.00 लाख से अधिक विकलांग बच्चे इस योजना का लाभ उठा रहे हैं।

विकलांग बच्चों के प्रति सामाजिक रवैये सहित विभिन्न कारणों से आठवीं पंचवर्षीय योजना के मध्य तक की सारी अवधि के दौरान आईईडीसी योजना एक सीमान्त योजना बनी रही। विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों की रक्षा और पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995 की घोषणा के बाद से उस सब स्थिति में बदलाव आ गया है और विकलांग बच्चों की शिक्षा एक केन्द्रीय महत्त्व का विषय बन गया है।

नौवीं योजना अवधि के लिए आईईडीसी योजना का वित्तीय परिव्यय 100.00 करोड़ रुपए है। 1997–98, 1998–99 तथा 1999–2000 के लिए बजटीय आबंटन प्रति वर्ष 13.00 करोड़ रुपए था जिसमें से इन तीन वर्षों के दौरान क्रमशः 9.99 करोड़ रुपए, 8.81 करोड़ रुपए तथा 12,90 करोड़ रुपए खर्च किए गए। चालू वित्तीय वर्ष 2000–2001 के लिए भी 15.00 करोड़ रुपए का बजट आकलन रखा गया है और आशा है कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान यह राशि पूरी तरह खर्च हो जाएगी।

मानव संसाधन विकास सम्बन्धी संसदीय स्थायी समिति ने यह सिफारिश की थी कि केन्द्र द्वारा इस योजना को 10वीं योजना अवधि तक अपने पास रखा जाना चाहिए ताकि अधिक संवेदीकरण उत्पन्न किया जा सके और इस योजना का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।

शैक्षिक प्रौद्योगिकी

शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षिक प्रौद्योगिकी कार्यक्रम को केन्द्रीय क्षेत्र के अधीन कार्यान्वित किया गया है जिससे कि शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के अलावा शैक्षिक सुविधाओं की सुलभता का विस्तार हो सके। यह योजना उत्तम शिक्षा सुलभ कराने के प्रयोजन से प्राथमिक स्कूलों में रेडियो एवं कैसेट प्लेयरों की पूरी लागत तथा उच्च प्राथमिक स्कूलों में रंगीन टीवी की 75 प्रतिशत लागत प्रदान करने के लिए प्रयासरत है। उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात तथा आन्ध्र प्रदेश में स्थित छः स्वायत्त राज्य शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थानों का वित्तपोषण भी इसी योजना के अधीन किया जा रहा है। दूरदर्शन तथा आकाशवाणी से प्रसारित किए जाने के प्रयोजन से स्कूल क्षेत्र के लिए कार्यक्रम तैयार करने के निमित्त योजना, केन्द्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईईटी) को आर्थिक सहयोग प्रदान करती है।

अभी तक प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्कूलों में लगाए जाने के लिए राज्यों और संघशासित क्षेत्रों को लगभग 4,02.613 रेडियो–एवं–कैसेट प्लेयर तथा 85,989 रंगीन टीवी मंजूर किए जा चुके हैं। 1999–2000 के दौरान सीआईईटी तथा एसआईईटी ने मिलकर 1370 (1163 दृश्य और 207 श्रव्य) कार्यक्रम तैयार किए हैं।

स्कूलों में कम्प्यूटर शिक्षा और अध्ययन (क्लास)

कम्प्यूटरों की उपयोगिता और प्रयोगों की बाबत बच्चों को जागरूक बनाए जाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सहयोग से इलेक्ट्रानिक्स विभाग ने वर्ष 1984–85 से उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए स्कूलों में कम्प्यूटर शिक्षा और अध्ययन (सीएलएएसएस) नामक एक मार्गदर्शी परियोजना की शुरूआत की थी। 'क्लास' परियोजना

को संशोधित करके एक केन्द्र प्रायोजित योजना का रूप दे दिया गया जिसे वर्ष 1993–94 से कार्यान्वित किया जा रहा है। संशोधन–पूर्व 'क्लास' योजना में पहले से ही शामिल 2598 स्कूलों के अलावा आठवीं पंचवर्षीय योजना के अधीन 2371 स्कूलों में इस स्कीम का विस्तार किया जा चुका है। वित्त मंत्रालय की सलाह पर अप्रैल 1999 से यह योजना समाप्त कर दी गई है। बदली हुई स्थिति और स्कूलों में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्रालय के परामर्श से इस योजना को संशोधित किया जा रहा है।

स्कूलों में विज्ञान शिक्षा में सुधार

पृष्ठभूमि

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में की गई परिकल्पना के अनुसार, विज्ञान शिक्षा के स्तर में सुधार लाने और वैज्ञानिक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए 'स्कूलों में विज्ञान शिक्षा में सुधार' नामक एक केन्द्र प्रायोजित योजना 1987–88 से चल रही है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यह योजना राज्य सरकारों/संघशासित क्षेत्रों तथा गैर सरकारी संगठनों और एजेंसी का प्रयोग करती है। तदनुसार राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को इन प्रयोजनों की पूर्ति के लिए शत–प्रतिशत सहायता प्रदान की जाती है: उच्च प्राथमिक स्कूलों को विज्ञान किट प्रदान करना, माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्कूलों में विज्ञान प्रयोगशालाओं और पुस्तकालय सुविधाओं का स्तरोन्नयन तथा विज्ञान और गणित के अध्यापकों का प्रशिक्षण। यह योजना विज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारी परियोजनाएं हाथ में लेने के लिए स्वैच्छिक संगठनों की सहायता प्रदान करती है।

वर्ष के दौरान निष्पादन

2000–2001 (8.02.2001 तक) 2785 उच्च प्राथमिक स्कूल के बच्चों के लिए विज्ञान किट खरीदने, 3592 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए विज्ञान पुस्तकें खरीदनें, 2130 स्कूलों में नई प्रयोगशालाएं स्थापित करने/विज्ञान प्रयोगशालाओं के स्तरोन्नयन के लिए तथा 7,669 विज्ञान/गणित के अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए पांच राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई है।

उपलब्धियां

	1991–91 तकतक	आठवीं योजना	1997–1998	1998–1999	1999–2000	2000–2001 8.2.2001 तक
खर्च की गई राशि करोड़ में (राज्य/संघशासित क्षेत्र स्वैच्छिक संगठन)	119.60	108.94	2.94	5.11	24.84	18.44
शामिल किए गए राज्य/संघशासित क्षेत्र स्कूल जिनके लिए राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को सहायता दी गई	56	55	3	4	8	5
(i) उच्च प्राथमिक (विज्ञान किट)	56.069	34,2000	3,164	–	663	2,785
(ii) माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्कूल (पुस्तकालय अनुदान)	23,896	16,250	338	24	583	3,592
(iii) माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक (विज्ञान प्रयोगशालाएं स्थापित करना/स्तरोन्नयन)	22,837	16,865	438	864	2,603	2,130
जिला संसाधन केन्द्रों की स्थापना के लिए सहायताप्राप्त संस्थानों की संख्या*	197	–	–	–	–	–
नवाचारी कार्यक्रमों (संचयी) के लिए सहायताप्राप्त स्वैच्छिक संगठनों की संख्या	29	57	14	16	14	10

* 1991–92 के बाद यह घटक शामिल नहीं है।

इसके अलावा, नवाचारी और प्रायोगिक परियोजनाएं हाथ में लेने के लिए दस स्वैच्छिक संगठनों/पंजीकृत समितियों को भी 80,93,980 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है।

अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान ओलम्पियाड

स्कूल स्तर पर गणित, भौतिक शास्त्र तथा रसायन शास्त्र में प्रतिभा का पता लगाने तथा उसे विकसित करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलम्पियाड (आईएमओ), अंतर्राष्ट्रीय रसायन शास्त्र ओलम्पियाड (आईसीएचओ) का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। भारतवर्ष ने क्रमशः वर्ष 1989, 1998 तथा 1999 में इन ओलाम्पियाडों में भाग लिया। प्रत्येक सहभागी देश से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आईएमओ के लिए माध्यमिक स्तर के अधिक से अधिक छः छात्र प्रतियोगियों, आईपीएचओ के लिए माध्यमिक स्तर के अधिक से अधिक पांच छात्र प्रतियोगियों तथा आईसीएचओ के लिए अधिक से अधिक चार छात्र प्रतियोगियों का एक दल भेजेगा जो कि दल के नेता और उप-नेता के अलावा होंगे।

मौजूदा आर्थिक पद्धति के अनुसार, मेजबान देश में सहभागी दलों के आवास के दौरान उनके भोजन, आवास तथा परिवहन का खर्च मेजबान देश द्वारा जबकि अंतर्राष्ट्रीय यात्रा संबंधी खर्च सहभागी देशों द्वारा वहन किया जाता है। पिछले ओलम्पियाड में भारतीय दलों को संयुक्त रूप से क्रमशः शिक्षा विभाग (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) तथा राष्ट्रीय उच्चतर गणित बोर्ड (एनबीएचएम)/होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केन्द्र (एचबीसीएसई) द्वारा प्रायोजित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय यात्री संबंधी खर्च शिक्षा विभाग द्वारा वहन किया गया जबकि छात्रों के चयन, आंतरिक यात्रा, प्रशासनिक खर्च आदि एनबीएचएम/एचबीसीएसई द्वारा वहन किया गया।

उपलब्धियां

अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलम्पियाड – 2000 जुलाई 2000 में ताएजान (कोरिया) में आयोजित किया गया था। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और पांच रजत तथा दो कांस्य पदक जीते। जुलाई 2000 में लाइकेस्टर (यूके) में आयोजित आईपीएचओ में भारतीय दल ने दो दो स्वर्ण पदक और दो कांस्य पदक जीते जबकि एक प्रतियोगी का गौरवपूर्ण उल्लेख किया गया। जुलाई 2000 में कोपेनहेगन, डेनमार्क में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रसायन शास्त्र ओलम्पियाड में भारतीय दल ने दो रजत और दो कांस्य पदक जीते। जुलाई 2000 में अंटाल्य, टर्की में पहली बार आयोजित अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलम्पियाड में भारतीय दल ने भाग लिया जिसमें दल के नेता, एक उप-नेता के अलावा चार प्रतियोगी छात्र शामिल थे और उन्होंने एक रजत तथा तीन कांस्य पदक जीते।

2001-02 के दौरान भारतीय प्रतिनिधिमंडल चारों अंतर्राष्ट्रीय ओलम्पियाड में भाग लेगा।

अंतर्राष्ट्रीय रसायन शास्त्र ओलम्पियाड 2001 की मेजबानी भारतवर्ष द्वारा 6 से 15 जुलाई 2001 के दौरान मुम्बई में की जाएगी। होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केन्द्र, मुम्बई इस ओलम्पियाड के लिए सभी आवश्यक आयोजनात्मक व्यवस्था करेगा।

केन्द्रीय प्रायोजित योजना

स्कूली शिक्षा का पर्यावरणीय अनुकूलन

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई) 1986 में इस आशय का प्रावधान है कि पर्यावरण का संरक्षण एक ऐसा मूल्य है जो कि कतिपय अन्य मूल्यों सहित शिक्षा के सभी स्तरों पर पाठ्यचर्या का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। इस पावन उद्देश्य को कार्यरूप देने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि बच्चों के मस्तिष्क और प्रज्ञा को प्रकृति के वरदानों का आवश्यकता से अधिक शोषण करने में निहित जोखिमों के प्रति अनिवार्यतः संवेदीकृत किया जाए और पर्यावरण के संरक्षण संबंधी बुनियादी अवधारणाओं के प्रति उनके भीतर आदर का भाव उत्पन्न किया जाए।

इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 'स्कूली शिक्षा के पर्यावरणीय अनुकूलन' नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना 1988-89 में शुरू की गई थी। इस योजना में राज्यों/संघशासित क्षेत्रों के प्रशासनों और स्वैच्छिक एजेन्सियों को सहायता दिए जाने का प्रावधान है। स्वैच्छिक एजेंसियों को ऐसे प्रायोगिक और नवाचारी कार्यक्रमों के आयोजन के लिए सहायता प्रदान की

1988–89 में शुरू की गई 'स्कूली शिक्षा का पर्यावरणीय अनुकूलन' योजना के बाद से सातवीं योजना से लेकर नौवीं योजना के दौरान इस योजना की उपलब्धियों का सारांश निम्न तालिका में प्रस्तुत किया गया है:

(रुपए करोड़ में)

विवरण	7वीं योजना	1990–91 तथा 1991–92	8वीं योजना	9वीं योजना 1997–98	1998–99	1999–2000	2000–2001 (9.2.2001 की स्थिति के अनुसार)
खर्च की गई राशि राज्य/संघशासित क्षेत्र तथा स्वैच्छिक संगठन	3.57	3.81	5.83	1.25	1.79	1.98	1.58
ऐसे राज्यों तथा संघशासित क्षेत्रों की संख्या जिन्हें सहायता प्रदान की गई	20	13	85	–	–	–	–
ऐसे राज्यों तथा संघशासित क्षेत्रों, गैर–सरकारी संगठनों को मंजूर की गई परियोजनाओं की संख्या	32	15	41	–	19	16	14
ऐसे स्वैच्छिक निकायो की संख्या जिन्हें मंत्रालय द्वारा सीधे सहायता दी गई	11	9	42	13	11	7	7

वित्त वर्ष 2000–2001 के लिए बजट आबंटन 3 करोड़ रुपए है। यह योजना 1996–97 से केवल स्वैच्छिक संगठनों तक सीमित कर दी गई है।

जाती है जिनका उद्देश्य स्थानीय पर्यावरणात्मक स्थितियों के साथ स्कूलों में शैक्षिक कार्यक्रमों के समेकन को बढ़ावा देना हो। इस योजना में राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को विभिन्न कियाकलापों के लिए सहायता प्रदान की जाती है जिनमें ये कियाकलाप शामिल हैं: प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक स्तरों पर विभिन्न विषय क्षेत्रों की पाठ्यचर्या की समीक्षा और विकास जिससे कि उसमें पर्यावरणात्मक अवधारणाएं जोड़ी जा सकें; प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 'पर्यावरणात्मक अध्ययन' संबंधी पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा और विकास; उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षा; अध्यापन अधिगम सामग्री का निर्माण; तथा उपयुक्त नवाचारी कार्य अनुभव कियाकलापों का आयोजन।

माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की छात्राओं के लिए भोजन और छात्रावास सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण की योजना

माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों की छात्राओं के लिए भोजन और छात्रावास सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण की योजना के अधीन ग्रामीण क्षेत्रों तथा दुर्बल वर्गों की किशोर लड़कियों के नामांकन में सुधार लाने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। सहायता प्रदान करने में शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े जिलों में विशेष रूप से ऐसे जिलों में स्थित माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्कूलों में दाखिल लड़कियों के छात्रावासों/बोर्डिंग हाउसों को वरीयता दी जाती है जिनमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों की तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े अल्पसंख्यकों की बहुलता होती है।

इस योजना के अधीन निम्न प्रकार के अनुदान मंजूर किए जाते हैं:

- ऐसे छात्रावास/बोर्डिंग हाउस के मामले में जिसमें किसी मान्यताप्राप्त स्कूल की नौवीं से लेकर बारहवीं कक्षाओं तक की कम से कम 25 छात्राएं छात्रावास में रहती हों, एक रसोइए तथा वार्डन के भोजन और वेतन के लिए 5000 रुपए प्रति वर्ष प्रति छात्रा की दर से। इस योजना के अधीन छात्रावास/बोर्डिंग हाउस को सहायता इस शर्त के अधीन दी जाती है

कि छात्रावास में रहने वाली छात्राओं की कुल संख्या 50 होगी; और

- फर्नीचर (बेड सहित) तथा बर्तनों की खरीद और बुनियादी मनोरंजनात्मक सामग्री, विशेष रूप से खेलकूद सामग्री, वाचनालय उपस्करों और पुस्तकों के प्रावधान के लिए 1500 रुपए प्रति छात्रा के हिसाब से एकबारगी दिया जाने वाला अनुदान।

इस योजना के अधीन प्रदान किए गए अनुदान के वर्ष–वार ब्यौरे और साथ ही योजना के अधीन लाभान्वित एजेंसियों की संख्या नीचे प्रस्तुत है:

स्कूलों में योग की शिक्षा

स्कूलों में योग शिक्षा की शुरूआत से संबंधित एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना 1989–90 में शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य राज्यों/संघशासित क्षेत्रों/गैर–सरकारी संगठनों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। योजना के अधीन इन प्रयोजनों पर होने वाले खर्च के निमित्त केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है:

वर्ष	एजेंसियों की संख्या	लाभग्रहियों की संख्या	खर्च की राशि (रुपए लाखों में)
1997–98	41	2063	74.94
1998–99	60	2963	107.00
1999–2000	62	3913	139.35

अध्यापकों का प्रशिक्षण, योग प्रशिक्षणार्थियों के लिए छात्रावास भवन और उसकी साज–सज्जा सहित आधारिक सुविधाओं के लिए अनुदान और पुस्तकालय सुविधाओं का स्तरोन्नयन। यह योजना राज्यों/संघशासित क्षेत्रों/गैर–सरकारी संगठनों के शिक्षा/संबंधित विभागों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। योजना का कार्यान्वयन संतोषजनक स्तर का नहीं था क्योंकि ऐसा लगता है कि राज्य सरकारों की इस योजना में रुचि नहीं थी। इसके विपरीत, ऐसा पाया गया कि गैर–सरकारी संगठन आधारिक घटकों के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त करने में अधिक रुचि रखते थे। फलतः स्कूलों में योग शिक्षा लागू करने की दिशा में अधिक सफलता प्राप्त नहीं हो सकी।

इसका परिणाम यह हुआ कि वित्त मंत्रालय ने यह सिफारिश की क्योंकि इस योजना की उपयोगिता नहीं रह गई थी, इसलिए इसे रद्द कर दिया जाए। वित्त मंत्रालय ने आगे यह भी सलाह दी कि विभाग को ऐसा प्रयास करना चाहिए कि योग शिक्षा को स्कूली पाठ्यचर्या का एक अंग बना दिया जाए। एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित की गई नई पाठ्यचर्या रूपरेखा में योग शिक्षा को उपयुक्त स्थान दे दिया गया है। विभाग ने भी स्कूलों में योग शिक्षा लागू करने के लिए एक नई योजना को अंतिम रूप दे दिया है।

चालू वित्तीय वर्ष 200–2001 के दौरान योजना के अधीन राज्यों/गैर–सरकारी संगठनो को 19.98 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है तथा गैर–योजनागत शीर्ष के अधीन 30 जनवरी 2001 तक कैवल्यधाम श्रीमन माधव योग मंदिर समिति, लोनावाला, पुणे को 25.50 लाख रुपए की राशि प्रदान की जा चुकी है। कैवल्यधाम श्रीमन माधव योग मंदिर समिति को यह अनुदान समिति के अनुरक्षण के लिए दिया जा रहा है जिसका खर्च भारत सरकार और महाराष्ट्र की राज्य सरकार के बीच 80:20 के रूप में विभाजित है। कैवल्यधाम अध्यापकों के प्रशिक्षण सहित कालेज आफ योग एंड कल्चरल सिंथेसिस के माध्यम से अपने चार स्कन्धों के जरिए क्रियाकलाप आयोजित कर रहा है।

राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम

विहंगावलोकन

राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा जनसांख्यिकीय लक्ष्यों की प्राप्ति के निमित्त कार्यनीति के पूरक और सम्पूरक के रूप में 1980 में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम को चरणबद्ध रूप में कार्यान्वित किया गया है और प्रत्येक चरण संगत पंचवर्षीय योजना अवधि के साथ मेल खाता है। योजना का पहला चरण 1985 में, दूसरा 1992 में और तीसरा 1997 में पूरा कर लिया गया है। परियोजना का मौजूदा चरण, जिसे स्कूलों में जनसंख्या और विकासात्मक शिक्षा के रूप में जाना जाता है, जून 1998 में शुरू किया गया था और यह चरण 2002 तक जारी रहेगा।

उद्देश्य

इस परियोजना की स्थापना के समय से इसके क्रियाकलाप स्कूली शिक्षा प्रणाली में जनसंख्या शिक्षा के संस्थायन के दूरगामी उत्साह की पूर्ति के प्रति लक्षित हैं। सितम्बर 1994 में कैरो में आयोजित जनसंख्या और विकास संबंधी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन (आईसीपीडी) में अपनाई गई कार्य योजना की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में जनसंख्या शिक्षा की रूपरेखा की पुनः संकल्पना की गई और वह मौजूदा चरण में परियोजना क्रियाकलापों का आधार बन गई है। परियोजना के उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

- आईसीपीडी कार्ययोजना के संदर्भ में पुनः संकल्पित जनसंख्या शिक्षा का औपचारिक स्कूली शिक्षा प्रणाली के सभी स्तरों पर संस्थायन;
- जनसंख्या और विकासात्मक मुद्दों के प्रति जागरूकता और सकरात्मक रवैया विकसित करना जिसके फलस्वरूप छात्रों और अध्यापकों और कुल मिला कर समुदाय में उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार देखने में आएगा;
- छात्रों, अध्यापकों तथा माता–पिता के बीच किशोर प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना तथा यौन भावना और लड़कियों के प्रति लड़कों का तथा लड़कों के प्रति लड़कियों की एक स्वस्थ दृष्टि विकसित करना; तथा
- समग्र राष्ट्रीय उन्नति को प्रभावित करने वाले भारत के जनसांख्यिकीय विकासात्मक और स्वास्थ्य लक्ष्यों की पूर्ति की दिशा में योगदान देना।

वित्तीय जरूरतें

(रुपए लाखों में)

	बीई 2000–2001	आरई 2000–2001	बीई 2001–2002
योजनागत	30.00	30.00	एसपीए
गैर–योजनागत	35.00	35.00	40.00 (प्रस्तावित)

परियोजना के कार्यान्वयन में सहयोजित एजेंसियां

एनपीईपी का वित्तपोषण संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या निधि (यूएनएफपीए) द्वारा किया जाता है जो कि तकनीकी सहयोग भी प्रदान करती है। यह परियोजना मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से, जो कि परियोजना की कार्यकारी एजेन्सी है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। इस प्रयोजन के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय एक नोडल एजेंसी है।

यह परियोजना 30 राज्यों और संघशासित क्षेत्रों में संबंधित शिक्षा विभागों की ओर से संबंधित राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषदों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। चार राज्यों में यह परियोजना राज्य स्कूली शिक्षा बोर्डों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर संगत परियोजना क्रियाकलापों में आकाशवाणी और दूरदर्शन, भारत में राज्य स्कूली शिक्षा बोर्ड परिषद (सीओबीएसई), राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (एनएसीओ) जैसी एजेंसियों तथा स्वैच्छिक संगठनों को सहयोजित किया जाता है। स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में पांच राष्ट्रीय संगठन एनपीईपी की उपपरियोजनाओं को कार्यान्वित कर रहे हैं और ये पांच राष्ट्रीय संगठन इस प्रकार हैं: केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई), राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई), राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय (एनओएस), केन्द्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) तथा नवोदय विद्यालय समिति (एनवीएस)।

वर्ष 2000 के दौरान परियोजना की उपलब्धियां

वर्ष 2000 के दौरान परियोजना के क्रियाकलाप निम्न के प्रति केन्द्रित रखे गए:

- स्कूली शिक्षा की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा में, जिसे एनसीईआरटी द्वारा संशोधित किया जा रहा है, पुनःसंकल्पित जनसंख्या शिक्षा के तत्त्वों को समाकलित करना;
- स्कूलों में किशोर शिक्षा लागू करने को बढ़ावा देने के प्रयासों का सुदृढ़ीकरण;
- स्कूलों में जनसंख्या शिक्षा और किशोर शिक्षा की ओर केन्द्रित सह–पाठ्यचर्यात्मक क्रियाकलापों के आयोजन की गति में तेजी लाना;
- परियोजना क्रियाकलापों की मध्यावधिक पुनरीक्षाएं आयोजित करना; तथा
- अनुश्रवण प्रकिया और अंतःक्षेत्रीय समन्वय का सुदृढ़ीकरण।

इन तात्कालिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अब तक निम्न क्रियाकलाप किए गए हैं:

राष्ट्रीय स्तर

- एनसीईआरटी ने स्कूली शिक्षा पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा नामक अपने दस्तावेज में जनसंख्या शिक्षा और किशोर शिक्षा के महत्त्वपूर्ण मुद्दों को शामिल कर लिया। यह एक ऐसा चर्चा दस्तावेज था जो कि पाठ्यचर्या संशोधन संबंधी राष्ट्रव्यापी विचार–विमर्श का आधार बन गया।
- भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के निर्माण की प्रक्रिया में भी एनसीईआरटी ने योगदान दिया।
- एनसीईआरटी ने 'स्कूलों में किशोर शिक्षाः बुनियादी सामग्रियों का पैकेज' का प्रकाशन किया और सभी राज्यों तथा संघशासित क्षेत्रों द्वारा स्कूलों में किशोर शिक्षा लागू करने को बढ़ावा देने के लिए प्रोटोटाइप सामग्री के रूप में इसका प्रयोग किया जा रहा है।
- एनसीईआरटी ने जनसंख्या और उन्नति के प्रति युवकों की दृष्टि नामक एक एलबम तैयार की है जिसमें 1997 और 1998 के बीच प्रतिवर्ष आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पोस्टर प्रतियोगिताओं में प्राप्त हुए पोस्टर सम्मिलित हैं।
- एनसीईआरटी ने छमाही जनसंख्या बुलेटिन के दो अंक प्रकाशित किए।
- दो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। वित्तीय प्रबंध और रिपोर्टिंग पर आयोजित एक प्रशिक्षण कार्यशाला में राज्यों/संघशासित क्षेत्रों तथा राष्ट्रीय स्तर की उप संविदा एजेंसियों से आए 27 प्रशासनिक परियोजना कार्मिकों ने भाग लिया। परियोजना कार्मिकों के लिए जनसंख्या शिक्षा पर दूसरे प्रशिक्षण कार्यक्रम में राज्यों/संघशासित क्षेत्रों तथा राज्यों/संघशासित क्षेत्रों से राष्ट्रीय स्तर पर आए और राष्ट्रीय स्तर की उप संविदाकारी एजेंसियों से लिए गए 22 शैक्षणिक परियोजना कार्मिकों ने भाग लिया।
- अंतर्राष्ट्रीय पोस्टर प्रतियोगिता 2000 अप्रैल–सितम्बर 2000 के दौरान आयोजित की गई। सारे देश से लगभग 6000 प्रविष्टियां प्राप्त हुई।
- 'जनसंख्या स्थिरीकरण का एकमात्र समाधान कठोर परिवार नियोजन उपाय हैं विषय पर 24 राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में एक राष्ट्रव्यापी वाद–विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
- यूएनएफपीए के परामर्शदाताओं द्वारा अप्रैल–जुलाई 2000 के दौरान इस परियोजना की मध्यावधिक समीक्षा की गई।
- एनसीईआरटी, यूजीसी तथा प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय जैसी राष्ट्रीय स्तर की कार्यान्वयन एजेंसियों के प्रतिनिधियों तथा श्रम मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और यूएनएफपीए के अधिकारियों से युक्त एक अंतःक्षेत्रीय समन्वय समिति मौजूद है। अंतःक्षेत्रीय समन्वय की प्रभाविता को बढ़ावा देने के लिए इस समिति की अभी तक पांच बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं।

राज्य स्तर

- 20 राज्यों तथा संघशासित क्षेत्रों ने आलोच्य वर्ष के दौरान जनसंख्या शिक्षा के संबंध में लगभग 600 पुस्तकों के अलावा 50 और पुस्तकें तैयार की हैं।
- कुल मिलाकर, 13 राज्यों/संघशासित क्षेत्रों ने अपनी–अपनी राज्य भाषाओं में 'जनसंख्या शिक्षा के पैकेज' तैयार किए हैं।
- राज्यों तथा संघशासित क्षेत्रों द्वारा विभिन्न सहपाठ्यचर्यात्मक क्रियाकलापों का आयोजन किया गया है, अर्थात (क) विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर 107 जिलों में लम्बी दूरी की दौड़ का आयोजन; (ख) 192 जिलों में जनसंख्या सप्ताह का आयोजन; (ग) 4300 स्कूलों में किशोर शिक्षा में छात्रों के क्रियाकलाप; तथा (घ) 2000 स्कूलों में विशेष भाषण।

ऐसे परियोजना क्रियाकलाप जिनके दिसम्बर 2000 तक राष्ट्रीय स्तर पर पूरा हो जाने की संभावना है

- केन्द्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईईटी) एनसीईआरटी द्वारा जनसंख्या शिक्षा और किशोर शिक्षा पर दो श्रव्य दृश्य कार्यक्रम निर्मित किए जाएंगे।
- एनसीईआरटी द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर वाद–विवाद प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी।
- दो वार्षिक परियोजना प्रगति समीक्षा बैठकें आयोजित की जाएंगी।
- एक पक्षपोषण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

राज्य स्तर

- जनसंख्या शिक्षा और किशोर शिक्षा पर लगभग 20 और पुस्तकें तैयार की जाएंगी।
- लगभग 10,000 अध्यापकों तथा अन्य कार्मिकों को जनसंख्या शिक्षा और किशोर शिक्षा में प्रशिक्षित किया जाएगा।
- सभी 30 राज्यों/संघशासित क्षेत्रों में विश्व एड्स दिवस मनाया जाएगा और किशोर शिक्षा में छात्रों के क्रियाकलाप आयोजित किए जाएंगे।
- परियोजना क्रियाकलापों के बारे में लगभग 16 मूल्यांकन अध्ययन पूरे कर लिए जाएंगे।

प्रकाशन

राष्ट्रीय स्तर पर निम्न प्रकाशन निकाले गए:

- निम्न छः पुस्तकों से युक्त बुनियादी सामग्री के स्कूल पैकेज में किशोर शिक्षा:
  - प्रस्तावना
  - किशोर शिक्षा सामान्य रूपरेखा
  - किशोर शिक्षाः ज्ञानाधार
  - किशोर शिक्षाः प्रश्न और उत्तर
  - छात्रों के क्रियाकलाप
  - किशोर शिक्षा – वयस्कों की भूमिका
- जनसंख्या शिक्षा बुलेटिन

आर्थिक स्थिति

वर्ष	बजट (प्रदान की गई राशि)	खर्च (रुपए)
1998–99	1,67,13,616	1,45,46,176
1999–2000	3,00,00,000	1,32,43,683

युद्धों के दौरान मारे गए/विकलांग हुए सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों के बच्चों को शैक्षिक रियायतें

भारत सरकार और अधिकांश राज्य तथा संघशासित क्षेत्र 1962 में भारत–चीन युद्ध, 1965 तथा 1971 में भारत–पाक युद्धों के दौरान मारे गए अथवा स्थायी रूप से विकलांग हुए सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों के स्कूल जाने वाले बच्चों को शिक्षण शुल्क, भोजन तथा आवास संबंधी खर्च, यूनिफार्म, पाठ्यपुस्तकों, यातायात आदि पर किए गए व्यय इत्यादि की प्रतिपूर्ति करके शैक्षिक रियायतें प्रदान करती है। 1998 के दौरान इन रियायतों का विस्तार श्रीलंका में संघर्ष में मारे गए/विकलांग हुए आईपीकेएफ/ सीआरपीएफ कार्मिकों के बच्चों तथा सियाचिन क्षेत्र में आपरेशन मेघदूत के दौरान मारे गए/विकलांग हुए सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों के बच्चों के लिए भी कर दिया गया है।

शैक्षिक रियायतों की इस योजना के अधीन यह विभाग सानावार और लोरेडेल में स्थित दो लारेंस स्कूलों में अध्ययनरत पात्र छात्रों को भी शामिल करता है।

वर्ष 2000–2001 के लिए इस संबंध में 1.00 लाख रुपए का बजट प्रावधान किया गया है।

स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम

यह एक छोटी सी योजना है जिसके अधीन दूसरे देशों के साथ भारत के सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अनुसरण में विदेशों को जाने वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल के गैर–औपचारिक सदस्यों की विदेश यात्रा/आवास संबंधी खर्च और भारत आने वाले प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों की भारत यात्रा और आवास संबंधी खर्च की पूर्ति के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। तथापि, इस योजना के अधीन उन मामलों में निधियां खर्च नहीं की जातीं जिनमें इस तरह की पारस्परिक यात्राएं एनसीईआरटी द्वारा की जाती हैं। सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों के अनुसरण में एनसीईआरटी के विशेषज्ञों के दौरों के मामले में भी इस योजना की निधियां खर्च नहीं की जातीं।

वर्ष 2000–2001 के लिए इस संबंध में 1.00 लाख रुपए का बजट प्रावधान रखा गया है।

शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार

1958 में शुरू किए गए राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार प्राथमिक, मिडिल तथा माध्यमिक स्कूलों में सेवारत उत्कृष्ट अध्यापकों को सार्वजनिक रूप से मान्यता प्रदान किए जाने के लिए प्रतिवर्ष 5 सितम्बर को प्रदान किए जाते हैं। ये पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाते हैं। कुल मिलाकर 302 पुरस्कार होते हैं जिनमें से 20 पुरस्कार संस्कृत, फारसी और अरबी भाषा के अध्यापकों के लिए आरक्षित होते हैं। वर्ष 1993 से इस योजना का विस्तार करके सैनिक स्कूलों, नवोदय विद्यालयों तथा ऐटोमिक एनर्जी – एजूकेशनल सोसायटी द्वारा संचालित स्कूलों के अध्यापकों को इस योजना में शामिल कर लिया गया है। वर्ष 1998 से पुरस्कारों के अप्रयुक्त कोटे के कारण हुई कमी को, यदि कोई हो, तो केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध पब्लिक स्कूलों के दस अध्यापकों को शामिल करके पूरा किया जाएगा।

राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए अध्यापकों का चयन निदेशक (शिक्षा) की अध्यक्षता वाली एक राज्य स्तरीय चयन समिति द्वारा किया जाता हैं जिसमें एनसीईआरटी का राज्य समन्वयकर्ता एक सदस्य होता है। राज्य सरकारों द्वारा समिति की सिफारिशें योग्यताक्रम के अनुसार भेजी जाती है। अंतिम चयन भारत सरकार करती है। पुरस्कार में एक पदक, प्रमाण–पत्र तथा 10,000 रुपए की पुरस्कार राशि शामिल होती है। पुरस्कार की राशि वर्ष 1999 के बाद से 10,000 रुपए से बढ़ा कर 25,000 रुपए कर दी गई है।

शिक्षा के पिरैमिड के शीर्षस्थ स्थान पर होने के कारण उच्चतर शिक्षा को शिक्षा प्रणाली में एक प्रमुख भूमिका निभानी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह परिकल्पना की गई है कि उच्चतर शिक्षा अधिक गतिशील और उच्च स्तरीय होगी क्योंकि उच्चतर शिक्षा लोगों को मानवता के समक्ष प्रस्तुत प्रमुख सामाजिक, आर्थिक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मुद्दों पर चिन्तन करने का अवसर प्रदान करती है।

विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की स्थापना संसद के एक अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय शिक्षा के मानदण्डों के समन्वय, निर्धारण और उन्हें बनाए रखने के निमित्त 1956 में एक सांविधिक संगठन के रूप में की गई थी। आयोग संघ और राज्य सरकारों तथा उच्च अध्ययन संस्थानों के बीच समन्वयक निकाय की भूमिका निभाता है। विश्वविद्यालयों और कालेजों को अनुदान प्रदान करने की अपनी भूमिका का निर्वाह करने के साथ–साथ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालय शिक्षा के उन्नयन के लिए आवश्यक उपायों की बाबत केन्द्रीय और राज्य सरकारों के सलाहकार निकाय के रूप में भी करता है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की प्राथमिकताएं, पहलें और निर्णय

विश्वविद्यालय शिक्षा में उत्कृष्टता और गुणवत्ता को बढ़ावा देने, शिक्षा को प्रासंगिक बनाने और उसकी सुलभता तथा साम्यता में संवर्द्धन के उद्देश्य से यूजीसी की प्राथमिकताएं, पहलें और निर्णय निम्नानुसार रहे हैं:

- आयोग ने कालेजों को स्वायत्तता का दर्जा देने पर अधिक बल और बढ़ावा देने की सक्रिय कार्रवाई शुरू की है ताकि पाठ्यचर्या में नवाचार और शैक्षणिक नमनशीलता को प्रोत्साहन मिल सके। देश में 131 स्वायत्त कालेज हैं;
- उच्चतर शिक्षा को आर्थिक दृष्टि से अधिक व्यवहार्य बनाने के लिए विश्वविद्यालयों की फीस संरचना को संशोधित करने तथा संसाधन जुटाने की दिशा में पहलें की गई है;
- निजी क्षेत्र की सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के मार्गदर्शीसिद्धान्तों में उपयुक्त संशोधन कर दिए गए हैं जिससे कि उत्कृष्ट संस्थानों को तेजी के साथ सम–विश्वविद्यालयों का दर्जा प्रदान करना संभव हो सके;
- विदेशी राष्ट्रिकों को भारतीय उच्चतर शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यूजीसी ने उच्चतर अध्ययन के विभिन्न पाठ्यक्रमों में विश्वविद्यालयों के दाखिलों में 15 प्रतिशत अधिसंख्य स्थान आबंटित करने की दिशा में पहले ही कार्रवाई कर दी है;
- यूजीसी, ऐसे कुछ विश्वविद्यालय को अभिज्ञात करने को है जिनके मामले में उत्कृष्टता के विश्वविद्यालयों का दर्जा मंजूर करने पर विचार किया जा सके;
- यूजीसी द्वारा अधिसूचना के अधीन पूर्व में निर्दिष्ट 104 डिग्रियों के क्रम में आयोग ने 34 अतिरिक्त डिग्रियों की विशिष्टियां अनुमोदित कीं;
- संस्कृत में अध्यापन/शोध की गुणवत्ता को बढ़ावा देने तथा उत्कृष्ट अध्यापकों को अभिज्ञात और मान्यता प्रदान करने के उद्देश्य से यूजीसी एक नया कार्यक्रम प्रायोजित कर रही है जिसका नाम है यूजीसी संस्कृत पुरस्कार;
- भारत सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार 1999–2000 को संस्कृत वर्ष के रूप में मनाने के उद्देश्य से विशेषज्ञ समिति द्वारा सत्तावन विश्वविद्यालयों/संस्थानों को आर्थिक सहायता दिए जाने की सिफारिश की गई है;
- सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार, यूजीसी ने विश्वविद्यालयों में रैगिंग की बुराई से निबटने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्तों का निर्माण करने के प्रयोजन से एक समिति का गठन किया। समिति की रिपोर्ट कड़ाई से अनुपालन किए जाने के लिए सभी विश्वविद्यालयों को परिचालित कर दी गई;
- आयोग ने विश्वविद्यालयों और कालेजों में दिवा देखभाल केन्द्रों की नई योजना शुरू करने का निर्णय लिया है जिसके लिए प्रत्येक केन्द्र को एकबारगी एकमुश्त 2.00 लाख रुपए का आर्थिक अनुदान दिया जाएगा;
- यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों को संयोजित करने के उद्देश्य से वीएसएटी तथा पार्थिव नेटवर्क स्थापित करने का निर्णय लिया है;

यूजीसी संघ और राज्य सरकारों तथा उच्च अध्ययन संस्थानों के बीच समन्वयक निकाय की भूमिका निभाता है। साथ ही यह आयोग विश्वविद्यालय शिक्षा के उन्नयन के लिए आवश्यक उपायों की बाबत केन्द्रीय और राज्य सरकारों के सलाहकार निकाय के रूप में भी काम करता है।

इग्नू में इलेक्ट्रोनिक मीडिया प्रोडक्शन सेंटर में सैटेलाइट अर्थ स्टेशन के उद्घाटन के अवसर पर श्री एम. के. काव, सचिव, शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय

- 9 दिसम्बर 1999 को मंगलौर विश्वविद्यालय, मंगलौर में हुए उप–कुलपतियों के वार्षिक सम्मेलन में इन विषयों पर सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिए गए:
- विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक और प्रशासनिक लेखा परीक्षा;
- विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में लेक्चरर के रूप में नियुक्ति के लिए एनईटी एक अनिवार्य अर्हता बनी रहनी चाहिए भले ही उम्मीदवारों के पास पीएच.डी. की डिग्री मौजूद हो;
- कालेजों को स्वायतत्ता प्रदान करना तथा ट्यूशन फीस में वृद्धि;
- गुणवत्ता पर बल देना, योजनागत अनुदान के एक–तिहाई के लिए निष्पादन–आधारित वित्तपोषण की अवधारणा शुरू की गई है;
- यह निर्णय लिया गया कि शुरू में भारत के सभी विश्वविद्यालयों के लिए एनएएसी का प्रत्यायन और मूल्यांकन अनिवार्य और ज़रूरी बना दिया जाए;
- सरकार से सहायताप्राप्त विश्वविद्यालयों/कालेजों में लेक्चरर के पद पर भर्ती/नियुक्ति के लिए शारीरिक दृष्टि से विकलांग उम्मीदवारों के लिए कम से कम 3 प्रतिशत आरक्षण किए जाने का निर्णय लिया गया;
- उड़ीसा राज्य में तीन विश्वविद्यालयों और अठारह कालेजों के लिए तूफान राहत के निमित्त 458 लाख रुपए के आबंटन को मंजूरी दी गई।

उच्चतर शिक्षा प्रणाली : संस्थानों, नामांकन, संकाय और अनुसन्धान की सांख्यिकीय उन्नति

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से उच्चतर शिक्षा प्रणाली में विश्वविद्यालयों की संख्या में बारह गुना और कालेजों की संख्या में तेईस गुना वृद्धि हुई है। आज की स्थिति में देश में उच्चतर शिक्षा क्षेत्र में 189 विश्वविद्यालय, 42 समविश्वविद्यालय और राज्य तथा केन्द्रीय विधान के माध्यम से स्थापित 5 संस्थाओं तथा गैर–मान्यताप्राप्त संस्थाओं के अलावा 1,520 महिला कालेजों सहित लगभग 11,381 कालेज मौजूद हैं।

वर्ष 2000–2001 के शुरू में विश्वविद्यालयों और कालेजों में छात्रों का कुल नामांकन 77.34 लाख था, जिसमें से 12.77 लाख छात्र विश्वविद्यालय विभागों में तथा 64.57 लाख छात्र सम्बद्ध कालेजों में दाखिल थे। कुल दाखिलों में से 81 प्रतिशत छात्र कला (40 प्रतिशत), विज्ञान (19 प्रतिशत) तथा वाणिज्य (22 प्रतिशत) इन तीन संकायों में केन्द्रित थे जबकि शेष छात्र व्यावसायिक संकायों में दाखिल थे। जहां तक दाखिलों का सम्बन्ध है, डिग्री स्तर पर 68.10 लाख (88 प्रतिशत), स्नातकोत्तर स्तर पर 7.56 लाख (9.8 प्रतिशत) दाखिले हुए थे तथा बाकी दाखिले अनुसंधान और डिप्लोमा/प्रमाण पत्र स्तरों पर हुए थे। कुल स्नातक–पूर्व छात्रों में से लगभग 88 प्रतिशत और कुल स्नातकोत्तर छात्रों में से 55 प्रतिशत छात्र सम्बन्धि कालेजों में थे जबकि शेष छात्र विश्वविद्यालय विभागों में दाखिल थे। कुल शोध छात्रों में से लगभग 91 प्रतिशत विश्वविद्यालयों में थे।

शैक्षणिक वर्ष 2000–2001 के शुरू में सभी स्तरों पर छात्राओं का नामांकन 27.42 लाख था जो कि कुल नामांकन का 35.5 प्रतिशत बैठता है। छात्राओं का नामांकन केरल में उच्चतम (53.9 प्रतिशत) तथा बिहार में न्यूनतम (20 प्रतिशत) था। दाखिल हुई कुल छात्राओं में से सत्तासी प्रतिशत कला, वाणिज्य और विज्ञान के गैर–व्यावसायिक संकायों में जबकि शेष 13 प्रतिशत व्यावसायिक संकायों में दाखिल थीं।

विश्वविद्यालयों द्वारा (1.1.99 की स्थिति के अनुसार) प्रदान की गई शोध डिग्रियों की संख्या 10,951 थी।

प्रदान की गई शोध डिग्रियों की कुल संख्या में कला संकाय में सबसे अधिक अर्थात 4189 डिग्रियां प्रदान की गईं जिसके बाद विज्ञान संकाय का स्थान आता है जिसमें 3836 डिग्रियां प्रदान की गईं। कुल प्रदान की गई डाक्टरल डिग्रियों में इन दोनों संकायों का संयुक्त हिस्सा 73 प्रतिशत था।

इस वर्ष विश्वविद्यालयों और कालेजों में अध्यापन संकाय की क्षमता में क्रमशः 0.79 और 2.72 लाख की वृद्धि हुई जिसके फलस्वरूप अध्यापन संकाय की में हुई कुल वृद्धि 3.51 लाख तक पहुंच गई। विश्वविद्यालय विभागों में सेवारत 78,885 अध्यापकों में से 23 प्रतिशत प्रोफेसर हैं, 27.9 प्रतिशत रीडर/एसोसिएट प्रोफेसर हैं, 30.4 प्रतिशत वरिष्ठ लेक्चरर हैं, 16.7 प्रतिशत लेक्चरर हैं जबकि शेष ट्यूटर/निदर्शक हैं। सम्बद्ध कालेजों में 34.97 प्रतिशत वरिष्ठ लेक्चरर हैं, 63.80 प्रतिशत लेक्चरर हैं और शेष ट्यूटर/निदर्शक हैं।

विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के विकास के लिए अनुदान

नौवीं योजना के लक्ष्यों और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आयोग केन्द्रीय, राज्य विश्वविद्यालयों तथा सम–विश्वविद्यालयों और कालेजों को आर्थिक सहायता प्रदान करता रहा है। कुछ केन्द्रीय और कुछ समविश्वविद्यालयों और दिल्ली तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयों के सम्बद्ध कालेजों को योजनेतर तथा योजनागत कार्यक्रमों के अधीन सहायता प्रदान की जाती है जबकि राज्य विश्वविद्यालयों और उनके सम्बद्ध कालेजों को केवल योजनागत कार्यक्रमों के अधीन सहायता प्रदान की जाती है।

1997–2002 की अवधि के लिए नौवीं योजना में अलग–अलग विश्वविद्यालयों को सामान्य विकासात्मक सहायता, निर्धारित और विश्वविद्यालयों को सूचित किए गए परिव्ययों के आधार पर दी जाएगी। दो– तिहाई परिव्यय विश्वविद्यालयों के बीच परिचालित नौवीं योजना के मार्गदर्शी सिद्धांतों में निर्दिष्ट क्रियाविधि के आधार पर प्रदान किया जाएगा। तथापि शेष एक–तिहाई परिव्यय सम्बन्धित विश्वविद्यालय के कार्य निष्पादन के आधार पर उपलब्ध कराया जाएगा।

प्रदान की गई विकासात्मक सहायता का प्रयोग इन प्रयोजनों के लिए किया जा सकता है: उपलब्ध आधारिक सुविधाओं का समेकन तथा अध्यापन, अनुसंधान और प्रशासन का आधुनिकीकरण और साथ ही विश्वविद्यालयों की बदलती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति करने के निमित्त विस्तार तथा क्षेत्रीय विस्तार क्रियाकलाप।

केन्द्रीय विश्वविद्यालय

16 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में से 15 को विकास अनुदान आबंटित किए जाते हैं, जिनमें से 12 को विकास अनुदानों के अलावा अनुरक्षण अनुदान भी आबंटित किए जाते हैं। वर्ष 1999–2000 के दौरान, यूजीसी ने 12 विश्वविद्यालयों का अनुरक्षण व्यय वहन करने के लिए 605.91 करोड़ रुपए की राशि तथा 15 केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को विकास सहायता के रूप में 106.64 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की।

राज्य विश्वविद्यालय

यूजीसी अधिनियम के खण्ड 12 (बी) के अनुसार 17 जून 1972 के बाद स्थापित किए गए राज्य विश्वविद्यालय केन्द्रीय सरकार, यूजीसी अथवा केन्द्रीय सरकार से भी निधियां प्राप्त करने वाले किसी अन्य संगठन से तब तक कोई अनुदान प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे जब तक कि आयोग निर्धारित मानदण्डों और क्रियाविधियों के आधार पर अपने आपको इस बारे में आश्वस्त नहीं कर लेता कि ऐसा विश्वविद्यालय अनुदान प्राप्त करने का पात्र है।

सम्प्रति, कृषि/चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालयों को छोड़कर 116 राज्य विश्वविद्यालय यूजीसी से अनुदान पाने के पात्र हैं। विकास अनुदान, जिनमें विशिष्ट स्कीमों के निमित्त अनुदान शामिल होते हैं, पात्र विश्वविद्यालयों को प्रदान किए जाते हैं ताकि उनके लिए ऐसी ढांचागत सुविधाओं की अधिप्राप्ति को सुकर बनाया जा सके, जो कि उन्हें राज्य सरकारों अथवा उनका अनुसर्मथन करने वाले निकायों द्वारा सामान्यतः उपलब्ध नहीं कराई जाती। वर्ष 1999–2000 के दौरान विकास कार्य के लिए 116 पात्र राज्य विश्वविद्यालयों को 143.51 करोड़ रुपए के अनुदान दिए गए।

सम-विश्वविद्यालय

यूजीसी अधिनियम के खण्ड 3 में इस आशय का प्रावधान है कि यदि विश्वविद्यालय से इतर उच्च शिक्षा

का कोई संस्थान किसी विशिष्ट क्षेत्र में अत्यन्त उच्च स्तर का काम कर रहा है, तो ऐसे संस्थान को सम–विश्वविद्यालय के रूप में घोषित किया जा सकता है। ऐसे संस्थान विश्वविद्यालय की शैक्षिक प्रतिष्ठा और विशेषाधिकारों का प्रयोग करेंगे जिससे कि सामान्य ढंग का बहु–संकाय विश्वविद्यालय बनने की बजाय वे अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र में क्रियाकलापों का सुदृढ़ीकरण कर सकें। 42 सम–विश्वविद्यालयों में से 32 विश्वविद्यालयों, कुछेक अनुसंधान संस्थानों को 52.43 करोड़ रुपए की योजनेतर सहायता तथा 29 विश्वविद्यालयों को 17.75 करोड़ रुपए की योजनागत सहायता प्रदान की गई।

सम्बद्ध कालेज

यूजीसी, पात्र कालेजों को नौवीं योजना के संशोधित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार स्नातक–पूर्व और स्नातकोत्तर शिक्षा के विकास के लिए निम्न लक्ष्यों और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सहायता प्रदान करता है:

- शिक्षा के मानकों और स्तर में सुधार;
- उच्चतर शैक्षिक सुविधाओं की सामाजिक विषमताओं और क्षेत्रीय असंतुलनों का उन्मूलन; तथा
- पाठ्यक्रमो में कैरियर–बल विकसित करने सहित पाठ्यक्रमों की पुनर्संरचना।

इन लक्ष्यों और उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए यूजीसी के क्षेत्रीय कार्यालयों ने विभिन्न प्लान स्कीमों/कार्यक्रमों के अधीन राज्य कालेजों और साथ ही दिल्ली के कालेजों को भी 121.48 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की। इसके अलावा, यूजीसी ने दिल्ली विश्वविद्यालय और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के कालेजों के लिए 237.77 करोड़ रुपए का अनुरक्षण अनुदान भी प्रदान किया।

यूजीसी के लक्ष्य और उद्देश्य हैं: शिक्षा के मानकों और स्तर में सुधार, उच्चतर शैक्षिक सुविधाओं में सामाजिक विषमताओं और क्षेत्रीय असन्तुलनों का उन्मूलन; तथा कैरियर-बल विकसित करने सहित पाठ्यक्रमों की पुनर्संरचना।

स्वायत्त कालेज

कतिपय कालेजों को स्वायत्तता मंजूर करने का उद्देश्य यह है कि उन्हें विशेष रूप से इन कामों में शैक्षिक स्वतंत्रता प्रदान की जाए: अपनी पाठ्यचर्या तैयार करना; अध्यापन की नई पद्धतियां तैयार करना; अनुसंधान और अधिगम; दाखिले के लिए नियम बनाना; पाठ्यपुस्तक निर्धारित करना; परीक्षा प्रश्न–पत्र तैयार करना और परीक्षाओं का आयोजन करना।

आयोग अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से स्वायत्त कालेजों को सहायता प्रदान करता है, जिससे कि वे संशोधित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार अपनी अतिरिक्त और विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। 1999–2000 के दौरान आठ संस्थानों को स्वायत्तता का दर्जा दिया गया। 31 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार देश में 8 राज्यों में स्थित 29 विश्वविद्यालयों के साथ सम्बद्ध कुल मिलाकर 131 स्वायत्त कालेज मौजूद थे और इन कालेजों के लिए यूजीसी ने 324.97 लाख रुपए का अनुदान प्रदान किया।

प्रासंगिकता के प्रोत्साहन के लिए कार्यक्रम

शिक्षा में जीवनवृत्ति अनुस्थापन (शिक्षा का व्यावसायीकरण)

यूजीसी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 (1992 में संशोधित) के अनुसरण में विश्वविद्यालयों और कालेजों में प्रथम डिग्री स्तर पर शिक्षा में जीवनवृत्ति अनुस्थापन की योजना 1994–95 में शुरू की गई थी। इस योजना के अधीन एक कोर समिति द्वारा अभिज्ञात 38 व्यावसायिक विषयों को चयनात्मक आधार पर ऐसे कालेजों तथा विश्वविद्यालय विभागों में लागू किया जाता है, जिनके पास स्नातक पूर्व कक्षाएं चलाने की सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। योजना की स्थापना के बाद से 1533 कालेजों तथा 31 विश्वविद्यालयों ने विभिन्न व्यावसायिक विषय लागू किए हैं। यूजीसी में स्थापित एक अनुश्रवण सैल इस स्कीम के कार्यान्वयन पर दृष्टि रखता है। आलोच्य वर्ष में 216 कालेजों के लिए 18.55 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया।

नवाचारी कार्यक्रम

कार्यक्रम के मुख्य लक्ष्य इस प्रकार हैं :

- विभिन्न विषय–क्षेत्रों में उभरते हुए क्षेत्रों की पहचान करना;
- नए विचारों और नवाचारों को समर्थन देना और उन्हें कार्यान्वित करना;
- स्नातकपूर्व तथा स्नातकोत्तर स्तर पर उभरते हुए क्षेत्रों की पहचान करना;
- समाज के लाभार्थ वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय प्रयोग के उन्नयन को प्रोत्साहित करना।

आयोग ने मानविकी और सामाजिक विज्ञानों, विज्ञान, इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी, जैव–विज्ञानों और जीवन विज्ञानों तथा पर्यावरणात्मक अध्ययनों के विषय क्षेत्रों में नवाचारी कार्यक्रमों के लिए स्थायी समितियों का गठन किया है।

आयोग, नए उभरते हुए क्षेत्रों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम तथा स्नातकोत्तर स्तर पर विशेष प्रश्न–पत्र लागू करने के लिए चुनिन्दा विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। विश्वविद्यालयों के 185 विभागों के लिए 354.07 लाख रुपए की राशि का बजट आबंटन किया गया।

शैक्षिक स्टाफ कालेज

अध्यापकों की व्यावसायिक क्षमता का संवर्द्धन करने के लिए यूजीसी द्वारा 50 शैक्षिक स्टाफ कालेज (एएससी) स्थापित किए गए थे, ताकि विश्वविद्यालयों और कालेजों में अध्यापन के उच्च स्तर बनाए रखे जा सकें। ये कालेज, नौवीं योजना अवधि के दौरान अनुस्थापन और पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों तथा संगोष्ठियों का आयोजन करते रहेंगे। चूंकि ये शैक्षिक स्टाफ कालेज सभी शिक्षकों की मांगों को पूरा नहीं कर सकते, अतः यूजीसी ने विभिन्न विषय–क्षेत्रों में पुनश्चर्या पाठ्यक्रम तथा संगोष्ठियां आयोजित करने के लिए 50 विश्वविद्यालयों और विशेष संस्थानों का चयन भी किया है। आलोच्य वर्ष के दौरान एएससी/विश्वविद्यालयों तथा विशेषज्ञतापूर्ण संस्थानों द्वारा 124 अनुस्थापन कार्यक्रमों और 349 पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का आयोजन किया गया तथा अनुस्स्थापन कार्यक्रमों से 3963 अध्यापक और पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों से 10,286 अध्यापक लाभान्वित हुए। इस स्कीम के अधीन 17.03 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई। यूजीसी द्वारा स्थापित एक स्थायी समिति शैक्षिक स्टाफ कालेजों को सलाह देती है और उनके कार्यकरण पर निगाह रखने के अलावा विभिन्न नीतिगत मामलों पर निर्णय लेती है।

विषय पैनल

यूजीसी के पास विशेषज्ञों के पैनल होते हैं, जो कि आयोग को इन बातों पर सलाह देते हैं : विभिन्न विषयों में अध्यापन और अनुसंधान की गुणवत्ता के संवर्द्धन के उपाय, विश्वविद्यालयों में उपलब्ध अनुसंधान तथा अध्यापन सुविधाओं के सम्बन्ध में स्थिति–रिपोर्ट तैयार करना तथा ध्यातव्य क्षेत्रों का उल्लेख करना। इन पैनलों को प्रायः हर तीन वर्ष के बाद पुनर्गठित किया जाता है।

संप्रति, विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञानों के विभिन्न विषय–क्षेत्रों में 28 विषय पैनल मौजूद हैं। सभी विद्यमान विषय पैनलों ने यूजीसी – नेट परीक्षा पाठ्यक्रमों और विशेषज्ञों के डाटाबेस को अद्यतन बनाने का काम पूरा कर लिया है। पाठ्यचर्या विकास और पाठ्यक्रमों को अद्यतन बनाने के मामले पर पैनलों के संयोजकों के साथ चर्चा की गई। यह निर्णय लिया गया कि संयोजकों को अब विभिन्न विषय–क्षेत्रों में पाठ्यचर्या यथाशीघ्र तैयार करनी और अद्यतन बनानी चाहिए। यह मामला आयोग में विचाराधीन है। विषय पैनलों के कार्य के लिए 4.67 लाख रुपए का अनुदान दिया गया।

मानव अधिकार तथा कर्त्तव्य शिक्षा

आयोग मानव अधिकार पाठ्यक्रम लागू करने के लिए विश्वविद्यालयों और कालेजों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। ये पाठ्यक्रम इस प्रकार हैं: एक दो–वर्षीय एलएलएम/एमए पाठ्यक्रम तथा एक एक–वर्षीय डिप्लोमा/ प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम। आयोग मानव अधिकार और कर्त्तव्य शिक्षा के सम्बन्ध में संगोष्ठियों और कार्यशालाओं के आयोजन के लिए भी सहायता प्रदान करता है।

अभी तक, यूजीसी ने मानव अधिकार और कर्त्तव्य शिक्षा के बारे में पाठ्यक्रम लागू करने के प्रयोजन से दस विश्वविद्यालय अभिज्ञात किए हैं और उसके साथ–साथ संगोष्ठियों, विचार गोष्ठियों और कार्यशालाओं का

भारत के कार्यकारी शैक्षिक टीवी चैनल ज्ञान दर्शन के उद्‌घाटन के अवसर पर इग्नू के उपकुलपति प्रोफेसर ए डब्ल्यू खान, केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री एमएम जोशी का स्वागत करते हुए।

आयोजन करने के लिए 16 विश्वविद्यालय और 19 कालेज अभिज्ञात किए हैं।

आयोग ने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों, डिप्लोमा/प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रमों तथा स्नातक–पूर्व स्तर पर आधारिक पाठ्यक्रम के लिए आदर्श पाठ्यचर्या विकसित करने के उद्देश्य से न्यायमूर्ति श्री वीएस मलिमथ की अध्यक्षता में एक पाठ्यचर्या विकास समिति की स्थापना की है।

इस योजना के अधीन विश्वविद्यालयों तथा कालेजों को 21.67 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई।

सामाजिक विचारकों/नेताओं पर विशेष अध्ययन

आयोग गांधी, बुद्ध, नेहरू तथा अम्बेडकर सम्बन्धी विशेष अध्ययनों का प्रसार करने के लिए योजनागत निधियों के माध्यम से शत–प्रतिशत सहायता प्रदान कर रहा है ताकि अध्यापक और छात्रों को उनके विचारों और कार्यों से अवगत कराया जा सके। इस तरह की सहायता विचारकों और नेताओं पर अध्ययन केन्द्र स्थापित करने और चलाने के लिए प्रदान की जाती है। 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार, 14 केन्द्रों को गांधीवादी अध्ययन, 2 केन्द्रों को बौद्ध धर्म सम्बन्धी अध्ययन तथा 4 केन्द्रों को अम्बेडकर सम्बन्धी अध्ययन के लिए सहायता प्रदान की गई। समिति ने नेहरु अध्ययन के केन्द्र स्थापित करने के बारे में सभी आठ प्रस्तावों पर विचार किया और अन्तिम अनुमोदन के लिए इन विश्वविद्यालयों का दौरा करने का निर्णय लिया। सभी पुराने केन्द्र जो कि नौवीं योजना अवधि से पहले स्थापित किए गए थे, विश्वविद्यालयों द्वारा बन्द किए जा चुके थे। इन अध्ययन केन्द्रों को स्थापित करने और चलाने के लिए 66.67 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई।

उत्कृष्टता और गुणवत्ता के संवर्धन के लिए कार्यक्रम

विशेष सहायता कार्यक्रम (एसएपी)

इस योजना का उद्देश्य यह था कि ऐसे चुनिन्दा विश्वविद्यालय विभागों को, जिनमें उन्नत शैक्षणिक कार्य की क्षमता है, अभिज्ञात ध्यातव्य क्षेत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के समकक्ष उत्कृष्टता के केंद्रों के रूप में विकसित किया जाए। 31 मार्च, 2000 तक आयोग ने मानविकी और सामाजिक विज्ञानों में 152 विभागों को तथा विज्ञान और इंजीनियरी एवं प्रौद्योगिकी में 220 विभागों को सहायता प्रदान की। आर्थिक सहायता के लिए विभागों की संख्या में कमी/वृद्धि का कारण विशेषज्ञ समितियों की सिफारिशों के आधार पर विभागों की स्थापना/समापन किया जाना है। विज्ञान, इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी के विभागों के लिए 19.78 करोड़ रुपए की राशि तथा मानविकी और सामाजिक विज्ञान के विभागों के लिए 6.73 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई। विभिन्न विषय विशेषज्ञ समितियां वर्ष 2000–2001 में आर्थिक सहायता के लिए कार्यक्रम में शामिल किए जाने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालयों/संस्थानों के विभिन्न विभागों से प्राप्त हुए नए प्रस्तावों पर विचार कर रही हैं।

अनुसन्धान परियोजनाएं

अनुसन्धान को बढ़ावा देने के लिए यूजीसी विश्वविद्यालयों और कालेजों में सेवारत अथवा सेवानिवृत्त अध्यापकों को विशिष्ट विषय–क्षेत्रों में व्यापक और गहन अध्ययन करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करता रहा है। वर्ष 2000 के आरम्भ में यूजीसी ने भाषाओं सहित मानविकी और सामाजिक विज्ञान में 138 प्रमुख अनुसन्धान परियोजनाओं और मानविकी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में 1659 लघु अनुसन्धान परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। यूजीसी (मुख्यालय) द्वारा पहले से चली आ रही तथा पुरानी प्रमुख अनुसन्धान परियोजनाओं के लिए 8.36 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की

गई तथा यूजीसी क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा पहले से चली आ रही और पुरानी लघु अनुसन्धान परियोजनाओं के लिए 3.99 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई।

राष्ट्रीय शिक्षा परीक्षण (एनईटी)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग प्राध्यापक सम्बन्धी पात्रता और कनिष्ठ अनुसन्धान अध्येतावृत्ति के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा आयोजित करता है, जिससे कि अध्यापन के व्यवसाय और भाषाओं सहित मानविकी सामाजिक विज्ञानों, कम्प्यूटर अनुप्रयोग तथा इलैक्ट्रोनिक विज्ञानों में अनुसंधान में प्रवेश करने वालों के न्यूनतम मानदण्ड सुनिश्चित हो सकें। अन्य वैज्ञानिक विषयों से सम्बन्धित परीक्षा सीएसआईआर द्वारा यूजीसी के साथ मिलकर आयोजित की जाती है। ये परीक्षाएं वर्ष में दो बार आमतौर पर जून और दिसम्बर के महीने में आयोजित की जाती है। अनुसन्धान करने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए कनिष्ठ अनुसंधान अध्येतावृत्तियां पांच वर्षों के लिए उपलब्ध रहती हैं। कनिष्ठ अनुसन्धान अध्येतावृत्ति की परीक्षाओं में अर्हता पाने वाले उम्मीदवारों के लिए यूजीसी ने विश्वविद्यालयों को अनेक अध्येतावृत्तियां आबंटित की है।

प्राध्यापक सम्बन्धी पात्रता के लिए राज्य स्तरीय पात्रता (एसएलईटी) परीक्षा आयोजित करने के निमित्त यूजीसी विभिन्न राज्य एजेंसियों को प्रत्यायन प्रदान करता रहा है। एसएलईटी में अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवार सारे भारतवर्ष में प्राध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र हैं। यह परीक्षा इसलिए लागू की गई है जिससे कि उम्मीदवारों का सम्बन्धित विषय में अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा में बैठना सुकर हो सके। इस प्रयोजन के लिए अभी तक 10 राज्य एजेंसियों को अधिकृत किया गया है। कनिष्ठ अध्येतावृत्ति में बैठने वाले प्रत्याशियों में से केवल एक प्रतिशत प्रत्याशी ही पास हुए तथा लेक्चरर के रूप में नियुक्ति के लिए पात्रता के सम्बन्ध में दिसम्बर 1999 में आयोजित परीक्षा में बैठने वाले प्रत्याशियों की कुल संख्या में से 12 प्रतिशत पास हुए।

यात्रा सम्बन्धी अनुदान

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कालेज अध्यापकों, अनुसंधान सहयोगियों, उपकुलपतियों और आयोग के सदस्यों को विदेशों में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में अनुसंधान लेख प्रस्तुत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता रहा है। कालेज अध्यापकों और अनुसंधान सहायकों के मामले में यह सहायता अनुमत्य खर्चे के 50 प्रतिशत तक सीमित होती है जबकि उपकुलपतियों और आयोग के सदस्यों को शत–प्रतिशत सहायता प्रदान की जाती है। 1999 से राष्ट्रीय ख्याति के संस्थानों के अध्यापकों को इस योजना के अधीन ला दिया गया है। वर्ष 1999–2000 के दौरान इस योजना के अधीन 129 कालेज अध्यापकों, एक अनुसंधान सहयोगी और 4 उपकुलपतियों से सम्बन्धित प्रस्तावो को मंजूरी दी गई। आबंटित किए गए 75 लाख रुपयों में से आलोच्य वर्ष के दौरान 56.27 लाख रुपए की राशि मंजूर की गई।

अनिर्दिष्ट अनुदान

आयोग, सम्मेलनों में भाग लेने, संगोष्ठियां और विचारगोष्ठियां आयोजित करने, विश्वविद्यालयों में अनुसंधान कार्य तथा लघु अनुसंधान परियोजनाओं के प्रकाशन के लिए सहायता प्रदान करता है। आयोग ने नौवीं योजना अवधि के लिए अनिर्दिष्ट अनुदानों की मात्रा, खर्चों की सीमाओं, दरों और क्रियाविधियों के अर्थों में योजना को युक्तियुक्त बना दिया है। 31 मार्च, 2000 तक योजना के अधीन विभिन्न विश्वविद्यालयों को 6.52 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई।

संगोष्ठियां और सम्मेलन

आयोग राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय – दोनों स्तरों पर संगोष्ठियां और सम्मेलन आयोजित करने के लिए विश्वविद्यालयों तथा स्नातकोत्तर कालेजों को आर्थिक सहायता प्रदान करता रहा है। 31 मार्च 2000 तक यूजीसी (मुख्यालय) ने विभिन्न संगोष्ठियों और सम्मेलनों का आयोजन करने के लिए पांच विश्वविद्यालयों को 11.55 लाख रुपए, नौ स्नातकोत्तर कालेजों को 3.40 लाख रुपए और नीपा को

> प्राध्यापक सम्बन्धी पात्रता के लिए राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा आयोजित करने के निमित्त यूजीसी विभिन्न राज्य एजेंसियों को प्रत्यायन प्रदान करता रहा है। यह परीक्षा इसलिए लागू की गई है जिससे कि उम्मीदवारों का सम्बन्धित विषय में अपनी भाषा में बैठना सुकर हो सके।

6.03 लाख रुपए प्रदान किए हैं। यूजीसी के क्षेत्रीय कार्यालयों ने भी 513 अनुमोदित कार्यक्रमों के लिए 189.06 लाख रुपए की राशि प्रदान की है।

शोध कार्य प्रदान करना

यूजीसी ऐसे विभिन्न कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता रहा है, जो कि अध्यापकों और शोधकर्त्ताओं को अपनी व्यावसायिक क्षमता का स्तरोन्नयन करने और अपने विषय–क्षेत्रों में नवीनतम गतिविधियों से अवगत रहने में समर्थ बनाते हैं।

जेआरएफ योजना के अधीन जो छात्र/अनुसन्धानकर्ता यूजीसी, सीएसआईआर, आदि द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में अर्हता प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें एक सीमित अवधि तक अनुसन्धान में प्रवृत्त होने के लिए अध्येतावृत्तियां प्रदान की जाती हैं। यूजीसी ने विदेशी छात्रों को 20 जेआरएफ तथा 5 आरए उपलब्ध कराए और इन शोध छात्रों को 26.63 लाख रुपए की राशि प्रदान की। इसके अलावा, विभिन्न विश्वविद्यालयों और कालेजों में सेवारत राष्ट्रीय फेलो को भी 22 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई।

अध्यापकों को अध्यापन की पूरी जिम्मेदारियों का निर्वाह किए बिना शोध कार्य करने का अवसर प्रदान किया जाता है। 1999–2000 के दौरान शोध कार्य प्रदान करने की योजना के अधीन 102 अध्यापकों का चयन किया गया और उन्हें 398.02 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई।

यूजीसी अत्यन्त योग्य और अनुभवी सेवानिवृत्त प्राध्यापकों को, जो कि अनुसंधान और अध्यापन के साथ सक्रिय रूप से जुड़े रहे हैं, 65 वर्ष की आयु तक सम्माननीय अध्येतावृत्तियां प्रदान करता है। किसी भी समय ऐसे प्राध्यापकों के लिए 100 स्थान उपलब्ध रहते हैं।

31.03.2000 की स्थिति के अनुसार, विभिन्न विश्वविद्यालयों और कालेजों में सेवारत 100 सम्मानीय अध्येता मौजूद थे जिन्हें 140.12 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई।

अतिथि एसोसिएटशिप की योजना के अधीन विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के उत्कृष्ट अध्यापकों के लिए अल्प अवधि के लिए उन्नत अध्ययन और अनुसन्धान केन्द्रों का दौरा करने के निमित्त 100 स्थान उपलब्ध हैं। इस योजना का उद्देश्य यह हैं कि अध्यापक अपने आपको अपनी रुचि के क्षेत्रों में आधुनातम घटनाक्रम से अवगत रखें। सम्प्रति, विभिन्न विश्वविद्यालयों और कालेजों में इस प्रकार के 49 अध्यापक काम कर रहे हैं। नौवीं योजना के संशोधित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार अतिथि एसोसिएटशिप प्रदान करने के लिए चयन समिति का गठन आयोग के विचाराधीन है।

अतिथि प्रोफेसरों/फेलो की नियुक्ति के लिए भी विश्वविद्यालयों को सहायता प्रदान की जाती हैं और आयोग ने भी कश्मीर विश्वविद्यालय और इसके सम्बद्ध कालेजों में अशान्तिपूर्ण हालात के कारण उनके प्रवासी अध्यापकों को अध्यापन/ अनुसन्धान कार्य देना जारी रखा। 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार, विभिन्न विश्वविद्यालयों को 250.24 लाख रुपए की राशि तथा सात विश्वविद्यालयों और दो कालेजों में कार्यरत प्रवासी अध्यापकों को 6.27 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई। एम.फिल और पीएच.डी करने के लिए भी अध्यापक अध्येतावृत्तियों के रूप में अध्यापकों को सहायता प्रदान की जाती हैं। अभी तक अध्यापक अध्येतावृत्तियां प्रदान किए जाने के रूप में 1376 अध्यापकों की सहायता की गई और 241.95 लाख रुपए के अनुदान प्रदान किए गए।

सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग किसी एक क्षेत्र की समस्याओं और संस्कृति से सम्बन्धित अध्ययन और अंतःविषय क्षेत्रीय अनुसंधान तथा अध्यापन विकसित करने के लिए क्षेत्र अध्ययन केन्द्रों के रूप में अभिज्ञात केन्द्रों को सहायता प्रदान करता है। प्रमुख ध्यान ऐसे देशों और क्षेत्रों की तरफ रहता है, जिनके साथ भारत का गहरा और सीधा सम्बन्ध रहा है। उपर्युक्त के अलावा, भारतीय भाषाओं और संस्कृति के केन्द्र भी काम कर रहे हैं। 31.3.2000 तक 17 विश्वविद्यालयों में 19 क्षेत्रीय अध्ययन केन्द्र काम कर रहे हैं जिनके लिए 69.74 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई।

यूजीसी 60 देशों के साथ द्विपक्षीय आदान–प्रदान कार्यक्रम चलाता है। 1999–2000 के दौरान यूजीसी ने 62 विदेशी शोध छात्रों की मेजबानी की और 103 भारतीय शोध छात्रों को विदेशों में भेजा। सहयोगात्मक आदान–प्रदान कार्यक्रम के अधीन एमए के स्तर पर विदेशी भाषा

अध्यापकों के आदान–प्रदान का प्रावधान हैं। 31.3.2000 की स्थिति के अनुसार, भारतीय विश्वविद्यालयों में 39 विदेशी भाषा अध्यापक शिक्षा प्रदान कर रहे थे।

जर्मन शैक्षिक आदान–प्रदान सेवाओं (डीएएडी) के अधीन अठारह शोध छात्रों को जर्मन संस्कृति, इतिहास, अर्थ शास्त्र, दर्शन शास्त्र, शिक्षा और प्राकृतिक विज्ञानों सम्बन्धी उन्नत शोध कार्य के लिए भेजा गया। इसके अलावा, फ्रांसीसी सरकार अध्येतावृत्ति योजना के अधीन शोध छात्रों के आदान–प्रदान का भी एक कार्यक्रम है। फ्रांसीसी भाषा, साहित्य, संस्कृति और सभ्यता में शोध कार्य करने के लिए दो भारतीय शोध छात्रों को अध्येतावृत्तियां प्रदान की गईं।

समाज वैज्ञानिक आदान–प्रदान कार्यक्रम के अधीन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा फ्रांस की यात्रा करने के लिए दस समाज वैज्ञानिकों को नामित किया गया और आठ फ्रांसीसी वैज्ञानिकों ने भारत की यात्रा की। संयुक्त अनुसंधान, संयुक्त प्रकाशन, पाठ्यचर्या विकास आदि जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में भारत और यू.के. के विश्वविद्यालयों के बीच तालमेल विकसित करने के लिए ब्रिटिश काउंसिल के सहयोग के साथ कार्यान्वित उच्च शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम के अधीन एक भारतीय शोध छात्र को यूके भेजा गया।

सार्क पीठों/अध्येतावृत्तियों/छात्रवृत्तियों की स्कीम का कार्यान्वयन करने वाली एजेन्सी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है। इस कार्यक्रम के अधीन विभिन्न सार्क देशों में 26 अध्येतावृत्तियां और 40 छात्रवृत्तियां उपलब्ध कराई जाती हैं। 31 मार्च 2000 तक तीन सार्क देशों को पांच अध्येतावृत्तियां और छः छात्रवृत्तियां प्रदान की गई।

राष्ट्रमण्डल शैक्षिक स्टाफ अध्येतावृत्ति कार्यक्रम के अधीन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यू.के. में राष्ट्रमण्डल विश्वविद्यालय संघ (एसीयू) के साथ समन्वय स्थापित करता है और राष्ट्रमण्डलीय अध्येतावृत्तियां प्रदान करने के लिए नामांकन करता है, जिससे कि भारत में विश्वविद्यालयों और कालेजों में उदीयमान संकाय सदस्य यूनाइटेड किंगडम में स्थित विश्वविद्यालयों/संस्थानों में अनुसन्धान कार्य कर सकें। वर्ष 1999–2000 के दौरान इस कार्यक्रम के अधीन यूजीसी द्वारा नामित 78 शोध छात्रों में से 36 शोध छात्रों का चयन किया गया। शास्त्री भारत–कनाडा के दो व्यक्तियों के मासिक कार्यक्रम के अधीन कनाडा के एक अध्यापक ने भारत का और दो भारतीय अध्यापकों ने कनाडा का दौरा किया।

गुणवत्ता के प्रोत्साहन के लिए अंतर-विश्वविद्यालय संसाधन

यूजीसी अधिनियम 1984 के संशोधन के अनुसरण में यूजीसी ने विश्वविद्यालय प्रणालियों के भीतर स्वायत्त केन्द्र स्थापित करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये केन्द्र विश्वविद्यालयों को सामान्य सुविधाएं, सेवाएं और कार्यक्रम उपलब्ध कराते हैं, क्योंकि आधारिक सुविधाओं और इन्पुटों पर इतना अधिक खर्च होता है कि किसी भी एक विश्वविद्यालय के लिए उन सुविधाओं को प्राप्त करना संभव नहीं हो पाता। सम्प्रति, ऐसे सात स्वायत्त केन्द्र काम कर रहे हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उपर्युक्त के अलावा, चुनिन्दा विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय सूचना केन्द्र भी स्थापित किए हैं, जिससे कि सूचना सुविधापूर्ण, किफायती और समय पर सुलभ हो सके। सम्प्रति, भारत में इस तरह के तीन केन्द्र काम कर रहे हैं। आयोग ने राष्ट्रीय सुविधा केन्द्र भी स्थापित किए हैं, जो कि इन केन्द्रों द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए संसाधन केन्द्रों के रूप में काम करेंगे। अध्ययन के विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे सात केंद्र काम कर रहे हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐसे स्वायत्त केन्द्रों को नियमित रूप से वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। 31 मार्च 2000 तक यूजीसी ने अंतर–विश्वविद्यालयी केन्द्रों को 278.75 लाख रुपए राष्ट्रीय सूचना केन्द्रों को 125.00 लाख रुपए तथा राष्ट्रीय सुविधा केन्द्रों को 144.00 लाख रुपए की राशि प्रदान की है।

हिन्दी भाषा (राजभाषा) की प्रोन्नति

हिन्दी भाषा की प्रोन्नति के उद्देश्य से यूजीसी के राजभाषा सेल ने यूजीसी के 41 कर्मचारियों को हिन्दी टंकण और 16 कर्मचारियों को हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षण प्रदान किया। यह सेल 'सेतु' और 'उच्च शिक्षा' पत्रिका – ये दो तिमाही पत्रिकाएं नियमित

इग्नू में ज्ञान दर्शन के उद्घाटन के अवसर पर केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री एमएम जोशी उपस्थित श्रोताओं को सम्बोधित करते हुए

रूप से प्रकाशित कर रहा है। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय में हिन्दी की प्रोन्नति से सम्बन्धित प्रमाण–पत्र और डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए 5.00 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई।

सुलभता और समानता के संवर्धन के लिए कार्यक्रम

महिलाओं के लिए कार्यक्रम

आयोग ने महिला छात्रावासों के निर्माण की एक विशेष योजना लागू की है, जिससे कि अपनी पसन्द के विश्वविद्यालयों में उच्च अध्ययन करने वाली महिला छात्रों को एक सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराया जा सके। दिल्ली के चार कालेजों सहित 23 विश्वविद्यालय और 438 कालेजों को उनकी परियोजनाओं की कुल लागत के 60 प्रतिशत तक की सहायता प्रदान की गई है। यूजीसी (मुख्यालय) ने 23 विश्वविद्यालयों को 157.87 लाख रुपए, दिल्ली के चार कालेजों को 26.22 लाख रुपए और यूजीसी के सात क्षेत्रीय कार्यालयों ने 434 राज्य कालेजों को 664.19 लाख रुपए की राशि प्रदान की है।

यूजीसी महिला अध्ययनों के लिए ऐसे केन्द्र/सेल स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करता है, जो कि महिलाओं की लैंगिक समानता, आर्थिक आत्मनिर्भरता, लड़कियों की शिक्षा आदि के क्षेत्रों में अनुसंधान करते हैं, पाठ्यचर्या विकसित करते हैं तथा प्रशिक्षण और विस्तार कार्य आयोजित करते हैं। इन केन्द्रों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे अध्यापन, अनुसंधान, विस्तार, पक्षपोषण तथा प्रसार जैसे क्रियाकलाप भी हाथ में लेंगे। 31 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार, ऐसे 33 केन्द्र और 6 सेल काम कर रहे थे और उन केन्द्रों को 1999–2000 के दौरान 108.31 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

जिन क्षेत्रों को सम्मानित समझा जाता है, उनमें महिलाओं को अवसर उपलब्ध कराने और साथ ही इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लैंगिक समानता को बढ़ाने के उद्देश्य से यूजीसी ने महिला विश्वविद्यालयों में 'महिलाओं के लिए प्रौद्योगिकी' नामक एक नई योजना शुरू की है। इस योजना के अधीन इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी में पांच वर्ष की अवधि के लिए स्नातक–पूर्व पाठ्यक्रम शुरू करने के निमित्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आयोग ने नवीं योजना में ऐसे पाठ्यक्रम लागू करने के लिए पांच महिला विश्वविद्यालय अभिज्ञात किए। 1999–2000 के दौरान आयोग ने एसएनडीटी विश्वविद्यालय, मुम्बई के प्रस्ताव को मंजूरी दी और 208.52 लाख रुपए की राशि प्रदान की। दो महिला विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित प्रस्ताव आयोग के विचाराधीन हैं।

आयोग ने विश्वविद्यालय/कालेज के कर्मचारियों के बच्चों को दिवा देखभाल सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालयों और कालेजों में दिवा देखभाल केन्द्रों की एक नई योजना लागू करने का निर्णय लिया है और इस योजना के अधीन प्रत्येक केन्द्र को एकबारगी 2.00 लाख रुपए का एकमुश्त आर्थिक अनुदान दिया जाएगा।

नौवीं योजना के अधीन इस तरह के कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने का विचार हैः महिला छात्रों/अध्यापकों के लिए आधारिक सुविधाएं, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में महिलाओं के लिए छात्रवृत्तियां, महिलाओं के लिए डाटाबेस, लैंगिक संवेदनशीलता आदि।

अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों (एससी/एसटी) के लिए कार्यक्रम

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नीति का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के

उद्देश्य से आयोग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सेल स्थापित करने के निमित्त विश्वविद्यालयों/समविश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। सम्प्रति, विश्वविद्यालयों में 104 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सेल काम कर रहे हैं। इन विश्वविद्यालयों को 65.71 लाख रुपए का अनुदान प्रदान किया गया। केन्द्रीय और अनुरक्षण अनुदान प्राप्त करने वाले समविश्वविद्यालयों में आरक्षण नीति के कार्यान्वयन का अनुश्रवण करने के लिए आयोग द्वारा एक विशेष अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है।

विभिन्न विषयों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के कौशलों और भाषायी प्रवीणता के संवर्धन के लिए एक उपचारात्मक अध्यापन की योजना शुरू की गई है। नौवीं योजना के संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार वर्ष 1999–2000 के दौरान उपचारात्मक अध्यापन के लिए 77 नए संस्थानों को चुना गया है। 31 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार, यह योजना 26 विश्वविद्यालयों और 449 कालेजों में चल रही थी। इस सम्बन्ध में इन संस्थानों को 268.04 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई। इन विश्वविद्यालयों और कालेजों द्वारा किए गए कार्य का अनुश्रवण और समीक्षा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों सम्बन्धी स्थायी समिति द्वारा की जाती है।

शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए शिक्षण कक्षाओं की एक ऐसी ही योजना शुरू की गई थी, ताकि विभिन्न प्रतियोगात्मक परीक्षाओं में बैठने में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों आदि में दाखिला लेने और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में उनकी मदद की जा सके। 31.03.2000 को, इस योजना के अधीन 10 महिला शिक्षण केन्द्रों सहित 77 कोचिंग केन्द्र, 22 विश्वविद्यालय और 55 कालेज काम कर रहे थे। अल्पसंख्यकों सम्बन्धी स्थायी समिति इस कार्यक्रम का अनुश्रवण करती हैं। वर्ष 1999–2000 के दौरान आयोग ने इन संस्थानों को संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार कार्यक्रम के आयोजन के लिए 43.65 लाख रुपए की राशि प्रदान की।

अध्यापकों के पदों पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित कोटे में जो कमी रह जाती है, उसकी पूर्ति करने के लिए आयोग ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के पात्र उम्मीदवारों का एक केन्द्रीय पूल डाटा–आधार तैयार किया, ताकि विश्वविद्यालयों और कालेजों में अध्यापक के पदों पर उनकी नियुक्ति की सिफारिश की जा सके। आलोच्य वर्ष के दौरान मांगे जाने पर दस विश्वविद्यालयों और बीस कालेजों को इस आशय का डाटा उपलब्ध कराया गया। अभी तक डाटाबेस में अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के 1274 आवेदन–पत्र सूचीबद्ध किए गए हैं। इस डाटा को यूजीसी वेबसाइट पर उपलब्ध कराने के प्रयास भी किए जा रहे हैं।

विश्वविद्यालयों और कालेजों में प्राध्यापकों के रूप में भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अर्हता–प्राप्त उम्मीदवारों को समुचित संख्या में उपलब्ध कराने के निमित्त आयोग ने उन्हें राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एनईटी) के लिए तैयार करने के प्रयोजन से प्रशिक्षण कक्षाएं आयोजित करने की एक योजना तैयार की है।

अलग तरह की योग्यता वाले व्यक्तियों के लिए कार्यक्रम

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्चतर शिक्षा प्रणाली में विकलांग व्यक्तियों की अनदेखी न करने और विशेष अध्यापकों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने और साथ ही विभिन्न प्रकार की योग्यताओं वाले व्यक्तियों को विभिन्न रूप में सुविधाएं प्रदान करने के लिए दो विशेष योजनाएं शुरू की हैं, अर्थात विशेष शिक्षा में अध्यापकों की तत्परता (टीईपीएसई) तथा विशेष आवश्यकताओं (विकलांग व्यक्तियों) वाले व्यक्तियों के लिए उच्चतर शिक्षा। 1999–2000 के दौरान आयोग ने टीईपीएसई के अधीन पांच विश्वविद्यालयों/

उच्चतर शिक्षा प्रणाली में विकलांग व्यक्तियों की अनदेखी न करने और विशेष अध्यापकों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने और साथ ही विभिन्न प्रकार की योग्यताओं वाले व्यक्तियों को विभिन्न रूपों में सुविधाएं प्रदान करने के लिए दो विशेष योजनाएं शुरू की गई हैं नामतः टीईपीएसई तथा एचईपीएसएन

संस्थानों के और एचईपीएसएन के अधीन आठ विश्वविद्यालयों के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है और इस सम्बन्ध में 47.69 लाख रुपए की राशि प्रदान की है।

वयस्क, अविच्छिन्न तथा विस्तार शिक्षा और क्षेत्र विस्तार

नौवीं योजना के लिए निर्मित संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार 85 विश्वविद्यालयों में स्थापित केन्द्रों के लिए सहायता प्रदान की जा रही है। ये केन्द्र साक्षरता, उत्तर साक्षरता, अविच्छिन्न शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, कानूनी साक्षरता, प्रौद्योगिकी अन्तरण जैसे कार्यक्रमों में लगे हुए हैं। इस कार्यक्रम के अधीन किया गया 2.06 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान पूरी तरह खर्च कर लिया गया है। आयोग अध्यापकों को भारत ज्ञान विज्ञान समिति (बीजीवीएस) तथा भारत ज्ञान विज्ञान जत्था (बीजेवीजे) के साथ काम करने के लिए भी भेजता रहा हैं। आलोच्य वर्ष के दौरान यूजीसी ने बीजीवीएस को एक अध्यापक अध्येतावृत्ति तथा बीजेवीजे को आठ अध्यापक अध्येतावृत्तियां प्रदान की हैं तथा प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए अध्यापकों की जगह नियुक्त किए गए एवजी अध्यापकों के वेतन का भुगतान किया है।

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या निधि - जनसंख्या शिक्षा पर यूजीसी परियोजना

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह हैं कि विश्वविद्यालयों और कालेजों में युवकों और उनके माध्यम से समुदाय को इस योग्य बनाया जाए कि वे परिवार के आकार, जीवन स्तर, लैंगिक समानता, जनन स्वास्थय, एड्स, जनसंख्या वृद्धि के समाज और राष्ट्र पर प्रभाव आदि से सम्बन्धित मुद्दों को साफ तौर पर समझ लें। यूजीसी ने जनसंख्या क्रियाकलापों के लिए संयुक्त राष्ट्र निधि (यूएनएफपीए) के साथ संयुक्त परियोजना के रूप में चुनिन्दा विश्वविद्यालयों में 17 जनसंख्या शिक्षा संसाधन केन्द्र स्थापित किए हैं। ये केन्द्र विश्वविद्यालय प्रणाली को तकनीकी अनुसमर्थन और पाठ्यचर्या विकास, अध्यापन–अधिगम सामग्री से सम्बन्धित विभिन्न क्रियाकलापों के लिए संसाधन अनुसमर्थन प्रदान करते हैं। ये केन्द्र कार्यक्रम का अनुश्रवण और मूल्यांकन भी करते हैं।

यूजीसी–यूएनएफपीए परियोजना का तीसरा चरण जनवरी 1999 में शुरू किया गया। इस चरण में ध्यान जनसंख्या नियंत्रण और अन्य जनसांख्यिकीय चिन्ताओं से हट कर प्रजनन स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, किशोर शिक्षा और जीवन के स्तर की ओर केन्द्रित किया गया है। अनुसन्धान आधार को सुदृढ़ बनाने के लिए यूजीसी तथा यूएनएफपीए द्वारा संयुक्त रूप से 1999 में एक अंतःक्षेत्रीय अनुसन्धान परामर्शी बैठक आयोजित की गई। पीईआरसी कार्मिकों के लिए सितम्बर 1999 में इण्डोनेशियाई और श्रीलंका के लिए देशों के बीच अध्ययन दौरे आयोजित किए गए ताकि पीईआरसी कार्मिक जनसंख्या सम्बन्धी मुद्दों और दृष्टिकोणों को समझ सकें। अंतःक्षेत्रीय समन्वय के एक अंग के रूप में सरकारी संगठनों, गैर–सरकारी संगठनों, पंचायती राज संस्थानों, मत निर्माताओं आदि के साथ सम्बन्ध और नेटवर्क निर्माण कर लिया गया है। मार्च 1999 और जनवरी 2000 के महीने में सलाहकार समिति के साथ संयुक्त रूप से दो परियोजना प्रगति पुनरीक्षा बैठकें आयोजित की गईं जिससे कि परियोजना का अनुश्रवण और मूल्यांकन किया जा सके। चुनिन्दा पीईआरसी द्वारा ध्यातव्य क्षेत्रों सम्बन्धी पाठ्यक्रमों के लिए ग्रन्थ–सूचियां तैयार की जा रही हैं। इस परियोजना के क्रियाकलापों के लिए 60.98 लाख रुपए की राशि खर्च की गई।

दृष्टि विकलांग (दृष्टिहीन) अध्यापकों के लिए सहायता

आयोग ने विश्वविद्यालयों और कालेजों में नियमित रूप से नियुक्त किए गए दृष्टिहीन अध्यापकों के लिए पाठक भत्ता बढ़ाकर 6,000 रुपए प्रति वर्ष करने का फैसला किया है। आलोच्य वर्ष के दौरान दो दृष्हीन अध्यापकों के लिए दो विश्वविद्यालयों को 12,000 रुपए की राशि प्रदान की गई। यूजीसी के क्षेत्रीय कार्यालय कालेजों में कार्यरत दृष्टिहीन अध्यापकों को सहायता प्रदान कर रहे हैं।

वैज्ञानिक अनुसंधान के सुदृढ़ीकरण के लिए कार्यक्रम

विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आधारिक तंत्र का सुदृढीकरण (एसआईएसटी)

आयोग विश्वविद्यालयों में विज्ञान के चुनिन्दा विभागों को अत्यन्त परिष्कृत और कीमती उपस्कर प्रदान करने के

लिए सहायता प्रदान करता है जिससे कि वे स्नातकोत्तर अध्यापन और अनुसंधान के प्रमुख क्षेत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि से प्रतियोगी बन सकें।

इस कार्यक्रम के अधीन सहायता शत–प्रतिशत आधार पर एकबारगी इन्पुट के रूप में प्रदान की जाती है। नियमित अनुश्रवण और मूल्यांकन कार्यक्रम का अभिन्न अंग है। जिन विभागों को इस प्रकार का समर्थन प्रदान किया गया है, उन्हें पूर्ण कार्यात्मक स्वायत्तता दे दी गई है। वर्ष 1999–2000 के दौरान इस कार्यक्रम के अधीन सहयोग दिए जाने के लिए 16 नए विभाग अभिज्ञात किए गए और इस प्रकार, 31 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार ऐसे विभागों की कुल संख्या बढ़कर 195 हो गई। नौवीं योजना के दौरान किसी चयनित विभाग की वित्तीय सीमा 5 वर्षों की अवधि के लिए 85 लाख रुपए है (केवल एक बार)। आयोग ने नए और पहले से चल रहे विभागों के लिए 851.90 लाख रुपए का कुल अनुदान प्रदान किया है।

विश्वविद्यालय विज्ञान इंस्ट्रूमेंटेशन केन्द्र (यूएसआईसीएस)

अध्यापन और अनुसंधान में परिष्कृत उपस्करों के इष्टतम उपयोग के लिए यूजीसी ने विश्वविद्यालय विज्ञान इन्स्ट्रूमेंटेशन केन्द्र (यूएसआईसी) की स्थापना करके सामान्य पूल की अवधारणा की शुरूआत की है। ये केन्द्र उपस्करों के अनुरक्षण और मरम्मत सहित विश्वविद्यालय के इंस्ट्रूमेंटेशन के सभी पक्षों की देखभाल करने और विभिन्न स्तरों पर मानव संसाधनों को प्रशिक्षित करने के लिए होते हैं। 31 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार विभिन्न विश्वविद्यालयों में ऐसे 69 केन्द्र काम कर रहे थे। इन केन्द्रों को 38.11 लाख रुपए का अनुदान दिया जा चुका है।

अन्य स्कीमों में सहायता

उपर्युक्त स्कीमों/कार्यक्रमों के अलावा अन्य स्कीमों जैसे कि विज्ञान में विशेष सहायता कार्यक्रम, विज्ञान में बड़ी/छोटी अनुसंधान परियोजनाएं, विज्ञान अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, विज्ञान में उभरते विषय आदि के माध्यम से भी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

इंजीनियरी/तकनीकी और प्रबन्ध शिक्षा के विकास के लिए कार्यक्रम

विश्वविद्यालय में इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की शुरूआत

यूजीसी इंजीनियरी विभागों से युक्त तकनीकी विश्वविद्यालयों अन्य विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है ताकि वे उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान के विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वित कर सकें। सम्प्रति, आयोग 11 तकनीकी विश्वविद्यालयों और इंजीनियरी विभागों से युक्त 25 अन्य विश्वविद्यालयों तथा इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी में अनुमोदित पीजी पाठ्यक्रम चलाने के लिए चार राज्य/सम–विश्वविद्यालयों को अनुरक्षण सहायता प्रदान कर रहा है। आयोग ने विकासात्मक सहायता के रूप में 12.45 करोड़ रुपए तथा अनुरक्षण अनुदान के रूप में और 2.91 करोड़ रुपए की राशि प्रदान किए।

विश्वविद्यालयों और कालेजों में कम्प्यूटर शिक्षा और सुविधाएं

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कम्प्यूटर सुविधाओं की स्थापना और संवर्धन के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करता रहा है। 31.3.2000 तक आयोग ने कम्प्यूटर केन्द्र स्थापित करने के 130 विश्वविद्यालयों/सम–विश्वविद्यालयों को अनुदान प्रदान किए। 1999–2000 के दौरान 20 विश्वविद्यालयों के कम्प्यूटर केन्द्रों में कम्प्यूटर सुविधाओं के स्तरोन्नयन के लिए 30.00 लाख रुपए प्रत्येक केन्द्र के हिसाब से मंजूर किए गए हैं।

कम्प्यूटर के क्षेत्र में कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से यूजीसी विश्वविद्यालयों को कम्प्यूटर विज्ञान में एमसीए, एम.एससी/ बीई/ बी टेक एमई/एम टेक

कम्प्यूटर के क्षेत्र में कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से आयोग कम्प्यूटर विज्ञान में एमसीए, एम.एससी/बी.ई./बी.टेक. एम.ई/एम.टेक जैसे पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए भी सहायता प्रदान करता रहा है।

जैसे पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए भी सहायता प्रदान करता रहा है। 31.3.2000 तक ऐसे कम्प्यूटर पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए 84 विश्वविद्यालयों को सहायता प्रदान की जा चुकी है।

विश्वविद्यालयों को पीजी स्तर पर ऐसे विषयों में भी जिनमें कम्प्यूटर अनुप्रयोग अधिक प्रमुख रहे हैं, कम्प्यूटर अनुप्रयोग प्रश्न–पत्र लागू करने के लिए भी सहायता प्रदान की गई है। 31.3.2000 तक 24 विश्वविद्यालयों को मंजूरी दी गई। 1999–2000 के दौरान दो विश्वविद्यालयों और एक कालेज को 3.00 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है।

यूजीसी, विश्वविद्यालयों में कम्प्यूटर प्रयोगशालाएं सुदृढ़ करने के लिए भी अनुदान देता है। अभी तक यूजीसी ने 38 विश्वविद्यालयों की सहायता की है। 1999–2000 के दौरान 13 विश्वविद्यालयों में से प्रत्येक को 10 लाख रुपए की सहायता प्रदान की गई है।

आयोग ने सभी 50 शैक्षणिक स्टाफ कालेजों (एएससी) को कम्प्यूटर सुविधाएं निर्मित करने के लिए ऐसे प्रत्येक कालेज को 1.25 लाख रुपए का अनावर्ती अनुदान प्रदान करके सहायता पहुंचाई।

कम्प्यूटरों के प्रयोग में कालेज अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लिए यूजीसी ने आलोच्य वर्ष के दौरान 135 प्रशिक्षण कार्यक्रमों को मंजूरी दी है। प्रशिक्षण प्रदान करने का काम कालेजों के निकट स्थित विश्वविद्यालयों को सौंपा गया है।

नौवीं योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों में यह व्यवस्था है कि विश्वविद्यालयों को संसाधन जुटाने के उनके प्रयासों में मदद की जाए। संसाधन जुटाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि विश्वविद्यालय के विकास के लिए समाज से आने वाले संसाधनों के प्रवाह का प्रोत्साहन और संवर्धन किया जाए।

उपर्युक्त सभी कार्यक्रमों के अधीन आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों को कुल 9.01 करोड़ रुपए की राशि का अनुदान दिया गया।

प्रशासन, वित्त, परीक्षा और अनुसन्धान में कम्प्यूटरों के प्रयोग की बाबत कालेजों के छात्रों तथा अध्यापकों/स्टाफ के बीच जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से आयोग पर्सनल कम्प्यूटर तथा संगत सिस्टम और अनुप्रयोग साफ्टवेयर खरीदने के लिए कालेजों को आर्थिक सहायता प्रदान करता रहा है। 1999–2000 के दौरान आयोग ने अनुमोदित 170 कालेजों में से प्रत्येक कालेज को 1.25 लाख रुपए का अनुदान प्रदान किया। 31.3.2000 तक कम्प्यूटर प्राप्त करने के लिए 3404 कालेजों को सहायता प्रदान की गई।

प्रबन्ध अध्ययनों का विकास

यूजीसी विश्वविद्यालयों को एमबीए कार्यक्रम शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ऐसे कार्यक्रमों के शुरू किए जाने से पूर्व उनसे सम्बन्धित प्रस्तावों को प्रबन्ध अध्ययन सम्बन्धी यूजीसी विशेषज्ञ समिति तथा एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित किया जाना जरूरी होता है। आयोग उन विभागों को भी विकास सहायता प्रदान करता है, जिन्होंने पांच वर्ष पूरे कर लिए हैं। 1999–2000 के दौरान आयोग ने चार विश्वविद्यालयों में चार नए एमबीए विभागों को मंजूरी दी तथा इन विश्वविद्यालयों को एमबीए कार्यक्रम चलाने के लिए 2.64 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया।

एमई/एमटेक छात्रों के लिए स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियां

आयोग एमई/एमटेक के ऐसे छात्रों को जिन्होंने जीएटीई परीक्षा में अर्हता प्राप्त कर ली है, स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियां प्रदान करता है, ताकि वे उच्च तकनीकी शिक्षा जारी रख सकें। यह छात्रवृत्ति 18 महीने की अवधि के लिए होती है। आयोग प्रतिवर्ष 900 छात्रों को सहायता प्रदान करता है। 1999–2000 के दौरान इन छात्रवृत्तियों के लिए 4.32 करोड़ रुपए का अनुदान प्रदान किया गया।

अन्य स्कीमों में सहायता

उपर्युक्त कार्यक्रमों/स्कीमों के अलावा, इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी के लिए विशेष सहायता कार्यक्रम, बड़ी/छोटी

अनुसंधान परियोजनाओं जैसी अन्य स्कीमों के माध्यम से विश्वविद्यालयों और अध्यापकों को सहायता प्रदान की गई है।

उच्चतर शिक्षा के प्रबन्ध में सुधार के लिए कार्यक्रम

विश्वविद्यालयों द्वारा संसाधन जुटाना

विश्वविद्यालयों द्वारा संसाधन जुटाने की योजना 1995 में शुरू की गई थी। आयोग ने नौवीं योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों को संशोधित कर दिया है ताकि विश्वविद्यालयों को उनके संसाधन जुटाने के प्रयासों में सहयोग प्रदान किया जाए। इस योजना का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालय विकास के लिए समाज से प्राप्त होने वाले संसाधनों के प्रवाह का प्रोत्साहन और संवर्द्धन करना है। विश्वविद्यालय द्वारा सृजित किए गए संसाधनों का 25 प्रतिशत यूजीसी के हिस्से के रूप में अदा किया जाता है जो कि एक वित्त वर्ष में अधिक से अधिक 25 लाख रुपए होता है। वर्ष 1999–2000 के दौरान 22 विश्वविद्यालयों को यूजीसी के हिस्से के रूप में 4.67 करोड़ रुपए प्रदान करके उनकी सहायता की गई।

हैदराबाद विश्वविद्यालय

हैदराबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1974 में संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी। यह देश में स्नातकोत्तर अध्यापन और अनुसंधान का मुख्य संस्थान है। विश्वविद्यालय के शैक्षिक कार्यकलाप इसके 8 अध्ययन स्कूलों के माध्यम से किए जाते हैं, जो इस प्रकार हैं: गणित और कम्प्यूटर/सूचना विज्ञान स्कूल, भौतिक शास्त्र स्कूल, रसायन शास्त्र स्कूल, जीव विज्ञान स्कूल, मानवीकी स्कूल, सामाजिक विज्ञान स्कूल कलाओं, ललित कलाओं और संचार का एसएन स्कूल तथा प्रबन्ध अध्ययन स्कूल। विश्वविद्यालय का दूरस्थ शिक्षा केन्द्र इन विषयों में 11 स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाता है: कम्प्यूटर विज्ञान, आयोजना और परियोजना प्रबन्ध, पर्यावरणात्मक शिक्षा और प्रबन्ध, अनुवाद अध्ययन (हिन्दी), अनुवाद अध्ययन (अंग्रेजी), मानव अधिकार, पुस्तकालय स्वचलन और नेटवर्क निर्माण, दूरदर्शन निर्माण, दूर संचार, रासायनिक विश्लेषण और गुणवत्ता प्रबन्ध तथा व्यावसायिक और संगठनात्मक नीति शास्त्र और मूल्य।

आलोच्य वर्ष में विश्वविद्यालय में संकाय क्षमता 199 है जिसमें 71 प्रोफेसर, 86 रीडर और 42 लेक्चरर हैं। 1999–2000 के दौरान विभिन्न विषय–क्षेत्रों में अनेक राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठियां, विचार गोष्ठियां और कार्यशालाओं का सफल आयोजन किया गया। अनेक विख्यात विद्वान विश्वविद्यालय में आए और उन्होंने भाषण दिए तथा संकाय और छात्रों के साथ वैचारिक आदान–प्रदान किया। संकाय के अनेक सदस्य अनेक राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय सम्मानों के लिए चुने गए। भारत तथा दूसरे देशों के विख्यात विद्वान श्री जवाहर लाल नेहरू तथा डा. सर्व पल्ली राधाकृष्णन के नाम से स्थापित दो लब्धप्रतिष्ठ पीठों पर आसीन हुए।

दिल्ली विश्वविद्यालय

दिल्ली विश्वविद्यालय उच्च अध्ययन का एक शीर्षस्थ संस्थान है और वह सामाजिक विज्ञान, मानविकी, प्रबन्ध, मूल तथा अनुप्रयुक्त विज्ञानों, चिकित्सा शिक्षा तथा प्रौद्योगिकी सहित बहुविध विषय क्षेत्रों में स्नातक–पूर्व और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों की पेशकश करता है। विश्वविद्यालय कम्प्यूटर, आधुनिक भारतीय और यूरोपीय भाषाओं तथा अन्य अनुप्रयोगोन्मुखी विषय–क्षेत्रों में दीर्घकालीन प्रमाण–पत्र/डिप्लोमा पाठ्यक्रमों का भी आयोजन करता है। आलोच्य वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय में 2.5 लाख छात्र दाखिल हैं जिनमें से 20,000 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययन कर रहे हैं। लगभग 600 विदेशी छात्रों ने स्नातक–पूर्व और स्नातकोत्तर – दोनों प्रकार के पाठ्यक्रमों में दाखिला लिया है। विश्वविद्यालय में एक संदर्भ पुस्तकालय सहित एक आधुनिक पुस्तकालय पद्धति तथा इंटरनेट सुविधाएं उपलब्ध हैं। 15 संकायों के 85 विभागों में एम.फिल और पीएच.डी डिग्रियां प्रदान किए जाने के लिए शोध कार्य किया जाता है। विश्वविद्यालय के विभाग स्थानीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और विश्वस्तरीय महत्त्व के अनुसन्धान और विकास कार्यक्रम भी हाथ में लेते हैं। विशेष रूप से आधुनिक जैव–विज्ञान और भौतिकविज्ञानों के संकायों में उत्कृष्ट अनुसन्धान कार्य के फलस्वरूप जैव–चिकित्सा महत्त्व की कुछ प्रक्रियाओं के बारे में पेटेंट प्राप्त कर लिए गए हैं। केवल राष्ट्रीय संस्थानों तथा भारतीय विश्वविद्यालयों के साथ ही नहीं बल्कि विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ भी इस विश्वविद्यालय की अनेक आर तथा डी परियोजनाएं

चल रही हैं। आलोच्य वर्ष के दौरान छात्रों और अध्यापकों के आदान–प्रदान के लिए विकसित और विकासशील देशों के विश्वविद्यालयों के साथ 40 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

विश्वविद्यालय की एमए, एमएससी, एमफिल तथा पीएचडी डिग्रियां प्रदान किए जाने के निमित्त पर्यावरण और पारिस्थिकी विज्ञान में अनुसन्धान और प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक अंतःक्षेत्रीय संस्थान के रूप में काम करने और विशिष्ट आर्थिक क्रियाकलापों के लिए अंतःविषय क्षेत्रीय दलों के माध्यम से विशिष्ट पर्यावरणात्मक प्रबन्ध और विनियमन पैकेज तैयार करने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय ने पर्यावरणात्मक अध्ययन स्कूल की स्थापना की है। साथ ही, इस विश्वविद्यालय ने सभी स्नातक–पूर्व छात्रों के लिए अनिवार्य पर्यावरणात्मक शिक्षा पाठ्यक्रम भी तैयार किया हैं। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य यह है कि युवकों के भीतर पर्यावरणात्मक संरक्षण के प्रति प्रवृत्यात्मक बदलाव लाए जाएं जिससे कि संधारणीयता की अवधारणा प्रदान की जाए और ऐसे कौशल विकसित किए जाएं जिनका आवश्यकतानुसार प्रयोग किया जा सके।

विभिन्न विषय क्षेत्रों में संकाय सदस्यों को अनेक सम्मानीय राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार तथा राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय एकेडमिक्स की अध्येतावृत्तियां प्राप्त हुई हैं।

रूसी संघ के राष्ट्रपति श्री व्लादीमीर वी पुतिन को जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली में 3 अक्तूबर 2000 को आयोजित विशेष दीक्षान्त समारोह में डाक्टर आफ लाज़ की उपाधि प्रदान की गई

महात्मा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय

वर्धा में महात्मा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय स्थापित करने के उद्देश्य से संसद ने दिसम्बर, 1996 में महात्मा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय अधिनियम, 1996 पारित किया। उपरोक्त विश्वविद्यालय 29 दिसम्बर, 1997 को अस्तित्व में आया। राष्ट्रपति द्वारा विश्वविद्यालय की प्रथम कार्यकारी परिषद पहले ही स्थापित की जुकी है। वर्धा में विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए महाराष्ट्र सरकार ने पहले ही भूमि का आबंटन कर दिया है और भूमि का कब्जा दे दिया है। आवश्यक आधारिक सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में उपाय किए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय ने अनेक शैक्षणिक क्रियाकलाप शुरू किए हैं जिनमें अन्य के साथ–साथ, विशेष रूप से धर्म–शास्त्र में हिन्दी पुस्तकों और पत्रिकाओं की दुर्लभ पाण्डुलिपियों का संग्रह शामिल है। साथ ही, विश्वविद्यालय ने विशेष रूप से विदेशों में स्थित उसके केन्द्रों के लिए हिन्दी की पाठ्यचर्या के विकास की दिशा में भी उपाय किए हैं। विश्वविद्यालय द्वारा हिन्दी तिमाही पत्रिका 'बहुवचन', अंग्रेजी तिमाही पत्रिका 'हिन्दी' प्रकाशित और परिचालित की जा रही है।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय(जेएनयू), नई दिल्ली की स्थापना 1969 में हुई थी । विश्वविद्यालय में 24 अध्ययन केन्द्रों सहित 9 स्कूल हैं। इनके अलावा, इसमें चार स्वतंत्र अध्ययन केन्द्र भी शामिल हैं। अध्यापन और गैर–अध्यापन स्टाफ की क्षमता क्रमशः 382 और 1350 है। विश्वविद्यालय में कुल 4260 छात्र दाखिल हैं जिनमें अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथ अन्य पिछड़े वर्गों का समुचित प्रतिनिधित्व था।

विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों ने अनेक पुस्तकाओं की रंचना की, पुस्तकों के लिए अनेक लेखों का योगदान दिया और विख्यात शैक्षणिक और अनुसन्धान पत्रिकाओं में विभिन्न शोध लेख प्रकाशित कराए। संकाय में सम्प्रति, विभिन्न वित्तपोषी एजेन्सियों द्वारा प्रायोजित 174 अनुसन्धान परियोजनाएं चल रही हैं। अनेक विख्यात संकाय सदस्यों को विभिन्न राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से सम्मान और पुरस्कार प्राप्त हुए। विश्वविद्यालय के पुस्तकालय ने आलोच्य वर्ष में लगभग 3546 पुस्तकें जोड़ी। सम्प्रति, पुस्तकों और पत्रिकाओं का कुल संग्रह 4,34,702 है।

सामाजिक विज्ञान स्कूल को उत्कृष्टता के स्कूल के रूप में घोषित किया गया है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लड़कों और लड़कियों के लिए एक नए छात्रावास का निर्माण किया जा रहा है जिसमें दो–दो छात्रों के आवास की व्यवस्था वाले 200 कमरे होंगे। एक सुपर–स्पेशिलिटी अस्पताल स्थापित करने के लिए विश्वविद्यालय ने दिल्ली सरकार के साथ एक करार किया है। महामहिम श्री व्लादीमीर वी पुतिन, राष्ट्रपति, रूसी संघ को 3 अक्तूबर 2000 को एक मानद डाक्टरल डिग्री (होनोरिस कौसा) प्रदान की गई।

आलोच्य वर्ष में जीव विज्ञानों और कम्प्यूटर विज्ञानों के एक अंतः क्षेत्रीय कार्यक्रम के रूप में नए पाठ्यक्रम शुरू किए गए, जैसेकि विज्ञान नीति में एम.फिल/पीएच.डी तथा जीवविज्ञान और कम्प्यूटर विज्ञान के अन्तःविषय क्षेत्रीय कार्यक्रम के रूप में बायो–इन्फारमेटिक्स में उन्नत डिप्लोमा।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय एक शिक्षण तथा आवासीय विश्वविद्यालय के रूप में 1916 में स्थापित किया गया था। विश्वविद्यालय में 14 संकाय, 121 शैक्षणिक विभाग, 4 अन्तर–विषयक क्षेत्रीय स्कूल, 4 कालेज तथा 3 स्कूलों के अलावा 3 संस्थान अर्थात आयुर्विज्ञान संस्थान, प्रौद्योगिकी संस्थान और कृषि विज्ञान संस्थान मौजूद हैं। विश्वविद्यालय में एक संघटक महिला विद्यालय भी है। विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में उच्च अध्ययन (सीएएस) के छः केन्द्र, 12 कोसिस्ट कार्यक्रम तथा आठ विशेष सहायता कार्यक्रम (एसएपी) उपलब्ध हैं। आलोच्य वर्ष में विश्वविद्यालय ने अनेक नए पाठ्यक्रम शुरू किए, जैसेकि अपराध विज्ञान तथा लोक प्रशासन में एमए। सम्प्रति, यह विश्वविद्यालय 29 स्नातक–पूर्व, 146 स्नातकोत्तर, 31 डिप्लोमा और 31 पाठ्यक्रम प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम चला रहा है।

विश्वविद्यालय में एक 1000 बिस्तरों वाला एक आयुर्वेदिक चिकित्सा अस्पताल है। शिक्षण और गैर–शिक्षण स्टाफ की क्षमता क्रमशः 1125 और 6545 है। शैक्षणिक सत्र 1999–2000 के दौरान यूजीसी/भारत सरकार तथा अन्य एजेन्सियों द्वारा 45 परियोजनाएं मंजूर की गई हैं। आज की स्थिति में, विश्वविद्यालय में दाखिल छात्रों की कुल संख्या 14620 है।

विभिन्न छात्रवृत्तियों/पदकों/नकद पुरस्कारों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा सात अक्षय निधियां स्थापित की गई हैं।

मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय

मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय की स्थापना (एमएएनयूयू) 1998 में हैदराबाद में उर्दू भाषा के प्रसार व उन्नति और पारंपरिक व दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से उर्दू भाषा में व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए की गई थी। संसद द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम 1997 में पारित किया गया था तथा अधिनियम लागू होने के पश्चात विश्वविद्यालय ने 9 जनवरी, 98 से कार्य करना आरम्भ कर दिया है।

आन्ध्र प्रदेश सरकार ने विश्वविद्यालय के लिए निःशुल्क आधार पर 200 एकड़ भूमि प्रदान की है। विश्वविद्यालय का प्रशासनिक कार्यालय हैदराबाद में स्थापित किया गया हैं किन्तु अन्य आधारिक सुविधाएं अभी विकसित की जा रही हैं। दिल्ली, पटना और बंगलौर में क्षेत्रीय कार्यालय भी स्थापित कर दिए गए हैं। निकट भविष्य में और अधिक क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने का विचार हैं। देश के विभिन्न भागों में स्थापित किए जाने के लिए विश्वविद्यालय के तीन अध्ययन स्कूल, पांच अध्ययन विभाग, दो निदेशालय और 31 अध्ययन केन्द्र मंजूर किए जा चुके हैं।

विश्वविद्यालय संकाय में 17 सदस्य हैं जबकि प्रशासनिक, मंत्रालयी तथा अन्य स्टाफ सदस्यों की संख्या 60 है। विश्वविद्यालय में 2,551 छात्र दाखिल है और बी. ए, बी. कॉम (तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम) तथा खाद्य और पोषाहार में प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रमों में लगभग 3716 और छात्रों को दाखिला दिए जाने का विचार है। ये पाठ्यक्रम दूरस्थ शिक्षा पद्धति से उर्दू माध्यम से संचालित किए जाएंगे। चालू शैक्षणिक वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय बी.एससी (डिग्री पाठ्यक्रम) हिन्दी के माध्यम से उर्दू में प्रवीणता और अंग्रेजी के माध्यम से उर्दू में प्रवीणता के प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रमों की भी पेशकश कर रहा है। विश्वविद्यालय द्वारा परम्परागत पद्धति में व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करने का भी विचार है।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय

एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय के रूप में 1920 में स्थापित अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) देश में स्थापित शीर्षस्थ पूर्णतः आवासीय शैक्षणिक संस्थानों में से एक हैं। विश्वविद्यालय में 12 संकायों के अधीन समूहबद्ध 102 विभाग/संस्थान/केन्द्र हैं। विश्वविद्यालय में 4 अस्पताल, 6 कालेज (मेडिकल, डेंटल और इंजीनियरी कालेजों सहित) दो पालिटेक्निक तथा 8 स्कूल हैं।

विश्वविद्यालय केवल महिलाओं के लिए छः डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाता है, जो इस प्रकार हैं: इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरी में डिप्लोमा, इलेक्ट्रोनिक्स में डिप्लोमा (टीवी प्रौद्योगिकी), कम्प्यूटर इंजीनियरी में डिप्लोमा, कास्ट्यूम डिजाइन एवं गारमेंट प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा, आफिस असिसटेंटशिप एंड सैक्रेटेरियल प्रेक्टिस में डिप्लोमा तथा जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी में डिप्लोमा। आलोच्य अवधि के दौरान दो नए पाठ्यक्रम अर्थात पंजाबी और कश्मीरी में प्रमाण–पत्र और डिप्लोमा कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।

विश्वविद्यालय में कुल मिलाकर 25,088 छात्र दाखिल है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शिक्षण स्टाफ और गैर–शिक्षण स्टाफ की कुल क्षमता क्रमशः 1,445 और 5,688 है। आलोच्य अवधि के दौरान विश्वविद्यालय के केन्द्रीय पुस्तकालय में 12,408 पुस्तकें जोड़ी गई जिससे कि पुस्तकों की कुल संख्या बढ़कर 9,45,803 हो गई। इसके अलावा, विश्वविद्यालय के प्रत्येक विभाग में पीजी और शोध छात्रों के लिए एक सेमिनार पुस्तकालय मौजूद है। जे एन मेडिकल कालेज, ए के तिबिया कालेज, जेड एच इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी कालेज तथा महिला कालेज जैसे कालेजों में स्वतंत्र पुस्तकालय मौजूद हैं।

विश्वविद्यालय का राज्य संसाधन केन्द्र अपनी स्थापना के समय से ही राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के कार्यक्रमों और साथ ही राष्ट्रीय महिला आयोग की सिफारिशों को भी कार्यान्वित कर रहा है। आलोच्य अवधि के दौरान केन्द्र ने 36 प्रशिक्षण कार्यक्रम और 10 कार्यशालाओं का आयोजन किया।

इण्डोनिशयाई विश्वविद्यालयों के एक प्रतिनिधिमण्डल ने 27 अगस्त 2000 को इस विश्वविद्यालय का दौरा किया। इस दौरे के पीछे उद्देश्य यह था कि यह प्रतिनिधिमण्डल विभिन्न संकायों में उपलब्ध पाठ्यक्रमों के बरे में जानने तथा विश्वविद्यालय में विदेशी छात्रों के दाखिल से सम्बन्धित जानकारी इकट्ठी करने का इच्छुक था। आलोच्य अवधि के दौरान विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में विभिन्न पाठ्यक्रमों में कुल मिलाकर 72 विदेशी छात्रों को दाखिला दिया गया।

खेलकूद और सम्बद्ध क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय में 10 क्लब मौजूद हैं अर्थात घुड़सवारी क्लब, हाकी क्लब, टेनिस क्लब, पदयात्रा तथा पर्वतारोहण क्लब, तैराकी क्लब, एथलेटिक क्लब, क्रिकेट क्लब, फुटबाल क्लब, जीमखाना क्लब तथा जिमनेजियम क्लब। जीमखाना और जिमनेजियम क्लबों में उप–क्लब भी हैं, जैसेकि वालीवाल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, बास्केट बाल क्लब और स्केटिंग, बाडी–बिल्डिंग, भारोत्तोलन और पावर लिफ्टिंग क्लब।

यूजीसी ने नौवीं योजना के दौरान विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों में किए जाने वाले विकासात्मक क्रियाकलापों के लिए कुल मिलाकर 24.29 करोड़ रुपए का अनुदान मंजूर किया है। आलोच्य अवधि के दौरान डेंटल कालेज (चरण–II) महिलाओं के छात्रवास, स्टाफ क्वार्टरों, रसायन शास्त्र प्रयोगशाला के निर्माण तथा गणित विभाग के विस्तार सहित 10 परियोजनाएं हाथ में ली गई हैं।

जामिया मिलिया इस्लामिया

जामिया मिलिया इस्लामिया (जेएमआई), जो 1962 से एक सम–विश्वविद्यालय के रूप में काम कर रहा था, को दिसम्बर, 1998 को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ। जामिया मिलिया इस्लामिया नर्सरी स्तर से स्नातकोत्तर स्तर और डाक्टरेट स्तर तक शिक्षा प्रदान करता है।

विश्वविद्यालय में 6 संकायों के अधीन समूहबद्ध 29 विभाग हैं। विश्वविद्यालय में सात केन्द्र, एक संस्थान, एक अकादमी, एक स्टाफ कालेज और तीन स्कूल मौजूद हैं। विश्वविद्यालय में दाखिल छात्रों की कुल संख्या

8055 है। जेएमआई में अध्यापन स्टाफ की कुल क्षमता 414 तथा गैर अध्यापन की 831 है।

विश्वविद्यालय में स्थित डा. जाकिर हुसैन पुस्तकालय में पुस्तकों और अनुसन्धान पत्रिकाओं की संख्या में लगातार वृद्धि होती रही है। 31 मार्च 2000 की स्थिति के अनुसार, पुस्तकालय में कुल मिलाकर 2,45,771 पुस्तकों का संग्रह था। आलोच्य अवधि के दौरान पुस्तकालय के अभिलेखागार सेल ने अपने संग्रहों में विभिन्न अवसरों से सम्बन्धित अनेक एलबमें जोड़ीं।

जेएमआई का एजे किदवई जन संचार अनुसन्धान केन्द्र जन संचार में स्नातकोत्तर स्तर का प्रशिक्षण प्रदान करता है और साथ ही यूजीसी के इनसेट कार्यक्रम के लिए शैक्षिक सामग्री का निर्माण भी करता है। उक्त केन्द्र के छात्रों द्वारा निर्मित दो फिल्मों को 1999 में आयोजित शैक्षिक दृश्य समारोह में सामाजिक विज्ञान और साहित्य श्रेणियों में सर्वोत्तम फिल्म पुरस्कार प्रदान किए गए जबकि केन्द्र के एक लेक्चरर को जनवरी 2000 में आयोजित मुम्बई फिल्म समारोह में योग्यता प्रमाण–पत्र प्रदान किया गया।

विश्वविद्यालय का राज्य संसाधन केन्द्र अपनी स्थापना के समय से ही राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रहा है और साथ ही राष्ट्रीय महिला आयोग की सिफारिशों को भी कार्यान्वित कर रहा है। आलोच्य अवधि के दौरान केन्द्र ने 36 प्रशिक्षण कार्यक्रम और 10 कार्यशालाओं का आयोजन किया। उपर्युक्त के अलावा, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के महत्त्वपूर्ण दस्तावेज़ों का उर्दू में अनुवाद भी करा लिया गया है।

डा. जाकिर हुसैन इंस्टिट्यूट आफ इस्लामिक स्ट्डीज ने दो पत्रिकाओं अर्थात 'इस्लाम एंड दि माडर्न एज' (अंग्रेजी) तथा 'इस्लाम और अस–रे–जदीद' (उर्दू) प्रकाशित करता रहा है। ये दोनों पत्रिकाएं समकालीन भारत और विश्व के संदर्भ में मुस्लिम परम्परा की रचनात्मक पुनर्व्याख्या तथा धर्मों के बीच सद्भावना को बढ़ावा देने के प्रति समर्पित हैं।

थर्ड वर्ल्ड स्टडीज की अकादमी ने अनेक पुस्तकों का प्रकाशन किया जैसेकि 'मीडिया एण्ड कम्यूनिकेशन इन दि थर्ड वर्ल्ड', 'मीडिया डेवलेपमेंट एंड काम्यूनिकेशन इन ईस्ट एशिया', 'मीडिया डेवलपमेंट काम्यूनिकेशन्स : सोशियो पालिटिकल इम्पलीकेशन्स इन अफ्रीका', 'अरब एटेम्पट्स एट जर्नेलिज्म', 'नेचर आफ स्टेट', 'मीडिया एंड काम्यूनिकेशन' तथा 'मीडिया एंड एनवारनमेंट – ए क्रिटिकल स्ट्डी' आदि। इन प्रकाशनों के अलावा, अकादमी ने 'टूवार्डस अंडरस्टेंडिंग दि कश्मीर क्राइसिस' पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी, 'फ्यूचर आफ कश्मीर' पर एक विचारगोष्ठी तथा इन विषयों पर संगोष्ठियां आयोजित कीं: 'दि वेस्ट एशियन पीस प्रोसेस : प्राबलम्स एंड पर्सपेक्टिव्स', 'इज़रायल–पैलिस्तीन निगोसिएशन्स' तथा 'ह्यूमन राइट्स एंड दि फंक्शनिंग आफ दि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन'।

जेएमआई द्वारा विकसित 900 से अधिक पृष्ठों से युक्त एक वेबसाइट अर्थात http:\\ jmi.nic.in 2.11.2000 को शुरू किया गया। शैक्षणिक सत्र 2001–2002 जेएमआई के सभी संकायों और केन्द्रों में दाखिलों से सम्बन्धित जानकारी और साथ ही दाखिलों के परिणाम वेबसाइट पर प्रस्तुत किए जाने की बात सोची जा रही है।

विश्व भारती

गुरू रवीन्द्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित विश्व भारती नामक एक शैक्षिक संस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में विश्व भारती अधिनियम 1951 द्वारा संस्थापित किया गया था। विश्वविद्यालय प्राथमिक स्तर से स्नातकोत्तर स्तर तथा डाक्टरेट स्तर तक शिक्षा प्रदान करता है। इसके बारह संस्थान है – आठ शान्ति निकेतन में, तीन श्री निकेतन में तथा एक कलकत्ता में।

31 मार्च, 2000 की स्थिति के अनुसार विश्वविद्यालय में इसके स्कूल सेक्शनों सहित 6,299 छात्र नामांकित थे। अध्यापन और गैर–अध्यापन स्टाफ की कुल संख्या क्रमशः 518 तथा 1,560 थी। शैक्षणिक सत्र 2000–2001 से कुछ नए पाठ्यक्रम शुरू किए गए, अर्थात बैचेलर आफ फिजिकल एजूकेशन, मास्टर आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन (i) पत्रकारिता और जन संचार; तथा (ii) पर्यटन और यात्रा प्रबन्ध – प्रत्येक में एक–एक वर्ष का स्नातकोत्तर डिप्लोमा।

विश्वविद्यालय के केन्द्रीय पुस्तकालय में 31.3.2000 को 3,72,589 पुस्तकें और 2334 पत्रिकाएं हैं। उपर्युक्त के

श्री के.सी. पंत, उपाध्यक्ष, योजना आयोग इग्नू के 11वें दीक्षान्त समारोह में अभिभाषण देते हुए

अलावा, विश्वविद्यालय के 12 अनुभागीय पुस्तकालयों में 3,20,115 पुस्तकें मौजूद हैं।

तुर्की के प्रधान मंत्री महामहिम श्री बूलेंट इसीविट को 'देसीकोट्टम्मा' की मानद डिग्री प्रदान करने के लिए शान्ति निकेतन में 2.4.2000 को एक विशेष दीक्षान्त समारोह आयोजित किया गया।

पाण्डिचेरी विश्वविद्यालय

पाण्डिचेरी विश्वविद्यालय की स्थापना शिक्षण व सम्बन्धक विश्वविद्यालय के रूप में अक्तूबर, 1985 में हुई थी, जिसके अधिकार क्षेत्र में संघ–शासित क्षेत्र पाण्डिचेरी तथा अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह शामिल हैं। आलोच्य वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय को उसकी शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए एनएएसी दल द्वारा चार–सितारा स्तर से प्रत्यापित किया गया।

विश्वविद्यालय में छः स्कूल, 19 विभाग और दस केन्द्र हैं जो एक प्रमाण–पत्र, उनतीस स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम, एक एम.टेक, सत्रह एम.फिल, चौबीस डाक्टरल कार्यक्रम और दो विषय–क्षेत्रों में पांच–वर्षीय एकीकृत मास्टर डिग्री पाठ्यक्रमों की पेशकश करता हैं। इस विश्वविद्यालय के पाण्डिचेरी के अन्दर और बाहर 28 सम्बद्ध संस्थान हैं। विश्वविद्यालय में 163 शिक्षण स्टाफ तथा 60 अतिथि लेक्चरर, 565 गैर–शिक्षण स्टाफ और 1505 छात्र हैं। आलोच्य वर्ष में दो नए विभाग तथा दो अध्ययन केन्द्र खोले गए हैं। विश्वविद्यालय ने अभी तक 17 विश्वविद्यालयों के साथ समझौता ज्ञापन निष्पात्ति किए हैं।

आलोच्य वर्ष में योजनेतर के अधीन 14.20 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई। नौवीं योजना के अधीन सभी निर्माण कार्य प्रगति पर हैं।

पीएच.डी कार्यक्रम के लिए कुल मिलाकर 56 छात्र पंजीकृत किए गए हैं। भारत तथा दूसरे देशों की विभिन्न एजेंसियों से 83 प्रायोजित अनुसंधान परियोजनाएं प्राप्त हुई तथा 45 पुस्तकों के प्रकाशन के अलावा विख्यात राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में 232 लेख प्रकाशित किए गए।

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

देश के शैक्षिक ढांचे में मुक्त विश्वविद्यालय तथा दूरस्थ शिक्षा प्रणाली शुरू तथा प्रोन्नत करने और इन प्रणालियों में समन्वय स्थापित करने तथा मानकों का निर्धारण करने के लिए, 1985 में इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। इस विश्वविद्यालय के मुख्य लक्ष्यों में जनसंख्या के एक बड़े भाग को, विशेषकर वंचित समूहों को, उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करके उच्च शैक्षिक सुविधाओं की सुलभता को बढ़ाना, विशेष लक्षित समूहों जैसे महिलाओं, पिछड़े इलाकों, पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों आदि के लिए उच्च शिक्षा के निमित्त सतत कार्यक्रम का आयोजन और विशेष कार्यक्रमों की शुरूआत करना आदि शामिल है। इग्नू विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा की एक नवाचारी प्रणाली की पेशकश करता है जो कि अधिगम की पद्धतियों और गति, पाठ्यक्रमों के मिश्रण तथा नामांकन की पात्रता, प्रवेश की आयु और मूल्यांकन की पद्धतियों की दृष्टि से नमनशील और मुक्त होती है। इस विश्वविद्यालय ने एक एकीकृत बहुमीडिया अनुदेशन कार्यनीति अपनाई हैं जोकि मुद्रित सामग्री, श्रव्य दृश्यकार्यक्रमों से युक्त तथा सारे देश में अध्ययन केन्द्रों में परामशी सत्रं द्वारा समर्थित तथा टेलीकान्फ्रेन्सिंग से युक्त है। विश्वविद्यालय द्वारा पालन की जा रही मूल्यांकन प्रणाली में सतत मूल्यांकन और अवधि की समाप्ति पर परीक्षाएं - दोनों शामिल हैं।

वर्ष 2000 के दौरान विभिन्न क्षेत्रं में 604 पाठ्यक्रमों से युक्त 56 कार्यक्रमों की पेशकश की गई। 1999 के दौरान पंजीकृत छात्रों की कुल संख्या 1,72,548 थी जो कि

जनवरी 2000 में बढ़कर 2,31,179 तक पहुंच गई। इग्नू में छात्रों का संचयी नामांकन लगभग 6,00,000 है। नौवीं योजना के अंत तक आशा है कि देश में उच्चतर शिक्षा प्रणाली में कुल नामांकन में से 20 प्रतिशत इग्नू तथा राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों सहित मुक्त विश्वविद्यालय प्रणाली में होगा।

सम्प्रति, इग्नू के छात्र समर्थन प्रणाली नेटवर्क में 34 क्षेत्रीय केन्द्र (5 सेना और 7 वायु सेना केन्द्रों सहित) और 557 अध्ययन केन्द्र शामिल हैं।

26 जनवरी 2000 को इग्नू ने भारत के शैक्षिक टीवी चेनल के रूप में ज्ञान–दर्शन का प्रसारण शुरू किया जो कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, इग्नू, यूजीसी, एनसीईआरटी, एनओएस का एक संयुक्त सहयोगात्मक प्रयास है। दूरदर्शन नेटवर्क पर इग्नू कार्यक्रम का प्रसारण जारी है और अब उसे बढ़ाकर प्रतिदिन चौबीसों घण्टे कर दिया गया है। विस्तारित सी–बैण्ड पर इन्सैट–2ए के माध्यम से इग्नू के कार्यक्रमों का टेलीकान्फ्रेन्सिंग (एक तरफ दृश्य, दो तरफा श्रव्य) चल रहा है।

इग्नू दुबई, आबू धाबी, शारजाह, दोहा, मस्कट तथा कुवैत जैसे गिल्ड देशों में अपने सहभागी संस्थानों के माध्यम से 1997 से अपने शैक्षणिक कार्यक्रम चला रहा है। इग्नू के कार्यक्रमों का विस्तार मारीशस, मालदीव और सेशल्स में हो चुका है। सार्क छात्रवृत्तियों की एक योजना के अधीन विदेश मंत्रालय, इग्नू के माध्यम से नेपाल, श्रीलंका तथा मालदीव के छात्रों को 100 छात्रवृत्तियां प्रदान करता है। इग्नू ने वियतनाम में अपने कार्यक्रम प्रस्तुत करने के उद्देश्य से हनोई मुक्त विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

दूरस्थ शिक्षा परिषद ने, जोकि इग्नू अधिनियम के अधीन एक प्राधिकरण है, मुक्त और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के विकास की जिम्मेदारी ले ली है। यह परिषद मुक्त विश्वविद्यालयों को तथा परम्परागत विश्वविद्यालयों द्वारा चलाए जा रहे पत्राचार कार्यक्रमों के लिए भी आर्थिक सहायता जुटाती है। सम्प्रति, नौ राज्य मुक्त विश्वविद्यालय तथा देश के परम्परागत विश्वविद्यालयों में 52 पत्राचार पाठ्यक्रम संस्थान/दूरस्थ शिक्षा निदेशालय मौजूद हैं।

बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ

बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना संसद के एक अधिनियम द्वारा 1994 में की गई थी। विश्वविद्यालय का लक्ष्य अध्ययन के नए और सीमान्त क्षेत्रों में अनुदेशात्मक एवं अनुसंधान सुविधाएं प्रदान करना तथा शैक्षिक कार्यक्रम आरम्भ करना हैं। विश्वविद्यालय ने पांच स्कूल स्थापित किए हैं, जिनमें ये शामिल हैः सूचना विज्ञान और प्रौद्योगिकी स्कूल, पर्यावरणात्मक विज्ञान स्कूल, जैव–विज्ञान और जैव–प्रौद्योगिकी स्कूल, अम्बेडकर अध्ययन स्कूल तथा विधि अध्ययन स्कूल। सम्प्रति, इन स्कूलों के अधीन आठ विभाग काम कर रहे हैं। विश्वविद्यालय में 152 छात्र दाखिल है जिनमें से 71 अनूसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के हैं। मुख्य परिसर अर्थात विद्या विहार परिसर लखनऊ के निकट 250 एकड़ भूमि में विकसित किया जा रहा है।

पूर्वोत्तर-पर्वतीय विश्वविद्यालय

पूर्वोत्तर–पर्वतीय विश्वविद्यालय की स्थापना 19 जुलाई 1973 को एक संसद के अधिनियम के अधीन की गई थी। विश्वविद्यालय का मुख्यालय शिलांग में है और इसका एक परिसर एजवाल में तथा एक टूरा में है। विश्वविद्यालय के मुख्य उद्देश्य अधिगम की विभिन्न शाखाओं में अनुदेशात्मक और अनुसंधान सुविधाएं मुहैया कराना और उत्तर पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र के लोगों की समाजार्थिक स्थिति में सुधार लाना है।

विश्वविद्यालय में 28 विभाग, चार केन्द्र तथा एक संस्थान हैं। विभाग मास्टर डिग्री और पीएच.डी कार्यक्रम की और केन्द्र डिप्लोमा तथा प्रमाण–पत्र कार्यक्रमों की पेशकश करते हैं। सम्प्रति, विश्वविद्यालय में मास्टर डिग्री के लिए 1716, एमफिल के लिए 79 तथा पीएच.डी के लिए 272 छात्र दाखिल हैं। विश्वविद्यालय के अधीन एक संघटक और 72 सम्बद्ध कालेज भी हैं। सम्प्रति, इनमें 27,000 छात्र दाखिल हैं। कुछ कालेज विश्वविद्यालय–समर्थित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में डिप्लोमा/प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम भी चलाते हैं।

विश्वविद्यालय के संकाय में पूर्णकालिक आधार पर 61 प्रोफेसर 65 रीडर और 70 लेक्चरर शामिल हैं।

सम्प्रति, विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर शिलांग के तीन अलग–अलग स्थानों पर स्थित है। स्थायी परिसर विकसित करने के निमित्त लगभग 1225 एकड़ भूमि का आबंटन होने के बाद विश्वविद्यालय अपने अधिकांश विभागों और सम्बन्धित संस्थानों को स्थायी परिसर में लाने के लिए प्रयासरत है। विश्वविद्यालय के मुख्य परिसर में आधारिक तंत्र के विकास के लिए उत्तर–पूर्व की अक्षय निधि में से विश्वविद्यालय को 6.00 करोड़ रुपए का विशेष अनुदान प्रदान किया गया है।

तेजपुर विश्वविद्यालय

असम के शोणितपुर जिले में तेजपुर में स्थित नापाम में कार्यरत तेजपुर विश्वविद्यालय नामक शिक्षण और आवासीय विश्वविद्यालय जनवरी 1994 में स्थापित किया गया था। विश्वविद्यालय के उद्देश्य इस प्रकार हैं: विभिन्न विषय–क्षेत्रों में अनुदेशात्मक और अनुसंधान सुविधाएं सुलभ कराके ज्ञान का प्रसार करना और उसे बढ़ावा देना; असम राज्य के विकास के लिए जनशक्ति को शिक्षित और प्रशिक्षित करना और इस राज्य के लोगों की समाजार्थिक स्थिति में सुधार लाना तथा उनके कल्याण की ओर विशेष ध्यान देना।

आलोच्य वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक तथा आधारिक सुविधाओं – दोनों ही दिशाओं में क्रमिक उन्नति की है। सम्प्रति, विश्वविद्यालय अपने ग्यारह अध्यापन विभागों और कम्प्यूटर केन्द्र के माध्यम से मास्टर डिग्री पाठ्यक्रमों और रोज़गारोन्मुखी अल्पकालीन पाठ्यक्रमों की पेशकश कर रहा है। आलोच्य वर्ष के दौरान ऊर्जा, पर्यावरण तथा प्राकृतिक संसाधन स्कूल के अधीन ऊर्जा प्रौद्योगिकी में एमएम.टेक कार्यक्रम शुरू किया गया है।

विश्वविद्यालय के शिक्षण विभागों ने देश के विभिन्न क्षेत्रों के छात्रों को आकृष्ट किया है और मास्टर डिग्री पाठ्यक्रम में कुल मिलाकर 386 तथा पीएच.डी. में 77 छात्र दाखिल हैं। दूसरा दीक्षान्त समारोह 25 सितम्बर 2000 को आयोजित किया गया और कुल 329 छात्रों को पीएच.डी. की पांच डिग्रियों सहित डिग्रियां और डिप्लोमा प्रदान किए गए।

मिजोरम राज्य में एक शिक्षण और सम्बन्ध विश्वविद्यालय स्थापित और शामिल करने के प्रयोजन से मिजोरम विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 अधिनियमित किया गया है।

विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों की संख्या 71 और इन सदस्यों ने शोध लेखों के प्रकाशन तथा विदेशों में अध्ययन के बाद डाक्टरल और डाक्टरलोत्तर–अध्येतावृत्तयां प्राप्त करके ख्याति अर्जित की है।

विश्वविद्यालय, डीएसटी, आईएसआरओ, ओएनजीसी, एआईसीटीई, यूजीसी तथा अन्य सरकारी और गैर–सरकारी एजेंसियों के प्रयोजन के अधीन विभिन्न क्षेत्रों में अनुसन्धान कार्य को बढ़ावा दे रहा है।

नौवीं योजना के अधीन विश्वविद्यालय को 18.00 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है। यूजीसी ने भी पुस्तकालयी पुस्तकों, कार्यालय स्वचलीकरण और प्रयोगशाला उपस्कर के लिए एकबारगी सहायता के रूप में 80 लाख रुपए की राशि प्रदान की है। उपर्युक्त के अलावा, इस विश्वविद्यालय में आधारिक सुविधाओं में सुधार के लिए पूर्वी क्षेत्र की अक्षय निधि में से 10 करोड़ रुपए का विशेष अनुदान भी दिया गया है।

असम विश्वविद्यालय

असम विश्वविद्यालय की स्थापना 21 जनवरी 1994 को हुई थी। यह एक शिक्षण एवं सम्बन्ध विश्वविद्यालय है जिसका कार्यक्षेत्र कछार, करीमगंज, हैलकण्डी, करबी अंगलोंग तथा असम के उत्तरी कछार पर्वतीय जिलों तक फैला हुआ है।

विश्वविद्यालय में आठ अध्ययन स्कूलों के अधीन 24 शिक्षण विभाग हैं। इसके अलावा, विश्वविद्यालय में अध्ययन के तीन केन्द्र भी हैं। सम्प्रति, विश्वविद्यालय में विभिन्न पाठ्यक्रमों में 1084 छात्र दाखिल है। संकाय के सदस्यों की कुल संख्या 118 है। उपर्युक्त के अलावा, विश्वविद्यालय के साथ 52 कालेज सम्बद्ध हैं।

नौवीं योजना के अधीन विश्वविद्यालय को 16.00 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है। विश्वविद्यालय में आधारिक सुविधाओं के विकास के लिए उत्तर–पूर्वी क्षेत्र

की अक्षय निधि में से 10.00 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जा चुकी है। विश्वविद्यालय के दीफू परिसर की स्थापना के लिए अक्षय पूल में से 3.00 करोड़ रुपए का एक अलग अनुदान मंजूर किया गया है। दीफू परिसर के लिए भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू की जा चुकी है।

नागालैण्ड विश्वविद्यालय

नागालैण्ड विश्वविद्यालय की स्थापना 6 सितम्बर 1994 को हुई। लूमामी में स्थित इसके मुख्यालय के अलावा कोहिमा और मेदजीफेमा में इसके दो अन्य परिसर हैं। विश्वविद्यालय का मुख्यालय अभी तक निर्धारित स्थान पर नहीं लाया जा सका है और विश्वविद्यालय का प्रशासनिक कार्यालय सम्प्रति, नागालैण्ड द्वारा आबंटित पुराने सचिवालय भवन से काम कर रहा है।

विश्वविद्यालय के विभिन्न परिसरों में स्थित चार अध्ययन स्कूलों के अधीन 25 शिक्षण विभाग मौजूद हैं। विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के अलावा 40 सम्बद्ध कालेजों में स्नातक–पूर्व पाठ्यक्रम चला रहा है। विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिल छात्रों की संख्या 517 है तथा सम्बद्ध कालेजों में दाखिल छात्रों की संख्या 21,094 है। विश्वविद्यालय में संकाय सदस्यों की संख्या 122 है तथा गैर–शिक्षण स्टाफ की संख्या 243 है।

आलोच्य अवधि के दौरान यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालय को 10.06 करोड़ रुपए का योजना अनुदान दिया गया है।

मिजोरम विश्वविद्यालय

मिजोरम राज्य में एक शिक्षण और सम्बन्धन विश्वविद्यालय स्थापित और शामिल करने के प्रयोजन से मिजोरम विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 अधिनियमित किया गया है। विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद मिजोरम राज्य में स्थित उत्तर पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय के स्कूल और विभाग मिजोरम विश्वविद्यालय को अन्तरित हो जाएंगे।

विश्वविद्यालय के प्रथम उपकुलपति की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और पहले उपकुलपति के नियुक्त हो जाने के तत्काल बाद विश्वविद्यालय स्थापित हो जाएगा।

यूजीसी के मार्गदर्शी सिद्धान्त निम्न प्रावधानों के लिए संशोधित कर दिए गए हैं:

- सम–विश्वविद्यालयों द्वारा भारत में तथा किसी अन्य देश में केन्द्र खोलना;
- उभरते क्षेत्रों में नए संस्थानों को इस शर्त पर सम–विश्वविद्यालय का अनन्तिम दर्जा प्रदान करना कि पांच वर्षों के बाद उसकी पुष्टि की जाएगी।

विश्वविद्यालय के आइजोल परिसर के आधारिक तंत्र के विकास के निमित्त उत्तर–पूर्व के अक्षय पूल में से उत्तर पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय के लिए 1.74 करोड़ रुपए का एक विशेष अनुदान प्रदान किया गया है।

सम-विश्वविद्यालय

यूजीसी अधिनियम की धारा 3 में उच्चतर शिक्षा के किसी संस्थान को सम–विश्वविद्यालय घोषित किए जाने का प्रावधान है। सम्प्रति, 47 सम–विश्वविद्यालय हैं जिनके अन्तर्गत शिक्षा के बहुविध क्षेत्र आते है जैसेकि चिकित्सा शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, मत्स्य पालन शिक्षा, भाषाएं, सामाजिक विज्ञान, जनसंख्या विज्ञान, डेरी अनुसंधान, वन अनुसंधान, ऊर्जा अनुसंधान, कृषिक अनुसंधान, युद्ध सामग्री प्रौद्योगिकी तथा योग आदि। आलोच्य वर्ष के दौरान चार संस्थानों को सम–विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया है जो कि इस प्रकार है: बिहार योग भारती, मुंगेर; धर्मसिंह देसाई प्रौद्योगिकी संस्थान, नादियाड; भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद; तथा भातखण्डे संगीत संस्थान, लखनऊ।

भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद

ऐतिहासिक शोध तथा इतिहास के वस्तुनिष्ठ एवं वैज्ञानिक अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए निधियां प्रदान करने के उद्देश्य से भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद की स्थापना एक स्वायत्त निकाय के रूप में 1972 में की गई। परिषद कलाओं, साहित्य और दर्शनशास्त्र तथा पुरातत्त्व विज्ञान, मुद्राशास्त्र, पुरालेख शास्त्र और पांडुलिपि पठन जैसे सम्बद्ध विषयों के इतिहास में ऐतिहासिक अनुसंधान को बढ़ावा देती है। यह परिषद अध्येतावृत्तियां,

अध्ययन एवं यात्रा अनुदान तथा प्रकाशन सहायता प्रदान करती है। यह एक महत्त्वाकांक्षी प्रकाशन कार्यक्रम के माध्यम से ऐतिहासिक शोध के परिणामों के साथ–साथ स्रोत सामग्री उपलब्ध करवाने के प्रयत्न भी करती है। यह 'इंडियन हिस्टोरिकल रिव्यू' नामक एक पत्रिका भी प्रकाशित करती है, जिसमें व्याख्यात्मक लेख तथा समीक्षाएं शामिल रहती हैं। यह संगोष्ठियां तथा शैक्षणिक सम्मेलन आयोजित करती है तथा ऐतिहासिक शोध करने के लिए देश में तथा देश के बाहर यात्रा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस परिषद में इतिहासकारों तथा शोधकर्ताओं के प्रयोग के लिए एक विशाल और सतत रूप से उन्नतिशील पुस्तकालय भी है तथा प्रलेखन सेवाएं भी प्रदान की जाती है।

भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कार्य शोध तथा प्रकाशनों के लिए छात्रों/संस्थानों को सहायता प्रदान करना है। विशेष ऐतिहासिक महत्त्व की परियोजनाओं पर कार्य करने के इच्छुक विख्यात इतिहासवेत्ताओं को राष्ट्रीय अध्येतावृत्तियां प्रदान की जाती हैं।

भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान

1965 में स्थापित किए गए भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान (आईआईएएस) का उद्देश्य जीवन और चिन्तन के आधारभूत क्षेत्रों में मुक्त और मौलिक जांच करना है। अनुसंधान के लिए यह एक आवासीय केन्द्र है और मानविकी, भारतीय संस्कृति, तुलनात्मक धर्म, सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों में तथा ऐसे अन्य क्षेत्रों में जिनकी बाबत संस्थान द्वारा समय–समय पर निर्णय लिया जाए, मौलिक चिन्तन को प्रोत्साहित करता है। संस्थान पुस्तकालय तथा प्रलेखन की व्यापक सुविधाओं के अतिरिक्त उच्च परामर्श तथा सहयोग की सुविधाएं भी प्रदान करता है।

भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला प्रतिवर्ष उच्च शोध कार्य के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान करता हैं। संस्थान राष्ट्रीय महत्त्व के विषयों पर प्रतिवर्ष तीन सम्मेलन आयोजित करता है जब उत्कृष्ट विद्वानों को संस्थान के शैक्षणिक समुदाय के सदस्यों से मिलने के लिए आमंत्रित किया जाता है, ताकि सैद्धांतिक विषयों तथा समकालीन समस्याओं की जांच की जा सके। भारत तथा विदेशों से विजिटिंग प्रोफेसरों को समय–समय पर संस्थान में भाषण देने के लिए बुलाया जाता है। संस्थान ने अभी तक 290 से अधिक प्रकाशन निकाले हैं।

> भारतीय विश्वविद्यालय संघ प्रशासकों तथा शिक्षा शास्त्रियों को विचारों का आदान-प्रदान करने तथा समान चिन्ता के मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए मंच भी प्रदान करता है। यह उच्च शिक्षा के सूचना ब्यूरो के रूप में काम करता है तथा कई उपयोगी प्रकाशन, शोध पत्र तथा एक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित करता है।

भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद

भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद (आईसीपीआर) की स्थापना भारत सरकार द्वारा दर्शनशास्त्र तथा सम्बद्ध विषय क्षेत्रों में शोध को बढ़ावा देने के लिए की गई। अपने लक्ष्यों तथा उद्देश्यों की पूर्ति के लिए परिषद अध्येतावृत्तियां प्रदान करती है, संगोष्ठियां, सम्मेलन, कार्यशालाएं तथा पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित करती है और उन्हें वित्तीय सहयोग प्रदान करती है। विदेशों में आयोजित सम्मेलनों/ संगोष्ठियों में अपने लेख प्रस्तुत करने के लिए विद्वानों को यात्रा अनुदान प्रदान करती है, अनुसंधान परियोजनाएं प्रायोजित करती है तथा प्रकाशन व एक त्रैवार्षिक पत्रिका 'भारतीय दार्शनिक अनुसंधान पत्रिका' भी प्रकाशित करती है। परिषद ने आलोच्य वर्ष के दौरान विभिन्न श्रेणियों के अधीन 39 अध्येतावृत्तियां प्रदान कीं। परिषद ने दर्शन शास्त्र तथा सम्बद्ध विषय–क्षेत्रों से सम्बन्धित विभिन्न विषयों पर 21 संगोष्ठियां/सम्मेलन आयोजित करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की।

भारतीय विज्ञान, दर्शन शास्त्र और संस्कृति के इतिहास सम्बन्धी परियोजना

भारतीय विज्ञान, दर्शन शास्त्र और संस्कृति के इतिहास की परियोजना भारत सरकार के अनुमोदन से भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद के तत्त्वावधान में 1990–91 में शुरू की गई थी। 1996–97 तक यह परियोजना आईसीपीआर के माध्यम से जुड़ी रही थी और परियोजना

के निमित्त अनुदान आईसीपीआर के माध्यम से प्रदान किए जाते थे। 1996–97 के दौरान भारत सरकार ने 1 अप्रैल, 1997 से इस परियोजना को आईसीपीआर से अलग करने का निर्णय लिया ताकि इसके कार्यान्वयन के लिए अधिक स्वायत्तता प्रदान की जा सके। स्थायी वित्त समिति(एसएफसी) द्वारा 16 दिसम्बर 1997 की बैठक में विचार किए जाने के बाद परियोजना को वित्तीय सहायता देते रहने का निर्णय लिया गया।

परियोजना का मूल लक्ष्य यह है कि अतीत में भारतीय सभ्यता के वैज्ञानिक, दार्शनिक और सांस्कृतिक विकास और जिस रूप में वह हमारे अपने समय में आधुनिकता के साथ अन्योन्यक्रिया करता है, उसमें उसका व्यापक और अन्तरविषयक अध्ययन किया जाए। परियोजना का प्रयास यह है कि अनादि काल में भारतीय सभ्यता के जन्म से लेकर 20वीं शताब्दी तक के उसके चिन्तनपूर्ण और भौतिक अतीत को प्रलेखबद्ध किया जाए और उसकी समीक्षा की जाए। जो अध्ययन किए जा रहे हैं, उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे भारतीय समाज को आज पेश आ रही चुनौतियों के सम्बन्ध में मूल्यवान जानकारी प्रदान करेंगे। भारत के भविष्य को सूझबूझ से आकार देने के निमित्त भारत के अतीत में अन्तरविषयक क्षेत्रीय जांच 50 खण्डों की इस परियोजना की आधारभूत कार्यसूची है। अभी तक 4 मुख्य खण्ड और 12 आनुषंगी खण्ड प्रकाशित किए जा चुके हैं।

भारतीय विश्वविद्यालय संघ

भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एआईयू), भारतीय विश्वविद्यालयों का एक स्वैच्छिक संगठन है तथा सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम के अर्न्तगत पंजीकृत है। यह विश्वविद्यालय प्रशासकों तथा शिक्षाशास्त्रियों को विचारों का आदान–प्रदान करने तथा समान चिन्ता के मामलों पर विचार–विमर्श करने के लिए मंच भी प्रदान करता है। यह उच्च शिक्षा के सूचना ब्यूरो के रूप में कार्य करता है तथा कई उपयोगी प्रकाशन, शोध–पत्र तथा 'यूनिवर्सिटी न्यूज' नामक एक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित करता है। आलोच्य वर्ष में संघ के सदस्यों की संख्या बढ़कर 250 तक पहुंच गई।

संघ को अपने सदस्य विश्वविद्यालयों के वार्षिक चंदे से पर्याप्त वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। एक अनुसंधान सेल सहित अनुरक्षण और विकास व्यय के एक हिस्से की पूर्ति के लिए भारत सरकार अनुदान मंजूर करती है। यह सेल अनुसंधान अध्ययन, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, प्रश्न बैंकों, टूर्नामेन्ट तथा डाटाबेस तथा खेलकूद प्रतियोगिताएं आदि सहित विभिन्न कार्यकलापों का आयोजन करता है।

भारतीय विश्वविद्यालय संघ के मूल्यांकन प्रभाग ने भारत में संस्थाओं को मान्यता तथा विदेशी डिग्रियों की तुल्यता प्रदान करने से संबंधित कार्य जारी रखा। आलोच्य वर्ष में विदेशी/एनआरआई छात्रों को कुल मिलाकर 370 समकक्षता प्रमाण–पत्र जारी किए गए। छात्र सूचना सेवा विभाग छात्रों, शिक्षा–शास्त्रियों, अभिभावकों आदि को भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थिति के विषय में तथा भारतीय विश्वविद्यालयों और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/सरकारी एजेंसियों द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य संस्थानों द्वारा नियमित/पत्राचार पद्धति से संचालित पाठ्यक्रमों के विषय में सूचना प्रदान करता रहा है।

राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद

राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद (एनसीआरआई) को एक पंजीकृत स्वायत्त सोसायटी के रूप में हैदराबाद में 19 अक्तूबर, 1995 को स्थापित किया गया, जो केंद्रीय सरकार द्वारा पूर्णतया वित्तपोषित है। इसके मुख्य उद्देश्य तथा लक्ष्य इस प्रकार हैं:

- शिक्षा पर महात्मा गांधी के क्रान्तिकारी विचारों की रूपरेखा पर ग्रामीण उच्च शिक्षा को प्रोन्नत करना ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में बदलाव के लिए सूक्ष्म आयोजना की चुनौतियों को स्वीकार किया जा सके;
- गांधीवादी बेसिक शिक्षा तथा नई तालीम के कार्यक्रमों में लगे हुए नेटवर्क तथा विकास संस्थानों को समेकित करना; तथा
- अन्य शैक्षिक संस्थाओं तथा स्वैच्छिक एजेंसियों को शिक्षा में गांधीवादी विचारों के अनुसार विकसित करने में प्रोत्साहित करना।

वर्ष 2000–2001 के दौरान एनसीआरआई ने इन संस्थानों में परियोजनाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की: (i) गांधी शान्ति प्रतिष्ठान, (ii) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायविक विज्ञान संस्थान, (iii) दीनदयाल अनुसंधान संस्थान, (iv) हिन्द स्वराज मण्डल, (v) एमवी प्रतिष्ठान,

(vi) हिमालय के एकीकृत विकास की सोसायटी, (vii) गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान, (viii) पारम्परिक कारीगर; तथा (ix) भारतीय शिक्षा संस्थान। तीन कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए भी आर्थिक सहायता प्रदान की गई है।

भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान परिषद, नई दिल्ली

भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसन्धान परिषद (आईसीएसएसआर) की स्थाना 1969 में इस उद्देश्य से की गई थी कि भारत में सामाजिक विज्ञान में उपयोगी अनुसन्धान का अनुसमर्थन और और प्रायोजन किया जाए। परिषद् सारे देश में फैले हुए 27 अनुसन्धान संस्थानों को अनुरक्षण और विकासात्मक अनुदान प्रदान करती है। साथ ही, परिषद ने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से प्रतिभा का पता लगाने और उसके विकास के निमित्त छः क्षेत्रीय केन्द्र भी स्थापित किए हैं। 2000–2001 के दौरान 100 नई अनुसंधान परियोजनाओं को मंजूरी दिए जाने का प्रस्ताव है और पहले स्वीकृत की गई 90 परियोजनाओं की रिपोर्टें प्राप्त हो जाएंगी। परिषद के मुख्य क्रियाकलाप निम्न पैराग्राफों में दिए गए हैं:

परिषद् के प्रमुख क्रियाकलापों के एक अंग के रूप में डाटा अभिलेखागार इन कामों में लगा हुआ है: मशीन पर पठनीय रूप में उपलब्ध अनुसंधान प्रासंगिक गुणवत्तात्मक आंकड़ों का भण्डार विकसित करना, शोध छात्रों को डाटा प्रोसेसिंग में मार्गदर्शन और परामर्शी सेवाएं प्रदान करना, सामाजिक विज्ञानों में अनुसंधान प्रविधियों और कम्प्यूटर अनुप्रयोगों में प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों का वित्तपोषण करना, भारत में सामाजिक वैज्ञानिकों का रजिस्टर संकलित करना और रखना तथा संगोष्ठियां/सम्मेलन कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए अनुदान देना। डाटा अभिलेखागार का वर्ष 2000–2001 में पांच डाटा सेट प्राप्त करने का विचार है। आशा है कि 2000–2001 के दौरान 60 शोध छात्र दिल्ली में डाटा अभिलेखागार सहित देश में फैले हुए 12 मार्गदर्शन केन्द्रों का लाभ उठाएंगे। वर्ष 2001–2002 के दौरान इस सुविधा का लाभ उठाने वाले शोध छात्रों की संख्या बढ़कर 75 हो जाने की संभावना है।

राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान प्रलेखान केन्द (एनएएसएसडीओसी) सम्प्रति सामाजिक विज्ञानों में राष्ट्रीय सूचना नेटवर्क तैयार करने में लगा हुआ है। केन्द्र अपनी सेवाओं को तेजी से कम्प्यूट्रीकृत कर रहा है। एनएएसएसडीओसी ने प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय सूचना नेटवर्कों के साथ सम्बन्ध स्थापित कर लिया है। एपीआईएनईएसएस के लिए यह एक सम्पर्क बिन्दु होने के साथ–साथ सम्प्रति इसका अध्यक्ष भी है। यह आईएफएलए, एफआईडी तथा आईसीएसएसडी का सक्रिय सदस्य भी है। एनएएसएसडीओसी सम्प्रति आईसीएसएसडी, पेरिस का वर्तमान अध्यक्ष भी है। 2001–2002 के दौरान एनएएसएसडीओसी के प्रस्तावित कार्य इस प्रकार हैं: 1200 पुस्तकें प्राप्त करना, 10 प्रलेखन और गंथ सूची परक परियोजनाओं को आर्थिक सहयोग प्रदान करना, अन्तःपुस्तकालय संसाधन केन्द्र को कम्प्यूट्रीकृत करना, सामाजिक विज्ञान सूचना पर फरवरी 2001 में एक राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित करना।

भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा महासागर विकास मंत्री, डा. मुरली मनोहर जोशी द्वारा 12 मई 2000 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी इन्फारमेशन गेटवे आफ सोशल साइंसेज का उद्घाटन किया गया। यह संस्थान सामाजिक विज्ञानों में उच्च स्तरीय संगत सूचना स्रोतों, डाटा, वेब पृष्ठों, मल्टीमीडिया फाइलों तथा अन्य संगत जानकारी की त्वरित और सहज सुलभता मुहैया कराएगा।

वर्ष 2000–2001 के दौरान आईसीएसएसआर 75 संगोष्ठियों/सम्मेलनों का प्रायोजन करेगी। बढ़ती हुई मांग के कारण आशा है कि वर्ष 2001–2002 के दौरान लगभग 80 संगोष्ठियां/सम्मेलन आयोजित करने के लिए आईसीएसएसआर निधियां उपलब्ध कराएगी।

परिषद 1970 से सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषय क्षेत्रों में अनुसंधान में 5 से 10 वर्षों तक की विशिष्ट अवधियों को शामिल करने वाले सर्वेक्षण करती रही है। इन सर्वेक्षणों में केवल यही नहीं कि पूर्ववर्ती वर्षों में किए गए सर्वेक्षणों से सम्बन्धित अनुसन्धानपरक सूचना संक्षिप्त रूप में उपलब्ध हो जाती है बल्कि उनसे अनुसंधान में मौजूद अन्तरों का पता चल जाता है और भावी अनुसंधान के विषय अनुशंसित हो जाते हैं। परिषद इन सर्वेक्षणों को नियमित रूप से अद्यतन बनाती रही है। कार्यक्रम की उपयोगिता को ध्यान में

रखते हुए परिषद ने 2001 से शुरू में इन विषय–क्षेत्रों में छमाही सर्वेक्षण प्रकाशित करने का निर्णय लिया है: अर्थ शास्त्र, भूगोल शास्त्र, राजनीति शास्त्र (लोक प्रशासन और अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों सहित), मनोविज्ञान तथा समाज विज्ञान और सामाजिक नृ–विज्ञान। परिषद अपनी 'जर्नल आफ सोशल साइंस रिव्यू' नामक छमाही पत्रिका तथा इन विषय–क्षेत्रों में सारों और समीक्षाओं की पांच छमाही पत्रिकाएं नियमित रूप से निकालती है: अर्थ शास्त्र, भूगोल शास्त्र, राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान तथा समाज विज्ञान और सामाजिक नृ–विज्ञान। उपर्युक्त के अलावा, सहयोगात्मक आधार पर दो पत्रिकाएं भी प्रकाशित की जाती हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग कार्यक्रमों का उद्देश्य भारत तथा विश्व के अन्य देशों के समाज वैज्ञानिकों के बीच शैक्षणिक सम्बन्धों को बढ़ावा देना है। पिछले कई दशकों से इन कार्यक्रमों के अधीन किए जा रहे क्रियाकलाप इस प्रकार हैं: सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम (सीईपी), जो देश (सीईपी) में शामिल नहीं हैं, उनके साथ व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापित करना, अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में सहभागिता के लिए आर्थिक सहायता तथा विदेशों में डाटा संग्रह और यूनेस्को, आईएसएससी, एएएसएसआरईसी आदि जैसे अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के क्रियाकलापों में भाग लेना। जिन बड़े देशों के साथ आईसीएसएसआर के सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम मौजूद हैं, वे इस प्रकार हैं: रूस, फ्रांस, चीन, मिस्र, टर्की, मेक्सिको और इस प्रकार प्रायः सारे महाद्वीप शामिल हो जाते हैं। आईसीएसएसआर ने इन निकायों के साथ द्विपक्षीय कार्यक्रमों की शुरूआत की है: पेनीसिल्वेनिया विश्वविद्यालय इजरायल विज्ञान और मानविकी अकादमी, जेरूसलम; कोरियाई विकास संस्थान; सियोल; विश्व आर्थिक अनुसन्धान संस्थान, हेलसिन्की; तथा राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान और मानविकी परिषद; हनोई।

अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

विदेशी छात्रों ने भारत में अनुसंधान संभावनाओं में अधिकाधिक रूप से गहरी रुचि व्यक्त की है। अमरीकन इंस्टिट्यूट आफ इण्डियन स्टडीज, यूनाइटेड स्टेट्स एजूकेशनल फाउण्डेशन इन इण्डिया तथा शास्त्री इण्डो–कनाडियन इंस्टिट्यूट द्वारा प्रायोजित अनुसन्धान परियोजनाओं के अलावा बहुत से अध्येता व्यक्तिगत रूप से दिए गए प्रार्थना–पत्रों के आधार पर भारत में आए। 2000–2001 के दौरान अभी तक 550 अनुसन्धान परियोजनाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 384 परियोजनाएं पहले ही अनुमोदित की जा चुकी हैं। सरकार ने भारतीय विश्वविद्यालयों और विदेशों में स्थित विश्वविद्यालयों के बीच अनेक द्विपक्षीय करारों को मंजूरी प्रदान कर दी है। संगोष्ठियों, विचार–गोष्ठियों और अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों से सम्बन्धित इकतीस प्रस्तावों और भारतीय विश्वविद्यालयों में अतिथि प्राध्यापकों के रूप में विदेशी विद्वानों के सत्रह प्रस्तावों को भी मंजूरी प्रदान कर दी गई है।

यूनाइटेड स्टेट्स एजूकेशनल फाउण्डेशन इन इण्डिया

यूनाइटेड स्टेट्स एजूकेशनल फाउण्डेशन इन इण्डिया (यूएसईएफआई), भारत सरकार और संयुक्त राज्य अमरीका की सरकारों के बीच एक द्विपक्षीय करार के अधीन 1950 में स्थापित किया गया था, जिसे 1963 में नवीकृत किया गया। इस संस्थान का उद्देश्य दोनों देशों के बीच पारस्परिक सद्भावना को बढ़ावा देना था। फुलब्राइट शैक्षिक विनिमय कार्यक्रम शैक्षिक माध्यमों से ज्ञान और व्यावसायिक प्रतिभाओं के आदान–प्रदान के अवसर प्रदान करता है।

2000–2001 के दौरान 3 से 12 महीने तक की अवधि के लिए फुलब्राइट अनुदान प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में 22 अतिथि लेक्चररों, 12 शोधकर्ताओं और 36 छात्रों/व्यावसायिकों के मामलों को मंजूरी दी गई।

यूएसईएफआई, ईडब्ल्यूसी संस्थानों में कार्यशालाओं और संगोष्ठियों के माध्यम से पूर्व–पश्चिम केंद्र अनुदान भी प्रदान करता है। यह फाउण्डेशन इन प्रयोजनों के लिए भी अनुदान प्रदान करता है: शोधकर्ताओं, स्कूल और कालेज शिक्षकों के लिए अल्पावधि के सामूहिक कार्यक्रम,

अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग कार्यक्रम का उद्देश्य भारत तथा विश्व के अन्य देशों के समाज वैज्ञानिकों के बीच शैक्षणिक सम्बन्धों को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम के अधीन पिछले कई दशकों में पहले से किए जा रहे क्रियाकलाप सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम हैं।

ऐसी कार्यशालाएं और संगोष्ठियां, जिसमें अतिथि अमरीकी प्राफेसर और विख्यात भारतीय संकाय को सहयोजित किया जाता है। यह फाउण्डेशन संयुक्त राज्य अमरीका में उच्च अध्ययन प्राप्त करने के इच्छुक बहुत से भारतीय छात्रों को शैक्षिक सलाहकारी सेवाएं प्रदान करता है।

अमरीकी भारतीय अध्ययन संस्थान

अमरीकी भारतीय अध्ययन संस्थान (एआईएस), जो कि लगभग 60 प्रमुख विश्वविद्यालयों का संघ है, भारत सरकार की अनुमति से 1961 में तैयार किया गया था और इसका उद्देश्य अमरीका में भारतीय सभ्यता और संस्कृति के अध्ययन को बढ़ावा देना है। संस्थान, भारत में भाषाओं में अनुसन्धान और प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए अमरीकी विश्वविद्यालयों के शोध छात्रों और छात्रों को अनुसन्धान और भाषा अध्येतावृत्तियां प्रदान करता है। संस्थान दो अनुसन्धान केन्द्रों अर्थात कला और पुरातत्त्व विज्ञान तथा अभिलेखागार केन्द्र तथा गुड़गांव में स्थित इथनोम्यूजिकलोजी अनुसंधान केन्द्र का अनुरक्षण भी करता है। वर्ष 2000–2001 के दौरान 1.50 करोड़ रुपए का एकबारगी अनुदान (0.50 करोड़ रुपए भवन के लिए तथा 1.00 करोड़ रुपए अध्येतावृत्ति कार्यक्रम पर आवर्ती खर्च के लिए) का संवितरण करने के प्रयोजन से संस्थान के साथ एक समझौता–ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह अनुदान इसलिए दिया जा रहा है ताकि यह संस्थान यूएस–भारत रुपया निधि करार, जो कि जनवरी 1997 में समाप्त हो गया था, के अधीन दिए जाने वाले सहयोग के समाप्त हो जाने के कारण प्रस्तुत आर्थिक संकट से उबर सके।

2000–2001 के दौरान संस्थान ने 61 अनुसंधान अध्येतावृत्तियां तथा हिन्दी, तमिल, बंगला, मराठी और तेलुगु के लिए 49 भाषा अध्येतावृत्तियां मंजूर की हैं। साथ ही संस्थान ने विभिन्न अमरीकी विश्वविद्यालय कार्यक्रमों के अधीन 141 स्नातक–पूर्व छात्रों के दौरे भी सुकर बनाए।

शास्त्री भारत-कनाडा संस्थान

शास्त्री इंडो–कनाडा संस्थान एक ऐसा द्विराष्ट्रिक शैक्षिक संस्थान है, जो कि मुख्यतः शैक्षिक क्रियाकलापों को सुकर बनाकर भारत और कनाडा के बीच सद्‌भावना को बढ़ावा देता है। यह संस्थान भारत सरकार और संस्थान के बीच एक तीन–वर्षीय समझौता ज्ञापन के माध्यम से 1968 में स्थापित किया गया था, जिसे समय–समय पर नवीकृत किया जाता रहा है। VII परिशिष्ट की अवधि 31.3.99 को समाप्त हो गई। 31.3.99 के बाद करार के नवीकरण की कार्रवाई शुरू की जा चुकी है।

संस्थान का एक कोर कार्यक्रम अर्थात भारतीय अध्ययन कार्यक्रम, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित है और उसके चलते अनेक वृत्ति–छात्र भारत में अनुसन्धान कर सके हैं और कनाडा के विश्वविद्यालयों को भारतीय इम्प्रिंट भेज सके हैं। वर्ष 2000–2001 के लिए यात्रा हेतु भारत सरकार ने 19 अध्येताओं को मंजूरी प्रदान की है।

विदेश कार्य और अन्तराष्ट्रीय व्यापार विभाग कनाडा द्वारा वित्तपोषित कनाडा छात्र कार्यक्रम कनाडा अनुसन्धान और अध्ययन में प्रवृत्त भारतीय अध्येताओं और संस्थानों को अध्येतावृत्तियों की पेशकश करता है। वर्ष 2000–2001 के सम्बन्ध में अध्येतावृत्ति प्रदान किए जाने के लिए अठारह भारतीय अध्येताओं का चयन किया गया।

कनाडा अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी द्वारा वित्तपोषित सीडा–एसआईसीआई परियोजना (सीएसपी) का उद्देश्य यह है कि विकास सम्बन्धी मुददों पर अनुसन्धान परियोजना का वित्तपोषण करके सतत विकास को बढ़ावा दिया जाए। यह योजना 1992 में शुरू की गई थी तथा इसे 1996–2000 के दूसरे चरण के लिए नवीकृत किया गया। दूसरे चरण में लैंगिक भेद और विकास, विकास और पर्यावरण, निजी क्षेत्र विकास और सामाजिक तथा आर्थिक सुधार के चार प्रमुख विशेष–क्षेत्रों में ग्यारह परियोजनाएं शुरू की गई है। चालू वर्ष में भारत से कनाडा के लिए पंद्रह स्नातक–पूर्व तथा स्नातकोत्तर छात्रों के भारत दौरे की और इसी प्रकार कनाडा से भारत के लिए कनाडा के पंद्रह स्नातक–पूर्व तथा स्नातकोत्तर छात्रों के लिए भारत के दौरे की व्यवस्था की गई।

डा जाकिर हुसैन स्मारक कालेज न्यास

डा. जाकिर हुसैन स्मारक कालेज न्यास, दिल्ली की स्थापना वर्ष 1973 में दिल्ली विश्वविद्यालय से सम्बद्ध डा. जाकिर हुसैन स्मारक कालेज (पहले दिल्ली कालेज) के प्रबन्ध और रख–रखाव के उत्तरदायित्व के

अधिग्रहण के लिए की गई थी। कालेज का रख–रखाव व्यय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा न्यास द्वारा 95:5 के अनुपात में बांटा जाता है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कालेज को विकास अनुदान प्रदान करता है। ऐसे विकास व्यय का समतुल्य अंशदान न्यास को जुटाना होता है। चूंकि न्यास के अपने कोई संसाधन नहीं है, अतः उपर्युक्त व्यय को वहन करने के लिए शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा अनुदान प्रदान किए जाते हैं। न्यास के प्रशासनिक व्यय को वहन करने के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

अखिल भारतीय महत्त्व के उच्च अध्ययन संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना

इस योजना के अन्तर्गत उन संस्थानों की सहायता प्रदान की जाती है, जो विश्वविद्यालय पद्धति से परे हैं और नवाचार स्वरूप के कार्यक्रमों में लगे हुए हैं। इस योजना का उद्देश्य यह है कि देश में उच्चतर शिक्षा के ऐसे चुनिन्दा संस्थानों की यथासंभव सीमा तक सहायता की जाए जोकि शिक्षा के सामान्य और सुस्थापित ढंग से इतर ढंग से शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं। इस योजना के अधीन उच्चतर शिक्षा के चुनिन्दा संस्थानों को, जो कि भारत सरकार द्वारा स्थापित भ्रमणशील समिति द्वारा अनुशंसित राष्ट्रव्यापी महत्त्व के संस्थान हों, आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। केन्द्रीय सरकार से सहायता प्राप्त कर रहे कुछ स्वैच्छिक संगठन तथा शैक्षिक संस्थान इस प्रकार हैं:

- श्री अरबिन्द अन्तर्राष्ट्रीय शैक्षिक शोध संस्थान, ओरोविले (तमिलनाडु);
- श्री अरबिन्द अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा केन्द्र, पांडिचेरी;
- लोक भारती, सनोसरा(गुजरात);
- मित्रनिकेतन, केरल;
- मदर्स इन्स्टीट्यूट आफ रिसर्च, नई दिल्ली।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सेल

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को केंद्रीय विश्वविद्यालयों और उनसे सम्बद्ध कालेजों में प्रवेश, नियुक्तियों और छात्रावास आबंटन सम्बन्धी आरक्षण नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा और उस पर निगाह रखने के लिए शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा तथा उच्चतर शिक्षा विभाग में एक अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति सेल मौजूद है। यह सैल यूजीसी तथा अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों के साथ तालमेल रखता है और साथ ही, आयोग और संसद को जानकारी प्रदान करने के लिए एक सम्पर्क यूनिट के रूप में भी कार्य करता है। आलोच्य अवधि के दौरान विभिन्न कालेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षण/गैर–शिक्षण स्टाफ और छात्रों से प्राप्त हुए अनेक अभ्यावेदनों की सेल द्वारा जांच की गई और मामलों को सम्बन्धित अधिकारियों के साथ, जब कभी आवश्यक हुआ, उठाया गया। यह सेल यूजीसी द्वारा इस प्रयोजन के लिए स्थापित एक अनुश्रवण समिति के माध्यम से आरक्षण नीति के कार्यान्वयन का अनुश्रवण भी करता है।

भारतवर्ष के समक्ष प्रस्तुत चुनौती, सूचना प्रौद्योगिकी में हाल में हुई उन्नतियों के कारण जो अवसर उपलब्ध हुआ है, उसका लाभ उठाने के उद्देश्य से सूचना प्रौद्योगिकी जनशक्ति की मांग और आपूर्ति के बीच के अन्तर को पाटना है। आईटी व्यावसायिकों की तुरंत उपलब्धि पर विचार करने के उद्देश्य से मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में एक कार्य दल का गठन किया गया। तकनीकी शिक्षा प्रणाली के सुदृढ़ीकरण की दिशा में कई अन्य पहलें की जा रही हैं।

तकनीकी शिक्षा

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की स्थापना 1945 में एक सलाहकार निकाय के रूप में की गई थी। इसे सांविधिक दर्जा संसद के एक अधिनियम के अंतर्गत 1987 में दिया गया था। सांविधिक अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के मुख्य कार्य हैं: देश में तकनीकी शिक्षा की समुचित आयोजना तथा समन्वित विकास, कोटिपरक सुधार तथा मानकों और मानदण्डों का विनियमन तथा अनुरक्षण।

परिषद ने प्रतिभाशाली इंजीनियरी छात्रों को अध्यापन के व्यवसाय के प्रति आकृष्ट करने के लिए प्रारम्भिक संकाय प्रवेश कार्यक्रम (ईएफआईपी) भी शुरू किया है। इस प्रयोजन के लिए परिषद उन्हें आईआईटी, आईआईएससी, कुछ केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और साथ ही क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों में स्नातकोत्तर स्तर पर सर्वोत्तम प्रशिक्षण प्रदान करती है। एआईसीटीई ने इन योजनाओं का संचालन जारी रखा है: आधुनिकीकरण और अप्रचलन उन्मूलन योजना (एमओडीओआरबी), अनुसंधान और विकास (आर तथा डी) तकनीकी शिक्षा के ध्यातव्य क्षेत्र (टीएपीटीईसी), गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम (क्यूआईपी) उद्यमकर्ता प्रबन्ध विकास (ईएमडी) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम और अनुसंधान कार्य, अविच्छिन्न शिक्षा कार्यक्रम (सीईपी), यात्रा अनुदान, संगोष्ठी अनुदान, इमेरिटस शिक्षावृत्ति।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के तत्त्वावधान में काम करने वाला राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित संस्थानों में चलाए जा रहे कार्यक्रमों का बारीकी से जायजा लेता है और मूल्यांकन करता है जिससे कि उत्तम स्तर की शिक्षा सुनिश्चित हो सके।

केन्द्रीय वित्तपोषित संस्थान

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी)

खड्गपुर, मुम्बई, चेन्नई, कानपुर, दिल्ली और गुवाहाटी में स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 के अधीन *'राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थानों'* के रूप में स्थापित किए गए थे। इनका प्रमुख उद्देश्य था: इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी में विश्वस्तरीय प्रशिक्षण प्रदान करना; प्रासंगिक क्षेत्र में अनुसंधान करना और अधिगम में उन्नति तथा ज्ञान का प्रसार करना।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इस तरह के कार्यक्रमों की पेशकश करते हैं: इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी की विभिन्न शाखाओं में स्नातकपूर्व कार्यक्रम, विभिन्न इंजीनियरी और विज्ञान विषयों, अन्तःविषय क्षेत्रों में विशेषज्ञता सहित स्नातकोत्तर कार्यक्रम और पीएचडी कार्यक्रम; तथा बुनियादी अनुप्रयुक्त और प्रायोजित अनुसंधान। सम्प्रति, आईआईटी बी.टेक, एम.एससी, एम.डीईएस, एम.फिल, एम.टेक तथा पीएचडी डिग्री प्रदान करते हैं। आईआईटी, शिक्षण में उच्चस्तरीय गुणवत्ता बना कर रखते हैं और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के शोध में प्रवृत्त हैं। ये संस्थान उद्योग की उभरती हुई प्रवृत्तियों के अनुरूप सतत रूप से पाठ्यचर्या का मूल्यांकन और संशोधन करते रहते हैं।

देश में उच्चतर तकनीकी शिक्षा प्रणाली में, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान एक महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। ये संस्थान इन बातों के लिए जिम्मेदार होते हैं:

- हमारे देश की मांगों के लिए संगत उच्चस्तरीय तकनीकी जनशक्ति का निर्माण करना;
- सूचना प्रौद्योगिकी और सम्बद्ध क्षेत्रों में उच्चस्तरीय जनशक्ति की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति करना। आईआईटी उभरते क्षेत्रों में छात्रों की अपनी प्रवेश क्षमता में वृद्धि कर रहे हैं;
- अनुसंधान, विकास और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए एक माहौल उपलब्ध कराना;
- उद्योग–संस्थान में सशक्त तालमेल सुनिश्चित करना और परस्पर वैचारिक आदान–प्रदान विकसित करना;
- भारतीय उद्योग की बढ़ती हुई मांगों की पूर्ति करना जिसके निमित्त पांच वर्षीय दोहरे डिग्री कार्यक्रम शुरू किए गए हैं;

सांविधिक अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के मुख्य कार्य हैं: देश में तकनीकी शिक्षा की समुचित आयोजना तथा समन्वित विकास, कोटिपरक सुधार तथा मानकों और मानदण्डों का विनियमन और अनुरक्षण।

इण्डस्ट्री इन्स्टीटयूट पार्टनरशिप सेल, सूचनापत्र के प्रथम अंक का विमोचन

- विशेष रूप से प्रौद्योगिकी विकास मिशनों के माध्यम से प्रायोजित अनुसंधान परियोजनाओं और परामर्श कार्यों में किए जा रहे क्रियाकलापों का स्तरोन्नयन करना जिसके फलस्वरूप प्रौद्योगिकी का सफल अन्तरण हो जाए, पेटेंट फाइल कर दिए जाएं और बहुत सारे उद्योगों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) निष्पादित कर दिए जाएं;
- गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के माध्यम से अन्य इंजीनियरी कालेजों के संकाय के ज्ञान को अद्यतन बनाने में योगदान देना और शीघ्र संकाय विकास कार्यक्रम (ईएफआईपी) के अधीन मेजबान संस्थानों के रूप में आईआईटी संगत क्षेत्रों की तकनीकी जरूरतों को पूरा करने के लिए न्यूक्लियस के रूप में कार्य करते हैं;
- सतत शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से उद्योग में कार्यकारी ·व्यावसायिकों के ज्ञानाधार और कौशलों को सतत रूप से अद्यतन बनाना तथा संस्थान और उद्योग के बीच तालमेल को बढ़ाना।

हाल के वर्षों में, विशेष रूप से सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उत्तम स्तरीय तकनीकी जनशक्ति की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए छात्रों की प्रवेश क्षमता में अत्यधिक वृद्धि हुई है। पिछले 6–7 वर्षों के दौरान आईआईटी के छात्रों की संख्या में 40 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है। कम्पयूट्रीकरण और नेटवर्क निर्माण सुविधाओं का स्तरोन्नयन किया गया है। इलैक्ट्रानिक क्लासरूमों और वीडियो–कान्फेन्सिंग सुविधाओं का अधिकाधिक प्रयोग किया जा रहा है। ये सुविधाएं आजकल अधुनिकतम हैं। आईआईटी की अध्यापन–अध्ययन प्रक्रियाओं में प्रौद्योगिकी का अधिक प्रयोग किया जा रहा है जिसके फलस्वरूप शिक्षा–शास्त्र में बदलाव आ रहा है।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान देश की तकनीकी आर्थिक क्षमता और प्रौद्योगिकीय आत्मनिर्भरता के संवर्द्धन में प्रभावी रहे हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों ने अपने शैक्षिक क्रियाकलापों और अनुसंधान कार्यक्रमों की उत्कृष्टता के बल पर अपनी अलग पहचान बना ली है। ऐसे अन्य क्षेत्र, जिनमें आईआईटी ने महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है, इस प्रकार हैं: सरकारी और निजी क्षेत्रों में विभिन्न वित्तपोषी एजेंसियों द्वारा प्रायोजित अनुसंधान, औद्योगिक परामर्श तथा सतत शिक्षा कार्यक्रम।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर

खड़गपुर स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना स्वतंत्रता के पश्चात विज्ञान और प्रौद्योगिकी में मानव संसाधन विकास के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के निमित्त की गई थी। चूंकि आईआईटी खड़गपुर सभी आईआईटी में सबसे पुराना आईआईटी है इसलिए उसने देश में तकनीकी शिक्षा के प्रति नजरिये में एक क्रान्तिकारी बदलाव लाने में अपेक्षित नेतृत्व प्रदान किया है। यह संस्थान अगले वर्ष अपना स्वर्णजयन्ती समारोह मनाने जा रहा है।

इस शैक्षिक सत्र में सभी बी.टेक और एकीकृत एम.एस.सी. कार्यक्रमों में एक नया पंचवर्षीय एकीकृत कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके साथ–साथ आने वाली सहस्राब्दी की मांगों के अनुरूप एक अधिक लचकतापूर्ण शैक्षणिक प्रणाली और एक अद्यतन उन्नत कार्यक्रम शुरू करने के प्रयोजन से शैक्षणिक कार्यक्रमों की गहराई से समीक्षा की जा रही है।

इस शैक्षणिक सत्र से सूचना प्रौद्योगिकी में एक नया स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम (पीजीडीआईटी) मिश्र पद्धति में शुरू किया गया है यह पाठ्यक्रम आईआईटी खड़गपुर के कलकत्ता और भुवनेश्वर में स्थित विस्तार केन्द्रों और स्टेप, आईआईटी खड़गपुर में चलाया जा रहा है। एक नियमित शैक्षणिक कार्यक्रम के लिए अपने मुख्य परिसर से बाहर निकलने का इस संस्थान का यह पहला

प्रयास है। यह मिश्र कार्यक्रम भारत में अपने ढंग का पहला कार्यक्रम है।

पिछले शैक्षणिक वर्ष में प्रभावशाली नई सुविधाएं प्राप्त की गई हैं जैसेकि: द्रव माध्यम में वनस्पति कोशिका संस्कृति में जीव–रिएक्टर, कम्प्यूटरीकृत त्रिअक्षीय परीक्षण आपरेटर, सीडी राइटर सहित एमपीईजी–II प्रसारण गुणवत्ता एनकोडिंग तथा डिकोडिंग, नेओल स्केनिंग इलैक्ट्रोन माइक्रोस्कोप तथ कुछ अन्य उपकरण।

प्रायोजित अनुसंधान और औद्योगिक परामर्शी केन्द्र (एसआरआईसी) को विभिन्न एजेंसियों से उदारतापूर्ण अनुदान प्राप्त हुआ है। विभिन्न राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय, सरकारी/ अन्य वित्तपोषी एजेंसियों से 23 करोड़ रुपये से अधिक परिव्यय वाली 200 से अधिक प्रायोजित अनुसंधान परियोजनाएं और परामर्शी कार्यक्रम प्राप्त हो चुके हैं।

अभी तक कुल मिला कर 85 पेटेंट फाइल किए गए हैं जिनमें से 25 मंजूर हो चुके हैं। संकाय सदस्यों और वित्तपोषी एजेंसियों के हितों को ध्यान में रखते हुए संस्थान ने एसआरआईसी के अधीन एक आईपीआर और औद्योगिक सम्पर्क सेल स्थापित किया है।

कुछ आवास हालों का विस्तार किया जा रहा है जिससे कि और अधिक छात्रों के रहने की व्यवस्था हो सके। एक शैक्षणिक लेक्चर हाल के निर्माण का जो काम आजकल चल रहा है उसके 2001 तक पूरा हो जाने की संभावना हैं। 288 लड़कियों के लिए एक छात्रावास का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। 280 क्षमता वाला एमबीएम छात्रावास निर्माणाधीन है। 430 क्षमता वाला एक और स्नातकोत्तर छात्रावास निर्माणाधीन है।

इलैक्ट्रोनिकली नेटवर्कड लाइफ–लौंग–लिविंग (ईएलनेट–31) दूरस्थ शिक्षा परियोजना देश में 38 अध्ययन केन्द्रों में कार्यान्वित की जा रही है जिससे अभी तक 3000 से अधिक छात्र लाभान्वित हुए हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से सूचना प्रौद्योगिकी और कम्प्यूटर विज्ञान में पांच पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

इस शैक्षणिक सत्र में बी.टेक (आनर्स) की 393, बी.आर्क (आनर्स) की 17, बी.एससी (आनर्स) की 62, एम.एससी की 50, पीजीडीआईटी की 83, एम.टेक/ एमबीएम/ एमसीपी की 485 एम.एस की 2 और पीएचडी की 108 डिग्रियां प्रदान की गईं।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास

आईआईटी, मद्रास अपने 41वें वर्ष में है और उसने ऐसे अनेक क्रियाकलापों की दिशा में दृढ़ता से काम किया है जो कि संस्थान की कोर क्षमताओं पर आधारित हैं और साथ ही संस्थान के निर्दिष्ट लक्ष्यों के अनुरूप हैं। जनशक्ति विकास के क्षेत्र में पिछले दीक्षान्त समारोह में कुल मिला कर 950 डिग्रियां प्रदान की गईं जिनके ब्यौरे इस प्रकार हैं: पीएच डी की 82, एम.एस सी की 320 तथा बी.टेक की 356। ये डिग्रियां संस्थान के 9 इंजीनियरी विभागों, 3 विज्ञान विभागों तथा मानविकी और समाज विज्ञान विभाग द्वारा प्रस्तुत विषय–क्षेत्रों और विशेषज्ञता क्षेत्रों की व्यापक श्रृंखला से सम्बद्ध हैं। सम्प्रति, संस्थान में चार प्रयोक्तोन्मुखी एम.टेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इनमें से प्रत्येक कार्यक्रम के डिजाइन और कार्यान्वयन में प्रयोक्ता उद्योगों का सहयोग रहता है। पीएच डी और एम.एस शोधग्रंथों के अलावा संकाय और शोधछात्रों ने 'विख्यात (रेफरीड)' अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सम्मेलनों में कुल मिला कर 496 लेख प्रस्तुत किए। अनेक अनुसंधान लेखों को उच्च स्तरीय प्रशस्ति प्राप्त हुई है और कई संकाय सदस्यों तथा शोध छात्रों को सर्वोत्तम लेख पुरस्कार प्राप्त हुए हैं।

वर्ष के दौरान सक्रिय प्रायोजित परियोजनाओं की संख्या 220 है। इन परियोजनाओं में प्रमुख अन्वेषकों, सह–प्रमुख अन्वेषकों के रूप में प्रवृत्त संकाय सदस्यों की संख्या 220 है। आलोच्य वर्ष में संस्वीकृत प्रायोजित परियोजनाओं का मूल्य 6.53 करोड़ रुपये है। वर्ष के दौरान सक्रिय परामर्शी परियोजनाओं की संख्या 1018 और उनका कुल मूल्य 7.61 करोड़ रुपये है; इन परामर्शी परियोजनाओं के साथ सम्बद्ध संकाय सदस्यों की संख्या 148 है। दो प्रौद्योगिकी विकास मिशन (टीडीएम) परियोजनाओं अर्थात 'उन्नत सामग्री' और 'ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों' के सम्बन्ध में आईआईटी, मद्रास अग्रणी संस्थान था। औद्योगिक एसोसिएटशिप योजना में अब 250 से अधिक सदस्य हैं। आलोच्य वर्ष में संस्थान ने उद्योग के साथ 13 संगम ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। आवधिक अनुश्रवण और समीक्षा के माध्यम से आईएसआरओ–आईआईटीएमसेल

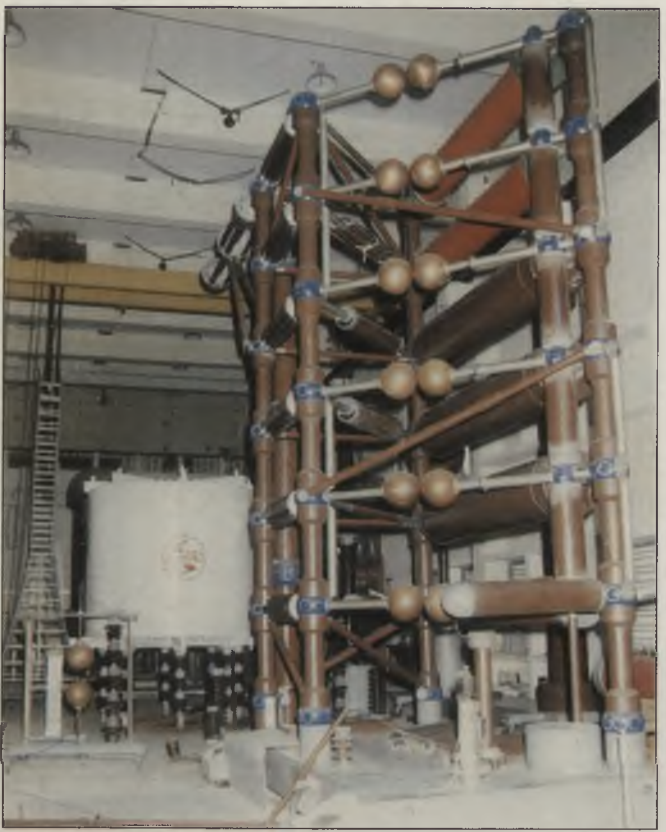

आईआईटी – मद्रास के विद्युत इंजीनियरी विभाग में एचवी इम्पल्स जेनेरेटर

संस्थान ने देश के अन्य इंजीनियरी संस्थानों को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने में प्रमुख भूमिका का निर्वाह किया है। अभी तक पीएच.डी और एम.टेक. के लिए 58 क्यूआईपी अध्येता पंजीकृत हैं।

सहयोगात्मक अनुसंधान, संकाय और छात्रों के आदान–प्रदान के लिए यह संस्थान अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ वैचारिक आदान–प्रदान करता रहा है। वर्ष के दौरान सात अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। आज की स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ आईआईटी, मद्रास द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों की संख्या 36 हो गई हैं। पिछले कुछ वर्षों के दौरान संस्थान ने छात्रों के अंतर्राष्ट्रीय आदान–प्रदान के लिए अनेक अवसर उपलब्ध कराए है; पिछले वर्ष 20 एम.टेक और 5 एम.एस शोध छात्रों को परियोजना / शोधग्रंथ संबंधी कार्य करने के लिए विख्यात जर्मन विश्वविद्यालयों में भेजा गया। इसके बदले में परियोजना कार्य के लिए संस्थान में जर्मनी से कुछेक पीएच. डी तथा डिप्लोमा–इंजीनियरी छात्र आए। संस्थान ने होश्यूल ब्रेमन, जर्मनी तथा ईपीएफएल, स्विट्ज़रलैंड में भी छात्र भेजे।

तथा आईजीसीएआर, आईआईटीएमसेल प्रभावी रूप से काम कर रहे हैं।

संस्थान के सतत शिक्षा केन्द्र (सीईसी) ने अपने व्यावसायिक विकास क्रियाकलापों में बढ़ोतरी का परिचय दिया हैं। क्यूआईपी के अधीन छः अल्पकालीन पाठ्यक्रम और सीईपी के अधीन 26 अल्पकालीन पाठ्यक्रम आयोजित किए गए। संस्थान के शैक्षिक प्रौद्योगिकी सेल ने अनेक वीडियो फिल्में तैयार की हैं जिनमें सात–सेमेस्टर वाले पाठ्यक्रमों और एक संक्षिप्त पाठ्यक्रम के माड्यूल शामिल हैं। आलोच्य वर्ष के दौरान संकाय सदस्यों ने पांच पुस्तकें प्रकाशित की हैं।

आलोच्य वर्ष के दौरान अनुसंधान और विकास, परामर्शी और सतत शिक्षा क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के लिए तीन नए केन्द्र स्थापित किए गए। ये केन्द्र हैं: सेन्टर फार कम्प्यूटेशनल फ्लूयड डाईनेमिक्स; अविनाशी मूल्यांकन केन्द्र; तथा दूरसंचार और आईटी व्यावसायिकों के समापन स्कूल के रूप में उषा मार्टिन संचार प्रौद्योगिकी अकादमी।

आलोच्य वर्ष के दौरान आठ राष्ट्रीय और चार अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किए गए। इसके अलावा संस्थान ने कई कार्यशालाओं, व्यावसायिक सोसायटी बैठकों, तकनीकी संगोष्ठियों तथा प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की मेज़बानी की।

संस्थान ने अपने तकनीकी और प्रशासनिक स्टाफ के ज्ञान और कौशलों को अद्यतन बनाने के प्रयोजन से 25 प्रशिक्षण कार्यक्रम (55 कार्यक्रम दिवस) आयोजित किए जिससे कि स्टाफ को इस योग्य बनाया जा सके कि वह अपना काम अधिक प्रभावी ढंग से कर सके। आईआईटी, मद्रास देश का पहला ऐसा उच्च तकनीकी संस्थान है जिसे अपने छः यूनिटों के लिए आईएसओ – 9001 प्रमाणन प्राप्त हुआ है। संस्थान के और अधिक यूनिटों के लिए ऐसा प्रमाणन प्राप्त करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। क्योंकि इस अधिगम संगठन का मूल उद्देश्य सतत सुधार लाना है इसलिए अनेक 5–एस कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। अनेक प्रशासनिक इकाइयों में गुणवत्ता चक्र शुरू किए जा चुके हैं।

पिछले वर्ष जो परिसर–व्यापी उच्च गति वाला फाइबर आप्टिक एटीएम/ईथरनेट बैकबोन नेटवर्क स्थापित किया गया था उसका विस्तार अब सारे संस्थान में किया जा रहा है। सभी विभागों में, विशेष रूप से विद्युत इंजीनियरी विभाग तथा कम्प्यूटर विज्ञान और इंजीनियरी विभाग में काफी बुनियादी सुविधाएं शामिल कर दी गई हैं। उत्तम सुविधाओं से युक्त पुस्तकालय का एक नया भवन हाल में ही खोला गया है। छात्रावास क्षेत्र की क्षमता को काफी बढ़ा दिया गया है जिससे और अधिक छात्रों को छात्रावासों में रखा जा सके। और अधिक क्लासरूम स्थान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पिछले वर्ष एक नए क्लासरूम परिसर का उद्घाटन किया गया था।

आईआईटी – दिल्ली में कम्प्यूटर सेवा केन्द्र

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली

1961 में एक इंजीनियरी कालेज के रूप में स्थापित इस संस्थान को प्रौद्योगिकी संस्थान (संशोधन) अधिनियम 1961 के अधीन राष्ट्रीय महत्त्व के एक संस्थान के रूप में घोषित किया गया और 1963 में उसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का नाम दिया गया।

यह संस्थान अनेक विज्ञान और इंजीनियरी विषयों में स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर–दोनों स्तरों के अनेक शैक्षणिक कार्यक्रमों की पेशकश करता है जिनमें ये शामिल हैं: इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी के 7 विषय–क्षेत्रों में एक चार वर्षीय बी.टेक कार्यक्रम, दो क्षेत्रों में पंचवर्षीय एकीकृत कार्यक्रम, तीन विषय–क्षेत्रों में 2 वर्षीय एम.एससी कार्यक्रम, इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी, प्रबंध मानविकी और सामाजिक विज्ञान में एक दो–वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा और 35 एम.टेक कार्यक्रमों के अलावा औद्योगिक डिजाइन में एक दो वर्षीय एम.डिजाइन कार्यक्रम। संस्थान 13 विभागों और 9 अनुसंधान केन्द्रों में डाक्टरल अनुसंधान के अवसर भी उपलब्ध कराता है।

विद्युत इंजीनियरी (विद्युत) में एक चार–वर्षीय कार्यक्रम, दो दोहरे डिग्री कार्यक्रम अर्थात सूचना प्रौद्योगिकी में एम.टेक सहित विद्युत इंजीनियरी में बी.टेक और रासायनिक इंजीनियरी में कम्प्यूटर अनुप्रयोग में एम.टेक सहित रासायनिक इंजीनियरी में बी.टेक कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। अनेक मौजूदा पाठ्यक्रमों को भी पुनःसंरचित किया गया है ताकि नई प्रौद्योगिकीय विकासों का समावेश किया जा सके।

आलोच्य वर्ष में कुल नामांकन विभिन्न देशों से आए 10 विदेशी छात्रों सहित 4147 था। संस्थान आने वाले वर्षों में अपनी प्रवेश–क्षमता में और आगे वृद्धि करने की योजना बना रहा है। अधिकाधिक छात्रों को छात्रावास सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लड़कों और लड़कियों–दोनों के छात्रावासों में अतिरिक्त स्कन्ध जोड़ दिए गए हैं जिनके फलस्वरूप 700 अतिरिक्त छात्रों को स्थान मिल सकेगा। इसके अलावा 50,000 वर्गफुट का अतिरिक्त शैक्षणिक क्षेत्र अलग से जुटाया गया है।

निजी क्षेत्र के सहयोग से दूरसंचार प्रौद्योगिकी और प्रबंध विषय पर एक नया स्कूल खोलने की योजना है।

प्रायोजित अनुसंधान परियोजनाओं और परामर्शात्मक कार्यों की विशाल संख्या से यह पता चलता है कि संस्थान में अनुसंधान पर अधिक बल दिया जा रहा है। आलोच्य वर्ष के दौरान 14.75 करोड़ रुपये मूल्य की 111 अनुसंधान परियोजनाएं हाथ में ली गई हैं। उपर्युक्त के अलावा 6.51 करोड़ रुपये मूल्य के परामर्शात्मक कार्य भी शुरू किए गए है। अध्यापन और अनुसंधान सुविधाओं के स्तरोन्नयन के प्रयोजन से अधुनिकतम उपकरण भी प्राप्त किए गए हैं जो इस प्रकार हैं: पर्किन–एल्मर यूवी/वीआईएस स्पेक्ट्रोमीटर, पर्किन– एल्मर गैस क्रोमैटोग्राफ, प्री–फैब्रीकेटेड कोल्ड रूम, पावर एक्स–रे डिफेक्टोमीटर और एक अधुनिकतम ईको–परीक्षण प्रयोगशाला।

संस्थान ने सूचना प्रौद्योगिकी के तेजी से बढ़ रहे क्षेत्र में अनेक नई पहलें की हैं। संस्थान ने केवल यही नहीं कि आईटी सम्बद्ध नए शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू किए है बल्कि आईटी सम्बन्धी अपनी बुनियादी सुविधाओं का भी स्तरोन्नयन किया है जिससे कि संकाय और छात्रों की प्रत्याशित मांगों की पूर्ति की जा सके। फलतः लेक्चर थियेटरों में इन्टरनेट सुविधा सुलभ करा दी गई है जिससे कि संकाय को इस योग्य बनाय जा सके कि वह मल्टीमीडिया तथा अन्य निदर्शन तकनीकों का प्रयोग करते हुए अवधारणाओं का निदर्शन कर सकें। समूचे शैक्षणिक क्षेत्र का समावेश करते हुए एक आप्टिक फाइबर वाइडबैण्ड नेटवर्क का विस्तार अब छात्रावासों में कर दिया गया है जिससे कि संकाय और छात्रों को उच्च कम्प्यूटरिंग क्षमता उपलब्ध कराई जा सके। संस्थान में चारों तरफ फैले हुए 1500 से अधिक संपर्क–बिन्दुओं के चलते आईआईटी, दिल्ली में देश मे सर्वोत्तम आईआईटी बुनियादी सुविधाएं मौजूद हैं। संस्थान में अनेक फोल्डरों और सक्रिय फाइलों से युक्त एक व्यापक वेबसाइट भी रखा जाता है ताकि आईआईटी, दिल्ली संबंधी जानकारी के लिए एक विन्डो उपलब्ध रहे।

केन्द्रीय पुस्तकालय को डिजिटल पुस्तकालय बनाने के प्रयास भी किए जा चुके हैं। डिजिटल पुस्तकालय में 1250 सें अधिक इलैक्ट्रानिक पत्रिकाएं, नेटवर्क आधारित सीडी–रोम अन्वेषण सेवा और 1,30,000 ग्रंथ सूची विषयक रिकार्डों का पुस्तकालय डाटा आधार उपलब्ध रहेगा। पुस्तकालय का वेबसाइट इलैक्ट्रानिक संसाधनों के लिए 2500 से अधिक संबंध स्थापित करता है।

अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संस्थान में 1514 गैर–शैक्षणिक स्टाफ और 461 संकाय और शैक्षणिक स्टाफ मौजूद हैं। आलोच्य वर्ष के दौरान अनेक संकाय सदस्यों को सम्मान/पुरस्कार प्राप्त हुए हैं और अनेक व्यावसायिक राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय निकायों के फेलो के रूप में उनका चयन किया गया है।

आलोच्य वर्ष के दौरान संकाय के सदस्यों ने प्रमुख राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं और सम्मेलन कार्यवाहियों के लिए 760 से अधिक तकनीकी पत्र प्रकाशित किए और 35 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं।

यह संस्थान अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर सहयोगात्मक कार्यक्रमों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है ताकि वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय क्रियाकलापों में वह आगे की पंक्ति में बने रहें। इस समय, यूके, फ्रांस, अमरीका, नार्वे, जापान, जर्मनी, स्वीडन और आस्ट्रिया में स्थित संस्थानों के साथ बहुत बड़ी संख्या में सहयोगात्मक अनुसंधान परियोजनाएं चल रही हैं जिनमें छात्रों और संकाय का आदान–प्रदान, संयुक्त अनुसंधान और डाक्टरल तथा उसके बाद के स्तर पर प्रशिक्षण के लिए शिक्षावृत्ति शामिल है।

अध्यापन और अनुसंधान के क्षेत्र में निकट सहयोग बनाए रखने के उद्देश्य से इस संस्थान ने अनेक विदेशी विश्वविद्यालयों तथा अनुसंधान संस्थानों/औद्योगिक संगठनों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।

आंतरिक स्रोतों से होने वाली संस्थान की आय में भी इन अर्थों में अत्यधिक वृद्धि हुई कि जहां 1993–94 में इस तरह की आय केवल 5.00 करोड़ रुपए थी, वह 2000–2001 में बढ़कर 18.50 करोड़ रुपए तक पहुंच गई।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई अपने 42वें वर्ष में चल रहा है और अब तक इसके 23,000 छात्र स्नातक–पूर्व, स्नातकोत्तर और शोध डिग्रियां प्राप्त कर चुके हैं। संस्थान के ये अभूतपूर्व छात्र भारत और विदेशों में संस्थान के राजदूतों की तरह है। संस्थान के अधिकांश स्नातक अपने व्यवसाय में उत्तम निष्पादन कर रहे हैं और उनमें से कई ने शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार, प्रबंध और वित्तीय क्षेत्रों जैसे अपने–अपने व्यावसायिक क्षेत्रों में नाम कमाया है।

छात्रों की विशाल संख्या तक आईआईटी शिक्षा का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से इस संस्थान ने 1995 से अपेक्षतया अधिक संख्या में छात्रों का नामांकन करना शुरू कर दिया है। संस्थान द्वारा अपने बी.टेक तथा अन्य कार्यक्रमों में 1500 अतिरिक्त छात्रों को नामांकित करने का लक्ष्य धीरे–धीरे पूरा कर लिया गया। 1994–95 में शुरू किए गए इस प्रयास के समय संस्थान में छात्रों की संख्या 2617 थी जबकि 2000–2001 में संस्थान में 4137 छात्र दाखिल हैं। इसके साथ–साथ संस्थान ने स्टाफ के आकार को कम करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। पिछले पांच वर्षों के दौरान स्टाफ की क्षमता

में 20 प्रतिशत की कटौती कर दी गई है। समाज के दुर्बल वर्गों के लिए संस्थान प्रारम्भिक पाठ्यक्रमों का आयोजन कर रहा है जिससे कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा पास करने में इन वर्गों की सहायता की जा सके।

यह संस्थान इन पाठ्यक्रमों की पेशकश करता है: बी. टेक, एम.एससी एम.टेक, एम. डिजाइन, एम.फिल, एम. मैनेजमेंट, डीआईआईटी और पीएचडी। यह संस्थान अनुसंधान और विकास क्रियाकलापों में बराबर प्रगति कर रहा हैं। परामर्शात्मक क्रियाकलापों से संस्थान को 1993–94 में 1.96 करोड़ रुपए की आय हुई थी जो कि 1999–2000 में बढ़कर 5.20 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। आलोच्य वर्ष में आशा है कि यह आय बढ़कर 5.70 करोड़ रुपए हो जाएगी। संस्थान का संकाय विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा वित्तपोषित अनुसंधान क्रियाकलापों के मामले में भी एकदम आगे रहा है। वर्ष 1999–2000 के दौरान पहले से चल रही परियोजनाओं के संबंध में 14.56 करोड़ रुपए के मूल्य के अनुसंधान क्रियाकलाप किए गए थे, जबकि 1993–94 में इस आशय के क्रियाकलापों का मूल्य 5.31 करोड़ रुपये था। आशा है 2000–2001 के दौरान इस आशय की रकम बढ़कर 16.50 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के विभिन्न कार्यक्रमों में इस समय 2518 छात्र अध्ययन कर रहे हैं। नियोजन कार्यक्रमों और परिसर साक्षात्कारों के माध्यम से अधिकांश छात्रों को डिग्री मिलने से पूर्व ही विभिन्न उद्योगों और अनुसंधान इकाइयों में नौकरियां मिल गई हैं। संस्थान के अनुसंधान एवं विकास क्रियाकलाप पिछले शैक्षणिक वर्ष के दौरान तेजी के साथ बढ़ते रहे। पिछले वर्ष मंजूर की गई प्रायोजित अनुसंधान परियोजनाओं की कुल संख्या 65 थीं जिनके संबंध में 13.91 करोड़ रुपए के वित्तपोषण की प्रतिबद्धता मौजूद थी।

यह संस्थान 2001–02 के शैक्षणिक सत्र से एक एमबीए कार्यक्रम शुरू करने की योजना बना रहा है और ऐसा करने के पीछे उद्देश्य यह है कि अन्ततः आईआईटी के – प्रबन्ध स्कूल स्थापित किया जाए। संस्थान को पिछले वर्ष दान के रूप में प्राप्त कुल मिला कर 2.82 करोड़ रुपए की आय हुई थी जबकि इस वर्ष संस्थान को दान स्वरूप कुल मिला कर 9.00 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई। 31 मार्च 2000 की स्थिति के अनुसार, स्थायी निधि के रूप में कुल अक्षय निधि (कार्पस) 54.42 करोड़ रुपए थी।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी की स्थापना 1994 में की गई थी। इसके शैक्षणिक कार्यक्रम की शुरूआत अगस्त 1995 में उस समय हुई थी जबकि कम्प्यूटर विज्ञान और इंजीनियरी, इलैक्ट्रानिक्स और संचार इंजीनियरी तथा यांत्रिकी इंजीनियरी – इन तीन इंजीनियरी क्षेत्रों में छात्रों के पहले बैच का दाखिला किया गया था। बाद के वर्षों के कार्यक्रम में डिजाइन, सिविल इंजीनियरी, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित और मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान के विभाग शुरू किए गए। इस समय संस्थान में स्नातक–पूर्व और स्नातकोत्तर स्तरों पर विभिन्न कार्यक्रमों में 34 लड़कियों सहित 619 छात्र दाखिल हैं। अभी तक दो बैचों में 158 छात्र संस्थान से पास होकर निकल चुके हैं। वर्ष 2000 में 134 स्नातक–पूर्व छात्रों और 89 स्नातकोत्तर छात्रों को दाखिला दिया गया। दाखिल छात्रों की यह संख्या पिछले वर्ष में दाखिल छात्रों से क्रमशः 22 और 50 अधिक है। इस संस्थान के अपेक्षाकृत नए होने के बावजूद यहां से पास होने वाले छात्रों को शानदार नौकरियां मिली हैं।

इस संस्थान ने 1995 में किराए के परिसर से अपना कामकाज करना शुरू किया था किन्तु अब यह संस्थान ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी किनारे पर स्थित अपने नए परिसर में चला गया है। संस्थान ने इंटरनेट संयोज्यता सहित संचार आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए परिसर से शहर के मुख्य टेलीफोन केन्द्रों के साथ एक उच्च गति वाला माइक्रोवेव लिंक स्थापित कर लिया हैं। **परम** नाम का एक सुपरकम्प्यूटर सितम्बर 2000 में संस्थान में स्थापित किया गया। विभाग की सभी प्रयोगशालाओं के लिए उपकरण एक व्यापक योजना के तहत सतत आधार पर प्राप्त किए जा रहे हैं।

संस्थान के अनुसंधान और विकास क्रियाकलाप बराबर बढ़ रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वित्तपोषण से इस वर्ष भारतीय भाषाओं (उत्तर–पूर्व की भाषाओं पर बल देते हुए) के लिए कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी विकास सम्बन्धी एक योजना इस वर्ष शुरू की गई है। यह परियोजना

गुवाहाटी विश्वविद्यालय के सहयोग से चलाई जा रही है। बांस प्रौद्योगिकियों के विकास की एक अन्य परियोजना को, जिसका वित्तपोषण यूएनडीपी द्वारा किया जाएगा, शीघ्र ही अंतिम रूप दिया जाने वाला है।

भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम)

अहमदाबाद, कोलकाता, बंगलौर, लखनऊ, इन्दौर और कालीकट में स्थित भारतीय प्रबंध संस्थान (आईआईएम) उत्कृष्टता के संस्थान हैं जिनकी स्थापना उच्च स्तरीय प्रबंध और प्रशिक्षण प्रदान करने तथा भारतीय अर्थ–व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के प्रबंध के क्षेत्र में परामर्शी सेवाएं प्रदान करने के लिए की गई थी।

आईआईएम इन कार्यक्रमों की पेशकश करते हैं: प्रबंध में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (एमबीए के समकक्ष), प्रबंध में शिक्षावृत्ति कार्यक्रम (पीएच.डी के समकक्ष), अल्पकालीन प्रबंध विकास और संगठन आधारित कार्यक्रम और उसके साथ–साथ उद्योग के लिए अनुसंधान और परामर्शी सेवाएं।

इन संस्थानों ने गैर–निगमित और कृषि, ग्रामीण विकास, सार्वजनिक प्रणाली प्रबन्ध, ऊर्जा, स्वास्थ्य शिक्षा, हैबिटैट आदि जैसे अल्प प्रबंधित क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनुसंधान केन्द्र स्थापित किए।

राष्ट्र की प्रबंधकीय जनशक्ति के विकास और उभरते हुए क्षेत्रों में अनुसंधान आयोजित करने में आईआईएम नेतृत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। ये संस्थान, उत्कृष्ट प्रबंध संस्थानों के रूप में माने जाते हैं और अध्यापन, अनुसंधान और उद्योगों के साथ तालमेल की दृष्टि से ये संस्थान विश्व के सर्वोत्तम संस्थानों के समतुल्य हैं। भूमिका प्रतिरूप होने के नाते, आईआईएम ने अन्य संस्थानों के साथ ज्ञान और कौशलों का आदान–प्रदान किया है जिससे कि प्रबंध शिक्षा में उनकी गुणवत्ता और मानकों में सुधार लाया जा सके। अपने भूतपूर्व छात्रों की गुणवत्ता को लेकर आईआईएम ने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अर्जित की है।

भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद

भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद की स्थापना 1961 में इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की गई थी: निजी और सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा अपेक्षित जनशक्ति तैयार करना, उद्योग की प्रबंध समस्याओं का समाधान ढूंढने में सहायता करना और प्रबंध पर स्वदेशी साहित्य के लिए योगदान देना।

यह संस्थान इन कार्यक्रमों की पेशकश करता है: प्रबंध में स्नातकोत्तर कार्यक्रम (पीजीपी), कृषि–कारोबार प्रबंध में स्नातकोत्तर कार्यक्रम, प्रबंध और संकाय विकास कार्यक्रम (एफडीपी) में शिक्षावृत्ति कार्यक्रम।

संस्थान के पुस्तकालय में 1,45,996 पुस्तकों के संग्रह के अलावा 615 पत्रिकाएं मंगाई जाती हैं। संस्थान में अनेक अंतःविषय क्षेत्रीय समूह हैं और इसके विभिन्न केन्द्र हैं: कृषि प्रबंध केन्द्र, कम्प्यूटर और सूचना प्रणाली संग्रह, जन प्रणाली समूह तथा रवि जे मथाई शैक्षिक नवाचार केन्द्र। संस्थान में इन विषयों के बारे में भी विभिन्न विषय क्षेत्रीय समूह मौजूद हैं: कारोबार नीति, संचार, अर्थशास्त्र, वित्त और लेखांकन, विपणन, संगठनात्मक व्यवहार और उत्पादन तथा परिमाणात्मक पद्धतियां।

भारतीय प्रबंध संस्थान, कलकत्ता

भारतीय प्रबंध संस्थान, कलकत्ता की स्थापना 1961 में की गई थी ताकि अनुसंधान, परामर्शी सेवाओं और प्रकाशनों के माध्यम से व्यावसायिक प्रबंध के सुनिर्मित कार्यक्रम उपलब्ध कराके निजी और सरकारी क्षेत्र के उद्यमों की प्रबंधकीय जनशक्ति की बढ़ती हुई मांगों की पूर्ति की जा सके।

यह संस्थान इन कार्यक्रमों की पेशकश करता है: प्रबंध में स्नातकोत्तर कार्यक्रम, कम्प्यूटर सहायताप्राप्त प्रबंध में स्नातकोत्तर कार्यक्रम तथा कारोबार प्रबंध में स्नातकोत्तर डिप्लोमा। साथ ही, यह संस्थान प्रबंध विकास कार्यक्रम, विस्तार कार्यक्रम, पानी के भीतर प्रशिक्षण कार्यक्रम और सरकार द्वारा प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि का आयोजन भी करता है। यह संस्थान अनुसंधान और परामर्शी परियोजनाएं भी हाथ में लेता है।

संस्थान के पुस्तकालय में 1,25,000 पुस्तकों और जिल्दबंद पत्रिकाओं के संग्रह के अलावा बड़ी संख्या में रिपोर्टें, माइक्रोफार्म और श्रव्य दृश्य सामग्री तथा 583 से अधिक सामयिक पत्रिकाएं और कुछ विशाल आप्टिकल/ इलैक्ट्रानिक डाटाबेस मौजूद हैं। संस्थान के अनेक क्रियाकलाप केन्द्र हैं, जैसे कि ग्रामीण विकास प्रबंध

केन्द्र, विकास और पर्यावरणात्मक नीति केन्द्र, परियोजना प्रबंध केन्द्र, पर्यावरणात्मक प्रबंध में अनुसंधान और अध्ययन केन्द्र और मानवीय मूल्यों के लिए प्रबंध केन्द्र।

संस्थान के पास अधुनिकतम हार्डवेयर और साफ्टवेयर संसाधन मौजूद हैं जो कि बहुविध कम्प्यूटिंग अपेक्षाओं के लिए सहयोग प्रदान करने में सक्षम हैं। परिसरव्यापी स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क कार्य केन्द्रों के 1000 से अधिक नोड्ज़ के समाहित किए हुए है।

संस्थान में संबद्ध संकाय सहित 70 संकाय सदस्य हैं। कोर संकाय के अलावा, विभिन्न विख्यात शैक्षिक संस्थानों और उद्योग से लिया गया एक अतिथि संकाय है जो कि संस्थान के शैक्षणिक कार्यक्रमों में योगदान देता है। गैर–संकाय सदस्यों का एक सक्षम समूह संकाय की सहायता करता है।

भारतीय प्रबन्ध संस्थान, बंगलौर

भारतीय प्रबंध संस्थान, बंगलौर की स्थापना 1973 में इस उद्देश्य से की गई थी कि अध्यापन, प्रशिक्षण, परामर्शी सेवाओं तथा अन्य व्यावसायिक सेवाओं के कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्र के प्रबंधकीय संस्थानों का सुदृढ़कीरण किया जाए।

यह संस्थान इन कार्यक्रमों की पेशकश करता है: प्रबंध में शिक्षावृत्ति कार्यक्रम (एमएफपीएम), प्रबंध में स्नातकोत्तर कार्यक्रम, साफ्टवेयर उद्यम प्रबंध में स्नातकोत्तर कार्यक्रम, कार्यकारी अधिकारियों के लिए कार्यक्रम। संस्थान अनुसंधान और परामर्शी सेवाएं भी करता है।

संस्थान के पुस्तकालय ने 1,70,000 से अधिक पुस्तकों, जिल्दबंद खण्डों, पत्रिकाओं, गैर–पुस्तकीय सामग्री और सूक्ष्म दस्तावेजों सहित एक प्रलेख और संसाधन समूह संग्रह विकसित किया है। कम्प्यूटिंग सुविधा चौबीसों घण्टे उपलब्ध रहती है। संस्थान में एक उच्च गतिशील फाइबर आप्टिकल बैकबोन द्वारा नेटवर्क में शामिल 350 पर्सनल कम्प्यूटर मौजूद है।

संस्थान के संकाय में 75 व्यक्ति शामिल हैं जिनमें से 69 संवर्ग आधारित हैं और बाकी अतिथि संकाय है।

भारतीय प्रबंध संस्थान, लखनऊ

भारतीय प्रबंध संस्थान, लखनऊ भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित और निदेशक मंडल द्वारा प्रबंधित एक स्वायत्त संस्थान है जिसकी स्थापना 1984 में इस उद्देश्य से की गई थी कि व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से प्रबंधकीय जनशक्ति तैयार की जाए और अनुसंधान, परामर्शी सेवाओं और प्रकाशनों के माध्यम से प्रबंधकीय समस्याओं के समाधान में सहायता प्रदान की जाए।

संस्थान इन कार्यक्रमों की पेशकश करता है: प्रबंध में स्नातकोत्तर कार्यक्रम (पीजीपी), प्रबंध में स्नातकोत्तर डिप्लोमा और प्रबंध विकास कार्यक्रम (एमडीपी)। यह संस्थान अनुसंधान और परामर्शी परियोजनाएं भी हाथ में लेता है। इस संस्थान की चौबीसों घंटे उपलब्ध कम्प्यूटिंग सुविधाओं में परिसरव्यापी नेटवर्क, विशेषज्ञतापूर्ण विनिर्माण निर्णय प्रयोगशाला और एक पूर्णतः सुसज्जित मल्टीमीडिया इंटरनेट प्रयोगशाला शामिल है।

संस्थान के पुस्तकालय में प्रबंध के क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में पुस्तकें/रिपोर्टें तथा श्रव्य दृश्य सामग्री प्राप्त की गई है। बहुत बड़ी संख्या में पत्र–पत्रिकाएं भी मंगाई गई। माइक्रोफार्म, सीडी डाटाबेस, निगमित रिपोर्टें आदि जैसे साहित्य के अन्य रूपों का संग्रह भी जारी रहा है।

भारतीय प्रबंध संस्थान, कालीकट

भारतीय प्रबंध संस्थान, कालीकट की स्थापना सितम्बर 1997 में की गई थी। यह संस्थान प्रबंध में स्नातकोत्तर कार्यक्रम उपलब्ध कराता है। इस समय यह संस्थान कालीकट क्षेत्रीय कालेज और सेंटर फार इलेक्ट्रानिक डिजाइन एंड टेक्नोलाजी आफ इंडिया, कालीकट यूनिट द्वारा उपलब्ध कराए गए अस्थायी परिसर से काम कर रहा है। संस्थान में संबद्ध संकाय सहित 15 संकाय सदस्य मौजूद हैं। कोर संकाय के अलावा, विभिन्न ख्यातिप्राप्त शैक्षिक संस्थानों और उद्योग से लिया गया अतिथि संकाय संस्थान के शैक्षणिक कार्यक्रमों में योगदान देता है। संकाय को गैर–संकाय कर्मचारियों के एक सक्षम समूह का सहयोग प्राप्त है।

संस्थान का परिसर कुल्लामंगलम बस्ती में लगभग 96 एकड़ के क्षेत्र में विकसित किया जा रहा है।

संस्थान में एक पुस्तकालय और एक सूचना केन्द्र मौजूद है जो कि संकाय और छात्रों को महत्त्वपूर्ण अनुसंधान सुविधाएं प्रदान करने के अलावा अधिगम अनुसमर्थन का एक प्रमुख स्रोत है। पुस्तकालय और सूचना केन्द्र ने 8500 पुस्तकें प्राप्त कर ली हैं। यह केन्द्र पूरी तरह डिजिटल है और 1200 से अधिक पत्रिकाएं मंगाने के लिए केन्द्र में बहुत बड़ी संख्या में डाटाबेस उपलब्ध है।

यह संस्थान आधुनिकतम हार्डवेयर और साफ्टवेयर संसाधनों से सुसज्जित है जो कि बहुविध कम्प्युटिंग अपेक्षाओं की पूर्ति करने के पक्ष में हैं। बहुत बड़ी संख्या में माइक्रा–कम्प्यूटर मल्टीमीडिया क्षमताओं से सुसज्जित हैं। संसाधन–गहन अनुप्रयोंगों के लिए हाई–एंड मल्टीमीडिया पेंटियम–III कम्प्यूटर सहित एक अलग कम्प्यूटर प्रयोगशाला है।

दोतरफा वीडियो कान्फ्रेंसिंग सुविधा का प्रयोग करने वाले एक वास्तविक क्लासरूम की स्थापना की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है।

भारतीय प्रबंध संस्थान, इंदौर

भारतीय प्रबंध संस्थान, इंदौर की स्थापना 1997 में की गई थी। यह संस्थान मुख्यतः प्रबंध में स्नातकोत्तर कार्यक्रमों की पेशकश करता हैं। संस्थान द्वारा अनुस्थापन कार्यक्रम भी तैयार किए गए हैं। संस्थान ने ग्रीष्मकालीन नियोजन सेवाएं शुरू कर दी हैं।

संस्थान में एक परिसरव्यापी स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क (एलएएन) मौजूद है। प्रत्येक छात्र को उसके कमरे में एक पीसी (पेंटियम–III) उपलब्ध करा दिया गया है। एलएएन के साथ संकाय और प्रशासनिक स्टाफ भी जुड़ा हुआ है। छात्रों के लिए लगभग 4,000 पुस्तकें उपलब्ध हैं। प्राथमिकता वाले संस्थानों में विश्व कोष, निर्देशिकाएं, पुस्तिकाएं और नियम पुस्तिकाएं शामिल हैं।

इस समय संस्थान में 11 संकाय, 6 शैक्षणिक एसोसिएट और 18 प्रशासनिक स्टाफ मौजूद हैं।

भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर

भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर की स्थापना 1909 में मौलिक विज्ञान और इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में स्नातकोत्तर शिक्षा प्रदान करने और अनुसंधान आयोजित करने के उद्देश्य से की गई थी। पिछले वर्षों में भारतीय विज्ञान संस्थान ने अपनी विशेषज्ञता के सभी क्षेत्रों में अनुसंधान में उत्कृष्टता के केन्द्र के रूप में विश्वव्यापी ख्याति अर्जित की है। इसे 1958 में सम–विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। यह सृजनात्मकता को बढ़ाने, उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने और अभिनव अनुसंधान तथा विकास में तेजी लाने, प्रौद्योगिकी अंतरण और औद्योगिक समस्याओं को सुलझाने में सफल रहा है। संस्थान ने उन्नत सामग्री, जैव प्रौद्योगिकी, सूचना प्रसारण और खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों के क्षेत्रों में उद्योगों को सहयोजित करके प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रम भी हाथ में लिया..है।

संस्थान में स्थापित नवाचार और विकास संबंधी सोसायटी संस्थान में निष्पादित प्रौद्योगिकीय और विकासात्मक क्रियाकलापों को प्रणालीबद्ध करने में सफल रही थी। (ग्रामीण क्षेत्रों का धारणीय बदलाव) ग्रामीण उन्नति के लिए प्रौद्योगिकी में आधुनिक प्रक्रियाओं के प्रयोग का एक महत्त्वपूर्ण उदाहरण है।

सुपर कम्प्यूटर केन्द्र का अन्तर्राष्ट्रीय टर्मिनलों के साथ एक माइक्रोवेव संबंध है। भारतीय विज्ञान संस्थान का अंतरिक्ष विभाग और रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन (डीआरडीओ) के साथ गहरा संबंध है। संस्थान, उद्योग द्वारा प्रतिवर्ष सौंपी गई लगभग 200 परामर्शी परियोजनाओं पर कार्रवाई करता है।

संस्थान प्रतिवर्ष विभिन्न विषय क्षेत्रों में अनुसंधान और पाठ्यक्रमों के लिए लगभग 450 प्रत्याशियों को दाखिला देता है। +2 स्तर के स्नातक–पूर्व प्रतिभावान छात्रों को अनुसंधान को एक वृत्ति के रूप में अपनाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से संस्थान में नवाचारी कार्यक्रम, अर्थात **युवा शिक्षावृत्ति कार्यक्रम** तथा बीई/बी.टेक के तीसरे वर्ष के छात्रों के लिए **युवा इंजीनियरी शिक्षावृत्ति कार्यक्रम** उपलब्ध हैं। संस्थान में लगभग 1700 छात्र पीएच.डी/एम.एससी (इंजीनियरी), अनुसंधान शोध तथा एमटी/एम.टेक/एम डिजाइन डिग्रियों के लिए विभिन्न कार्यक्रमों में अध्ययन कर रहे हैं। यह संस्थान एक वर्ष में लगभग 150 पीएच.डी डिग्री, 70 एम.एससी (इंजीनियरी) तथा 350 मास्टर्स डिग्री अर्थात एम.ई/एम.टेक/एम.

डिजाइन प्रदान करता है। संस्थान में प्रशिक्षित मानव संसाधनों की शैक्षणिक संस्थानों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों और भारत से बाहर सरकारी एजेंसियों में भारी मांग रहती है। संस्थान के क्रियाकलाप विभिन्न प्रभागों जैसे कि जैव विज्ञान, रसायनिक विज्ञान और भौतिक शास्त्र तथा गणित विज्ञान के माध्यम से चलाए जाते हैं।

क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज (आरईसी)

एक विकास परियोजना के निमित्त देश की प्रशिक्षित तकनीकी जनशक्ति की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए प्रत्येक बड़े राज्य में एक–एक करके सत्रह क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज स्थापित किए गए हैं। प्रत्येक कालेज केन्द्र सरकार और संबंधित राज्य सरकार, जिसमें क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज स्थित है, का संयुक्त और सहयोगी उद्यम है। जबकि सभी 17 कालेज इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी की विभिन्न शाखाओं में डिग्री पाठ्यक्रम चला रहे हैं, चौदह कालेजों में स्नातकोत्तर तथा डाक्टरल कार्यक्रमों की भी व्यवस्था है। क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों का समूचा अनावर्ती व्यय तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के संबंध में आवर्ती व्यय केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाता है। जहां तक स्नातक–पूर्व पाठ्यक्रमों पर होने वाले आवर्ती खर्च का संबंध है, वह केन्द्रीय और राज्य सरकारों के बीच 50:50 आधार पर वहन किया जाता है। मंत्रालय ने उद्योग की बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यक्रम विकास के लिए शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों की सहायता के निमित्त अनेक उपाय किए है। 'उत्कृष्टता के केन्द्र' नामक योजना के माध्यम से कम्प्यूटर, पुस्तकालय, संसाधन और अनुसंधान तथा विकास उपस्कर में क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों की क्षमता में वृद्धि की गई है।

अलग–अलग क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों द्वारा आलोच्य वर्ष में किए गए क्रियाकलाप निम्नानुसार हैं:

मोतीलाल नेहरू क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, इलाहाबाद

मोतीलाल नेहरू क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, इलाहाबाद की स्थापना केन्द्रीय सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के एक संयुक्त प्रयास के रूप में 1961 में की गई थी। एनएनआरईसी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के साथ संबद्ध है। कालेज में आठ विभाग है। यह कालेज इन विषय क्षेत्रों में चार–वर्षीय स्नातक–पूर्व पाठ्यक्रमों की पेशकश करता है: सिविल, इलेक्ट्रानिक, यांत्रिकी, कम्प्यूटर विज्ञान, इलेक्ट्रोनिक्स, उत्पादन और औद्योगिक इंजीनियरी तथा सूचना प्रौद्योगिकी। यह कालेज 13 एम.ई कार्यक्रमों के साथ–साथ एमसीए और मास्टर आफ मैनेजमेंट स्ट्डीज (एमएमएस) कार्यक्रम का भी आयोजन करता है। स्नातक–पूर्व धारा में कुल लगभग 469, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 170, एमसीए में 60 और एमएमएस में 30 छात्रों के दाखिले किए जाते हैं। पीएचडी कार्यक्रम के लिए सुविधा भी मौजूद है। भारत–यूके परियोजना के अधीन डिजाइन विषय में इस संस्थान को प्रमुख संस्थान के रूप में चुना गया था। योजना के अधीन लगभग एक करोड़ रुपए की लागत पर एक डिजाइन केन्द्र स्थापित किया गया है जो कि विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण और परामर्शी सेवाएं उपलब्ध कराता है। संकाय के कई सदस्यों ने यूके के विख्यात विश्वविद्यालयों में प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

मौलाना आजाद प्रौद्योगिकी कालेज, भोपाल

मौलाना आजाद प्रौद्योगिकी कालेज (एमएसटीसी), भोपाल की स्थापना केन्द्रीय सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के एक संयुक्त प्रयास के रूप में 1960 में की गई थी। एमएसटीसी, भोपाल राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के साथ संबद्ध है। इस कालेज को बर्कतुल्ला विश्वविद्यालय द्वारा वर्ष 1997–98 से स्वायत्तता का दर्जा प्रदान किया जा चुका है। कालेज में आठ विभाग हैं। यह कालेज एक पांच–वर्षीय बी. आर्क पाठ्यक्रम के अलावा इन विषयों में चार–वर्षीय बीई पाठ्यक्रमों की पेशकश करता हैं: सिविल इंजीनियरी, अभियांत्रिकी इंजीनियरी, विद्युत इंजीनियरी, इलेक्ट्रानिक तथा संचार इंजीनियरी, कम्प्यूटर विज्ञान इंजीनियरी, सूचना प्रौद्योगिकी। स्नातक–पूर्व पाठ्यक्रमों में कुल 451 छात्रों को दाखिल किया जाता है। यह कालेज नियमित और अंशकालिक पद्धति के अधीन 13 विभिन्न विशेषज्ञतापूर्ण क्षेत्रों में एमटेक पाठ्यक्रमों का भी आयोजन करता है जिसमें 115 छात्रों को दाखिला दिया जाता है। यह कालेज एमसीए कार्यक्रम का भी आयोजन करता है जिसमें 30 स्थान मौजूद हैं। कालेज में लड़कों के पांच तथा लड़कियों के लिए एक छात्रावास उपलब्ध है। कालेज ने दो समस्या उन्मुखी प्रयोगशालाएं स्थापित की हैं जो कि भारत में अपने ढंग की पहली प्रयोगशालाएं हैं। इनमें से एक प्रयोगशाला तरल यांत्रिकी और हाइड्रोलिक यांत्रिकी में

और दूसरी भारी विद्युत यांत्रिकी में है। इन प्रयोगशालाओं की स्थापना करने का उद्देश्य उद्योग और क्षेत्र में यथार्थ समस्याओं पर काम करना और प्राप्त हुए उपयोगी अनुभव को छात्रों तक पहुंचाना है।

क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, कालीकट

क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, कालीकट की स्थापना केन्द्रीय सरकार और केरल सरकार के एक संयुक्त प्रयास के रूप में 1961 में की गई थी। आरईसी, कालीकट, कालीकट विश्वविद्यालय के साथ संबंध है। कालेज में आठ विभाग है। कालेज इन विषय क्षेत्रों में चार–वर्षीय स्नातक–पूर्व पाठ्यक्रमों की पेशकश करता है: सिविल इंजीनियरी, वास्तुशिल्प इंजीनियरी, विद्युत और इलैक्ट्रानिक इंजीनियरी, इलैक्ट्रानिक और संचार इंजीनियरी, अभियांत्रिकी इंजीनियरी, उत्पादन इंजीनियरी और प्रबंध, कम्प्यूटर विज्ञान और इंजीनियरी तथा एक पांच–वर्षीय बी. टेक पाठ्यक्रम। यह कालेज 11 विभिन्न विशेषज्ञता क्षेत्रों में डेढ़ वर्ष की अवधि का एम. टेक डिग्री पाठ्यक्रम भी चलाता है। उपर्युक्त के अलावा, एक तीन–वर्षीय (छः सिमेस्टर) एमसीए कार्यक्रम भी चलाया जाता है। कालेज सभी विषय क्षेत्रों में पीएच.डी कार्यक्रम उपलब्ध कराता है। कालेज में लड़कों के लिए सात और लड़कियों के लिए तीन छात्रावासों के अलावा, अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए एक छात्रावास उपलब्ध है। परियोजना नालन्दा नामक डिजिटल लाइब्रेरी को **नालन्दा** का नाम दिया जाना बहुत सटीक है जो केवल यही नहीं कि हमें हमारी सांस्कृतिक परम्पराओं की याद दिलाता है बल्कि नेटवर्क आफ आटोमेटिड लाइब्रेरी का और पुरातत्त्व का परिवर्णी शब्द भी है। एक अलग वेबसाइट (http//nalanda.recal.ernet.in) निर्मित कर दी गई है और वह अत्यधिक लोकप्रिय सुविधा बनी हुई है और प्रयोक्ता लगभग चौबीसों घंटे इस वेबसाइट का प्रयोग करते हैं।

क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, दुर्गापुर

क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज (आईईसी), दुर्गापुर की स्थापना केन्द्रीय सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार के एक संयुक्त प्रयास के रूप में 1960 में की गई थी। आरईसी दुर्गापुर, बर्दवान विश्वविद्यालय से संबंध है। कालेज में 15 विभाग हैं। यह कालेज इन विषय क्षेत्रों में चार–वर्षीय स्नातक–पूर्व पाठ्यक्रमों की पेशकश करता है: सिविल, विद्युत अभियांकिी, रासायनिक, धातु कर्म सम्बन्धी, इलेक्ट्रोनिक्स और संचार, कम्प्यूटर विज्ञान और इंजीनियरी तथा सूचना प्रौद्योगिकी। कालेज एम टेक पाठ्यक्रमों का भी आलोचन करता है। कालेज में छात्रों के आवास के लिए पांच हाल हैं और प्रत्येक हाल में 250 छात्रों के ठहरने की व्यवस्था है। 120 छात्रों की क्षमता वाले लड़कों का एक और एक और छात्रावास निर्माणाधीन है। कालेज उद्योगों के साथ इन रूपों में गहरा सम्बंध बनाए हुए है: विभिन्न पारस्परिक समस्याओं पर विचारों का आदान–प्रदान, भाषण, संयुक्त परियोजनाएं और अनुसन्धान, छात्रों के लिए प्रशिक्षण और उनके आवधिक दौरे।

क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, हमीरपुर

क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज (आरईसी) हमीरपुर की विस्थापना केन्द्रीय सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार के एक संयुक्त प्रयास के रूप में 1985 में की गई थीं आरईसी, हमीरपुर, हिमाचल विश्वविद्यालय के साथ सम्बद्ध है। कालेज में पांच विभाग हैं। कालेज इन विषय क्षेत्रों में चार वर्षीय स्नातक–पूर्व पाठ्यक्रमों की पेशकश करता है: सिविल, विद्युत, इलेक्ट्रोनिक्स और संचार, कम्प्यूटर विज्ञान तथा अभियांत्रिकी इंजीनियरी। कालेज ने 2000–2001 के दौरान एक बी आर्क पाठ्यक्रम भी शुरू किया है तथा उसने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चलाने के लिए आवेदन किया है। कालेज में लड़कों के लिए चार और लड़कियों के लिए एक छात्रावास है। कालेज में एक सुसज्जित पुस्तकालय है। कालेज में कुल मिलाकर 220 छात्रों को दाखिला दिया जाता है। इस कालेज को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा 1995 में स्वायत्त दर्जा दे दिया गया था और तब से यह कालेज अपनी स्वयं की विद्या परिषद तथा अन्य स्वैच्छिक और गैर स्वैच्छिक निकायों सहित एक स्वायत्त संस्थान के रूप में काम कर रहा है।

मालवीय क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, जयपुर

मालवीय क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज (एमआरईसी), जयपुर की स्थापना केन्द्रीय सरकार और राजस्थान सरकार के एक संयुक्त प्रयास के रूप में 1963 में की गई थी। एमआरईसी, जयपुर, राजस्थान विश्वविद्यालय के साथ सम्बद्ध है। कालेज में आठ विभाग है। कालेज इन विषय क्षेत्रों में चार–वर्षीय स्नातक–पूर्व पाठ्यक्रमों की पेशकश करता है: वास्तुशिल्प, रासायनिक, सिविल, कम्प्यूटर, विद्युत, इलेक्ट्रोनिक तथा संचार, अभियांत्रिकी और धातुकर्मी

इंजीनियरी तथा एक पांच–वर्षीय बी टेक पाठ्यक्रम। कालेज तीन सेमेस्टरों वाला पूर्णकालिक और पांच सेमेस्टरों वाले (स्व–वित्तपोषी) स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रमों और एमएमएस अध्ययन में स्नातकोत्तर कार्यक्रमों की पेशकश करता है। एमएमएस की शुरूआत सीएमएसआईसी द्वारा की गई है। प्रायोजित सेवारत इंजीनियरों के लिए जिनका नामांकन शहरी विकास मंत्रालय द्वारा किया जाएगा, भारत सरकार द्वारा पर्यावरणात्मक इंजीनियरी (सिविल इंजीनियरी विभाग के अधीन) में एक एमई पाठ्यक्रम की मंजूरी दे दी गई है। कालेज में स्नातक–पूर्व धारा में लगभग 372 और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 174 छात्रों को दाखिला दिया जाता है। कालेज में लड़कों के लिए छः और लड़कियों के लिए दो छात्रावास मौजूद हैं। कालेज में एक सुसज्जित पुस्तकालय मौजूद है। भारत–यूके–आरईसी परियोजना के अधीन इस कालेज ने अनुसंधान और उद्योग के लिए एक अत्यंत उच्च तकनीकी डिजाइन केन्द्र स्थापित किया है।

डा. बीआर अम्बेडकर क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, जालन्धर, पंजाब

डा. बीआर अम्बेडकर क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, जालन्धर की स्थापना केन्द्रीय सरकार और पंजाब सरकार के एक संयुक्त प्रयास के रूप में 1986 में की गई थी। डा. बीआर अम्बेडकर आरईसी, जालन्धर, पंजाब तकनीकी विश्वविद्यालय के साथ सम्बद्ध है। इस कालेज में 13 विभाग हैं और यह इन विषय क्षेत्रों में चार–वर्षीय स्नातक–पूर्व पाठ्यक्रमों की पेशकश करता है: रसायनिक और जैव–इंजीनियरी, सिविल इंजीनियरी (स्ट्रक्चरल इंजीनियरी तथा निर्माण प्रबंध), कम्प्यूटर विज्ञान और इंजीनियरी, इलेक्ट्रानिक्स तथा संचार इंजीनियरी, औद्योगिक इंजीनियरी, इंस्ट्रूमेंटेशन तथा नियंत्रण इंजीनियरी, चर्म प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी इंजीनियरी (मैकेनिकल मशीन डिजाइन तथा आटोमेशन) तथा वस्त्र प्रौद्योगिकी। स्नातक–पूर्व धारा में कुल मिलाकर 304 छात्रों को दाखिला दिया जाता है। कालेज में लड़कों के लिए पांच और लड़कियों के लिए एक छात्रावास उपलब्ध है। कालेज में एक सुसज्जित पुस्तकालय है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमकर्ता विकास सैल (एनएसटीईडीबी) के वित्तपोषण से कालेज में एक उद्यमकर्ता सैल की स्थापना की गई है ताकि विभिन्न कार्यक्रमों की व्यवस्था करके छात्रों/स्नातकों/ स्नातकोत्तरों के बीच उद्यमकर्ता संस्कृति को बढ़ावा दिया जा सके।

क्षेत्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर

क्षेत्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर की स्थापना केन्द्रीय सरकार और बिहार सरकार के एक संयुक्त प्रयास के रूप में 1960 में की गई थी। आरआईटी, जमशेदपुर, रांची विश्वविद्यालय के साथ सम्बद्ध है। कालेज में 13 विभाग हैं। कालेज इन विषय क्षेत्रों में चार–वर्षीय स्नातक–पूर्व पाठ्यक्रमों की पेशकश करता है: सिविल अभियांत्रिकी, विद्युत, धातुकर्म संबंधी, इलेक्ट्रानिक, उत्पादन इंजीनियरी और प्रबंध तथा कम्प्यूटर विज्ञान और इंजीनियरी। कालेज में कुल मिलाकर 285 छात्रों को दाखिला दिया जाता है। कालेज में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 55 और एमसीए में 30 स्थान मौजूद है। लड़कों के लिए नौ तथा लड़कियों के लिए एक छात्रावास की व्यवस्था है। कालेज में एक सुसज्जित पुस्तकालय मौजूद है।

क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, कुरूक्षेत्र

क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, कुरूक्षेत्र की स्थापना केन्द्रीय सरकार और हरियाणा सरकार के एक संयुक्त प्रयास के रूप में 1963 में की गई थी। आरईसी, कुरूक्षेत्र, कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय के साथ संबद्ध है। कालेजों में नौ विभाग हैं। कालेज इन विषय–क्षेत्रों में चार–वर्षीय बी. टेक पाठ्यक्रमों की पेशकश करता है: सिविल, विद्युत, अभियांत्रिकी, इलेक्ट्रानिक्स तथा कम्प्यूटर इंजीनियरी। कुल मिलाकर, 327 छात्रों को दाखिला दिया जाता है। कालेज नियमित और अंशकालिक पद्धति के अधीन विशेषज्ञता के आठ क्षेत्रों में एम. टेक पाठ्यक्रम भी चलाता है। पीएच.डी के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध हैं। कालेज ने अपरम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय, भारत सरकार के अनुदान से एक ऊर्जा पार्क स्थापित किया है।

विश्वेश्वरैया क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, नागपुर

विश्वेश्वरैया क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, नागपुर की स्थापना केन्द्रीय सरकार और महाराष्ट्र सरकार के एक संयुक्त प्रयास के रूप में 1960 में की गई थी। वीआरईसी/नागपुर, नागपुर विश्वविद्यालय के साथ संबद्ध है। कालेज में 13 विभाग है। कालेज एक पांच–वर्षीय बी आर्क पाठ्यक्रम के अलावा इन विषय क्षेत्रों में चार–वर्षीय बीई पाठ्यक्रमों की पेशकश करता है: सिविल, अभियांत्रिकी, विद्युत, धातुकर्म संबंधी, खनन इलेक्ट्रानिक्स, कम्प्यूटर विज्ञान, संरचनात्मक इंजीनियरी। यह कालेज अंशकालिक और नियमित पद्धति के अधीन 11 एमटेक पाठ्यक्रम भी

चलाता है। उपर्युक्त के अलावा, कालेज औद्योगिक प्रबंध में एक–वर्षीय डिप्लोमा चलाता है। स्नातक–पूर्व पाठ्यक्रमों में कुल मिलाकर, 375 और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में 173 छात्रों को दाखिला दिया जाता है। कालेज में लड़कों के सात और लड़कियों का एक छात्रावास उपलब्ध है। कालेज में स्थित उद्योग–संस्थान तालमेल सैल औद्योगिक क्षेत्र के साथ गहरी अन्योन्यक्रिया को बढ़ावा देता है और पल्लवित करता है और उसकी उन्नति में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। कालेज द्वारा नागपुर में और उसके आसपास स्थित उद्योग को शामिल करते हुए ओडिसी–2000 नामक एक औद्योगिक मेला आयोजित किया गया।

क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, राउरकेला

क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, राउरकेला की स्थापना केन्द्रीय सरकार और उड़ीसा सरकार के एक संयुक्त प्रयास के रूप में 1961 में की गई थी। आईसी, राउरकेला, संबलपुर विश्वविद्यालय के साथ संबद्ध है। कालेज को 1990 से शैक्षणिक स्वायत्तता प्रदान कर दी गई हैं। कालेज के 15 विभाग है और वह इन विषय क्षेत्रों में चार–वर्षीय स्नातक–पूर्व पाठ्यक्रमों की पेशकश करता हैः रासायनिक, सिविल, विद्युत, अभियांत्रिकी, धातुकर्म संबंधी, खनन, अनुप्रयुक्त इलेक्ट्रानिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरी, कम्प्यूटर विज्ञान और इंजीनियरी तथा सिरेमिक इंजीनियरी। चार–वर्षीय बीई स्तर पर स्नातक–पूर्व धारा में कुल मिलाकर 348 छात्रों को दाखिला दिया जाता है। कालेज छः स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम और एक तीन–वर्षीय एमसीए कार्यक्रम चलाता है। कालेज में लड़कों के लिए छः और लड़कियों के लिए एक छात्रावास मौजूद है। उड़ीसा में राष्ट्रीय तकनीकी जनशक्ति सूचना प्रणाली के लिए आरईसी, राउरकेला एक नोडल केन्द्र है।

क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, सिलचर

क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, सिलचर की स्थापना केन्द्रीय सरकार और असम सरकार के एक संयुक्त प्रयास के रूप में 1967 में की गई थी। आरईसी, सिलचर, असम विश्वविद्यालय के साथ संबद्ध है। कालेज में 10 विभाग हैं और वह इन विषय क्षेत्रों में चार–वर्षीय स्नातक–पूर्व पाठ्यक्रमों की पेशकश करता हैः सिविल, अभियांत्रिकी, विद्युत, इलेक्ट्रानिक्स तथा दूरसंचार इंजीनियरी और कम्प्यूटर विज्ञान इंजीनियरी। कुल मिलाकर 219 छात्रों को दाखिला दिया जाता है। कालेज में लड़कों के लिए पांच और लड़कियों के लिए एक छात्रावास उपलब्ध है। कालेज में एक सुसज्जित पुस्तकालय मौजूद है।

क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, श्रीनगर

क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, श्रीनगर की स्थापना केन्द्रीय सरकार और जम्मू तथा कश्मीर सरकार के संयुक्त प्रयास के रूप में 1960 में की गई थी। क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, श्रीनगर, कश्मीर विश्वविद्यालय के साथ संबद्ध है। इस कालेज में 11 विभाग हैं और यह कालेज इन विषय क्षेत्रों में चार–वर्षीय स्नातक–पूर्व पाठ्यक्रमों की पेशकश करता हैः सिविल इंजीनियरी, विद्युत, इलेक्ट्रानिक और संचार इंजीनियरी, अभियांत्रिकी इंजीनियरी, रसायनिक, और धातुकर्म संबंधी इंजीनियरी तथा जल संसाधन इंजीनियरी में एमई पाठ्यक्रम। कालेज सभी विज्ञान विभागों और कुछेक इंजीनियरी विभागों में एम.फिल और पीएच.डी कार्यक्रम भी चलाता है। स्नातक–पूर्व पाठ्यक्रमों में कुल मिलाकर 242 छात्रों को दाखिला दिया जाता है। नोवेल्ल नेटवेयर के अधीन प्रत्येक ब्लाक में अलग–अलग एलएएन स्थापित किए जाने के बाद पुस्तकालय और प्रशासन सहित विभिन्न विभागों को नेटवर्क का अंग बना दिया गया है।

सरदार वल्लभभाई क्षेत्रीय इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी कालेज, सूरत

सरदार वल्लभभाई क्षेत्रीय इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी कालेज (एसवीआरसीईटी), सूरत की स्थापना केन्द्रीय सरकार और गुजरात सरकार के एक संयुक्त प्रयास के रूप में 1961 में की गई थी। एसवीआरसीईटी, सूरत, दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय के साथ संबद्ध है। कालेज में सात विभाग हैं और वह इन विषय क्षेत्रों में चार–वर्षीय बीई पाठ्यक्रम की पेशकश करता हैः सिविल, विद्युत, अभियांत्रिकी, इलेक्ट्रोनिक्स इंजीनियरी, उत्पादन इंजीनियरी, कम्प्यूटर इंजीनियरी तथा रसायनिक इंजीनियरी। स्नातक–पूर्व पाठ्यक्रमों में कुल मिलाकर 426 छात्रों को दाखिला दिया जाता है। कालेज सात विभिन्न विशेषज्ञता क्षेत्रों में एमई पाठ्यक्रम भी चलाता है जिनमें से प्रत्येक क्षेत्र में दस–दस छात्रों को दाखिला दिया जाता है। सभी विभागों में पीएचडी कार्यक्रमों के लिए सुविधाएं उपलब्ध हैं। कालेज में लड़कों के लिए छः और लड़कियों के लिए एक छात्रावास मौजूद है। वर्ष 1997–98 में इस कालेज को

राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमकर्ता विकास बोर्ड, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उद्यमकर्ता विकास सैल की स्थापना के लिए मेजबान संस्थान के रूप में चुना गया था।

कर्नाटक क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, सूरतकल

कर्नाटक क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, सूरतकल की स्थापना केन्द्रीय सरकार और कर्नाटक सरकार के एक संयुक्त प्रयास के रूप में 1960 में की गई थी। केआरईसी, सूरतकल मंगलौर विश्वविद्यालय से संबद्ध है। कालेज में आठ विभाग हैं और वह इन विषय क्षेत्रों में चार–वर्षीय स्नातक–पूर्व पाठ्यक्रमों की पेशकश करता है: सिविल, अभियांत्रिकी, विद्युत और इलेक्ट्रानिक्स और संचार, रासायनिक, धातुकर्म संबंधी, खनन, कम्प्यूटर इंजीनियरी और सूचना प्रौद्योगिकी। स्नातक–पूर्व धारा में कुल मिलाकर, लगभग 467 छात्रों को और एमसीए सहित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 247 छात्रों को दाखिला दिया जाता है। कालेज में लड़कों के लिए छः और लड़कियों के लिए दो छात्रावास उपलब्ध हैं। कालेज में एक विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित केआरईसी, स्टेप नामक एक विज्ञान प्रौद्योगिकी उद्यमकर्ता पार्क, अविच्छिन्न शिक्षा और और शैक्षिक प्रौद्योगिकी के लिए एक केन्द्र के रूप में राष्ट्रीय तकनीकी जनशक्ति सूचना प्रणाली (एनटीएमआईएस) केन्द्र, ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतरण केन्द्र के रूप में निर्मित केन्द्र तथा चिकनी मिट्टी की छत की टाइलों, ईंटों तथा अन्य सिरेमिक परियोजनाओं के लिए एक आर एंड डी केन्द्र।

क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, तिरूचिरापल्ली

क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, तिरूचिरापल्ली की स्थापना केन्द्रीय सरकार और तमिलनाडु सरकार के एक संयुक्त प्रयास के रूप में 1964 में की गई थी। आरईसी, तिरूचिरापल्ली, भारतीदसन विश्वविद्यालय के साथ संबद्ध है। कालेज में 13 विभाग हैं और यह कालेज पांच–वर्षीय बी आर्क पाठ्यक्रम के अलावा, इन विषयक्षेत्रों में चार–वर्षीय स्नातक–पूर्व पाठ्यक्रमों की पेशकश करता है: सिविल, कम्प्यूटर विज्ञान और इंजीनियरी, विद्युत और इलेक्ट्रानिक्स, अभियांत्रिकी, इलेक्ट्रानिक्स तथा संचार, धातुकर्म संबंधी, रसायनिक इंस्ट्रूमेंटेशन तथा नियंत्रण इंजीनियरी। स्नातक–पूर्व धारा में कुल मिला कर लगभग 444 और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 354 छात्रों को दाखिला दिया जाता है। लड़कों के लिए 10 और लड़कियों के लिए एक छात्रावास मौजूद है। आधुनिकतम कम्प्यूटर सुविधा से युक्त आक्टागन कम्प्यूटर केन्द्र छात्रों और संकाय के लिए आकर्षण का एक केन्द्र है। परिसरव्यापी स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क 300 से अधिक पेंटियम और 486 प्रणालियों से युक्त भारत का विशालतम **एलएएन** है। कालेज में एक डिजिटल पुस्तकालय उपलब्ध है।

क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, वारंगल

क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज, वारांगल की स्थापना केन्द्रीय सरकार और आंध्र प्रदेश सरकार के एक संयुक्त प्रयास के रूप में 1959 में की गई थी। आरईसी, वारंगल, काकतिया विश्वविद्यालय के अधीन एक स्वायत्त कालेज है। कालेज में 12 विभाग हैं और वह इन विषय क्षेत्रों में चार–वर्षीय स्नातक–पूर्व पाठ्यक्रमों की पेशकश करता है: सिविल, विद्युत और इलेक्ट्रानिक्स और संचार, धातुकर्म संबंधी, रसायनिक, कम्प्यूटर विज्ञान और इंजीनियरी। स्नातक–पूर्व धारा में कुल मिला कर, 373 और एमसीए सहित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में 232 छात्रों को दाखिला दिया जाता है। लड़कों के लिए 12 और लड़कियों के लिए एक छात्रावास उपलब्ध है। भारत–यूके परियोजना के अधीन स्टाफ सदस्यों को सूचना प्रौद्योगिकी के विषय में प्रशिक्षित किया गया।

राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान (एनआईआईई)

भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की सहायता से 1963 में राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान की स्थापना की थी। यह संस्थान मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है, जो कि सरकार, उद्योगों और शिक्षाविदों से लिए गए विख्यात व्यक्तियों से युक्त एक निदेशक मंडल से शासित होता है। यह संस्थान 1963 में अपनी स्थापना के समय से ही उद्योगों और व्यापार–संबंधी जटिल समस्याओं के समाधान प्रस्तुत करता रहा है।

राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान औद्योगिक इंजीनियरी तथा औद्योगिक प्रबंध में स्नातकोत्तर कार्यक्रमों

का और साथ ही सरकार से, सरकारी और निजी क्षेत्र संगठनों से लिए गए वरिष्ठ और मध्य स्तर के अधिकारियों के लाभार्थ उत्पादनशीलता विज्ञान और प्रबंध में बहुत बड़ी संख्या में प्रबंध विकास कार्यक्रमों का भी आयोजन करता है। यह संस्थान औद्योगिक इंजीनियरी और प्रबंध के क्षेत्र में अध्येतावृत्ति कार्यक्रम (पीएचडी के समकक्ष) भी आयोजित करता है। यह संस्थान औद्योगिक इंजीनियरी के विभिन्न पक्षों जैसे कि ऊर्जा, सुरक्षा, पर्यावरण, विपणन, कम्प्यूटर, व्यवहारपरक विज्ञान आदि में अनुप्रयुक्त अनुसंधान में भी प्रवृत्त है।

संस्थान उद्योग की विशिष्ट आवश्यकताओं के सर्वथा अनुरूप उद्योग के परिसर में या संस्थान के परिसर में यूनिट आधारित कार्यक्रम आयोजित करता है।

राष्ट्रीय गढ़ाई और ढलाई प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईएफएफटी)

यूनेस्को–संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से तथा देश के कोर क्षेत्र के विकास में गढ़ाई और ढलाई उद्योगों की महत्त्वपूर्ण भूमिका को स्वीकारते हुए राष्ट्रीय गढ़ाई और ढलाई प्रौद्योगिकी संस्थान की 1966 में स्थापना की गई थी। संस्थान का मुख्य उद्देश्य इन उद्योगों के संचालन और प्रबंध से जुड़े कार्मिकों को अत्यंत विशेषज्ञतापूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए संस्थान विभिन्न स्तरों के पाठ्यक्रमों की पेशकश करता है, जो कि इस प्रकार हैः गढ़ाई प्रौद्योगिकी और ढलाई प्रौद्योगिकी में उन्नत डिप्लोमा, विनिर्माण इंजीनियरी तथा धातुकर्म और सामग्री इंजीनियरी में बी.टेक डिग्री पाठ्यक्रम, विनिर्माण इंजीनियरी तथा गढ़ाई और ढलाई में एम.टेक डिग्री पाठ्यक्रम।

उपर्युक्त के अलावा यह संस्थान गढ़ाई, ढलाई तथा सम्बद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास क्रियाकलाप भी करता है। उद्योगों में सेवारत तकनीकी कार्मिकों के ज्ञानाधार को अद्यतन बनाने और उसका संवर्द्धन करने के लिए संस्थान सतत शिक्षा के कार्यक्रमों की पेशकश करता है जैसे कि संस्थान में पुनश्चर्या और ऑन साइट यूनिट आधारित पाठ्यक्रम।

आयोजना एवं वास्तुकला स्कूल

ग्रामीण, शहरी तथा क्षेत्रीय आयोजना के क्षेत्र में शिक्षा तथा प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 1995 में नगर तथा ग्रामीण आयोजना स्कूल की स्थापना की गई थी। 1959 में वास्तुकला विषय क्षेत्र को शामिल किए जाने के बाद इस स्कूल (एसपीए) का पुनः नामकरण आयोजना एवं वास्तुकला स्कूल के रूप में किया गया था जिससे कि वास्तुकला के विषय–क्षेत्र में भी शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

वर्ष 1979 में आयोजना एवं वास्तुकला स्कूल को सम–विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया था। आयोजना एवं वास्तुकला स्कूल वास्तुकला, आयोजना, डिजाइन तथा मानवीय आवास और पर्यावरण के विभिन्न पक्षों के प्रबंध में स्नातक–पूर्व तथा स्नातकोत्तर कार्यक्रम चला रहा है। आयोजना और वास्तुकला स्कूल दो स्नातक–पूर्व पाठ्यक्रमों अर्थात वास्तुकला स्नातक और वास्तुपरक आयोजना स्नातक के अलावा, दस स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की पेशकश करता है, जो इस प्रकार हैः (i) वास्तुकलात्मक संरक्षण में वास्तुकला निष्णात (ii) शहरी डिजाइन में वास्तुकला निष्णात; (iii) औद्योगिक डिजाइन में वास्तुकला निष्णात; (iv) लैण्डस्केप वास्तुकला में निष्णात; (v) पर्यावरणात्मक आयोजना में आयोजन निष्णात; (vi) आवास में आयोजना निष्णात; (vii) क्षेत्रीय आयोजना में आयोजना निष्णात; (viii) परिवहन आयोजना में आयोजना निष्णात; (xi) शहरी आयोजना में निष्णात; तथा (x) भवन इंजीनियरी और प्रबंध में निष्णात। इस स्कूल का संकाय क्षेत्रीय और शहरी विकास के क्षेत्रों में नीति और योजना निर्माण में सक्रिय योगदान देता है और संकाय सदस्यों को केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों, योजना आयोग तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा स्थापित विभिन्न विशेषज्ञ समितियों/आयोगों में सदस्यों के रूप में नियुक्त किया गया है।

भारतीय खान स्कूल

भारत सरकार द्वारा 1926 में स्थापित भारतीय खान स्कूल, धनबाद खनन, पेट्रोलियम, खनन यांत्रिकी, खनन इंजीनियरी और मृदा विज्ञानों के क्षेत्रों में राष्ट्र की मानव संसाधन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के अलावा जनशक्ति को इन क्षेत्रों में प्रशिक्षण भी प्रदान करता हैः प्रबन्ध इलेक्ट्रानिक्स तथा इंस्ट्रूमेंटेशन, पर्यावरणात्मक विज्ञान तथा इंजीनियरी, कम्प्यूटर विज्ञान तथा इंजीनियरी, अनुप्रयुक्त विज्ञान तथा मानविकी और सामाजिक विज्ञान।

भारतीय खान स्कूल इन विषयों में चार वर्षीय एकीकृत बी.टेक कार्यक्रमों की पेशकश करता है: खनन इंजीनियरी; इंजीनियरी तथा खनन यांत्रिकी; पेट्रोलियम इंजीनियरी; खनिज इंजीनियरी; कम्प्यूटर विज्ञान और इंजीनियरी; इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरी। यह स्कूल विज्ञान स्नातकों के लिए तीन वर्षीय कार्यक्रम भी प्रस्तुत करता है; जिसके बाद छात्रों को इन विषयों में एमएससी (टेक) की डिग्री प्रदान की जाती है: अनुप्रयुक्त भूविज्ञान तथा अनुप्रयुक्त भू–भौतिक शास्त्र। भारतीय खान स्कूल इंजीनियरी, प्रबंध, मृदा विज्ञान विषयों में अनेक उद्योगोन्मुखी स्नातकोत्तर कार्यक्रम चला रहा हैं। इन विषयों में तीन सेमेस्टरों की अवधि वाले एमटेक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं: खान आयोजना और डिजाइन, ओपनकास्ट खनन, खनिज इंजीनियरी, औद्योगिक इंजीनियरी तथा प्रबंध ड्रिलिंग इंजीनियरी, ईंधन इंजीनियरी, अनुरक्षण इंजीनियरी तथा ट्राइबोलौजी, पेट्रोलियम इंजीनियरी, पर्यावरणात्मक विज्ञान और इंजीनियरी, कम्प्यूटर अनुप्रयोग, शिला उत्खनन, इंजीनियरी, तथा लौंगोवाल खान यांत्रिकीकरण। उपर्युक्त के अलावा, विज्ञान में एम फिल तथा एमबीए के दो सेमेस्टरों वाले कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं।

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद

सूचना प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता के एक राष्ट्रीय संस्थान के रूप में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद (आईआईआईटी–ए) की स्थापना मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 1999 में सूचना प्रौद्योगिकी में विकास को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। व्यापक रूप से नेटवर्क युक्त शैक्षिक, शोध और विकासात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से आईआईआईटी–ए उद्योग और संस्थान के बीच एक संबंध स्थापित करने का प्रयास करेगा ताकि आईटी क्षेत्र को सर्वोत्तम व्यावसायिक उपलब्ध कराए जाएं।

आईआईआईटी–ए सूचना प्रौद्योगिकी का एक शीर्षस्थ संस्थान है और इस संस्थान द्वारा जिन पाठ्यक्रमों की पेशकश की जाती है वे विश्व में तदनुरूपी सुविधाओं से युक्त सर्वोत्तम पाठ्यक्रमों की टक्कर के हैं। अतः शैक्षणिक कार्यक्रम की प्रकृति और डिजाइन में ऐसे पाठ्यक्रमों का सेट शामिल है जो कि विशिष्ट रूप से विश्वविद्यालय की डिग्री के स्तर के होते हैं और संस्थान के भीतर तथा बाहर भी किए जा रहे क्रियाकलाप उपयुक्त अर्हताओं में परिणत हो जाते हैं।

संस्थान का स्थायी परिसर देवघाट, झलवा, इलाहाबाद में 100 एकड़ भूमि में निर्मित किया जा रहा है। इस संस्थान को हाल ही में सम–विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ है। आईटी क्षेत्र में 60 छात्रों सहित चार वर्षीय बी.टेक कार्यक्रम पहले से ही शुरू हो चुका है। स्नातकोत्तर कार्यक्रम 2001–2002 से शुरू किए जाएंगे। संस्थान और लड़कों तथा लड़कियों के लिए छात्रावास क्रमशः इलाहाबाद विश्वविद्यालय और इंजीनियरी तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद द्वारा उपलब्ध कराए गए परिसरों में चल रहे हैं।

एनालाग / डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, इमेज प्रोसेसिंग, दृश्य / श्रव्य डाटा प्रोसेसिंग, डिजिटल / डाटा संचार, डाटा संरचना आदि के क्षेत्रों में व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए अधुनिकतम प्रयोगशालाएं उपलब्ध हैं। अध्यापन–अधिगम प्रक्रियाओं में मल्टीमीडिया का अत्यधिक प्रयोग किया जा रहा है।

कम्प्यूटर तथा संबंद्ध प्रणालियों के साफ्टवेयर के प्रयोग और विकास के संबंध में आईटी के सैद्धांतिक पक्ष के साथ–साथ संस्थान ने छात्रों को हार्डवेयर की जानकारी प्रदान करने की भी योजना बनाई है जिससे कि वे इस क्षेत्र में उन्नति कर सकें। संस्थान ने अपने नवाचारी केन्द्र के माध्यम से कम्प्यूटर और सम्बद्ध उपकरणों के असेम्बल करने के नवाचारी कार्यक्रम शुरू किए हैं।

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, ग्वालियर

विभाग द्वारा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना 1996 में की गई थी और संस्थान ने 1998–99 से अपने शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू कर दिए हैं। इस प्रयोजन के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने 60 हेक्टेयर भूमि प्रदान की है। इस समय यह संस्थान ग्वालियर में एक अस्थायी परिसर से चल रहा है। संस्थान के स्थायी परिसर का काम पूरे जोर–शोर से शुरू कर दिया गया है।

आशा है कि इस संस्थान को शैक्षणिक तथा प्रशासनिक स्वायत्तता और लचकता प्रदान की जाएगी जो कि इससे पूर्व केवल आईआईटी तथा आईआईएम को दी जाती थी। संस्थान को सम–विश्वविद्यालय के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव है।

आईआईआई एम, ग्वालियर, निम्न कार्यक्रमों की पेशकश करता है:

- प्रबंध और सूचना प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा का एक दो–वर्षीय स्नातकोत्तर कार्यक्रम (पीजीडीएमआईटी) जिसमें प्रवेश के लिए अर्हता इंजीनियरी में डिग्री तथा/अथवा एमसीए होगी और इस कार्यक्रम में 60 छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा।
- सूचना प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा का 1 ½ वर्ष अवधि का एक स्नातकोत्तर कार्यक्रम (पीजीडीआईटी) जिसमें प्रवेश के लिए अर्हता कम्प्यूटर विज्ञान/इलेक्ट्रानिक्स में डिग्री अथवा समकक्ष योग्यता होगी और इस कार्यक्रम में 30 छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा।
- सूचना प्रौद्योगिकी और प्रबंध में स्नातकोत्तर डिप्लोमा का 5 ½ वर्ष की अवधि का एक एकीकृत स्नातकोत्तर कार्यक्रम जिसमें प्रवेश के लिए अर्हता सीनियर स्कूल प्रमाण पत्र अथवा इसके समकक्ष योग्यता होगी और इस कार्यक्रम में 50 छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा।
- प्रबंध और सूचना प्रौद्योगिकी में फेलोशिप कार्यक्रम (पीएचडी) जिसमें 30 शोध छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा।

उपर्युक्त के अलावा यह संस्थान उद्योग के लिए प्रबंध विकास कार्यक्रमों (एमडीपी) तथा सतत शिक्षा कार्यक्रमों की पेशकश भी करता है और उसे आर एण्ड डी समर्थन प्रदान करता है। अपनी *सम्बद्ध संकाय योजना* को एक अंग के रूप में उद्योग तथा शैक्षणिक क्षेत्र–दोनों से एक–एक विशेषज्ञ अर्थात कुल विशेषज्ञ अपने कार्यक्रमों और पाठ्यक्रमों को तैयार करने में संस्थान को सलाह देते हैं और उसकी सहायता करते हैं।

संकाय और छात्रों को विस्तारित समय तक अधुनिकतम कम्प्यूटर सुविधाएं प्रदान की जाती हैं ताकि छात्रों को गहन व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो सके। एक प्राक्सी–सर्वर के माध्यम से आईएसडीएन आधारित इन्टरनेट संयोज्यता उपलब्ध कराई गई है।

संस्थान अपने पुस्तकालय संसाधनों के विकास पर अधिक बल दे रहा है। संस्थान को पुस्तकालय डाटाबेस और उद्योग डाटा बेस के माध्यम से पत्रिकाओं की इलेक्ट्रानिक सुलभता उपलब्ध है। इसकी सेवाएं पूरी तरह कम्प्यूट्रीकृत है।

संस्थान ने संयुक्त अनुसंधान, छात्र क्रेडिट अन्तरण और छात्रों तथा संकाय के आदान–प्रदान को सुकर बनाने के लिए अमरीका स्थित स्टीवन्स प्रौद्योगिकी संस्थान (एसआईटी) के साथ अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध स्थापित किया है।

संस्थान का उद्योग के साथ गहरा तालमेल है/उद्योग ने आगे बढ़कर एक यूनिक्स प्रयोगशाला स्थापित की है और छात्रवृत्तियों की पेशकश की है। छात्रों के साथ वैचारिक आदान–प्रदान करने के लिए उद्योग से विशेषज्ञों को समय–समय पर आमंत्रित किया जाता है। छात्र भी अपनी पाठ्यचर्या के एक अंग के रूप में उद्योगों का दौरा करते हैं ताकि वे वास्तविक औद्योगिक वातावरण से अवगत हो सकें और सैद्धान्तिक ज्ञान को यथार्थ जीवन की समस्याओं के लिए लागू कर सकें।

उद्योग के साथ गहरा तालमेल बनाए रखने से संस्थान अपने सभी छात्रों के लिए अत्यन्त आकर्षक वृत्तियों और प्रतिपूर्ति सहित ग्रीष्मकालीन नियोजन और यहां तक कि अन्तिम नियोजन भी प्राप्त कर सकता है।

पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (एनईआरआईएसटी), ईटानगर

पूर्वोत्तर क्षेत्र के विज्ञान के विकास के लिए इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी और अनुप्रयुक्त विज्ञान विषयों में कुशल जनशक्ति तैयार करने के लिए 1986 में पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, (एनईआरआईएसटी), ईटानगर की स्थापना की गई थी। सम्प्रति, एनईआरआईएसटी को आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा प्रदान किया जा रहा है, पूर्व में इसका वित्तपोषण उत्तर–पूर्वी परिषद द्वारा किया जाता था। 1994–95 से इस संस्थान को शिक्षा विभाग द्वारा वित्तपोषित किया जा रहा है।

एनईआरआईएसटी इन अर्थों में एक अनूठा संस्थान है कि यह माड्यूलर कार्यक्रमों की एक श्रृंखला की पेशकश

करता है, प्रत्येक कार्यक्रम दो वर्ष की अवधि का होता है तथा इस प्रकार प्रौद्योगिकी और अनप्रयुक्त विज्ञानों में छः प्रमाणपत्र, सात डिप्लोमा और सात डिग्री पाठ्यक्रमों की पेशकश की जाती है। माड्यूलर कार्यक्रम व्यावसायिक स्तरों अर्थात तकनीशियनों, पर्यवेक्षकों और इंजीनियरों के साथ सम्बंध उपलब्ध कराते हैं। आधारिक और डिप्लोमा माड्यूल अगले उच्चतर माड्यूल में प्रवेश दिलाते हैं बशर्ते कि निम्नतर माडयूल में प्रवेश दिलाते हैं बशर्ते कि निम्नतर माडयूल में छात्र का निष्पादन अपेक्षित स्तर का रहा है। और उसमें कतिपय सेतु पाठ्यक्रमों की पूर्ति किए जाने का प्रावधान रहता है। इस प्रकार प्रत्येक माडयूल के अंत में छात्रों का किंचित प्रतिशत या स्वेच्छा से अथवा विवश होकर विलग हो जाते हैं। इस माडयूलर और नवाचार पाठ्यक्रम का बल इस बात पर रहता है कि व्यावसायीकरण की नीति को प्रोत्साहित किया और केवल समर्पित छात्रों को ही उच्चतर अध्ययन करने की अनुमति दी जाए तथा शेष को नौकरियों पर जाने अथवा अपने उद्यमकर्ता कौशल विकसित करने का विकल्प दिया जाए।

संस्थान को उत्तर–पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय (नेहू) शिलांग द्वारा अनन्तिम सम्बन्धन प्रदान किया जा चुका है। पिछले 15 वर्षों में संस्थान ने विभिन्न विषय–क्षेत्रों में 16,000 से अधिक छात्रों को प्रशिक्षित कर दिया है।

संत लौंगोवाल इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थान (एसएलआईईटी), लौंगोवाल

पंजाब राज्य के संगरूर जिले में स्थित लौंगोवाल गांव में वर्ष 1989 में संत लौंगोवाल इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी संस्थान (एसएलआईईटी) इसलिए स्थापित किया गया था जिससे कि इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी और साथ ही अनुप्रयुक्त विज्ञानों में कुशल जनशक्ति का निर्माण करने के लिए यह संस्थान एक आदर्श संस्थान के रूप में काम कर सके। संस्थान द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले पाठ्यक्रम प्रकृति से माड्यूलर तथा अन्तिम हैं, प्रत्येक की अवधि दो वर्ष होती है तथा उपयुक्त स्तरों पर सेतु पाठ्यक्रम होते हैं। यह संस्थान शतप्रतिशत रूप से माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा विभाग (एमएचआरडी) द्वारा वित्तपोषित है।

संस्थान 12 प्रमाणपत्र, 10 डिप्लोमा और 8 डिग्री पाठ्यक्रम चलाता हैं। ऊर्ध्व गतिशीलता और पार्श्व प्रवेश का प्रावधान विभिन्न स्तरों पर उपलब्ध है जैसेकि एकीकृत ढंग से प्रमाणपत्र, डिप्लोमा और डिग्री। शैक्षिक कार्यक्रम अपरम्परागत, लागत प्रभावी, लचीले, माड्यूलर, क्रेडिट–आधारित हैं जिनमें बहु–बिन्दु प्रवेश के प्रावधान सहित विभिन्न स्तरों पर स्वरोजगार तथा शिक्षा की सततता पर बल देते हुए अन्तःनिर्मित उद्यमशीलता मौजूद है।

अपनी स्थापना के समय से संस्थान तकनीकी शिक्षा के विभिन्न विषय क्षेत्रों में लगभग 25,000 छात्रों को प्रशिक्षित कर चुका है।

तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान (टीटीटीआई)

भोपाल, कलकत्ता, चण्डीगढ़ तथा मद्रास में 1960 के दशक के मध्य में चार तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए गए थे। इन संस्थानों को स्थापित करने का उद्देश्य यह था कि वे अपने–अपने क्षेत्रों में तकनीशियनों की शिक्षा में गुणवत्ता सुनिश्चित करने वाले प्रमुख अभिप्रेरक संस्थानों की भूमिका निभाएं। प्रारम्भिक दौर में इन संस्थानों का उद्देश्य यह था कि वे उपयुक्त पद्धतियों के माध्यम से आवश्यकता–आधारित मानव संसाधन विकास कार्यक्रम प्रस्तुत करने और तकनीशियन शिक्षा प्रणाली के लिए पाठ्यचर्या तथा संस्थानगत संसाधन विकसित करने की दिशा में पहल करेंगे। लेकिन धीरे–धीरे उनका उद्देश्य बदल कर यह हो गया है कि वे राज्य सरकारों और पॉलीटेक्निकों द्वारा अपनी शैक्षिक प्रक्रियाओं और उत्पादों में सुधार लाने की दिशा में उनकी मदद करेंगे। ये संस्थान पॉलीटेक्निकों, उद्योगों और समुदाय के लिए स्तरीय शिक्षा तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के योजना निर्माण, डिजाइन, आयोजना और मूल्याकंन के साथ सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। इसके अतिरिक्त, ये संस्थान विश्व बैंक सहायताप्राप्त तकनीशियन शिक्षा परियोजना के कार्यान्वयन में राज्य सरकारों को सहयोग प्रदान करने के अलावा उनके साथ अपने अनुभवों और विशेषज्ञता का आदान–प्रदान भी कर रहे हैं। सामान्य रुचि के क्षेत्रों में काम करने के प्रयोजन से इन संस्थानों ने व्यापार और उद्योगों के साथ गहरे सम्बन्ध स्थापित करने के अलावा शैक्षिक संस्थानों के साथ भी व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापित कर लिए हैं।

महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

अन्य योजनाएं/क्रियाकलाप

सामुदायिक पॉलीटेक्निकों (सीपी) की योजना

एक संस्थान के रूप में पॉलीटेक्निक ऐसी भौतिक सुविधाओं (लेक्चर रूम, कार्यशाला, छात्रावास, उपकरण) से सुसज्जित होता है जिनका प्रयोग ज्ञान और कौशलों का सम्बन्ध समुदाय के साथ स्थापित करने के लिए किया जा सकता है। पालीटेक्निक में योग्य और प्रशिक्षित संकाय होता है जो कि ग्रामोन्मुखी कार्यक्रम और परियोजनाएं विशेष रूप से जहां प्रौद्योगिकी का अन्तरण किया जाना हो वैज्ञानिक रूप से तैयार, कार्यान्वित कर सकता है और उनका अनुश्रवण कर सकता है। इसके पास छात्रों की बहुत बड़ी संख्या होती है जोकि सुविचारित योजनाओं के अनुसार सही दिशा–निर्देश दिए जाने पर ग्रामीण विकास में सार्थक योगदान दे सकते हैं।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए एक केन्द्रीय प्रत्यक्ष योजना के रूप में सामुदायिक पॉलीटेक्निक की योजना 1978–79 में शुरू की गई थी। केन्द्रीय सरकार (मानव संसाधन विकास मंत्रालय के माध्यम से) एआईसीटीई अनुमोदित ऐसे चुनिन्दा पॉलीटेक्निकों को, जिनके प्रस्तावों की राज्य तकनीकी शिक्षा निदेशालय द्वारा सिफारिश की गई हो सीधे ही 7.25 लाख रुपए तक का अनावर्ती (एकबार) अनुदान और अधिक से अधिक 7 लाख रूपये तक का आवर्ती (वार्षिक) अनुदान प्रदान करता है। आज की तारीख में देश में 516 सामुदायिक पॉलीटेक्निक हैं जिनका क्षेत्रवार वितरण निम्नानुसार है:

उत्तरी क्षेत्र	:	163
दक्षिणी क्षेत्र	:	170
पूर्वी क्षेत्र	:	080
पश्चिमी क्षेत्र	:	103
योग	:	**516**

चालू वित्तीय वर्ष में 101 सामुदायिक पॉलीटेक्निकों को और अनुमोदन दे दिया गया है। एक सामुदायिक पॉलीटेक्निक एक सामान्य पॉलीटेक्निक से भिन्न कोई अलग ढंग का नहीं होता। यह एक विद्यमान पॉलीटेक्निक का एक स्कन्ध होता है जिसे पॉलीटेक्निक के भीतर मौजूद बुनियादी तंत्र का प्रयोग करते हुए अपने आस–पास विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रयोग के माध्यम से ग्रामीण/ सामुदायिक विकास के क्रियाकलाप करने होते हैं। सामुदायिक पॉलीटेक्निकों के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार हैः

- तकनीकी–आर्थिक सर्वेक्षणों, रोजगार संभावना सर्वेक्षणों के माध्यम से समुदाय की अनुभूत मांग का पता लगाना;
- प्रौद्योगिकी अन्तरण के लिए एक मंच उपलब्ध कराना;
- स्थानीय समुदाय को तकनीकी/अनुसमर्थन सेवाएं प्रदान करना;
- युवकों, युवतियों और अन्य सुविधाविहीन वर्गों को रोजगारोन्मुखी कौशलों में प्रशिक्षण प्रदान करना; तथा
- समस्य समाधानोन्मुखी माहौल तैयार करने के प्रयोजन से विकास कार्यक्रमों की बाबत सूचना का प्रसार करना और जागरूकता उत्पन्न करना।

प्रत्येक सामुदायिक पॉलीटेक्निक अपने विस्तार केन्द्रों के माध्यम से काम करता है जिनकी संख्या प्रायः पांच होती है। प्रत्येक विस्तार केन्द्र आस–पास के लगभग 10–12

गांवों की सेवा करता है। प्रत्येक सामुदायिक पॉलीटेक्निक प्रति वर्ष लगभग 500 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करता है। इस प्रकार प्रति वर्ष लगभग दो लाख व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। प्रशिक्षणार्थियों के लिए आयु, योग्यता अथवा लैंगिक आधार पर कोई रोक नहीं है। प्रशिक्षण कार्यक्रम क्षमता आधारित होते हैं जिनकी अवधि उसे 9 महीने तक होती है।

सामुदायिक पालीटेक्निकों की राष्ट्रीय स्तर पर दो बार पुनरीक्षा की जा चुकी है। पहली पुनरीक्षा कालबाग समिति द्वारा 1987 में और दूसरी लूथर समिति द्वारा 1994 में की गई थी। दोनों पुनरीक्षाओं ने बहुकौशल क्षमता–आधारित प्रशिक्षण, महिलाओं, विकलांगों आवारा बच्चों के लिए एक विशेष कार्यक्रम तथा केन्द्रीय/राज्य सरकार के अन्य ग्रामीण विकास कौशलों के निमित्त सुझाव देने के साथ–साथ आईसीटीई–अनुमोदित सभी पालीटेक्निकों को शामिल करने की सिफारिशें की थी।

सामुदायिक पॉलीटेक्निकों की योजना की शुरूआत से लगभग 9,00,000 व्यक्तियों को विभिन्न रोजगारोन्मुखी कौशलों में प्रशिक्षित किया जा चुका है। टीटीटीआई द्वारा आयोजित एक ट्रेसर अध्ययन के अनुसार इन प्रशिक्षित व्यक्तियों में लगभग 18 प्रतिशत व्यक्ति अनुसूचित जातियों के, 4 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों के और 13 प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदायों के और 43 प्रतिशत महिलाएं हैं। 30 से 50 प्रतिशत व्यक्ति स्व–रोजगार/सेवारत श्रेणी के हैं। शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े अल्पसंख्यकों की बहुलता वाले 41 जिलों में से 36 जिले इस योजना के अधीन पहले ही शामिल किए जा चुके हैं।

चालू वित्त वर्ष 2000–2001 के दौरान सामुदायिक पॉलीटेक्निकों की योजना में एआईसीटीई अनुमोदित 101 और पॉलीटेक्निक शामिल किए जाने का विचार है।

प्रौद्योगिकी विकास मिशन

इस आशय की एक आवश्यकता महसूस की गई थी कि आईआईटी तथा आईआईएससी बंगलौर जैसे उत्कृष्टता के केन्द्रों को अपने प्रयासों को प्रौद्योगिकी निर्धारण और पूर्वकथन की ओर केन्द्रित करने की आवश्यकता है ताकि भावी पद्धतियों को, देश में उभरती हुई वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय प्रवृत्तियों की देखभाल करने के लिए पुनः अनुस्थापित किया

ढोलेरा विस्तार में रेडियो तथा टीवी मरम्मत केन्द्र

जा सके। इसके फलस्वरूप सामरिक महत्त्व के निम्न सात सामान्य क्षेत्रों का अनुमोदन किया गया

- खाद्य प्रसंस्करण इंजीनियरी (एफपीई)
- समेकित डिजाइन और प्रतियोगी विनिर्माण (आईडीसीएम)
- फोटोनिक युक्तियां और प्रौद्योगिकियां (पीडीटी)
- ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियां (ईईटी)
- संचार नेटवर्क निर्माण और बुद्धिमत्तापूर्ण आटोमेशन (सीएनआईए)
- नवीन सामग्रियां (एनएम)
- जेनेटिक इंजीनियरी और जैव–प्रौद्योगिकी (जीईबी)

इन सात सामान्य क्षेत्रों में से प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान/भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर एक अग्रणी संस्थान था। उद्योग की सहभागिता के अलावा तीन सहभागी संस्थान तक शामिल होंगे।

प्रौद्योगिकी अंतरण मिशन का पहला चरण पूरा हो गया है जिसकी राष्ट्रीय संचालन समिति द्वारा समीक्षा कर ली गई है। विभिन्न मिशन कार्यक्रमों के अधीन उद्योग की प्रत्यक्ष सहभागिता सहित बहुत बड़ी संख्या में परियोजनाएं हाथ में ली गई। विभिन्न मिशनों के अधीन विकसित विभिन्न प्रौद्योगिकियां उद्योग को अंतरित की जा चुकी हैं। चरण I में प्राप्त अनुभव के आधार पर चरण II के आधार पर चरण II शुरू करने की कार्रवाई पहले ही की जा चुकी है। चरण II के कार्यान्वयन के लिए निम्न नौ क्षेत्र का पता लगाया गया हैं:

उद्देश्य

- क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों सहित केन्द्रीय संस्थानों के लिए मशीनरी तथा इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकीय, प्रबंध, फार्मेसी, वास्तुकला का प्रयोगशाला में कार्यशाला मशीनरी तथा उपस्कर में अप्रचलन को दूर करना;
- नए उपस्करों को जोड़ कर प्रयोगशालाओं तथा कार्यशालाओं का आधुनिकीकरण;
- पुस्तकालय सुविधाओं में वृद्धि करना;
- क्लासरूम प्रौद्योगिकी, प्रयोगशाला अनुदेश, अनुदेशात्मक सामग्री और चार्ट, उपयुक्त प्रौद्योगिकी के विकास संबंधी नवाचारों से युक्त परियोजनाओं को अनुसमर्थन देना;
- शिक्षण और सहायक तकनीकी स्टाफ को प्रशिक्षण तथा पुनः प्रशिक्षण प्रदान करना, और
- संगणन तथा नेटवर्क सुविधाओं का स्तरोन्नयन

- उन्नत डिजाइन और विनिर्माण प्रक्रियाएं और प्रौद्योगिकियां।
- सूचना और स्वचलीकरण प्रौद्योगिकियां।
- संचार प्रौद्योगिकियां और नेटवर्क
- इलेक्ट्रानिक प्रौद्योगिकियां तथा वीएसएलआईडी डिजाइन।
- उन्नत कृषिक और खाद्य प्रौद्योगिकियां
- स्वास्थ्य देखभाल और जैव–प्रौद्योगिकी
- सामग्री प्रौद्योगिकी
- ऊर्जा, संसाधन प्रबंध और पर्यावरण प्रौद्योगिकी
- शिक्षा प्रणालियों की देखभाल करने की प्रौद्योगिकी

आधुनिकीकरण और अप्रचलन को दूर करना

देश में इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, फार्मेसी तथा वास्तुकला संस्थानों में प्रयोगशाला/पुस्तकालय/कार्यशाला/कम्प्यूटिंग सुविधाओं को आधुनिक बनाने और उनमें अप्रचलन को दूर करने का उच्च प्राथमिकता दी गई है। शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान उद्देश्यों के लिए इन संस्थानों की कार्यात्मक कुशलता बढ़ाने के लिए आधुनिकीकरण अपनाया जाता है।

1999–2000 के दौरान आईआईटी, आईआईएम, आईआईएससी, क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों और अन्य केन्द्रीय संस्थानों को 8.00 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई।

तकनीकी शिक्षा के ध्यातव्य क्षेत्र

इस योजना में उभरते हुए क्षेत्रों में प्रयोगशालाओं और उत्तम जनशक्ति के अर्थों में आधारिक सुविधाओं के सृजन के लिए निम्न उद्देश्यों के साथ परियोजना आधारित वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने का प्रावधान है:

- ध्यातव्य क्षेत्रों में आधुनिक प्रयोगशालाओं के अर्थों में आधारिक सुविधाएं विकसित करना;
- संस्थानों द्वारा कार्यक्रमों और पाठ्यक्रमों के अभिज्ञान द्वारा उच्च स्तरीय कार्य के लिए एक आधार निर्मित करना और ऐसा करते समय ग्रामीण समाज और सुविधाविहीन वर्गों की ओर विशेष ध्यान देते हुए देश की विशालता तथा क्षेत्रीय मांगों को ध्यान में रखना; तथा
- परामर्श सहित कार्यक्रमों की बहुलता के माध्यम से अन्य अनुसंधान प्रयोगशालाओं, उद्योग तथा उपभोक्ता एजेंसियों के साथ समस्तरीय और उर्ध्वाधर संबंध स्थापित करना।

वर्ष 1999–2000 के दौरान आईआईटी, आईआईएससी, आईआईएम, आरईसी तथा अन्य केन्द्रीय संस्थानों को 4.00 करोड़ रुपए का सहायता–अनुदान प्रदान किया गया।

अनुसंधान तथा विकास

अनुसंधान तथा विकास कार्यकलापों को उच्चतर शिक्षा का अनिवार्य घटक समझा जाता है क्योंकि अभिनव ज्ञान तथा समझ पैदा करने तथा शैक्षिक प्रक्रिया को उत्साह और गति प्रदान करने में इसकी अहम भूमिका है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने यह योजना निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ आरंभ की थी:

- अनुसंधान तथा विकासात्मक प्रयासों के लिए बुनियादी सुविधाओं का सृजन करना तथा उन्हें अद्यतन बनाना;
- इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी, फार्मेसी, वास्तुकला तथा क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों सहित केन्द्रीय संस्थानों में इंजीनियरी और प्रौद्योगिकीय, प्रबंध, फार्मेसी, वास्तुकला पाठ्यक्रमों के लिए प्रयोगशालाओं की कार्यशाला मशीनरी तथा उपस्कर में अप्रचलन को दूर करना

वर्ष 1999–2000 में परियोजनाओं के लिए आईआईटी, आईआईएससी, आईआईम, आरईसी आदि को 4.00 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई।

प्रशिक्षुता प्रशिक्षण की योजना

राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना लगभग 10,000 औद्योगिक प्रतिष्ठानों/संगठनों के स्नातक इंजीनियरों, डिप्लोमाधारियों (तकनीशियनों) और (10+2) व्यावसायिक पाठ्यक्रम पास करने वालों को समय–समय पर यथासंशोधित प्रशिक्षुता अधिनियम, 1961 के अनुसार और केन्द्रीय प्रशिक्षुता परिषद द्वारा निर्धारित नीतियों और मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार व्यावहारिक प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करती है।

मुम्बई, कलकत्ता, कानपुर तथा चेन्नई स्थित चार क्षेत्रीय प्रशिक्षुता/व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा विभाग) द्वारा पूर्णतया वित्तपोषित स्वायत्त संगठन है। इन बोर्डों को अपने–अपने क्षेत्रों में प्रशिक्षुता अधिनियम लागू करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अधिनियम के अंतर्गत प्रशिक्षु प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष है। प्रशिक्षुओं को मासिक वृत्ति दी जाती है जिसमें केंद्र सरकार तथा नियोक्ता का हिस्सा बराबर–बराबर होता है। इंजीनियरी स्नातक तकनीशियनों और 10+2 व्यावसायिक प्रशिक्षुओं को देय वृत्ति की राशि क्रमशः 1630 रुपए और 1160 रुपए तथा 900 रूपए प्रतिमाह है।

चारों बोर्डों को सलाह दी गई है कि वे प्रशिक्षु अधिनियम के अधीन व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने के प्रयोजन से नियमों के अनुसार महिलाओं, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और साथ ही अल्पसंख्यक उम्मीदवारों का चयन करें।

आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लगभग 1,51,000 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया था जबकि लक्ष्य 1,51,000 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित करने का था। नौवीं योजना में लगभग 1,80,000 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। नौवीं योजना अवधि के पहले तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अधीन लगभग 1,00,000 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। वर्ष 2000–2001 के लिए विभिन्न श्रेणियों (स्नातक, इंजीनियर, तकनीशियन तथा 10+2 व्यावसायिक प्रशिक्षु) के लगभग 45,000 प्रशिक्षुकों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है।

शैक्षिक अर्हता मूल्यांकन बोर्ड

केन्द्रीय सरकार के अधीन पदों एवं सेवाओं में रोजगार के लिए शैक्षिक तथा व्यावसायिक अर्हताओं (स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विषयों से संबंधित अर्हताओं को छोड़कर) की मान्यता के उद्देश्य शैक्षिक अर्हता मूल्यांकन बोर्ड के स्थान पर एक उच्च स्तरीय समिति स्थापित कर दी गई है।

भारत के संस्थानों में प्रवेश के लिए विदेशी छात्रों को स्व-वित्तपोषण की सुविधाएं

स्नातकोत्तर स्तर के तकनीकी पाठ्यक्रम

स्नातकोत्तर स्तर के तकनीकी पाठ्यक्रम भारत के संस्थानों में तकनीकी विषयों (स्वास्थ्य और चिकित्सा संबंधी विषयों को छोड़कर) में स्नातकोत्तर कार्यक्रम में अध्ययन करने के इच्छुक स्ववित्तपोषी विदेशी छात्रों को इस मंत्रालय द्वारा विदेश मंत्रालय• से अनापत्ति प्राप्त होने पर अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी किया जाता है।

स्नातक-पूर्व तकनीकी पाठ्यक्रम

स्व–वित्तपोषी विदेशी/अप्रवासी भारतीय छात्र, भारत में निजी गैर–सहायताप्राप्त एवं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित संस्थानों द्वारा संचालित स्नातक–पूर्व पाठ्यक्रमों में उनकी अनुमत्य प्रवेश क्षमता के 5 प्रतिशत तक सीधे प्रवेश ले सकते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ऐसे संस्थान के प्रमुखों को, जिनमें छात्र दाखिल किए जाते हैं, अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करता है।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

विश्व बैंक से सहायता-प्राप्त तकनीशियन शिक्षा परियोजना

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुपालन में, भारत सरकार ने देश में तकनीशियन शिक्षा को सुदृढ़ करने तथा पालिटेक्निक शिक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास आरम्भ किए हैं। इस परियोजना को राज्य क्षेत्र की परियोजना के रूप में विश्व बैंक की सहायता से दो चरणों में शुरू किया गया है। इसी प्रकार, परियोजना का

दूसरा चरण जनवरी 1992 में शुरू हुआ और 31.10.1999 को पूरा हो गया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य यह था कि 17 राज्यों और दो संघ शासित क्षेत्रों में पालिटेक्निकों और पालिटेक्निक शिक्षा की राज्य प्रणालियों का एकीकृत विकास किया जाए।

उपर्युक्त दो परियोजनाओं के अधीन अर्जित लाभों को बनाए रखने और जो राज्य इन परियोजनाओं से बाहर रह गए थे, उन्हें भी शामिल करने के उद्देश्य से सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से तीसरी तकनीशियन परियोजना (त.शि. II) नामक एक और प्रस्ताव तैयार किया। इस परियोजना को मानव संसाधन विकास मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त हो चुका है और विश्व बैंक ने इस परियोजना के लिए अभिज्ञान, पूर्व मूल्यांकन और मूल्यांकन मिशन पूरा कर लिया हैं। परियोजना के संबंध में एक तरफ तो राज्यों और भारत सरकार के बीच और दूसरी तरफ विश्व बैंक के साथ 16–20 जुलाई 2000 के बीच बातचीत सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई। तीसरी तकनीशियन परियोजना के संबंध में विकासात्मक ऋण करार और परियोजना करारों पर 18 अक्तूबर 2000 को हस्ताक्षर हो चुके हैं। आशा है कि यह परियोजना जनवरी 2001 को शुरू हो जाएगी।

तीसरी तकनीशियन शिक्षा परियोजना (त.शि.।।।) में अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, सिक्किम, त्रिपुरा, जम्मू तथा कश्मीर राज्य और अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह के संघशासित क्षेत्र शामिल होंगे। इस परियोजना का उद्देश्य यह है कि समाज के कतिपय सुविधाविहीन वर्गों (महिलाओं, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों, ग्रामीण युवकों) के लिए तकनीकी शिक्षा की सुलभता में सुधार लाया जाए और औद्योगिक कार्मिकों की सतत शिक्षा, ग्रामीण युवकों, शिक्षित बेरोजगारों तथा स्कूली शिक्षा बीच में छोड़ देने वालों के गैर–औपचारिक प्रशिक्षण में स्थानीय उद्योग और समुदाय को शामिल करके तथा स्थानीय विकासात्मक क्रियाकलापों में सहभागिता के माध्यम से स्थानीय उद्योग और समुदाय के साथ पालिटेक्निक के सक्रिय तालमेल को बढ़ावा दिया जाए।

इस परियोजना में 12 मौजूदा और 6 नए पालीटेक्निक शामिल होंगे और उसके तीन घटक होंगे अर्थात (i) तकनीशियन शिक्षा की सुलभता बढ़ाने के लिए क्षमता विकसित / विस्तारित करना (ii) बेहतर प्रशिक्षित तकनीशियन तैयार करने के लिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना; तथा (iii) बेहतर आयोजना, प्रशासन और प्रणाली के प्रयोग और श्रम बाजार की उभरती मांगों के प्रति इसकी अनुक्रियाशीलता बढ़ाकर प्रभावकारिता में सुधार लाना।

कनाडा-भारत संस्थान उद्योग संबंध परियोजना (सीआईआईआईएलपी)

कनाडा–भारत संस्थान उद्योग संबंध परियोजना कनाडा सरकार और भारत सरकार द्वारा अनुसमर्थित तथा कनाडा अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (सीडा) द्वार वित्तपोषित एक द्विपक्षीय तकनीकी शिक्षा परियोजना है। सीआईआईआईएलपी कनाडा–भारत संस्थानगत सहयोग परियोजना (सीआईआईसीपी) का ही विस्तारित रूप है। सीआईआईआईएलपी पश्चिमी क्षेत्र के चार राज्यों अर्थात मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात में अभिज्ञात पालीटेक्निकों और इंजीनियरी कालेजों में धारणीय और दोहराए जा सकने योग्य उद्योग–संस्थान संबंध माडलों के विकास और प्रभावी अनुकूलन पर बल देती है। परियोजना का उद्देश्य यह है कि तकनीकी शिक्षा प्रणाली की प्रभाव क्षमता और प्रभावकारिता में वृद्धि लाकर उसे बदलते हुए सामाजिक–आर्थिक वातावरण के प्रति अधिक अनुक्रियाशील बनाने की दिशा में भारत सरकार के प्रयासों में उसकी मदद की जाए।

इस परियोजना के लिए कनाडा कार्यान्वयन एजेंसी कनाडा सामुदायिक कालेज संघ (एसीसीसी) है। राष्ट्रीय स्तर पर समग्र नेतृत्व और मार्गदर्शन मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा विभाग के विशेष सचिव संयुक्त परियोजना संचालन समिति के अध्यक्ष हैं जिसकी पिछली बैठक 29.04.2000 को आयोजित की गई थी। तकनीकी शिक्षा ब्यूरो के अध्यक्ष राष्ट्रीय परियोजना निदेशक हैं तथा भारत में कार्यकारी समूह (आईआईडब्ल्यूजी) के अध्यक्ष हैं जिसकी पिछली बैठक 11.07.2000 को हुई थी। भारत में परियोजना कार्यान्वयन कार्यक्रम पुणे में स्थित है।

तकनीशियन शिक्षा के लिए कोलम्बो प्लान स्टाफ कालेज (सीपीएससी)

तकनीशियन शिक्षा के लिए कोलम्बो प्लान स्टाफ कालेज, कोलम्बो योजना की एक विशेषज्ञताप्राप्त एजेंसी

डिग्री/डिप्लोमा स्तर के तकनीकी पाठ्यक्रमों में सीटों का आरक्षण

मानव संसाधन विकास मंत्रालय अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित संस्थानों में इंजीनियरी/फार्मेसी/वास्तुकला में डिग्री/डिप्लोमा स्तर के तकनीकी पाठ्यक्रमों में उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए जिनमें तकनीकी शिक्षा की उपयुक्त सुविधाएं नहीं हैं अथवा जिनमें तकनीकी शिक्षा के कुछ विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में प्रशिक्षण सुविधाओं की कमी है, सीटों का आरक्षण करके सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को तकनीकी शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करता है। इन आरक्षित सीटों पर अभ्यर्थियों का नामांकन राज्य सरकारों द्वारा स्वयं अपने नियमों तथा एआईसीटीई द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार किया जाता है।

उपर्युक्त के अलावा, सरकारी सहायताप्राप्त संस्थानों में विदेश कार्य मंत्रालय के पक्ष में अभ्यर्थियों की इन श्रेणियों के लिए भी आरक्षण किया जाता है: स्ववित्तपोषी विदेशी छात्र, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की छात्रवृत्ति के प्राप्तकर्ता, विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों में तैनात सरकारी कर्मचारियों के बच्चे, गणतंत्र दिवस पर बाल शौर्य पुरस्कार प्राप्तकर्ता (भारतीय बाल कल्याण परिषद के माध्यम से) तथा केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन। तथापि इस योजना के अधीन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों में कोई आरक्षण नहीं रखा जाता।

है। इसकी स्थापना वेलिंगटन, न्यूजीलैंड में 5 दिसम्बर 1973 को आयोजित योजना की 23वीं परामर्शदात्री समिति की बैठक के समय की गई थी। इस बैठक का उद्देश्य यह था कि सदस्य देशों की अपनी तकनीशियन शिक्षण प्रणालियां विकसित और संवर्द्धित करने में मदद की जाए। पहली मेजबान सरकार के रूप में सिंगापुर गणराज्य ने 1974 में 12 वर्षों के लिए इस एजेंसी का दायित्व स्वीकार कर लिया और इस प्रकार इस एजेंसी ने 1974 में काम करना शुरू कर दिया। 1986 में सीपीएससी मनीला, फिलीपींस में अंतरित हो गई।

स्टाफ कालेज इन अर्थों में एक अनूठा संगठन है, कि वह एशिया और प्रशान्त क्षेत्र में तकनीशियन शिक्षा और प्रशिक्षण में गुणवत्तात्मकता से संबंधित मुद्दों की ओर ध्यान देने वाला एकमात्र क्षेत्रीय संस्थान है। इस स्टाफ कालेज का उद्देश्य यह है कि तकनीशियन शिक्षा में तकनीशियन अध्यापक–प्रशिक्षकों, प्रशिक्षकों और वरिष्ठ स्टाफ की आवश्यकताओं की पूर्ति करके कोलम्बो योजना क्षेत्र में तकनीशियन शिक्षा और प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार लाया जाए। सेवाकालीन प्रशिक्षण और स्टाफ विकास कार्यक्रमों में तकनीशियन शिक्षा से जुड़े अध्यापक/प्रशिक्षक/सीनियर स्टाफ अधिक सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं।

एशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान (एआईटी) बैंकाक

एआईटी की स्थापना सीटो ग्रैजुएट स्कूल आफ इंजीनियरिंग के रूप में 1959 में इस उद्देश्य से की गई थी कि सीटो सदस्य देशों की उन्नत तकनीकी शिक्षा की मांग को पूरा किया जाय। 1967 में सीटो ने इस संस्थान का नियंत्रण त्याग दिया और उसे एशियाई प्रौद्योगिकी संस्थान का नया नाम दिया गया तथा इसके प्रबन्ध को अन्तर्राष्ट्रीय न्यासी बोर्ड को सौंप दिए जाने के बाद यह एक स्वायत्त संस्थान बन गया है। एआईटी के न्यासियों के बोर्ड में भारत के विख्यात शिक्षाविद अपनी व्यक्तिगत हैसियत से भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं।

भारत सरकार, संकाय संप्रेषण और भारत में शैक्षणिक क्रियाकलापों और भारतीय उपकरण तथा पुस्तकालय पुस्तकें खरीदने के लिए 3 लाख रुपए के नकद अनुदान के रूप में एआईटी बैंकाक के लिए योगदान देती हैं।

नई पहलें

इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी में स्नाकोत्तर शिक्षा का सुदृढ़ीकरण

इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी में स्नाकोत्तर शिक्षा और अनुसंधान उद्योग, आर एण्ड डी संगठनों तथा शैक्षिक संस्थानों की अधिक योग्यताप्राप्त जनशक्ति की मांग की पूर्ति करते हैं और इस कारण देश की आर्थिक उन्नति

विकलांग व्यक्तियों को तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा की मुख्य धारा में समाकलित करने सम्बन्धी योजना के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के निमित्त राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन सत्र

के लिए वे महत्त्वपूर्ण हैं। हालांकि इंजीनियरी में स्नातक की डिग्री की अत्यधिक मांग होती है किन्तु इसके विपरीत इंजीनियरी में स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए अनुमोदित 191 संस्थानों में प्रायः 19,000 सीटों में से 60 प्रतिशत से अधिक सीटें खाली रहती है और प्रतिवर्ष 7000 से कम छात्र पाठ्यक्रम पूरा करते हैं। प्रतिवर्ष इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी में पीएच.डी पूरी करने वाले शोध छात्रों की संख्या 400 से कम रहती है। इंजीनियरी में स्नातकोत्तर और शोध कार्यक्रमों में न्यून नामांकन का कारण यह है कि एक तो छात्रों में रुचि की कमी है और दूसरे पाठ्यक्रम की पूर्ति पर मिलने वाला प्रतिफल अपर्याप्त होता है। फलतः स्नातकोत्तर की, जो कि अध्यापकों की आपूर्ति के प्रमुख स्रोत होते हैं न्यून उपलब्धता तकनीकी शिक्षा प्रणाली की चिन्ता का मुख्य कारण बन गई है।

इस समस्या की ओर ध्यान देने और देश को प्रतियोगात्मक प्रौद्योगिकीय लाभ उपलब्ध कराने में इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर शिक्षा (पीजी) के महत्त्व को स्वीकार करते हुए इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी में पीजी शिक्षा की समीक्षा करने के लिए एक समिति स्थापित की गई थी। समिति ने व्यापारक सिफारिशें की हैं। सिफारिशों में नए कार्यक्रम हाथ में लेकर स्नातकोत्तर शिक्षा और अनुसंधान की गुणवत्ता मे सुधार लाने, तथा छात्रवृत्ति/शिक्षावृत्ति को बढ़ाकर और उद्योग, अन्य मंत्रालयों और संगठनों के साथ तालमेल मुहैया कराके उसे अधिक आकर्षक बनाने पर बल दिया गया है। सरकार ने समिति की सिफारिशों को कार्यरूप देने की दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी है।

तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा की मुख्यधारा में शारीरिक दृष्टि से विकलांगों को समाकलित करने के लिए मौजूदा पॉलीटेक्निक का स्तरोन्नयन

इस योजना में शारीरिक दृष्टि से विकलांगों को देश की तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा की मुख्यधारा में समाकलित करने की परिकल्पना की गई है। कि इस योजना का उद्देश्य यह है कि विकलांगताओं से युक्त व्यक्तियों के लिए तकनीकी/व्यावसायिक शिक्षा तथा सतत शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने के निमित्त देश में विभिन्न स्थानों पर स्थित 50 मौजूदा पॉलीटेक्निकों का चयन और स्तरोन्नयन किया जाय। लक्ष्य यह रखा गया है कि चुने गए इन 50 संस्थानों से प्रतिवर्ष डिप्लोमा स्तर के पाठ्यक्रमों में 1250 विकलांग छात्र तथा अल्पकालीन तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में 5000 विकलांग छात्र लाभान्वित होंगे। चुने गए ये पॉलीटेक्निक विकालांग छात्रों की शिक्षा और प्रशिक्षण, उपयोगिता, रोजगार संभाव्यता आदि के बारे में अनुसंधान और ट्रेसर अध्ययन आयोजित करेंगे और संस्थानगत वातावरण का निर्माण करेंगे जो भेदभाव और विषमताओं को धीरे–धीरे कम करता है और विकलांग छात्रों को मुख्यधारा में समाकलित करता है।

विभाग ने इस योजना के अधीन अभी तक 35 पॉलीटेक्निकों का चयन किया है। विकलांगता छात्रों के दाखिले की प्रक्रिया शैक्षणिक सत्र 1999–2000 से 12 पॉलीटेक्निकों में पहले ही शुरू हो चुकी है।

क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों की पुनर्संरचना

एक उच्चाधिकारप्राप्त समीक्षा समिति की सिफारिशों पर क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेजों की पुनर्संरचना और उनका सुदृढ़ीकरण किए जाने का प्रस्ताव है ताकि इन कालेजों में शिक्षा और अनुसंधान में आईआईटी की भांति उच्च मानदण्डों का निर्वाह सुनिश्चित हो सके। ये कालेज अपने क्षेत्रों में अन्य तकनीकी संस्थानों को नेतृत्व प्रदान करने वाले गति निर्धारक संस्थान होंगे। यह बदलाव निम्न ढंग से लाया जाएगाः

- उन्हें पूर्ण शैक्षणिक स्वायत्तता सहित सम–

सूचना और प्रौद्योगिकी में हाल में हुई उन्नति के फलस्वरूप जो अवसर उपलब्ध हुए हैं, उनका लाभ उठाने के लिए आईटी जनशक्ति की मांग और आपूर्ति के बीच के अन्तर को पाटना आज की स्थिति में भारत के समक्ष प्रस्तुत चुनौती है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एक कार्यदल का गठन किया गया था। कार्यदल के निष्कर्षों के अनुसार मौजूदा प्रवृत्तियों के अनुसार देश में आईटी व्यावसायिक पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होंगे लेकिन उनकी गुणवत्ता चिन्ता का एक कारण होगी। हालांकि औपचारिक शिक्षा क्षेत्र में स्व–वित्तपोषी संस्थानों सहित गैर–सरकारी क्षेत्र आईटी जनशक्ति की आपूर्ति में उल्लेखनीय योगदान दे रहा है फिर भी उच्च शैक्षणिक मानदण्डों से युक्त सरकारी संस्थान ही इस क्षेत्र में देश को प्रतियोगात्मक लाभ उपलब्ध कराते हैं। ऐसे संस्थानों की संख्या में वृद्धि के निमित्त दबाव के चलते इन मानदण्डों को बनाए रखने और उनमें और आगे सुधार लाने की दृष्टि से सीधी सरकारी कार्रवाई की जरूरत है।

कार्यदल ने सैंतालीस विशिष्ट सिफारिशें की थी जो कि मुख्यतः स्नातक तथा उससे उच्चतर स्तर पर आई टी शिक्षा की ओर लक्षित थी। इस क्षेत्र में सात वर्षों के भीतर 2000 करोड़ रुपए की राशि का निवेश करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा राज्य सरकारों तथा उद्योग द्वारा भी ऐसे ही निवेश किए जाने की संभावना हैं। प्रस्तावित पहलों से सरकारी और गैर–सरकारी संगठन दोनों लाभान्वित होंगे। सरकारी निवेश मुख्यतः सरकारी और सरकारी सहायताप्राप्त संस्थानों में होगा। इस कारण स्ववित्तपोषी संस्थानों द्वारा निवेश को भी बल मिलेगा।

इस तरह के दृष्टिकोण से स्ववित्तपोषी संस्थानों में गुणवत्ता और सरकारी संस्थानों की घटिया सुविधाओं का अनुश्रवण करने वाले विनियामक निकाय को अक्सर जिस दुविधा का सामना करना पड़ता है, उसे हल करने में भी सहायता मिलेगी। विनियामक निकाय को इस योग्य बनाकर कि वह आईटी शिक्षा की गुणवत्ता का और अधिक प्रभावी अनुश्रवण करे तथा सरकारी वित्तपोषित और स्ववित्तपोषित दोनों प्रकार के संस्थानों द्वारा बेहतर अनुपालन सुनिश्चित करके देश में आई टी शिक्षा की गुणवत्ता में सच्चे अर्थों में सुधार आएगा। अतः प्रस्तावित सरकारी कार्रवाई से देश इस योग्य बन जाएगा कि वह देश में आई टी जनशक्ति क्षेत्र में गुणवत्ता सम्बन्धी चुनौती के प्रति प्रभावी रूप से कार्रवाई कर सके और इस प्रकार हमें इस क्षेत्र में धारणीय प्रतियोगात्मक लाभ सुलभ करा सके।

इस सिफारिशों के अनुसरण में एक 'आईटी में एचआरडी के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम' शुरू किया जा रहा है। रिपोर्ट में उल्लिखित मोटे अनुमानों के अनुसार इस प्रयोजन के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के अन्त तक 2000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इस निवेश का अधिकांश हिस्सा पहले दो–तीन वर्षों के लिए होगा। चालू वर्ष में एक सांकेतिक प्रावधान पहले ही कर लिया गया है। प्रमुख पहलों का वास्तविक कार्यान्वयन वर्ष 2001–2002 में शुरू किया जाएगा।

इस कार्यक्रम के विभिन्न घटक इस प्रकार हैं: कम्प्यूटर सुविधाओं और संयोज्यता का स्तरोन्नयन; प्रौद्योगिकी–संवर्द्धित आईटी शिक्षा को बढ़ावा देना; पुस्तकालय की आधुनिकीकरण और अनुसमर्थन सेवाओं का कम्प्यूट्रीकरण और उद्योग के साथ तालमेल को बढ़ावा देना। इन पहलों को, समग्र संस्थानगत विकास और संस्थानों के नेटवर्क निर्माण के निमित्त प्रयासों के साथ लागू किया जाएगा। सूचना प्राद्योगिकी में स्नातकोत्तर शिक्षा और अनुसंधान पर मुख्य बल रहेगा।

जहां तक आईटी जनशक्ति के परिमाण और गुणवत्ता सम्बन्धी चुनौती का प्रश्न है, आशा है कि इन पहलों के बल पर देश उस चुनौती का सामना कर सकेगा। साफ्टवेयर और हार्डवेयर क्षेत्र में मूल्य श्रृंखला को उन्नत करके उत्पादकता को बढ़ावा दिया जाएगा। आशा है कि हमारा देश, विश्व आईटी बाजारों के बहुत बड़े हिस्से पर अधिकार पालेगा और इस क्षेत्र में विश्व नेता का अपना दर्जा बनाए रखेगा। अन्ततः आशा है कि इस कार्यक्रम से देश की तकनीकी शिक्षा प्रणाली में अनुकूलनीयता निर्मित हो जाएगी ताकि वह विश्व में आ रहे बदलावों के साथ चल सके।

विश्वविद्यालयों के रूप में घोषित करके जिससे कि शैक्षणिक नवाचार सुकर बनाया जाए, अन्य संस्थानों, उद्योग और आमतौर पर समाज के साथ बेहतर तालमेल को बढ़ावा मिल सके।

- उनके निदेशक मण्डलों में उद्योग और व्यवसाय तथा शैक्षणिक क्षेत्र के व्यक्तियों को शामिल करके उनके प्रशासन को व्यावसायिक बना कर। ऐसा करने से संस्थानों के कार्यकरण को दिशा और नेतृत्व मिलेगा।
- इन संस्थानों की आर्थिक सहायता में वृद्धि लाकर तथा अधिक प्रभावकारिता और प्रभावक्षमता प्राप्त करने के उद्देश्य से उन्हें आईआईटी तथा आईआईएम के नमूने पर ब्लाक अनुदान प्रणाली के अधीन लाकर; तथा
- स्नातकोत्तर शिक्षा और आईटी शिक्षा पर अधिक बल देकर।

इन बदलावों के अनुरूप आरईसी का फिर से नामकरण किया जाएगा। प्रिंसीपलों को निदेशकों के रूप में पदनामित किया जाएगा और उनका कार्यकाल पांचवर्ष (मौजूदा तीन वर्ष के स्थान पर) होगा। उनके चयन की प्रक्रिया भी संशोधित की जाएगी ताकि इन संस्थानों के प्रमुखों के रूप में ख्यातिप्राप्त शिक्षाविद और व्यावसायिकों को आकृष्ट किया जा सके।

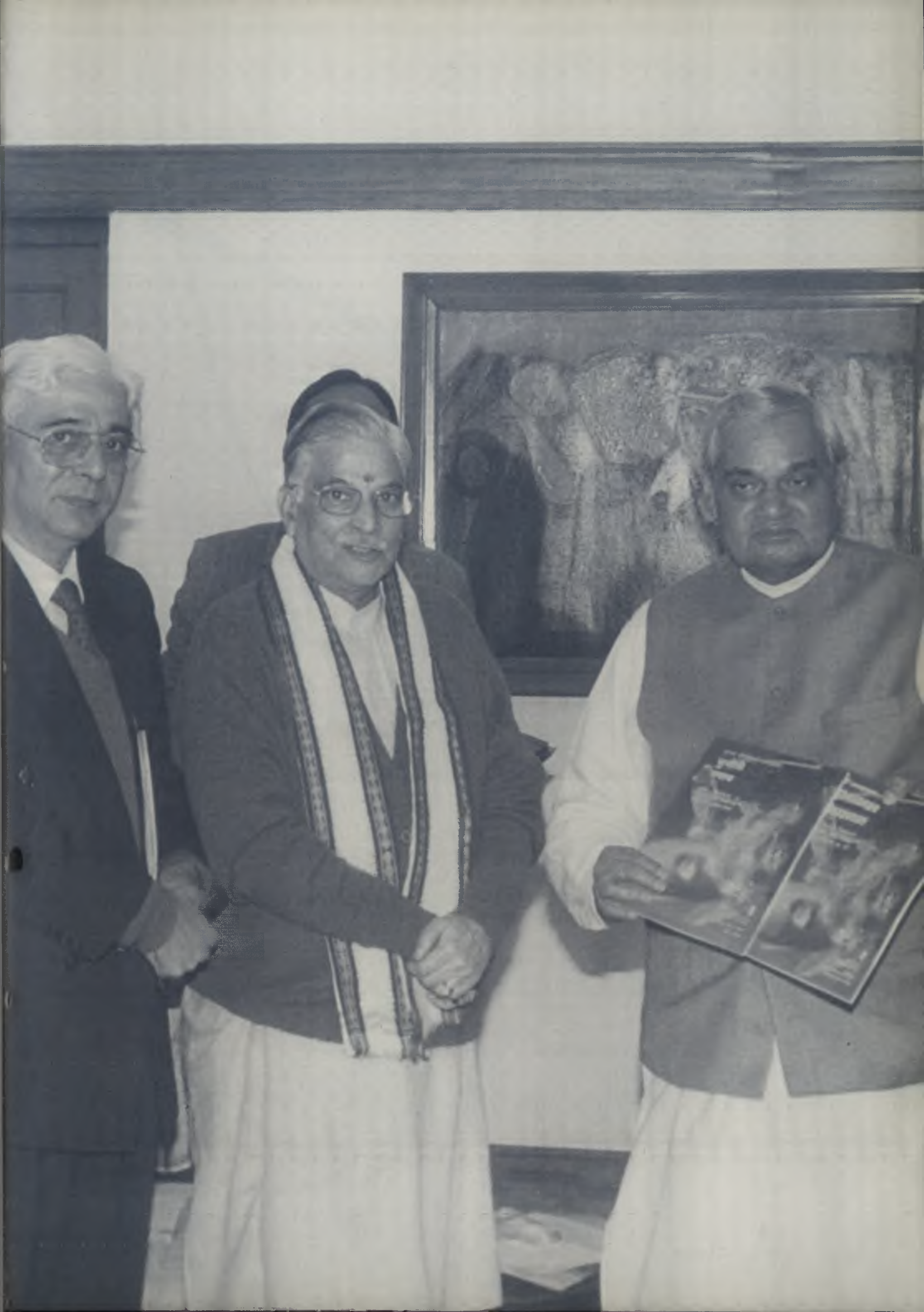

पुस्तकों के संवर्धन तथा पढ़ने की रुचि जागृत करने के उद्देश्य से विभिन्न उपाय किए गए हैं जिनका प्रयोजन बच्चों की पुस्तकों सहित पुस्तकों की गुणवत्ता में सुधार लाना तथा कार्यशालाओं का आयोजन करना है।

पुस्तक प्रोन्नति

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई), 1986 में ऐसी परिकल्पना की गई थी कि सभी वर्गों के लोगों के लिए पुस्तकें सहज सुलभ हो सकें। शिक्षा नीति में ऐसे उपायों के लिए आग्रह किया गया था, जिनका उद्देश्य पाठ्यपुस्तकों और अभ्यास पुस्तिकाओं सहित बच्चों की पुस्तकों के स्तर में सुधार लाना हों। आलोच्य वर्ष के दौरान माध्यमिक शिक्षा औरर उच्चतर शिक्षा विभाग तथा राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्देशों के अनुसरण में अनेक उपाय किए।

राष्ट्रीय पुस्तक प्रोन्नति परिषद

सरकार ने पूर्व राष्ट्रीय पुस्तक विकास परिषद को मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में दिसम्बर 1997 में राष्ट्रीय पुस्तक प्रोन्नति परिषद (एनबीपीसी) के रूप में पुनर्गठित किया। यह परिषद कतिपय मुद्दों पर विचारों के आदान–प्रदान को सुविधाजनक बनाने के लिए एक मंच प्रस्तुत करती है जैसे पुस्तकों का लेखन, उन्हें तैयार करना, प्रकाशन तथा बिक्री, मूल्य नियतन तथा कापीराइट, लोगों की पढ़ने की आदतें, विभिन्न वर्गों के लोगों के लिए पुस्तकों की उपलब्धता तथा आमतौर पर पुस्तकों की गुणवत्ता और उनकी विषय वस्तु।

पढ़ने की आदत को बढ़ावा देने और पुस्तक प्रकाशन उद्योग की उन्नति के लिए समिति

देश में पुस्तक प्रकाशन उद्योग के सुदृढ़ीकरण के लिए नीति निर्माण को सुविधाजनक बनाने के प्रयोजन से मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने आलोच्य वर्ष के दौरान पठन–पाठन की अभिरुचि को बढ़ावा देने और पुस्तक प्रकाशन उद्योग की उन्नति के लिए एक समिति की स्थापना की। इस समिति में प्रकाशन उद्योग, लेखकों, संसाधन संगठनों, विशेषज्ञों तथा अन्य सम्बन्धित मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल हैं। समिति की पहली दो बैठकें हो चुकी हैं और उसने पुस्तक संवर्धन नीति से सम्बन्धित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की है।

शैक्षिक पुस्तकालयों की स्थापना के लिए समन्वय समिति

आलोच्य वर्ष के दौरान शैक्षिक पुस्तकालयों की स्थापना करने के लिए एक समन्वय समिति स्थापित की गई है। समिति का कार्य इन विषयों पर सिफारिशें प्रस्तुत करना होगाः (i) स्कूल (माध्यमिक और उच्च माध्यमिक), कालेज तथा विश्वविद्यालय पुस्तकालयों की प्रभाविता में सुधार लाना, (ii) स्कूल (माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक), कालेज तथा विश्वविद्यालय पुस्तकालयों को डिजिटल युग की चुनौतियों का सामना करने के लिए सुसज्जित करना; तथा (iii) एक सुविज्ञ समाज के निर्माण में पुस्तकालयों की भूमिका।

पुस्तक प्रोन्नति कियाकलापों से सम्बंधित संगोष्ठियों/प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों/ कार्यशालाओं/ वार्षिक सम्मेलनों आदि के आयोजन के लिए स्वैच्छिक/ निजी संगठनों को सहायता की योजना

पुस्तक प्रोन्नति हेतु गैर–सरकारी संगठनों के क्रियाकलापों को बढ़ावा दिए जाने के उद्देश्य से मंत्रालय पुस्तक कियाकलापों से सम्बन्धित संगोष्ठियां, प्रशिक्षण पाठ्यकम, कार्यशालाएं और वार्षिक सम्मेलन आयोजित करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों तथा प्रकाशकों और लेखकों के संघों को सहायता–अनुदान प्रदान करता है। आलोच्य वर्ष के दौरान दिल्ली, मुम्बई, चेन्नई, वाराणासी तथा कोट्टायम में आयोजित संगोष्ठियों के लिए सहायता प्रदान की गई। आलोच्य वर्ष के दौरान इस योजना द्वारा समर्थिक एक महत्त्वपूर्ण कियाकलाप अगस्त 2000 में आयोजित दिल्ली पुस्तक मेला था।

पढ़ने की आदत को बढ़ावा देने और पुस्तक प्रकाशन उद्योग की उन्नति के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा एक समिति का गठन किया गया है। यह समिति पढ़ने की आदत को बढ़ावा देने तथा देश में पुस्तक प्रकाशन उद्योग के सुदृढ़ीकरण के निमित्त नीति निर्माण को सुकर बनाएगी।

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत (एनबीटी)

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत एक शीर्षस्थ संगठन है, जो विभिन्न विषयों पर हिन्दी, अंग्रेजी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में कथात्मक तथा गैर–कथात्मक कृतियों के प्रकाशन द्वारा समाज के सभी वर्गों के लिए पुस्तकों की जरूरतों को पूरा करने के साथ–साथ उचित मूल्य पर बच्चों के लिए पुस्तकें तथा नव–साक्षरों के लिए उत्तर साक्षरता पठन सामग्री प्रकाशित करता है। जिन भाषाओं में पुस्तकें प्रकाशित की जाती हैं वें इस प्रकार हैं: असमिया, बंगाली, गुजराती, कन्नड, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलगू और उर्दू। संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल अन्य भाषाओं जैसेकि कश्मीरी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली तथा सिन्धी में भी पुस्तकों का प्रकाशन किया जा रहा है। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने अप्रैल से अक्तूबर 2000 के दौरान विभिन्न भाषाओं में 425 पुस्तकें प्रकाशित की हैं। मार्च 2001 तक 230 पुस्तकें और प्रकाशित किए जाने की संभावना है। अप्रैल 2000 से अक्तूबर 2000 के बीच न्यास ने 1.13 करोड़ रुपए का राजस्व कमाया। वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में न्यास ने 1.87 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय कमाने का लक्ष्य रखा है।

पुस्तक मेले और प्रदर्शनियां

पुस्तकों को बढ़ावा देने और पढ़ने की आदतें डालने के उद्देश्य से राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली द्विवार्षिक विश्व पुस्तक मेले सहित क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तरों पर पुस्तक मेलों, प्रदर्शनियों और पुस्तक परिक्रमाओं का आयोजन करता है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने पुस्तक विमोचन समारोहों सहित 18 संगोष्ठियां और कार्यशालाएं आयोजित कीं, 19 स्वदेशी पुस्तक मेलों और प्रर्दशनियों, 7 विदेशी पुस्तक मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लिया। 278 पुस्तक परिक्रमाओं, दो पुस्तक मेलों का आयोजन करने के अलावा 3056 व्यक्तियों को पुस्तक क्लब सदस्यों के रूप में नामांकित किया।

26वां कलकत्ता पुस्तक मेला

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने 31 जनवरी 2001 से फरवरी 11, 2001 के बीच आयोजित 26वें कलकत्ता मेले में बड़े पैमाने पर भाग लिया। इस मेले में भारत प्रमुख ध्यान केन्द्र था और राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने एक व्यापक भारतीय पैवेलियन अथवा भारत मण्डप स्थापित किया जिसे एक विशेष पुरस्कार मिला और साथ ही उसका जनता द्वारा स्वागत किया गया। पैवेलियन में प्रदर्शित सामग्री अखिल भारतीय साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए चुनी गई थी जिनमें ये शामिल थीं: विख्यात भारतीयों की फोटो गैलरी, ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेताओं तथा अन्य विख्यात भारतीय लेखकों के पैनल; विख्यात कलाकारों द्वारा बनाए गए रबीन्द्र नाथ टैगोर के रेखाचित्र; लेखकों पर डाक टिकट; विख्यात लेखकों की हस्तलिपि और हस्ताक्षर; भारत में लिपि विकास सम्बन्धी पैनल; तथा भारत में मुद्रण के इतिहास सम्बन्धी एक सेक्शन और 21 भारतीय भाषाओं में प्रकाशित पुस्तकें। साथ ही, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने मेले के एक प्रमुख प्रवेश द्वार पर इंडिया गेट की प्रतिकृति का निर्माण किया।

विश्व पुस्तक और कापीराइट दिवस समारोह

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास और भारतीय प्रकाशक संघ ने यूनेस्कों के सहयोग से 23 अप्रैल 2000 को दिल्ली में चतुर्थ विश्व पुस्तक और कापीराइट दिवस मनाया।

राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास प्रतिवर्ष 14 से 20 नवम्बर के दौरान सारे देश में राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह का आयोजन करता है। इस सप्ताह के दौरान न्यास ने विभिन्न संस्थाओं, पुस्तक विक्रेताओं, स्कूलों, कालेजों और विश्वविद्यालयों के सहयोग से पुस्तकों से सम्बन्धित अनेक क्रियाकलाप और कार्यक्रमों का आयोजन किया। एक व्यापक जागरूकता

अभियान पुस्तक सप्ताह का सर्वाधिक प्रमुख कार्यक्रम था। पुस्तक सप्ताह के दौरान हजारों संस्थानों और संगठनों को पुस्तक सम्बन्धी विभिन्न कार्यकलाप करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

लेखकों और प्रकाशकों को सहायता

उच्च शिक्षा के लिए समुचित मूल्यों वाली पुस्तकों के प्रकाशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से न्यास पाठ्यपुस्तकों और संदर्भ सामग्री के लेखकों और प्रकाशकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। सहायताप्राप्त पुस्तक प्रकाशन योजना के अधीन केवल उन्हीं पुस्तकों के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिनकी निश्चित मांग है और जो ऐसे विषय क्षेत्रों से सम्बन्धित हैं, जिन पर स्वीकार्य स्तर की पुस्तकें या तो उपलब्ध नहीं हैं या इतनी महंगी हैं कि छात्र उन्हें खरीद नहीं सकते। अब इस योजना के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर दिया गया है और इसके अधीन भारतीय भाषाओं में गैर--कथात्मक चिंतन संवर्धन कृतियों के प्रकाशन के लिए भी सहायता दी जाती है।

बाल साहित्य को प्रोत्साहन

युवाओं के लिए साहित्य के रचयिताओं और पाठकों के बीच की खाई को पाटने के उद्देश्य से न्यास द्वारा राष्ट्रीय बाल साहित्य केन्द्र स्थापित किया गया।

अन्तर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्यांकन प्रणाली

भारत में अर्न्तराष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्यांकन प्रणाली भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी ताकि निर्यात को बढ़ावा देने में राष्ट्रीय पुस्तक उद्योग की मदद की जा सके और पुस्तक व्यापार में लगने वाले समय को न्यूनतम तथा तत्सम्बन्धी क्रियाविधि को सरल बनाया जा सके। अन्तर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्यांकन एक अन्तर्राष्ट्रीय संख्यांकन प्रणाली है।, जिसके द्वारा दस अंकों वाली एक विशेष संख्या भारतीय प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित प्रत्येक पुस्तक को प्रदान की जाती है।

आईएसबीएन एजेंसी भारतीय प्रकाशकों तथा लेखकों का आईएसबीएन प्रणाली के अंतर्गत पंजीकरण कर रही है और उनकी जरूरतों के अनुसार उपयुक्त ब्लाक आबंटित कर रही है। जनवरी 1985 में अपनी स्थापना के बाद से एजेंसी ने 5150 छोटे और बड़े प्रकाशकों का पंजीकरण किया है। यह देश के 30 प्रतिशत से अधिक प्रकाशकों का प्रतिनिधित्व करती है। अभी तक विभिन्न पुस्तकों को 14,915 आईएसबीएन आबंटित किए जा चुके हैं। इसके अलावा, राष्ट्रीय एजेंसी ने लगभग 4000 पुस्तकों का खण्ड XII तक 'आईएसबीएन शीर्षकों का राष्ट्रीय सूची--पत्र' भी संकलित किया।

विख्यात क्रिकेट खिलाड़ी, मदनलाल क्रिकेट पर एक पुस्तक का विमोचन करते हुए

राष्ट्रीय एजेंसी, मास मीडिया, व्यक्तिगत सम्पर्क और प्रकाशकों के कार्यक्रमों के माध्यम से तथा राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पुस्तक मेलों और पुस्तक प्रदर्शनियों में भाग लेकर भारत में आईएसबीएन प्रणाली को लोकप्रिय बनाने की दिशा में अनेक उपाय करती रही है। आलोच्य वर्ष में एजेंसी ने जबलपुर में भाग लिया। राष्ट्रीय पुस्तक मेला 1 से 9 जनवरी 2000 के दौरान और नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 5 से 13 फरवरी 2000 के दौरान आयोजित किया गया। इसके अलावा, इसने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी में 14 मार्च से 16 मार्च 2000 के दौरान और बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी में 21 से 23 नवम्बर, 2000 के दौरान आईएसबीएन प्रयुक्त पुस्तकों की एक प्रदर्शनी भी आयोजित की। विश्वविद्यालयों के छात्रों और अध्यापकों ने आईएसबीएन प्रणाली के को सीखने में गहन रुचि ली। प्रदर्शनियों के बाद इन पुस्तकों को दानस्वरूप विश्वविद्यालयों को दे दिया गया ताकि वे अपने पुस्तकालयों में उनका प्रयोग कर सकें।

कापीराइट और सम्बद्ध अधिकारों के ध्यातव्य क्षेत्र हैं: प्रवर्तन तंत्र का सुदृढ़ीकरण, उच्चतर शिक्षा धारा में अनुसंधान और शैक्षणिक अध्ययनों को प्रोत्साहित करना तथा सामूहिक प्रशासन प्रणाली को लोकप्रिय बनाना

कापीराइट तथा सम्बद्ध अधिकार

कापीराइट उद्योग

भारतवर्ष कम्प्यूटर सोफ्टवेयर, सिनेमाटोग्राफ फिल्मों और संगीत जैसी कापीराइट सामग्री का मुख्य निर्माता और निर्यातकर्ता है। प्रमुख कापीराइट उद्योगों में पिछले कुछ वर्षो में उल्लेखनीय उन्नति हुई है । पुस्तकों तथा अन्य मुद्रित सामग्री का निर्यात जो 1986–1987 में 26 करोड़ रुपए मूल्य का था, वह बढ़ कर 1998–99 में 215 करोड़ रुपए (अनुमानतः) तक पहुंच गया है। 1999–2000 के लिए 230 करोड़ रुपए का लक्ष्य है। कम्प्यूटर सोफ्टवेयर उद्योग का कारोबार जो 1987–88 में 175 करोड़ रुपए मूल्य का था, वह बढ़ कर 1999–2000 में लगभग 24,500 करोड़ रुपए (अनुमानतः) तक पहुंच गया। कम्प्यूटर साफ्टवेयर का निर्यात जो कि 1995–96 में 2,520 करोड़ रुपए का था, वह बढ़कर 1998–99 में 10,940 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जिसके वर्ष 1999–2000 में 17,200 करोड़ रुपए तक पहुंच जाने की आशा है। भारत सिनेमाटोग्राफिक फिल्मों का सबसे बड़ा निर्माता है जिसका अनुमानित कारोबार 450 करोड़ रुपए का है। देश में निर्मित रिकार्डबद्ध संगीत (सीडी सहित) की वार्षिक बिक्री 1999 के दौरान 1254.38 करोड़ रुपए की थी। बिक्री की मात्रा की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान अमरीका के बाद दूसरा है।

कापीराइट विधि

कापीराइट तथा सम्बन्धित अधिकार 1999 में यथासंशोधित कापीराइट अधिनियम 1957, 1995 में यथासंशोधित कापीराइट नियमावली, 1958 तथा अंतर्राष्ट्रीय कापीराइट आदेश, 1999 से शासित होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कापीराइट आदेश को 2000 में संशोधित किया गया ताकि जो देश आदेश के प्रकाशन के बाद कापीराइट संधियों में शामिल हुए है उनके राष्ट्रिकों की कृतियों के कापीराइट संरक्षण के लिए आदेश का विस्तार कर दिया जाय। आलोच्य वर्ष के दौरान अधिनियम को संशोधित करके एक नया अन्तर्राष्ट्रीय कापीराइट आदेश जारी किया गया। अधिनियम साहित्यिक, नाट्य, संगीतात्मक और कलात्मक कृतियों, सिनेमाटोग्राफ फिल्मों और ध्वनि रिकार्डिंग आदि के निर्माताओं को उनकी कृतियों को पुनर्निर्मित, निष्पादित, अनूदित करने और जनता को सम्प्रेषित करने के विशेष अधिकार प्रदान करता है। यह प्रसारण संगठनों को 'पुनर्निर्माण अधिकार' और निष्पादकों को 'निष्पादन अधिकार' भी देता है। अधिनियम लेखकों को कुछ नैतिक अधिकार भी प्रदान करता है जैसेकि उनकी कृतियों में मिथ्या वर्णन, तोड़–मरोड़ होने की स्थिति में लेखन का दावा करना और रोकना अथवा हर्जाने का दावा करना।

कापीराइट अधिनियम में कापीराइट विवादों के निपटान के लिए कापीराइट बोर्ड की, कापीराइट कृतियों के पंजीकरण के लिए कापीराइट कार्यालय की तथा कापीराइट कारोबार के लिए कापीराइट सोसायटियां की स्थापना किए जाने का प्रावधान है।

कापीराइट बोर्ड

कापीराइट बोर्ड अर्द्धन्यायिक निकाय है, जिसका गठन सितम्बर, 1958 में किया गया था। कापीराइट बोर्ड का क्षेत्राधिकार सम्पूर्ण भारत में है। बोर्ड आगे वर्णित विषयों से सम्बन्धित विवादों के बारे में सुनवाई करता है: कापीराइट पंजीकरण में त्रुटियों में सुधार, कापीराइट आबंटन सम्बन्धी विवाद, जनता से रोक कर रखी गई कृतियों, अप्रकाशित भारतीय कृतियों, कतिपय अन्य विशिष्ट प्रयोजनों के लिए अनुवादों और कृतियों के सृजन और प्रकाशन के सम्बन्ध में लाइसेंस प्रदान करना। यह कापीराइट अधिनियम के अधीन इसके समक्ष प्रस्तुत अन्य विविध मामलों की सुनवाई भी करता है। बोर्ड की बैठकें देश के विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित की जाती हैं। ऐसा करने से लेखकों, रचनाकारों और बौद्धिक सम्पदा के स्वामियों को उनके आवास अथवा कार्यस्थल के निकट न्याय दिलाना सुकर हो जाता है।

कापीराइट बोर्ड का पुनर्गठन श्री एस. रमैय्या की अध्यक्षता में किया गया, जिसकी अवधि 4 जनवरी, 1996 से अगले 5 वर्ष तक है तथा दिसम्बर 2000 तक इसकी सत्रह बैठकें हों चुकी हैं और लगातार काफी मामलों का निपटान किया गया है । बोर्ड का श्री बी के शर्मा की अध्यक्षता में फरवरी 2001 में अगले 5 वर्षों के लिए फिर से गठन कर दिया गया है।

कापीराइट कार्यालय

कापीराइट कार्यालय की स्थापना जनवरी, 1958 में कापीराइट अधिनियम 1957 की धारा 9 के अनुसरण में की गई थी।

कार्यालय, कापीराइट अधिनियम 1957 के प्रावधानों के अधीन विभिन्न श्रेणी की कृतियों को पंजीकृत करता है पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 3207 कृतियां पंजीकृत की गई। पंजीकृत कृतियों का श्रेणी–वार ब्यौरा निम्नानुसार है :

- साहित्यिक, और नाट्य 903
- कम्पयूटर सोफ्टवेयर 195
- कलात्मक 1813
- ध्वनि रिकार्ड 296

उपर्युक्त के अलावा, कापीराइट कार्यालय कापीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 49 तथा कापीराइट नियमावली, 1958 के नियम 17 के अनुसार हुए बदलावों को कापीराइट रजिस्टर में भी पंजीकृत करता है। इसके अलावा, कापीराइट कार्यालय कापीराइट रजिस्टर और साथ ही पंजीयक कापीराइट/कापीराइट बोर्ड की हिफाजत में रखे गए लोक दस्तावेजों से उद्धरणों की प्रमाणित प्रतियां भी जारी करता है। कापीराइट रजिस्टर निरीक्षण के निमित्त आम जनता के लिए सभी उपयुक्त समय सुलभ रहता है।

कापीराइट प्रवर्तन

कापीराइट प्रवर्तन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई कदम उठाए गए। इनमें अन्य के साथ–साथ कापीराइट प्रवर्तन सलाहकार परिषद् स्थापित करना, प्रवर्तन कार्मिकों और सामान्य जनता के बीच कापीराइट कानून के बारे में और अधिक जागरूकता उत्पन्न करने के लिए संगोष्ठियां/ कार्यशालाएं आयोजित करना, सामूहिक प्रशासन सोसायटी स्थापित करना तथा राज्य पुलिस मुख्यालय आदि में अलग सैल निर्मित करना आदि शामिल है।

कापीराइट प्रवर्तन सलाहकार परिषद

कापीराइट प्रवर्तन सलाहकार परिषद की स्थापना 6 नवम्बर, 1991 को कापीराइट अधिनियम के प्रवर्तन की प्रगति की नियतकालिक समीक्षा करने तथा अधिनियम के प्रवर्तन में सुधार के उपायों के संबंध में सरकार को परामर्श देने के लिए की गई थी। कापीराइट प्रवर्तन सलाहकार परिषद का कार्यकाल, जो कि 5 नवम्बर 1994 को पूरा हो गया था, 6 नवम्बर 1997 से अगले तीन वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। अभी तक इस पुनर्गठित परिषद की नई दिल्ली में क्रमश: 28 नवम्बर 1997; 20 मार्च 1998; 24 सितम्बर, 1998; 16 जुलाई 1999; 7 जनवरी, 2000; और 24 अगस्त 2000 को छः बैठकें हों चुकी है। इन बैठकों में कापीराइट के प्रभावी प्रवर्तन के लिए मूल्यवान सुझाव दिए गए। सीईसी का 6 नवम्बर 2000 को तीन वर्षों के लिए पुनर्गठन कर दिया गया है।

कापीराइट प्रवर्तन के लिए विशेष सैल

असम, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, उड़ीसा, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह, चंडीगढ़, दादर व नगर हवेली और दमन व द्वीव इन राज्यों/संघ शासित प्रशासनों ने कापीराइट अपराध मामलों की देखरेख करने के लिए अपराध शाखा में कापीराइट प्रवर्तन सैल या विशेष सैल स्थापित किए हैं।

नोडल अधिकारी

कापीराइट कानूनों के प्रवर्तन के मामले में उद्योग और प्रवर्तन एजेंसियों के बीच उचित समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से मंत्रालय ने राज्य सरकारों से नोडल अधिकारी पदनामित करने का अनुरोध किया है। संप्रति, आंध्र प्रदेश, गोवा, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र चंड़ीगढ़, दमन व दीव, लक्षद्वीप और पांडिचेरी ने नोडल अधिकारी पदनामित कर दिए हैं।

सामूहिक प्रशासन सोसायटियां

कापीराइट (संशोधन) अधिनियम, 1994 में कृतियों की विभिन्न श्रेणियों के लिए अलग–अलग कापीराइट सोसायटी स्थापित किए जाने का प्रावधान है। अभी तक आगे बताई गई कृतियों की तीन श्रेणियों में से प्रत्येक के लिए एक–एक के हिसाब से तीन कापीराइट सोसायटी पंजीकृत की जा चुकी हैं: सिनेमेटोग्राफ फिल्में–भारतीय फिल्म और टीवी निर्माताओं के कापीराइट विनियमन के निमित्त सोसायटी (स्क्रिप्ट), संगीतात्मक कृतियां भारतीय मंचीय अधिकार सोसायटी (आईपीआरएस) तथा ध्वनि रिकार्डिंग फोनोग्राफिक परफोरमेन्स लिमिटेड (पीपीएल)।

मंत्रालय द्वारा लागू किए गए अनेक उपायों के फलस्वरूप पिछले वर्ष के दौरान देश में कापीराइट नियमावली के प्रवर्तन में पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में अधिक गतिविधियां हुई। कापीराइट अपराधों से सम्बन्धित जो आंकड़े राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के पास उपलब्ध हैं, उनके अनुसार पंजीकृत कापीराइट मामलों की संख्या, जो कि 1997 में 479 थी, वह बढ़ कर 1998 में 802 तक तथा बढ़ कर 1999 में 927 तक पहुंच गई। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या जो कि 1997 में 794 थी, बढ़ कर 1998 में 980 तक तथा 1999 में 1191 तक पहुंच गई। बरामद की गई कृतियों का मूल्य, जो कि 1997 में 2.88 करोड़ रुपए था, 1998 में बढ़कर 7.48 करोड़ रुपए तथा 1999 में बढ़कर 8.14 करोड़ रुपए हो गया। ये आंकड़े कापीराइट नियम के प्रवर्तन में सामान्य सुधार परिलक्षित करते हैं।

नई योजनाएं

1998–99 के दौरान, दो योजनाएं शुरू की गई हैं ताकि कापीराइट अधिनियमों के प्रवर्तन को सुदृढ़ बनाया जा सके, शिक्षाविदों तथा आम जनता में कापीराइट संबंधी मामलों के प्रति जागरूकता पैदा की जा सके तथा विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संबंधी अन्य मान्यताप्राप्त संस्थानों में बौद्धिक सम्पदा संबंधी अधिकारों के अध्ययन को प्रोत्साहित किया जा सके। इन योजनाओं के अधीन, बौद्धिक सम्पदा अधिकरों पर प्रलेखन केन्द्र स्थापित करने के लिए संगोष्ठियां और कार्यशालाएं आयोजित करने और साथ ही बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के बारे में अध्ययन और अनुसंधान करने के लिए निम्न संस्थानों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई है:

कापीराइट मामलों पर संगोष्ठियां और कार्यशालाएं आयोजित करने की योजना

- राष्ट्रीय सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क और नारकोटिक्स (नेसन) अकादमी, चेन्नई
- एनएसीईएन, फरीदाबाद
- नेशनल लॉ स्कूल आफ इण्डिया यूनीवर्सिटी, बंगलौर
- एनएसीईएन, कोलकाता
- सरदार बल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद
- महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, कोट्टायम
- एडसिल, नोएडा
- समकालीन अध्ययन केन्द्र, इन्दौर
- एमजी काशी विद्यापीठ, वाराणसी
- मध्यप्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद, भोपाल
- भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली
- मंगलौर विश्वविद्यालय, मंगलौर
- दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भावनगर
- विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन
- अलीगढ़ मुसलिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़

बौद्धिक सम्पदा अधिकार अध्ययन योजना

- सरदार बल्लभबाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद
- डा. बाबा साहब अम्बेडकर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, लोनेरे, महाराष्ट्र
- महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, कोट्टायम, केरल
- भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली
- एशियाई अध्ययन संस्थान, चेन्नई
- कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कोची
- पंजाब विश्वविद्यालय, चण्डीगढ़
- राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, नई दिल्ली

1999–2000 के दौरान नई कापीराइट सोसायटियों को आर्थिक सहायता दिए जाने की एक नई योजना शुरू की गई है।

कापीराइट तथा संबंधित अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण

भारत ने कापीराइट संरक्षण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों को बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया है। यह कापीराइट तथा संबंधित अधिकारों संबंधी निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का एक सदस्य राष्ट्र है:

- 1 अप्रैल, 1928 से साहित्यिक तथा कलात्मक कृतियों के संरक्षण के लिए बर्न सम्मेलन।
- 20 अक्तूबर, 1957 से यूनेस्को के तत्त्वावधान में कापीराइट यूनिवर्सल सम्मेलन।
- 12 फरवरी, 1975 से फोनोग्रामों के निर्माताओं द्वारा तैयार फोनोग्रामों के अनधिकृत ढंग से अनुलिपिकरण के विरुद्ध संरक्षण हेतु सम्मेलन।
- 31 अक्तूबर, 1983 से कुछ आपत्तियों के साथ कापीराइट रायल्टी के दोहरे कराधान का परिहार व अतिरिक्त प्रोतोकल के लिए बहुपक्षीय सम्मेलन।

कापीराइट और संबंधित अधिकार (अब बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं पर) करार, 1994 का एक भाग है, जिसे 1 जनवरी, 1995 को लागू किया गया है। इन सम्मेलनों तथा करारों की सदस्यता यह सुनिश्चित करती है कि भारतीय कापीराइटधारी उन देशों मे अधिकार पा सकें, जिनके पास इन करारों की सदस्यता प्राप्त है।

विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन (वीपो) की बैठकों में भागीदारी

भारत, संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन (वीपो) का एक सदस्य है जो कापीराइट तथा अन्य बौद्धिक सम्पदा अधिकारों की देखरेख करता है तथा सभी विचार–विमर्शों में प्रमुख भूमिका अदा करता है। इस वर्ष भारतीय शिष्टमण्डल ने विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन की निम्नलिखित बैठकों में भाग लिया:

- श्रृव्यदृश्य निष्पादनों के संरक्षण पर जेनेवा में 10 अप्रैल 2000 को आयोजित क्षेत्रीय परामर्श।
- कापीराइट तथा सम्बन्धित अधिकारों सम्बन्धी स्थायी समिति का जेनेवा में 11–14 अप्रैल 2000 को आयोजित विशेष सम्मेलन।
- श्रृव्यदृश्य निष्पादनों के संरक्षण से सम्बद्ध वाइपो राजनयिक सम्मेलन की जेनेवा में 12 और 14 अप्रैल 2000 को आयोजित तैयारी समिति।
- वाइपो महासभा का जेनेवा में 13 और 14 अप्रैल 2000 को आयोजित असाधारण सत्र।
- विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन (वाइपो) की असेम्बलियों की बैठकों की जेनेवा में 25 सितम्बर से 3 अक्तूबर 2000 के दौरान 35वीं श्रृंखला।
- दृश्यश्रृव्य निष्पादनों के संरक्षण पर वाइपो राजनयिक सम्मेलन के लिए मूल प्रस्तावों की बाबत एशिया और प्रशान्त देशों के लिए सिओल, दक्षिण कोरिया में 23–24 अक्तूबर 2000 को क्षेत्रीय परामर्श।
- दृश्यश्रृव्य निष्पादनों के संरक्षण पर जेनेवा में 7 से 20 दिसम्बर 2000 के दौरान आयोजित राजनयिक सम्मेलन।

कापीराइट पर अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठियां

भारतीय प्रतिनिधियों ने विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन द्वारा कापीराइट तथा तत्सम्बन्धी अधिकारों के बारे में दूसरे देशों में आयोजित निम्न अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों, कार्यशालाओं और गोलमेज बैठकों में भाग लिया:

- 21वीं शताब्दी में बौद्धिक सम्पदा के कार्यनीतिक प्रबन्ध पर सिडनी में 6–8 मार्च 2000 के दौरान आयोजित आईपी आस्ट्रेलिया क्षेत्रीय संगोष्ठी।
- एशिया और प्रशान्त क्षेत्र के लिए ज्ञानाधारित अर्थ व्यवस्था में बौद्धिक सम्पदा पद्धति पर थाईलैण्ड में 18–19 सितम्बर 2000 के दौरान आयोजित वाइपो/यूएसपीटीओ सम्मेलन।

इन संगोष्ठियों व कार्यशालाओं से भारतीय सहभागियों को कापीराइट तथा सम्बद्ध अधिकारों के बारे में नवीनतम अन्तर्राष्ट्रीय गतिविधियों के बारे में जानने को मिला।

कापीराइट में प्रशिक्षण

शिक्षा विभाग में विभिन्न स्तरों पर कापीराइट तथा सम्बद्ध अधिकारों से जुड़े अधिकारियों को कापीराइट में निम्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में भेजा गया:

- कापीराइट और सम्बद्ध अधिकारों के बारे में स्टाकहोम/जेनेवा में 23 अगस्त–3 सितम्बर के दौरान आयोजित वाईपो प्रशिक्षण पाठ्यक्रम।
- कापीराइट और सम्बन्ध अधिकारों के बारे में जेनेवा/ज्यूरिच में 31 अक्तूबर–14 नवम्बर 2000 के दौरान आयोजित वाइपो प्रशिक्षण पाठ्यक्रम।
- कापीराइट और सम्बद्ध अधिकारों के बारे में टोकियो में 6–17 नवम्बर 2000 के दौरान आयोजित वाइपो/जापान प्रशिक्षण पाठ्यक्रम।
- शिक्षा संचार और जन विस्तार के माध्यम से बौद्धिक सम्पदा के रहस्योद्घाटन पर एशिया और प्रशान्त क्षेत्र में सिंगापुर में 27 नवम्बर से 6 दिसम्बर 2000 के दौरान वाइपो संयुक्त प्रशिक्षण पाठ्यक्रम।

नौवीं पंचवर्षीय योजना में ध्यातव्य क्षेत्र

जहां तक कापीराइट का सम्बन्ध है नौवीं पंचवर्षीय योजना के ध्यातव्य क्षेत्र इस प्रकार हैं: कापीराइट प्रवर्तन का सुदृढ़ीकरण, उच्चतर शिक्षा प्रणाली में बौद्धिक सम्पदा अधिकारों पर अनुसंधान और शैक्षणिक अध्ययनों को बढ़ावा देना तथा सामूहिक प्रशासन सोसायटियां स्थापित करना।

भाषा, संचार और शिक्षा का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण माध्यम है और इस कारण इसकी उन्नति राष्ट्रीय शिक्षा नीति और कार्य योजना में एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है। अतः हिन्दी और संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध अन्य 17 भाषाओं और साथ ही अंग्रेजी तथा कुछ अन्य विदेशी भाषाओं के उन्नति और विकास की ओर समुचित ध्यान दिया गया है।

भाषाओं की प्रोन्नति

अपने संवैधानिक दायित्व की पूर्ति करने में विभिन्न स्वायत्त संगठन और अधीनस्थ कार्यालय, शिक्षा विभाग की सहायता करते हैं।

केंद्रीय हिंदी निदेशालय

केंद्रीय हिंदी निदेशालय मार्च 1960 में शिक्षा मंत्रालय के एक अधीनस्थ कार्यालय के रूप में स्थापित किया गया था। तभी से यह निदेशालय हिंदी के विकास और प्रोन्नति के लिए अनेक योजनाएं तैयार और कार्यान्वित करता रहा है।

केंद्रीय हिंदी निदेशालय का पत्राचार पाठ्यक्रम विभाग इस समय अहिंदीभाषी भारतीयों तथा विदेशियों के लिए द्वितीय और विदेशी भाषा के रूप में हिंदी पढ़ाने की एक योजना चला रहा है। अब तक (लगभग) 4 लाख लोग इस योजना का लाभ उठा चुके हैं। वर्ष 2000–2001 में विभिन्न पाठ्यक्रमों अर्थात प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ तथा सिविल सेवा हिन्दी पाठ्यक्रमों में लगभग 8000 छात्रों को दाखिल किया गया है।

वर्ष के दौरान राजपलायम, कुम्भक्कोणम, मदुरै, चेन्नई, कोलकाता, मिदनापुर और पाण्डिचेरी में व्यक्तिगत सम्पर्क कार्यक्रम आयोजित किए गए। निदेशालय के पत्राचार पाठ्यक्रम विभाग द्वारा तैयार किए गए कैसेटों के माध्यम से भी हिन्दी पढ़ाना शुरू कर दिया गया है। वर्ष 2000–2001 में जिन विषयों पर दृश्य कैसेट तैयार किए जाएंगे, वे हैं 'मानक वर्तनी और अन्विति'।

निदेशालय की प्रकाशन योजना के अधीन ये उपयोजनाएं कार्यान्वित की गई हैं: विदेशी भाषा शब्दकोश, क्षेत्रीय भाषा शब्दकोश, केन्द्रीय विनिमय कार्यक्रम, द्विभाषी/त्रिभाषी/नए शब्द कोश, भाषा, वार्षिकी और साहित्य माला। अन्य प्रकाशनों में शामिल हैः हिन्दी–इण्डोनेशियाई शब्दकोश और हिन्दी–तमिल, मलयालम–हिन्दी, बंगला–हिन्दी और हिन्दी चेक पर संवाद मार्गदर्शिकाएं। विदेशी भाषा शब्दकोशों मेंसंयुक्त राष्ट्र की सरकारी भाषाएं शामिल की जा रही हैं।

हिन्दी लेखकों की पुरस्कार और पारितोषिक योजना से अहिन्दी राज्यों में हिन्दी को बढ़ावा देने में सहायता मिलती है।

केंद्रीय हिंदी निदेशालय, हिंदी के विकास और प्रोन्नति के लिए स्वंयसेवी हिंदी संगठनों को अनुदान के संबंध में दो योजनाएं चलाता है।

पहली योजना के तहत हिंदी कक्षाएं, हिंदी आशुलिपि और टंकण की कक्षाएं चलाने और पुस्तकालय आदि चलाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा (राष्ट्रीय महत्त्व की संस्था), इस योजना के तहत अनुदान पाने वाले संगठनों में से एक है। यह संगठन तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, पांडिचेरी और गोवा के अहिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी के विभिन्न कार्यक्रम चला रहा है। वर्ष 1999–2000 के दौरान इस योजना के तहत लाभान्वित होने वाले स्वंयसेवी हिंदी संगठनों की संख्या 196 थी।

दूसरी योजना के तहत हिंदी में प्रकाशनों तथा हिंदी पुस्तकों की खरीद के लिए स्वंयसेवी हिन्दी संगठनों और व्यक्तियों को वित्तीय सहायता दी जाती है। वर्ष 1999–2000 के दौरान इस योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए बारह पांडुलिपियां अनुमोदित की गई तथा हिंदी में प्रकाशित बाईस पुस्तकें खरीदी गईं।

एक लाख रुपए तथा इससे उच्चतर अनुदान पाने वाले गैर–सरकारी संगठनों के नाम दर्शाने वाली एक सूची परिशिष्ट III के रूप में प्रस्तुत है।

जिन गैर–सरकारी हिन्दी संगठनों ने उन्हें पिछले तीन वर्षों अर्थात 1996–97, 1997–98 तथा 1999–2000 के दौरान दिए गए अनुदानों के बारे में उपयोग–प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए हैं, उनके विवरण परिशिष्ट IV पर देखे जा सकते हैं।

वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग

सभी भारतीय भाषाओं को शिक्षा के माध्यम के रूप में संवर्धित और विकसित करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की गई थी। आयोग हिंदी में तकनीकी शब्दों के विकास, विश्वविद्यालय स्तरीय पाठ्यपुस्तकों, पारिभाषिक शब्दकोषों और संदर्भ साहित्य के सृजन के काम में लगा हुआ है। अब तक 53 पारिभाषिक शब्दकोष प्रकाशित किए गए हैं।

आयोग विनिबंध, संक्षेपिका (डाइजेस्ट) तथा पठन सामग्री तैयार करने तथा उनके प्रकाशन के काम में लगा है। इसके अलावा, यह हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी ग्रंथ अकादमियों / विश्वविद्यालय प्रकोष्ठों के कार्यकलापों का अनुवीक्षण करता है; अखिल – भारतीय तकनीकी शब्दों का संकलन और प्रकाशन करता है। विज्ञान में स्तरीय लेखन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 'विज्ञान गरिमा सिंधु' नामक एक विज्ञान पत्रिका निकालता है।

विभिन्न विषय क्षेत्रों यथा – मौलिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, कृषि आदि में कुल 5.5 लाख तकनीकी शब्द निर्मित किए जा चुके हैं।

विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकें हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में तैयार करने की योजना के अधीन आयोग की स्थापना से लेकर अभी तक 12,000 पुस्तकें प्रकाशित की जा चुकी हैं।

एक लाख से अधिक शब्द कम्प्यूटरों में की–इन तथा डाल दिए गए हैं। आलोच्य वर्ष के दौरान आयोग ने 15 पारिभाषिक शब्दावालियां तथा पांच पारिभाषिक शब्दकोश तैयार किए हैं।

केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल, आगरा

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा विभाग) के समग्र नियंत्रणाधीन केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल, आगरा भारत सरकार द्वारा स्थापित एक स्वायत्त संस्थान है। मंडल अपने तत्त्वावधान में केंद्रीय हिंदी संस्थान चलाता है, जिसका मुख्यालय आगरा में है तथा दिल्ली, हैदराबाद, मैसूर, गुवाहाटी और शिलांग में इसके केंद्र हैं।

राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को हिन्दी शिक्षकों को नियुक्त करने तथा हिन्दी शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के प्रयोजन से प्रशिक्षण कालेज स्थापित करने के लिए शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 1999-2000 में इसी ढंग की केन्द्रीय सहायता जारी रखी गई।

संस्थान हिंदी शिक्षण निष्णात (एम.एड. स्तर), हिंदी शिक्षण पारंगत (बी. एड. स्तर), हिंदी शिक्षण प्रवीण, चार वर्षीय हिंदी शिक्षण डिप्लोमा और गहन हिंदी शिक्षण प्रबोधन पाठ्यक्रम संचालित करता है। संस्थान–''विदेशों में हिंदी का प्रचार योजना'', के तहत आगरा में विदेशियों को हिंदी पढ़ाने का पाठ्यक्रम भी चलाता है। अभी तक 67 देशों के 1821 विद्यार्थी हिन्दी में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं।

जनजातीय भाषा अनुसंधान एकक नागालैंड के लिए भाषा शिक्षण सामग्री नामतः सामाजिक अध्ययन पाठ्यपुस्तक भाग II और भाग III तथा चौथे वर्ष के लिए हिंदी भाषा पाठ्यपुस्तक तैयार करने की दिशा में कार्यरत है। भाषा प्रौद्योगिकी और श्रृव्य–दृश्य एकक विभिन्न भाषाई क्षेत्रों, खासकर उत्तर–पूर्वी क्षेत्र के लिए उपचारी श्रृव्य सामग्री तैयार करने के काम में लगा है।

संस्थान हिंदी भाषा और साहित्य से जुड़ी अनुसंधानोन्मुखी सामग्री भी प्रकाशित करता हैं। संस्थान ने अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान, भाषा शिक्षण और साहित्य के क्षेत्र में 11 पुस्तकें, दो पत्रिकाएं तथा पत्राचार पाठ्यक्रम के 109 पाठ प्रकाशित किए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अवर–स्नातक पाठ्यक्रमों (द्वितीय और तृतीय वर्ष के छात्रों के लिए) के लिए कार्यात्मक हिंदी की पाठ्यपुस्तकें तैयार करने का काम भी संस्थान को सौंपा है।

'हिंदी सेवी सम्मान योजना' के तहत वर्ष 1999–2000 के दौरान हिंदी के तेरह प्रख्यात विद्वानों को हिंदी के प्रचार और विकास, अनुसंधान और रचनात्मक साहित्य तथा हिन्दी और हिन्दी पत्रकारता में वैज्ञानिक और तकनीकी साहित्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए चुना गया है।

अहिन्दी भाषी राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों में हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति और प्रशिक्षण के लिए आर्थिक सहायता

भारत के संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुसरण में भारत सरकार ने अहिन्दी भाषी राज्यों / संघ शासित क्षेत्रों में हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति और प्रशिक्षण की एक केन्द्र प्रायोजित योजना दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान शुरू की थी।

इस योजना के अधीन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को हिन्दी शिक्षकों को नियुक्त करने तथा हिन्दी शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के प्रयोजन से प्रशिक्षण कालेज स्थापित करने के लिए शत–प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। आलोच्य वर्ष अर्थात 1999–2000 में इसी ढंग की केन्द्रीय सहायता जारी रखी गई। आलोच्य वर्ष में हिन्दी शिक्षकों के 2887 पदों के वित्तपोषण के लिए 9.75 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई। इस योजना के अधीन विभिन्न राज्यों को अभी तक 7.04 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जा चुकी है।

केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर

मैसूर स्थित केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान एक अधीनस्थ कार्यालय है, जो भारत सरकार की भाषा नीति विकसित करने और उसके कार्यान्वयन में मदद करता है और साथ ही भाषा विश्लेषण, भाषा शिक्षाशास्त्र, भाषा प्रौद्योगिकी तथा समाज में भाषा प्रयोग के क्षेत्रों में अनुसंधान संचालित करके यह भारतीय भाषाओं के विकास का समन्वय भी करता है। केन्द्रीय संस्थान की निम्न तीन योजनाएं हैं:

योजना I

पहली योजना के तहत जनजातीय भाषाओं समेत आधुनिक भारतीय भाषाओं में अनुसंधान, जनशक्ति विकास और सामग्री सृजन के माध्यम से भारतीय भाषाओं का विकास किया जाता है। इस योजना के तहत ये क्षेत्र शामिल हैं:

- जनजातीय और सीमा क्षेत्र भाषाएं
- सामाजिक–भाषाविज्ञान
- ध्वनि विज्ञान
- मनोवैज्ञानिक–भाषाविज्ञान
- सामग्री सृजन और प्रशिक्षण
- मूल्यांकन और परीक्षण
- दूरस्थ शिक्षा
- शैक्षिक प्रौद्योगिकी
- कोश–कला तथा अनुवाद

योजना II

दूसरी योजना त्रिभाषा सूत्र को कार्यरूप देने के लिए है। यह काम विभिन्न राज्यों तथा संघशासित क्षेत्रों द्वारा भेजे गए माध्यमिक स्कूल शिक्षकों को प्रशिक्षण देकर पूरा किया जाता है। क्षेत्रीय भाषा केन्द्र विभिन्न शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करते हैं तथा शिक्षण सामग्री तैयार करते हैं। भारतीय भाषाओं में 10 माह का गठन पाठ्यक्रम विभिन्न केन्द्रों में जुलाई में शुरू हुआ। इस शैक्षणिक वर्ष के दौरान सीआईआईएल ने अपने उत्तर–पूर्वी क्षेत्रीय भाषा केन्द्र, गुवाहाटी में नेपाली और मणिपुरी में प्रशिक्षण आरम्भ किया। तीन महिलाओं सहित 23 प्रशिक्षणार्थी केन्द्र में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

योजना III

तीसरी योजना के अधीन जनजातीय भाषाओं समेत भारतीय भाषाओं (हिंदी, उर्दू, सिंधी, संस्कृत और अंग्रेजी को छोड़ कर) में प्रकाशन के लिए व्यक्तियों और स्वंयसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पहली सहायता–अनुदान बैठक मैसूर में आयोजित की गई। बैठक में 99 पुस्तकें खरीदने और 8 पाण्डुलिपियों के प्रकाशन के लिए सहायता दिए जाने की सिफारिश की गई। दूसरी बैठक में 13 लाख रुपए से अधिक मूल्य के प्रस्ताव मंजूर किए गए।

आधुनिक भारतीय भाषा शिक्षक

इस योजना के अधीन हिंदी भाषी राज्यों में आधुनिक भारतीय भाषा शिक्षकों अधिमानतः दक्षिण भारतीय भाषा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 100 प्रतिशत सहायता प्रदान किए जाने का प्रावधान है। उपर्युक्त योजना के अधीन विभिन्न राज्यों द्वारा नियुक्त शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की जिम्मेदारी भी इस संस्थान को सौंपी गई है। यह योजना आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी तथा नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान इसे जारी रखने की अनुमति मिल गई है।

केन्द्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान

अंग्रेजी के अध्ययन/अध्यापन में उल्लेखनीय सुधार लाने के विचार से सरकार प्रत्येक राज्य में कम से कम एक जिला अंग्रेजी भाषा केंद्र स्थापित करने के लिए केंद्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान (सीआईईएफएल), हैदराबाद के माध्यम से सहायता प्रदान करती है । शुरू में 26 जिला केंद्र मंजूर किए गए थे। 31 मार्च 1998 को देश के विभिन्न भागों में 11 जिला केंद्र चल रहे है। सरकार, केंद्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान के

माध्यम से देश में स्थित क्षेत्रीय अंग्रेजी संस्थानों तथा अंग्रेजी भाषा शिक्षण संस्थानों की मदद भी करती है। सम्प्रति, दो क्षेत्रीय अंग्रेजी संस्थान और नौ अंग्रेजी भाषा शिक्षण संस्थान मौजूद हैं। इसके अलावा, अंग्रेजी भाषा में पुस्तकों के प्रकाशन एवं खरीद के लिए स्वंयसेवी संगठनों/व्यक्तियों को अनुदान भी दिया जाता है।

राष्ट्रीय उर्दू भाषा तरक्की परिषद (एनसीपीयूएल)

उर्दू भाषा की तरक्की से जुड़े कार्यकलापों का आधार और बड़ा करने के विचार से सरकार ने उर्दू–ए–तरक्की बोर्ड के स्थान पर एक स्वायत्त संस्था के रूप में राष्ट्रीय उर्दू भाषा तरक्की परिषद का गठन किया है। एनसीपीयूएल 1 अप्रैल 1996 से कार्य करने लगा है ।

एनसीपीयूएल देश के उर्दू भाषी लोगों के लिए उर्दू में शैक्षणिक साहित्य तैयार करने के काम में लगा है । देश के विभिन्न भागों में स्थापित 48 सुलेखन प्रशिक्षण केंद्रों को वित्तीय सहायता दी जाती है। उर्दू विश्वकोष के अभीष्ट 12 खंडों में से 6 खंडों का प्रकाशन हो चुका है तथा बाकी पर काम चल रहा है। अंगेजी–उर्दू शब्दकोष के पांच खंड भी प्रकाशित किए गए हैं।

हाल में शुरू किए गए कम्प्यूट्रीकृत सुलेखन प्रशिक्षण केन्द्रों से छात्रों को आधुनिक प्रतियोगिता के लिए तैयार करने और देश की प्रौद्योगिकी जनशक्ति का हिस्सा बनाने में बहुत सहायता मिलेगी। एक अन्य प्रमुख उपलब्धि विभिन्न राज्य उर्दू अकादमियों के कार्यकलापों का समन्वय स्थापित करना है। अकादमियों के साथ तालमेल इतना सुदृढ़ हो गया है कि वे परिषद् की स्थानीय साझेदार बन गई हैं।

परिषद ने 20 लाख रुपए की पत्रिकाओं/पुस्तकों की बिक्री की। आलेच्य वर्ष में 33 नई पुस्तकें तथा 98 पुनर्मुद्रण प्रकाशित किए गए।

राष्ट्रीय सिंधी भाषा प्रोन्नति परिषद (एनसीपीएसएल)

सरकार ने सिंधी भाषा के प्रसार और विकास के लिए एक स्वायत्त संगठन के रूप में राष्ट्रीय सिंधी भाषा प्रोन्नति परिषद की स्थापना की है, जिसका मुख्यालय वड़ोदरा में है। मानव संसाधन विकास मंत्री इस परिषद के अध्यक्ष हैं । परिषद सिंधी भाषा में साहित्य छपवा कर, भाषा को समृद्ध करने के लिए तकनीकी शब्दों का संकलन और सृजन करके पत्र–पत्रिकाओं के प्रकाशन की व्यवस्था करती है। चालू वित्तीय वर्ष के लिए 40.00 लाख रुपए का प्रावधान है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति तथा उर्दू के शिक्षण के लिए मानदेय प्रदान करने की योजना

राज्यों में उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति और उर्दू के शिक्षण के लिए मानदेय की योजना अप्रैल 1999 में शुरू की गई थी। इस योजना के तहत नए सृजित पदों पर नियुक्त उर्दू शिक्षकों के वेतन के लिए 5 वर्ष तक 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। मानदेय मौजूदा अध्यापकों को भी दिया जा सकता है। यह योजना ऐसे ब्लाकों/जिलों में चलाई जा रही है जहां शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों की बहुलता अभिज्ञात की गई है।

चालू वित्तीय वर्ष के लिए 1.75 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान है। विभाग ने वर्ष 2000–2001 में उत्तर प्रदेश सरकार को उर्दू शिक्षकों के 248 पदों का सृजन करने की मंजूरी दे दी है।

संस्कृत प्रभाग

संस्कृत वर्ष के आयोजन का समारोह मार्च 2001 तक जारी रखा जाएगा।

संस्कृत वर्ष (1999–2000) के आयोजन के लिए विभिन्न कार्यक्रम, सम्मेलन तथा संगोष्ठियां आयोजित करने के वास्ते 251 संगठनों को 4.99 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई। क्योंकि सभी कार्यक्रम मूल समय सूची के भीतर आयोजित नहीं किए जा सके इसलिए समारोह की तारीख मार्च 2001 तक बढ़ा दी गई है।

राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान

माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा विभाग के अधीन एक स्वायत्त संगठन – राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान देश में संस्कृत अध्ययन के प्रचार–प्रसार के क्षेत्र में सर्वोच्च

संस्थान है। यह संस्थान आठ केंद्रीय संस्कृत विद्यापीठों के माध्यम से संस्कृत में डाक्टरेट स्तर तक के अध्ययन की सुविधा प्रदान करता है।

संस्थान, संस्कृत के प्रचार–प्रसार विकास और उन्नति में लगे स्वंयसेवी संगठनों को शिक्षकों के वेतन, छात्रों को छात्रवृत्ति, भवनों के निर्माण और मरम्मत, फर्नीचर, पुस्तकालय आदि पर होने वाले 75 प्रतिशत व्यय को वहन करने के लिए वित्तीय सहायता देता है। अब तक 708 स्वंयसेवी संस्कृत संगठनों को सहायता दी गई है। शोध संस्थानों सहित इक्कीस आदर्श संस्कृत महाविद्यालयों को भी वित्तीय सहायता दी गई है।

संस्थान, शास्त्रचूड़ामणि योजना के तहत आदर्श संस्कृत पाठशालाओं तथा राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे अन्य संस्कृत महाविद्यालयों में पढ़ाने के एवज में संस्कृत के 125 सेवानिवृत्त प्रख्यात विद्वानों को 2500 रुपए प्रतिमाह की दर से मानदेय भी देता है। संस्थान द्वारा इन प्रयोजनों के लिए भी आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है: दक्षिण कालेज, पुणे में संस्कृत शब्दकोष का निमार्ण; व्यावसायिक प्रशिक्षण का आयोजन; संस्कृत पुस्तकों और दुर्लभ पाण्डुलिपियों की खरीद और प्रकाशन; तथा अखिल भारतीय वाक् प्रतियोगिता का आयोजन। राष्ट्रपति प्रशस्ति पत्र योजना के तहत हर वर्ष संस्कृत के 15, पाली/प्राकृत के एक, अरबी के तीन तथा फारसी – दोनों के तीन विद्वानों का चयन किया जाता है तथा उन्हें जीवनपर्यन्त 50,000 रुपए प्रतिवर्ष मानदेय दिया जाता है। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान से इस प्रकार का अनुदान प्राप्त करने वाले मौजूदा व्यक्तियों की संख्या 274 है।

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से संस्कृत के विकास की योजना

1962 से यह केंद्रीय योजना राज्य सरकारों के माध्यम से लागू की जा रही है। निम्नलिखित प्रमुख कार्यक्रमों के लिए केंद्र सरकार द्वारा 100 प्रतिशत आधार पर वित्तीय अनुदान दिया जाता है:

अकिंचन अवस्था में रह रहे संस्कृत के प्रख्यात विद्वानों को वित्तीय सहायता:

इस योजना के तहत संस्कृत के ऐसे प्रख्यात विद्वानों को सहायता दी जाती है, जिनकी आयु 55 वर्ष से कम न हो तथा जो संस्कृत में अध्ययन/अनुसंधान के काम में लगे हों और अकिंचन अवस्था में रह रहे हों। इस सहायता की अधिकतम सीमा 10,000 रु. प्रतिवर्ष है (अन्य स्रोतों से प्राप्त वार्षिक आय को घटाकर)। 2000–2001 के दौरान इस योजना से लगभग 1200 विद्वानों के लाभान्वित होने की संभावना है।

संस्कृत पाठशालाओं का आधुनिकीकरण :

संस्कृत शिक्षा की परंपरागत और आधुनिक पद्धतियों को समाकलित करने के दृष्टिकोण से परंपरागत संस्कृत पाठशालाओं में चुनिन्दा आधुनिक विषयों अर्थात गणित और मानविकी सहित भारतीय भाषाएं, विज्ञान पढ़ाने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति को सुसाध्य बनाने के निमित्त अनुदान दिया जाता है। 2000–2001 में छः राज्यों के लाभान्वित होने की संभावना है।

हाई/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में संस्कृत के शिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध कराना :

जो राज्य सरकारें संस्कृत पढ़ाने की सुविधाएं उपलब्ध कराने की स्थिति में न हों, उन राज्यों के माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त किए जाने वाले संस्कृत शिक्षकों के वेतन पर होने वाले खर्च को पूरा करने के लिए अनुदान दिया जाता है। 2000–2001 में लगभग पांच राज्यों के लाभान्वित होने की संभावना है।

हाई और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति :

माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्कूल स्तर पर संस्कृत की ओर छात्रों को आकृष्ट करने के लिए कक्षा IX से XII तक की कक्षाओं के लिए योग्यता छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती है, कक्षा IX से X के छात्रों को 100 रुपए प्रतिमाह की दर से तथा कक्षा XI और XII के छात्रों को 125 रु. प्रतिमाह की दर से यह छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। वर्ष 2000–2001 में इस योजना से लगभग 1300 छात्रों के लाभान्वित होने की संभावना है।

संस्कृत के प्रचार-प्रसार से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के लिए राज्य सरकारों को अनुदान:

- इस योजना के तहत संस्कृत के प्रचार–प्रसार और

विकास से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों यथा शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी, वैदिक विद्वानों को सम्मानित करने, विद्वत सभाएं आयोजित करने, संस्कृत शिक्षण के लिए सांध्य कक्षाएं चलाने, कालीदास समारोह मनाने आदि के लिए राज्य सरकारों को 100 प्रतिशत सहायता दी जाती है। 2000–2001 के दौरान दस राज्यों के लाभान्वित होने की संभावना है।

- संस्कृत के अनुसंधान/अनुसंधान परियोजनाओं की बाबत सम–संस्कृत विश्वविद्यालयों, गैर सरकारी संगठनों, (पंजीकृत निकायों) से प्राप्त प्रस्तावों को इस योजना के तहत शामिल किया गया है। 2000–2001 के दौरान कुछ विख्यात व्यक्तियों तथा सम–विश्वविद्यालयों के अनेक प्रस्तावों का वित्तपोषण किया जाएगा।

राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान/ सम विश्वविद्यालयों/ सीबीएसई/एनसीईआरटी आदि को केंद्रीय अनुदान

स्कूलों, संस्कृत महाविद्यालयों/विद्यापीठों में संस्कृत पढ़ाने की प्रविधि में सुधार लाने तथा शिक्षकों को इस ओर समुचित रूप से अनुस्थापित करने के लिए शत–प्रतिशत सहायता दी जाती है। 2000–2001 के दौरान सीबीएसई/एनसीईआरटी, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, सरस्वती विद्यापीठ, हैदराबाद तथा सम–संस्कृत विश्वविद्यालयों के प्रस्तावों को सहायता प्रदान की जाएगी।

वर्ष 2000–2001 के लिए संस्कृत के विकास की उप–योजनाओं के अधीन 14.00 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

दो सम विश्वविद्यालय

दो सम विश्वविद्यालय हैं – श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली और राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति ।

श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली शास्त्री से लेकर विद्या वाचस्पति तक के डी. लिट.) पाठ्यक्रम प्रदान करता है । वर्ष 1997–98 से श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ ने वैदिक और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में डिप्लोमा और साथ ही दो डिग्री पाठ्यक्रम नामतः विद्या वारिधि (पीएच.डी) तथा मानद उपाधि (आनरेरी डी.लिट) शुरू किए हैं।

राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ (आरएसवी), तिरुपति प्राक शास्त्री (इंटरमीडिएट) से लेकर विद्या वारिधि (पीएच. डी) तक के पाठ्यक्रम प्रदान करता है। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति ने शिक्षाशास्त्र विभाग को उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान (आईएएसई) के रूप में स्तरोन्नत किया है। संस्थान में एक कंप्यूटर केन्द्र स्थापित किया गया है, जिससे प्रकाशन कार्यकलाप में तेजी आ गई है।

महर्षि संदीपन राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन

परंपरागत वैदिक संस्थानों और विद्वानों को सहायता प्रदान करने तथा वैदिक अध्ययन एवं अनुसंधान को बढ़ावा देने तथा छात्रवृत्तियां/शिक्षावृत्तियां प्रदान करने के लिए अगस्त 1987 में राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान की स्थापना की गई थी। 2000–2001 के दौरान किए गए कार्यक्रमों और कार्यकलापों में ये शामिल हैं – एक अखिल भारतीय और छः क्षेत्रीय वेद सम्मेलनों, विभिन्न विषयों पर आठ संगोष्ठियों और कार्यशालाओं का आयोजन, 35 वैदिक संस्थानों/विद्यालयों, 32 वयोवृद्ध वैदिक पंडितों तथा 81 नित्याग्निहोत्रियों को वित्तीय सहायता, 578 वैदिक छात्रों को वृत्तिका, कनिष्ठ अध्येतावृत्ति देना; छात्रों के लिए अंशकालिक वैदिक कक्षाओं का आयोजन, "वैदिक मंत्रोच्चार की मौखिक परंपरा के परिरक्षण की योजना" के तहत 37 स्वाध्यायिनी अध्यापिकाओं को मानदेय और 74 छात्रों को वृत्तिका प्रतिष्ठान पर प्रकाशन कार्यक्रम भी चलाता है।

पहले से चल रही योजनाओं और नए कार्यक्रमों पर अतिरिक्त खर्च के लिए तथा उज्जैन में निर्माण कार्य के लिए 2000–2001 के दौरान महर्षि संदीपन राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के लिए 4.00 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गई है।

मदरसा शिक्षा का आधुनिकीकरण

मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण की योजना का उद्देश्य मदरसा और मकतब जैसी परंपरागत संस्थाओं को अपने

पाठ्यक्रम में विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिंदी और अंग्रेजी शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करना है। योग्यताप्राप्त अध्यापकों की नियुक्ति के लिए शत–प्रतिशत आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

यह भी निर्णय लिया गया कि विज्ञान अध्यापकों से युक्त मदरसों को विज्ञान/गणित किटों की खरीद, पुस्तक बैंक स्थापित करने और आधुनिक विषयों के लिए पुस्तकालयों के सुदृढ़ीकरण के निमित्त एकबारगी अनुदान (अधिकतम 7000 रुपए) प्रदान किया जाता है। 2000–2001 के दौरान 1000 मदरसों को अनुदान दिए जाने की संभावना है।

2000–2001 के लिए 12.00 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान है।

अल्पसंख्यकों की शिक्षा

1992 में अद्यतन बनाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में समानता और सामाजिक न्याय के हित में शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े अल्पसंख्यकों की शिक्षा की ओर ध्यान दिए जाने की परिकल्पना की गई है। उपर्युक्त के अनुसरण में विभाग ने शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए मई 1993 में क्षेत्र गहन कार्यक्रम की योजना आरम्भ की।

इस योजना के अधीन शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े अल्पसंख्यकों की बहुलता वाले क्षेत्रों में जिनमें प्रारम्भिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए उपयुक्त व्यवस्था नहीं होती, बुनियादी आधारिक तंत्र और सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है। इस योजना के अधीन राज्य सरकारों और स्वैच्छिक संगठनों को (राज्य सरकारों के माध्यम से) इन कामों के लिए शत–प्रतिशत आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है: लड़कियों के लिए नए प्राथमिक/ उच्च प्राथमिक स्कूल तथा आवासीय उच्च माध्यमिक स्कूल खोलना; लड़कियों के लिए बहु–धारा वाले ऐसे आवासीय उच्च माध्यमिक स्कूलों का, जिनमें विज्ञान, वाणिज्य, मानविकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रम पढ़ाए जाते हैं, सुदृढ़ीकरण तथा स्थापना।

संस्कृत पढ़ाने की प्रविधि में सुधार लाने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा शत प्रतिशत सहायता दी जाती है। 2000-2001 के दौरान सीबीएसई/एनसीईआरटी, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, सरस्वती विद्यापीठ तथा सम संस्कृत विश्वविद्यालयों के प्रस्तावों को सहायता प्रदान की जाएगी।

यह योजना 325 ब्लाकों (13 राज्यों और 3 संघ शासित क्षेत्रों में) तथा असम के चार जिलों में काम कर रही है।

पूरे किए गए लक्ष्य

भौतिक

योजना के आरम्भ से निम्न प्रयोजनों के लिए पूर्ण/आंशिक अनुदान दिया गया है : 2251 प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक स्कूल भवनों का निर्माण, लड़कियों के लिए छः आवासीय उच्च माध्यमिक स्कूलों का निर्माण; 1318 क्लासरूमों का निर्माण; 54 प्राथमिक स्कूलों का उच्च प्राथमिक स्कूलों के रूप में तथा हाई स्कूलों का उच्च माध्यमिक स्कूलों के रूप में स्तरोन्नयन; लड़कियों के उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए 13 छात्रावास भवनों का निर्माण; 170 स्कूलों में टायलेटों/पेशाबघरों का निर्माण; 740 प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्कूलों में अध्यापन–अधिगम सामग्री की व्यवस्था; तथा 654 प्राथमिक/ उच्च प्राथमिक/माध्यमिक स्कूलों में पुस्तकालयी पुस्तकों, अलमारियों और फर्नीचर आदि की व्यवस्था।

वित्तीय

1993–94 से 1996–97 के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों को 8.97 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई। 1997–98, 1998–99 तथा 1999–2000 के लिए क्रमशः 10.99 करोड़ रुपए, 13.52 करोड़ रुपए तथा 11.43 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई। चालू वित्तीय वर्ष 2000–2001 के लिए बजट अनुमान 18.00 करोड़ रुपए है।

शिक्षा विभाग भारतीय छात्रों के लिए विदेशों में विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थानों में आगे अध्ययन/अनुसन्धान के निमित्त छात्रवृत्तियों तथा शिक्षावृत्ति कार्यक्रमों का संचालन करता है। इन कार्यक्रमों में भारत सरकार द्वारा प्रायोजित तथा विदेशों द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम शामिल हैं।

छात्रवृत्तियां

माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा विभाग का राष्ट्रीय तथा विदेशी छात्रवृत्ति प्रभाग भारत तथा विदेशों में विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थानों में आगे अध्ययन/अनुसंधान के निमित्त अनेक छात्रवृत्तियों तथा शिक्षावृत्ति कार्यक्रमों का संचालन करता है । इन कार्यक्रमों में भारत सरकार द्वारा प्रायोजित तथा विदेशों द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम शामिल हैं। 2000–2001 के दौरान जिन प्रमुख कार्यक्रमों के अधीन छात्रवृत्तियां/शिक्षावृत्तियां प्रदान की जा रही हैं, वे निम्नानुसार हैं:

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना 1961–62 से चलाई जा रही है। योजना के अंतर्गत उत्तर–मैट्रिक अध्ययन के लिए योग्यता एवं साधनों के आधार पर छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। इन छात्रवृत्तियों की दरें अध्ययन के पाठ्यक्रम के आधार पर दिवा अध्येताओं के लिए 60 रुपये से 120 रुपये प्रतिमाह तक तथा छात्रावासों में रहने वाले छात्रों के लिए 100 रुपये से 300 रुपये प्रतिमाह तक भिन्न–भिन्न होती हैं । छात्रवृत्तियों की पात्रता के लिए माता–पिता की आय सीमा संप्रति 25,000 रुपये प्रतिवर्ष है ।

हिन्दी मे उत्तर–मैट्रिक अध्ययन के लिए अहिन्दी भाषी राज्यों के छात्रों को छात्रवृत्तियां

यह योजना 1955–56 में आरम्भ की गई थी । इसका उद्देश्य अहिन्दी भाषी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में हिन्दी के अध्ययन को प्रोत्साहित करना तथा इन राज्यों की सरकारों को अध्यापन के निमित्त तथा अन्य ऐसे पदों पर भर्ती के लिए, जिनमें हिन्दी का ज्ञान अनिवार्य है, उपयुक्त कार्मिक उपलब्ध कराना है । छात्रवृत्तियों की दरें अध्ययन के पाठ्यक्रम के आधार पर 50 रुपये से 125 रुपये प्रतिमाह के बीच है।

ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली छात्रों के लिए माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना

यह योजना 1971–72 से चल रही है । इस योजना का उद्देश्य यह है कि शैक्षिक अवसरों की समानता उपलब्ध कराई जाए और ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली छात्रों को अच्छे स्कूलों में पढ़ा कर उनकी प्रतिभा को प्रोत्साहित किया जाए । यह योजना राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के जरिए कार्यान्वित की जा रही है । छात्रवृत्ति का वितरण प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र में सामुदायिक विकास खण्डों के आधार पर किया जाता है। छात्रवृत्तियां मिडिल स्कूल स्तर (कक्षा VI/VIII) के अन्त में प्रदान की जाती हैं और माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक स्तर तक जारी रहती हैं। छात्रों का चयन राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद/राज्य शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषदों की मदद से राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। छात्रवृत्ति की दर अध्ययन के पाठ्यक्रम के आधार पर 30 रुपये से लेकर 100 रुपये प्रतिमाह के बीच होती है।

यूके, कनाडा तथा न्यूजीलैण्ड की सरकारों द्वारा प्रदान की जाने वाली राष्ट्रमण्डलीय छात्रवृत्तियां/ शिक्षावृत्ति योजना

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत यूके, कनाडा तथा न्यूजीलैण्ड में उच्च अध्ययन/अनुसंधान/प्रशिक्षण के लिए भारतीय नागरिकों को छात्रवृत्तिया/शिक्षावृत्तियां दी जाती हैं। ये छात्रवृत्तियां गौरवपूर्ण हैं तथा देश और लाभग्राहियों की शैक्षिक और व्यावसायिक उन्नति के लिए काफी लाभदायक हैं। ये छात्रवृत्तियां आयुर्विज्ञान सहित लगभग 27 विषय–क्षेत्रों में यूके में ग्यारह विषय–क्षेत्रों में कनाडा में, दो विषय–क्षेत्रों में न्यूजीलैण्ड में उपलब्ध कराई जाती हैं। 1999–2000 के दौरान अट्ठाईस छात्रवृत्तियों का लाभ उठाया गया है। 2000–2001 के दौरान अक्तूबर 2000 तक 21 छात्रवृत्तियों का लाभ उठाया गया है ।

सुश्री अगाथा हैरीसन स्मारक शिक्षावृत्ति

सुश्री अगाथा हैरीसन स्मारक शिक्षावृत्ति के अधीन एक शिक्षावृत्ति की योजना पूर्णतः भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित है जो कि ऐसे शोध छात्रों के लिए है जिन्होंने इतिहास, अर्थशास्त्र तथा राजनीति शास्त्र में आधुनिक भारतीय अध्ययन में विशेषज्ञता अर्जित की है। भारत सरकार द्वारा यूके में स्थित भारतीय उच्च आयोग के माध्यम से सेंट एन्टोनी कालेज को प्रति वर्ष 16,927 अमरीकी डालर की सकेकित वृत्ति प्रदान की जाती है। इस योजना के

अधीन शोध छात्र को नई दिल्ली से लन्दन तक तथा वापसी यात्रा के लिए हवाई जहाज का किफायती श्रेणी का किराया दिया जाता है। इसके अलावा, शोध छात्र/फेलो के जीवनसाथी को भी किफायती श्रेणी का हवाई जहाज का किराया दिया जाता हैं बशर्ते कि वह फेलो के साथ कम से कम एक वर्ष के लिए यूके में रहे। शिक्षावृत्ति का कार्यकाल आरम्भ में एक वर्ष होता है जिसे उम्मीदवार के निष्पादन के आधार पर एक वर्ष और बढ़ाया जा सकता है। 2000–2001 के लिए सुश्री अगाथा हेरीसन स्मारक शिक्षावृत्ति के अधीन एक शिक्षावृत्ति के लिए अन्तिम चयन के निमित्त सेंट एन्टोनी कालेज, यूके को तीन उम्मीदवारों का नामांकन भेजा जा चुका है।

सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अन्तर्गत विदेशी सरकारों द्वारा प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्तियां/ शिक्षावृत्तियां

भारत सरकार तथा दूसरे देशों के बीच सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रमों के अधीन विदेशों द्वारा अपने–अपने देश में भारतीय छात्रों को स्नातकोत्तर स्तर, पीएच.डी स्तर तथा पोस्टडाक्टरल स्तर पर उच्चतर अध्ययन के लिए और साथ ही भाषा अध्ययन के लिए भी छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं । भारतीय अध्येताओं द्वारा बुनियादी विज्ञान (सैद्धान्तिक तथा अनुप्रयुक्त) इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी, मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान आदि विषयों में अध्ययन के लिए इन छात्रवृत्तियों का प्रयोग किया जा रहा हैं । 1999–2000 के दौरान 45 अध्येताओं को चीन, जापान, मेक्सिको, जर्मनी, इजराइल, आयरलैण्ड चेक तथा बेल्जियम पोलैण्ड भेजा गया जबकि वर्ष 2000–2001 के दौरान (अक्तूबर 2000 तक) 67 छात्रवृत्तियों का लाभ उठाया गया ।

ब्रिटिश काउंसिल विजिटरशिप कार्यक्रम

ब्रिटिश काउंसिल विजिटरशिप कार्यक्रम के अधीन ब्रिटिश काउंसिल प्रभाग/भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त, उम्मीदवारों को यूके में अल्पकालीन पाठ्यक्रमों के लिए भेजते हैं ताकि वे ब्रिटेन की बाबत बेहतर ज्ञान अर्जित कर सकें। इस कार्यक्रम के अधीन प्रायोजक परिषद द्वारा भारतीय छात्रों / विद्वानों/ शोध छात्रों को ऐसी आर्थिक सहायता, शिक्षा, विज्ञान, चिकित्सा, प्रौद्योगिकी और कलाओं के क्षेत्र में प्रदान की जाती हैं, जिससे कि वे आपसी विचार–विमर्श करने, चालू ब्रिटिश व्यवहार के साथ अपने व्यावसायिक ज्ञान को अद्यतन करने, सहयोगात्मक अध्ययन करने और व्यावसायिक सम्मेलनों, सेमिनारों और पाठ्यक्रमों में भाग लेने के लिए यूके में संस्थानों/प्रतिपक्ष संस्थानों का दौरा कर सकें।

इस कार्यक्रम के अधीन प्रायोजक परिषद सामान्यतः यूके में आन्तरिक यात्रा खर्च और जीवन–निर्वाह लागत वहन करती है। इस प्रयोजन के लिए कार्यक्रम को अन्तिम रूप देने से पहले सम्बन्धित ब्रिटिश काउंसिल प्रभाग को भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, माध्यमिक शिक्षा और उच्चतर शिक्षा विभाग से अनापत्ति प्राप्त करनी होती है। इस विभाग ने विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय के परामर्श से अप्रैल 2000 से 31 अक्तूबर 2000 के दौरान 22 शोधकर्ताओं/शिक्षाविदों के मामले में अनापत्ति प्रदान की।

परिशिष्ट

परिशिष्ट – I

विकलांग बच्चों को एकीकृत शिक्षा (आईईडीसी) के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (एनजीओ सहित) को सहायता

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	निर्मुक्त धनराशि (रुपए लाखों में) (योजनागत)					
		1995–96	1996–97	1997–98	1998–99	1999–2000	2000–01 (31.1.2001)
1.	आंध्र प्रदेश	–	–	44.21	122.5	29.57	4.15
2.	अरूणाचल प्रदेश	–	–	1.00	–	–	3.99
3.	असम	–	–	13.00	–	–	–
4.	बिहार	–	–	–	–	–	–
5.	गुजरात	–	28.01	106.23	41.60	323.44	82.95
6.	हरियाणा	–	5.72	25.17	10.65	86.38	17.19
7.	हिमाचल प्रदेश	3.90	–	51.04	–	96.63	–
8.	जम्मू और कश्मीर	–	–	–	–	–	–
9.	कर्नाटक	47.79	3.12	145.42	57.48	116.74	226.31
10.	केरल	495.00	232.00	120.14	218.10	236.27	260.96
11.	मध्य प्रदेश	2.36	3.44	120.78	127.34	55.19	11.72
12.	मणिपुर	8.40	32.85	25.85	26.56	45.17	–
13.	महाराष्ट्र	–	31.16	14.53	50.17	–	43.47
14.	मिजोरम	11.51	4.71	6.94	11.46	15.50	22.41
15.	नागालैंड	5.41	7.15	7.15	5.75	5.75	–
16.	उड़ीसा	4.84	126.54	74.45	45.80	109.73	70.50
17.	पंजाब	–	–	–	–	–	–
18.	राजस्थान	20.20	59.75	30.09	71.68	–	154.44
19.	तमिलनाडु	13.22	6.56	16.45	34.91	62.18	123.82
20.	त्रिपुरा	0.87	1.53	3.42	–	23.31	–
21.	उत्तर प्रदेश	0.70	2.33	8.44	5.97	24.82	9.86
22.	पश्चिम बंगाल	15.77	–	10.95	6.68	12.00	2.72
23.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	12.78	13.25	14.82	14.25	16.62	7.72
24.	चंडीगढ़	–	–	–	–	–	–
25.	दिल्ली	26.61	25.95	38.24	28.67	29.42	50.45
26.	दमन और दीव	0.45	0.36	0.31	0.31	0.26	0.17
27.	दादर व नागर हवेली	–	–	–	0.38	–	–
28.	पांडिचेरी	–	–	–	–	1.04	2.36
	कुल	**669.81**	**584.43**	**998.63**	**880.18**	**1290.02**	**1095.19**

योजना*: शैक्षिक प्रौद्योगिकी (अनन्तिम)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	निर्मुक्त धनराशि (रुपए लाखों में) (योजनागत)						
			1995–96	1996–97	1997–98	1998–99	1999–2000	2000–01 (31.1.2001)
1.	आंध्र प्रदेश	770.86	309.72	73.01	87.10	93.58	132.99	149.17
2.	अरूणाचल प्रदेश	7.83	–	–	–	–	–	–
3.	असम	4.13	–	–	–	–	–	–
4.	बिहार	61.29	26.64	55.00	55.00	30.00	107.25	72.00
5.	गुजरात	–	–	–	4.78	–	–	–
6.	गोवा	86.29	185.29	30.00	79.75	30.00	97.98	74.00
7.	हरियाणा	19.50	–	–	–	–	–	–
8.	हिमाचल प्रदेश	98.18		–	–	–	114.50	–
9.	जम्मू और कश्मीर	52.50	–	–	–	–	–	–
10.	कर्नाटक	148.01	–	–	18.14	–	–	–
11.	केरल	–	–	–	–	–	242.80	–
12.	मध्य प्रदेश	–	–	–	–	–	167.50	–
13.	महाराष्ट्र	68.46	75.88	50.00	92.70	30.00	141.01	154.50
14.	मणिपुर	–	11.49	–	–	–	–	–
15.	मेघालय	–	5.99	–	5.99	–	–	–
16.	मिजोरम	–	1.01	–	2.38	–	0.56	–
17.	नागालैंड	–	1.55	–	1.37	–	16.20	–
18.	उड़ीसा	313.97	67..58	50.00	81.49	30.00	85.00	134.00
19.	पंजाब	195.00	–	–	–	–	–	–
20.	राजस्थान	–	–	–	–	–	–	–
21.	सिक्किम	1.01	–	–	0.53	–	–	–
22.	तमिलनाडु	–	–	–	–	–	310.40	–
23.	त्रिपुरा	–	–	–	–	–	–	–
24.	उत्तर प्रदेश	50.00	60.77	60.00	100.40	137.02	145.09	94.00
25.	पश्चिम बंगाल	–	–	–	–	–	–	–
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	–	–	–	–	–	–	–
27.	चंडीगढ़	–	–	–	–	–	–	–
28.	दिल्ली	132.50	–	–	3.14	0.99	–	–
29.	दमन और दीव	–	–	–	–	0.49	–	–
30.	दादर व नागर हवेली	–	–	–	–	–	–	–
31.	लक्षद्वीप	–	–	–	–	–	–	–
32.	पांडिचेरी	–	–	–	–	–	–	–
33.	एनसीईआरटी	302.48	598.87	73.02	–	3.94	–	–
	कुल	**2318.00**	**1359.90**	**401.03**	**532.77**	**356.02**	**1561.28**	**677.67**

*इसमें एस.आई.ई.टी., सी.आई.ई.टी., सी.आई.आई.एल. और एन.सी.ई.आर.टी. के लिए संस्वीकृत राशि शामिल है।

परिशिष्ट – II

सांख्यिकीय विवरण

विवरण संख्या 1

भारत में मान्यताप्राप्त शैक्षिक संस्थाओं की कुल संख्या (1999-2000) (अनन्तिम)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्राथमिक/कनिष्ठ बेसिक स्कूल	मिडिल/वरिष्ठ बेसिक स्कूल	हाई स्कूल/उ. मा./इंटरमीडिएट/डिग्री पूर्व/जूनियर कालेज	सामान्य शिक्षा कालेज	व्यावसायि० शिक्षा	विश्वविद्यालय सम विश्वविद्यालय राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थान
1.	आंध्र प्रदेश	55398	9530	11908	976	113	20
2.	अरूणाचल प्रदेश	1289	328	176	7	1	1
3.	असम	33236	8019	4651	280	12	6
4.	बिहार*	53697	13761	4910	742	47	17
5.	गोवा	1046	91	436	20	0	1
6.	गुजरात*	14789	20044	6177	339	110	11
7.	हरियाणा	10560	1786	3952	169	68	5
8.	हिमाचल प्रदेश	10472	1484	1563	65	8	3
9.	जम्मू और कश्मीर@	10483	3104	1351	38	15	3
10.	कर्नाटक*	23690	24142	10073	869	308	16
11.	केरल	6748	2966	3120	186	65	8
12.	मध्य प्रदेश	91733	23340	9277	413	78	19
13.	महाराष्ट्र	42108	23686	14585	866	506	27
14.	मणिपुर	2572	730	605	50	4	2
15.	मेघालय	4685	1041	572	33	1	1
16.	मिजोरम	1226	748	372	27	2	0
17.	नागालैंड	1469	473	328	32	1	1
18.	उड़ीसा	42104	12096	7125	567	48	5
19.	पंजाब	12996	2534	3357	196	61	6
20.	राजस्थान	34948	16336	6047	267	74	10
21.	सिक्किम	501	129	110	2	2	1
22.	तमिलनाडु	31052	5640	7843	384	215	22
23.	त्रिपुरा	2068	421	607	14	3	1
24.	उत्तर प्रदेश	96964	21678	8549	763	139	29
25.	पश्चिम बंगाल	52385	3019	7233	389	66	14
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	198	55	87	2	1	0
27.	चंडीगढ़	46	34	105	12	8	2
28.	दादर व नागर हवेली	138	57	20	0	0	0
29.	दमन और दीव	53	22	25	1	1	0
30.	दिल्ली*	2676	601	1459	64	27	12
31.	लक्षद्वीप	19	4	13	0	0	0
32.	पांडिचेरी	346	105	184	9	10	1
	भारत	**641695**	**198004**	**116820**	**7782**	**2124**	**244**

टिप्पणी: व्यावसायिक शिक्षा में इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी तथा वास्तुकला चिकित्सा (एलोपैथी/आयुर्वेद/होमियोपैथी/यूनानी/नर्सिंग/फार्मेसी आदि) तथा अध्यापक प्रशिक्षण कालेज शामिल हैं।

* गुजरात हाईस्कूल/उच्च माध्यमिक स्कूलों को छोडकर 1998–99 से सम्बन्धित

@ 1997–98 से सम्बन्धित

विवरण संख्या 2

कक्षा-वार नामांकन 1999-2000 (अनन्तिम)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्राथमिक/कनिष्ठ बेसिक (कक्षाएं I-V)			मिडिल/उच्च प्राथमिक (कक्षाएं VI-VIII)			माध्यमिक/उच्च माध्यमिक/स्नातकपूर्व			उच्च शिक्षा		
		बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल
1.	आंध्र प्रदेश	4702696	4409365	9112061	1506715	1174991	2681706	1196802	804679	2001481	371133	209168	580301
2.	अरुणाचल प्रदेश	87038	71644	158682	28244	23338	51582	18576	12117	30693	3129	1245	4374
3.	असम	2198019	1807760	4005779	840134	643030	1483164	523461	358980	882441	132504	67842	200346
4.	बिहार*	6516777	3956475	10473252	1739641	808939	2548580	1109500	383287	1492787	562057	126038	688095
5.	गोवा	62863	59482	122345	38516	33680	72196	30549	29357	59906	6539	9687	16226
6.	गुजरात*	3489728	2656553	6146281	1246685	907165	2153850	865211	621198	1486409	216523	182148	398671
7.	हरियाणा	1098903	982477	2081380	506271	398976	905247	448071	299372	747443	95760	70990	166750
8.	हिमाचल प्रदेश	343045	322493	665538	191858	168331	360189	158405	125045	283450	44427	30841	75268
9.	जम्मू और कश्मीर@	519196	373809	893005	253732	151966	405698	144356	83349	227705	30122	18104	48226
10.	कर्नाटक*	3394910	3106290	6501200	1318690	1098520	2417210	1084726	835361	1920087	441886	487731	929617
11.	केरल	1312763	1248237	2561000	928928	859844	1788772	634000	693123	1327123	99529	164039	263568
12.	मध्य प्रदेश	6459172	4996763	11455935	2259128	1341093	3600221	1373732	677322	2051054	186076	116198	302274
13.	महाराष्ट्र	6275416	5801085	12076501	3083303	2403777	5487080	2081217	1506601	3587818	588047	356067	944114
14.	मणिपुर	141593	128499	270092	62902	56361	119263	40480	35401	75881	14590	13051	27641
15.	मेघालय	160077	159651	319728	44210	47330	91540	27173	24409	51582	7832	7030	14862
16.	मिजोरम	65795	59138	124933	23632	22850	46482	16993	16621	33614	4704	3428	8132
17.	नागालैंड	89441	82511	171952	32270	30572	62842	20568	17654	38222	4292	3210	7502
18.	उड़ीसा	2705000	1910000	4615000	873000	556000	1429000	724700	388800	1113500	120545	40162	160707
19.	पंजाब	1125148	1012335	2137483	527226	468970	996196	454290	374527	828817	86664	99008	185672
20.	राजस्थान	5086107	2831257	7917364	2318980	936582	3255562	835844	320013	1155857	147605	78268	225873
21.	सिक्किम	44581	42930	87511	12772	13021	25793	6694	5886	12580	1350	862	2212
22.	तमिलनाडु	3168908	2914202	6083110	1740179	1603289	3343468	1175987	1075200	2251187	210486	203690	414176
23.	त्रिपुरा	248380	221891	470271	83257	71108	154365	55654	42295	97949	11683	7590	19273
24.	उत्तर प्रदेश	8913849	5192662	14106511	3373061	1539963	4913024	2448927	885712	3334639	772128	398582	1170710
25.	पश्चिम बंगाल	5061091	4408229	9469320	1680355	1225891	2906246	1100041	598550	1698591	335865	233801	569666
26.	अडमान व निकोबार द्वीपसमूह	20823	19154	39977	11858	10526	22384	8235	7645	15880	897	972	1869
27.	चंडीगढ़	35803	30737	66540	20417	17969	38386	18981	18295	37276	10543	13811	24354
28.	दादर व नागर हवेली	15343	11725	27068	4637	2898	7535	2158	1487	3645	0	0	0
29.	दमन और दीव	8341	7519	15860	3704	3248	6952	3056	2261	5317	360	310	670
30.	दिल्ली*	693870	630556	1324426	292712	330423	623135	612642	700068	1312710	135983	131815	267798
31.	लक्षद्वीप	4528	3795	8323	2368	2076	4444	1662	1352	3014	0	0	0
32.	पांडिचेरी	54085	50028	104113	32966	30120	63086	23605	22194	45799	5550	6303	11853
	भारत	64103289	49509252	113612541	25082351	16982847	42065198	17246296	10968161	28214457	4648809	3081991	7730800

* गुजरात हाईस्कूल/उच्च माध्यमिक स्कूलों को छोडकर 1998-99 से सम्बन्धित

@ 1997-98 से सम्बन्धित

विवरण संख्या 3

सामान्य शिक्षा के लिए स्कूलों की कक्षा I-V और VI-VIII में नामांकन अनुपात

क्र.	राज्य/संघ	सभी विद्यार्थी 1999–2000 (अनन्तिम)					
		कक्षाएं I–V (6–11 वर्ष)			कक्षाएं VI–VIII (11–14 वर्ष)		
स.	राज्य क्षेत्र	बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल
1.	आंध्र प्रदेश	105.21	101.39	103.32	52.30	42.77	47.65
2.	अरूणाचल प्रदेश	126.14	108.55	117.54	72.42	66.68	69.71
3.	असम	124.25	105.35	114.94	81.02	64.63	72.99
4.	बिहार	94.51	61.46	78.56	41.38	22.04	32.36
5.	गोवा	71.44	63.96	67.59	77.03	67.36	72.20
6.	गुजरात	124.54	101.43	113.38	71.81	57.31	64.89
7.	हरियाणा	81.22	82.98	82.04	64.58	59.02	62.00
8.	हिमाचल प्रदेश	92.97	80.83	86.66	91.80	78.66	85.15
9.	जम्मू और कश्मीर	92.55	64.78	78.47	79.54	49.18	64.60
10.	कर्नाटक	112.83	105.87	109.39	70.71	60.49	65.67
11.	केरल	85.80	84.74	85.28	97.78	93.36	95.61
12.	मध्य प्रदेश	126.53	102.94	115.03	75.28	48.70	62.56
13.	महाराष्ट्र	115.80	112.32	114.10	96.72	80.37	88.80
14.	मणिपुर	101.87	87.41	94.44	79.62	71.34	75.48
15.	मेघालय	119.46	111.64	115.43	57.42	62.28	59.83
16.	मिजोरम	121.84	107.52	114.62	78.77	76.17	77.47
17.	नागालैंड	92.21	87.78	90.03	58.67	61.14	59.85
18.	उड़ीसा	125.70	91.48	108.84	66.59	43.75	55.34
19.	पंजाब	79.91	81.71	80.75	64.53	64.95	64.73
20.	राजस्थान	137.61	83.81	111.92	105.89	48.35	78.88
21.	सिक्किम	139.32	138.48	138.91	70.96	75.59	73.69
22.	तमिलनाडु	102.75	98.62	100.73	88.56	85.16	86.89
23.	त्रिपुरा	118.28	101.86	109.37	69.96	60.26	65.13
24.	उत्तर प्रदेश	78.43	50.18	64.96	48.69	25.80	38.09
25.	पश्चिम बंगाल	105.35	94.86	100.19	57.00	43.91	50.63
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	86.76	91.21	88.84	91.22	95.69	93.27
27.	चंडीगढ़	66.30	65.40	65.88	68.06	71.88	69.79
28.	दादंर व नागर	153.43	106.59	128.90	77.28	48.30	62.79
29.	दमन और दीव	119.16	93.99	105.73	92.60	81.20	86.90
30.	दिल्ली	85.24	83.08	84.20	63.08	81.59	71.71
31.	लक्षद्वीप	113.20	94.88	104.04	78.93	69.20	74.07
32.	पांडिचेरी	88.66	79.41	83.96	96.96	86.06	91.43
	भारत	**104.08**	**85.18**	**94.90**	**67.15**	**49.66**	**58.79**

विवरण संख्या 4

कक्षावार नामांकन (अनुसूचित जाति) 1999-2000 30 सितम्बर 2000 को स्थिति के अनुसार (अनन्तिम)

क्र. सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	प्राथमिक / जूनियर बेसिक (कक्षाएं I-V)			मिडिल / उच्च प्राथमिक (कक्षाएं VI-VIII)			माध्यमिक / उच्च माध्यमिक / स्नातक–पूर्व			उच्च शिक्षा		
		बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल
1.	आंध्र प्रदेश	977601	905790	1883391	116880	74462	191342	307967	206609	514576	54088	24394	78482
2.	अरूणाचल प्रदेश	101	90	191	34	33	67	62	45	107	198	98	296
3.	असम	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	एनए	69837	50547	120384	11995	6135	18130
4.	बिहार*	946888	576854	1523742	252770	117943	370713	161211	55883	217094	18321	2219	20540
5.	गोवा	1476	1370	2846	581	492	1073	314	245	559	70	59	129
6.	गुजरात*	251289	184334	435623	128336	94065	222401	87838	60061	147899	17014	11679	28693
7.	हरियाणा	290571	263363	553934	98400	70593	168993	59979	33764	93743	10200	3444	13644
8.	हिमाचल प्रदेश	100172	89601	189773	46976	40784	87760	30400	23320	53720	5546	2699	8245
9.	जम्मू और कश्मीर@	45111	40724	85835	19034	14998	34032	10183	6184	16367	1042	454	1496
10.	कर्नाटक*	639330	582853	1222183	234268	187025	421293	114769	73563	188332	55009	23185	78194
11.	केरल	139508	130104	269612	98518	89977	188495	62040	70633	132673	9519	16541	26060
12.	मध्य प्रदेश	1057614	799436	1857050	361989	191413	553402	178561	72357	250918	20817	9972	30789
13.	महाराष्ट्र	939176	869930	1809106	436469	364027	800496	299591	195878	495469	72280	35392	107672
14.	मणिपुर	2839	2892	5731	1191	949	2140	1024	662	1686	412	304	716
15.	मेघालय	1033	864	1897	495	466	961	806	585	1391	289	155	444
16.	मिजोरम	107	20	127	54	10	64	33	20	53	0	0	0
17.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	54	66	120	65	53	118
18.	उड़ीसा	524000	333000	857000	121000	75000	196000	106300	45300	151600	9256	2208	11464
19.	पंजाब	487385	445244	932629	170243	148319	318562	98293	75276	173569	10206	8847	19053
20.	राजस्थान	817891	336579	1154470	410763	128901	539664	106799	27090	133889	22523	3787	26310
21.	सिक्किम	2756	2366	5122	807	692	1499	443	362	805	45	32	77
22.	तमिलनाडु	570403	526556	1096959	288592	270139	558731	211677	193536	405213	38521	28206	66727
23.	त्रिपुरा	48950	45376	94326	16707	14017	30724	10143	7242	17385	2001	1030	3031
24.	उत्तर प्रदेश	2383120	1288153	3671273	663472	225907	889379	380379	81375	461754	91597	14033	105630
25.	पश्चिम बंगाल	1417504	1059897	2477401	353518	242139	595657	176659	95714	272373	54802	27894	82696
26.	अंड. व निको. द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	चंडीगढ़	7343	6445	13788	3535	3161	6696	1264	695	1959	719	671	1390
28.	दादर व नागर हवेली	255	245	500	125	96	221	105	86	191	0	0	0
29.	दमन और दीव	333	306	639	165	175	340	154	152	306	16	17	33
30.	दिल्ली*	146647	122808	269455	49466	57475	106941	78955	97662	176617	4007	1933	5940
31.	लक्षद्वीप	1	4	5	3	2	5	5	3	8	0	0	0
32.	पांडिचेरी	10484	9921	20405	6649	6409	13058	4200	3834	8034	756	717	1473
	भारत	**11809888**	**8625125**	**20435013**	**3881040**	**2419669**	**6300709**	**2560045**	**1478749**	**4038794**	**511314**	**226158**	**737472**

* गुजरात हाईस्कूल / उच्च माध्यमिक स्कूलों को छोड़कर 1998–99 से सम्बन्धित

@ 1997–98 से सम्बन्धित

विवरण संख्या 5

(अनुसूचित जाति के छात्रों का) सकल नामांकन अनुपात आयुवर्ग (6-11) और (11-14) 1999-2000 (अनन्तिम)

	अनुसूचित जाति नामांकन अनुपात कक्षाएं I-V			अनुसूचित जाति नामांकन अनुपात कक्षाएं VI-VIII		
क्र. सं. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल
1. आंध्र प्रदेश	121.04	114.73	117.92	29.81	20.64	25.41
2. अरूणाचल प्रदेश	22.95	28.66	25.33	18.58	25.58	21.47
3. असम	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
4. बिहार	81.45	54.17	68.41	54.90	29.87	43.35
5. गोवा	93.83	85.68	89.72	57.58	50.41	54.06
6. गुजरात	111.62	86.36	99.33	107.81	87.87	98.37
7. हरियाणा	84.76	87.43	86.01	68.41	57.73	63.51
8. हिमाचल प्रदेश	84.79	75.91	80.35	79.97	70.58	75.31
9. जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10. कर्नाटक	97.55	89.40	93.49	84.97	69.48	77.32
11. केरल	87.76	84.18	86.00	100.29	94.92	97.65
12. मध्य प्रदेश	130.98	104.44	118.06	95.45	56.59	77.13
13. महाराष्ट्र	147.83	141.27	144.60	134.68	119.63	127.39
14. मणिपुर	92.24	91.58	91.90	78.10	60.48	69.17
15. मेघालय	111.56	105.88	108.90	121.03	129.09	124.81
16. मिजोरम	112.63	117.65	113.39	100.00	100.00	100.00
17. नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18. उड़ीसा	139.82	90.00	115.07	68.15	42.78	55.55
19. पंजाब	115.63	119.22	117.31	77.85	76.25	77.10
20. राजस्थान	113.08	51.30	83.69	126.45	45.64	88.86
21. सिक्किम	136.44	103.27	118.81	69.27	57.10	63.06
22. तमिलनाडु	87.16	82.30	84.76	78.42	76.77	77.61
23. त्रिपुरा	114.30	104.96	109.61	86.73	73.64	80.22
24. उत्तर प्रदेश	88.57	53.62	72.08	56.57	22.35	40.73
25. पश्चिम बंगाल	112.88	85.84	99.48	60.32	42.02	51.25
26. अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27. चंडीगढ़	93.76	85.61	89.77	85.20	84.70	84.96
28. दादर व नागर हवेली	108.97	106.99	107.99	114.68	100.00	107.80
29. दमन और दीव	116.03	88.18	100.86	94.29	92.59	93.41
30. दिल्ली	93.43	81.55	87.63	63.06	79.80	71.12
31. लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32. पांडिचेरी	111.60	100.60	105.97	122.11	113.03	117.48
भारत	**103.57**	**80.53**	**92.41**	**73.57**	**50.33**	**62.49**

विवरण संख्या 6

कक्षावार नामांकन (अनुसूचित जाति 1999-2000) 30 सितम्बर 2000 की स्थिति के अनुसार (अनन्तिम)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्राथमिक/कनिष्ठ बेसिक कक्षाएं (I-V)			मिडिल/उच्च माध्यमिक(कक्षा VI-VIII)			माध्यमिक/उच्च माध्यमिक/डिग्री पूर्व			उच्च शिक्षा		
		बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल
1.	आंध्र प्रदेश	462143	373333	835476	32188	14540	46728	91193	44284	135477	13326	5821	19147
2.	अरूणाचल प्रदेश	62454	53621	116075	19161	16650	35811	11901	7310	19211	2329	905	3234
3.	असम	365094	295692	660786	131071	106028	237099	93839	63170	157009	17047	9060	26107
4.	बिहार *	489197	313353	802550	129255	64068	193323	81182	29672	110854	8650	3732	12382
5.	गोवा	35	30	65	15	10	25	33	20	53	0	1	1
6.	गुजरात *	500583	407552	908135	158546	114167	272713	91974	64883	156857	15100	11310	26410
7.	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	हिमाचल प्रदेश	15783	14285	30068	5824	4983	10807	5816	4157	9973	1710	1014	2724
9.	जम्मू और कश्मीर@	61692	40246	101938	17410	8973	26383	9615	4086	13701	11	0	11
10.	कर्नाटक *	150700	124529	275229	79251	59866	139117	51248	28454	79702	15826	5346	21172
11.	केरल	18237	16781	35018	9228	8004	17232	4678	3059	7737	652	890	1542
12.	मध्य प्रदेश	1371052	1041206	2412258	343520	191541	535061	163439	74462	237901	17958	7091	25049
13.	महाराष्ट्र	699715	604330	1304045	218673	165986	384659	118105	72497	190602	17137	6185	23322
14.	मणिपुर	50529	46136	96665	16386	13733	30119	10710	8253	18963	3160	2300	5460
15.	मेघालय	127348	128224	255572	34059	42119	76178	20711	18907	39618	5963	5521	11484
16.	मिजोरम	65197	58620	123817	23393	22644	46037	16835	16501	33336	4704	3428	8132
17.	नागालैंड	4316	3983	8299	1307	1220	2527	7398	5470	12868	4227	3157	7384
18.	उड़ीसा	659000	359000	1018000	119000	80000	199000	63000	37900	100900	6259	1808	8067
19.	पंजाब	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	राजस्थान	584145	236221	820366	296056	89556	385612	74503	14008	88511	16462	1842	18304
21.	सिक्किम	9608	9119	18727	2805	2675	5480	2258	1712	3970	197	154	351
22.	तमिलनाडु	37142	34863	72005	15347	10583	25930	8420	5623	14043	853	571	1424
23.	त्रिपुरा	90345	75454	165799	22695	17488	40183	12577	8412	20989	981	389	1370
24.	उत्तर प्रदेश	31393	20463	51856	12787	5962	18749	9030	3416	12446	2652	537	3189
25.	पश्चिम बंगाल	272945	238841	511786	108274	54974	163248	45692	20374	66066	6340	3490	9830
26.	अंड. व निको. द्वीपसमूह	1720	1517	3237	973	817	1790	474	498	972	28	30	58
27.	चंडीगढ़	4	7	11	6	9	15	9	11	20	119	162	281
28.	दादर व नागर हवेली	2578	9265	11843	3590	1953	5543	1336	748	2084	0	0	0
29.	दमन और दीव	1151	1040	2191	499	342	841	198	148	346	54	21	75
30.	दिल्ली *	0	0	0	308	409	717	345	368	713	912	390	1302
31.	लक्षद्वीप	4471	3748	8219	2321	2046	4367	1594	1304	2898	0	0	0
32.	पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	भारत	**6138577**	**4511459**	**10650036**	**1803948**	**1101346**	**2905294**	**998113**	**539707**	**1537820**	**162657**	**75155**	**237812**

* गुजरात हाईस्कूल/उच्च माध्यमिक स्कूलो को छोड़कर 1998–99 से सम्बन्धित

@ 1997–98 से सम्बन्धित

विवरण संख्या 7

आयुवर्ग (6-11) और (11-14) में सकल नामांकन अनुपात (अनुसूचित जनजाति छात्र) 1999-2000 (अनन्तिम)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अनुसूचित जनजाति नामांकन अनुपात कक्षाएं I-V			अनुसूचित जनजाति नामांकन अनुपात कक्षाएं VI-VIII		
		बालक	बालिका	कुल	बालक	बालिका	कुल
1.	आंध्र प्रदेश	143.65	119.85	131.94	20.61	10.21	15.65
2.	अरूणाचल प्रदेश	128.51	96.98	111.73	94.53	73.43	83.39
3.	असम	151.09	119.22	134.95	120.99	96.57	108.70
4.	बिहार	82.33	54.19	68.45	54.93	29.88	42.99
5.	गोवा	140.00	125.00	132.65	93.75	71.43	83.33
6.	गुजरात	112.86	92.68	102.81	67.60	51.77	59.93
7.	हरियाणा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	हिमाचल प्रदेश	80.72	72.12	76.39	59.90	51.39	55.65
9.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	कर्नाटक	88.42	73.51	80.99	110.53	85.58	98.21
11.	केरल	101.49	99.25	100.40	83.11	77.18	80.25
12.	मध्य प्रदेश	110.04	81.87	95.81	58.70	34.08	46.64
13.	महाराष्ट्र	133.47	115.91	124.71	81.77	64.43	73.26
14.	मणिपुर	95.65	86.40	91.00	62.63	51.74	57.15
15.	मेघालय	90.15	84.87	87.42	54.57	63.00	58.93
16.	मिजोरम	124.42	100.95	112.08	78.47	67.92	72.90
17.	नागालैंड	4.46	4.00	4.23	2.89	2.68	2.79
18.	उड़ीसा	129.97	69.83	99.69	49.54	32.84	41.13
19.	पंजाब	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	राजस्थान	114.07	49.14	82.63	128.73	43.28	88.26
21.	सिक्किम	124.38	106.94	115.23	62.98	59.33	61.14
22.	तमिलनाडु	104.88	102.67	103.79	77.06	56.66	67.19
23.	त्रिपुरा	112.48	91.45	101.82	62.81	48.14	55.46
24.	उत्तर प्रदेश	120.99	84.74	103.52	113.07	58.67	87.32
25.	पश्चिम बंगाल	93.34	80.22	86.72	79.34	39.56	59.27
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	82.22	59.63	69.82	84.76	64.79	74.30
27.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	दादर व नागर हवेली	28.92	95.90	63.75	86.07	48.40	67.55
29.	दमन और दीव	124.30	106.45	115.13	88.32	64.17	76.59
30.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	लक्षद्वीप	114.88	93.89	104.25	108.41	97.10	102.80
32.	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	भारत	**112.68**	**82.73**	**97.70**	**70.75**	**44.79**	**58.01**

विवरण संख्या 8

वर्ष 1999-2000 में कक्षा I से V तक स्कूल बीच में छोड़कर जाने वालों की दरें (अनन्तिम)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बालक	बालिका	कुल
1.	आंध्र प्रदेश	39.42	41.23	40.28
2.	अरूणाचल प्रदेश	49.77	50.81	50.23
3.	असम	25.85	42.20	33.69
4.	बिहार	56.50	58.64	57.27
5.	गोवा	5.83	11.51	8.58
6.	गुजरात	30.51	28.10	29.49
7.	हरियाणा	16.09	12.78	14.57
8.	हिमाचल प्रदेश	36.63	33.90	35.35
9.	जम्मू और कश्मीर	55.12	47.39	51.84
10.	कर्नाटक	30.32	27.19	28.87
11.	केरल	−9.03	−5.00	−7.05
12.	मध्य प्रदेश	16.02	22.97	19.03
13.	महाराष्ट्र	18.99	21.72	20.29
14.	मणिपुर	43.66	42.90	43.30
15.	मेघालय	57.63	57.22	57.43
16.	मिजोरम	51.96	51.27	51.64
17.	नागालैंड	46.78	46.68	46.73
18.	उड़ीसा	27.87	44.38	36.12
19.	पंजाब	24.57	20.15	22.49
20.	राजस्थान	46.00	62.68	52.53
21.	सिक्किम	61.27	56.35	58.94
22.	तमिलनाडु	42.70	39.19	41.10
23.	त्रिपुरा	49.66	49.25	49.47
24.	उत्तर प्रदेश	53.11	62.16	56.64
25.	पश्चिम बंगाल	49.85	58.48	54.07
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	5.52	5.77	5.64
27.	चंडीगढ़	−67.15	−66.17	−66.70
28.	दादर व नागर हवेली	23.69	41.29	31.53
29.	दमन और दीव	0.76	6.60	3.59
30.	दिल्ली	5.36	6.03	5.67
31.	लक्षद्वीप	1.58	4.08	2.70
32.	पांडिचेरी	−6.44	−6.19	−6.32
	भारत	**38.67**	**42.28**	**40.25**

विवरण संख्या 9

वर्ष 1999-2000 में कक्षा I से VIII तक स्कूल बीच में छोड़कर जाने वालों की दरें (अनन्तिम)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बालक	बालिका	कुल
1.	आंध्र प्रदेश	64.32	69.06	66.52
2.	अरूणाचल प्रदेश	66.07	63.38	64.92
3.	असम	68.05	71.99	69.81
4.	बिहार	75.75	80.96	77.62
5.	गोवा	7.14	13.27	10.12
6.	गुजरात	57.46	65.37	60.99
7.	हरियाणा	26.35	36.38	31.04
8.	हिमाचल प्रदेश	25.48	27.29	26.35
9.	जम्मू और कश्मीर	32.48	44.99	37.61
10.	कर्नाटक	59.82	65.35	62.47
11.	केरल	−7.33	−4.06	−5.73
12.	मध्य प्रदेश	41.01	55.23	47.15
13.	महाराष्ट्र	17.51	42.95	29.59
14.	मणिपुर	42.92	43.25	43.08
15.	मेघालय	77.82	77.66	77.74
16.	मिजोरम	68.01	63.36	65.81
17.	नागालैंड	43.55	36.47	40.27
18.	उड़ीसा	63.32	62.05	62.81
19.	पंजाब	29.82	29.90	29.86
20.	राजस्थान	38.76	56.09	44.89
21.	सिक्किम	73.11	67.12	70.33
22.	तमिलनाडु	44.63	41.61	43.22
23.	त्रिपुरा	67.94	68.58	68.24
24.	उत्तर प्रदेश	50.37	57.94	53.01
25.	पश्चिम बंगाल	70.04	71.99	70.88
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	32.54	34.25	33.37
27.	चंडीगढ़	−3.06	−4.76	−3.88
28.	दादर व नागर हवेली	53.85	61.53	57.04
29.	दमन और दीव	2.06	4.13	3.06
30.	दिल्ली	21.37	9.03	15.23
31.	लक्षद्वीप	24.79	25.06	24.92
32.	पांडिचेरी	0.85	−0.33	0.29
	भारत	**51.96**	**58.00**	**54.53**

विवरण संख्या 10

वर्ष 1999-2000 में कक्षा I से X तक स्कूल बीच में छोड़कर जाने वालों की सकल दरें (अनन्तिम)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बालक	बालिका	कुल
1.	आंध्र प्रदेश	76.53	77.67	77.02
2.	अरुणाचल प्रदेश	74.93	77.64	76.08
3.	असम	75.89	77.92	76.80
4.	बिहार	81.32	87.42	83.46
5.	गोवा	43.22	42.42	42.83
6.	गुजरात	70.60	74.87	72.52
7.	हरियाणा	42.75	52.54	47.16
8.	हिमाचल प्रदेश	38.36	42.57	40.37
9.	जम्मू और कश्मीर	61.89	71.22	65.80
10.	कर्नाटक	68.53	69.36	68.92
11.	केरल	29.10	18.17	23.74
12.	मध्य प्रदेश	62.21	76.41	68.38
13.	महाराष्ट्र	53.72	60.92	57.10
14.	मणिपुर	76.56	75.48	76.06
15.	मेघालय	61.26	63.09	62.13
16.	मिजोरम	76.10	73.19	74.72
17.	नागालैंड	71.62	69.87	70.83
18.	उड़ीसा	72.93	71.90	72.52
19.	पंजाब	35.37	35.73	35.54
20.	राजस्थान	79.27	83.73	80.74
21.	सिक्किम	88.57	87.47	88.06
22.	तमिलनाडु	59.75	57.63	58.77
23.	त्रिपुरा	78.06	79.30	78.63
24.	उत्तर प्रदेश	55.48	72.92	61.56
25.	पश्चिम बंगाल	79.01	85.45	82.06
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	45.53	44.21	44.90
27.	चंडीगढ़	18.24	5.96	12.60
28.	दादर व नागर हवेली	75.22	79.21	76.97
29.	दमन और दीव	42.29	46.66	44.30
30.	दिल्ली	–35.19	–56.03	–45.46
31.	लक्षद्वीप	45.42	43.77	44.65
32.	पांडिचेरी	43.27	38.99	41.23
	भारत	**66.58**	**70.60**	**68.28**

विवरण संख्या 11

अध्यापकों की संख्या (1999-2000)

		प्राथमिक			मिडिल / उच्च प्राथमिक			माध्यमिक / उच्च माध्यमिक		
क्र. सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	बालिका	बालिका	कुल	बालिका	बालिका	कुल	बालिका	बालिका	कुल
1.	आंध्र प्रदेश	88789	48090	136879	39247	29870	69117	91608	59666	151274
2.	अरूणाचल प्रदेश	2238	991	3229	1913	717	2630	2712	746	3458
3.	असम	61033	25976	87009	45438	11621	57059	48422	17390	65812
4.	बिहार *	93328	22158	115486	76556	22625	99181	38458	7033	45491
5.	गोवा	844	1920	2764	249	429	678	3179	4408	7587
6.	गुजरात *	17590	17450	35040	72582	69618	142200	49165	15966	65131
7.	हरियाणा	24284	23915	48199	5396	2723	8119	31899	23755	55654
8.	हिमाचल प्रदेश	17872	9660	27532	5006	1660	6666	13198	5964	19162
9.	जम्मू और कश्मीर@	13888	8225	22113	14538	8824	23362	16501	7521	24022
10.	कर्नाटक *	34132	26408	60540	76757	65823	142580	60666	23839	84505
11.	केरल	12930	32669	45599	16072	32428	48500	32799	64653	97452
12.	मध्य प्रदेश	170640	68774	239414	77532	33311	110843	68428	29018	97446
13.	महाराष्ट्र	83519	82355	165874	108177	73163	181340	174822	76341	251163
14.	मणिपुर	6033	3379	9412	4157	2573	6730	6602	4131	10733
15.	मेघालय	5820	5158	10978	2849	1894	4743	2817	2785	5602
16.	मिजोरम	2522	2360	4882	3752	1210	4962	2372	712	3084
17.	नागालैंड	4053	2794	6847	2902	2017	4919	3476	2868	6344
18.	उड़ीसा	83532	27508	111040	33190	5724	38914	47956	13173	61129
19.	पंजाब	16905	29002	45907	7561	8023	15584	29796	34221	64017
20.	राजस्थान	68274	26538	94812	88412	30238	118650	67978	25648	93626
21.	सिक्किम	1899	1583	3482	1080	621	1701	1677	911	2588
22.	तमिलनाडु	50919	69565	120484	33733	24662	58395	97678	46142	143820
23.	त्रिपुरा	8403	5428	13831	6849	1962	8811	12454	5553	18007
24.	उत्तर प्रदेश	236731	82261	318992	82798	23890	106688	114495	26838	141333
25.	पश्चिम बंगाल	115399	35147	150546	17595	5751	23346	93100	33242	126342
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	426	428	854	367	357	724	1355	1316	2671
27.	चंडीगढ	13	507	520	61	497	558	1005	3905	4910
28.	दादर व नागर हवेली	144	66	210	188	252	440	122	85	207
29.	दमन और दीव	138	209	347	113	68	181	185	107	292
30.	दिल्ली *	12399	21657	34056	3035	5675	8710	24785	37659	62444
31.	लक्षद्वीप	133	112	245	51	43	94	228	72	300
32.	पांडिचेरी	897	1320	2217	636	744	1380	2300	2524	4824
	भारत	**1235727**	**683613**	**1919340**	**828792**	**469013**	**1297805**	**1142238**	**578192**	**1720430**

* गुजरात हाईस्कूल / उच्च माध्यमिक स्कूलों को छोड़कर 1998–99 से सम्बन्धित

परिशिष्ट – III

स्वैच्छिक संगठनों को वर्ष 1999–2000 के दौरान संस्वीकृत की गई एक लाख रूपए तथा उससे अधिक राशि का सहायता-अनुदान दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	स्वैच्छिक एजेंसी का नाम तथा पता	वर्ष 1999–2000 के दौरान अनुदान की राशि/ वित्तीय सहायता
	प्रौढ़ शिक्षा	
	आन्ध्र प्रदेश	
1.	एसआरसी, आन्ध्र महिला सभा, कालेज केम्पस, हैदराबाद	35,70,262
2.	एपी ओपन स्कूल सोसायटी सैफाबाद, हैदारबाद	1,19,09,129
	असम	
3.	एसआरसी, ज्ञान विज्ञान समितिम उजान बाजार, गुवाहटी	20,91,620
4.	ज्ञान विज्ञान समिति – असम गुवाहटी	69,92,000
5.	जलगुटी अग्रगामी महिला समिति, मोरीगांव, असम	2,00,000
	बिहार	
6.	एसआरसी (एडीआरआई) बीएसआईडीसी कालोनी पटना, बिहार	38,00,000
7.	एसआरसी, दीपायतन, बुद्धा कालोनी, बिहार	35,62,531
	दिल्ली	
8.	एसआरसी दिल्ली, जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली	30,00,000
9.	भारतीय प्रौढ शिक्षा आसोन, नई दिल्ली	11,81,642
10.	गुरू तेग बहादुर, तृतीय सेंट पब्लिक स्कूल, नई दिल्ली	6,60,000
11.	टैगोर एजूकेशन सोयायटी नई दिल्ली	6,30,000

क्र. सं.	स्वैच्छिक एजेंसी का नाम तथा पता	वर्ष 1999-2000 के दौरान अनुदान की राशि/ वित्तीय सहायता
12.	पटेल शिक्षा समिति धौला कुआं, नई दिल्ली	1,52,300
13.	लक्ष्मण पब्लिक स्कूल नई दिल्ली	5,44,000
	गुजरात	
14.	प्रौढ़ शिक्षा सम्बन्धी एसआरसी,, गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद	18,57,856
15.	इंडियन इंस्टिट्यूट आफ मैनेजमेंट, अहमदाबाद	10,25,000
	हरियाणा	
16.	एसआरसी, अनुसन्धान, चाणक्यपुरी रोहतक	9,96,600
	हिमाचल प्रदेश	
17.	एसआरसी राज्य ज्ञान विज्ञान केन्द शिमला	10,00,000
	जम्मू और कश्मीर	
18.	एसआरसी, कश्मीर विश्वविद्यालय श्रीनगर	25,00,000
19.	जम्मू और कश्मीर, डीएचडब्ल्यूए, तहसील रामनगर ऊधमपुर	19,00,000
20.	हिलाल इंस्टीट्यूट अनंतनाग, कश्मीर	6,25,000
	कर्नाटक	
21.	एसआरसी, कर्नाटक राज्य प्रौढ़ शिक्षा परिषद मैसूर	24,99,893
	केरल	
22.	राज्य संसाधन केन्द्र, मिनचीन रोड़ तिरूवनन्तपुरम	24,58,581
	मध्य प्रदेश	
23	एसआरसी, अभिव्यक्ति जन शिक्षा एवम् संस्कृति समिति, भोपाल	20,50,000

क्र. सं.	स्वैच्छिक एजेंसी का नाम तथा पता	वर्ष 1999-2000 के दौरान अनुदान की राशि/ वित्तीय सहायता
24.	एसआरसी, भारतीय ग्रामीण महिला संघ इन्दौर	35,92,641
	महाराष्ट्र	
25.	आरआरसी,, महाराष्ट्र राज्य प्रौढ़ शिक्षा संस्थान औरंगाबाद	22,69,091
26.	एसआरसी, पुणे जेपी नायक पथ 128 के, कोथरड, पुणे	18,00,000
	मेघालय	
27.	एसआरसी, उत्तरपूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग	12,50,000
	मणिपुर	
28.	मणिपुर टी2सी	6,70,000
29.	वागजिंग महिला एवं बालिका समिति मणिपुर	7,00,000
30.	ग्राम विकास समिति वैंगजिंग बाजार	1,70,320
31.	आरडीएस मणिपुर टी2सी	2,25,810
	उड़ीसा	
32.	प्रौढ़ शिक्षा के लिए राज्य संसाधन केन्द्र भुवनेश्वर	19,00,000
	पंजाब	
33.	प्रौढ़ और सतत शिक्षा सम्बन्धी आरआरसी पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़	12,50,000
	राजस्थान	
34.	एसआरसी, राजस्थान प्रौढ़ शिक्षा एसोसिएशन जयपुर	35,90,122
	तमिलनाडु	
35	एसआरसी, तमिलनाडु सतत शिक्षा बोर्ड, चेन्नई	35,73,108

क्र. सं.	स्वैच्छिक एजेंसी का नाम तथा पता	वर्ष 1999-2000 के दौरान अनुदान की राशि/ वित्तीय सहायता
	त्रिपुरा	
36.	एसआरसी भारत ज्ञान विज्ञान समिति आफिस त्रिपुरा लेन	12,63,400
	उत्तर प्रदेश	
37.	एसआरसी लिटरेसी हाउस, लखनऊ	36,00,000
38.	ब्रिचटिएन मिरर नोएडा यूपी	1,47,200
39.	आरआरसी शिक्षा प्रसार विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, इलाहाबाद	5,00,000
40.	पीएसयू फाउंडेशन, 4 रफी अहमद किदवई मार्ग नई दिल्ली	2,64,400
41.	अशोक संस्थान, जिला गाजीपुर	10,81500
42.	सुमन तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान जिला एटा, यूपी	1,81,000
43.	रूरल लिटिगेशन एंड एनटाईटलमेंट केंद्र देहरादून	6,93,205
44.	ग्रामीण विकास समिति, तीवरन खपरीहन सैबाबाद, इलाहाबाद	1,74,440
45.	महिला उद्योग प्रशिक्षण केन्द्र मुठीगंज, इलाहाबाद	2,93,497
46.	हिम्मत ग्रामीण युवक क्लब, यूपी	5,50,000
47.	एसआरसी, देहरादून	5,00,000
48.	कानपुर ग्राम विकास सेवा संस्थान इलाहाबाद	1,93,060
	पश्चिम बंगाल	
49.	एई सम्बन्धी एसआरसी	36,00,000
50.	आईआईएम, कोलकाता, जोका डीएम रोड पो.बा. नं. 16757, कोलकाता – 700027	1,25,000
51.	बंगाल समाज सेवा लीग कोलकाता	3,77,000

क्र. सं.	स्वैच्छिक एजेंसी का नाम	निर्मुक्त राशि/ (राशि रूपयों में)	अनुदान का उद्देश्य
	महिला सामाख्या		
1.	सोसायटी फार एडवांसमेंट आफ विलेज इकानमी (एसएवीई) हिमाचल प्रदेश	रु. 2,92,860/–	शिक्षा तथा जागरूकता के माध्यम से अधिकारिता के लिए महिलाओं का संगठन

क्र. सं.	स्वैच्छिक एजेंसी का नाम तथा पता	वर्ष 1999–2000 के दौरान अनुदान की राशि/ वित्तीय सहायता (23.3.2000 तक) (हजार में)
	व्यावसायिक शिक्षा	
	असम	
1.	डा. अम्बेडकर मिशन, वाया धोपातरी पो. बाक्स चांगसारी, जिला कामरूप, असम	166.00
2.	सूट क्रिस्टी बाहिनी, सजेइ दोगाव चौक, सेजइ गांव, दोगांव चौक, पोस्ट दोगांव जिला कामरूप, असम	83.00
	बिहार	
3.	सोसायटी फार रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन बरियात रांची – 834009, झारखंड	500.00
4.	स्वालम्बन शिक्षा केन्द्र एम–2/30, श्री कृष्णापुरी, पटना, बिहार	35.70
5.	काम्बले, पो. आफिस चैनपुर जिला सीवान, बिहार	154.00
6.	ग्राम स्वराज अभियान संस्थान करीहिन, पो.आफिस बिशनपुर,बेझा, जिला वैशाली, बिहार	25.20
7.	कर्पूरी ठाकुर ग्रामीण विकास संस्थान 151, एमआईजी, हनुमान नगर कंकरबाग, पटना 800020, बिहार	60.00
8.	अल्प संख्यक एवम् हरिजन समाज कल्याण केन्द्र, दाता काम्बेई, शास रोड मुजफ्फरपुर, बिहार	132.00
9.	रामावती प्रशिक्षण केन्द्र खेरा, जिला जमुई, बिहार	15.00

क्र. सं.	स्वैच्छिक एजेंसी का नाम तथा पता	वर्ष 1999-2000 के दौरान अनुदान की राशि/ वित्तीय सहायता (23.3.2000 तक) (हजार में)
10.	ग्रामीण समग्र सेवा संस्थान वार्ड नं. 7, कोतवाली चौक मधुबनी, बिहार	27.00
11.	सुरंगामा कला केन्द्र, चाकबसु रामना, पो. आफिस, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार	66.00
12.	भास्कर, पोस्ट आफिस रोड़ पुनईचक, पटना, बिहार	33.00
13.	मणी सिलाई केन्द्र लंगूर गली, पटना सिटी पटना, बिहार	12.00
14.	ओरूल स्मृति संस्थान शारपुर,पो.ओ. जिला जयंती ग्राम वाया बरूनी, जिला बेगूसराय, बिहार	162.00
15.	बिहार शिक्षा समिति 56, गौतम रोड़, गया, बिहार	122.50
16.	शाहपुर विकास समिति, सोनपुर शाहपुर, पो.आफिस, जिला सोरान, बिहार	166.00
17.	शौर्य कंवर सिंह नगर, जनता रोड़ ग्रम एवं पो. आफिस पटना, बिहार	160.00
18.	वाल्मीकि डेवल्पमेंट सोसायटी आफ इंडिया 159/एफ, एसके पुरी, पटना	59.00
19.	समाज सेवा प्रांगण पीओ. लामा, जिला वैशाली, बिहार	160.00
20.	कामलालय पोस्ट आफिस चैनपुर, जिला सिवान, बिहार	154.00
21.	जन चेतना फाउंडेशन ग्रम करीहन, पीओ. बिशनपुर जिला वैशाली, बिहार	154.00

क्र. सं.	स्वैच्छिक एजेंसी का नाम तथा पता	वर्ष 1999-2000 के दौरान अनुदान की राशि/ वित्तीय सहायता (23.3.2000 तक) (हजार में)
22.	शिशु एवं महिला केन्द्र ग्राम इस्माइलपुर, वैशाली, बिहार	157.60
23.	सेन्ट्रल इंगलिश अकादमी जकनपुर,पटना	146.00
24.	शर्मिला ग्रामीण शिल्प कला केन्द्र, डा. टोली, पो.आफिस मोकमो, पटना	154.00
25.	शिशु एवम् महिला केन्द्र ग्राम इस्माइलपुर, पीओ. साधो जिला वैशाली, बिहार	158.00
	दिल्ली	
26.	अमर ज्योति पुनर्रस्थापन एवं अनुसधान केन्द्र कडकडडूमा, विकास मार्ग दिल्ली 110092	79.44
27.	आल इंडिया कान्फेडरेशन फार ब्लाइंड सेक्टर 5, रोहिणी, नई दिल्ली	63.17
28.	सुलभ इंटरनेशनल सेंटर फार एक्शन सोशियोलोजी सुलभ भवन, महावीर एंक्लेव पालम डाबरी मार्ग, नई दिल्ली	193.50
29.	इंडियन सोसायटी फार कोरियन लैन्वेज एंड कल्चर ए–33/29, हनीला काम्पलेक्स विकास मार्ग, नई दिल्ली	83.00
	मध्य प्रदेश	
30.	ग्रामीण विकास महिला मंडल वीरेन्द्र वाटिका भवन, लहर भिंड मध्य प्रदेश	160.00
31.	महात्मा शिक्षा प्रसार समिति सतना नं. 5ए सबलगढ़ जिला मोरैना मध्य प्रदेश	160.00
32.	रुची समाज सेवा समिति ओरचा रोड पृथ्वीपुर जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश	160.00

क्र. सं.	स्वैच्छिक एजेंसी का नाम तथा पता	वर्ष 1999-2000 के दौरान अनुदान की राशि/ वित्तीय सहायता (23.3.2000 तक) (हजार में)
33.	ग्राम भारती संस्थान थातीपुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश	160.00
34.	सोसायटी फार टेक्नीकल एजूकेशन एंड ट्रेनिंग 6 मालवीय नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश	158.80
35.	विवेकानंद समाज कल्याण संस्थान बिरेन्द वाटिका, लाहल रोड़, भिंड, मध्य प्रदेश	166.00
36.	आराधना ग्रामीण सेवा समिति बीएम 54, नेहरू नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश	163.00
37.	प्रसाद एकता समिति एस–1309, न्यू दर्पण कालोनी ग्वालियर, मध्य प्रदेश	157.00
38.	बुन्देलखंड महिला शिक्षा समिति शिक्षा मठ, जिला सागर, मध्य प्रदेश	166.00
39.	सोसायटी फार सोशल डेवलपमेंट 37, पानेहवाली कालोनी, ग्वालियर	166.00
40.	रणजी जन सेवा समाज समिति अरूण दीक्षित का मकान हाऊसिंग बोर्ड कालोनी, नजदीक बीरेन्द्र वाटिका, जिला भिंड, मध्य प्रदेश	166.00
41.	प्रगति महिला मंडल सी–7, गांधी नगर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश	166.00
42.	श्री गोपाल शिक्षा एवम् समाज कल्याण समिति पंचम सिंह रोड, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश	166.00
43.	अहिल्या शिक्षा एवम् समाज सेवा समिति एमआईजी, 78, भारती निकेतन, भोपाल, मध्य प्रदेश	83.00
44.	प्रेम महिला विकास एवम् समाज कल्याण मंडल 1/69, राम नगर कालोनी, सिविल लाइन, दतिया, मध्य प्रदेश	249.00

क्र. सं.	स्वैच्छिक एजेंसी का नाम तथा पता	वर्ष 1999-2000 के दौरान अनुदान की राशि/ वित्तीय सहायता (23.3.2000 तक) (हजार में)
45.	सरस्वती शिक्षा प्रसाद समिति जवरोल, सेक्टर नं. 5, सबलगढ़ जिला मुरैना – 476229, मध्य प्रदेश	166.00
46.	बाबू अरिदास शिक्षा समिति एलआईजी, 141/ए, इंदिरा नगर कालोनी शिवपुर, मध्य प्रदेश	166.00
47.	राज लक्ष्मी शिक्षा एवम् कल्याण समाज एच–326, हाउसिंग बोर्ड कालोनी, हर्दा, मध्य प्रदेश	249.00
	मणिपुर	
48.	एएफओआरडीए, कैशमपत थोकचोम लेकई, पीओ. नं. 62, इम्फाल – 795001 मणिपुर	41.00
49.	सेन्ट्रल कौंसिल ऑफ वोकेशनल एजूकेशन न्यू चेकोन, इम्फाल, मणिपुर	71.00
50.	इंटिग्रेटिड रूरल डेवलपमेंट सोसायटी इम्फाल, मणिपुर	77.00
51.	रूरल रिकन्सट्रकशन एंड इकॉनोमिक डेवलपमेंट आर्गेनाइजेशन तेन्था, पीओ. वांगगंज, मणिपुर – 795148	–
	महाराष्ट्र	
52.	भारतीय शिक्षा संस्थान जेपी नायक पथ, कोठरूड, पूणे – 411029	132.00
	नागालैंड	
53.	वात्सु महिला कल्याण समिति बर्मा कैम्प, दीमापुर, नागालैंड	160.00
54.	मेन्चू क्लब, पीओ. वोखा टाउन नागालैंड	83.00
55.	लिया सोसायटी, टीलक्शू बोस्ती नागालैंड	110.00
56.	चुमलन मल्टीपर्पज वेल्फेयर सोसायटी वोखा, नागालैंड	160.00

क्र. सं.	स्वैच्छिक एजेंसी का नाम तथा पता	वर्ष 1999-2000 के दौरान अनुदान की राशि/ वित्तीय सहायता (23.3.2000 तक) (हजार में)
57.	सेंडेला वूमेन सोसायटी मरेनगरीमसेन खेल चूचूयीमलैंड जिला मोकोकचूंग, नागालैंड	166.00
58.	तमेजा वूमेन वेल्फेयर सोसायटी ओयीमकूम विलेज, दीमापुर, नागालैंड	166.00
59.	ब्रदरहूड सोसायटी, डंकन कालोनी दीमापुर, नागालैंड	166.00
60.	वूमेन होम प्रोडेक्शन सोसायटी वोखा टाउन, नागालैंड	166.00
61.	वोखा विलेज ईलोइ होनो वोखा, नागालैंड	166.00
62.	ड्यूकम वूमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर सोसायटी डंकन बोस्ती, नागालैंड	166.00
63.	तरहूनेका सोसायटी, लोवर पीडब्ल्यूडी कालोनी कोहिमा, नागालैंड	166.00
64.	एवर ग्रीन वूमेन वेल्फेयर सोसायटी दीमापुर, नागालैंड	166.00
65.	वूमेन इंडिजीनस वेल्फेयर सोसायटी दीमापुर, नागालैंड	166.00
66.	चनखन वेलफेयर सोसायटी दीमापुर, नागालैंड	166.00
67.	यानचानो वूमेन सोसायटी दीमापुर, नागालैंड	166.00
68.	सोह वूमेन सोसायटी, क्रीमटोमी जुनहेबोटो नागालैंड	160.00
69.	एत्सूतेहूखा कालोनी मल्टीपर्पज वेल्फेयर सोसायटी लिमिटेड वोखा, नागालैंड	166.00
70.	याम मल्टीपर्पज वूमेन वेल्फेयर सोयायटी दीमापुर, नागालैंड	160.00

क्र. सं.	स्वैच्छिक एजेंसी का नाम तथा पता	वर्ष 1999-2000 के दौरान अनुदान की राशि/ वित्तीय सहायता (23.3.2000 तक) (हजार में)
71.	यीखूम दोयांग, वोखा, नागालैंड	166.00
72.	यीखूम 'ओ' प्वाइंट, वोखा, नागालैंड	166.00
	राजस्थान	
73.	सुनीत शिक्षा समिति, सूरजपोल कोटा, राजस्थान	166.00
	उत्तर प्रदेश	
74.	श्री राम शरण स्मारक सेवा संस्थान मोहम्मद माई वाया बिसोली, बदायूं, उत्तर प्रदेश	84.00
75.	महर्षि व्यावसायिक शिक्षा संस्थान महर्षि नगर, नोएडा-दादरी रोड, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश	507.00
76.	भारतीय ग्रामीण महिला संघ हरबंस बिल्डिंग, मालीगेट, बदतला यादगार, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश	66.00
77.	स्वामी आत्मा देव गोपालनंद शिक्षा संस्थान उगारपुर, पीओ. पीपर गांव जिला फरूखाबाद, उत्तर प्रदेश	160.00
78.	स्वदेशी जन कल्याण सेवा समिति स्वदेशी हाऊस, प्लाट नं. 656 जवाहर विहार, मलिकमऊ, राय बरेली, उत्तर प्रदेश	130.00
79.	श्री राम शरण स्मारक सेवा संस्थान मोहम्मद माई वाया बिसोली, बदायूं, उत्तर प्रदेश	84.00
80.	मनीष सर्वोदय ग्रामोद्योग सेवा संस्थान पीओ. घीरोर, जिला मैनपुरी, उत्तर प्रदेश	83.20
	तमिलनाडु	
81.	मद्रास सेन्टर फार रिसर्च एंड डेवलपमेंट आफ कम्यूनिटी एजूकेशन गोकुल विला, आरके मट्ट रोड, आरए पुरम, मद्रास – 600028	320.00
	पश्चिम बंगाल	
82.	सेलसिएन प्रोविन्स आफ कलकत्ता नोर्दर्न इंडिया, 52-ए राधानाथ चौधरी रोड कलकत्ता	726.00

क्र. सं.	स्वैच्छिक एजेंसी का नाम	वर्ष 1999-2000 में निर्मुक्त राशि (लाखों में)
	स्कूली शिक्षा के प्रति पर्यावरणात्मक अनुस्थापन	
1.	उत्तराखंड सेवा निधि, अल्मोडा	89.46
2.	पर्यावरणात्मक शिक्षा केन्द्र (सीईई) अहमदाबाद	46.25
3.	सीपीआर पर्यावरणात्मक शिक्षा केन्द्र चेन्नई	53.13
4.	कल्पवृक्ष, नई दिल्ली	1.50
5.	पूर्व और पश्चिम शिक्षक सोसायटी, पटना	5.10
6.	संकल्प, पुरी (उड़ीसा)	1.99

क्र. सं.	स्वैच्छिक एजेंसी का नाम	वर्ष 1999-2000 में निर्मुक्त राशि (लाखों में)
	स्कूलों में विज्ञान शिक्षा में सुधार	
	असम	
1.	असम साइंस सोसायटी, गुवाहाटी	6.02
2.	क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जोरहाट	2.36
	गुजरात	
3.	ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी लोकप्रियता केंद्र, अहमदाबाद	1.78
4.	लोकभारती सामुदायिक विज्ञान केन्द्र, भावनगर	–
5.	रूरल साइंस एक्सटेंशन सेन्टर गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद	1.83
6.	सहज, वडोदरा	35.42
7.	विक्रम ए साराभाई सामुदायिक विज्ञान केन्द्र, अहमदाबाद	–
	कर्नाटक	
8.	बेलगाम एसोसिएशन फार साइंस एजूकेशन, बेलगाम	–
9.	इंडियन अकादमी आफ साइंस, बंगलौर	12.00

क्र. सं.	स्वैच्छिक एजेंसी का नाम	वर्ष 1999-2000 में निर्मुक्त राशि (लाखों में)
10.	जयंती ग्राम वूमेन एंड चाइल्ड वेल्फेयर एसोसिएशन, बंगलौर	1.03
11.	कर्नाटक राज्य विजनाना परिषद, बंगलौर	–
12.	मैसूर साइंस सोसायटी, मैसूर	–
13.	तुमकुर विज्ञान केन्द्र, तुमकुर	1.67
14.	बंगलौर एसोसिएशन फार साइंस एजूकेशन, बंगलौर	–
	मध्य प्रदेश	
15.	एकलव्य, भोपाल	2.22
	महाराष्ट्र	
16.	इंडियन एसोसिएशन आफ फिजिक्स टीचरर्स मुम्बई	–
	नागालैंड	
17.	आदिवासी कल्याण विभाग संघ, नागालैंड	4.50
	उड़ीसा	
18.	सेंटर फार एवेकनिंग आफ रूरल एनवारनमेंट, माणिक्यपुर, उड़ीसा	1.14
	मद्रास	
19.	जवाहरलाल नेहरू एजुकेशनल साइंसटिफिक एंड कल्चरल आर्गेनाइजेशन, मद्रास	–
20.	तमिलनाडु साइंस फोरम, मद्रास	–
21.	तमिलनाडु राज्य विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी परिषद, चेन्नई	22.50
	पश्चिम बंगाल	
22.	जगदीश बोस राष्ट्रीय विज्ञान टेलेंट अनुसन्धान, कलकत्ता	11.67
	दिल्ली	
23.	केन्द्रीय तिब्बत स्कूल प्रशासन, नई दिल्ली	–
24.	दिल्ली पब्लिक स्कूल, नई दिल्ली	–
25.	एनसीएसटीसी – नेटवर्क, नई दिल्ली	–
26.	संकल्प, नई दिल्ली	1.86

क्र. सं.	स्वैच्छिक एजेंसी का नाम	निर्मुक्त राशि/ (लाखों में)	अनुदान का उद्देश्य
	शिक्षा में संस्कृति तथा मूल्यों का सुदृढ़ीकरण		
1.	श्री क्रांति शाह, निदेशक, युवक बिरादरी (भारत) हरानीमल समानी मार्ग नजदीक केपिटल सिनेमा, मुम्बई 400001	4.25	"एक सुर एक ताल" मूल्योन्मुखी शिक्षा पर एक कार्यशाला
2.	स्वामी सुवीरानन्द, सचिव, रामा कृष्णन मिशन विद्यापीठ, रामा कृष्ण नगर, पोस्ट आफिस विद्यापीठ जिला देवघर, बिहार – 814112	2.19	निःशुल्क युवा एकान्त शिक्षण कार्यक्रम
3.	श्री एचके कौल, सचिव, जनरल पोएट्री सोसायटी (भारत) एल – 67 ए, मालवीय नगर नई दिल्ली – 110017	2.06	सर्जनात्मक लेखन
4.	श्री रूद्र प्रसाद सेनगुप्ता, निदेशक नंदीकर, 47/1 श्याम बाजार स्ट्रीट कलकत्ता – 700004	5.00	नाट्य कार्यशाला
5.	बीके निर्मला देवी, सचिव राजयोग एजूकेशन एंड रिसर्च फाऊंडेशन ब्रह्माकुमारी तपोवन येल्लापुर – 581359, कर्नाटक	5.00	अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम
6.	सुश्री सुबर्णा घोष, अध्यक्ष, स्नेह (सोसायटी फार नेचर, एजुकेशन एंड हैल्थ) जी–बी, मंगलम अपार्टमेंट 2, रो लैंड रोड, कलकत्ता – 7009020	5.00	छात्र परामर्श
7.	सुश्री सुबर्णा घोष, अध्यक्ष, स्नेह प्लाट नं. 357/3472 एकमरा कानन रोड, जयदेव विहार, भुवनेश्वर – 751013	2.50	छात्र परामर्श
8.	श्री जीएस चानी, अवैतानिय निदेशक सेन्टर फार एजूकेशन एंड वोलन्टरी एक्शन (सीईवीए) 225, सेक्टर 16–ए, चंडीगढ – 160015	1.92	छात्रों को कला, संस्कृति और पर्यावरण के प्रति सुग्राही बनाना
9.	डा. नंदिता सी कृष्णा, निदेशक सी.पी. रामास्वामी अय्यर फाऊडेशन, दी ग्रूव, 1 एल्डम्स रोड़ अल्वर पेट, चेन्नई – 600018	2.50	विद्यालयों में लोक कला का पुनरुज्जीवन
10.	श्री निरंजन गोस्वामी, सचिव, इंडियन मीमी थियेटर 20/6 सीएल लेन, कलकत्ता – 700015	2.50	निष्पादन कलाओं के माध्यम से संस्कृति और मूल्य

क्र. सं.	स्वैच्छिक एजेंसी का नाम	निर्मुक्त राशि/ (लाखों में)	अनुदान का उद्देश्य
11.	श्री मुतुव बहादुर, निदेशक, मुतुव संग्रहालय, किस्मपत जंक्शन, इम्फाल – 795001	1.12	संगोष्ठियों, सम्मेलनों का आयोजन
12.	श्री अजय कुमार मिश्रा, चेयरमेन, संकल्प बी–5/95, सफदरजंग एंक्लेव, नई दिल्ली 112 001	5.00	लेक्चर निष्पादन एवं कार्यशाला
13.	ए.के. मिश्रा चेयरमेन संकल्प, खुनटीया साही, पुरी – 752001	10.00	व्याख्यान कार्यक्रम
14.	स्वामी सुरेशानंद, अध्यक्ष रामाकृष्ण इंस्टीट्यूट आफ मोरल एंड स्प्रिच्यूअल एजूकेशन (यादव गिरि) मैसूर – 570020	10.80	स्कूल अध्यापकों का सेवाकालीन प्रशिक्षण कवीएस/एनवीएस
15.	डा. किरन सेठ, वाइस चैयरमैन एसपीआईसी पीओ–एमएसीएवाई, 41/42, लखनऊ रोड, दिल्ली 110054	15.00	लेक्चर एवं निदर्शन
16.	डा. चेतना जालान, निदेशक पादातिक डांस सेंटर, 6/7, आचार्य जगदीश बोस मार्ग कलकत्ता – 700017	0.50	भारतीय शास्त्रीय नृत्य पर कार्यशाला
17.	सचिव, उड़ीसा मीडिया सेंटर 47, एकमरा विहार, नया पल्ली भुवनेश्वर – 751015	1.55	योग और आयुर्वेद पर कार्यक्रम
18.	श्री चंदन सेनगुप्ता, सचिव शूद्रक पी–229, ब्लाक–ए बंगर एवन्यू, कलकत्ता 700005	2.50	सांस्कृतिक कार्यक्रम
19.	श्री अमित्व दासगुप्ता निदेशक, ब्रिचटियन मिसोर, एल–5, सेक्टर 25, नोएडा 201301	4.50	परियोजना 'सन्गांव'
20.	श्री धर्म बीर सिंह, अध्यक्ष, जन जागृति एजूकेशनल सोसायटी, एम–186, मंगल पुरी, दिल्ली 110083	1.50	संस्कृति/मूल्यों के संवर्धन के लिए कार्यक्रम
21.	सचिव, देवरस वेल्फेयर मल्टीपर्पज को–सोसायटी लि. जिला थार II, ऐजूल, मिजोरम – 796001	2.50	क्राफ्ट अध्यापकों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम
22.	श्री जे.एन. शर्मा, सदस्य सचिव, सिटीजनशीप डेवलपमेंट सोसायटी 1, पश्चिम किदवई नगर, नई दिल्ली – 110023	2.50	संसाधन व्यक्ति के लिए संगोष्ठियां/ अनुस्थापन कार्यक्रम

क्र. सं.	स्वैच्छिक एजेंसी का नाम	निर्मुक्त राशि/ (लाखों में)	अनुदान का उद्देश्य
23.	डा. ए.के. दास, सचिव बंगाल फाइन आर्ट कालेज, पीओ चांदपुरा बाजार, उत्तर 26 परगना, पश्चिम बंगाल – 743245	2.60	सृजनात्मक कार्यशाला
24.	प्रो. सुशीला भाव, निदेशक इंस्टिट्यूट आफ पीस रिसर्च एंड एक्शन 81, गगन विहार, दिल्ली – 110051	2.50	काश्मीरी युवकों का सांस्कृतिक नवीकरण
25.	मैनेजिंग ट्रस्टी, उत्पल दत्त फाउंडेशन फार इंटरनेशनल थियेटर स्टडीज, 140/24, नेताजी सुभाष चंद्र बोस रोड कलकत्ता – 700040	2.00	स्वाधीनता उत्तराधिकार
26.	सचिव, यंग इनोय इंटरनेशनल, 139, ककतिया नगर हैदराबाद – 500008	2.50	ग्रामीण बच्चों मूल्य आधारित जीवन पर शिक्षा
27.	सदस्य सचिव भारत अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण संस्कृति केंद्र 1689–ए, सेक्टर बी–1, वसंत कुंज, नई दिल्ली	3.62	शास्त्रीय नृत्य शिक्षा कार्यक्रम
28.	के.जे. सौम्य संस्कृति पीठम, मुम्बई	1.87	मूल्योन्मूखी शिक्षा
29.	सचिव, हरिजन सेवक संघ मधेपुरा, बिहार	2.50	शिक्षा में संस्कृति और मूल्य सम्बन्धी कार्यक्रम

माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्कूलों की लड़कियों के लिए बोर्डिंग/छात्रावास सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण

क्र. सं.	स्वैच्छिक एजेंसी का नाम	वर्ष 1999-2000 में निर्मुक्त राशि (लाखों में)
	असम	
1.	सदऊ असम ग्राम्य पुथिभरल संस्था, असम	125000 (आर) 125000
	आंध्र प्रदेश	
2.	संदीप एजूकेशन एंड सोशल वेल्फेयर सोसायटी कुड्डापह, आंध्र प्रदेश	134900 (आर) 125000
3.	कृषि विद्या निकेतन माध्यमिक शिक्षा कमेटी, केंडवा स्ट्रीट, अलगडा जिला कुरनूल	144000

क्र. सं.	स्वैच्छिक एजेंसी का नाम	वर्ष 1999-2000 में निर्मुक्त राशि (लाखों में)
	बिहार	
4.	सिद्धार्थ ज्ञान केन्द्र कुसैया, काशीपुर, समस्तीपुर, बिहार	125000 (आर) 125000 125000
5.	कर्पूरी ठाकुर ग्रामीण विकास संस्थान, रघुभवन हरनीचक, अनीसाबाद, पटना, बिहार	162500 162500
6.	हैल्प विहार, हनुमान टेहरी पी.ओ./जिला देवघर, बिहार	162500 162500
7.	शाश्वत सेवा संस्थान, पीओ. अरबरक नगर, जिला बेगूसराय, बिहार	162500 162500
8.	राहुल विहार, पीओ. बल्हा वाया गोरारी, जिला खगरिया,	162500 162500
9.	युवा सेवा सदन ग्राम/पीओ. दरोधा, जिला सीवान	200000
10.	भारतीय ग्रामीण सेवा संस्थान ग्राम तखनिया, पीओ. संघवार जिला दरभंगा	200000 125000
	हरियाणा	
11.	विद्या महासभा कन्या गुरूकुल महाविद्यालय खरखौदा, सोनीपत	65000 (आर) 65000
	गुजरात	
12.	स्वामी सुनयनन्द सेवा ट्रस्ट पालनपुर, गुजरात	28500 (आर) 97500
13.	गायत्री विकास मंडल मंडवा अकलेश्वर भड़ूच	118500 (आर) 125000
14.	जर्पन नासरपुर केलवाणी, मण्डल वादी, सूरत	75000 (आर) 75000 75000
15.	श्रीमती नलिनीबेन उकाभाई सोलंकी, अहीर कन्या छात्रालय, वंथाली जूनागढ	143450 (आर) 125000

क्र. सं.	स्वैच्छिक एजेंसी का नाम	वर्ष 1999-2000 में निर्मुक्त राशि (लाखों में)
16.	लोक विद्यालय बालुखड पलिटाना, भावनगर	141519 (आर)
17.	श्री समस्त खाती समाज एजूकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट वंथाली रोड़, जिला जूनागढ़	112000
	कर्नाटक	
18.	मूला चैरिटीज, गांधी नगर बंगलौर	250000 (आर) 125000
19.	श्री चन्नावीरेश्वर प्रसाद निलय, पब्लिक ट्रस्ट	125000 (आर) 125000
20.	श्री चन्नावीरेश्वर ग्रामीण विद्या समस्ते शिगोन, जिला हवेरी	162500 162500
21.	मच्छीदेव सेवा संस्था शिवपेट, रॉन बंगलौर	125000 (आर) 125000
22.	अध्ययना विद्या संस्था बंगलौर	125000 (आर) 125000
23.	विमोचन देवदासी अथानी बेलगांव	47950 (आर) 62500
24.	केआर एजूकेशन सोसायटी, विवेकनगर पोस्ट श्रींकीवागुलु, बंगलौर – 560047	113750 113750
25.	सेवा संगम, डा. राजकुमार रोड़ प्रकाश नगर, बंगलौर	200000 125000
	महाराष्ट्र	
26.	पश्चिम खानदेश भगिनी सेवा मण्डल, देवपुर (सर सासून डेविड)	125000 (आर) 125000
27.	भारती विद्यापीठ खडेगांव, संगली	125000 (आर) 125000
28.	पश्चिम खानदेश भगिनी सेवा मण्डल, देवपुर (इन्दिरा गांधी वास्तुगृह)	125000 (आर) 125000
29.	इंदिरा महिला सेवा सोसायटी लोकमान्य कालोनी, नंदरबार, धुलिया	86425 (आर) 125000 125000

क्र. सं.	स्वैच्छिक एजेंसी का नाम	वर्ष 1999-2000 में निर्मुक्त राशि (लाखों में)
30.	जगदम्बा विद्या प्रासरक मण्डल पूर्णा, परभनी	500000 (आर) 250000
31.	संस्कृति संवर्धन, संग्रोली, नांदेड	125000
32.	सकरी ताल्लुका एजूकेशन, सकरी धूले	75000 (आर) 140329 (आर) 75000
33.	आजाद एजूकेशन तथा वेल्फेयर सोसायटी, परभनी	162500 (आर) 125000 125000
34.	शिवाजी शिक्षण प्रसारक मण्डल तोपखाना, हिंगोली	162500 162500
35.	स्वामी विवेकानंद शिक्षण प्रसारक मण्डल हिंगोली, परभनी	162500 162500
36.	प्रगति विद्या प्रसारक संस्था लोकमान्य कालोनी, जिला नंदूरबार, धूलिया	162500
37.	लोकमान्य पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट चीकलगांव	172000
38.	श्री जगदम्बा विद्या प्रसारक मण्डल दारती, जिला यावतमल	162500
	मध्य प्रदेश	
39.	वीणा वादिनी समाज विकास समिति ग्वालियर	62500 (आर) 162500 125000
	मणिपुर	
40.	डी रेजीना स्टैन्डर्ड इंगलिश स्कूल कम चिल्ड्रन होम चिंगमेरोंग, इम्फाल	62500 (आर) 62500
41.	अखिल भारतीय महिला कान्फ्रेंस, सेगा मार्ग पो. बाक्स नं. 43, केशमपेट	250000 (आर) 125000
42.	दि ओरिएंटल वूमेन, आरफंग, मोटबाग	162500 (आर) 125000

क्र. सं.	स्वैच्छिक एजेंसी का नाम	वर्ष 1999-2000 में निर्मुक्त राशि (लाखों में)
	नागालैंड	
42.	ग्रामीण महिला साक्षरता केन्द्र सिग्नल सीमा बोस्ती थडोई, दीमापुर	158620 (आर)
43.	जीमखाना खादी एंड विलेज इंडस्ट्री एसोसिएशन एडीसी कोर्ट चार्ली, डंकन बोस्ती, दीमापुर – 797112	136500
	उड़ीसा	
44.	उड़ीसा इंस्टिट्यूट फार सेल्फ इम्पलाइमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट, पनसपाडा, पुरी	250000 (आर) 125000
45.	लक्ष्मीनारायण, हरिजन एवं आदिवासी बैकवर्ड डेवलपमेंट सोसायटी, जयपुर	241200 (आर) 250000
46.	गोपीनाथ जुबा संघ, आलिसिशासन दारदा, खुर्दा	155000 75000 (आर)
47.	पाली संस्कृति, कला परिषद, ग्राम पीओ तिपुरी कानस, पुरी	127620 (आर)
48.	जुबा ज्योति क्लब कमंडल, नैरी, खुर्दा	147458 (आर)
49.	नीलांचल सेवा प्रतिष्ठान दयाविहार कनसपुरी	155548 (आर) 125000 125000
50.	सर्वोदय शिशु मण्डल समिति चंदिया,लेठका, जिला धेनकनाल	125000
51.	झांसी महिला समिति, परमानंदपुर, पीओ. रागडी, जिला जाजपुर, उडीसा	184000
52.	इंस्टिट्यूट आफ सोसल वेल्फेयर एक्शन एंड रिसर्च रिसर्च, ढाढिबमन डाडी, पी ओ – अहियास जिला जयपुर	162500 162500
53.	आदर्श यूथ क्लब गरियापुर जिला जयपुर	162500 162500
54.	निलांचल सेवा प्रतिष्ठान दया विहार, कानस जिला पुरी	162500 162500

क्र. सं.	स्वैच्छिक एजेंसी का नाम	वर्ष 1999-2000 में निर्मुक्त राशि (लाखों में)
	तमिलनाडु	
55.	सोसायटी फॉर रूरल डेवलपमेंट ट्राइबल भवन, टी. वी. मलई जिला	136931 (आर)
56.	डिपरेस्ड पिपुल्स एसोसिएशन, 25 अन्नैनगर बीकासनडर कोइल त्रिची जिला	88475 (आर) 125000
57.	एसेंट जौन संगम ट्रस्ट परम्बलर जिला थीरूवल्लूर	125000 125000
	उत्तर प्रदेश	
58.	ऑल इंडिया चिल्ड्रन केयर एंड एजूकेशनल डेवेलप्मेन्ट सोसायटी, आजमगढ़	119260 (आर) 125000
59.	स्वामी आत्मादेव गोपालानन्द शिक्षा संस्थान, पीपरगांव फरूखाबाद	125000 (आर) 125000 125000
60.	श्री लाल बहादुर शास्त्री स्मारक ग्रामोत्थान, प्रतिष्ठा, लोकमानपुर, इलाहाबाद	125000 (आर) 125000
61	प्रसिद्ध नारायण महिला कल्याण समिति, बरहालगंज,गोरखपुर	100000 (आर) 100000
62.	न्यू पब्लिक स्कूल समिति, टैगोर मार्ग, डालीगंज, लखनऊ	125000 (आर) 250000
63.	स्वामी राम प्रकाश आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तिरह--मुरहा, फरूखाबाद	250000
64.	मदर्स अनवरूल उलून तालीमी सोसायटी, 15 पटेल नगर, स्टार कालोनी, इंदिरा नगर एक्सटेंशन, लखनऊ	162500 (आर)
65.	ग्रामीण महिला युवा एवम् बाल विकास मण्डल हवेलिया, झुंसी, इलाहाबाद	100000
66.	खादी ग्राम विकास मण्डल जगदीशपुर, इलाहाबाद	100000
67.	आदर्श समाज कल्याण एवम् खादी ग्रामोद्योग गणेशीपुर, खपतीहा, इलाहाबाद	100000

क्र. सं.	स्वैच्छिक एजेंसी का नाम	वर्ष 1999-2000 में निर्मुक्त राशि (लाखों में)
68.	गणेश शिक्षा संस्थान, लोकमानपुर इलाहाबाद	100000 62500
69.	ग्राम्यांचल औद्योगिक सेवा संस्थान मुइमा, इलाहाबाद	100000 62500
70.	नंदन खादी ग्रामोद्योग सेवा संस्थान लोकमानपुर, बड़ौत, इलाहाबाद	100000
71.	भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, लाल बहादुर शास्त्री काम्पलैक्स, मेजा, इलाहाबाद	200000
	पश्चिम बंगाल	
72.	प्रबुद्ध भारती शिशुतीर्थ खिरिंदा, कृष्णाप्रिया, मिदनापुर	250000 (आर) 242500 242500
73.	इच्छापुर जनकल्याण परिषद, नवाबगंज, इच्छापुर, उत्तरी 24, परगना	125000 (आर) 125000

क्र. सं.	स्वैच्छिक एजेंसी का नाम	वर्ष 1999-2000 में निर्मुक्त राशि
	योग योजना	
1.	योग संस्थान, मुम्बई, महाराष्ट्र	1,42,500
2.	योग शिक्षा संस्थान, उदई, यूपी	2,49,000
3.	भारतीय योग संस्थान, पटना, बिहार	1,55,000
4.	श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मण्डल अमरावती (महाराष्ट्र)	2,50,000
5.	कैवल्यधाम एसएमवाईएम समिति लोनावाला पुणे (महाराष्ट्र)	2,03,500

क्र. सं.	स्वैच्छिक एजेंसी का नाम	वर्ष 1999-2000 में निर्मुक्त राशि
	भाषाओं की उन्नति	
	केरल	
1.	केरल हिन्दी प्रचार सभा, त्रिवेन्द्रम	11,39,355

क्र. सं.	स्वैच्छिक एजेंसी का नाम	वर्ष 1999-2000 में निर्मुक्त राशि
2.	हिन्दी विद्यापीठ (केरल), त्रिवेन्द्रम	11,36,725
3.	दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा (केरल) कोचीन	7,30,840
	तमिलनाडु	
4.	दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा (शहर योजना) मद्रास	4,86,750
5.	दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा (पी.जी., बी.एड.) मद्रास	31,64,360
6.	दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा (तमिलनाडु), त्रिची	21,16,903
	आन्ध्र प्रदेश	
7.	दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा हैदराबाद	13,95,588
8.	आन्ध्र प्रदेश हिन्दी प्रचार सभा हैदराबाद	5,01,763
9.	हिन्दी प्रचार सभा, हैदराबाद	1,13,850
10.	नगर हिन्दी वर्ग संचालय अध्यापक संघ हैदराबाद	1,38,474
	कर्नाटक	
11.	मैसूर हिन्दी प्रचार परिषद, बंगलौर	14,46,994
12.	कर्नाटक हिन्दी प्रचार समिति, जयनगर बंगलौर	7,60,743
13.	कर्नाटक महिला हिन्दी सेवा समिति बंगलौर	12,54,225
14.	दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा (कर्नाटक) धारवाड़	24,65,662
15.	हिन्दी प्रचार संघ, मूधोल	1,27,200
16.	दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा (कर्नाटक) गोवा ब्रांच	1,66,650

क्र. सं.	स्वैच्छिक एजेंसी का नाम	वर्ष 1999-2000 में निर्मुक्त राशि
	महाराष्ट्र	
17.	बम्बई हिन्दी विद्यापीठ, बम्बई	12,34,275
18.	बम्बई प्रान्त राष्ट्रभाषा प्रचार सभा बम्बई	1,04,775
19.	बम्बई हिन्दी सभा, बम्बई	1,82,625
20.	राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा	2,54,816
21.	महाराष्ट्र राष्ट्रभाषा सभा, पुणे	2,09,475
22.	महाराष्ट्र हिन्दी प्रचार सभा औरंगाबाद	1,09,147
	गोवा	
23.	बम्बई हिन्दी विद्यापीठ, गोवा	1,04,625
24.	गोमांतक राष्ट्रभाषा प्रचार सभा मथगांव, गोवा	1,21,350
	गुजराज	
25.	गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद	1,66,500
	दिल्ली	
26.	भारतीय अनुवाद परिषद, नई दिल्ली	1,28,775
27.	नागरी लिपि परिषद, दिल्ली	2,25,225
28.	अखिल भारतीय हिन्दी संस्था संघ नई दिल्ली	9,16,349
	उत्तर प्रदेश	
29.	हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद	3,45,000
	असम	
30.	सुबन श्री सेवा समिति	4,82,713
31.	असम राज्य राष्ट्रभाषा प्रचार समिति जोरहाट	8,52,075
32.	असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति गुवाहाटी	15,78,000

क्र. सं.	स्वैच्छिक एजेंसी का नाम	वर्ष 1999-2000 में निर्मुक्त राशि
	मणीपुर	
33.	मणीपुर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति इम्फाल	1,41,750
34.	मणीपुर हिन्दी प्रचार सभा, अकाम्पट, इम्फाल	1,51,800
35.	मणीपुर हिन्दी परिषद, इम्फाल	1,52,250
	मिजोरम	
36.	मिजोरम हिन्दी प्रचार सभा, आईजोल	1,38,750
	उड़ीसा	
37.	उत्कल प्रांतीय राष्ट्रभाषा प्रचार सभा कटक	1,93,815
	बिहार	
38.	हिन्दी विद्यापीठ, देवधर, बिहार	3,66,338

क्र. सं.	स्वैच्छिक एजेंसी का नाम	वर्ष 1999-2000 में निर्मुक्त राशि
	पीएन–II	
1.	नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज बंगलौर	3,50,453
2.	इंस्टिट्यूट ऑफ इकॉनोमिक ग्रोथ, दिल्ली	1,25,000
3.	श्रमिक विद्यापीठ, गया	2,00,000
4.	एसएमवाईएम समिति, लोनावाला, पुणे	2,50,000
5.	विज्ञान केन्द्र, ग्वालियर, मध्य प्रदेश	62,000
6.	वर्ल्ड पीस सेन्टर (अलान्दी), एमआईटी, पुणे	50,000
7.	इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस, अलीगढ़	1,37,000
8.	इंडियन सांइस कांग्रेस, पुणे विश्वविद्यालय पुणे	2,50,000
9.	भावनगर विश्वविद्यालय, भावनगर, गुजरात	2,50,000

क्र. सं.	स्वैच्छिक एजेंसी का नाम	वर्ष 1999-2000 में निर्मुक्त राशि
10.	द इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग (भारत), कलकत्ता	1,00,000
11.	संत लौंगोवाल इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी, लौंगोवाल, पंजाब	57,500
12.	डा. डी स्वामीनाथन रिसर्च फांउडेशन हैदराबाद	50,000
13.	इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, अहमदाबाद	1,05,000
14.	इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ रूरल डेवेलपमेंट, जयपुर	50,000
15.	एफईडीसीयूटीए, नई दिल्ली	1,00,000
16.	काउंसिल ऑफ बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन नई दिल्ली	57,500
17.	इंडियन एकेडमी ऑफ सोसल साइंसेज़ इलाहाबाद	50,000
18.	भारत विश्वविद्यालय संघ नई दिल्ली	1,00,000
19.	असम विश्वविद्यालय, असम	50,000
20.	भारतीय शिक्षा शोध एवं निर्देशन संस्थान जयपुर	50,000
21.	मित्र मण्डली तरुन समाज समिति, भारतपुर राजस्थान	1,00,000

अनौपचारिक शिक्षा

क्र. सं.	संस्था / संगठन / व्यक्ति नाम	पता	आवर्ती राशि (लाख रु. में)	अनावर्ती	क्या एनजीओ द्वारापिछले तीन वर्षों में प्राप्त हुए अनुदान के संबंध में उपयोग प्रमाण–पत्र प्रस्तुत कर दिए गए हैं।	वह राशि जिसके लिए उपयोग प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किए गए हैं और उसके कारण	उपयोग प्रमाण–पत्र के लिए आग्रह किए बिना और आगे अनुदान निर्मुक्त करने के कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
आंध्र प्रदेश							
1	प्रजा सेवा समाज कांदिरी–515591	पो•बा•सख्या–10 आध्र प्रदेश	9.02	–	हा	शून्य	नहीं
2	सेवा मंदिर	हिन्दूपुर, जिला अनन्तपुर–515212 आध्र प्रदेश	27.34	–	हा	शून्य	नहीं
3	सोसायटी फॉर इन्टिग्रेटेड रूरल इम्प्रूवमेंट (सिरी)	डी. संख्या 5 / 164 ए. चौथी रोड, अनन्तपुर–515001 आध्र प्रदेश	4.28	–	हा	शून्य	नहीं
4	प्रजा प्रगति ट्रस्ट	13–42, एल.बी. नगर, तिरुपति, जिला चित्तूर आंध्र प्रदेश–517502	3.58	–	हा	शून्य	नहीं
5	श्री वेंकटेश्वर महिला मंडली	एच. नं. 6–11–145, चेन्ना रेड्डी कालोनी, एस.वी मेडिकल कालेज के समीप तिरुपति–517507 जिला चित्तूर (आं.प्र.)	3.73	–	हा	शून्य	नहीं
6	भारत सेवा समिति	शुगर फैक्टरी इम्पलाइज़ फैक्टरी 75, डोडी पल्ली, जिला चित्तूर (आं.प्र.)	19.23	–	हा	शून्य	नहीं
7	कलेक्टिव आर्डर फॉर रूरल रिकंस्ट्रक्शन एजुकेशन	14–65 / 5, पैलेस रोड कुप्पम–517425 जिला चित्तूर (आं.प्र.)	2.06	–	हा	शून्य	नहीं
8	राष्ट्रीय सेवा समिति	9 ओल्ड हुजूर आफिस बिल्डिंग तिरुपति–517501 जिला चित्तूर (आं.प्र.)	212.75	–	हा	शून्य	नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9	रूरल रिकंस्ट्रक्शन सोसायटी	बाल्ला (ग्राम तथा डाकखाना) वाया कुप्पम–517525 आंध्र प्रदेश	3.70	–	हां	शून्य	नहीं
10	मास एजूकेशन मूवमेन्ट	14–65/2, पैलेस रोड कुप्पम–517425 जिला चित्तूर (आं.प्र.)	7.16	–	हां	शून्य	नहीं
11	श्री वेंकटेश्वर युवजन सेवा संगम	13–2–5 बनाला स्ट्रीट जिला चित्तूर (आं.प्र.)	5.30	–	हां	शून्य	नहीं
12	सुब्रमन्य स्वामी सेवा समिति	पंतराम पल्ली–517004 जिला चित्तूर आंध्र प्रदेश	5.30	–	हां	शून्य	नहीं
13	ज्योति यूथ एसोसियेशन	1–570 रेड्डी स्ट्रीट, कटट्ामांची चित्तूर–517001	4.79	–	हां	शून्य	नहीं
14	पेडा प्रजाला सेवा समिति फोर रूरल ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट	गंगाधारा, नेल्लोर जिला चित्तूर–517125 डेवलपमेंट आंध्र प्रदेश	7.73	–	हां	शून्य	नहीं
15	एक्शन फॉर कम्यूनिटी सर्विस सोसायटी	2–48 विद्यालय 'ट्रीट वी कोटा, 517424, जिला चित्तूर (आं.प्र.)	8.84	–	हां	शून्य	नहीं
16	विजयपुरम प्रजा सेवा समिति	पन्नूर (ग्राम+डाकखाना) विजयपुरम (मण्डल), जिला चित्तूर–517586 आंध्र प्रदेश	4.61	–	हां	शून्य	नहीं
17	गांधीयन आर्गेनाइजेशन फोर रूरल डेवलेपमेंट	मुलकालाचेरुवु आर.एस. जिला चित्तूर, आंध्र प्रदेश–517390	8.37	–	हां	शून्य	नहीं
18	पीपुल्स एक्शन फोर सोशल सर्विस	द्वार संख्या 10–12, मारुति नगर, (सिलवर बेल्स विद्यालय के सामने) तिरुपति–517582 आंध्र प्रदेश	9.36	–	हां	शून्य	नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
19	वूमेन्स एशोसियेशन फोर डेवलपमेन्ट एक्शन (वाडा)	आर.के. बी. बहादुरूवरीपेट एण्ड पो.आ. कारवेट नगर मण्डल, जिला चित्तूर आन्ध्र प्रदेश–517582	7.39	–	हां	शून्य	नहीं
20	पीपुल्स आर्गेनाइजेशन फोर वेल्फेयर एण्ड एज्यूकेशन रेटिफिकेशन	डी संख्या 19–191,जेल खाना स्ट्रीट मित्तूर, जिला चित्तूर, आन्ध्र प्रदेश	4.97	–	हां	शून्य	नहीं
21	ज्ञानोदय इन्टिगरेशन रूरल डेवलपमेंट सोसायटी	अरूर ग्राम और डाकखाना (वाया) निन्द्रा मण्डल–517591 जिला चित्तूर, आंध्र प्रदेश	1.28	–	हां	शून्य	नहीं
22	रूरल इंस्टीट्यूट फार पीपुल्स इनलाइटेनमेंट	पाली स्ट्रीट, पुथलपट्टू–517124 जिला चित्तूर, आन्ध्र प्रदेश	2.56	–	हां	शून्य	नहीं
23	सेवा भारती	जेड.पी. हाईस्कूल के पीछे, तिरूचन्नूर – 517503 जिला चित्तूर, आन्ध्र प्रदेश	3.85	–	हां	शून्य	नहीं
24	श्री दुर्गा एजुकेशन सोसायटी	डी. नं. 17–105, सुंदरैयर जिला चित्तूर	1.28	–	हां	शून्य	नहीं
25	राष्ट्रीय सेवा समिति	9, ओल्ड हुजूर आफिस बिल्डिंग, तिरुपति, आंध्र प्रदेश	1.84	–	हां	शून्य	नहीं
26	ग्रामीण विकास संगठन	6/42, जी रामा राव स्ट्रीट, कुडाप्पा–516001 (आं.प्र.)	5.04	–	हां	शून्य	नहीं
27	सोसायटी फार इम्मान्यूल इवांगेलिस्म फॉर रूरल डेवलपमेंट	"कारमेल" 4–227 मोठपुर–508277 जिला नालगोंडा (आं.प्र.)	5.11	–	हां	शून्य	नहीं
28	कंद्रिका महिला मण्डली	कद्रिका डाकखाना, फिरंगीपुरम मण्डलम जिला गुन्टूर–522529 (आं.प्र.)	2.56	–	हां	शून्य	नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
29	श्री दुर्गा महिला मण्डली	इन्दिरा प्रियदर्शिनी कालोनी, आवास संख्या 35 संगदीगुन्टा, गुन्टूर–522004 (आं.प्र.)	3.94	–	हां	शून्य	नहीं
30	आदर्श रूरल डेवलेपमेन्ट सोसायटी	दग्गुमल्लीवारी स्ट्रीट, आवास संख्या 17–1–120/ए बापतला–522101, जिला गुन्टूर (आं.प्र.)	2.57	–	हां	शून्य	नहीं
31	महर्षि सम्बामूर्ति इन्स्टीट्यूट ऑफ सोशल एण्ड डेवलेपमेन्ट स्टडीज	डी सं 8–22–11, दतलावाड़ी स्ट्रीट, गाधीनगर काकीनाडा–533004 (आं.प्र.)	2.49	–	हां	शून्य	नहीं
32	वीकर सैक्शन डेवलपमेट सोसायटी	सरदापुरम, अरुंदलपेट पोस्ट गुन्टूर–522002 (आं.प्र.)	4.99	–	हां	शून्य	नहीं
33	कोठापेटा महिला मण्डली	पोथूराजुवारी चौक, कोठापेट, गुन्टूर–522001 (आं.प्र.)	9.36	–	हां	शून्य	नहीं
34	नोबलमेन्स वोलन्टरी आर्गेनाइजेशन फोर हेल्पिग रूरल एण्ड अरबन पूअर	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भवन, सुपर बाजार के पीछे, कोठापेट तेनाली–522201, जिला गुन्टूर (आन्ध्र प्रदेश)	3.83	–	हां	शून्य	नहीं
35	प्राच्य भाषा विद्यापीठ गुडीवाडा–521301	राजेन्द्र नगर, छठी लाइन, जिला कृष्णा (आन्ध्र प्रदेश)	2.10	–	हां	शून्य	नहीं
36	श्री त्रिवेणी एज्यूकेशनल अकादमी	मकान सं. 5–1–158/1, के.के. राव काम्पलैक्स येल्लानाडु एक्स रोड, खमाम–507002	10.57	–	हां	शून्य	नहीं
37	वासव्या महिला मंडली	नास्तिक केंद्रम बेंज सर्कल विजयावाड़ा 520010 (आं. प्र.)	1.94	–	हां	शून्य	नहीं
38	श्री पदमावती एज्यूकेशनल सोसायटी	वंगाला शिवा रामी रेड्डी जी के जी रोड, आत्माकुर–518422 जिला कुरनूल (आं. प्र.)	3.82	–	हां	शून्य	नहीं

(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
श्री परमेश्वरी एजूकेशनल सोसायटी	के जी रोड, आत्माकुर कुरनूल जिला (आं.प्र.)	9.90	–	हां	शून्य	नहीं
नेहरू युवाजन सेवा संगम	6–6–11, वेलागाटोपु, जेंदा स्ट्रीट, नायडूपेट जिला नेल्लोर आंध्र प्रदेश–524126	5.00	–	हां	शून्य	नहीं
श्रीनिवास महिला मण्डली	दारसी, अग्रहम, मार्तर मण्डल, प्रकाशम जिला आन्ध्र प्रदेश	4.95	–	हां	शून्य	नहीं
विवेक एज्यूकेशनल फाउन्डेशन	पामुर–523018 जिला प्रकाशम (आन्ध्र प्रदेश)	7.43	–	हां	शून्य	नहीं
श्री माधव विद्या पीठम	लायरपेटा, ओंगोले–523002 जिला प्रकाशम (आन्ध्र प्रदेश)	7.44	–	हां	शून्य	नहीं
महिला मण्डली	स्टेशन रोड, चिराला–523155 जिला प्रकाशम (आन्ध्र प्रदेश)	7.10	–	हां	शून्य	नहीं
गोथामी एजूकेशन सोसायटी	तंगुतूर–523274 जिला प्रकाशम (आन्ध्र प्रदेश)	9.36	–	हां	शून्य	नहीं
दसारी आदिवैह मेमोरियल ऐले स्कूल कमेटी	हरिजन कालोनी, उलावापाडू–523292, जिला प्रकाशम (आन्ध्र प्रदेश)	7.46	–	हां	शून्य	नहीं
नालन्दा एजूकेशन सोसायटी	मार्फत लिटल स्टार पब्लिक स्कूल, तंगूतूर – 523274, जिला प्रकाशम (आन्ध्र प्रदेश)	9.36	–	हां	शून्य	नहीं
गिरीजन महिला मंडली	अन्नामबोतलावरिपालेम प्रचुर मंडल जिला प्रकाशम (आन्ध्र प्रदेश)	1.37	–	हां	शून्य	नहीं
प्रवीण एजूकेशन सोसायटी	पदमावती (बालिका) हाईस्कूल गिददालूर–523357, जिला प्रकाशम (आन्ध्र प्रदेश)	5.30	–	हां	शून्य	नहीं
शारदा एजूकेशनल सोसायटी	ट्रन्क रोड, ओंगोले–523002 जिला प्रकाशम, (आन्ध्र प्रदेश)	9.36	–	हां	शून्य	नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
51	युवा विजनाना परिषद श्रीकाकुलम–532001	9–4–11 ब्रिज रोड आंध्र प्रदेश	9.94	–	हा	शून्य	नहीं
52	जन चेतना	गांव गोयिडी, सीतमपेटा मंडल जिला श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश–532443	2.64	–	हां	शून्य	नहीं
53	भागवतुला चेरिटेबिल ट्रस्ट	येल्लामनचिली–531055 जिला विशाखापत्तनम (आं.प्र.)	10.45	–	हा	शून्य	नहीं
54	शारदा माता महिला मंडली	ललित नगर, 49–15–6, गणेश मन्दिर के समाने जिला विशाखापत्तनम (आं.प्र.)	2.56	–	हा	शून्य	नहीं
55	नवजीवन एजूकेशन सोसायटी	आवास संख्या एम.आई.जी. 1–72 वुदा कालोनी, पेडागोंटयाडा, विशाखापत्तनम–530044 (आं.प्र.)	4.33	–	हां	शून्य	नहीं
56	विशाखा जिला नवनिर्माण समिति	"शिवराम निलियम" शारदा नगर, आर.टी.सी. बस परिसर के पीछे, नरसीपटनम–531116 जिला विशाखापत्तनम (आं.प्र.)	8.53	–	हां	शून्य	नहीं
57	भारती सोशल एजूकेशनल सोसायटी	पेडाबोडेपल्ली, नरसीपट्टनम–531116, जिला विशाखापत्तनम, (आं.प्र.)	7.43	–	हा	शून्य	नहीं
58	बी.आर.एन.साइस	मकान नं. 4–51–4, लासन्स बे कालोनी जिला विशाखापत्तनम–530017 आंध्र प्रदेश	4.68	–	हां	शून्य	नहीं
59	विशाखा वनिता समाज	32–26–65 अलीपुरम जंक्शन जिला विशाखापत्तनम–530004 आंध्र प्रदेश	4.48	–	हा	शून्य	नहीं
60	ट्रेनिंग एंड रिसंच फार एक्शन (टारा)	एसबीआई कालोनी, जिला विशाखापत्तनम–531116 आंध्र प्रदेश	4.65	–	हां	शून्य	नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
61	श्री वेंकटेश्वर युवजन संगम	कोवुरू (डाकखाना) रोलुगूंटा मण्डलम, नरसीपट्टनम डिवीजन, जिला विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश	2.50	–	हां	शून्य	नहीं
62	अल्लुरु सीता राम राजू नगर निवासुला महिला नेबरहूड कमेटी	अल्लूरु सीताराम राजू नगर डी नं. 30–3–11 असम गार्डेन्स विशाखापत्तनम–530020	4.68	–	हा	शून्य	नहीं
63	नवचैतन्य ऐकेडमी फॉर यूथ एडवांसमेंट	श्री राम निवास राम नगर येल्लामनचिली–531002 जिला विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश	2.65	–	हा	शून्य	नहीं
64	श्री विद्या ट्रस्ट	देवीपुरम, वाया अम्मुलापालेम बीपीओ, अनाकापल्ली–531002 जिला विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश	1.97	–	हा	शून्य	नहीं
65	मण्डल युवा शक्ति यूनिट	सोमालिंगपेलम, येल्लामनचिलि मण्डल जिला विशाखापत्तनम (आं.प्र.)	4.85	–	हा	शून्य	नहीं
66	रूरल एनर्जी फॉर एनवायरनमेंट डेवलपमेंट सोसायटी	27–99, गांधी नगर येल्लामनचिलि–531055 जिला विशाखापत्तनम (आं.प्र.)	2.22	–	हां	शून्य	नहीं
67	श्रमिक रूरल डेवलपमेंट आर्गेनाइजेशन	चेट्टुपल्ली डाक नरसीपटनम–531116, जिला विशाखापत्तनम (आं.प्र.)	4.45	–	हा	शून्य	नहीं
68	ग्राम स्वराज्य समिति	कोडावटीपुडी–531085 कोटरटला मण्डल जिला विशाखापत्तनम–(आं.प्र.)	1.16	–	हा	शून्य	नहीं
69	शारदा वैली डेवलपमेंट समिति	थुम्भापाला ग्राम, अनाकपाल्ले मण्डल, जिला विशाखापत्तनम–531032 (आं.प्र.)	6.89	–	हा	शून्य	नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
70	विशिष्ट ग्रामोदय स्वायम "साधना" परिषद	जी. अनाकापल्ले–531001 (गांव) थोटाडा (पोस्ट) वाया अनाकापल्ले जिला विशाखापत्तनम (आ. प्र.)	5.68	–	हां	शून्य	नहीं
71	इंटेग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट सोसायटी	चीडिकाडा–531028 जिला विशाखापत्तनम (आं.प्र.)	4.95	–	हां	शून्य	नहीं
72	नेचर एनवायरनमैंट एण्ड एज्यूकेशन डेवलेपमैंट सोसायटी (नीडस)	आदा रोड तिम्मापुरम्–531083 जिला विशाखापत्तनम (आं.प्र.)	1.86	–	हां	शून्य	नहीं
73	इंस्टिट्यूट आफ डेवलपमेंट एंड प्लानिंग स्टडीज	मेन रोड, पायाकारोपेटा जिला विशाखापत्तनम–531126 आंध्र प्रदेश	6.91	–	हां	शून्य	नहीं
74	विकास, सर्विस सोसायटी फार रूरल डेवलपमेंट	को.आप. कालोनी, चोदावरम जिला विशाखापत्तनम–531036 आंध्र प्रदेश	4.68	–	हां	शून्य	नहीं
75	आरगेनाइजेशन फार रूरल रिकंस्ट्रक्शन	येल्लामनचिलि (ग्राम तथा मण्डल) जिला विशाखापत्तनम–531055 आंध्र प्रदेश	6.95	–	हां	शून्य	नहीं
76	नेहरु युवजन संगम	तिम्मारजुपेट्टा–531033 अतच्युतापुरम मण्डलम (वाया) अनाकापल्ले जिला विशाखापत्तनम (आं.प्र.)	1.99	–	हां	शून्य	नहीं
77	कोल्लेरू रूरल डेवलपमेंट सर्विस आर्गनाइजेशन	मकान नं. 5–18 थाना स्ट्रीट, अकिविडु 534235 जिला पश्चिम गोदावरी	7.14	–	हां	शून्य	नहीं
78	शारदा सेवा समिति	8–2–293 / 82 / एफ, एमएलए कालोनी, रोड नं. 12, बंजारा हिल्स, हैदराबाद–500039	4.67	–	हां	शून्य	नहीं
79	विलेज डेवलपमेंट सोसायटी	संख्या 386, क्रिश्चियन कालोनी, वनस्थलीपुरम, हैदराबाद–500070 (आं.प्र.)	4.68	–	हां	शून्य	नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
80	अन्नपूर्णा मानव समकक्षे समिति	प्लाट संख्या 1 तथा 2 कावुरी हिल्स, जुबली हिल्स पोस्ट, हैदराबाद–500033	7.42	–	हां	शून्य	नहीं
81	शुभोदय एज्युकेशनल सोसायटी	प्लाट नं. 21 एन एस सी एम्पलायइस सोसायटी, येल्लारेड्डेगुडा, हैदराबाद–500890	4.61	–	हां	शून्य	नहीं
		कुल योग	**675.50**				
	असम						
1	देशभक्त रूरल डेवलेपमैंट एसोसिएशन	भक्तरडाबा बाज़ार,, पोस्ट आफिस नाली गांव, जिला बारपेटा, असम–781352	12.85	–	हां	शून्य	नहीं
2	देशबन्धु क्लब	ग्राम तथा डाकखाना बेहारा बाज़ार जिला कचार, असम–788817	10.13	–	हां	शून्य	नहीं
3	गौरीपुर विवेकानन्द क्लब	बरूवापट्टी रोड, डाकखाना गौरीपुर पो.आ. गौरीपुर, जिला दुबरी, असम–783331	2.34	–	हां	शून्य	नहीं
4	मोरीगांव महिला महफिल	सिविल हास्पिटल रोड, डाकखाना मोरी गांव जिला मोरीगांव, असम–782105	10.12	–	हां	शून्य	नहीं
5	पापूलर प्रोगेसिव यूनिट	डाकखाना महामायाहाट (हालाकुरा), जिला दुबरी, असम–783335	12.85	–	हा	शून्य	नहीं
6	असम चाह मज़दूर मल्टीपरपज सोशल एजुकेशन एसोसिएशन	रंगाजन टी.ई. पोस्ट रंगाजन, तिताबार जिला जोरहाट, असम–785630	4.97	–	हां	शून्य	नहीं
7	सादाऊ असम ग्राम्य पुतिभरल संस्था	एलएनबी रोड, हैबरगांव, डाकखाना हैबरगांव, जिला नागांव, असम	7.54	–	हां	शून्य	नहीं
8	सोशल डेवलपमेंट आरगेनाइजेशन	विलेज मोरीकोलांग, पी.ओ नागांव, जिला नागांव, असम	5.18	–	हां	शून्य	नहीं
9	बारनीबारी युवक संघ	डाकखाना बारनीबारी, जिला नालबाड़ी, असम–781304	7.46	–	हां	शून्य	नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
10	अध्यात्मिक सर्वोदय आश्रम	पोस्ट ककाया–781304 जिला नालबाड़ी, असम–781028	1.38	–	हां	शून्य	नहीं
11	जालुगुटी अग्रगामी महिला समिति	ग्राम तथा डाकखाना जालुगुटी, ब्लाक कापिली, जिला मोरीगांव, असम–782104	2.57	–	हां	शून्य	नहीं
12	वेस्ट मोहनपुर समाज उन्नयन क्लब	जिला मोहनपुर, जिला हैलाकांडी, असम–788100	4.97	–	हां	शून्य	नहीं
		कुल योग	**82.35**				
	बिहार						
1	बिहार ग्रामीण महिला कल्याण परिषद	गांव फतेहपुर, पो.आ. साहरीदानगर जिला बेगुसराय, बिहार	2.17	–	हां	शून्य	नहीं
2	सर्वोदय आश्रम मदाचक	पोस्ट काथेल वाया अमरपुर जिला भागलपुर, बिहार	1.38	–	हां	शून्य	नहीं
3	आभा क्रिश्चयन सोशल वेलफेयर सोसायटी	सी/ओ कैथोलिक चर्च पोस्ट चनपतिया–85449 जिला पश्चिम चम्पारण बिहार	1.38	–	हां	शून्य	नहीं
4	मिथिलांचल समग्र विकास संस्था	मोहल्ला मोगलपुरा, पी ओ लालबाग जिला दरभंगा, बिहार	2.67	–	हां	शून्य	नहीं
5	संथाल परगना ग्रामोद्योग समिति	वैद्यनाथ–देवघर बिहार–814112	2.98	–	हां	शून्य	नहीं
6	संथाल परगना अन्तोदय आश्रम	पुरानदाहा, बी, देवघर–814112 (बिहार)	3.05	–	हां	शून्य	नहीं
7	पीपुल्स इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग	ए–12, पर्यावरण काम्पलेक्स मैदानगढी रोड नई दिल्ली –110030	7.28	–	हां	शून्य	नहीं
8	लोकदीप	कालेज रोड, पोस्ट मधुपुर, जिला देवघर, बिहार	1.38	–	हां	शून्य	नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9	बनवासी विकास आश्रम	पीओ अटका वाया बागोदर गिरीडीह बिहार–825406	2.37	–	हां	शून्य	नहीं
10	नव भारत जागृति केंद्र	बाहेरा, बृन्दावन, चौपारन, जिला हजारीबाग, बिहार–825406	18.95	–	हा	शून्य	नहीं
11	बिहार प्रदेश भारत सेवक समाज	नेहरू भवन, दरोगाप्रसाद राय पथ, पटना–800001, बिहार	2.49	–	हा	शून्य	नहीं
12	घोघरदिया प्रखण्ड स्वराज्य विकास संघ	ग्राम तथा डाकखाना घगतपुर वाया घोघरदिया जिला मधुबनी–847402 बिहार	15.06	–	हां	शून्य	नहीं
13	प्रखंड लोक विकास समिति	मधेपुर, ग्राम तथा डाकखाना पचाही, जिला मधुबनी–847408 बिहार	2.95	–	हां	शून्य	नहीं
14	कमलेश्वरी अंत्योदय आश्रम	मधेपुरा, गांव पोखरसम डाकखाना सलीमपुर, वाया पांडौल, जिला मधुबनी, बिहार	2.54	–	हां	शून्य	नहीं
15	सामाजिक विकास संस्थान	ग्राम / डाकखाना तामुरिया, जिला मधुबनी, बिहार–847410	2.57	–	हां	शून्य	नहीं
16	महावीर सिंह मेमोरियल ट्रस्ट	डाकखाना बैका–बिशनपुर, जिला मधुबनी, बिहार–847402	3.79	–	हां	शून्य	नहीं
17	सत लोक सेवा केन्द्र	बानरझूला, पीओ अमही मधुबनी, बिहार	2.30	–	हा	शून्य	नहीं
18	जन शिक्षण केन्द्र	ग्राम तथा डाकखाना चकई, जिला जामुई–811303, बिहार	4.55	–	हा	शून्य	नहीं
19	ग्राम भारती (सर्वोदय आश्रम)	साइमलतला–811316 जिला (मुंगेर) जामुई, बिहार	2.49	–	हां	शून्य	नहीं
20	सुरंगम कला केंद्र	चकबासु, रामबाग जिला मुजफ्फरपुर, बिहार	1.28	–	हां	शून्य	नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
21	ग्राम स्वराज्य आश्रम	लोकयात्रा धाम, धामौली, डाकखाना बेना, नालंदा–803110, बिहार	2.99	–	हां	शून्य	नहीं
22	बिनोबा आरोग्य एवं लोक शिक्षण केंद्र	ग्राम तथा डाकखाना जय कृष्णा नगर (बडे) डाकखाना बडे वाया इस्लामपुर–801303 जिला नालन्दा, बिहार	1.83	–	हां	शून्य	नहीं
23	शमा विकास समिति	मलाबबीघा, इस्लामपुर, जिला नालन्दा, बिहार	1.28	–	हां	शून्य	नहीं
24	लोक प्रभात	पोस्टमार्टम रोड, जिला नवादा – 805110, बिहार	1.02	–	हां	शून्य	नहीं
25	ग्राम स्वराज्य समिति	बख्त्यारपुर ग्राम तथा डाकखाना सलीमपुर, वाया खुसरूपुर, पटना, बिहार	7.46	–	हां	शून्य	नहीं
26	अदिथी	2/30, स्टेट बैंक कालोनी–11, बैली रोड, पटना–800014, बिहार	13.77	–	हां	शून्य	नहीं
27	समता ग्राम सेवा संस्थान	43, हार्डिंग रोड़ पटना–800013 (बिहार)	4.86	–	हां	शून्य	नहीं
28	अभियान	रामकृष्ण कालोनी, संदलपुर जिला पटना–800006, बिहार	1.38	–	हां	शून्य	नहीं
29	ब्यूरो आफ रूरल इकोनमिकल एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट	डाकखाना पिरमोहनी, लेन सं. 3 डाकखाना कदमकुंआ, पटना–800003, बिहार	2.57	–	हां	शून्य	नहीं
30	मगध विकास लोक	ग्राम तथा डाकखाना कोसुट, वाया मासौरही, जिला पटना, बिहार	1.28	–	हां	शून्य	नहीं
31	मंथन	मेडिकल कालोनी, डाकखाना खागौल पटना–801105, बिहार	7.60	–	हां	शून्य	नहीं
32	शर्मिला ग्रामीण शिल्पकला केंद्र	गाव तथा डाकखाना प्रहलादपुर जिला पटना–803306, बिहार	2.49	–	हां	शून्य	नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
33	मानव कल्याण केंद्र	स्टेशन राड, खुशरूपुर, जिला पटना, बिहार–803202	2.67	–	हां	शून्य	नहीं
34	वनवासी सेवा केंद्र	डाकखाना अधौरा, जिला कैमूर, बिहार	4.93	–	हां	शून्य	नहीं
35	टेगौर सोसायटी फॉर रूरल डेवलपमेंट	14, खुदीराम बोस रोड, कलकत्ता–700006, पश्चिम बंगाल	4.27	–	हां	शून्य	नहीं
36	सर्वोदय जन कल्याण संस्थान	गांव तथा डाकखाना शाहपुर उनदी, वाया पटोरी, जिला समस्तीपुर, बिहार	2.57	–	हां	शून्य	नहीं
37	शिशु नारी कला प्रशिक्षण संस्थान	ग्राम तथा डाकखाना जलालपुर जिला समस्तीपुर, बिहार	2.57	–	हां	शून्य	नहीं
38	सारन जिला समग्र विकास सेवा संस्थान	दहियावन, पीओ छपरा, जिला सारन, बिहार	4.44	–	हां	शून्य	नहीं
39	जेवियर चैबासा	मार्फत सेंट जेवियर हाई स्कूल, डाकखाना 10, चैबासा, जिला पश्चिम सिंहभूम, बिहार–833201	4.68	–	हां	शून्य	नहीं
40	लोक सेवायतन	डाकखाना निमडीह, जिला सिंहभूम पश्चिम बिहार–832401	14.02	–	हां	शून्य	नहीं
41	महुआ महिला विकास संस्थान	प्रताप चौक, गौरीगामा, मानपुरा, डाकखाना महुआ, जिला वैशाली, बिहार	1.28	–	हां	शून्य	नहीं
42	भारतीय जन मंच	ग्राम चाक, भटण्डी, पीओ धरहारा जिला वैशाली, बिहार	1.28	–	हां	शून्य	नहीं
43	श्रीमती मनोरमा महिला मंडल	समता कालोनी, पीओ हाजीपुर जिला वैशाली, बिहार	1.28	–	हां	शून्य	नहीं
44	प्रगति फाउण्डेशन	गोवर्धनपुर (खबरा), मुजफ्फरपुर (बिहार)	1.38	–	हां	शून्य	नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
45	चन्द्रिका सामाजिक उत्थान एवं ग्रामीण विकास संस्थान	जमहोर, जिला औरंगाबाद, बिहार–82441121	2.07	–	हां	शून्य	नहीं
46	ग्रामीण संसाधन विकास परिषद	रामनाथडेरा, पीओ कोरनसरया, जिला बक्सर, बिहार	2.67	–	हां	शून्य	नहीं
47	त्रिगुणा सेवा संस्थान	ग्राम तथा डाकखाना केसठ, जिला छपरा (सारण), बिहार	2.67	–	हां	शून्य	नहीं
		कुल योग	**184.95**				
	गुजरात						
1	गुजरात राज्य क्राइम प्रिवेंशन ट्रस्ट	"आशीर्वाद", 9/बी, केशव नगरसोसायटी, सुभाष पुल के पास, अहमदाबाद–380027, गुजरात	3.89	–	हां	शून्य	नहीं
2	अहमदाबाद सिटी सोशल एजूकेशन कमेटी	लेबर वेल्फेयर सेंटर बिल्डिंग, रायपुर गेट के बाहरी तरफ, अहमदाबाद–380022, गुजरात	4.09	–	हां	शून्य	नहीं
3	अमर भारती	मोती पावथी, तालुका देहेगाम, जिला अहमदाबाद–382308, गुजरात	4.68	–	हां	शून्य	नहीं
4	लालभाई ग्रुप रूरल डेवलपमेंट फण्ड	आनन्दजी कल्याणजी ब्लाक, असरवा रेलवे स्टेशन के निकट, अरविन्द मिल्स के सामने, नारोडा रोड, अहमदाबाद – 380 025, गुजरात	7.60	–	हां	शून्य	नहीं
5	अखण्ड ज्योति फाउण्डेशन	फतेहपुरा गांव, बी/एच पुलिस चौकी, पालदी, अहमदाबाद–7, गुजरात	9.06	–	हां	शून्य	नहीं
6	अंजुमन–ई–तालिमी ईदारा	कोर्ट रोड, चेरिटेबल ट्रस्ट सरकारी खजाने के सामने, भरूच–392001, गुजरात	4.94	–	हां	शून्य	नहीं
7	भरूच जिला ग्राम विकास मंडल	राजपीपला, जिला भरूच गुजरात	1.64	–	हां	शून्य	नहीं
8	भावनगर महिला संघ	वाडवा वाशिंग घाट के नजदीक, भावनगर–364001, गुजरात	9.11	–	हां	शून्य	नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9	परिवर्तन	बंगला नं 127, सेक्टर 8 गांधीनगर, 382043, गुजरात	1.64	–	हां	शून्य	नहीं
10	श्री केतन शिक्षण समाज	एयरोड्रोम रोड, राजकोट – 360 001, गुजरात	3.70	–	हां	शून्य	नहीं
11	मानव सेवा मण्डल ट्रस्ट	"शांडिल्य", 5–ए, अनुपम सोसायटी, आमिन मार्ग, नूतननगर के नजदीक, राजकोट – 360 001	8.86	–	हां	शून्य	नहीं
12	अभिकराम	गुजरात लोक समिति प्रीमिसिस लाल दरवाजा, अहमदाबाद गुजरात – 380001	1.64	–	हां	शून्य	नहीं
13	श्री अरूबा खादी ग्रामोद्योग विडाल मंडल	पीओ मलासा, तालुका मिलोडा साबरकंठ, गुजरात	1.64	–	हां	शून्य	नहीं
		कुल योग	**62.47**				
	हरियाणा						
1	हंस खादी ग्रामद्योग समिति	कोठी नं. 280 सेक्टर 8 करनाल –13001 (हरियाणा)	5.18	–	हां	शून्य	नहीं
2	लक्की एजूकेशन सोसायटी	महम, रोहतक, हरियाणा	8.56	–	हां	शून्य	नहीं
3	हरियाणा नव युवक कला संगम	94/22 लक्ष्मी नगर, सोनीपत रोड, रोहतक–124001	1.28	–	हां	शून्य	नहीं
4	भारत विकास संघ	1/13, जेबी मेडिकल एन्कलेव रोहतक, हरियाणा	1.38	–	हां	शून्य	नहीं
5	विद्या महासभा कन्या गुरूकुल महाविद्यालय	खरखोदा, सोनीपत, हरियाणा–124 402	38.47	–	हा	शून्य	नहीं
6	नारी चेतना संगठन	1322, सेक्टर 14, सोनीपत, हरियाणा	8.27	–	हा	शून्य	नहीं
7	जनता कल्याण समिति	बस स्टैण्ड के सामने, रिवाड़ी, हरियाणा	4.68	–	हा	शून्य	नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8	ऐंजल्स एजूकेशन सोसायटी	दिल्ली रोड, जिला झज्जर, हरियाणा	5.16	–	हां	शून्य	नहीं
		कुल योग	**72.98**				
	हिमाचल प्रदेश						
1	राज्य सामाजिक कल्याण संगठन	पीओ चौपाल, तहसील चौपाल जिला शिमला	2.49	–	हां	शून्य	नहीं
2	सोसायटी फार सोशल एक्शन फार रूरल डेवलपमेंट आफ हिल्ली एरिया	काफोता, जिला सिरमौर हिमाचल प्रदेश–173029	3.44	–	हां	शून्य	नहीं
		कुल योग	**5.93**				
	जम्मू तथा कश्मीर						
1	शिवा ग्रामोद्योग मण्डल	कालीबाड़ी, जिला कठुआ, जम्मू और कश्मीर–184101	8.88	–	हां	शून्य	नहीं
2	सोशल वेल्फेयर आफ इण्डिया	शाहदरा शरीफ राजौरी, जम्मू और कश्मीर	4.97	–	हां	शून्य	नहीं
		कुल योग	**13.84**				
	कर्नाटक						
1	श्री ललिथाम्बिका एजूकेशनल एसोसिएशन	ओएमबीआर लेआउट, नजदीक न्यू वाटर टैंक, 111 मुख्य बनासवाडी, बंगलौर–560043	7.45	–	हां	शून्य	नहीं
2	सेवा संगम	सं. 1163, 80 फुट रोड, प्रकाश नगर, बंगलौर 560021	7.61	–	हां	शून्य	नहीं
3	दि रूरल डेवलपमेंट सोसायटी मुधोल	गद्दनकेरी क्रास–587102 तालुका, बगलकोट, जिला बीजापुर, कर्नाटक	4.66	–	हां	शून्य	नहीं
4	कस्तूरबा सदन	तिलक पार्क रोड, विजयपुरा एक्सटेंशन, चिकमंगलूर, कर्नाटक – 577101	9.62	–	हां	शून्य	नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5	सोसायटी फार प्लानिंग अर्बन एंड रूरल डेवलपमेंट (एसपीयूआरडी)	सं. 8/29, 111 क्रास, लालजी नगर, बंगलौर, कर्नाटक	18.73	–	हां	शून्य	नहीं
6	बेलगाम विभागीय दलित जनजागृति संस्थान	सं. डी–2 स्टाफ क्वाटर्स, नजदीक उदय होस्टल, धारवाड़ – 580007, कर्नाटक	4.63	–	हां	शून्य	नहीं
7	न्यू भारत गांधी सेवा संघ	सं. 72/ए–3, ओल्ड टेल्लगेट, शमान्ना बिल्डिंग, मगदी रोड, बंगलौर	4.91	–	हां	शून्य	नहीं
		कुल योग	**57.61**				
	मध्य प्रदेश						
1	ग्रामीण विकास महिला मंडल	आफिस हाउस सं. 128, हाउसिंग कालोनी, जिला भिण्ड, मध्य प्रदेश	6.35	–	हां	शून्य	नहीं
2	ग्राम भारती संस्थान	एम–48, दर्पण कालोनी, थातीपुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश	19.57	–	हां	शून्य	नहीं
3	गजेन्द्र शिक्षा प्रसार समिति	गोरामी, जिला भिण्ड, मध्य प्रदेश	2.57	–	हां	शून्य	नहीं
4	जिनेन्द्र शिक्षा प्रसार समिति	गोरामी तहसील महगांव, जिला भिण्ड, मध्य प्रदेश	2.57	–	हां	शून्य	नहीं
5	शिवम सामाजिक विकास समिति	ओमप्रकाश शिवहरे का मकान, गणेशपुरा, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश	9.37	–	हां	शून्य	नहीं
6	विवेकानन्द समाज कल्याण	बीरेन्द्र वाटिका, लहर रोड, नजदीक हाउसिंग बोर्ड कालोनी, जिला भिण्ड, मध्य प्रदेश	9.37	–	हां	शून्य	नहीं
7	म.प्र. शिशु कल्याण परिषद	होटल सं. 5, भेल टाउनशिप, पिपलानी, भोपाल–462021, मध्य प्रदेश	10.63	–	हां	शून्य	नहीं
8	माँ शारदा जन कल्याण शिक्षा समिति	60 गूजरपुरा, भोपाल मध्य प्रदेश	3.85	–	हां	शून्य	नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9	सतलज आदिवासी महिला मंडल	रेणु दवाखाना, टीला जमालपुरा भोपाल, मध्य प्रदेश	4.97	–	हां	शून्य	नहीं
10	रफी अहमद किदवई शिक्षा समिति	चौकी इमामबाडा, नूर महल रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश	9.93	–	हां	शून्य	नहीं
11	वरूण मानव विकास समिति	एल.आई.जी–171, ऐशबाग स्टेडियम, भोपाल – 462010, मध्य प्रदेश	4.97	–	हां	शून्य	नहीं
12	ओरिएंटल कला एवं सेवा केंद्र	ग्रीन पार्क रोड, सं. 10 बैरसिया रोड, जिला भोपाल मध्य प्रदेश	2.40	–	हां	शून्य	नहीं
13	गीता ग्रामीण समाज सेवा समिति	गृह सं. 12, गली सं. 2, इब्राहिमगंज, भोपाल, मध्य प्रदेश	8.57	–	हां	शून्य	नहीं
14	श्रीनाथ समाज सेवा संस्थान	गृह सं. 2/4, वैशाली काम्पलेक्स, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश	8.57	–	हां	शून्य	नहीं
15	विविध कार्यक्रम सम्पादन समिति	पीताम्बरपीठ के निकट, जिला दतिया, मध्य प्रदेश	2.57	–	हां	शून्य	नहीं
16	विकास खण्ड श्योंधा ग्रामोत्थान समिति	ग्राम/पोस्ट पिपरौआ, जिला दतिबा, मध्य प्रदेश–475675	3.85	–	हां	शून्य	नहीं
17	लोक कल्याण समिति	सी–8, कौशल नगर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश	7.46	–	हां	शून्य	नहीं
18	श्रीराम शिक्षा समिति	दानौली, लश्कर, जिला ग्वालियर, मध्य प्रदेश	4.96	–	हां	शून्य	नहीं
19	साकेत समाज सेवा समिति	राठौड पैलेस, गोरखी के पीछे, ग्वालियर–474001	8.35	–	हां	शून्य	नहीं
20	आजाद निर्धन बाल कल्याण समिति	प्रसार मार्ग, अशोक नगर, जिला गुना, मध्य प्रदेश	27.94	–	हां	शून्य	नहीं
21	गायत्री शक्ति शिक्षा कल्याण समिति	1314, मिश्रा मार्किट, रांझी बस्ती, जबलपुर	3.85	–	हां	शून्य	नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
22	भारती महिला शिक्षा समिति	10, नगरपालिका कालोनी शुजालपुर सिटी जिला शाजापुर, मध्य प्रदेश	1.38	–	हां	शून्य	नहीं
23	जनता शिक्षा परिषद	दयौरीकला रामनगर जिला सतना, मध्य प्रदेश	4.78	–	हां	शून्य	नहीं
24	शारदा शिक्षा समिति	10, नगरपालिका कॉलोनी, सजलपुर सिटी, जिला शाजापुर, मध्य प्रदेश	2.55	–	हां	शून्य	नहीं
25	रुचि समाज सेवा समिति	गृह सं. 294, शक्ति नगर, सेक्टर–2, भोपाल, मध्य प्रदेश	17.93	–	हां	शून्य	नहीं
26	आराधना ग्रामीण सेवा समिति	बी.एम. 54,नेहरू नगर, भोपाल मध्य प्रदेश	9.37	–	हां	शून्य	नहीं
27	मोंटेस्सरी एजूकेशन सोसायटी	खाचरोड, उज्जैन मध्य प्रदेश	1.64	–	हां	शून्य	नहीं
		कुल योग	**200.29**				
	महाराष्ट्र						
1	राजर्षि श्री छत्रपति साहू शिक्षण प्रसारक	बर्दगांव रोड, अहमदनगर अहमद नगर महाराष्ट्र 414001	3.76	–	हां	शून्य	नहीं
2	पार्थ विद्या प्रसारक मंडल	पाथरड़ी अहमद नगर, महाराष्ट्र	2.43	–	हां	शून्य	नहीं
3	पायोसनी शिक्षा सोसायटी	घुंघशी त. मुर्तिजापुर, जिला अकोला	4.90	–	हां	शून्य	नहीं
4	सुवाइड फाउण्डेशन	प्रथम तल, ऋषिवत शहरी सहकारी सोसायटी, पोस्ट रिसोड़, जिला अकोला, महाराष्ट्र–444506	40.26	–	हां	शून्य	नहीं
5	इंस्टीटयूट आफ मेनेजमेंट ट्रेनिंग एंड रिसर्च	49 समर्थ नगर पीओ बाक्स नं. 87 औरंगाबाद–431 301	1.93	–	हां	शून्य	नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6	दन्यदीप शिक्षण एण्ड प्रशिक्षण संस्थान	विक्रम बिल्डिंग शिवाजी नगर, माहेकर जिला बुल्धाना महाराष्ट्र–443 301	1.38	–	हां	शून्य	नहीं
7	भारतीय ग्रामीण आदिवासी विकास संस्था	प्रादी ता. नाघबीर, जिला चन्द्रपुर महाराष्ट्र–441205	1.28	–	हां	शून्य	नहीं
8	बहुजन हिताय ग्रामीण शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक शिक्षण संस्था	क्वार्टर नं. ई/90 कलेक्टर कालोनी काम्पलेक्स गाडचिरोली	2.55	–	हां	शून्य	नहीं
9	श्री गणेश शिक्षण प्रसारक मंडल	अहमदपुर–413515 जिला लातूर, महाराष्ट्र	2.57	–	हां	शून्य	नहीं
10	भागीरथ शिक्षण संस्था	शिरोल (जानापुर), तालुक उदगिर जिला लातूर–413515, महाराष्ट्र	8.91	–	हां	शून्य	नहीं
11	समाज कल्याण मण्डल नागपुर–2	लालगंज नाइक तलाव,	2.48	–	हां	शून्य	नहीं
12	सती माता शिक्षण संस्था	नागपुर मुख्यालय 11, वेंकटेश नगर खमाला रोड नागपुर–25	2.49	–	हां	शून्य	नहीं
13	भारतीय आदिम जाति सेवक संघ	ठक्कर बापा स्मारक सदन, डा. अम्बेडकर नगर नई दिल्ली	6.01	–	हां	शून्य	नहीं
14	भारतीय आदिम जाति सेवक संघ	विदर्भ, मालवीय नगर, खामला, नागपुर–440025	2.48	–	हां	शून्य	नहीं
15	महात्मा फुले ग्रामीण शिक्षण प्रसारक मंडल	शेकापुर, जिला नांदेड	2.57	–	हां	शून्य	नहीं
16	जवाहर लाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन साईंस एंड टेक्नोलाजीकल रिसर्च	एच.आई.जी कालोनी आई.टी.आई के समीप, नांदेड महाराष्ट्र	1.28	–	हां	शून्य	नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
17	ज्योतिबा फुले सेवा ट्रस्ट	वसरनी, पोस्ट सिडको, जिला नांदेड महाराष्ट्र	2.48	–	हां	शून्य	नहीं
18	श्री जगदम्बा विद्या प्रसारक मंडल	दाराती, सर्कल पुर्ना, ताल्लुक पुर्ना, जिला परभनी–431511, महाराष्ट्र	9.35	–	हां	शून्य	नहीं
		कुल योग	**99.10**				
	नागालैंड						
1	तरोंगडिबा टेका सोसायटी	तुनयेहरी इस्सारू विल्लेज, ट्यूनसांग जिला, नागालैंड	5.18	–	हां	शून्य	नहीं
2	अनारस वूमेन कल्याण समिति	दक्कन बस्ती, जिला दिमापुर, सोसायटी नागालैण्ड	5.18	–	हां	शून्य	नहीं
		कुल योग	**99.10**				
	उड़ीसा						
1	मण्डल पोखरी युवक संघ	द्वारा डाकखाना मंदारी जिला भदरक, उड़ीसा–756125	7.46	–	हां	शून्य	नहीं
2	नेताजी युवक संघ	बालिपोखारी, डाकखाना परमानंदपुर में स्थित, वाया अखुवापाड़ा, जिला बालासोर, उड़ीसा–756122	4.72	–	हां	शून्य	नहीं
3	समग्र विकास परिषद	पो.आ. बलियापाल जिला बालासोर, उड़ीसा–756045	6.49	–	हां	शून्य	नहीं
4	गांधी सेवाश्रम	पीओ जालेसवर, जिला बालासोर उड़ीसा–756032	4.98	–	हां	शून्य	नहीं
5	राधानाथ पथागर	डाकखाना सोरो, जिला बालासौर, उड़ीसा–756045	7.44	–	हां	शून्य	नहीं
6	पाल्लीमंगल युवक संघ	नयापल्ली में स्थित, डाकखाना देवली जिला पुरी, उड़ीसा–752064	7.84	–	हां	शून्य	नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
7	प्रगति पथागार	डाकखाना रायान राम चन्द्रपुर में स्थित, वाया जालेसवर जिला बालासौर, उड़ीसा – 756032	1.25	–	हां	शून्य	नहीं
8	पीपुल्स रूरल रिकंस्ट्रक्शन इंस्टीट्यूट फॉर यूथ एक्शन (प्रिया)	सनकुमारी में स्थित, डाकखाना बरताना, जिला बालासोर, उड़ीसा–756115	8.57	–	हां	शून्य	नहीं
9	राधाकृष्णा जीव्य लाइब्रेरी	रायगन, कहालिया, जिला बालासोर, उड़ीसा	1.05	–	हां	शून्य	नहीं
10	हरिजन सुरक्षा कमेटी	ग्राम / डाकखाना बालासोर में स्थित, जिला बालासोर, उड़ीसा	2.34	–	हां	शून्य	नहीं
11	बालासोर जिला नारी संघ	डाकखाना तथा जिला बालासोर, उड़ीसा	2.39	–	हां	शून्य	नहीं
12	सोसायटी फार वीकर कम्युनिटी	शंकरपुर, डाकखाना भदरक, जिला बालासौर, उड़ीसा	2.46	–	हां	शून्य	नहीं
13	चन्द्रभागा	मोतीगंज, जिला बालासोर उड़ीसा	3.84	–	हां	शून्य	नहीं
14	भागवत पाथागार	डाकखाना सेलापली में स्थित, वाया जरासिंह जिला बोलानगीर, उड़ीसा – 767067	7.60	–	हां	शून्य	नहीं
15	रामजी युवक संघ	डाकखाना सदाईपली, वाया चन्दनवती, जिला बोलानगीर उडीसा–767065	12.29	–	हां	शून्य	नहीं
16	बापूजी पथागार	डाकघर सुरवा में स्थित, जिला बोलानगीर, उड़ीसा–767064	10.40	–	हां	शून्य	नहीं
17	जगन्नाथ युवक संघ	जलियादरहा, वाया डाकखाना कांढेकल गांव, वाया देवगांव, जिला बोलनगीर उड़ीसा–767029	1.28	–	हां	शून्य	नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
18	नेताजी युवक संघ	डाकखाना गोइलभादी में स्थित वाया तितिलगढ़ उड़ीसा–.767033	2.42	–	हां	शून्य	नहीं
19	नेताजी क्लब फार रूरल डेवलपमेंट	पीओ सेलभाटा–767 021 जिला बोलनगीर, उड़ीसा	1.25	–	हां	शून्य	नहीं
20	आदिवासी हरिजन वेलफेयर एजेंसी नेटवर्क	पीओ हरिशंकर रोड (लाथूर), जिला बोलनगीर उड़ीसा	23.01	–	हां	शून्य	नहीं
21	नेहरू युवा केंद्र	डाकखाना करमतला, में स्थित बोलगीर, उड़ीसा	1.28	–	हां	शून्य	नहीं
22	महिला एवं ग्रामीण विकास केंद्र	सलेईपली वाया जराहसिंह–767067 जिला बोलानगीर, उड़ीसा	4.90	–	हां	शून्य	नहीं
23	पल्लीश्री	डाकघर घासीपुर वाया बंकी, जिला कटक, उडीसा–754008	7.21	–	हां	शून्य	नहीं
24	लोकनायक क्लब	डाकघर पतापुर वाया बंकी, जिला कटक, उड़ीसा–754008	4.93	–	हा	शून्य	नहीं
25	कटक जिला हरिजन सेवा संस्कार योजना	छाता (हाफीमेलक), डाकघर फकीराबाद, वाया ठाकुरपटना, जिला कटक, उड़ीसा–754250	2.49	–	हा	शून्य	नहीं
26	ज्योतिर्मयी महिला समिति	डाकघर तिनीहमुहानी, जिला कटक, उड़ीसा–754211	13.71	–	हां	शून्य	नहीं
27	ग्रामीण विकास सोसायटी	कलतूंगा, डाकघर सुनीती, वाया महाकलपाडा, जिला कटक, उड़ीसा–754211	9.85	–	हां	शून्य	नहीं
28	नवज्योति	डाकघर गरूड़गन, वाया कोटसाही, जिला कटक, उड़ीसा–.754022	1.19	–	हां	शून्य	नहीं
29	लूथरान महिला समिति	डाकखाना पतलीपंक, वाया कुजंग, जिला कटक, उडीसा–754141	2.61	–	हां	शून्य	नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
30	सेंटर फार अपलिफट्मेंट आफ लोअर इनकमर्स	रथ डांडा (नजदीक डाक घर), चौडकुलट, जिला कटक, उडीसा–754222	7.76	–	हां	शून्य	नहीं
31	जयन्ती पाथागार	सहापदा, डाकखाना ब्रह्मबरादा, जिला कटक, उड़ीसा–755005	4.08	–	हां	शून्य	नहीं
32	इंटरनेशनल इंडीसेन्सी प्रिवेन्शन मूवमेंट	बिदानासी, (सोवनिया नगर) डाकखाना एवं जिला कटक, उडीसा–753008	10.11	–	हां	शून्य	नहीं
33	वालन्टरी एसोसिएशन फार रूरल रिकंस्ट्रक्शन एण्ड एप्रोप्रिएट टेक्नोलोजी	गांव बोलकी, पोस्ट बारादंगा, जिला कटक, उडीसा–754224	7.46	–	हा	शून्य	नहीं
34	जाजपुर हरिजन सेवा समिति	डाकखाना अहियास, जिला जाजपुर कटक, उड़ीसा–753008	7.65	–	हां	शून्य	नहीं
35	सांस्कृतिक विकास एवं सांस्कृतिक संबंध परिषद	दि यूनिवर्स, मैत्री सारनी, कटक उडीसा–753001	7.12	–	हां	शून्य	नहीं
36	गुरुकुल केंद्र	डाकखाना महानपुर में स्थित (जपकुड) जिला कटक, उडीसा–754201	2.57	–	हां	शून्य	नहीं
37	रूरल इंस्टिट्यूट फार एजूकेशन एंड सोशल वेल्फेयर अफेयर्स	डाकखाना अखुआदखिनी में स्थित वाया पतकुरा, जिला केंद्रपाडा, उडीसा	2.49	–	हां	शून्य	नहीं
38	पा–मा.सा. पार्वती महिला समिति	डाकखाना छागांव, वाया चरबतिया कटक, उड़ीसा–754028	1.25	–	हां	शून्य	नहीं
39	लक्ष्मीनारायण हरिजन एवं आदिवासी बैकवर्ड डेवलपमेंट सोसायटी	डाकखाना अहियास, जिला जाजपुर–755036, उड़ीसा	2.46	–	हां	शून्य	नहीं
40	उत्कल सेवक समाज	स्थित/डाकखाना भगतपुर वाया कोटसाही (टांगी), जिला कटक–754022, उडीसा	2.30	–	हां	शून्य	नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
41	प्रगति युवा चक्र	पुर्बाकछा, डाकखाना मध्याकछा, वाया बहूग्राम, जिला कटक, उड़ीसा–754200 क्पेजण ब्नजजंबाए व्तपें.754200	4.96	–	हां	शून्य	नहीं
42	उड़ीसा इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल रिसर्च एंड हेल्थ सर्विस	फ्रैण्ड्स कालोनी, बजराकबती रोड, जिला कटक, उड़ीसा	3.58	–	हां	शून्य	नहीं
43	वासुदेव पाठागार	डाकखाना नौगांव, वाया नियाली, जिला कटक–754004, उड़ीसा	2.54	–	हां	शून्य	नहीं
44	नेताजी स्मारकी पाठागार	ग्राम बबाजा (छिंदकुल) डा. उत्तरन, वाया कसारादा, जिला कटक–754105, उड़ीसा	9.29	–	हां	शून्य	नहीं
45	उत्कल नवजीवन मंडल	स्थित / डाकखाना ओलन्दा जिला धेनकनाल, उड़ीसा–759122	13.68	–	हां	शून्य	नहीं
46	यूथ एसोसिएशन फार रूरल रिकंस्ट्रक्शन	स्थित / डाकखाना बोइन्दा वाया गोंदिया जिला धेनकनाल, उड़ीसा 759127	5.20	–	हां	शून्य	नहीं
47	न्यासासद्री	स्थित / डाकखाना संथापुर वाया गोंदिया जिला धेनकनाल, उड़ीसा 759016	4.62	–	हां	शून्य	नहीं
48	पीपुल्स इंस्टिटयूट फार पार्टीसिपेटरी एक्शन रिसर्च (पिपाड)	ग्राम / डाकघर महिमगढ़ी, जिला धेनकनाल, उड़ीसा–759014	14.03	–	हां	शून्य	नहीं
49	सामाजिक सेवा सदन	स्थित बांझीकुसुम पीओ महिमागढ़ी जिला धेनकनाल, उड़ीसा–759014	25.19	–	हां	शून्य	नहीं
50	अरूण इंस्टीट्यूट आफ रूरल अफेयर्स	ग्राम अश्वखोला, डाकखाना करामुल, वाया महिमागढ़ी, जिला ढेनकनाल, उड़ीसा–759014	9.12	–	हां	शून्य	नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
51	नेशनल इंस्टीट्यूट आफ सोशल रिसर्च फार उत्कल रूरल ट्राइबल्स (निसरूत)	ग्राम / डाकखाना कबारा मधापुर, वाया महिमागढ़ी, जिला ढेनकनाल, कबाड़ा माधापुर उड़ीसा	4.67	–	हां	शून्य	नहीं
52	जीवन ज्योति क्लब फार सोशल वेल्फेयर एंड रूरल डेवलपमेंट	स्थित महादिया, पीओ बेलापेडा, वाया गदासिला, जिला धेनकनाल उड़ीसा	2.48	–	हां	शून्य	नहीं
53	उत्कल शिल्पोदय युवक संघ	प्लाट संख्या 265, शास्त्री नगर, भुवनेश्वर, उड़ीसा	1.27	–	हां	शून्य	नहीं
54	बालजीवयू किशोर युवक संघ	ग्राम / डाकखाना मठ टेनटुलिया, युवक संघ थाना गोंडिया, जिला ढेनकनाल, उड़ीसा	1.20	–	हां	शून्य	नहीं
55	जयन्ती पाठागार	ग्राम / डाकखाना नुवापाडा, जिला गंजम, उड़ीसा–761011	3.78	–	हां	शून्य	नहीं
56	सेवा साहित्य संसद	ग्राम / डाकखाना कविसूर्यनगर जिला गंजम, उड़ीसा–761104	1.28	–	हां	शून्य	नहीं
57	पल्ली श्री स्वेच्छिक संगठन	सुनांबा सट्रीट, डाकघर आस्का गंजम, उड़ीसा–761110	1.21	–	हां	शून्य	नहीं
58	सेंटर फार एवेकनिंग आफ रूरल एन्वायरमेंट	डाकखाना माणिक्यपुर, वाया बम्कोई–761042 जिला गंजम, उड़ीसा	2.49	–	हां	शून्य	नहीं
59	नन्हें–मुन्ने युवा छात्र संसद	ग्राम / डाकखाना बोरिडा (ए), वाया कविसूर्यानगर, जिला गंजाम–761104, उड़ीसा	4.97	–	हां	शून्य	नहीं
60	संस्कृति विकास परिषद	ग्राम शक्ति नगर, डाकघर बाकु वाया निराकारपुर, जिला पुरी, 752019 उड़ीसा	5.13	–	हां	शून्य	नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
61	अंचालिका प्रसाद सांस्कृतिक संसद	स्थित नाडा, पोस्ट जगन्नाथ प्रसाद, जिला गंजम, उड़ीसा	1.38	–	हां	शून्य	नहीं
62	श्री बांकेश्वरी पाठागार	ग्राम / डाकखाना बडाडुमुला, वाया बामोकई जिला गंजाम–761055, उड़ीसा	7.45	–	हां	शून्य	नहीं
63	गोविंद प्रधान स्मृति संसद	ग्राम / डाकघर भीष्मगिरी जिला गंजम–761055, उड़ीसा	1.28	–	हां	शून्य	नही
64	इंडियन सोसायटी फार रूरल डेवलपमेंट	पल्लुरूबंगलो बहरामपुर–760 001	7.57	–	हां	शून्य	नहीं
65	अंतोदय चेतना केंद्र	ग्राम संकतपलिया, डाकघर हडगढ़, जिला क्योंझार,, उड़ीसा–758023	9.88	–	हां	शून्य	नही
66	प्रकल्प	ग्राम / डाकखाना ज्योतिपुर, जिला क्योंझार–758046, उड़ीसा	3.85	–	हां	शून्य	नही
67	क्योंझर इंटिग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट (किरदती)	स्थित / डाकखाना तेलकोई जिला क्योंझर–758 028 उड़ीसा	2.49	–	हां	शून्य	नही
68	वालन्टरी आरगेनाइजेशन फार रूरल इम्प्रूवमेंट	ग्राम / डाकघर तेलकोई, जिला क्योंझार उड़ीसा–758019	6.58	–	हां	शून्य	नहीं
69	होइना लेप्रोसी रिसर्च ट्रस्ट	पोस्ट बेग–1, मुनीगुड़ा जिला रायगढ उड़ीसा–765020	11.68	–	हां	शून्य	नहीं
70	सोसायटी फार हेल्थ एजूकेशन एंड डेवलपमेंट	पालीटेक्निक रोड, रायगढ़, जिला कोरापुट, उड़ीसा–765001	18.88	–	हां	शून्य	नहीं
71	सर्वोदय समिति	स्थित / पोस्ट गांधीनगर, जिला कोरापुट उड़ीसा–764020	14.05	–	हां	शून्य	नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
72	अग्रगामी	स्थित / पीओ काशीपुर जिला कोरापुट, उड़ीसा–765015	1.02	–	हां	शून्य	नहीं
73	रूरल डेवलपमेंट एजेंसी फार बेकवर्ड पीपल	स्थित / पीओ बोरीगुम्मा जिला कोरापुट उड़ीसा–764056	2.16	–	हा	शून्य	नहीं
74	बोइपारीगुड़ा क्षेत्र समिति	स्थित पोस्ट बोइपारीगुड़ा, जिला कोरापुट उड़ीसा–764043	2.46	–	हां	शून्य	नहीं
75	पीपुल्स आर्गेनाइजेशन फार वेल्फेयर इम्पलायमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट (पावर्ड)	स्थित कदालीपाल पीओ अलुआझरन जिला ढेनकनाल उड़ीसा	2.31	–	हां	शून्य	नहीं
76	स्वामी विवेकानद सामाजिक कार्य एवं सम्बद्ध सेवा संस्थान	खरियर रोड, बोइपारागुड़ा उड़ीसा–266104	3.86	–	हां	शून्य	नहीं
77	जीवनधारा वूमेन्स काम्युनिटी ट्रस्ट	नरला रोड, जिला कालाहांडी–766110 उड़ीसा	3.03	–	हा	शून्य	नहीं
78	इण्डो नेशनल सोशियो इकानामिक रिसर्च एंड अपलिफ्टमेंट आफ रूरल पूअर (इनसरूप)	भवानीपटना, पोस्ट बाक्स 06, जिला कालाहांडी उड़ीसा–766001	2.67	–	हां	शून्य	नहीं
79	बिसाल यूथ क्लब	ग्राम बिसाल डाकखाना सांबीसोल, वाया कपटीपाडा, जिला मयूरभंज, उड़ीसा–757040	1.98	–	हां	शून्य	नहीं
80	भारतीय जन कल्याण केंद्र	जमुनादीपुर पो.आ. वारिपाडा जिला–मयूरगंज, उड़ीसा–757002	1.03	–	हां	शून्य	नहीं
81	पल्ली विकास	ग्राम / डाकखाना अनला, जिला मयूरभंज, उड़ीसा	2.44	–	हां	शून्य	नहीं
82	लिबरल एसोसिएशन फार मूवमेंट आफ पीपुल	ग्राम / डाकखाना बांगरीपोसी, जिला मयूरभंज, उड़ीसा–757032	2.55	–	हां	शून्य	नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
83	टैगोर सोसायटी फार रूरल डेवलपमेंट	ए–47, रामेश्वरपटना, मौसिमा स्कवेयर, भुवनेश्वर, उडीसा–751001	52.53	–	हां	शून्य	नहीं
84	कम्यूनिटी वेलफेयर एंड एनरिचमैंट सोसायटी	विलेज उत्तरा, डाकखाना कौशल्यागंज, भुवनेश्वर, उड़ीसा–751002,	11.32	–	हां	शून्य	नहीं
85	गोपीनाथ युवा संघ	ग्राम अलीसिसासन, डाकखाना दरदा, जिला खुर्दा, उड़ीसा–752102	9.86	–	हां	शून्य	नहीं
86	उत्कलगामी सेवा संघ	स्थित / पोस्ट बदासिरायपुर, जिला खुर्दा, उडीसा–752031	10.11	–	हां	शून्य	नहीं
87	बबानी शंकर क्लब	गनपुर, पो.आ. सिमोर, वाया बाघमरी, जिला पुरी, उड़ीसा–752061	4.11	–	हां	शून्य	नही
88	जन कल्याण समाज	ग्राम गोदीबाडी डाकखाना कांटाबड़ा, वाया जानला, जिला खुर्दा, उड़ीसा–752054	7.84	–	हां	शून्य	नहीं
89	रूचिका सोशल सर्विस आर्गेनाइजेशन	जी–6, गंगा नगर, यूनिट–VI भुवनेश्वर, उड़ीसा–751007	3.82	–	हां	शून्य	नहीं
90	जुवा ज्योति क्लब	विलेज कुमंडल, पीओ नैरी, जिला पुरी उड़ीसा–752029	2.55	–	हां	शून्य	नहीं
91	सेंटर फार यूथ एंड सोशल डेवलपमेंट	ए–70, शहीद नगर, भुवनेश्वर, उड़ीसा–751007	3.74	–	हां	शून्य	नहीं
92	गनिया उन्नयन कमेटी	ग्राम / डाकखाना बेलाडापटना जिला नयागढ, उड़ीसा–752085	12.75	–	हां	शून्य	नहीं
93	विकास	डी–2 / 7, इंडस्ट्रियल एस्टेट रसूलगढ, भुवनेश्वर, उड़ीसा–751010	6.76	–	हां	शून्य	नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
94	विद्युत क्लब	स्थित समंतरापुर पीओ / जिला खुर्दा उड़ीसा--752055	9.82	–	हां	शून्य	नहीं
95	भैरवी क्लब	स्थित कुरूमपड़ा, पीओ हडापड़ा, वाया नारनगढ़, जिला खुर्दा उड़ीसा–752018	7.31	–	हां	शून्य	नहीं
96	नारी शक्ति समाज	स्थित कुजीमहल, पीओ चंदका, जिला खुर्दा उड़ीसा–754005	1.18	–	हां	शून्य	नहीं
97	दहीखाइ युवक संघ	ग्राम / डाकखाना लोधाचुआ, जिला पुरी, उड़ीसा–752026	2.47	–	हां	शून्य	नहीं
98	आचार्य हरिहर शिशु भवन	सत्यवादी, ग्राम / डाकखाना साखीगोपाल, जिला पुरी, उड़ीसा–752014	6.22	–	हां	शून्य	नहीं
99	अंचलिका कुंजेश्वरी सांस्कृतिक संसद	ग्राम सेवाचल, डाकखाना कानस, जिला पुरी, उड़ीसा–752017	4.75	–	हां	शून्य	नहीं
100	ढाकोता युवक संघ	ग्र्राम / डाकखाना ढाकोता जिला क्योंझार, उड़ीसा–758048	4.53	–	हां	शून्य	नहीं
101	नेशनल इंस्टीट्यूट आफ सोशल वर्क एंड सोशल साइंस	3–चन्द्रशेखरपुर, भुवनेश्वर, उड़ीसा–751016	18.29	–	हां	शून्य	नहीं
102	दशरथी जनकल्याण संघ	ग्राम / डाकखाना केंडुधिपी, वाया मन्धतपुर, जिला पुरी, उड़ीसा–752079	1.28	–	हां	शून्य	नहीं
103	रूरल वेल्फेयर इंस्टीट्यूट	ग्राम हंसपाडा, डाकखाना चनारपाडा, वाया निमापाडा, जिला पुरी, उड़ीसा–752106	7.38	–	हां	शून्य	नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
104	नेशनल इंस्टीट्यूट आफ ट्राइबल एंड सोशल एक्शन	ग्राम बरसाही, डाकखाना पुबुसाही, जिला पुरी (अब खुर्दा), उड़ीसा–752055	4.65	–	हां	शून्य	नहीं
105	भारत सेवा परिषद	कल्याण नगर, सदनगोई, जिला पुरी, उड़ीसा	4.68	–	हां	शून्य	नहीं
106	कोस्टल पीपुल्स डेवलपमेंट एसोसिएशन	ग्राम / डाकखाना कोणार्क, जिला पुरी, उड़ीसा	7.35	–	हां	शून्य	नहीं
107	जय किशन यूथ क्लब	ग्राम जनकिया गढ़, डाकखाना गढ़साही, वाया कानस, जिला पुरी, 752017, उड़ीसा	2.56	–	हां	शून्य	नहीं
108	युवा ज्योति युवक संघ	ग्राम जानकिया गटसाही डाकखाना गढ़साही वाया कानस जिला पुरी, उड़ीसा	1.40	–	हां	शून्य	नहीं
109	ग्राम उन्नयन समिति	डाकखाना मनपाड़ा ग्राम भुवनपति, वाया ब्रह्मगिरि, जिला पुरी उड़ीसा–752011	4.97	–	हां	शून्य	नहीं
110	बनवासी सेवा समिति	ग्राम / डाकखाना बाल्लीगुढा जिला फुलबनी उड़ीसा–762103	4.66	–	हां	शून्य	नहीं
111	सुभद्रा महताब सेवा सदन	ग्राम / डाकखाना जी उदयगिरी उदयगिरि, जिला फुलबनी उड़ीसा–762100	9.86	–	हां	शून्य	नहीं
112	समन्विता ग्राम्य उन्नयन समिति	स्थित / पोस्ट जी उदयगिरी, जिला फुलबनी उड़ीसा–762100	5.17	–	हां	शून्य	नहीं
113	पीपुल्स अवेयरनेस एंड हिल्ली एरिया (डेवलपमेट) (पहाड)	स्थित / पोस्ट सुदुकुम्पा, जिला फुलबनी, उड़ीसा–762100	9.03	–	हां	शून्य	नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
114	भारतीय एजेंसी फार रूरल डेवलपमेंट	ग्राम रायखोल, डाकखाना दुतिवाडा, जिला फुलबनी, उड़ीसा–762012	1.26	–	हां	शून्य	नहीं
115	सोशल वीकर्स अवेयरनेस डेवलपमेंट एंड इकोनामिक सर्विस इंस्टीटयूट (स्वदेशी)	स्थित / पीओ कान्ट्रेक्टरपड़ा जिला कन्धमाल (फुलबनी) उड़ीसा–762012	1.25	–	हां	शून्य	नहीं
116	विवेकानंद पाली अग्रगामी सेवा प्रतिष्ठान	ग्राम कल्हेइपालि, डाकघर गोकछारा, वाया कुच्छिंदा, जिला सम्बलपुर, उड़ीसा–768222	19.22	–	हां	शून्य	नहीं
117	संबलपुर इंटेग्रेटेड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट (सिडी)	जमनकिरा, जिला संबलपुर जिला सुन्दरग्राम, उड़ीसा–768107	2.53	–	हां	शून्य	नहीं
118	पुराना राउरकेला एजूकेशन सोसायटी	ग्राम बालीजोधी, डाकखाना राउरकेला, जिला सुन्दरगढ़, उड़ीसा–769016	2.49	–	हां	शून्य	नहीं
119	राउरकेला साक्षरता समिति	पुराना आर.टी.ओ आफिस, उदित नगर, राउरकेला जिला सुंदरगढ़ उड़ीस–769012	5.72	–	हां	शून्य	नहीं
120	किशोर क्लब	ग्राम / डाकखाना पंचपाडा, वाया चंदबाली, जिला भद्रक–756133, उड़ीसा	1.26	–	हां	शून्य	नहीं
121	वालटियरस एसोसिएशन फार रूरल रिकस्ट्रक्शन एंड सोशल एक्शन	स्थित रामपुर पीओ रामाकृष्णपुरम वाया बरापड़ा जिला भदरक–756 113 उड़ीसा	4.49	–	हां	शून्य	नहीं
122	एनिमल वेल्फेयर सोसायटी आफ उड़ीसा	क्वार्टर नं. 4आर–2 यूनिट 8, गोपबंधु स्कवेयर, भुवनेश्वर उड़ीसा–751012	2.42	–	हां	शून्य	नहीं
123	सोसायटी फार प्रमोशन आफ रूरल टेक्नोलाजी एंड एजुकेशन (सोपोर्ट)	बोंथ छाक, भदरक–756100, जिला बालासोर उड़ीसा	2.13	–	हां	शून्य	नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
124	टिप टाप युवक संघ	स्थित पोथापडा, पीओ पाल्ली, वाया जगतसिंहपुर उड़ीसा	2.55	–	हां	शून्य	नहीं
125	नवजागरण पठागार	स्थित बिसवाली, पीओ भूटानमुंडायी जिला जगतसिंहपुर–754141 उड़ीसा	4.88	–	हां	शून्य	नहीं
126	पल्ली विकास केंद्र	ग्रम / पो. सरसियापाडा वाया गोंडिया पटना जिला धेनकनाल, उड़ीसा–759016	4.97	–	हां	शून्य	नहीं
127	वीरभद्र युवक संघ	मकान सं. सी / 6 स्थित बारांश पीओ रसालपुर, वाया कबीरपुर, जिला जायपुर, उड़ीसा–755009	2.53	–	हां	शून्य	नहीं
128	नेशनल इंस्टीट्यूट फार इंटग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट (एनआईआरडी)	ग्राम जगन्नाथपुर, डाकखाना रहसोई जिला जाजपुर, उड़ीसा	1.27	–	हां	शून्य	नहीं
129	वीकर्स एंड अदर्स बेकवर्ड डेवलपमेंट सोसायटी	स्थित / पीओ देबीद्वार, जिला जायपुर, उड़ीसा	11.74	–	हां	शून्य	नहीं
130	चलंतिका यंग एसोसियेशन	ग्राम श्रीरामपुर, डाकखाना नाहपाडा, वाया रामबाग, जिला जाजपुर–755014, उड़ीसा	1.08	–	हां	शून्य	नहीं
131	मा तारिणी रूरल डेवलपमेंट एजेन्सी	ग्राम / डाकखाना पुरबाकोट, वाया कोरई जिला जाजपुर–755022, उड़ीसा	7.01	–	हां	शून्य	नही
132	पांचजन्य वेल्फेयर सोसायटी	ग्राम / डाकखाना केन्दुपाडा वाया महिमागढी, जिला धेनकनाल–755014, उड़ीसा	10.22	–	हां	शून्य	नहीं
133	बनदुर्गा सांस्कृतिक परिषद	स्थित / पीओ निकिराई, जिला केन्द्रपाडा–761200 उड़ीसा	1.25	–	हां	शून्य	नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
134	गजपति समाज कल्याण समिति	ग्राम / डाकखाना परलाखेमुण्डी–761 200 उड़ीसा	2.46	–	हां	शून्य	नहीं
135	जनकल्याण प्रतिष्ठान	कोबीचन्द्रा स्ट्रीट, परलाखेमुण्डी–761 200 जिला गजपति उड़ीसा	4.81	–	हां	शून्य	नहीं
136	सोसायटी फार दि वेल्फेयर आफ वीकर सैक्शन	स्थित गोटाई, पीओ लालू साही वाया नारायणपुर जिला गजपति उड़ीसा–761 212	7.35	–	हां	शून्य	नहीं
137	लिटरेसी इम्प्रूवमेंट एंड फाइन एनवायरनमेंट (लाइफ)	मुख्य पोस्ट आफिस गली परलाखेमुण्डी–761200 जिला गजपति, उड़ीसा	3.79	–	हां	शून्य	नहीं
138	महिला विकास	ग्राम / डाकखाना तारबोड, वाया कोमना जिला नुआपाडा, उड़ीसा–766106	2.11	–	हां	शून्य	नहीं
139	अधिकार	प्लाट नं. 2123 साबरसाही लेन डाकखाना बुद्धेश्वरी कालोनी, भुवनेश्वर जिला पुरी, उड़ीसा	2.41	–	हां	शून्य	नहीं
140	नेशनल इंस्टिटयूट आफ ट्राइबल वेल्फेयर एंड सोशल एक्शन (एनआईटीडब्ल्यूएसए)	ग्राम बरसाही, डाकखाना पुबुसाही, जिला खुर्दा, उड़ीसा	13.49	–	हां	शून्य	नहीं
141	ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट फोरम	441 शाही नगर भुवनेश्वर–751007	2.41	–	हां	शून्य	नहीं
142	बनदुर्गा क्लब	ग्राम / डाकखाना कंताबाद, वाया बागमणि जिला खुर्दा–752061	2.16	–	हां	शून्य	नहीं
143	नाबा विकास यूथ क्लब	ग्राम कलामति, डाकखाना बाकु, जिला पुरी	4.92	–	हां	शून्य	नहीं
144	उमाशंकर क्लब	ग्राम नीमपटना पो– बनमालीपुर वाया खंडापाड़ा, जिला नयागढ़, उड़ीसा	1.07	–	ल्मे	. छप्.	छव

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
145	अग्रणी जन कल्याण अनुष्ठान	स्थित पीओ पैकमल, जिला बारघाट–768039 उड़ीसा	2.28	–	हां	शून्य	नहीं
146	फ्रेन्ड्स एश्यूरेंस ऑफ रूरल रिकन्सट्रक्शन एंड इरेडिकेशन ऑफ लेप्रोसी (फैरल)	ग्राम दहलपाडी, डाकखाना / पुलिस थाना, तहसील बाल्लीगुडा सब डिविजन, बाल्लीगुडा, जिला फुलबनी, उडीसा	1.27	–	हां	शून्य	नहीं
		कुल योग	**837.63**				
	पंजाब						
1	पंजाब बेकवर्ड सेक्टर 15–बी	कोठी नं. 1070, चण्डीगढ–160015	5.31	–	हां	शून्य	नहीं
		कुल योग	**5.31**				
	राजस्थान						
1	अजमेर प्रौढ शिक्षा एसोसिएशन	शास्त्री नगर एक्सटेंशन, विद्युत मार्ग, अजमेर, राजस्थान–305006	10.99	–	हां	शून्य	नहीं
2	एकीकृत ग्रामीण विकास संस्थान	लक्ष्मीपुरा, राय कालोनी रोड़, बाड़मेर, राजस्थान	5.18	–	हां	शून्य	नहीं
3	कला विद्या मंदिर प्रबंध समिति	बीच का पाड़ा, नादबाई जिला भरतपुर, राजस्थान	2.97	–	हां	शून्य	नहीं
4	बृज मेवात मंडल संस्थान	खेडली रोड, नगर जिला भरतपुर, राजस्थान	1.52	–	हां	शून्य	नहीं
5	भीलवाड़ा जिला प्रौढ शिक्षा एसोसिएशन	6 / 199 सिन्धु नगर भीलवाडा–311001	2.76	–	हां	शून्य	नहीं
6	आदिवासी सांस्कृति सेवा संस्थान	ई–32–ए, सरस्वती नगर, सेक्टर 6 के सामने, मालवीय नगर, जयपुर–302017	2.67	–	हां	शून्य	नहीं
7	आदर्श बीकानेर बाल शिक्षण परिषद्	सुभाष पुरा, बीकानेर–334001 राजस्थान	1.52	–	हां	शून्य	नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8	गांधी विद्या मंदिर	सरदारशहर, जिला चुरू, राजस्थान	4.07	–	हां	शून्य	नहीं
9	भोरूका चेरिटेबल ट्रस्ट	भोरूग्राम, जिला चुरू राजस्थान	8.40	–	हां	शून्य	नहीं
10	जीरामदास एजूकेशन ट्रस्ट	भोरोग्राम (मण्डल कला) थाना–राजगढ़, जिला चुरू	3.89	–	हां	शून्य	नहीं
11	लोक शिक्षण संस्थान	पी–87, गंगोरी बाजार, जयपुर	11.35	–	हां	शून्य	नहीं
12	ग्राम विकास नव युवक मंडल	ग्राम लापोरिया, डाकखाना गगरदु वाया दुदु, जिला जयपुर	4.03	–	हां	शून्य	नहीं
13	सेंटर फार कम्युनिटी इकोनामिक एंड डेवलपमेंट कंसलटेंट सोसायटी (सियोसिडिकोन)	एग्रो एक्शन, डेवलपमेंट सेंटर, शिल्की डुंगरी, चक्सु, जिला जयपुर 303 901	1.62	–	हां	शून्य	नहीं
14	सोशल वेल्फेयर चेरिटेबल ट्रस्ट	638–एए बरकत नगर, जिला जयपुर राजस्थान	2.67	–	हां	शून्य	नहीं
15	स्वामी विवेकानंद प्रशिक्षण वेल्फेयर सोसायटी	प्रतिभा मार्ग विवाकहार न्यू संगाहेर रोड, जयपुर, राजस्थान	2.67	–	हां	शून्य	नहीं
16	एम आर मोराका जीडीसी रिसर्च फाउंडेशन	नवलगढ़ जिला झुनझुनु, राजस्थान	2.92	–	हां	शून्य	नहीं
17	शिक्षित रोज़गार केंद्र प्रबन्धक समिति	1/129, हाऊसिंग बोर्ड, झुनझुनु जिला राजस्थान	3.55	–	हां	शून्य	नहीं
18	जोधपुर प्रौढ़ शिक्षा संघ	गांधी भवन, रेजीडेंसी रोड, जोधपुर	3.39	–	हां	शून्य	नहीं
19	राधा बाल मंदिर विद्यालय अकादमी	बस स्टैंड पिपार सिटि, जिला जोधपुर, राजस्थान–342 601	5.18	–	हां	शून्य	नहीं
20	जिला प्रौढ़ शिक्षा संघ कोटा	प्रौढ़ शिक्षा भवन 13, झालावाड़ रोड, कोटा राजस्थान–324005	2.05	–	हां	शून्य	नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
21	गौरव शिक्षण संस्थान	ट्रक यूनियन राजीव कालोनी, गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर राजस्थान–322201	1.52	–	हां	शून्य	नहीं
22	स्व–सहयोग संस्थान	ग्राम तथा डाकखाना शिल्की डूंगरी, तहसील चक्षु, जिला जयपुर, राजस्थान	5.18	–	हा	शून्य	नहीं
23	राजस्थान विद्यापीठ लोक शिक्षण प्रतिष्ठान	प्रताप नगर, उदयपुर–313001	4.79	–	हां	शून्य	नहीं
24	राजस्थान महिला विद्यालय	ज्ञान मार्ग गुलाब बाग के पास, उदयपुर–313001	4.09	–	हा	शून्य	नहीं
25	राजस्थान बाल कल्याण समिति	ग्राम एवं डाकघर–झाडोल जिला उदयपुर, राजस्थान	2.46	–	हां	शून्य	नहीं
26	प्रबंध समिति स्वामी विवेकानन्द विद्यालय	गीता भवन विवेकानन्द कालोनी, दौसा, राजस्थान	9.33	–	हा	शून्य	नहीं
		कुल योग	**110.79**				
	तमिलनाडु						
1	रुरल एजुकेशन फोर एक्शन एंड डेवलपमेंट	वी. मेडु पट्टी, सिलुवायुर (एस.ओ.) अन्ना जिला 624306 (तामिलनाडु)	1.38	–	हां	शून्य	नहीं
2	एसोसिएशन आफ नेशनल सर्विस	316 एनजीओ कालोनी चेंगलपट्टू 603001	1.26	–	हां	शून्य	नहीं
3	सोसायटी फार एजुकेशन, एक्शन एंड डेवलपमेंट (एसईएडी)	नं. 1, द्वितीय तल, वीएसआर कम्पाउंड, विलार्थीकुलम, वी–ओ. चिदम्बरम तमिलनाडु–628907	1.38	–	हां	शून्य	नहीं
4	दी जी.आर.डी.ट्रस्ट	कलईकातिथ भवन, अवनाशी रोड कोयम्बटूर–641037	4.84	–	हा	शून्य	नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5	इंडियन फेलोशिप ट्रस्ट	1, कस्टम कालोनी, नया नाथम रोड़ मदुैर–14, तमिलनाडु	1.64	–	हां	शून्य	नहीं
6	मीनाक्षी इलम पोथुनाला काल्वी संगम	नोन्दीकोविलपट्टी मेलूर पो. बा. 625106, जिला मदुरई	13.31	–	हां	शून्य	नहीं
7	अखिल भारतीय इंदिरा मदुरई पुर्णनगर मथरागल मुनेत्रा संगम	1, कस्टम कालोनी न्यू नाथम रोड मदुरई–625014	22.30	–	हां	शून्य	नहीं
8	ओथाक्काडई ग्रामीण स्वास्थ्य समाज कल्याण सोसायटी	वाई, ओथाक्काडई जिला मदुरई–625107	3.57	–	हां	शून्य	नहीं
9	सामाजिक शिक्षा एवं विकास केन्द्र	45, पूर्व वैथ्यनाथपुरम जिला मदुरई–625018 तमिलनाडु	7.64	–	हां	शून्य	नहीं
10	चेतना विकास	कादाचनेन्दल, पो. बा. कथाकिनारू जिला मदुरई–625107 तमिलनाडु	4.68	–	हां	शून्य	नहीं
11	मदुरई इंस्टिट्यूट ऑफ पीस साइंस	गांधी मेमोरियल म्यूजियम जिला मदुरई–625020 तमिलनाडु	4.68	–	हां	शून्य	नहीं
12	पाचे ट्रस्ट	5/2 जुम्बुरापुरम चौथा स्ट्रीट (अपस्टेयर्स), गोरीपालायम, जिला मदुैर–625020	4.97	–	हां	शून्य	नहीं
13	चिल्ड्रन्स एसोसिएशन फार डेवलपमेंट	141, ए., इलाइकाथामानकोइल रोड, डाकघर–उरंगनपट्टी मेल्लुर टी.के., जिला मदुैर 625109	4.68	–	हां	शून्य	नहीं
14	जिनियस सोशल सर्विस आरगेनाइजेशन	5/1, विनायगा नगर, कोर्ट के सामने, जिला मदुैर–625020, तमिलनाडु	4.97	–	हां	शून्य	नहीं
15	डेवलपमेंट आफॅ ह्यूमन रि–इन्सटेटमेंट गाइडेंस एण्ड असिस्टेंस	6, माथा मुख्य रोड, के. पुडडूर, जिला मदुैर–625007, तमिलनाडु	9.31	–	हां	शून्य	नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
16	तमिलनाडु रूरल इन्वायरमेण्टल इको डेवेलप्मेंट आर्गेनाइजेशन (ट्री)	प्लाट नं. 4, अरूमलार कान्वेन्ट गली, के. के. नगर मदुरई तमिलनाडु	2.67	–	हां	शून्य	नहीं
17	चेतना विकास	3/452, बी–10, एस.आर. पट्टनम, परमकुडी–623707 जिला रामनाथपुरम, तमिलनाडु	4.68	–	हां	शून्य	नहीं
18	कंडास्वामी कान्डार ट्रस्ट बोर्ड	वेल्लूर, परमाथी वेल्लूर ताल्लुक जिला सेलम–638182, तमिलनाडु	27.79	–	हां	शून्य	नहीं
19	कान्ग्रेशन आफ दि सिस्टर्स आफ दि क्रॉस आफ चवानोद	पोस्ट बाक्स सख्या 395, ओल्ड गुड्स शेड रोड, टेप्पाकुलम, तिरूचिरापल्ली–620002	7.46	–	हां	शून्य	नहीं
20	लीग फार एजुकेशन एंड डेवलपमेंट	40, प्रथम गली, रायर थोप्पु, श्री रामपुरम श्रीरंगम, तिरूचिरापल्ली–620006	6.63	–	हा	शून्य	नहीं
21	अरनाड वेलालार संगम	1–2, सन्नाथी स्ट्रीट, तिरूवन्नकोइल जिला त्रिची, तिरूचिरापल्ली 620005	18.73	–	हा	शून्य	नहीं
22	विलेज कम्यूनिटी वेल्फेयर सोसायटी	22–ए, मेट्टू स्ट्रीट अन्नावसाल पुदुकोट्टई–622101	1.38	–	हा	शून्य	नहीं
23	यंग वूमेन्स क्रिस्चियन एशोसिएशन ऑफ मद्रास	1086, पूनामल्ली हाई रोड मद्रास–600084 तमिलनाडु	2.24	–	हा	शून्य	नहीं
24	ब्यूरो फार इंटेग्रेटेड रूरल डेवेलप्मेंट	पोलाम्बकम एंड पो. ऑ. चय्यूर ताल्लुक तमिलनाडु–603309	1.38	–	हां	शून्य	नहीं
25	रूरल डिप्रेस्ड वेल्फेयर एशोसिएशन (आरडीडब्ल्यूए)	मेलकाचिरापट्टू विलेज़ मेय्यूर पो. ऑ.–606753 तिरूवन्नामलाई टीके जिला सम्बूवरायार (तमिलनाडु)	2.54	–	हां	शून्य	नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
26	वर्कर्स एशोसिएशन फार सोशल एक्टिविटीज (डब्ल्यूएएसए)	7बी, शास्त्री स्ट्रीट शिवगंगा तमिलनाडु	1.38	–	हा	शून्य	नहीं
27	सेंटर फार सोशल सर्विस एंड रिसर्च	हनुमंथ रायनकोट्टई, जिला डिंडीगुल तमिलनाडु–624054	1.38	–	हा	शून्य	नहीं
28	शान्ती सेवा सोशल एवं इकॉनोमिकल डेवेलम्मेंट एसोसिएशन	8 / 231 ए, अनुमंथ नगर, डिंडीगुल, मन्नार थिरूपलाई जिला, तमिलनाडु	1.38	–	हा	शून्य	नहीं
29	रूरल इम्पूवमेंट सोसायटी	4, राजेन्द्र रोड, पलानी–624601 डिंडीगुल जिला, तमिलनाडु	1.38	–	हां	शून्य	नहीं
30	सरस्वती वूमेन एलूकेशनल सर्विस ट्रेनिंग इम्प्रूवमेंट सेन्टर (एसडब्ल्यूईएसटीआईसी)	864,3 अन्ना नगर, तीसरी गली सलाई पुदुर (पो.ऑ.) ओडान्चत्रम 624619, जिला डिंडीगुल तमिलनाडु	1.38	–	हा	शून्य	नहीं
31	इन्टेग्रेटेड पीपुल्स सर्विस सोसायटी	नं. 1, सुब्रमनियापुरम पश्चिम गोविन्दपुरम डिंडीगुल, तमिलनाडु	1.38	–	हां	शून्य	नहीं
32	अन्नई इंदिरा मदर संगम	अम्बावरम, वेलवराई पोस्ट पोलूर ताल्लुक, टी. मलाई जिला तमिलनाडु–606906	1.38	–	हां	शून्य	नहीं
33	विलेज प्रोग्रेस वेल्फेयर सेंटर	कुप्पम विलेज एवं पोस्ट कुन्नामंगलम (वीआईए), पोलर तालुक, टी जिला, तामिलनाडु	1.38	–	हां	शून्य	नहीं
34	नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ वूमेन, चाइल्ड एवं रूरल हेल्थ ट्रस्ट	1, नार्थ स्ट्रीट, मधीचियम मदुरई तमिलनाडु–625020	1.38	–	हा	शून्य	नहीं
35	सदायानोदई इलईनगर नारपानी मन्दरम	ग्राम सदायानोदई, पोस्ट कालसाथाम्बडी, तिरवन्नामई, साम्बवारायार, जिला तमिलनाडु–60685	1.38	–	हां	शून्य	नहीं
		कुल योग	179.89				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	त्रिपुरा						
1	त्रिपुरा आदिवासी महिला समिति	सलकामा, 9/4, कृष्णानगर रोड, अगरतला, त्रिपुरा पश्चिम–799001	1.38	–	हां	शून्य	नहीं
2	भारत ज्ञान विज्ञान समिति	महिम सदन (मेलरमठ कालीबाडी के सामने) 76, हरगंगा बसाक रोड, अगरातला (पश्चिम)–799001	2.17	–	हां	शून्य	नहीं
3	समाज कल्याण समिति	अरूंधती नगर, रोड नं. 5, अगरतला पश्चिमी त्रिपुरा – 799003	1.38	–	हां	शून्य	नहीं
4	अर्क साइंस एंड सोसल आर्गेनाइजेशन	जोगेन्द्र नगर अगरतला – 799010, त्रिपुरा (पश्चिमी)	2.66	–	हां	शून्य	नहीं
5	कल्याण आश्रम	पुरानी कालीबाड़ी लेन कृष्णनगर, अगरतला –799001 पश्चिमी त्रिपुरा	12.65	–	हां	शून्य	नहीं
6	वोलन्टरी हैल्थ एसोसिएशन आफ त्रिपुरा	सर्किट हाऊस एरिया, बंगलादेश वीजा ओफिस के सामने, पीओ. कुंजबन, अगरतला – 799006 (त्रिपुरा) पश्चिमी	2.15	–	हा	शून्य	नहीं
		कुल योग	**22.39**				
	उत्तर प्रदेश						
1	जन चेतना शिक्षण संस्थान	बी–1346, करेली स्कीम इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)	5.14	–	हां	शून्य	नहीं
2	आदर्श जनता शिक्षा समिति	पिडी करच्छाना, इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)	14.05	–	हां	शून्य	नहीं
3	श्री लाल बहादुर शास्त्री स्मारक ग्रामोद्योग प्रतिष्ठान	लोकमानपुर, जीटी रोड, इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)	5.10	–	हां	शून्य	नहीं
4	लोकशिक्षण ग्रामीण उत्थान एवं अनुसंधान समिति	358–ए, दरियाबाद, इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)	1.28	–	हां	शून्य	नहीं
5	हरिजन एवं निर्बल शिक्षा विकास समिति	161, पुराना कटरा, इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश)	2.51	–	हां	शून्य	नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6	सोसायटी फार एक्सपेंशन आफ मल्टीपरपज एजूकेशन	541, मुमफोर्टगंज इलाहाबाद–211002 (उत्तर प्रदेश)	4.95	–	हां	शून्य	नहीं
7	ग्राम्यांचल उद्यौगिक सेवा संस्थान	सुलतानपुर खास पीओ. मोयमा, इलाहाबाद	1.37	–	हां	शून्य	नहीं
8	दारागंज ग्रामोद्योग विकास संस्थान	109, टैगोर टाउन इलाहाबाद–211002	3.10	–	हां	शून्य	नहीं
9	श्री राम शरण स्मारक सेवा संस्थान	मुहम्मदपुर माई, वाया बिसोली बदायूँ–202 520 (उत्तर प्रदेश)	1.28	–	हां	शून्य	नहीं
10	पुरूषोतम दास टंडन शिशु निकेतन	ग्राम इसापुर, पीओ. बहजोई मुरादाबाद – 202410 (उत्तर प्रदेश)	1.26	–	हां	शून्य	नहीं
11	सृजन उत्तर प्रदेश	नेकपुर सिविल लाइन्स के समीप जल निगम कार्यालय बदायूँ–243 601, (उत्तर प्रदेश)	4.97	–	हा	शून्य	नही
12	म्याना ग्रामोद्योग सेवा संस्थान	मुरारी नगर, जी.टी.रोड खुर्जा (उत्तर प्रदेश)	24.04	–	हां	शून्य	नहीं
13	रूरल लिटिगेशन एण्ड इन्टाइटलमेंट केन्द्र	पी.ओ.वाक्स नं.10 21 पूर्वी कनाल रोड, देहरादून–248 001	18.52	–	हां	शून्य	नहीं
14	बाल कल्याण केन्द	पिंडरा, डाक देवरिया जिला देवरिया–27001 (उत्तर प्रदेश)	18.71	–	हां	शून्य	नहीं
15	जन कल्याण शिक्षा समिति	ग्राम और डाक भाथाहिन, खुर्द (लाला) वाया फाजिल नगर जिला देवरिया (उ.प्र.)	4.97	–	हा	शून्य	नहीं
16	श्री जगदम्बा बाल विद्या मन्दिर	सुल्तानगढ़, फतेहपुर (उत्तर प्रदेश)	12.34	–	हां	शून्य	नहीं
17	बाल एंव महिला कल्याण समिति	80, इस्माइल गंज फतेहपुर–212 601, (उत्तर प्रदेश)	8.39	–	हां	शून्य	नहीं
18	स्वामी आत्मदेव गोपालानन्द शिक्षा संस्थान	उग्रपुर, डाकखाना पीपरगांव जिला फर्रुखाबाद (उत्तर प्रदेश)	10.26	–	हा	शून्य	नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
19	गंगा रानी बालिका विद्यालय	रामपुर बैजू, छिबरामाऊ, फर्रुखाबाद (उत्तर प्रदेश)	7.17	–	हां	शून्य	नहीं
20	श्री बाबू सिंह विद्यालय	महमूदपुर खास, डाक कुंवरपुर बनवारी, जिला फर्रुखाबाद(उ.प्र.)	4.80	–	हां	शून्य	नहीं
21	श्री संत राघवदास त्यागी, जूनियर हाई स्कूल समिति	महमूदपुर खास पोस्ट खुनवारपुर बनवारी जिला फर्रुखाबाद (उत्तर प्रदेश)	1.28	–	हा	शून्य	नहीं
22	ब्रासू बालिका विद्यालय	नगला सिसम, छिबरामाऊ, जिला फरूर्खाबाद, (उत्तर प्रदेश)	1.08	–	हा	शून्य	नहीं
23	माध्यम	सत्यकाम शिक्षा केन्द्र, विजयनगर कालोनी, गोरखनाथ रोड, गोरखपुर–273 015 (उत्तर प्रदेश)	16.73	–	हा	शून्य	नहीं
24	ग्रामीण विकास संस्थान	पादरी बाजार, जिला गोरखपुर–273014 (उत्तर प्रदेश)	29.89	–	हां	शून्य	नही
25	इंडियन इंस्टीट्यूट आफ रूरल डेवलपमेंट	छठी लेन, साकेत कालोनी मुजफ्फरनगर–251001 (उत्तर प्रदेश)	2.50	–	हां	शून्य	नहीं
26	चम्पा देवी नारी विकास संस्थान	थावई का पुल, जिला गोरखपुर–273001, उत्तर प्रदेश	19.50	–	हां	शून्य	नहीं
27	उर्मिला समाज कल्याण समिति	163–ई, पुराना बोर्डिंग हाउस हरदोई (उत्तर प्रदेश)	7.78	–	हां	शून्य	नहीं
28	अमर शहीद नरपति सिंह स्मारक समिति	माधोगंज हरदोई (उत्तर प्रदेश)	5.13	–	हां	शून्य	नहीं
29	स्व. डा. शेर सिंह वर्मा सेवा सदन	ग्राम और डाक सदरपुर,(उत्तर प्रदेश)	13.15	–	हां	शून्य	नही
30	त्रिमूर्ति सेवा संस्थान	162 चौहान थोक, हरदोई–241 001 (उत्तर प्रदेश)	5.12	–	हां	शून्य	नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
31	भीमराव अम्बेडकर दलित सेवा ग्रामोत्थान जन कल्याण समिति	175–ई, जितेन्द्र निवास सांदी रोड कोतवाली सिटी,हरदोई (उत्तर प्रदेश)	6.50	–	हां	शून्य	नहीं
32	आदर्श जन कल्याण परिषद्	बिलग्राम, हरदोई (उत्तर प्रदेश)	9.37	–	हां	शून्य	नहीं
33	एकता कैरियर इंस्टीट्यूट	373/7 ग्वालियर रोड, सिविल लाईन्स, झांसी, (उत्तर प्रदेश)	4.62	–	हां	शून्य	नहीं
34	आशुतोष सेवा संस्थान	झिंझक, कानपुर–देहात	4.97	–	हां	शून्य	नहीं
35	गायत्री समाज कल्याण समिति	सरसोल, जिला कानपुर (उत्तर प्रदेश)	4.93	–	हां	शून्य	नहीं
36	चर्म श्रमिक उद्योग संस्थान	89/281 ,पुरबत, विल्ला पार्क डिप्टी कपराव, कानपुर–208 003	3.85	–	हां	शून्य	नहीं
37	लोक कल्याण संस्थान	92/04 पेचबाग, कानपुर	2.56	–	हां	शून्य	नहीं
38	शहीद मैमोरियल सोसायटी	ई–1698, राजाजी पुरम लखनऊ – 226017 (उत्तर प्रदेश)	28.33	–	हां	शून्य	नहीं
39	इंस्टिट्यूट आफ लिटरेसी डेवलपमेंट	ई–1824, राजाजी पुरम, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)	3.85	–	हां	शून्य	नहीं
40	इरशाद अकादमी	606, जैदी नगर, मेरठ–250 002, (उत्तर प्रदेश)	8.97	–	हां	शून्य	नहीं
41	समाजोत्थान एवं शिक्षा प्राचरनी संस्थान	दरवेशपुर, महाना मेरुत, (उत्तर प्रदेश)	7.48	–	हां	शून्य	नहीं
42	बिमला ग्रामोद्योग सेवा संस्थान	178 राजेन्द्र नगर, मेरठ (उत्तर प्रदेश)	2.57	–	हां	शून्य	नहीं
43	सर्वदलीय मानव विकास केन्द	बहजोई, मुरादाबादा–202410, (उत्तर प्रदेश)	14.27	–	हां	शून्य	नहीं
44	आदर्श सेवा समिति	326/1 साकेत कालोनी मुजफ्फरनगर–251 002 (उत्तर प्रदेश)	4.44	–	हां	शून्य	नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
45	निशात शिक्षा समिति	427, अस्ताना, नई बस्ती हल्द्वानी, नैनीताल (उत्तर प्रदेश)	3.84	–	हा	शून्य	नहीं
46	महिला कल्याण संगठन	715, इन्दिरा नगर हल्द्वानी, जिला नैनीताल (उत्तर प्रदेश)	3.78	–	हा	शून्य	नहीं
47	जनप्रिय सेवा संस्थान	198, पलटन बाजार प्रतापगढ़ (उत्तर प्रदेश)	28.34	–	हा	शून्य	नहीं
48	प्रतापगढ़ महिला कल्याण एवं शिक्षा समिति	देवकाली, प्लानिंग आफिस के सामने प्रतापगढ़ (उत्तर प्रदेश)	3.85	–	हां	शून्य	नहीं
49	कोसमिक सोसायटी फार ह्यूमैन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड रिसर्च	67 बालीपुर नियर करणपुर चुंगी कटरा रोड प्रतापगढ़ (उत्तर प्रदेश)	5.03	–	हां	शून्य	नहीं
50	त्रिवेणी मानव उद्यामिता विकास संस्थान	पूरे पिताई इलाहाबाद फैजाबाद रोड प्रतापगढ़ (उ.प्र.)	2.49	–	हां	शून्य	नहीं
51	प्रतापगढ़ ग्रामोत्थान समिति	पूरे बेडुवा, अफीम की कोठी, जिला प्रतापगढ़ (उत्तर प्रदेश)	2.57	–	हां	शून्य	नहीं
52	आदर्श शिक्षा समिति	ए–53, इंदु विहार आवास कालोनी प्रतापढ–230 001 (उत्तर प्रदेश)	5.13	–	हां	शून्य	नहीं
53	मानव उत्कर्ष समिति	67, सिविल लाइन, कटरा रोड जिला प्रतापगढ (उत्तर प्रदेश)	4.87	–	हां	शून्य	नहीं
54	महिला कल्याण समिति	73, शेर मोहम्मद पीलीभीत–262001 (उत्तर प्रदेश)	7.52	–	हा	शून्य	नहीं
55	सर्वोदय सेवा संस्थान	बारा घोसियाना, मलिकमाऊ रोड रायबरेली (उत्तर प्रदेश)	2.48	–	हां	शून्य	नहीं
56	जिला बाल कल्याण परिषद	गुलाब रोड जिला रायबरेली (उत्तर प्रदेश)	2.48	–	हा	शून्य	नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
57	जय भारतीय ग्रामोद्योग संस्थान	स्वतन्त्र नगरी सहारनपुर–247001 (उत्तर प्रदेश)	3.85	–	हां	शून्य	नहीं
58	जन कल्याण आश्रम	ग्राम तथा डाकखाना चंदापुर, जिला शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश–242001	3.36	–	हां	शून्य	नहीं
59	माध्यमिक विद्यालय पूर्व गांव सरेश्वर संस्थान	डाक सरेसर, ब्लाक, जगदीशपुर, जिला सुल्तानपुर–227809 (उत्तर प्रदेश)	3.77	–	हां	शून्य	नहीं
60	इंडिया लिटरेसी बोर्ड	लिटरेसी हाऊस, डाकखाना आलमबाग, लखनऊ–226 005 (उत्तर प्रदेश)	7.46	–	हां	शून्य	नहीं
61	सर्वोदय शिक्षा सदन समिति	रेलवे स्टेशन रोड शिकोहाबाद, जिला फिरोजाबाद (उ.प्र.)	9.36	–	हां	शून्य	नहीं
62	कपिल बाल एवं महिला सेवा संस्थान	674, सिविल लाइन्स बस्ती, (उ.प्र.)	2.67	–	हां	शून्य	नहीं
		कुल योग	**470.64**				
	पश्चिम बंगाल						
1	दुलाल स्मृति संसद	पीओ. खजुरदाह, हुगली पश्चिम बंगाल	2.67	–	हां	शून्य	नहीं
2	सूनिवर्सल प्रोग्रेसिव स्टडी एंड कल्चरल फोरम (यूनिप्रोसकफ)	अलीपुरदौर चौपाठी पीओ. अलीपुरदार जिला जलपईगुडी पश्चिम बंगाल	2.67	–	हां	शून्य	नहीं
3	कल्याचक नेताजी सुभाष संघ	ग्राम कल्याचक पीओ. हरिया, जिला मिदनापुर पश्चिम बंगाल – 721430	2.67	–	हां	शून्य	नहीं
4	श्री रामकृष्ण सत्यनन्द आश्रम	ग्राम जिरकपुर, डाक बसीरहट रेलवे स्टेशन, जिला 24 परगना	14.82	–	हां	शून्य	नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5	ग्रामीण विकास टैगोर सोसायटी संगाबेलिया	ग्राम और डाक रंगावेलिया वाया गोशाला 24 परगना (दक्षिण) पश्चिम बंगाल	3.18	–	हां	शून्य	नहीं
6	टैगोर सोसाइटी फार रूरल डेवलपमेंट	14, खुदीराम बोस रोड, कलकत्ता	6.48	–	हां	शून्य	नहीं
7	कलकत्ता अर्बन सर्विस कंसोटरियम	16, सुद्दर स्ट्रीट, कलकत्ता	9.87	–	हां	शून्य	नहीं
8	समातत संस्था	172, रास बिहारी एवेन्यू, प्लाट न. 302 कलकत्ता–700 029	4.94	–	हां	शून्य	नहीं
9	बसीरहट महिला विकास समिति	पीओ. बसीरहट जिला 24 परगना पश्चिम बंगाल – 743411	2.67	–	हां	शून्य	नहीं
10	महिला सेवायतन	ग्राम मजलिसपुर पीओ. पेराचाती जिला दक्षिण 24 परगना पश्चिम बंगाल	1.38	–	हां	शून्य	नहीं
		कुल योग	**51.35**				

चंडीगढ़

		कुल योग	**0**				

दिल्ली

1	डा.ए.वी. बालिगा मेमोरियल ट्रस्ट	लिंक हाउस, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली–110002	4.60	–	हां	शून्य	नहीं
2	नेहरु बाल समिति	ई–63, दक्षिण एक्सटेंशन पार्ट–1 नई दिल्ली–110049	4.93	–	हां	शून्य	नहीं
3	जन जागृति एजुकेशनल सोसाइटी	एम–186 मंगोलपुरी, दिल्ली 110083	1.25	–	हां	शून्य	नहीं
4	अखिल भारतीय कोणार्क एजुकेशनल और वेल्फेयर सोसाइटी	क्यू 21, विकास विहार, मानस कुंज, उत्तम नगर, दिल्ली–110059	2.57	–	हां	शून्य	नहीं

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5	इण्डकेयर चेरिटेबल ट्रस्ट	1030 विकास कुंज विकास पुरी नई दिल्ली–110 018	1.32	–	हां	शून्य	नहीं
6	पीपुल्स इंस्टिटयूट फार डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग (पीआईडीटी)	सी–1414, बसन्त कुंज नई दिल्ली–70	1.84	–	हां	शून्य	नहीं
		कुल योग	**16.59**				

परिशिष्ट – IV

गैर-सरकारी संगठनों को पिछले तीन वर्षो में मंजूर किए गए सहायता अनुदान की बाबत उपयोग प्रमाण पत्र (यूसी) प्रस्तुत न किए जाने संबंधी स्थिति दर्शाने वाला विवरण

वर्ष	गैर–सरकारी संगठन/ स्वैच्छिक एजेन्सी का नाम	वह राशि जिसके लिए गैर सरकारी संगठन/ स्वैच्छिक संगठनों द्वारा उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किए गए हैं	उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण	इन गैर–सरकारी संगठनों/ स्वैच्छिक संगठनों (कालम 1 के अनुसार) को, उपयोगिता प्रमाण–पत्र पर बल न देकर, और आगे अनुदान दिए जाने के कारण
		महिलाओं की समानता के लिए शिक्षा (महिला समाख्या योजना)		
1996–97	राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा (एन आई ए ई) नई दिल्ली	रू. 1,00,000/–	स्वेच्छिक एजेंसी को महिला समाख्या के अधीन नियुक्त जीआईए की बाबत डीजीएसीआर के उद्धरण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।	
1997–98	अलारिप्पु, नई दिल्ली	रू. 95,000/–	परियोजना दिसम्बर, 1999 में समाप्त हो गई। लेखा परीक्षित लेखाओं की प्रतिक्षा है।	
1998–99	अलारिप्पु, नई लिल्ली	रू. 50,000/–	–वही–	
		छात्रावास योजना		
1996–97	जाजपुर हरिजन सेवा समिति, जाजपुर, उड़ीसा	रू. 2,50,000/–	एजेन्सी के विरुद्ध एक शिकायत की जांच की जा रही है	आज की तारीख तक आगे और कोई अनुदान नहीं दिया गया
	बालिका विद्यापीठ लखीसराय बिहार	रू. 2,50,000/–	–वही–	–वही–
1997–98	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
1998–99	यूथ केयर एण्ड काउंसलिंग सोसायटी, दिमापुर, नागालैंड	रू. 1,62,000/–	एजेंसियों को 1998–99 तथा 1999–2000 के उपयोगीता प्रमाण पत्र तथा लेखा परिस्थिति रिकार्ड प्राप्त करने को कहा गया	अभी तक और आगे कोई अनुदान नहीं दिया गया
	महादेवी पीरामल दातव्यन्यास बगढ़, झुनझुन, राजस्थान	रू. 1,62,000/–	–वही–	–वही–
	सर्वोदय शिशु मंगल, समिती, धनकनाल, उड़ीसा	रू. 1,62,000/–	–वही–	–वही–
	न्यूयॉंग माह विमेन सोसायटी, मोन, नागालैंड	रू. 1,25,000/–	–वही–	–वही–

वर्ष	गैर–सरकारी संगठन/स्वैच्छिक एजेन्सी का नाम	वह राशि जिसके लिए गैर सरकारी संगठन/स्वैच्छिक संगठनों द्वारा उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नही किए गए है	उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण	इन गैर–सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों (कालम 1 के अनुसार) को, उपयोगिता प्रमाण–पत्र पर बल न देकर, और आगे अनुदान दिए जाने के कारण
	एसोसीएशन फार डेवलेपमेन्ट आफ रूरल एग्रीकल्चर, इम्फाल मणीपुर	रू. 1,44,000/–	–वही–	–वही–
	डेस्क (एससीई)			
1996–97	एनसीएसटीसी – नेटवर्क नई दिल्ली	रू. 7,75,000/–	संगठन से कोई उपयुक्त उत्तर प्राप्त नहीं हुआ	
	तमिलनाडु विज्ञान मंच, मद्रास (चेन्नई)	रू. 1,87,000/–	लेखा परीक्षित लेखों की प्रतीक्षा है	
1997–98	असम साइंस सोसायटी गुवाहाटी	रू. 4,00,000/–	परियोजना अवधि 31.12.2000 तक बढ़ा दी गई	
1998–99	सहज, वडोदरा	रू. 1,83,000/–	लेखा परीक्षित लेखों की प्रतीक्षा है	
	क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोग शाला, जोरहट	रू. 2,35,500/–	–वही–	–वही–
	विज्ञान और प्रौद्योगीकी लोक प्रियकरण केन्द्र, गुजरात	रू. 1,77,950/–	–वही–	–वही–
	तुमकूर विज्ञान केन्द्र कर्नाटक	रू. 2,42,275/–	–वही–	–वही–
	व्यावसायिक शिक्षा			
1996–97	ऑल इन्डिया फेडेरेशन ऑफ दि डेफ, श्री रामकृष्ण आश्रम मार्ग, नई दिल्ली	रू. 1,59,000/–	प्राप्त नहीं हुआ	रोक दिया गया
	प्रेम कुमार गोयल एवं सन्स, पिहोवा, जिला कुरूक्षेत्र (हरियाणा)	रू. 3,27,000/–	–वही–	–वही–
1997–98	श्री गुरू शान्तप्पा जवाली मेमोरियल ट्रस्ट, गुलबर्ग, कर्नाटक	रू. 68,000/–	–वही–	–वही–
	श्री स्वामी केशवानंद स्मृति चैरिटेबल ट्रस्ट, श्री गंगनगर राजस्थान	रू. 26,000/–	–वही–	–वही–
	मुन्शीराम शिक्षा समिति कांडला जिला, मुजफ्फरनगर	रू. 33,000/–	–वही–	–वही–

वर्ष	गैर–सरकारी संगठन/ स्वैच्छिक एजेन्सी का नाम	वह राशि जिसके लिए गैर सरकारी संगठन/ स्वैच्छिक संगठनों द्वारा उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किए गए हैं	उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण	इन गैर–सरकारी संगठनों/ स्वैच्छिक संगठनों (कालम 1 के अनुसार) को, उपयोगिता प्रमाण–पत्र पर बल न देकर, और आगे अनुदान दिए जाने के कारण
1998–99	ओरिएन्टल वीविंग यूनिट दिमापुर, नागालैंड	रू. 1,36,000/–	–वही–	–वही–
	त्रोंगलिबा टेका सोसायटी जिला, तुएनसेंग, नागालैंड	रू. 97,000/–	–वही–	–वही–
	भरत सिंह मेमोरियल एजूकेशन सोसायटी, जीन्द, हरियाणा	रू. 64,000/–	–वही–	–वही–
	विमोचन देवगीरि संघ जिला, बेलगांव कर्नाटक	रू. 1,58,000/–	–वही–	–वही–
	ग्रामीन विकास समाज सेवा संस्था जिला, तुएनसेंग, नागालैंड	रू. 1,43,000/–	–वही–	–वही–
	मल्टीमीडिया वेन विमेन्स सोसायटी कोहिमा, नागालैंड	रू. 49,000/–	–वही–	–वही–
	सुविधा शैक्षनीक न्यास, जम्मूई, बिहार	रू. 1,66,000/–	–वही–	–वही–
	रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ, जिला, देवगढ़ झारखण्ड	रू. 2,65,000/–	–वही–	–वही–
	नोम महिला विकास समीति, कटिहार, बिहार	रू. 1,66,000/–	–वही–	–वही–
	शिक्षा में संस्कृति तथा मूल्य			
	कृषक विकास समिति, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश	रू. 1.55	उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ	आगे और अनुदान प्रदान नहीं किया गया
	बाल विकास महिला कल्याण परिषद, गोण्डा	रू. 0.88	उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ	–वही–
	रंगा प्रभात, कोल्लम, केरल	रू. 1.35	उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ	–वही–

वर्ष	गैर–सरकारी संगठन/स्वैच्छिक एजेन्सी का नाम	वह राशि जिसके लिए गैर सरकारी संगठन/स्वैच्छिक संगठनों द्वारा उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किए गए हैं	उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण	इन गैर–सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों (कालम 1 के अनुसार) को, उपयोगिता प्रमाण–पत्र पर बल न देकर, और आगे अनुदान दिए जाने के कारण
	समन्वय आश्रम, बोधगया, बिहार	रू. 0.72	उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ	–वही–
	सृजन, उत्तर प्रदेश	रू. 0.32	उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ	–वही–
	अखिल भारतीय मेगा स्वर्गीय समिति, महाराष्ट्र	रू. 1.50	उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ	–वही–
	साहिद अराखिता क्लब, उड़ीसा	रू. 3.05	उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ	–वही–
	केंजे सोमैया कम्प्रीहेन्सीव कालेज ऑफ एजूकेशन ट्रेनिंग एण्ड रिसर्च, मुम्बई	रू. 5.00	उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ	–वही–
	सिरसा एजूकेशन, सोसायटी, सिरसा हरियाणा	रू. 1.16	उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ	–वही–
		पीएन 2 (आयोजना)		
1996–97	स्कूल आफ बिजनेस स्टडीज, जेएनयू	रू. 50,000	अनुस्मारकों के बावजूद उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त नहीं हुआ	और आगे अनुदान निर्मुक्त नहीं किया गया
	यूथ आफ वालन्टरी एक्शन, मुम्बई	रू. 50,000	–वही–	–वही–
1997–98	राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान नई दिल्ली	रू. 1,75,000	–वही–	उपयोगीता प्रमाण पत्र बकाया होने पर और आगे अनुदान नहीं दिया गया
1998–99	राष्ट्रीय लोक वित्त एव नीति सस्थान	रू. 3,50,000	–वही–	–वही–

वर्ष	गैर–सरकारी संगठन/ स्वैच्छिक एजेन्सी का नाम	वह राशि जिसके लिए गैर सरकारी संगठन/ स्वैच्छिक संगठनों द्वारा उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किए गए हैं	उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण	इन गैर–सरकारी संगठनों/ स्वैच्छिक संगठनों (कालम 1 के अनुसार) को, उपयोगिता प्रमाण–पत्र पर बल न देकर, और आगे अनुदान दिए जाने के कारण
		योग को बढ़ावा देना		
1996–97	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
1997–98	केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद	रू. 5,25,000	कुछ कानूनी समस्याओं के कारण	1998–99 से अनुदान रोका गया
	वर्नमाला, भुवनेश्वर	रू. 36,250	लेखा परीक्षित लेखा प्राप्त नही हुआ	और अभी कोई अपुदान नहीं दिया गया
1998–99	डीबीएच प्रचार सभा केरला (लक्षद्वीप ब्रांच)	रू. 42,000	--वही–	1998–99से अनुदान रोका गया

परिशिष्ट – V

1994 के बाद की अवधि के संबंध में नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की रिपोर्टों के बकाया लेखा परीक्षा पैराग्राफों की सूची

माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग

क्र. सं.	रिपोर्ट संख्या पैरा नं.	संक्षिप्त विषय/संगठन का नाम
1.	1995 / 10.1 की संख्या 1	स्कूलों में विज्ञान शिक्षा में सुधार
2.	1995 / 13 की संख्या 11	विभिन्न अनुदानदाता संस्थानों द्वारा प्राप्त परिसम्पत्तियों पर नियंत्रण – यूजीसी, नई दिल्ली
3.	1998 / 11 की संख्या 4	अधूरे निर्माण कार्यों पर निधियों का अटका रहना – अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय
4.	14	लाइसेंस फीस का संशोधन न किया जाना–विश्वभारती शांति निकेतन
5.	1996 / 6.2 की संख्या 4	अनियमित नियुक्ति -- अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय
6.	6.3	कार्यालय स्थान की अविवेकपूर्ण खरीद – एआईसीटीई, नई दिल्ली
7.	6.6	बिजली प्रभार संबंधी टाला जा सकने वाला खर्च – दिल्ली विश्वविद्यालय
8.	2000 / 13.2 की संख्या 2	स्थानीय पदों के बने रहने पर अनधिकृत खर्च – भारतीय दूतवास, बोन
9.	2000 / 7.1 की संख्या 4	टैरिफ प्रभार की अतिरिक्त अदायगी – अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय
10.	7.2	बेकार पड़े उपस्कर – बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय
11.	7.4	अनियमित खर्च – आईआईटी, दिल्ली
12.	7.5	ब्याज की हानि – आईआईटी, कानपुर
13.	7.6	टाला जा सकने वाला खर्च – विश्व भारती

प्रारम्भिक शिक्षा और साक्षरता विभाग

क्र. सं.	रिपोर्ट संख्या पैरा नं.	संक्षिप्त विषय/संगठन का नाम
1.	1997 / 2 की संख्या 3	अध्यापक शिक्षक की पुनर्सरचना तथा पुनर्गठन
2.	1998 / 2 की संख्या 3	समग्र साक्षरता अभियान

परिशिष्ट – VI

शिक्षा विभाग के अधीन स्वायत्त संगठनों/अधीनस्थ कार्यालयों और सरकारी क्षेत्र के उपकमों की सूची (29.08.2000 की स्थिति के अनुसार)

I. विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा

1. दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
2. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली
3. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़
4. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी
5. पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पांडिचेरी
6. हैदराबाद विश्वविद्यालय, हैदराबाद
7. उत्तरी–पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय, शिलांग
8. इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू), नई दिल्ली
9. असम विश्वविद्यालय, सिल्चर
10. तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर
11. विश्व भारती, शान्ति निकेतन
12. नागालैण्ड विश्वविद्यालय, कोहिमा
13. जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली
14. दि बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ
15. मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद
16. महात्मा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा
17. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली
18. भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला, हिमाचल प्रदेश
19. भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएसएसआर), नई दिल्ली
20. भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद (आईसीपीआर), नई दिल्ली
21. भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद (आईसीएचआर), नई दिल्ली
22. राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद, हैदराबाद

II. तकनीकी शिक्षा

23. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई आई टी), नई दिल्ली
24. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई आई टी), कानपुर
25. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई आई टी), बम्बई
26. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई आई टी), खड़गपुर
27. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई आई टी), मद्रास
28. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई आई टी), गुवाहाटी
29. भारतीय प्रबन्ध संस्थान, अहमदाबाद
30. भारतीय प्रबन्ध संस्थान, बंगलौर
31. भारतीय प्रबन्ध संस्थान, कलकत्ता
32. भारतीय प्रबन्ध संस्थान, कालीकट, केरल
33. भारतीय प्रबन्ध संस्थान, इन्दौर, मध्य प्रदेश
34. भारतीय प्रबन्ध संस्थान, लखनऊ
35. भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर

36. क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, कालीकट
37. एसवी क्षेत्रीय इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी कालेज, सूरत, गुजरात
38. क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, श्रीनगर
39. मोतीलाल नेहरु क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद
40. क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, पश्चिम बंगाल
41. क्षेत्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जमशेदपुर, बिहार
42. विश्वेश्वरैया क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, नागपुर
43. कर्नाटक क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, सुरथाकल
44. क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, वारंगल
45. मालवीय क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, जयपुर
46. क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, राउरकेला, उड़ीसा
47. मौलाना आजाद प्रौद्योगिकी कालेज, भोपाल
48. क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु
49. क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, कुरुक्षेत्र, हरियाणा
50. क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, सिल्चर, असम
51. क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश
52. क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, जालन्धर, पंजाब
53. भारतीय खान स्कूल, बिहार
54. राष्ट्रीय फाउण्ड्री तथा फोर्ज प्रौद्योगिकी, संस्थान, रांची, बिहार
55. राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरिंग प्रशिक्षण संस्थान, मुम्बई
56. भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी तथा प्रबन्ध (आईआईटी एंड एम) संस्थान, ग्वालियर
57. भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद
58. वास्तुकला परिषद, नई दिल्ली
59. आयोजना तथा वास्तुकला स्कूल, नई दिल्ली
60. तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान, कलकत्ता
61. तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान, चेन्नई
62. तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान, भोपाल
63. तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान, चण्डीगढ़
64. प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, चेन्नई, तमिलनाडु
65. प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, मुम्बई
66. व्यावहारिक प्रशिक्षण बोर्ड, कलकत्ता
67. प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड (बीओएटी), कानपुर
68. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), नई दिल्ली
69. उत्तर–पूर्वी क्षेत्रीय विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थान (इटानगर), अरुणाचल प्रदेश
70. संत लौंगोवाल इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिकी संस्थान, चण्डीगढ़

III. माध्यमिक शिक्षा

71. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली
72. राष्ट्रीय शैक्षिक-अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी), नई दिल्ली
73. राष्ट्रीय मुक्त स्कूल, दिल्ली
74. केन्द्रीय तिब्बत स्कूल प्रशासन (सीटीएसए), नई दिल्ली
75. केन्द्रीय विद्यालय संगठन, नई दिल्ली
76 नवोदय विद्यालय समिति, नई दिल्ली

IV. भाषाएं

77. केन्द्रीय अंग्रेजी तथा विदेशी भाषा संस्थान, हैदराबाद
78. केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मण्डल, हिन्दी संस्थान मार्ग, आगरा
79. राष्ट्रीय उर्दू भाषा प्रोन्नति परिषद, नई दिल्ली
80. राष्ट्रीय सिंधी भाषा प्रोन्नति परिषद, नई दिल्ली
81. राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली
82. श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृति विद्यापीठ, नई दिल्ली
83. महर्षि संदीपणि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन
84. राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति

V. प्रौढ़ शिक्षा

85. राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान (एनआईएई), नई दिल्ली

VI. प्रारम्भिक शिक्षा

86. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई), नई दिल्ली
87. राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली

VII. आयोजना ब्यूरो

88. राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना तथा प्रशासन संस्थान (नीपा), नई दिल्ली

VIII. यूनेस्को प्रभाग

89. औरेविले फाउण्डेशन, औरेविले (तमिलनाडु)

IX. पुस्तक प्रोन्नति तथा कापीराइट प्रभाग

90. भारतीय राष्ट्रीय बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली
91. केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मंसा गंगोत्री, विश्वविद्यालय परिसर, मैसूर – 570 006
92. केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, वेस्ट ब्लाक नं. 10, प्रथम तल, विंग नं. 1, रामा कृष्ण पुरम, नई दिल्ली – 110 066
93. प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय, ब्लाक नं. 10, जामनगर हाऊस हटमेंट्स, नई दिल्ली – 110 001
94. वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग, पश्चिम खंड 7, राम कृष्ण पुरम, नई दिल्ली – 110 066

X. शिक्षा विभाग के अधीन अधीनस्थ कार्यालय

95. एजूकेशनल कंसलटेंटस इण्डिया लिमिटेड, नोएडा (उत्तर प्रदेश)

NIEPA DC
D11111

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016 D – 1111
DOC, No ....
Date 23-05-2001

01–03–2000 की स्थिति के अनुसार

संगठन चार्ट

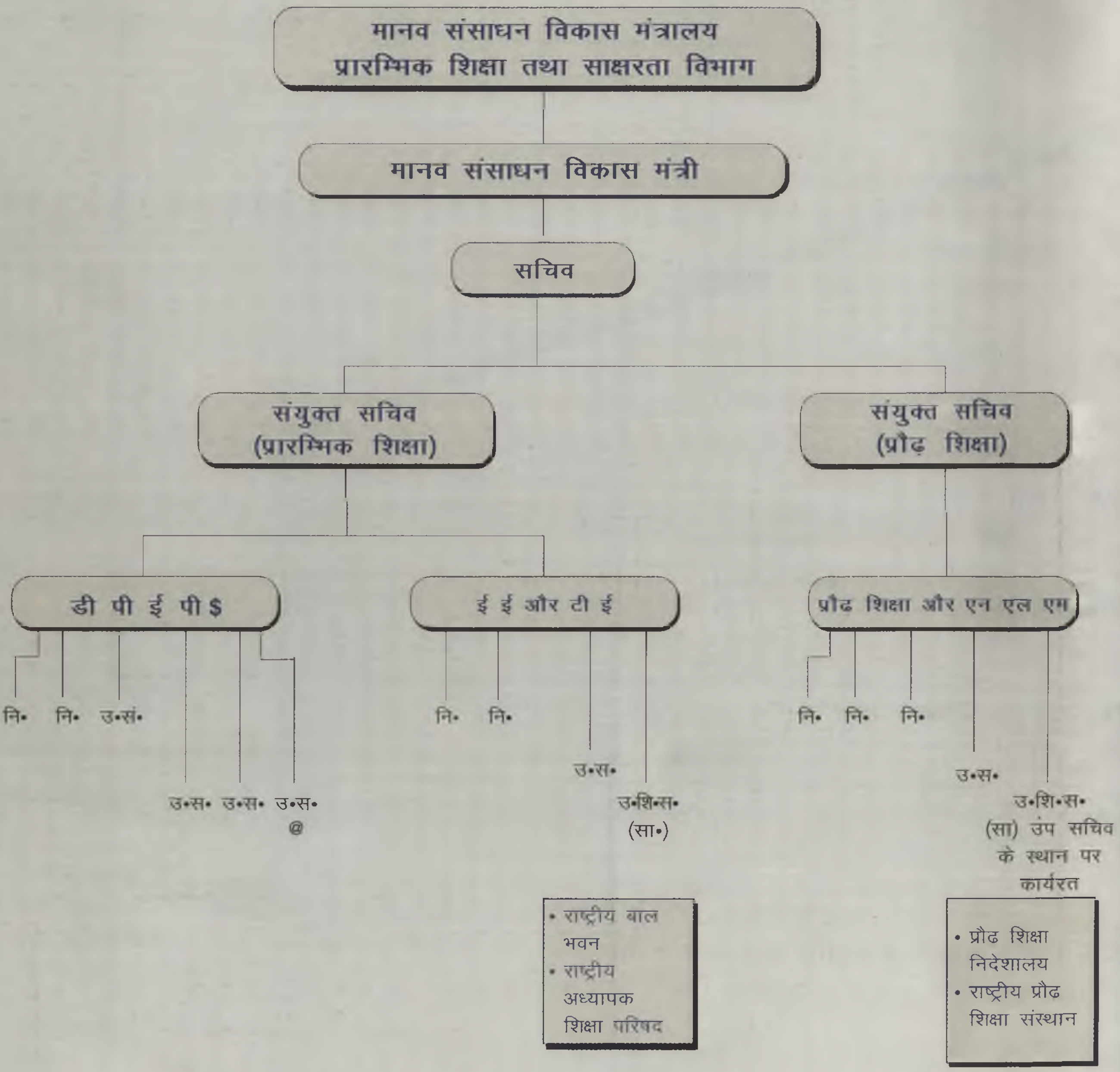

संकेतिका

प्रौ•शि•	– प्रौढ शिक्षा	अ•शि•	– अध्यापक
उ•शि•स•	– उप शिक्षा सलाहकार	$	जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में लोक जुम्बिश/सीठा के साथ समन्वय से सम्बन्धित कार्य
उ•स•	– उप सचिव		
नि•	– निदेशक		
जि•प्रा•शि•का•	– जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम		
प्रा•शि•	– प्रारम्भिक शिक्षा	@	प्रारम्भिक शिक्षा ब्यूरो को अंतरित
सा•	– सामान्य		
सं•स•	– संयुक्त सचिव		

टिप्पणी
वित्त, प्रशासन आदि जैसे सेवा अनुभाग सामान्य हैं और प्रशासनिक रूप से माध्यमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा विभाग के नियंत्रण में हैं।

माध्यमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा विभाग

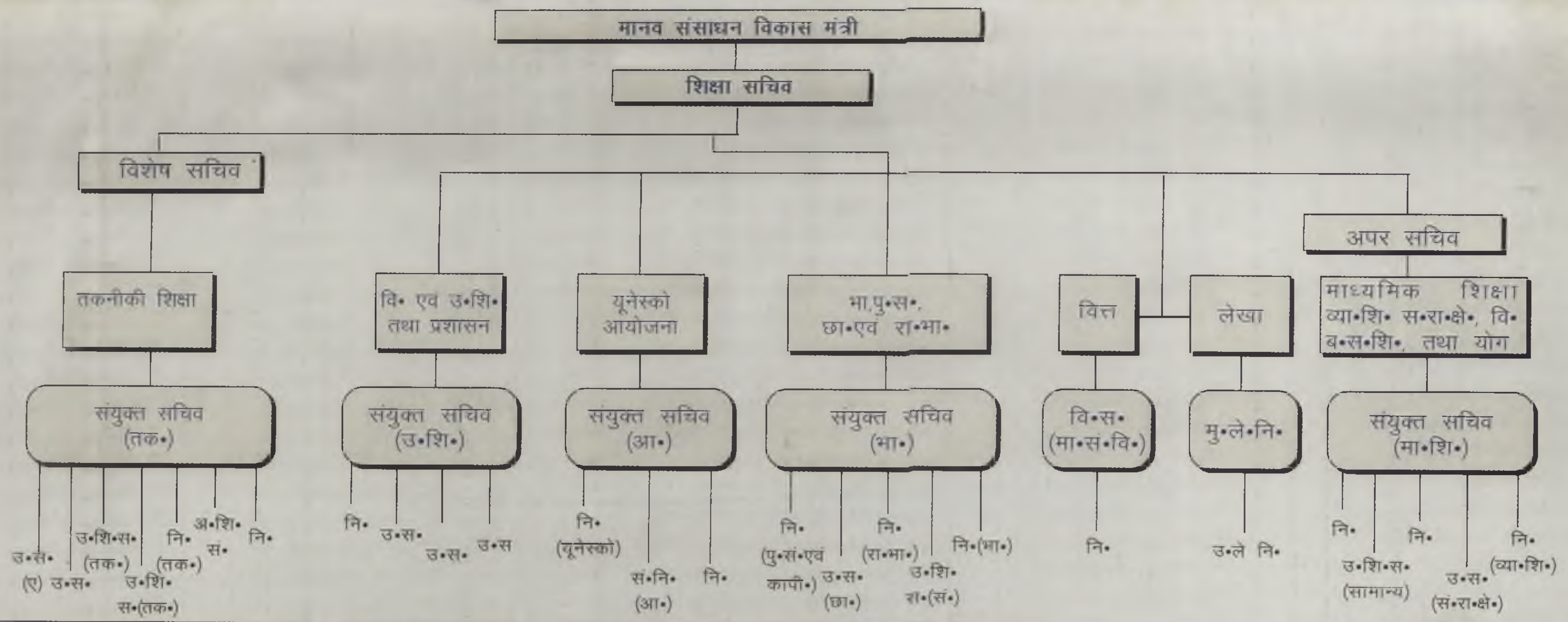

- अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद
- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
- क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज
- भारतीय प्रबन्ध संस्थान
- आयोजना तथा वास्तुकला विद्यालय
- एजूकेशनल कन्सलटेटस आफ इण्डिया लिमिटेड
- भारतीय विज्ञान संस्थान
- भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान
- तक्नीकी अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान
- राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी संस्थान
- राष्ट्रीय गढाई तथा ढलाई प्रौद्योगिकी संस्थान
- संत लौंगोवाल इंजनीनियरी तथा प्रौद्योगिकी संस्थान
- पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान
- सी•ओ•ए•टी•

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
- केन्द्रीय विश्वविद्यालय
- भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला
- भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसधान परिषद
- भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद
- भारतीय दार्शनिक अनुसधान परिषद
- भारतीय विश्वविद्यालय संघ

राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना तथा प्रशासन संस्थान

- केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय
- केन्द्रीय हिन्दी सस्थान
- राष्ट्रीय उर्दू प्रोन्नति परिषद
- केन्द्रीय भारतीय भाषा सस्थान
- वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग
- केन्द्रीय अग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान
- राष्ट्रीय पुस्तक न्यास

- राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद
- केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
- राष्ट्रीय ओपन विद्यालय
- केन्द्रीय विद्यालय संगठन
- नवोदय विद्यालय समिति
- केन्द्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन

संकेतिका

अ•शि•सं•	–	अपर शिक्षुता सलाहकार	भा•	–	भाषाएं
पु•सं•	–	पुस्तक संवर्धन	रा•भा•	–	राजभाषा
मु•ले•नि•	–	मुख्य लेखा नियंत्रक	आ•	–	आयोजना
उ•ले•नि•	–	उप लेखा नियंत्रक	मा•शि•	–	माध्यमिक शिक्षा
कापी	–	कापीराइट	छा•	–	छात्रवृत्ति
वि•स•	–	वित्त सलाहकार	सं•	–	संस्कृत
सं•नि•	–	सयुक्त निदेशक	तक•	–	तकनीकी
उ•स•	–	उप सचिव	वि•एवं उ•शि•	–	विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा
नि•	–	निदेशक	सं•रा•क्षे•	–	संघ राज्य क्षेत्र
सा•	–	समान्य	व्या•शि•	–	व्यावसायिक शिक्षा
सं•शि•स•	–	सयुक्त शिक्षा सलाहकार	उ•शि•स•	–	उप शिक्षा सलाहकार
सं•स•	–	संयुक्त सचिव	वि•ब•स•शि•	–	विकलांग बच्चों के लिए समावेशित शिक्षा

टिप्पणी:
माध्यमिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा विभाग और प्रारम्भिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के लिए प्रशासन, वित्त आदि एक ही हैं।